प्रथम भाग

अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य

अध्याय 1

वरिष्ठ अधिकारीगण

1. महानिदेशक—महानिदेशक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी है और पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर सपरिषद् गवर्नर के सलाहकार हैं। सपरिषद् गवर्नर की ओर से जारी किए जाने वाले सभी आदेश पुलिस बल के सभी सदस्यों को उसके मार्फत जारी किए जाते हैं, अति आवश्यक दशाओं के सिवाय, जिनमें अधीनस्थ अधिकारियों को सीधे जारी किये गये आदेशों की प्रतियाँ उसे भेज दी जाती हैं। कोई पुलिस अधिकारी सपरिषद् गवर्नर से उसके मार्फत के सिवाय पत्र व्यवहार नहीं कर सकेगा, तब तक नियम के द्वारा विशेषतया प्राधिकृत न कर दिया गया हो। प्रशासनिक चर्चा सम्बन्धी मामले के रूप में, उसका सम्बन्ध राजपत्रित अधिकारियों कर्मचारी मण्डल के सामान्य आबंटन और निधियों के सामान्य वितरण से ही रहता है। कुछ नगरों और थानों में निरीक्षकों को पदस्थ करने, स्थानान्तरण करने और अवकाश अनुदत्त (मंजूर) करने और उस लिपिकीय कर्मचारी मण्डल को पदस्थ करने, स्थानान्तरित करने और पदोन्नत करने बाबत, जो उसके द्वारा पूरी सुविधापूर्वक किए जा सकते हैं, के सिवाय, अराजपत्रित कर्मचारी मंडल के मामले में पूर्ण उत्तरदायित्व (जिम्मेदारी) उप महानिरीक्षक की प्रत्यायोजित कर (सौंप) दिया गया है।

टिप्पणी

उ०प्र० शासस ने प्रदेश पुलिस बल के सर्वोच्च अधिकारी महानिदेशक के पद को पहले ही महानिदेशक का पद घोषित किया है। प्रदेश में वर्ष 1981 में नवीन सृजित अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस के पदों को अब उच्चीकृत करके एवं अन्य समान पदों को सृजित करके शासन ने पुलिस प्रशासन का विस्तार किया है। पुलिस प्रशासन को समृद्ध करने हेतु प्रदेश के विभिन्न परिक्षेत्रों को कुल सात क्षेत्रों में विभाजित करके उन्हें क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में दिया है तथा विभिन्न सेल में भी पूर्व स्थित पदों का उर्च्चीकरण किया है। इस प्रकरण में समय-समय पर निर्गत आदेश दिये जा रहे हैं। इनके कर्तव्य/अधिकारों का विवरण अभी शासन ने नहीं दिया है, पर अतिरिक्त महानिरीक्षक को पूर्व प्रदत्त अधिकार इनमें स्वमेव निहित हैं।

संख्या-1574/आठ-पु०से०-2-1983 गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग उ०प्र०

प्रेषक,

श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

[लखनऊ : दिनांक 5 मई, 1983

मुझे यह कहने पर निदेश हुआ है कि भारतीय पुलिस सेवा के सुपर टाइप स्केल के पदों की संख्या में वृद्धि करने के विचार से माननीय राज्यपाल महोदय निम्नलिखित पदों को उसके भरे जाने की तिथि से सृजित/उच्चीकृत किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) सतर्कता निदेशक/अपर पुलिस महानिरीक्षक के पद को पुलिस महानिरीक्षक के पद (वेतनमान रु० 2500-2750) में उच्चीकृत करने,

(2) आगरा, मुरादाबाद तथा फैजाबाद परिक्षेत्रों के लिए सृजित अपर पुलिस महानिरीक्षक के वर्तमान अस्थाई पदों को समाप्त करके उनके स्थान पर क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के तीन अस्थाई पदों को सृजित करने,

(3) लखनऊ मुख्यालय पर क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के एक अस्थाई पद को सृजित करने,

(4) पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के लिए पुलिस महानिरीक्षक के एक अस्थाई पद को सृजित करने,

(5) विशेष जाँच प्रकोष्ठ (हरिजन सेल) में पुलिस महानिरीक्षक के एक अस्थाई पद को सृजित करने,

(6) कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स तथा निदेशक, नागरिक सुरक्षा के दोनों, कार्यालयों को पृथक-पृथक किए जाने तथा पुलिस महानिरीक्षक के एक अतिरिक्त अस्थाई पद को सृजित करने,

(7) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान में पुलिस उप-महानिरीक्षक (वेतनमान रु० 2000-2250 में) के एक अस्थाई पद को सृजित करने,

(8) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में पुलिस अपर महानिरीक्षक के एक अस्थाई पद को सृजित करने। इस पद को मुख्य सतर्कता/सुरक्षा अधिकारी के नाम से जाना जायेगा।

(9) पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) के अधीन पुलिस अपर महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) के एक अस्थाई पद को सृजित करेगा। इस पद का मुख्यालय इलाहाबाद रहेगा।

(10) पुलिस उप-महानिरीक्षक के तीन अस्थाई पदों को सृजित करने, इन पदों के हेडक्वार्टर तथा कार्यक्षेत्र के बारे में आदेश अलग से प्रसारित किये जायेंगे।

2. यह सभी पद उनके भरे जाने की तिथि से 28 फरवरी, 1984 तक चलते रहेंगे बशर्ते कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के इससे पहले ही समाप्त न कर दिया जाए।

3. आई०पी०एस० (काडर) रूल्स, 1954 के नियम 9(2) के तृतीय प्रतिबन्ध के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय यह भी घोषित करते हैं कि यह सभी पद राज्य आई०पी०एस० संवर्ग में अस्थाई रूप से जुड़े हुये माने जायेंगे तथा स्तर एवं उत्तरदायित्व में उनकी मान्यता आई०पी०एस० संवर्ग से सम्मिलित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक के पद के समकक्ष होगी। तद्नुसार पद के धारकों को उनके पद के वेतन के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० लखनऊ को सम्बोधित एवं अन्यों को पृष्ठांकित श्री प्रभा शंकर मिश्रा, संयुक्त सचिव उ०प्र० शासन गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-2 के पत्र सं० 1205/आ०-पु०से०-2-1984 दिनांक 18 अप्रैल, 1984 की प्रतिलिपि।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, (वेतनमान रु० 2500 से 2750) के एक अस्थायी नि:संवर्गीय पद को सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह पद पदधारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सृजित माना जायेगा और 28 फरवरी, 1985 तक चलता रहेगा, बशर्ते कि उसे बिना किसी पूर्व सूचना के इससे पहले ही समाप्त न कर दिया जाय।

2. आई०पी०एस० (पे) रूल्स, 1954 के नियम 9 (2) के अधीन माननीय माननीय राज्यपाल महोदय यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त प्रस्तर 1 में सृजित अस्थाई नि:संवर्गीय पदस्तर एवं उत्तरदायित्व में पदधारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग के संवर्गीय पद के समक्ष माना जायेगा और इस पद के पदधारी को रुपया 2500 से 2750 के वेतनमान में समय-समय पर देय वेतन प्राप्त होगा।

संख्या-1206/आठ-पु०से०-2-1984 गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-2

प्रेषक,

श्री प्रभा शंकर मिश्रा, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

[लखनऊ : दिनांक 18 अप्रैल, 1984

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने निदेशक कम्प्यूटर्स एण्ड साइन्टिफिक सेक्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (वेतनमान रु० 2500-2750) के एक अस्थायी नि:संवर्गीय पद को सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह पदधारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सृजित माना जायेगा और 28 फरवरी, 1985 तक चलता रहेगा बशर्ते कि उसे बिना किसी पूर्व सूचना के इससे पहले ही समाप्त न कर दिया जाय।

2. आई०पी०एस० (पे) रूल्स, 1954 के नियम 9(2) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त प्रस्तर 1 में सृजित अस्थाई नि:संवर्गीय पद स्तर एवं उत्तरदायित्व में पदधारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना विभाग के संवर्गीय पद के समकक्ष माना जायेगा और इस पद के पदधारी को रु० 2500-2750 के वेतनमान में समय-समय पर देय वेतन प्राप्त होगा।

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को सम्बोधित श्री प्रभाशंकर मिश्र, संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन, गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-2, लखनऊ के पृ०सं०-1207/आठ-पु०से०-2-1984 दिनांक 18-4-84 की प्रतिलिपि।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (वेतनमान रु० 2500-2750) के एक अस्थाई नि: संवर्गीय, पद को सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह पद, पदधारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सृजित माना जायेगा और 28 फरवरी, 1985 तक चलता रहेगा बशर्ते कि उसे बिना किसी पूर्व सूचना के इससे पहले ही समाप्त न कर दिया जाय।

2. आई०पी०एस० (पे) रूल्स, 1954 के नियम 9 (2) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय घोपित करते हैं कि उपरोक्त प्रस्तर 1 में सृजित अस्थाई नि:संवर्गीय पद स्तर एवं उत्तरदायित्व में पदधारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस महनिरीक्षक, अधिसूचना विभाग के संवर्गीय पद के समकक्ष माना जायेगा और इस पद के पदधारी को रु० 2500-2750 के वेतनमान के समय-समय पर देय वेतन प्राप्त होगा।

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को सम्बोधित श्री प्रभाशंकर मिश्र, संयुक्त सचिव, गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-2, लखनऊ के पृष्ठ सं०-2253/आठ-पु०से०-2-512(2)/84 दिनांक 26-5-84 की प्रतिलिपि।

शासनादेश संख्या 1574/आठ-पु०से०-2-1983, दिनांक 5 मई, 1983 एवं 2224/आठ-पु०से०-2-1983 दिनांक 21 जून, 1983 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस प्रशासन को समृद्ध करने हेतु उत्तर प्रदेश के विभिन्न परिक्षेत्रों को कुल 5 क्षेत्रों में विभाजित करने उद्देश्य से माननीय राज्यपाल महोदय ने उपरोक्त 5 मई, 1983 के शासनादेश से प्रस्तर 1 (2) एवं 1 (3) में सृजित-बार क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों के पदों के अलावा एक और क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक अस्थाई पद सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

2. पूर्व से निर्धारित क्षेत्रों में संशोधन करते हुये प्रदेश के पांच क्षेत्रों को अब निम्नवत निर्धारित किये जाने की भी माननीय राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्षेत्र का नाम	क्षेत्र में आने वाले परिक्षेत्र	मुख्यालय
1. मेरठ क्षेत्र	1. मेरठ परिक्षेत्र 2. गढ़वाल परिक्षेत्र	मेरठ
2. बरेली क्षेत्र	1. मुरादाबाद परिक्षेत्र 2. बरेली परिक्षेत्र 3. कुमायूँ परिक्षेत्र	बरेली
3. लखनऊ क्षेत्र	1. लखनऊ परिक्षेत्र 2. फैजाबाद परिक्षेत्र	लखनऊ
4. कानपुर परिक्षेत्र	1. आगरा परिक्षेत्र 2. झाँसी परिक्षेत्र 3. कानपुर परिक्षेत्र	कानपुर
5. गोरखपुर क्षेत्र	1. गोरखपुर परिक्षेत्र 2. वाराणसी परिक्षेत्र	गोरखपुर

3. उपरोक्त प्रस्तर 11 में सृजित पद पदधारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 28 फरवरी, 1985 तक चलता रहेगा बशर्ते कि उसे बिना पूर्व किसी सूचना के इससे पहले ही समाप्त न कर दिया जाये।

4. आई०पी०एस० (पे) रूल्स 1954 के नियम 9 (2) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय यह घोषित करते हैं कि प्रस्तर में सृजित क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक का अस्थाई पद स्तर एवं उत्तरदायित्व में सृजन की तिथि से पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना के संवर्गीय पद के समकक्ष माना जायेगा और इस पद के पदधारी रु० 2500-2750 के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे।

संख्या-2209/आठ-पु०से०-512(2)/84 गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग उ०प्र०

प्रेषक,

श्री प्रभा शंकर मिश्रा,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

[लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 1984

शासनादेश संख्या 4316/आठ-पु०से०-2-512(2)/83, दिनांक 22-11-83 और शासनादेश संख्या 1480/आठ-पु०से०-2-512 (1)/83 दिनांक 9 मई, 1984 में सृजित निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के दोनों अस्थाई पदों को एतद्द्वारा समाप्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक तथा संगठन एवं प्रणाली, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद, के एक अस्थाई नि:सवंर्गीय पद को सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह पदधारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सृजित माना जायेगा और 28 फरवरी, 1985 तक चलता रहेगा बशर्ते कि उसे बिना किसी पूर्व सूचना के इससे पहले ही समाप्त न कर दिया जाये।

2. आई०पी०एस० (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम 9 (2) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त प्रस्तर में सृजित अस्थाई नि:संवर्गीय पद स्तर एवं उत्तरदायित्व में पदधारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना विभाग के संवर्गीय पद के समकक्ष माना जायेगा और पद के पदधारी को रु० 2500-2750 के वेतनमान में समय-समय पद देय वेतन प्राप्त होगा।

संख्या-3392/आ-पु०से०-2-512(5)/1989 गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-2

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

[लखनऊ : दिनांक 28 नवम्बर, 1989

विषय—इलाहाबाद जोन का सृजन/जोन्स के कार्यक्षेत्रों का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इलाहाबाद में पुलिस परिक्षेत्र के सृजन के फलस्वरूप राज्य में विद्यमान पुलिस जोन्स के पुनर्गठन का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन था। इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान पाँच पुलिस जोन्स के अतिरिक्त इलाहाबाद में एक नया पुलिस जोन्स सृजित किया जाये। अतएव श्री राज्यपाल इलाहाबाद जोन का सृजन करने तथा उसके लिये पुलिस महानिरीक्षक का एक अस्थायी पद भरे जाने की तिथि से 28-2-1990 तक के लिए सृजित करने की अनुमति प्रदान करते हैं। यह पद इससे पूर्व भी बिना सूचना समाप्त किया जा सकता है। यह पद भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग नियमावली, 1954 के नियम-4(2) के दूसरे परन्तुक के अनुसार उ०प्र० के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में अस्थायी वृद्धि माना जायेगा। पदधारी के कर्तव्य/उत्तरदायित्व तथा अधिकार वहीं होंगे जो शासनादेश संख्या 1952/(2)/आठ-पु०से०-2-522(5)/84 दिनांक 1987 में निर्धारित किये गये हैं अथवा आगे शासन द्वारा निर्धारित किये जायें। वेतन व भत्तों पर होने वाले आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय हेतु श्री राज्यपाल रुपये 22,000 मात्र (रुपये बाईस हजार मात्र) की धनराशि भी वर्ष के अन्तिम 3 माह हेतु व्यय करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2. इलाहाबाद में नये पुलिस जोन के सृजन के फलस्वरूप श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या 2253/आठ-पु०से०-2-512(29)/84 दिनांक 26 मई, 1984 का अतिक्रमण करके राज्य को पाँच के बजाय 6 जोन में विभाजित कर निम्नांकित स्वीकृति प्रदान करते हैं—

जोन का नाम	जोन में आने वाले परिक्षेत्र	जोन का मुख्यालय
1. मेरठ जोन	1. मेरठ परिक्षेत्र 2. गढ़वाल परिक्षेत्र	मेरठ
2. बरेली जोन	1. मुरादाबाद परिक्षेत्र 2. बरेली परिक्षेत्र 3. कुमायूँ परिक्षेत्र	बरेली
3. लखनऊ जोन	1. लखनऊ परिक्षेत्र 2. फैजाबाद परिक्षेत्र	लखनऊ
4. गोरखपुर जोन	1. गोरखपुर परिक्षेत्र 2. वाराणसी परिक्षेत्र	गोरखपुर
5. कानपुर जोन	1. आगरा परिक्षेत्र 2. कानपुर परिक्षेत्र	कानपुर
6. इलाहाबाद जोन	1. इलाहाबाद परिक्षेत्र 2. झाँसी परिक्षेत्र	इलाहाबाद

3. इलाहाबाद जोन के सृजन के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्ष 1989-90 के आय-व्यय के अनुदान संख्या 27 (गृह विभाग पुलिस) के लेखा शीर्षक "2055-पुलिस आयोजनेत्तर-001-निदेशन और प्रशासन-01-मुख्य" के अन्तर्गत संगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान की सम्पूर्ण बचतों के पुनर्विनियोग द्वारा वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०ई० 12/2134 दस 89 दिनांक 27 नवम्बर, 1989 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र

संयुक्त सचिव।

संख्या-2568(11)/6-पु०-1-97/50(6)97 पुलिस (अनुभाग-1) गृह

प्रेषक,

हरीश चन्द्र गुप्ता, प्रमुख सचिव, गृह उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

[लखनऊ : दिनांक 19 अप्रैल, 1997

विषय—उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा पर विशेष समस्याओं के समाधान हेतु पुलिस व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा पर एक जोन व तीन परिक्षेत्र हैं, जिसमें कुल 15 जनपद हैं। उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा पर पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और अपराध नियंत्रण करने, विशेषकर सीमा पर सक्रिय जंगल पार्टियों व नक्सलवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा में स्थित गोरखपुर जोन को पुनर्गठित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र०	जोन	परिक्षेत्र	जनपद
1.	गोरखपुर	1. गोरखपुर परिक्षेत्र	1. गोरखपुर 2. पड़रौना 3. देवरिया
		2. बस्ती परिक्षेत्र	1. महाराजगंज 2. सिद्धार्थनगर, 3. बस्ती
		3. आजमगढ़ परिक्षेत्र	1. आजमगढ़ 2. मऊ 3. बलिया 4. जौनपुर
2.	वाराणसी जोन	1. वाराणसी परिक्षेत्र	1. वाराणसी 2. गाजीपुर
		2. मिर्जापुर परिक्षेत्र	1. मिर्जापुर 2. सोनभद्र 3. भदोही

2. श्री राज्यपाल उक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप एक नवसृजित जोन (वाराणसी जोन) तथा 2 नवसृजित परिक्षेत्र (बस्ती एवं मिर्जापुर परिक्षेत्र) का कार्य संचालित किये जाने हेतु परिशिष्ट-1 पर उल्लिखित अस्थायी पदों को उनके भरे जाने की तिथि से, जो इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पहले की न होगी, दिनांक 28 फरवरी, 1998 तक, बशर्ते कि ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं।

3. उक्त पद धारकों को वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते, जो नियमानुसार अनुमन्य हों, देय होंगे।

4. परिशिष्ट-1 में दिये गये विवरण के अनुसार उक्त पदों पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु विभागीय आय-व्ययक में प्रावधान उपलब्ध नहीं है तथा व्यय अत्यावश्यक एवं अपरिहार्य है। अत: श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से रु० 28,15,796 (अट्ठाईस लाख पन्द्रह हजार सात सौ छियान्बे रुपये मात्र) की धनराशि अग्रिम आहरित करने की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं। इस अग्रिम की उक्त निधि में प्रतिपूर्ति यथासमय अनुपूरक माँग द्वारा की जायेगी।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय राज्य आकस्मिकता निधि के लेखे प्रथमत: 8000-आकस्मिकता निधि-राज्य आकस्मिकता निधि तथा अन्तत: वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या 26 के लेखा शीर्षक "2055-पुलिस आयोजनेत्तर 109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

हरीश चन्द्र गुप्त

प्रमुख सचिव, गृह।

वित्त विभाग/संख्या : इ-12-सी०एफ०-09/दस-1997, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

अनु सचिव

वित्त विभाग।

शासनादेश संख्या : 2568(11)/6-पु-1-97/50(6)97, दिनांक 19 अप्रैल, 97 का परिशिष्ट-1

क्र०	नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	व्यय की सीमा रुपये में	
				आवर्तक	अनावर्तक
1	2	3	4	5	6
1.	पुलिस महानिरीक्षक	1	रु० 5900-200-6700	2,07,372	—
2.	पुलिस उपं महानिरीक्षक	2	रु० 5100-150-5400 (18 वर्ष या इसके बाद)-150-6150	3,68,856	—
3.	अपर पुलिस अधीक्षक	1	रु० 3000-4750	1,20,600	1,800
4.	पुलिस उपाधीक्षक (सीनियर स्केल)	2	रु० 2200-4000	2,37,600	3,600
5.	निरीक्षक (एम)/स्टैनो	4	रु० 2000-60-2300-द०रो०-75-3200	3,04,800	2,000
6.	निरीक्षक (एम)/प्र०लि०	2+1 = 3	तदैव	2,28,600	1,500
7.	एस०आई० (एम)	3 (6)	रु० 1640-60-2600-द०रो०-75-2900	1,55,412	1,500
8.	ए०एस०आई० (एम)	4 (6)	रु० 1320-30-1560-द०रो०-40-2040	2,07,216	2,000
9.	हेड कान्स०/ए०पी०	3	रु० 975-25-1150-द०रो०-30-1660	1,25,826	14,676
10.	हेड कान्स०/सी०पी०	3	तदैव	1,25,826	14,676
11.	कान्स०/ए०पी०	4 (12)	रु० 950-20-1150-द०रो०-25-1400	1,54,784	19,152
12.	कान्स०/सी०पी०	3	तदैव	1,16,088	14,364
13.	कान्स०/ड्राइवर	4 (-2)	तदैव	1,54,784	19,152
14.	अर्दली/प्यून	7 (-3)	रु० 750-12-870-द०रो०-14-1025	2,13,612	—
	योग	**43**		**27,21,376**	**94,420**

भवदीय,
जय दयाल पुरी
विशेष कार्याधिकारी

संख्या-9842/छः-पु-1-97-150(22)97 उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-1

अधिसूचना

[लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी, 1998

सरकारी अधिसूचना संख्या-3031/1-5/97-353/97-रा-5, दिनांक 20 अक्टूबर, 1997 और 3438/1-5/97-366/97-रा०-5, दिनांक 21 अक्टूबर, 1997 द्वारा क्रमशः चित्रकूटधाम मण्डल और देवीपाटन मण्डल सृजन के फलस्वरूप राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से चित्रकूटधाम और देवीपाटन में दो नये पुलिस रेंज के सृजन का आदेश देते हैं।

2. चित्रकूटधाम और देवीपाटन के नये पुलिस रेंज के सृजन के कारण श्री राज्यपाल अग्रतर समय पर उपान्तरित सरकारी अधिसूचना संख्या-7083/छः-पु-1-94-146-94, दिनांक 7 जून, 1993 का अतिक्रमण करके विभिन्न पुलिस रेंजों को निम्नवत् पुनर्गठित करते हैं—

क्र०	पुलिस रेंज का नाम	पुलिस रेंज का मुख्यालय	पुलिस रेंज में सम्मिलित जिलों के नाम
1.	बरेली रेंज	बरेली	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत और शाहजहाँपुर।
2.	मेरठ रेंज	मेरठ	मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और बागपत
3.	मुरादाबाद रेंज	मुरादाबाद	मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर और ज्योतिबाफूले नगर।
4.	लखनऊ रेंज	लखनऊ	लखनऊ, हरदोई, खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव।
5.	आगरा रेंज	आगरा	आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, मथुरा और महामाया नगर (हाथरस)।
6.	गोरखपुर रेंज	गोरखपुर	गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज।
7.	कानपुर रेंज	कानपुर	कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फरुर्खाबाद, कन्नौज और औरैया।
8.	इलाहाबाद रेंज	इलाहाबाद	इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी।
9.	फैजाबाद रेंज	फैजाबाद	फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर।
10.	झांसी रेंज	झांसी	झांसी, ललितपुर और जालौन।
11.	वाराणसी रेंज	वाराणसी	वाराणसी, गाजीपुर, चन्दौली और जौनपुर।
12.	कुमायूँ रेंज	नैनीताल	नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर और उधमसिंह नगर।
13.	गढ़वाल रेंज	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, देहरादून, चमौली, उत्तरकाशी और रुद्र प्रयाग।
14.	आजमगढ़ रेंज	आजमगढ़	आजमगढ़, बलिया और मऊ।
15.	सहारनपुर रेंज	सहारनपुर	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार।
16.	बस्ती रेंज	बस्ती	बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर।
17.	मिर्जापुर रेंज	मिर्जापुर	मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र।
18.	चित्रकूटधाम रेंज	बांदा	महोबा, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, बांदा और हमीरपुर।
19.	देवीपाटन रेंज	गोण्डा	गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर।

आज्ञा से,
राजीव रत्न शाह
प्रमुख सचिव, गृह

अतिरिक्त महानिरीक्षक

[1][**1-ए. अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक**—अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के प्रभारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्रों के उप-महानिरीक्षकों को यथोचित मार्ग दर्शन करेंगे। अपने क्षेत्रान्तर्गत कर्मचारियों/अधिकारियों के सम्बन्ध में उनके कर्तव्य/अधिकार निम्नवत् होंगे—

1. गृह पुलिस अनु० 7-सं० 3708/आठ-7-175, दिनांक, 8-7-81।

(1) अपने अधीनस्थ परिक्षेत्रों के अराजपत्रित अधिकारियों का स्थानान्तरण करना। अत: परिक्षेत्रीय स्थानान्तरण पुलिस मुख्यालय के स्तर से ही पूर्ववत् किये जाते रहेंगे, परन्तु उनके सम्बन्ध में प्रक्रिया यह होगी कि यह आदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा अब सम्बन्धित अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक की संस्तुतियों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) अपने अधीनस्थ परिक्षेत्रों में नियुक्त कर्मचारियों के प्रतिवेदन, अपीलों, रिवीजन याचिकाओं आदि का निस्तारण करना।

(3) अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के राजपत्रित अधिकारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना जो अब तक पुलिस महानिरीक्षक स्वीकृत करते थे।

(4) अपने क्षेत्र के राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि हेतु उनके कार्य के सम्बन्ध में अपना मंतव्य पुलिस महानिरीक्षक को उपलब्ध कराना।

(5) ऐसे अन्य कार्य जो शासन या पुलिस महानिरीक्षक द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपे जाएँ।

2. कुछ उप महानिरीक्षक जिले के रेंज के प्रभार (चार्ज) हैं। उनमें से प्रत्येक अपने रेंज की पुलिस की दक्षता के लिये उत्तरदायी हैं और उसे देखना चाहिये कि प्रशासन का उचित स्तर बनाये रखा जाता है। उसे अपने अधीक्षकों से सदैव निकट सम्पर्क में रहना चाहिये और उन्हें सहायता पहुँचाना, परामर्श देना या उन पर नियन्त्रण बनाये रखने के लिए तत्पर रहना चाहिये। उसे वर्ष में कम से कम एक बार हर एक जिले के अधीक्षक के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए और विहित प्रारूप (फार्म) में निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना चाहिये। उसे प्रारूप के छपे हुये शीर्षों में अपने सम्प्रेक्षण (नतीजे) अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं है, आठवें 'अपराध के कार्यकरण' और नवें 'सामान्य' के सिवाय यदि प्रत्येक वाद व्यवस्थित हो और किसी कार्यवाही के किए जाने की अपेक्षा न हो तो उसे चाहिए कि वह अपनी रिपोर्ट में ऐसे विषयों को वर्णित करे जो अधिकतम यथोचित रूप से जिले के कर्मचारी मण्डल का मार्ग दर्शन कर सकें या अपने उत्तराधिकारी को सूचना दे सकें। अपना निरीक्षण पूरा कर लेने पर, वह तत्काल त्रुटियों का उपचार करने (नुक्स को ठीक करने) के लिये ऐसी समस्त कार्यवाही करेगा जो उसकी शक्तियाँ अनुज्ञा देती हों और गम्भीर दोष या उन सिद्धान्तों के प्रश्न जिनसे व्यवहार करने की उसे शक्ति नहीं है, महानिरीक्षक को निर्दिष्ट करेगा।

3. उप महानिरीक्षक अपने रेन्ज में अपराध पर सामान्य पर्यवेक्षण (निगरानी) के लिए उत्तरदायी है, उन्हें यह देखना चाहिए कि गम्भीर प्रारम्भ (out break) से निपटने के लिये उचित उपाय किये जाते हैं और जिलों के बीच सहयोग प्रभावी रहता है। इस प्रयोजन के लिये उसे—(1) डकैती (2) वध (3) लूट (4) विष देने और (5) प्रकीर्ण मामलों के रजिस्टर महानिरीक्षक के प्रारूप क्र० 138 में रखना चाहिये। वह महानिरीक्षक को एक पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो उसकी रेन्ज से सम्बन्धित ऐसे मामलों को अन्तर्विष्ट (शामिल) करेगी जिनके बारे में उसका यह विचार हो कि महानिरीक्षक को सूचित होना चाहिये। इसके साथ डकैतियों का एक विवरण, प्रत्येक मामले की अत्यन्त सूक्ष्म विशिष्टियाँ देते हुए संलग्न किया जावेगा। वह असाधारण मामलों में अपराध की विशेष रिपोर्ट महानिरीक्षक को भेजेगा। अधीक्षक को विशेष महत्वपूर्ण स्वरूप के विषयों को, जिनके बारे में सरकार तत्काल सूचना अपेक्षित करे, यथा प्रशांति को गम्भीर भंग, यूरोपियों और भारतीयों के बीच भिड़न्त और राजनैतिक स्वरूप के महत्वपूर्ण विषयों को महानिरीक्षक और उपमहानिरीक्षक को सीधे रिपोर्ट करना चाहिये, परन्तु जहाँ तक सम्भव हो, उपमहानिरीक्षक वह प्रणाली होगा जिसके मार्फत महानिरीक्षक सूचना प्राप्त करेगा। वार्षिक जिला प्रशासन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, उप महानिरीक्षक को अपनी पूरी रेन्ज के लिये, इन मामलों पर टिप्पणियों सहित, जो प्रान्तीय रिपोर्ट में विशेष उल्लेख किये जाने योग्य हों, एक पुनर्विलोकन तैयार कर महानिरीक्षक को भेज देना चाहिये।

पुलिस शिक्षा और प्रशिक्षण के उप महानिरीक्षक रेन्ज के प्रशिक्षण केन्द्रों में पर्यवेक्षण करने और सामान्जस्य रखने के लिये उत्तरदायी होंगे जिसका वह समय-समय पर निरीक्षण करेंगे। इसके अतिरिक्त, अन्यत्र प्रारम्भ की गई प्रशिक्षण की नवीनतम रीतियों के सम्पर्क में रहेंगे और उन्हें पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उपयोग करने के लिये अपनायेंगे।

वह पुलिस ट्रेनिंग कालेज मुरादाबाद, सीतापुर स्थित आर्म्ड पुलिस सेन्टर तथा पुलिस मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कशाप और लखनऊ स्थित वायरलेस सेक्शन पर भी प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण करेंगे, जो सभी, सीतापुर स्थित पुलिस मोटर ट्रान्सपोर्ट, वर्कशाप के अतिरिक्त उनके प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन रहेंगे। वह विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण नियमावलियाँ प्रारूपित करेंगे।

महानिरीक्षक के सहायक, सहकारी रेलवे पुलिस

4. सरकारी रेलवे पुलिस के प्रभार में रहने वाला महानिरीक्षक का सहायक अपने प्रभार में रहने वाले रेलवे पुलिस थानों के सम्बन्ध में रेन्ज के उप महानिरीक्षक की भाँति ही शक्तियाँ, कर्तव्य और दायित्व धारण करता है, निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों को पदच्युत की शक्ति के सिवाय, जो पुलिस मुख्यालयों और रेल के उप महानिरीक्षक में निहित रहती है।

आयुक्त (कमिश्नर)

5. आयुक्त शब्द में, जहाँ कहीं भी वह पुलिस विनियमों में आये, कलेक्टर या किसी सम्भाग की भारसाधक उप आयुक्त सम्मितिल होंगे।

सम्भागों के आयुक्त, अपने-अपने सम्भागों के जिला मजिस्ट्रेटों पर, प्रशासन की अन्य शाखों की भाँति पुलिस से सम्बन्धित में, सामान्य पर्यवेक्षण करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों के बारे में उनके कर्त्तव्यों के लिये आफिस मैनुअल का पैरा 62 देखिये।

जिला मजिस्ट्रेट

6. जिला मजिस्ट्रेट जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है, और उस समार्थ्य में पुलिस के कार्यों को, नियन्त्रित और निर्देशित करता है। वह ग्राम चौकीदारों का दण्डित करने के सम्बध में विभागीय शक्तियाँ रखता है, निरीक्षकों और थाने के भारसाधक अधिकारियों के स्थानान्तर के लिये उसका अनुमोदन आवश्यक होता है (पैरा 524), और वह इनाम देने या सेवा और चरित्र तालिका में प्रविष्टियाँ करने की सिफारिश कर सकता है (आफिस मैनुअल का पैरा 296)। अधीक्षकों सम्बन्धी ऐसे भाग को, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में जिला मजिस्ट्रेट से सम्बन्ध रखता हो या जिले के सामान्य प्रशासन को प्रभावित करे, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से होकर निकलना चाहिये।

परन्तु यह कि उन जिलों में जहाँ कलेक्टर/उप आयुक्त, संभाग का भारसाधक कलेक्टर/उप आयुक्त हो, निरीक्षकों और थाने के भारसाधक अधिकारियों के स्थानान्तर के बारे में उसके कृत्यों का प्रयोग अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कार्यपालन) द्वारा किया जायेगा।

7. जिला मजिस्ट्रेट को अधीक्षक द्वारा घटित होने वाले सभी गम्भीर अपराधों और सामान्य रूप से अपराधों के परिणाम वृद्धि की तत्परता से सूचना दी जानी चाहिये और उसे जिले के भीतर अपराधों का, उसके स्थल और कारणों का पाक्षिक पुनर्विलोकन प्राप्त करना चाहिये। इसी प्रकार के अपराधों के पुनर्विलोकन, सामान्यतया या तो पाक्षिक या मासिक रूप से उप महानिरीक्षक को रेन्ज के क्रम अनुसार भेजे जावेंगे। अधीक्षक को चाहिये कि वह जिला मजिस्ट्रेट को उन सभी घटनाओं से भी सूचित रखे जो पुलिस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हों और उसके साथ स्वयं विचार-विमर्श करने के अवसर बहुधा तलाश करना चाहिये। अब दोनों अधिकारी मुख्यालय प न हों या एक साथ भ्रमण पर हों तो मौखिक विचार-विमर्श के स्थान अर्द्धशासकीय पत्र व्यवहार किया जावे। यदि अधीक्षक भ्रमण पर हो और जिला मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर हो, मुख्यालय के भारसाधक पुलिस अधिकारी को चाहिये

कि वह जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी महत्वपूर्ण सूचना दे जो मजिस्ट्रेट के पास अधीक्षक द्वारा पर्याप्त शीघ्रता से अन्यथा न पहुँच सकती हो।

(क) उस जिले में जिसमें कलेक्टर/उप आयुक्त, सम्भाग का भारसाधक कलेक्टर या भारसाधक उप आयुक्त हो, इस पैरा के अधीन उसके कृत्यों का प्रयोग अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कार्यपालन) द्वारा किया जायेगा।

7-अ. जब कभी पुलिस द्वारा किसी अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, संताप देने, अधिकार का दुरुपयोग करने और अवैध हिरासत में रखने की मिसाल जिला मजिस्ट्रेट की जानकारी में आये तो उन्हें यह अधिकार होगा कि वे पुलिस अधीक्षक से इसमें तत्काल जाँच कराने व आवश्यक अभिलेखों के साथ उसका परिणाम बताने को कहें। यदि इस जाँच के परिणाम में किसी पुलिस फोर्स के सदस्य को दोषी पाया गया तो जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि वह पुलिस अधीक्षक से उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिये कहें। वे अनुशासनिक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप देय दन्ड के पर्याप्तता अथवा अन्यथा होने पर भी परामर्श देंगे। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक हर माह सभी ऐसे शिकायतों व उन पर किये गये कार्यवाही पर सम्मिलित रूप से समीक्षा करेंगे।

7-ब. जब भी जिले में विधि एवं व्यवस्था को प्रभावित करने की अवस्थिति उत्पन्न होने को हो, पुलिस अधीक्षक तत्काल जिला मजिस्ट्रेट को शीघ्रातिशीघ्र माध्यम से सूचित करेंगे व अवस्थिति से निपटने के सम्बन्ध में अनुदेश लेंगे, जब तक कि परिस्थितिवश ऐसा करना असाध्य न हो। अवस्थिति से निपटने के लिये अग्रिम कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के लगातार निकट के परामर्श, मार्ग दर्शन व अनुदेशों के अनुसार की जायेगी।

8. नियन्त्रण करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुये जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे काम करने से बचना चाहिये जो अधीक्षक के प्राधिकार को निर्बल करें। मतभेदों का निजी रूप से समायोजन कर लेना चाहिये और दोनों अधिकारियों के बीच कोई संघर्ष प्रकट न होना चाहिये।

9. जिला मजिस्ट्रेट को साधारण तौर पर प्रत्येक थाने का अर्द्ध वर्ष में एक बार निरीक्षण करना चाहिये, तथापि उन जिलों में जहाँ एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (कार्यालय) पदस्थ हो, जिला मजिस्ट्रेट थानों का निरीक्षण उसे सौंप सकता है। जिला मजिस्ट्रेट को देखना चाहिये कि प्रत्येक अर्द्ध वर्ष के भीतर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हर थाने का कम से कम एक बार सविस्तार और एक बार आकस्मिक रूप से निरीक्षण करता है। उसे उनके मन में यह भावना जमाना चाहिये कि उनके कर्त्तव्य दोहरे हैं—पुलिस को विधि और व्यवस्था के प्रवर्तन (बनाये रखने) में सहायता पहुँचाना और अन्याय का प्रतिषेध करना। वह अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को थानों को निरीक्षण करने के लिये निर्देश दे सकता है, परन्तु साधारणतया तृतीय वर्ग के मजिस्ट्रेट को उन्हें निरीक्षण करने को निर्देशित नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि यह उनके प्रशिक्षण के अंग के रूप में आवश्यक न हो। खाली पृष्ठों से युक्त मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रयोग किये जाने के लिये एक निरीक्षण पुस्तक प्रत्येक थाने में रखी जावेगी। ऐसी हर निरीक्षण पुस्तक के आवरण (कवर) के भीतरी ओर प्रारूप क्र० 390 में अपराध का संक्षेप चिपकाया जावेगा। जब कभी उसमें निरीक्षण टीप अंकित की जावे, इस पुस्तक को पुलिस अधीक्षक को भेजी जानी चाहिए और उसके द्वारा वह जिला मजिस्ट्रेट को सूचना के लिये भेज दी जावेगी।

10. अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिये जिला मजिस्ट्रेट की मन्जूरी आवश्यक है, सिवाय रेलवे पुलिस के मामलों के, जिनके निकाल देने के लिये रेलवे पुलिस के प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिये।

(क) उस जिले में, जिसमें कलेक्टर/उन आयुक्त प्रभारी कलेक्टर हो या सभ्भाग का प्रभारी उप आयुक्त हो, इस पैरा के अधीन उनके कृत्यों का प्रयोग अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कार्यपालन) द्वारा किया जावेगा।

11. 1861 के अधिनियम क्रमांक पाँच की धारा 30 के अधीन, जुलूसों को अनुज्ञा (लाइसेन्स) देने और उन्हें विनियमित करने की अधीक्षक और सहायक अधीक्षक की शक्तियों का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट के नियन्त्रण के अध्याधीन रखते हुये किया जाना चाहिये।

अधिकांश स्थानों में जहाँ धार्मिक शोभा यात्राओं जैसे—मोहर्रम (जुलूसों) और सार्वजनिक उत्सवों के लिये अनुज्ञा दी जाती है, मार्ग और अनुसरण को जाने वाली प्रक्रिया, दीर्घकाल से चली आ रही प्रथा या किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा विहित किये गये अनुसार नियत किये जाते हैं। ऐसे मामले में, पुलिस का कर्त्तव्य यह देखना है कि व्यवस्था बनाये रखी जाती है और उसके द्वारा अनुसरण किये जाने वाले मार्ग या विहित की गई प्रक्रिया में कोई अन्तर नहीं किया जाता। यदि समुदाय का कोई खण्ड या व्यक्तिगत सदस्य अपनी शोभा-यात्रा या उत्सव को विहित समय पर या रीति से कार्यान्वित करने से इन्कार करे तो उन्हें यह सूचित कर दिया जाना चाहिये कि उन्हें विहित समय के पश्चात् या किसी अन्य मार्ग या किसी अन्य रीति.से उन्हें कार्यान्वित करने की मन्जूरी नहीं दी जावेगी।

विशेष मामलों में जिनके बारे में कोई सुनिश्चित प्रथाओं या विद्यमान आदेशों के द्वारा कोई उपबन्धन किये गये हों, पुलिस को चाहिये कि वह जिला मजिस्ट्रेट और उसकी अनुपस्थिति में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन आदेश पारित करने के लिये सशक्त अन्य मजिस्ट्रेट को आवेदन करे और निर्देशों का अनुसरण करे। जहाँ मजिस्ट्रेट के न होने के कारण यह सम्भव न हो सके, भारसाधक अधिकारी को, पूर्व अभ्यास को जो यथासम्भव सुनिश्चित किया जा सके, अपने कार्य का कार्य का आधार मान कर अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिये।

पुलिस अधीक्षक

12. अधीक्षक जिले के पुलिस बल का प्रधान होता है, वह उसकी दक्षता, अनुशासन और कर्त्तव्यों के समुचित पालन के लिये उत्तरदायी है। उसे यह देखना चाहिये कि न्यायालयों और अन्य सक्षम प्राधिकारियों के आदेशों को तत्काल क्रियान्वित किया जाता है। मजिस्ट्रेटों और पुलिस बल के बीच सभी पत्र व्यवहार उनके माध्यम से किया जाता है, पुलिस को जारी किये जाने वाले सभी आदेश और निर्देश उसके पास से आना चाहिये।

मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, जो जिला मुख्यालयों पर स्थित न हों उसे सबडिवीजन में जिसमें न्यायालय स्थित हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय छः, सात: दस तथा धारा 421(1) (क) के अधीन जारी किये गये समन, वारन्ट या अन्य आदेशिकायें थानों को तामील हेतु सीधे भेज सकते हैं, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के मार्फत नहीं। ऐसी आदेशिकायें तामील के पश्चात् सम्बन्धित न्यायालयों को सीधे भेज दी जावेंगी, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के मार्फत नहीं।

13. जब अधीक्षक मुख्यालय पर हो, तो सभी कामकाज के दिनों में, उन्हें कार्यालय में हाजिर रहना चाहिये। साधारणतया उन्हें सभी शासकीय कार्य कार्यालय में करना चाहिये, ऐसे गोपनीय विषयों के सिवाय जिन्हें वह अपने निवास स्थान पर निपटाना उचित समझे।

अपने निवास स्थान पर उसे जन साधारण की पहुँच के लिये उपलब्ध रहना चाहिये, जो उससे भेंट करने की इच्छा करे। उसे चाहिये कि वह उन्हें अपने से परिदर्शन करने और अपने विचारों को स्वतन्त्रतापूर्वक संसूचित करने को प्रोत्साहित करे। बल के बाहर जितने अधिक सूचना के साधन उसके पास होंगे, वह पुलिस अधिकारी के रूप में उतना ही अधिक दक्ष होगा।

जिले में निवास कर रहे पुलिस के पेन्शनरों से भी उसे सम्पर्क रखना चाहिये।

पुलिस अधीक्षक को यह देखना चाहिये कि उसके जिले के भीतर सभी थानों का वार्षिक रूप से एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा/राजपत्रित अधिकारियों द्वारा थाने के निरीक्षण के लिये ज्ञापन में निर्धारित रीति से पूर्ण निरीक्षण कर लिया जाता है और उसे प्रत्येक थाने का वर्ष में कम से कम एक बार स्वयं परिदर्शन करना चाहिये।

भ्रमण को शरद ऋतु में ही सीमित करना आवश्यक नहीं है, जहाँ निरीक्षण गृह उपलब्ध हों, दूरस्थ थानों का ग्रीष्म ऋतु और वर्षा में भी परिदर्शन किया जावे।

ज्ञापन के अनुसार मुख्यालय पर थाने का पूरा निरीक्षण, यदि सम्भव हो तो वर्ष में एक बार, किन्तु किसी दशा में तीन वर्ष का एक बार पुलिस अधीक्षक को स्वयं ही करना चाहिये।

पुलिस अधीक्षक को अपनी रिजर्व लाइन का वार्षिक निरीक्षण जुलाई और शरद ऋतु के बीच उप महानिरीक्षक द्वारा होने वाले निरीक्षण से पहले करना चाहिये। इस निरीक्षण को करने में, उसे प्रारूप क्रमांक 327 उप महानिरीक्षक द्वारा जिला निरीक्षण रिपोर्ट के प्रारूप के शीर्ष 'पाँच' के शीर्षकों से मार्ग-दर्शन लेना चाहिये। लाइन के निरीक्षण की रिपोर्ट अंग्रेजी की कार्यालय निरीक्षण पुस्तक में प्रविष्ट की जानी जाहिए।

आबकारी विषयों पर होने वाले वार्षिक सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक की दृष्टिगत हाजिरी आवश्यक है।

अन्य प्रदेशों या देशी राज्यों के सीमान्त के जिलों के अधीक्षकों की, पड़ोसी जिलों के अधिकारियों से वर्ष के कम से कम एक बार और यदि सम्भव हो सके तो बहुधा, भेंट करने की व्यवस्था करना चाहिये। अधीक्षक द्वारा ऐसी भेंट का अभिलेख तैयार किया जावे जिस रेन्ज के उप महानिरीक्षक को सूचनार्थ भेज देना चाहिये।

14. सरकारी आदेशों की पुस्तिका में जिले का प्रभार सौंपने वाले किसी जिला राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार करने के लिये अन्तर्विष्ट निदेशों का पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिये। ज्ञापन के विषयों में अपेक्षाओं के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिये।

15. अंग्रेजी की आदेश पुस्तिका (आर्डर बुक) प्रतिदिन, निरीक्षक से कम पंक्ति के न होने वाले अधिकारी द्वारा लिखी और अधीक्षक या उसकी अनुपस्थिति में मुख्यालय के भारसाधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जावेगी। मुख्यालय को लौटने पर अधीक्षक प्रविष्टयों का परीक्षण करेगा और यह सत्यापित करेगा कि उसने अपनी अनुपस्थिति की कालावधि की प्रविष्टियों की जाँच कर ली। यह पुस्तक उसकी पूर्णता के 45 वर्ष तक रखी जाती रहेगी, इसमें आरक्षी दल की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित प्रत्येक कार्यपालिक आदेश उदाहरणार्थ, नियुक्ति दण्ड, स्थानान्तरण, अवकाश, पद-स्थापना और रक्षकों (गाड्र्स) तथा पहरेदारों (एस्काट्र्स) के प्रदाय और मुक्ति के आदेश, प्रविष्ट किये जावेंगे।

प्रत्येक दिन के अभिलेख का आरम्भ रात के गश्ती दलों को मुक्त करने के और आगामी दिनांक के लिए रिजर्व लाइन के दिन के अधिकारी के आदेश से प्रारम्भ की जावें। इसके पश्चात् अधीक्षक या मुख्यालय के भारसाधक अधिकारी द्वारा पृथक् से कार्यपालक आदेश दिये जावें। प्रधान आरक्षकों को उनकी संख्या और आरक्षकों को उनकी संख्या और नाम से भी पदांकित किया जावे।

मार्ग-रक्षियों से सम्बन्ध रखने वाले आदेश में, उन बन्दियों की संख्या या कोष की राशि जिनका मार्गरक्षण किया जाना है सदैव ही अभिकथित की जावें।

16. उन सभी संज्ञेय अपराधों की जिनकी रिपोर्ट थाने पर हो, अंग्रेजी के अपराध रजिस्टर में स्थान दिया जाना चाहिये। इस रजिस्टर का एक पृथक् भाग हर थाने के लिये समनुदेशित किया (दिया) जावेगा और वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट के संलग्न होने वाला विवरण 'क' में विनिर्दिष्ट किए गये अपराध के छहों वर्ग उस भाग के भीतर रहेंगे। यदि कोई विशेष अपराध उदाहरणार्थ, पशुओं की चोरी व्यापक हो, अधीक्षक उन मामलों के वर्ग के भीतर जिनसे उसका सम्बन्ध हो उनके लिये पृथक पृष्ठ समनुदेशित कर सकता है।

अधीक्षक अपने प्रवाचक (रीडर) को रजिस्टर के पहले आठ स्तम्भों को भरने के लिये निर्देशित कर सकता है, किन्तु अभियुक्तियों का स्तम्भ (खाना) उसे स्वयं अपने हाथ से ही भरना चाहिए, परन्तु यह कि वह सबडिवीजन के भारसाधक किसी सहायक या उपअधीक्षक को यह निर्देशित कर सकता है कि वह सब डिवीजन से सम्बन्धित रजिस्टर का भाग रखे, ऐसी दशा में ऐसा अधिकारी सभी स्तम्भों को अपने ही हाथ से भरेगा। सभी स्तम्भों में प्रविष्टियाँ यथासमय से भरी जाना चाहिये जैसे-जैसे केस डायरी और महत्वपूर्ण कागज प्राप्त होते रहें। जब कोई विचारण, और जहाँ विचारण न हो, महत्व के किसी मामले में अन्वेषण समाप्त हो जावे, अधीक्षक को तथ्यों के पुनर्विलोकन के पश्चात् यह निर्णय करना चाहिये कि क्या पुलिस का आचरण किसी पक्षपात या अन्यथा रूप से ध्यान देने योग्य है और अभियुक्तियों के स्तम्भ में यथोचित अन्तिम प्रविष्टि करना चाहिये। उसे इस स्तम्भ में लाल स्याही से उन सभी व्यक्तियों के नाम जिन पर मामले में सन्देह किया गया हो यदि उसके मतानुसार संदेह युक्तियुक्त हो, प्रविष्टि करना चाहिये।

पुलिस के सहायक तथा उप अधीक्षक

17. सहायक और उप अधीक्षक, अधीक्षक के किसी ऐसे कार्य का पालन का सकेंगे जिसे वह किसी विधि या नियम के द्वारा स्वयं ही करने को बाध्य न हों। वे जांच और सिफारिश कर सकते हैं चाहे तब वह अन्तिम आदेश प्राप्त करने को सशक्त न हो। उन्हें भ्रमण पर जाना और निरीक्षण करना चाहिये। महत्वपूर्ण अन्वेषणों के पर्यवेक्षण और निर्देशन के लिए उनकी सेवाओं का स्वछन्द रूप से उपयोग किया जावे। इस अधिकारी को जिसने पैरा 528 के अधीन अपेक्षित प्रमाण प्राप्त कर दिया हो, जिले की एक भाग की भारसाधना में अधीक्षक के नियन्त्रण के अधीन रखा जाना चाहिये।

कोई सहायक अधीक्षक जो जिले का प्रभार ग्रहण करने के लिए अर्ह(योग्य) हो गया हो, अधीक्षक की अपुपस्थिति में मुख्यालय का प्रभार ग्रहण करेगा। जब ऐसा अधिकारी उपलब्ध न हो तो राजपत्रित पंक्तियों की सेवा-समय को लम्बाई में वरिष्ठ होने वाला राजपत्रित अधिकारी साधारणतया प्रभार ग्रहण करेगा। यदि अधीक्षक इस साधारणतया से हट कर कोई भिन्न प्रस्ताव करे तो, रेन्ज के उप महानिरीक्षक को निर्देश किया जाना चाहिये।

जब मुख्यालय पर कोई राजपत्रित अधिकारी हाजिर न हो, तो अधीक्षक को मुख्यालय पर किसी अंग्रेजी जानने वाले निरीक्षक को अपने कार्यालय का प्रभार सौंपना चाहिये।

पैरा 497 (एफ) में प्रमाणित (गिनाये गये) कुछ सहायक तथा उप पुलिस अधीक्षक कुछ निबन्धनों के अध्यधीन रहते हुये (देखिये पैरा 491) पुलिस अधिनियम की धारा 7 के अधीन अधीक्षक के कर्त्तव्यों का पालन करने को सशक्त होंगे, जहाँ तक उनका सम्बन्ध निरीक्षक से कम पंक्ति के होने वाले अधिकारियों से है।

अन्य वे सहायक अधीक्षक और उप अधीक्षक जिनकी नियुक्तियाँ सम्पुष्ट की जा चुकी हों, कुछ निबन्धनों के अधीन रहते हुये पुलिस अधिनियम की धारा 7 के अधीन पुलिस के अधीक्षक के कर्त्तव्यों का पालन करने को सशक्त हैं, जहाँ तक उनका सम्बन्ध पुलिस अधिकारियों के निलम्बन

और पुलिस अधिकारियों को दिये जाने वाले अधिनियम की धारा 7 (ख) में विनिर्दिष्ट दन्डाज्ञाओं से है। [पैरा 479(जी) देखिये]।

पुलिस के सभी उप अधीक्षक, पुलिस अधिनियम की धारा 30 और 30-ए के अधीन पुलिस के अधीक्षक के सभी कर्त्तव्यों का पालल करने को सशक्त हैं।

पुलिस के सभी सहायक और उप अधीक्षक जिले पर भारसाधक के रूप में पद धारण करते हुये, जब तक उन्हें रेन्ज के उप महानिरीक्षक द्वारा छूट न दे दी जावे, सभी स्थायी परिपत्र आदेशों की प्रति जिन्हें वे जारी करना प्रस्तावित करें, इन आदेशों के कारण के बारे में जहाँ आवश्यक हो स्पष्टीकरण के साथ उन्हें (उप महानिरीक्षक का) अनुमोदनार्थ भेजेंगे।

17-अ. *[निकाल दिया गया है]*

अध्याय 2

रिजर्व निरीक्षक और रिजर्व उप-निरीक्षक

18. रिजर्व निरीक्षक रिजर्व लाइन का भारसाधक अधिकारी होता है। उसे सभी रक्षकों (गार्डों) और (मार्गरक्षियों एस्कार्ट) की जो रिजर्व लाइन से अपेक्षित किये जायें, बुलाना और उनका निरीक्षण करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि नायक अधिकारी अपने कर्त्तव्यों से पूर्ण रूप से परिचित हैं। वह जिले के किसी विशेष कर्तव्य पर भेजे जाने वाली पुलिस दल की परेड करायेगा और यह देखेगा कि वे समुचित रूप से सुसज्जित हैं तथा उनके पास पर्याप्त सज्जा (किट) है। वह देखेगा कि दैनिक हाजिरी ली जाती है। उसे देखना चाहिये कि कम्पनी कमान्डर (गुल्म नायक) द्वारा सशस्त्र पुलिस और ऐसे सिविल पुलिस के अधिकारियों और सिपाहियों जो रिजर्व लाइन में पदस्थ किये गये हों; नामावली (रोस्टर) (प्रारूप क्र० 97) सही रूप में रखी जाती है और वह इस बात के लिए व्यक्तिश: उत्तरदायी है कि रिजर्व सिपाहियों के बीच कर्तव्यों का वितरण सही और न्यायिक रूप से किया जाता है। उसे नामावली (रोस्टर) के प्रथम दो स्तम्भ (थाने) अंग्रेजी में लिखना चाहिये और या उसे रिजर्व उप निरीक्षक से लिखवा लेना चाहिए तथा नामावली को नित्य प्रति तारीख डालकर संक्षिप्त हस्ताक्षर करना चाहिये। उसे नित्य प्रति प्रारूप 30 में अधीक्षक को प्रात:कालीन रिपोर्ट देना चाहिये। वह एक अर्दली चपरासी के लिए हकदार है, परन्तु पुलिस अर्दली या अपने निवास पर रात्रि में रक्षक (गार्ड) के लिए नहीं।

19. यह रिजर्व के वस्त्रों, का साज सज्जा, आयुधों, गोला-बारूद, डेरों और भन्डारों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए और उनके लिए रखे जाने वाले रजिस्टरों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी है।

20. वह रंगरूटों के प्रशिक्षण (देखिये अध्याय सैंतीस) और पूरे बल के या व्यायाम (ड्रल) का शिक्षण तथा अभ्यास करने के लिए उत्तरदायी है।

21. वह साप्ताहिक रूप से सज्जा निरीक्षण करेगा, और जब वह इस कर्त्तव्य से अधीक्षक, सहायक या उप अधीक्षक द्वारा विमुक्त न कर दिया जावे उसे बन्दूक और रिवाल्वर चलाने के पाठ्यक्रम के वार्षिक गोली चालन (चाँदमारी) के अवसर पर हाजिर रहना चाहिये (पृथक पेम्फलेट भी देखें)।

22. ऐसी भेंटों की रिपोर्ट अधीक्षक को उसी या अगले दिन देते हुये, वह दिन और रात में कभी-कभी रिजर्व लाइन से मुख्यालय पर प्रतिनियुक्त सभी रक्षकों और संतरियों से भेंट करेगा, वह

नित्य प्रति कोषालय को गोला बारूद की और हवालात के कमरों का परिदर्शन करेगा और ऐसे परिदर्शन की टिप्पणी की प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिये उपबन्धित पुस्तक में करेगा।

वह मृत्यु दण्ड के निष्पादन में हाजिर रहने वाले रक्षकों को आदेशित करेगा और जब फालतू हो सके उसे कूच पर जा रहे यूरोपीय सैन्य दल के साथ जाना चाहिये। इनके बारे में उसके कर्त्तव्यों के लिए गारद और अनुरक्षकों के नियम देखिये।

23. उसे विशेष रैतिक अवसरों पर गारद और अनुरक्षकों को आदेशित करने के लिए भी नियोजित किया जा सकता है, जब उसको हाजिरी उपद्रव के भय या प्रभार के महत्व के प्रयोजन के कारण, आवश्यक समझा जावे। उसे विधि और व्यवस्था बनाये रखने या कार्यकारी प्रयोजन के लिए कोई ऐसा कार्यपालक कर्त्तव्यों को सौंपा जा सकता है जिसे अधीक्षक उसे समनुदेशित करना ठीक समझे। यदि सम्भव हो सके तो उस मामले में यूरोपीय निरीक्षक नियोजित करना चाहिये जब यूरोप निवासियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाना हो या उसके विरुद्ध आदेशिकाओं को तामील करने या उन्हें कोई संसूचना देने के लिए मामले की परिस्थिति उसकी अभिकरण (एजेन्सी) को अपेक्षित बनाती हो। यूरोपीय निरीक्षकों को उन मामलों में अन्वेषण करने के लिये निर्देशित किया जा सकता है, जिसका यूरोपियों से सम्बन्ध हो, परन्तु किन्हीं विशेष परिस्थितियों के सिवाय उन्हें अन्वेषणों में नियोजित नहीं किया जाना चाहिये।

24. रिजर्व उपनिरीक्षक को रिजर्व के प्रबन्ध में रिजर्व निरीक्षक द्वारा अपेक्षित कोई सहायता देना चाहिये और उसे अधीक्षक द्वारा अनुरक्षकों और गारदों को आदेशित करने, यातायात को विनियमित करने, आने-जाने के स्थानों पर व्यवस्था बनाये रखने के लिए, सड़कों पर गश्त करने, गारदों और संतरियों से परिदर्शन करने और इस अध्याय में वर्णित किये गये किसी कर्त्तव्य का पालन करने के लिये कहा जा सकेगा। अधीक्षक रिजर्व निरीक्षक को यह अनुमति दे सकता है कि वह रिजर्व उप निरीक्षक को उसके कर्त्तव्यों के बारे में कह सके।

अध्याय 3

लोक अभियोजक और उनके अधीनस्थ

टिप्पणी

पैरा 17-क और अध्याय III (पैरा 25 से 39 तक) वरिष्ठ लोक अभियोजक, लोक अभियोजक और उनके अधीनस्थों से संम्बन्धित है। शासनादेश संख्या 2302/ VIII-2-10(10)-74 दिनांक 27-3-74, गृह (पुलिस) द्वारा इन अधिकारियों की नियुक्ति पुलिस अधिनियम सं० V, 1861 के अधीन कर दी गयी और उनके पुलिस अधिकारी होने सम्बन्धी पुलिस रेगुलेशन के उपबन्धों को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार इस रेगुलेशन के उनसे सम्बन्धित उपबन्ध उन पर अब लागू नहीं रह गये और उनकी सेवाएँ तत्कालीन प्रभाव से, उनकी सेवा शर्तों और दशाओं को प्रभावित किये बिना, उसी वेतन, भत्ते और सेवा की निरन्तरता में स्वीकृत कर ली गयी।

शासनादेश संख्या 2303/ VIII-2-10(10)-74 दिनांक 27-3-74, गृह (पुलिस), अनुभाग-2 द्वारा उ०प्र० (सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति) नियमावली, 1974 प्रकाशित की गयी और इस प्रकार पैरा 17-क और अध्याय III व्यर्थ हो गये हैं। वे अब उपर्युक्त नियमावली जो समय-समय पर संशोधित की गयी है और शासन या निदेशक अभियोजन द्वारा जारी निदेशों द्वारा नियन्त्रित होते हैं।

25. लोक अभियोजकों का मुख्य कर्त्तव्य वादों के अभियोजन को देखना है। महत्वपूर्ण मामले में वह पुलिस डायरी को पढ़ेगा जिससे कि वाद की प्रथम सुनवायी से पूर्व तथ्यों से यथाशीघ्र अवगत हो सके और यथासम्भव वाद के न्यायालय में आने से पूर्व उसे जाँचकर्ता अधिकारी से परामर्श करना चाहिए। वह विचार करेगा कि क्या चार्जशीट में नामित सभी साक्षियों को मामले को सिद्ध करना है और क्या अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक है?

26. मुख्यालय भेजे गये अभियुक्त को, प्रथम चरण में लोक अभियोजक के समक्ष लाया जाना चाहिए, जो पुलिस पत्रावली का निरीक्षण करेगा और उनको किसी सुझाव, जो आवश्यक हों, के साथ न्यायालय से जुड़े पुलिस अधिकारी को भेजेगा।

अभियुक्त के साथ भेजी गयी पुलिस पत्रावली का निरीक्षण कर वह विचार करेगा कि क्या अभियुक्त के पूर्ववर्ती कार्यों के बारे में पर्याप्त रूप से सुनिश्चित किया गया है और क्या अग्रेतर जाँच आवश्यक है।

27. प्रत्येक न्यायालय में सुनवायी हेतु अपेक्षित वादों को अधिकारियों के नामों, यदि कोई हों, जिन्हें उन वादों में अभियोजन चलाने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है, के साथ दर्शाते हुए वाद सूची प्रतिदिन मुख्यालय के अधीक्षक या प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्येक अभियोजन अधिकारी एक नियमित डायरी रखेगा जिसमें वह उन वादों को प्रविष्ट करेगा जिनमें उसे प्रतिदिन उपस्थित होना है। प्रत्येक वाद के आगे निम्नलिखित उल्लिखित किया जायेगा—

(i) न्यायालय का नाम, और

(ii) दिनांक, जिसके लिए वाद को स्थगित किया गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 492 के अन्तर्गत सभी लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों को उनकी नियुक्ति के जिले में, पुलिस द्वारा जाँच के पश्चात मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित या जाँच किये जाने वाले वादों के लिए, लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। लोक अभियोजक को मजिस्ट्रेट के समक्ष महत्वपूर्ण वादों में अभियोजन चलाना चाहिए और सहायक लोक अभियोजकों को उसके दिशानिर्देशों के अधीन नियोजित किया जाना चाहिए। वाद के न्यायालय में लिये जाने से पूर्व अभियोजन अधिकारी पैरा 25 और 26 में विहित प्रक्रिया को पूरा करेगा और तथ्यों का पूर्णतः अध्ययन करेगा। उसे पुलिस डायरी से विस्तृत रूप से अवगत होना चाहिए। जब प्रतिरक्षा हेतु साक्ष्य लाया जाता है, तो उसे साक्षियों के परीक्षण के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व, उनके पूर्व आचरण और अभियुक्त व्यक्ति के साथ उनके सम्बन्धों के बारे में पुलिस द्वारा अन्यथा सूचना प्राप्त करनी चाहिए, जिसका उपयोग प्रतिपरीक्षण में किया जा सकेगा।

लोक अभियोजक या उसके सहायक द्वारा अभियोजित किये जाने वाले प्रत्येक महत्वपूर्ण वाद का संक्षिप्त विवरण तैयार किया जायेगा जिसमें साक्षियों का नाम, जिन्हें प्रस्तुत किया जाना प्रस्थापित है, प्रत्येक से अपेक्षित साक्ष्य के सारांश के साथ दर्शित किया गया हो। यह संक्षिप्त विवरण पैरा 25 और 26 में वर्णित प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात और वाद के न्यायालय में आने के पूर्व, मुख्यालय के अधीक्षक या प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इसके साथ जाँच अधिकारी से प्राप्त प्रतिरक्षा साक्षी से सम्बन्धित नोट्स वाद से सम्बन्धित सभी पत्रावली सिवाय केस डायरी के, संलग्न की जायेगी और किसी साक्षी जिसके सम्बन्ध में लोक अभियोजक संदेह की स्थिति में हो, को प्रस्तुत करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में एवं किसी अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु पर जो उत्पन्न हो सके, आदेश प्राप्त किया जाना चाहिए। संक्षिप्त विवरण एक वर्ष तक रखा जायेगा और तब विनष्ट किया जायेगा। जहाँ किसी वाद में अनेक अभियुक्त हैं और उनमें से कुछ उपस्थित हैं और अन्य फरार हो चुके हैं,

तो यह उचित होगा कि लापता अभियुक्त का सन्दर्भ देते हुए उनके फरार होने के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाये जिससे कि बाद में दर्ज साक्ष्य दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 512 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध उसी प्रकार से सुसंगत हो जैसे कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों के विरुद्ध होता है। लोक अभियोजक जब कभी यह समझे कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई वाद इतना महत्वपूर्ण और कठिन है कि किसी विधिक पेशेवर (Legal Practitioner) को नियोजित किया जाना आवश्यक है तो उसे मुख्यालय के प्रभारी अधिकारी को सूचित करना चाहिए।

उन वादों में जिनमें इनाम की रकम अधिरोपित जुर्माने की रकम पर निर्भर है, तो उनमें इस विषय पर विधिक उपबन्धों की तरफ न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए।

28. सेशन वादों और दण्ड अपीलों में लोक अभियोजक को शासकीय प्लीडर को इसे समुचित रूप से करने का अनुदेश देना चाहिए। उसे तथ्यों से उसी प्रकार से विस्तृत रूप से अवगत होना चाहिए जिस प्रकार से वह होता, यदि उसे अभियोजन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चलाना होता। इन दोनों प्रकार के वादों में उसे केस डायरी सेशन न्यायालय के समक्ष लाना या भेज देना चाहिए।

यदि न्यायाधीश का मुख्यालय किसी अन्य जिले में है, तो लोक अभियोजक के लिए मात्र महत्वपूर्ण या कठिन अपीलों की सुनवायी के समय उपस्थित होने की आवश्यकता है। किसी सामान्य वाद में वह न्यायाधीश के मुख्यालय के लोक अभियोजक को अनुदेशों के साथ डायरी भेज सकेगा जो अपीलों को उसी प्रकार देखेगा मानो वे उसी के जिले की हों।

उच्च न्यायालय या अवध के मुख्य न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण वादों में लोक अभियोजक को शासकीय अधिवक्ता को अनुदेश देने चाहिए, बशर्ते कि पुलिस अधीक्षक किसी अन्य पुलिस अधिकारी को लोक अभियोजक की अपेक्षा वाद को अधिक अच्छी तरह से जानता हो, को न भेजना चाहे या जिलाधिकारी किसी शासकीय प्लीडर या किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त करना उचित न समझे।

29. राजकीय रेलवे पुलिस के लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक रेलवे लाइनों से सभी जिलों के अनुभागों में जहाँ वे नियुक्त हैं, राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा जाँच के पश्चात मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित या जाँच किये जाने वाले मामलों के लिए लोक अभियोजक नियुक्त किये गये हैं। किसी राजकीय रेलवे पुलिस के सम्बन्ध वाद में जिसमें सुरक्षाबल की उस शाखा के अभियोजक द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है, जिला लोक अभियोजक के वही कर्तव्य हैं जो कि जिला वादों में होते हैं और उसके द्वारा पैरा 30 में उल्लिखित रीति से अनुभाग अधिकारी को परिणाम से निश्चित रूप से अवगत कराया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से क्रिमिनल इनवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (C. I. D.) के लोक अभियोजकों और उपाधीक्षक उस विभाग के अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी जिले में जाँच किये जाने के पश्चात मजिस्ट्रेट या किसी सेशन न्यायालय द्वारा विचारित या जाँच किये जाने वाले सभी वादों के लिए लोक अभियोजक नियुक्त किये गये हैं, किन्तु जिला लोक अभियोजक क्रिमिनल इनवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट द्वारा जाँच किये गये वाले वादों के अभियोजन के लिए उस समय उत्तरदायी होगा जब उस विभाग का कोई लोक अभियोजक या उपाधीक्षक उपस्थित न हो और ऐसे वादों के परिणाम और सभी महत्वपूर्ण आदेशों को समुचित रूप से क्रिमिनल इनवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट के जाँच शाखा के पुलिस अधीक्षक को संसूचित करेगा।

30. वह दोषसिद्धों और दोषमुक्तों की अपनी दैनिक रिपोर्ट (प्रपत्र सं० 107) या किसी अन्य माध्यम से अभियोजन में सभी महत्वपूर्ण असफलताओं की रिपोर्ट, यदि आवश्यक हो तो अपने

संक्षिप्त विवरण के साथ अधीक्षक को करेगा और वह वे सभी बातें विशेष रूप से पुलिस के अच्छे कार्य या अकुशलता या दुर्व्यवहार जो उन वादों में प्रकाश में आये हैं, भी उसके ध्यान में लायेगा।

31. उसे मुख्यालय पर अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान के लिए की जाने वाली सभी कार्यवाहियों पर निश्चित रूप से सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए और यह आवश्यक रूप से देखना चाहिए कि वे उस रीति से सम्पन्न की जा रही है जिसमें कि पुलिस के सद्भाव पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। जब कैदियों को जिन्हें पहचान के लिए साक्षियों को देखाना है, जेल बन्दीगृह में बन्द किया जाता है, तो लोक अभियोजक को जेलर को कैदी की बन्दी के समय या तदुपरान्त यथाशक्य शीघ्र यह सूचित करना चाहिए कि पहचान कार्यवाही अपेक्षित होगी। जेल पहचान कार्यवाही किये जाने या कैदी के मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत किये जाने से पूर्व लोक अभियोजक को अपना समाधान कर लेना चाहिए कि ''जेल मैनुअल के पैरा 443 और शासनादेश के मैनुअल के पैरा 849'' के उपबन्धों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है और किसी मामले में यदि विचाराधीन कैदी को अपने बाल बढ़ाने या दाढ़ी बढ़ाने या अन्यथा अपना रूप परिवर्तित करने की अनुमति दी गयी है, तो उसे सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा जेल अधीक्षक के ध्यान में लाना चाहिए। उसे यह भी देखना चाहिए कि इस सुझाव के लिए कि मामला मुख्यालय पर आने के पश्चात परिवर्तित या समाप्त हो गया है, कोई आधार अभी तक नहीं दिया गया है।

32. *[निरसित]*

33. वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अन्तर्गत रिमाण्ड के लिए आवेदन पत्र तैयार करेगा और उसे स्वपत्र व्यक्तिगत रूप से या अपने किसी अधीनस्थ के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

किसी अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अन्तर्गत साक्षियों के बयानों की मांगी गयी प्रतिलिपियों को लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करना चाहिए।

संक्षिप्त टिप्पणी

दण्ड प्रक्रिया संहिता 167 में निम्नवत् प्रावधान है—

''जब चौबीस घण्टे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया—(1) जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो और अभिरक्षा में निरुद्ध हो और यह प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 57 द्वारा नियत चौबीस घण्टे की कालावधि के अन्दर पूरा नहीं किया जा सकता और यह विश्वास करने के लिए आधार हो कि अभियोग या इत्तिला दृढ़ आधार पर है तब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि वह उप निरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का न हो, तो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसमें इसके पश्चात विहित डायरी की मामले से सम्बन्धित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाए, चाहे उस मामले के विचारण की उसे अधिकारिता हो या न हो, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में, जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, ऐसी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर पन्द्रह दिन से अधिक न होगी, निरुद्ध किया जाना समय-समय पर प्राधिकृत कर सकेगा तथा यदि उससे मामले के विचारण की या उसे विचारण के लिये सुपुर्द करने की अधिकारिता न हो और अधिक निरुद्ध रखना

उसके विचार में अनावश्यक हो तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास, जिसे ऐसी अधिकारिता हो, भिजवाने के लिए आदेश दे सकेगा : परन्तु—

(क) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह पन्द्रह दिन की अवधि के बाद अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरुद्ध किया गया प्राधिकृत कर सकेगा, किन्तु कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन अभियुक्त व्यक्ति का कुल मिलाकर निम्नलिखित अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नहीं कर सकेगा।

(1) नब्बे दिन, जहां कि अन्वेषण किसी ऐसे अपराध के सम्बन्ध में हो जो मृत्यु, आजीवन कारवास या दस वर्ष से अन्यून के कारावास से दण्डनीय हो।

(2) साठ दिन, जहां कि अन्वेषण किसी अन्य अपराध के सम्बन्ध में हो, और यथास्थिति नब्बे दिन या साठ दिन की उक्त कालावधि की समाप्ति पर अभियुक्त को, यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और जमानत दे हेता है तो, जमानत पर छोड़ दिया जायेगा और इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़े गये व्यक्ति की बावत अध्याय 33 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि उसे उस अध्याय के उपबन्धों के अधीन इस प्रकार छोड़ा गया है।

(ख) कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक अभियुक्त उसके समक्ष पेश न किया जाये।

(ग) कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेष तथा सशक्त न किया गया हो, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत न करेगा।

स्पष्टीकरण एक—सन्देह के निवारण के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि पैरा (क) में उल्लिखित अवधि के सामप्त हो जाने पर भी, अभियुक्त अभिरक्षा में तब तक निरुद्ध रखा जायेगा जब तक कि वह जमानत नहीं दे देता,

स्पष्टीकरण दो—यदि यह प्रश्न उठे कि क्या किसी अभियुक्त व्यक्ति को पैरा (ख) के अधीन यथाअपेक्षित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था तो अभियुक्त व्यक्ति का पेश किया जाना निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर द्वारा साबित किया जा सकेगा।

(2क) उपधारा 1 या उपधारा 2 में किसी बात के होते हुये भी, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि वह उप निरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का न हो तो जहां कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो, उस निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसकी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त की गई हों, इसमें इसके पश्चात विहित डायरी की मामले से सम्बन्धित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेज सकेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, और तब ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएँगे, अभियुक्त व्यक्ति को कुल मिलाकर सात दिन से अनधिक अवधि के लिये ऐसी अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे और इस प्रकार प्राधिकृत की गई निरोध की अवधि की समाप्ति पर अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जायेगा, सिवाय उस दशा में जबकि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जो ऐसा करने के लिये सक्षम हो, अभियुक्त व्यक्ति को और अधिक निरोध में रखे जाने का आदेश पारित किया गया हो और यदि इस प्रकार और अधिक निरुद्ध किये जाने का आदेश पारित किया जाय तो उस अवधि को जिसमें अभियुक्त व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये आदेश के अधीन अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो, उप धारा 2 के परन्तुक के पैरा (क) में उल्लिखित अवधि की संगणना करने के हिसाब में लिया जायेगा।

परन्तु उपर्युक्त अवधि की समाप्त से पूर्व, कार्यपालक मजिस्ट्रेट डायरी के मामले से संबंधित प्रविष्टियों की उस प्रतिलिपि सहित, जो उसके पास यथास्थिति पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा भेजी गई थी, मामले के अभिलेखों को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा।

धारा 167 के संशोधन का लम्बित रहने वाले अन्वेषणों पर लागू होना—इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित, प्रधान अधिनियम की धारा 157 के उपबन्ध इस अधिनियम के आरम्भ के ठीक पूर्व से लम्बित अन्वेषण पर लागू होंगे, जबकि ऐसे प्रारम्भ पर अभियुक्त व्यक्ति के, पुलिस की अभिरक्षा से अन्यथा, निरोध की अवधि साठ दिन से अधिक न हो गई हो।

(3) जो मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत करें, वह ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा।

(4) ऐसा आदेश देने वाला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट अपने आदेश की प्रतिलिपि उस आदेश को देने को अपने कारणों के सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भिजवाऐगा।

(5) यदि समन के मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में, अभियुक्त के गिरफ्तार किये जाने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर अन्वेषण समाप्त नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट के अपराध में और अन्वेषण को रोकेने के लिये आदेश करेगा जब तक कि अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट का यह समाधान न कर दे कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में छह मास की कालावधि के आगे अन्वेषण को जारी रखना आवश्यक है।

(6) जहाँ उपधारा 5 के अधीन किसी अपराध का और अन्वेषण रोकने के लिये आदेश दिया गया है वहां यदि सेशन न्यायाधीश का उसे आवेदन दिये जाने पर या अन्यथा, यह समझा जाता है कि उस अपराध का और अन्वेषण किया जाना चाहिये तो वह उपधारा 5 के अधीन किये गये आदेश को रद्द कर सकता है और यह निर्देश दे सकता है कि जमानत और अन्य मामलों के बारे में ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए जो वह निर्दिष्ट करे, अपराध का और अन्वेषण किया जाये।

167-क. गिरफ्तारी पर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया—किसी मजिस्ट्रेट के, चाहे वह कार्यपालिका हो या न्यायिक, द्वारा यया अधीन किये गये आदेश या निर्देश पर या तो आत्मसमर्पण पर या अन्यथा गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में धारा 167 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

167-ख. धारा का विस्तार क्षेत्र—चौबीस घंटे के अन्दर जब अन्वेषण की कार्यवाही पूरी न हो पाये तब उस दशा में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन इस धारा के अन्तर्गत किया गया है। जब इस अवधि में अन्वेषण की कार्यवाही पूरी न की जाय तो पुलिस संबंधित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त उसे अन्वेषण हेतु रिमांड पर मागेंगी।

यह धारा पुलिस को अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने से प्रतिबन्धित करती है।

जिन अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना पूर्ण हो गयी उन्हें इस धारा की उपधारा 2 का लाभ इस आधार पर नहीं मिलेगा कि अन्य संदिग्धों या अपराधियों के विरुद्ध विवेचन लंबित है। विधिक अवधि में दी गयी रिपोर्ट को उनके विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट माना जायेगा।

34. लोक अभियोजक विचाराधीन कैदियों के नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने और उन्हें न्यायालय ले जाने और वहाँ से ले आने में सुरक्षा का प्रबन्ध करेगा। जब विचाराधीन कैदियों की उपस्थिति न्यायालयों में अपेक्षित हो, तो वह जेलर की कैदियों की एक सूची प्रेषित

करेगा। यह निर्धारित करना कि ऐसे कैदियों को हथकड़ी, बेड़ी लगायी जाये या नहीं, पुलिस का कार्य है, किन्तु वह सूची में यह स्पष्ट निर्देश देगा कि कौन से कैदियों की हथकड़ी या बेड़ी या दोनों लगायी जायेगी और किसी मामले में अवरोधक आवश्यक है या नहीं। हथकड़ी और बेड़ी को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अनुसरण किया जाना चाहिए। इन बिन्दुओं पर निर्णय करने का दायित्व लोक अभियोजक का होगा, किन्तु यह सभी मामलों में पुलिस अधीक्षक के नियन्त्रणाधीन होगा, जिसका आदेश सन्देहास्पद मामलों और अति महत्वपूर्ण कैदियों के मामलों में लिया जाना चाहिए। लोक अभियोजक गार्ड एवं अभिरक्षक नियमावली की परिशिष्ट II में दिये गये न्यूनतम मापदण्ड एवं कैदियों के चरित्र तथा न्यायालयों की संख्या जिनमें उन्हें प्रस्तुत किया जाना है, को ध्यान में रखते हुए अभिरक्षकों की संख्या निर्धारित करेगा। बिना हथकड़ी वाले और पैदल या पुलिस कैदी वाहन के सिवाय किसी अन्य वाहन से यात्रा करने वाले विचाराधीन कैदियों की स्थिति में गार्ड एवं अभिरक्षक नियमावली की परिशिष्टि II की टिप्पणी के अनुसार अभियोजकों की संख्या अधिक होनी चाहिए। लोक अभियोजक को आवश्यक संख्या में पुलिस के लिए रिजर्व इन्स्पेक्टर से आवेदन करना चाहिए। यदि लोक अभियोजक के विचार में अभिरक्षकों को पूर्णत: या अंशत: बन्दूकों से सुसज्जित होना चाहिए, तो उसे पुलिस अधीक्षक या किसी राजपत्रित अधिकारी से इस हेतु आदेश प्राप्त करना चाहिए। राजपत्रित अधिकारी की अनुपस्थिति में रिजर्व इन्स्पेक्टर द्वारा उसके विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए।

लोक अभियोजक प्रपत्र संख्या 27 में कैदियों की सूची की दो प्रतिलिपियाँ अभिरक्षक कमाण्डर को सुपुर्द करेगा या यदि सम्भव हो तो उसकी एक प्रतिलिपि जेलर को उस दिन की पूर्ववर्ती शाम को जिस दिन कैदी अपेक्षित हो, भेज देगा। अभिरक्षक कमाण्डर नियमावली में उल्लिखित तलाशी करने के पश्चात अपना समाधान कर कि बेड़ी के बारे में निर्देशों का अनुपालन पूरा हो गया है और हथकड़ी के बारे में निर्देशों का व्यक्तिगत रूप से अनुपालन कर सूची की एक प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर करेगा जो जेलर द्वारा अपने पास रख ली जायेगी।

कैदियों की सुपुर्दगी के पश्चात उनके जेल वापस लौटने तक और जेलर द्वारा सूची पर इस आशय का पृष्ठांकन करने तक कि कैदी कैदीगण जेल में सुरिक्षत वापस आ गये हैं या अच्छे और पर्याप्त कारणों से वापस नहीं आये हैं, उनकी सुरक्षित अभिरक्षा का दायित्व अभिरक्षक कमाण्डर पर होगा। लोक अभियोजक कैदियों के जेल वापस आने से पूर्व सूची में आवश्यक परिवर्द्धन या परिवर्तन कर सकेगा।

35. जब कोई दोषसिद्ध या विचाराधीन कैदी किसी न्यायालय की अध्युपेक्षा के अनुसरण में किसी अन्य जिले में भेजा जाता है, तो उस जेल के अधीक्षक जिसमें कैदी निरुद्ध है, द्वारा हस्ताक्षरित आदेश उस कैदी को इस निर्देश के साथ भेजा जायेगा कि जब न्यायालय जिसमें उसे भेजा जा रहा है, द्वारा अपेक्षित नहीं रह जायेगा, उसे वापस लाया जायेगा। (देखें : जेल मैनुअल का पैरा 164 और 450) उस जिले जहाँ कैदी को भेजा जा रहा है, के लोक अभियोजक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे आदेश को न्यायालय, जिसके समक्ष कैदी को प्रस्तुत किया जाता है, के ध्यान में लाये और कैदी को वापस करने के आवश्यक निर्देश प्राप्त करे।

लोक अभियोजक को यह देखने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि हर कालापानी के सजायाफ्ता कैदी के वारण्ट के साथ नाम पंजिका (जेल प्रपत्र सं० 44) भरी गयी है और संलग्न की गयी है। किसी मामले में यदि दोषसिद्ध व्यक्ति को कालापानी की सजा दी गयी है, किन्तु जिसकी नाम पंजिका जेल अधीक्षक से प्राप्त नहीं हुई है, तो उसे इसके भरे जाने हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए।

जब कभी किसी अभियुक्त को पुलिस द्वारा की गयी जाँच वाले किसी संज्ञेय मामले में दोषसिद्ध ठहराये जाने पर कारवास की सजा दी जाती है तो लोक अभियोजक जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर अभियुक्त के पूर्ववर्ती दोषसिद्धि और पूर्व आचरण को दर्शाते हुए एक विवरण तैयार करेगा और उसे न्यायालय के भारसाधक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिससे कि वह जेल प्रयोजनार्थ कैदी को 'अभ्यस्त' या 'अनभ्यस्त' श्रेणी में रख सके।[1]

36. सम्पत्ति जो पुलिस के कब्जे में आती है, के सम्बन्ध में लोक अभियोजक के दायित्व के लिए अध्याय XIII देखें। अंगुली निशान के सम्बन्ध में उसके दायित्व के लिए अलग मैनुअल देखें। अन्य दायित्वों के लिए पुस्तक के लिए इस पुस्तक की विषय सूची को देखा जा सकता है।

वह निम्नलिखित रजिस्टर रखेगा—

(1) फरार अपराधियों का रजिस्टर (देखें : अध्याय XIX)

(2) सम्पत्ति रजिस्टर—चार भागों में (देखें : अध्याय XIII)

(3) अस्त्र, गोला, बारूद और सैन्य भण्डार रजिस्टर (देखें : पैरा 171 और 173)

(4) बन्दीगृह रजिस्टर (प्रपत्र सं० 32)

बन्दीगृह रजिस्टर में मुख्यालय पर बन्दीगृह में रखे गये सभी कैदियों या मुख्यालय पर गार्ड की अभिरक्षा में निरुद्ध विचाराधीन कैदियों का नाम समाविष्ट होगा। कैदी जिनका मुख्यालय पर विचारण न किया जाता हो और बन्दीगृह में न रखे गये हों, का नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाना आवश्यक नहीं है, बशर्ते कि उन्हें कारावास का दण्ड न दिया गया हो और उस दशा में उनका नाम उसमें प्रविष्ट किया जायेग जब वे जेल में बन्द किये जाने हेतु वारण्ट सहित भेज जाते हैं।

37. कोई लोक अभियोजक, अभियोजन शाखा में होने मात्र से उसकी पुलिस अधिकारी की प्रास्थिति नहीं खो देता है। वह पुलिस विभाग को प्रभावित करने वाले लोक हित के मामलों में जन सामान्य की अवधारणा के बारे में सूचना प्राप्त करने हेतु काफी सुविधाजनक स्थिति में होता है। उसे हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस अधीक्षक द्वारा माँगे जाने पर ऐसी समस्त सूचना उनके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए दायित्वाधीन है।

38. सहायक लोक अभियोजकगण लोक अभियोजक के नियन्त्रणाधीन है और वे इस अध्याय में उल्लिखित या विनिर्दिष्ट किसी भी दायित्व को जो उन्हें उनके द्वारा प्रदत्त किया जाता है, करेंगे।

सहायक लोक अभियोजक नीचे दिये गये प्रारूप में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें वह उन साक्षियों के नामों को प्रविष्ट करेगा जो प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होते हों, भले ही उनका परीक्षण किया गया हो या नही, जिससे कि वे अपने विधिक यात्राभत्ता और भोजन के लिए रकम से वंचित न हो जावें। सहायक लोक अभियोजक भारसाधक अधिकारी का हस्ताक्षर भी इस रजिस्टर पर प्राप्त करेगा।

प्रत्येक न्यायालय के लिए अभियोजन साक्षी रजिस्टर सहायक लोक अभियोजक द्वारा रखा जायेगा।

क्रम सं०	वाद का विवरण	धारा	पेशी की तिथि	उपस्थित अभियोजन का नाम	यदि परीक्षण किया गया हो, तो साक्षी के आगे परीक्षण किया गया लिखा जायेगा	भारसाधक अधिकारी का नाम	भारसाधक अधिकारी का आद्याक्षर

1. शासनादेश सं० 2661/VI -1443(5) 31, दिनांक 10 दि० 1931.

39. न्यायालय से संलग्न सभी पुलिस लोक अभियोजक के नियन्त्रणाधीन होंगे और जब न्यायालय में नियोजिक न हों, तो कार्यालय में उसकी सहायता करेंगे। वह उन मामलों की ओर अधीक्षक का ध्यान आकृष्ट करेगा जिनमें कोई पुलिस न्यायालय से एक वर्ष से अधिक अवधि से संलग्न है। (देखें पैरा 524)वह यह देखेगा कि वे ड्यूटी पर समुचित वर्दी धारण करते हैं और वह उनके कर्तव्यों के सम्पादन हेतु उत्तरदायी होगा, जो कि निम्नवत् है—

(1) सभी कैदियों जो विचाराधीन हैं, को बिना बिलम्ब किये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना और प्रथम चारण में एवं जब रिमाण्ड आवश्यक हो, दोनों ही स्थिति में बन्दीगृह में उन्हें निरुद्ध करने हेतु आदेश प्राप्त करना;

(2) यह देखना कि दाण्डिक मामले सुनवायी के लिए तैयार हैं, साक्षी उपस्थित है और प्रदर्शक प्रस्तुत किये गये हैं;

(3) न्यायालय में व्यवस्था बनाये रखना और वहाँ पर कैदी की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चिता करना और यह देखना कि न्यायालय में कैदियों की हथकड़ी उतार दी गयी है, बशर्ते कि भारसाधक अधिकारी अन्यथा निर्देशित न करे;

(4) जब मुख्यालय से सुदूर न्यायालय से संलग्न हो, तो लोक अभियोजक के ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना (सिवाय पैरा 25 से 31 में उल्लिखित कर्तव्यों के) जो मजिस्ट्रेट या अधीक्षक द्वारा निर्देशित किये जायें;

(5) साक्षियों और अभिरक्षा में रखे गये अभियुक्त व्यक्तियों से मुचलका भरवाना;

(6) न्यायालय के आदेश के अधीन अभियुक्त व्यक्तियों को अभिरक्षा में लेना।

अध्याय 3

लोक अभियोजक और उसके अधीनस्थ [निकाल दिया गया]

[निकाल दिया गया] ये धारायें देखने के लिए अली कबीर की पुलिस रेगुलेशन देखें।

अध्याय 4

मण्डल निरीक्षक (सर्किल) इन्स्पेक्टर

40. मण्डल निरीक्षक के प्रधान कर्तव्य, अन्वेषण का पर्यवेषण और अपराध का निवारण करना (रोकथाम करना), पुलिस मण्डल में निवारक और अन्वेषण कार्यों में सामंजस्य रखना, इस प्रयोजन के लिये अन्य मण्डल निरीक्षकों के साथ सहयोग करना और यह देखना कि पुलिस, विशेषकर उसके अधीनस्थ थानेदार, अपने कर्तव्यों की ईमानदारी और दक्षता से पालन करते हैं, उसकी शक्ति, उसके कार्यालय से सम्बन्धित अनावश्यक लिपिकीय कामों या थाने के निरीक्षण में नष्ट नहीं होना चाहिये।

वह अपने मण्डल के लिए एक अपराध रजिस्टर रखेगा और थानों के सीधे सभी संज्ञेय अपराधों की प्रथम इतला रिपोर्ट प्राप्त करेगा, किन्तु रजिस्टर में उसकी टिप्पणियां सुनियोजित और गम्भीर अपराधों के अन्वेषण और निवारण के लिए की गई कार्यवाही की सूची होना चाहिये और उसका

रजिस्टर नगण्य अपराधों के विवरणों का दलदल नहीं होना चाहिये। वह अपने मण्डल के प्रत्येक थाने का वर्ष में एक बार, मण्डल निरीक्षकों द्वारा थानों के निरीक्षण के ज्ञापन के अनुदेशों का अनुसरण करते हुये, मुख्यतया अपराधों के निवारण और अन्वेषण के विषयों पर ध्यान देते हुये निरीक्षण करेगा। उसे सभी महत्वपूर्ण मामलों, घटनास्थल का परिदर्शन करना और अन्वेषण में मार्गदर्शन करना चाहिये और उसे स्वयं अन्वेषण का संचालन करने को अधीक्षक द्वारा प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। जब कभी वह अन्वेषण में उपस्थित रहे, वह अपनी उपस्थिति के समय की केस डायरी पर केवल हस्ताक्षर ही नहीं करेगा, किन्तु उसे विस्तारपूर्वक उन अनुदेशों को अभिलिखित करना चाहिये जिन्हें मामले के भावी संचालन के लिये अन्वेषक अधिकारी को देना आवश्यक पाये।

मण्डल निरीक्षक अपने मण्डल का एक मासिक सर्वे तैयार करेगा जिसमें वह बतायेगा कि उसने उस होने में अपने मण्डल में अपराधों के निर्वारण और अन्वेषण के लिये क्या उपाय किये हैं और क्या कोई आगे कार्यवाही अपेक्षित है। यह सर्वे थानेदार द्वारा होना चाहिये और मण्डल निरीक्षक के माध्यम से पुलिस के अधीक्षक के पास जाना चाहिये।

निगरानी के बारे में उसके कर्तव्यों के, जिसके प्रति उसे विशेष ध्यान लगाना चाहिये विस्तृत विवरण पैरा 251 में दिये गये हैं। उसे लोगों से सुपरिचित होना चाहिये और मण्डल के हर भाग की स्थानीय जानकारी प्राप्त करना चाहिये ।[1]

41. मण्डल निरीक्षक के यह भी कर्तव्य होंगे—

(1) अधीक्षक को हर एक मण्डल में ऐसी घटना से सूचित करते रहना चाहिये। जिसे प्रशासन के हित में अधीक्षक या जिला मजिस्ट्रेट को जानना चाहिये, विशेषकर उसका यह कर्त्तव्य है कि वह सरकार के उपायों के प्रति विरोधी भावना और किसी आन्दोलन, आतंक या अफवाह की जो यदि रोकी न जावे तो कष्टदायक हो सकती है, रिपोर्ट करें।

(2) पुलिस बल का उस समय नायकत्व (कमान) हाथ में लेना जब वह किसी दंगे का दमन कर रहा हो या अन्यथा सक्रिय रूप से व्यवस्था बना रहा हो जबकि वह हाजिर ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी हो।

(3) प्रारूप 3 में अपनी गतिविधियों के बारे में एक डायरी और उन सभी विषयों के बारे में, जिन्हें उसे अधीक्षक के ध्यान में लाना हो, किन्तु जिन्हें वह अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में यथोचित रूप से वर्णित न कर सकता हो, अंकित करने के लिए एक गोपनीय नोट बुक भी बनाये रखेगा।

(4) आयुध और विस्फोटक अधिनियमों के अधीन अनुज्ञात (लायसेन्स प्राप्त) दुकानों का निरीक्षण करना एक्सप्लोजिब्स मैनुअल (1908) के पृष्ठ 61-62 और इण्डियन आर्म्स रूल्स 1924 का पैरा 28 (4) देखें।

(5) अपने मण्डल की अधीनस्थ पुलिस के आचरण और उस रीति से जिसमें वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अधीक्षक को सूचित करना और विभागीय मामलों में ऐसी प्रारम्भिक जांच करना जैसी अधीक्षक निदेशित करे।

42. उन जिलों में, जिनमें, महानिरीक्षक के मत में थानों की संख्या मण्डल निरीक्षकों की संख्या के अनुपात में, उनके द्वारा पैरा 40 और 41 के द्वारा अपेक्षित नियन्त्रण रखने के लिये बहुत अधिक हो, मण्डल निरीक्षक को निम्न प्रकार से कुछ उत्तरदायित्वों से मुक्ति दे दी जावेगी।

---

1. शासनादेश सं० 2302/आठ -2-10-(10)-78 गृह पु० दिनांक 27-3-1974.

(1) पैरा 101 में गिनाये गये वर्गों के अपराधों और ऐसे अन्य अपराधों की, जैसा पुलिस अधीक्षक निर्देशित करे, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उसका अपराध रजिस्टर केवल इन्ही वर्गों के अपराधों के बारे में बनाये रखा जायेगा।

(2) हर एक मण्डल निरीक्षक से उसके मण्डल के सभी थानों का वार्षिक रूप से निरीक्षण किये जाने की अपेक्षा करने के आदेश, उस पर लागू न होंगे।

(3) निगरानी, निवारक कार्यवाहियों, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण घटनाओं और आन्दोलनों [पैरा 41 (1) से सूचित रखने और उपरोक्त प्रथम वर्ग के, जिनके सम्बन्ध में उसे उत्तरदायी बनाया गया है, अपराधों का दमन करने में सामंजस्य बनाये रखने के लिये उसका उत्तरदायित्व बना रहेगा। इस प्रयोजनों के लिये, वह ग्रामों और थानों का भ्रमण और परिदर्शन करेगा। वह पैरा 41 (2) (3) और (4) से निरन्तर आबद्ध बना रहेगा अन्यथा उसका प्रधान कर्तव्य आपराधिक और विभागीय मामलों में अन्वेषण और जाँच तथा उसका पर्यवेक्षण करना और उन थानों का निरीक्षण करना होगा जिनके बारे में उसका पुलिस अधीक्षक समय--समय पर निर्देशित करे।

अध्याय 5

उपनिरीक्षक और सिविल पुलिस के अवर (अधीनस्थ) अधिकारी

थाने का भारसाधक अधिकारी

43. थाने का भारसाधक अधिकारी एक उपनिरीक्षक होता है। अपने प्रभार की सीमाओं के भीतर वह पुलिस प्रशासन को संचालित करता है और बल की सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह अपने अधीनस्थों की दक्षता, उनके कर्तव्यों के समुचित पालन के लिये और उनके द्वारा तैयार किये गये सभी रजिस्टरों, अभिलेखों, विवरणों और रिपोर्ट की शुद्धता के लिये उत्तरदायी है। वह थाने में रहने वाले सभी सरकारी धन और मूल्यवान सम्पत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये और अपनी लेखा पुस्तिका को शुद्ध रूप से बनाये रखने के लिये उत्तरदायी है। उसे चाहिए कि वे उन्हें उनके काम के लिये अनुदेश दे, उन्हें अपने नियन्त्रण में रखे और अनुशासन बनाये रखें।

44. उसे अपने प्रभार की पूर्ण रूप से स्थानीय जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए और उनके भीतर के सभी प्रधान व्यक्तियों से सुपरिचित हो जाना चाहिए। उसे ग्राम के मुखिया से विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए और उनकी हार्दिक सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे ग्राम चौकीदारों के प्रति विचारशील होना और उसे सूचना देने के लिये उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिदये। उसे बुरे चरित्र वालों पर, उन्हें थाने के भीतर या बाहर अपराध करने से रोकने के लिए कड़ी दृष्टि रखना चाहिये। वह अपने वरिष्ठों और अन्य थानों के भारसाधक अधिकारियों को, यदि उपलब्ध हों तो, टेलीफोन और तार और उत्तर प्रदेश पुलिस टेलीग्राफिक कोड का प्रयोग करते हुये, महत्वपूर्ण सूचना को तत्परता से फैलाने के लिये, तत्परता से आसूचना देगा।

45. उसे विहित प्रारूप में एक गोपनीय नोट बुक रखना चाहिये और उसमें ऐसी उपयोगी जानकारी, उदाहरणार्थ उन व्यक्तियों का नाम जो गुप्त आसूचना देंगे, अधीनस्थों और अन्य के मामले में गोपनीय अभियुक्तियाँ अभिलिखित करेगा जो किसी शासकीय अभिलेख में स्थान नाप सकें। वह इस नोट बुक को अपने उत्तराधिकारी को सौंप देगा।

46. वह पैरा 546 के द्वारा विहित की गई सीमा तक अपने अधीनस्थों को व्यायाम (ड्रिल) करायेगा।

वह नियतकालिक रूप से कान्स्टेबिलों का परीक्षण उसकी गश्तों और कर्त्तव्यों के बारे में परीक्षा लेगा जैसा कि ''कान्स्टेबिलों के प्रशिक्षण के लिये मार्गदर्शन'' में निर्धारित किया गया है। सप्ताह में एक बार वह अपने मुख्यालय पर या उसके निकट तैनात पुलिस तहसील गारद को यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुये, की सज्जा का निरीक्षण करेगा और किसी न्यूनता की रिपोर्ट करेगा। वह नियतकालिक रूप से अपना यह समाधान करेगा कि बल की सभी शाखाओं के उसके सभी अधीनस्थों के पास जो साप्ताहिक सज्जा निरीक्षण में उपस्थित नहीं हो सकते, उनकी समुचित वर्दी और सज्जा है।

थानों के संगीनों सहित आग्नेयशस्त्र (फायर आर्म्स), कारतूस के थैले और भण्डार और अन्य हथियार स्वयं उसके प्रभार में रहेंगे। उन्हें केवल विनिर्दिष्ट (खास) कर्त्तव्य के लिये ही भण्डार के बाहर किया जायेगा और जब तत्काल उपयोग के लिये उनकी और आगे अपेक्षा न हो, भण्डार में लौटा दिये जावेंगे।

वह अपने सभी अधीनस्थों को ग्रामीण पुलिस को सम्मिलित करते हुये, पुलिस गजट, क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स गजट और थाने पर प्राप्त अन्य ऐसी सूचनाओं से, जो उनसे सम्बन्धित हो, परिचित बनाये रखेगा।

47. जब वे फालतू किये जा सकें, वह अपने किसी अधीनस्थ को अपने कर्तव्य से चले जाने और थाना छोड़ने की अनुमति दे सकेगा परन्तु यदि वह किसी अधिकारी को रात भर अनुपस्थित रहने की अनुमति दे तो वह उसके कारणों को जनरल डायरी में अभिलिखित करेगा।

48. थाने पर अपनी हाजिरी के बीच, वह स्वयं ही डाक को खोलेगा और सभी आदेश, संसूचनायें और वहाँ की या भेजी रिपोर्टों को प्राप्त करेगा, वह जनरल डायरी पर हस्ताक्षर करेगा, वह दिन के लिये कर्तव्य (ड्यूटी) नियत करने की व्यवस्था करेगा और ऐसे निर्देश देगा जैसे अपेक्षित हों, वह नित्यप्रति मालखाने का निरीक्षण करेगा। वह नित्यप्रति लेखा पुस्तिकाओं की जाँच करेगा, उनकी तुलना जनरल डायरी की संगत प्रविष्टियों से करेगा और अवशेष धन का सत्यापन करेगा। उसकी अनुपस्थिति में किये गये धन के संव्यवहारों और की गई प्रविष्टियों को लौट आने पर उसके द्वारा जाँच की जानी चाहिए और जाँच का परिणाम रोकड़ पर अंकित किया जावे। जब वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के अधीन अन्वेषण करने के लिये किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करे, धारा 173 के द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट भेजने के पहले उसे यह देख लेना चाहिये कि अन्वेषण समुचित रूप से किया गया है।

49. ''पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी'' पद की परिभाषा के लिये धारा 2 (ण) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 देखिये। इस धारा के आशयों के लिये, स्थानीय सरकार ने पढ़े-लिखे हाजिर जेष्ठ कान्सटेबिल को थाने का प्रभार ग्रहण करने के लिये सशक्त कर दिया है, जब कान्सटेबिल की पंक्ति से ऊपर का कोई अधिकारी थाने में हाजिर न हो, परन्तु वह अन्वेषण नहीं कर सकेगा।

थानेदारों के कर्तव्यों के प्रभार का लेना न देना जनरल डायरी में अभिलिखित किया जायेगा, प्रविष्टि दोनों अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।

जब किसी थाने का अस्थायी भारसाधक अधिकारी प्रधान कान्सटेबिल ही, अत्यधिक तत्कालिक दशा के सिवाय उसे धारा 157 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग नही करना चाहिये।

50. जब थानेदार को कोई स्थायी परिवर्तन हो, प्रारूप क० 299 में मुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रभार का औपचारिक प्रमाण-पत्र अधीक्षक को भेजा जायेगा।

थाने की सभी सरकारी सम्पत्ति-आयुधों और गोला, बारूद को सम्मिलित करते हुये, सूची की एक प्रति प्रमाण-पत्र से संलग्न रहेगा और मुक्त किये गये अधिकारी को, अपनी पदावधि के भीतर होने वाली न्यूनतम या हानि का, स्पष्टीकरण देना चाहिए।

अधीनस्थ उप-निरीक्षक

51. पुलिस थाने को द्वितीय अधिकारी उप निरीक्षक होता है। उसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :—

(1) प्रात: परेड को समवेत करना।

(2) भारसाधक अधिकारी के निर्देश के अनुसार अधीनस्थों को कर्त्तव्य पर लगाना, उन्हें अनुदेश देना और यह देखना कि उनके द्वारा समुचित रूप से पालन किया जाता है।

(3) भारसाधक अधिकारी को अधीनस्थों द्वारा कर्तव्य पालन में हुई त्रुटियों और लोपों (न करने) की रिपोर्ट करना।

(4) भारसाधक अधिकारी द्वारा उसे सौंपे गए मामलों में अन्वेषण करना और उसे अपने परिणाम की रिपोर्ट देना।

(5) थानों के संलग्न पुलिस को व्यायाम कराना।

(6) भारसाधक अधिकारी के आदेश को पालन करना और देखना कि उसके आदेशों का अधीनस्थ पुलिस द्वारा पालन किया जाता है।

52. उस थाने पर कोई द्वितीय अधिकारी नहीं हो सकता जहाँ भारसाधक अधिकारी ही एक मात्र उप निरीक्षक है। जहाँ दो से अधिक उपनिरीक्षक हों, द्वितीय अधिकारी से कनिष्ठ होने वाले ऐसे उन्हें कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसे भारसाधक अधिकारी द्वारा सौंपे जावें।

53. *[विलुप्त]*

54. *[विलुप्त]*

थाने का प्रधान लेखक

55. थाने का लेखक (मुहर्रिर), प्रधान कांस्टेबिल पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकार्ड कीपर और लेखपाल होता है। उसके निम्नलिखित कर्त्तव्य हैं :—

(1) जनरल डायरी और अपराधों की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखना (पैरा 294 से 296 और 98, 99 तथा 102 देखिये)।

(2) अंग्रेजी हिन्दी में रोकड़ (पुलिस प्रारूप क्र० 224) और दूसरी लेखा पुस्तकें बनाये रखने तथा खाने में होने वाले सभी सरकारी धन और मूल्यवान सम्पत्ति को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये भारसाधक अधिकारी के साथ-साथ उत्तरदायी होना।

(3) हर प्रात: भारसाधक अधिकारी के ध्यान में निष्पादन के लिये लम्बित प्रत्येक आदेश को, लाना।

(4) जब वे नियतकालिक परिदर्शन करें, ग्राम चौकीदारों की उपस्थिति की उनके बोर्डों पर अभिलिखित करना और उनकी पुस्तकों में प्रविष्टियाँ करना जब प्रविष्टियाँ अपेक्षित हों।

(5) कान्सटेबिलों को पुलिस गजट और क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स गजट की अधिसूचनाओं और ऐसे अन्य कागजों को जिन्हें भारसाधक अधिकारी चुने, जोर-जोर से पढ़ कर सुनाना।

(6) विवरणों, वेतन पत्रक और वेतन संक्षेप संकलित करना, रजिस्टर तैयार करना और अन्य लिपिकीय काम करना जो उसे भारसाधक अधिकारी द्वारा समनुदेशित किया जावे।

(7) सभी पुस्तकें और अभिलेख रखना।

(8) जहाँ द्वितीय अधिकारी न हो, सिवाय (4) के पैरा 51 में वर्णित कर्तव्यों का पालन करना।

(9) यदि ऐसा करने को अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कर दिया जावे, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना।

56. थाने के संलग्न पढ़े लिखे अन्य पुलिस अधिकारी, थाना लेखक को उसके कर्त्तव्यों के पालन में ऐसी सहायता देंगे, जैसी भारसाधक अधिकारी निर्देशित करें।

57. जब कोई प्रधान कान्सटेबिल थाने का भारसाधक हो (पैरा 49 देखिये) और उसे धारा 157 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अन्वेषण करना हो वह अपने लिपिकीय कर्त्तव्यों को और यदि वह थाना छोड़े; थाने का प्रभार निकटतम जेष्ठ कान्सटेबिल या कान्सटेबिल का सौंप देगा और वह तब तक अपने काम को कार्यान्वित करता रहेगा तब तक कि उसे किसी उपनिरीक्षक द्वारा मुक्त न कर दिया जावे या काम समाप्त न हो जावे, अन्य किसी अवसर पर प्रधान कान्सटेबिल (अन्वेषक प्रधान कान्सटेबिल के सिवाय) अन्वेषण नहीं करेगा।

थाना लेखक के कर्त्तव्यों के प्रभार का लिया और दिया जाना जनरल डायरी में अभिलिखित किया जायेगा, प्रविष्टि मुक्त किये और मुक्त हुये अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित की जावेगी।

चौकी का भारसाधक प्रधान कान्सटेबिल

58. चौकी का प्रधान कान्सटेबिल अपने प्रसार में रहने वाले कान्सटेबिलों के व्यवस्थित आचरणों और अनुशासन के लिये उत्तरदायी है। वह उनका सूर्योदय और सूर्यास्त के समय निरीक्षण करेगा, वह उनको कर्तव्यों पर लगायेगा और यह देखेगा कि वे अपने कर्त्तव्य का उचित रूप से पालन करते हैं, वह थाने के भारसाधक अधिकारी के सम्पर्क में अविराम रूप से रहेगा और उसे तत्काल संज्ञेय अपराधों के घटित होने और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की रिपोर्ट करना और समयों के अन्तर से, जो अधीक्षक द्वारा नियत किये जावें, अपने अधीनस्थों के अनुशासन और उनके द्वारा कर्तव्य पालन के बारे में नियतकालिक रूप से रिपोर्ट करेगा। वह अन्वेषण नहीं कर सकता, किन्तु तब मृत्यु समीक्षा कर सकता है जब वह पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसा करने को विशेष रूप से प्राधिकृत कर दिया जावे।

59. प्रत्येक चौकी कार्यपरिधि और उस पर पुलिस के विशेष कर्तव्यों को अवधारणा भारसाधक अधिकारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अधीन, की जायेगी। गश्त की पद्धति विहित की जावेगी।

60. *[विलुप्त]*

कान्सटेबिल

61. सिविल पुलिस के कान्सटेबिल, विशेष अवसरों के सिवाय, आयुध धारण नही करेंगे। उनका मुख्य कर्तव्य अपराध का निवारण करना (रोकना) है।

उन्हें जनता के प्रति, जिसके वे सेवक हैं, विनम्र और विचारशील होना चाहिये।

हर एक कास्टेबिल उस समय के सिवाय जबकि उसके उपभोग की अपेक्षा न होने वाले किसी पता लगाने के काम पर नियुक्त किया जावे, वर्दी पहनेगा।

62. हर थाने पर रात और दिन में एक सन्तरी रहेगा, उसका कर्तव्य हवालात में बन्दियों, तिजोरी, मालखाने और थाने की सभी सम्पत्तियों की रक्षा करना होगा।

कर्तव्य पर लगाये गये कान्सटेबिलों को पीतल के चिह्न (टोकन) वितरण भारसाधक अधिकारी बारी-बारी से सन्तरी का कर्तव्य आबन्टित करेगा। सन्तरी का कर्तव्य (ड्यूटी) दिन में दो बार प्रातः और सन्ध्या को, वितरण की जावेगी। सन्तरी के कर्तव्यों की अवधि तीन घण्टे होगी। दिन के समय में और रात में भी सन्तरियों को उपनिरीक्षक या प्रधान कान्सटेबिल द्वारा पद पर लगाना और मुक्त करना चाहिये जब तक कि हवालात में कोई बन्दी और किसी मामले की महत्वपूर्ण सम्पत्ति न हो और मालखाने में 500 रु० से कम का धन हो। चाहे सन्तरियों को ज्येष्ठ अधिकारी द्वारा पदस्थ और मुक्त किया जावे या नहीं, मुक्त होने पर हर सन्तरी मुक्त करने वाले सन्तरी से चिह्न (टोकन) बदल लेगा। इस पद्धति के अधीन कर्त्तव्य पर रहने वाले सन्तरी के पास सदैव क्रमांक? का टोकन रहेगा क्योंकि यह टोकन पहले सन्तरी को दिया जायेगा और फिर मुक्ति पर एक सन्तरी से दूसरे सन्तरी के पास जाता रहेगा। मुक्त करने वाला सन्तरी सदैव ही मुक्त किये जाने वाले सन्तरी की उपस्थिति में तिजोरी के ताले की जाँच और हवालात में बन्दियों की गिनती करेगा। तिजोरी और हवालात की चाबियाँ थाने में उपस्थित ज्येष्ठ अधिकारी द्वारा रखी जावेंगी।

जब रात्रि में सन्तरियों को पदस्थ करना और मुक्त करना अधिकारी के लिये आवश्यक हो, कर्तव्यों के वितरण की सन्ध्याकालीन रिपोर्ट को दर्शाता चाहिये कि कौन सा अधिकारी ऐसा करेगा।

जब हवालात में बन्दियों को प्रवेश दिया जाना या उसमें से हटाया जाना हो, उपस्थित ज्येष्ठ अधिकारी उसे स्वयं खोलेगा या अपनी उपस्थिति में खुलवायेगा।

हर दिन थाने में कर्तव्यों का वितरण न्यायिक रूप से किया जाना चाहिये ताकि हर आदमी बारी-बारी से दिन और रात में, कठोर और सरल काम अपने कर्तव्यों में पा सकें।

63. थाने के (वृत्त) फेरे जगहों में विभाजित किये जावेंगे, और हर फेरे की जगह के लिये एक या अधिक कान्सटेबिल नियुक्त किये जावेंगे। कोई कान्सटेबिल बाहर नहीं जावेगा जब तक कि वह किसी विशेष कर्तव्य से प्रभारित न हो, किन्तु जब भेजा जावे तो उसे यह अनुदेश दिया जावे कि वह निगरानी के अधीन व्यक्तियों फरार अपराधियों, घूमने वाली जन-जातियों और हो रही घटनाओं के बारे में रास्ते में पूछताछ करे, थाने में लौटने पर उसे भारसाधक अधिकारी को रिपोर्ट देना चाहिये।

साधारणतया किसी कान्सटेबिल को थाने या चौकी से लगातार तीन दिन और दो रातों से अधिक के लिये बाहर नहीं रहना चाहिये, उस अधिकारी को पहले से न देखी जा सकने वाली घटनाओं के कारण की जाने वाली विस्तार के अपवाद के अध्याधीन रहते हुये, जो उसे बाहर भेजे, उसकी अनुपस्थिति का समय नियुक्त करना चाहिये।

64. जिला पुलिस के कान्सटेबिल जब कर्तव्य पर हों, रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर प्रकट होने और बने रहने के अधिकारी होंगे। स्टेशन मास्टर को जिला पुलिस के उप कान्सटेबिल के हटने के लिये आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है जो उसके रेलवे स्टेशन पर कर्त्तव्यस्थ हो। जिला पुलिस का सादा वस्त्रों वाला हर वह कान्सटेबिल जो रेलवे स्टेशन पर कर्त्तव्य पर भेजा जावे, अपने साथ उसको प्रतिनियुक्त करने वाले उपनिरीक्षक का सामान्य लिखित आदेश ले जायेगा और उसे स्टेशन मास्टर को, यदि अपेक्षा की जावे, प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 6

सशस्त्र पुलिस

65. सशस्त्र पुलिस, कोषालयों, तहसीलों और हवालातों के संरक्षण के लिये, कोष, बंदियों और सरकारी सम्पत्तियों के मार्गरक्षण के लिये बारूद खाने और सैनिक आवास की गारद (क्वार्टर गार्ड) पर सेवाओं अशान्ति और बल प्रयोग के अपराधों के दमन और निवारण के लिये और खतरनाक अपराधियों का पीछा करने और पकड़ने के लिये आशयित होती है। बल की यह विशेष शाखा, उपमहानिरीक्षक के प्रभार में रहती है, जो इस बात के लिये उत्तरदायी है कि अधीक्षक अनुशासन और दक्षता बनाये रखते हैं।

66. सशस्त्र पुलिस के उपनिरीक्षक महत्वपूर्ण गारदों और मार्ग रक्षकों पर कमान्ड करेगा, पुलिस लाइन में अनुशासन और व्यवस्था बनाये रखेगा; व्यायाम, बन्दूक चलाने और गारदों के कर्त्तव्यों के अनुदेश देगा, गारदों और सन्तरियों का दिन और रात में परिदर्शन करेगा, लाइन के सिपाहियों की नामावली पुकारेगा और रिजर्व निरीक्षक के आदेश के अधीन सामान्यतया कार्य करेगा।

67. सशस्त्र पुलिस के प्रधान कान्सटेबिल गारद और मार्ग रक्षकों को कमान्ड करने, व्यायाम में अनुदेश देने और ऐसे कर्तव्यों के जो सेना के बिना कमीशन प्राप्त अधिकारियों के जुम्मे आ जाती है, का पालन करने के लिये नियोजित किये जाते हैं। जब चौकियों के भारसाधक हों, वे पैरा 58 में दिये गये अनुदेशों का अनुसरण करेंगे।

68. मजिस्ट्रेट जिसे किसी बलवे के या दंगे के मामले में निर्देश देने का अवसर प्राप्त हो, अपने आदेश को कमान्ड करने वाले पुलिस अधिकारी के माध्यम से संसूचित करना चाहिये।

69. (1) महत्वपूर्ण जुलूसों और धार्मिक उत्सवों के अवसर पर जब मुख्यालय पर सशस्त्र पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जावे, पुलिस अधीक्षक पुलिस व्यवस्था के लिये उत्तरदायी होगा और कोई राजपत्रित अधिकारी या निरीक्षक जब सम्भव हो सके, नियोजित सशस्त्र पुलिस के कमान्ड में रहेगा जब तक कि तत्प्रतिकूल कोई अच्छे कारण न हों। ग्रामीण क्षेत्र में भी, राजपत्रित अधिकारी या निरीक्षक का ही प्रभार रहना चाहिये जब किसी कष्ट की आशंका करने के लिये कारण हों।

अधीक्षक का सदैव ही यह कर्त्तव्य है कि वह यह समाधान कर ले कि वे अधिकारी जो सशस्त्र पुलिस पर नियन्त्रण या उस पर कमान्ड करेंगे, पर्याप्त उत्तरदायी और सक्षम हैं।

(2) आग्नेय आयुधों से सुसज्जित पुलिस को साधारणतया जुलूसों और अन्य उत्सवों के अवसर पर, सिवाय किसी विक्षोम से निपटने के, रिजर्व बल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये। वह स्थिति जो ऐसी रिजर्व पुलिस को लेना चाहिये, विशेष परिस्थितियों और नीचे गये अनुदेशों से शासित होगी।

(3) सशस्त्र पुलिस के दलों की कभी जुलूसों का मार्गरक्षण नहीं करना चाहिये। उन्हें ऐसे बिन्दु पर रहना चाहिये जहाँ किसी विक्षोम का खतरा हो या उन्हें जुलूस के सामने या पिछले भाग में चलते-फिरते प्रवेशरोधी के रूप में रहना चाहिये जहाँ वे भीड़ के द्वारा किसी भ्रम में डाले जाने की न्यूनतम स्थिति में हों, और कमान्ड में रहने वाले अधिकारी या उनके अवर अधिकारियों के नियन्त्रण में रखे जा सकें। जहाँ तक सम्भव हो सके, समस्त टुकड़ी हिन्दू और मुस्लिम दोनों के सामान्य अनुपात से मिलकर बनाई जानी चाहिये और सिपाहियों में अवर अधिकारियों का अनुपात जहाँ तक सम्भव हो अधिक होना चाहिये। ऐसे अवसरों पर गोला-बारूद के रूप में केवल गोलियां ही बाँटी जानी चाहिये।

(4) ऐसे सभी अवसरों पर जब दोनों अर्थात् सशस्त्र और सिविल प्रतिनियुक्त की जावें, यह पुलिस अधीक्षक का कर्त्तव्य होगा कि वह उन कर्त्तव्यों का समानुदेशन करे जिन्हें अधिकारियों और सिपाहियों को पालन करना होगा। पुलिस को प्रत्येक टुकड़ी को ठीक-ठीक स्थिति और उनके द्वारा पालनीय कर्तव्यों को दर्शाते हुये स्पष्ट सामान्य और विशेष आदेश लिखे और संसूचित किया जाना चाहिये। ऐसे आदेश उन सभी अवसरों के लिए, अब पुलिस नियोजित की जावे और भारी मार्ग दर्शन के लिये अभिलेख में रखे जावें। जब किसी कारण से पुलिस पहली बार प्रतिनियुक्त किया जाना, आवश्यक पाया जावे, या साधारणतया नियोजित शक्ति को बढ़ाया जावे, यह आदेशात्मक है कि इन निर्देशों पर विशेष आदेश तैयार और जारी किया जावें।

70. भीड़ के विरुद्ध पुलिस बल द्वारा बल का प्रयोग किये जाने के बारे में अनुदेश निम्नानुसार हैं—

खण्ड क—विधिक प्राधिकर

पुलिस के द्वारा बल के उपयोग को विनियमित करने के उपबन्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय पांच (विशेषकर धारा 46 व 49) तथा अध्याय दस की धारा 129 उपधारा (1) व (2) में अन्तर्विष्ट हैं। ये विधिक उपबन्ध किसी विधि विरुद्ध जमाव को बिखेरने के लिये और पाँच या अधिक व्यक्तियों के ऐसे जमाव पर भी, जो चाहे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 के आशय के लिये विधि विरुद्ध जमाव न हो, किन्तु ऐसा हो कि जो लोक प्रशान्ति के भंग की संभाव्य बनाता हो, लागू होंगे।

थाना का कोई भारसाधक अधिकारी या उससे अधिक ऊँची पंक्ति का कोई अधिकारी, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार से स्वाधीन यह शक्ति रखता है कि वह ऊपर विनिर्दिष्ट किए गए जमाव से बिखर जाने को कहे और उसे बिखरने के लिए बल को उपयोग करे। (देखिये धारा 129 उपधारा (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973) टिप्पणी—इस पैरा के खण्ड 'ख', 'ग' तथा 'घ' में, 'मजिस्ट्रेट' से अभिप्रेत है—

(क) यदि कोई राजपत्रित अधिकारी उपस्थिति हो, ''प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट''।

(ख) यदि कोई राजपत्रित पुलिस अधिकारी उपस्थित न हो।

''मानसेवी या विशेष मजिस्ट्रेट को छोड़कर कोई अन्य मजिस्ट्रेट''।

खण्ड ख—कार्यवाही जब मजिस्ट्रेट की उपस्थिति उपलब्ध/की जा सकती/ न की जा सकती हो

जब कोई मजिस्ट्रेट उपस्थित हो या उसे संसूचना ऐसे विलम्ब के बिना जिसका स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, दी जा सकती हो बिना ऐसे मजिस्ट्रेट की आज्ञा के, जमाव के लिए न तो बिखरने के लिए कहा जायेगा और न उसे बिखरने के लिये बल का उपयोग किया जायेगा। यदि मजिस्ट्रेट की हाजिरी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपलब्ध न की जा सकती हो, थाने के भारसाधक अधिकारी को या उससे अधिक ऊँची शक्ति धारण करने वाला उपस्थित ज्येष्ठ अधिकारी अपने दायित्व पर कार्य करेगा, यथासम्भव शीघ्र अपने कार्य की रिपोर्ट निकटतम मजिस्ट्रेट और अधीक्षक को देना।

खण्ड ग—बल के उपयोग को शासित करने वाले मुख्य सिद्धान्त

किसी भी प्रकार के बल का उपयोग करने के मुख्य सिद्धान्त हैं—

(1) यदि मजिस्ट्रेट उपस्थित हो तो ज्येष्ठ अधिकारी को पूरे सहयोग से कार्य करना चाहिये।

(2) इसके पूर्व कि उसे बिखर जाने का आदेश दिया जावे, जमाव की चेतावनी और प्रबोधन द्वारा बिखरने के प्रत्येक प्रयत्न किये जावें।

(3) एक बार जबकि बिखर जाने के आदेश की उपेक्षा कर दी जावे या आदेश के दिये जाने के बाद भी जमाव की प्रवृति उद्धत बनी रहे, बल का उपयोग किया जायेगा।

(4) यदि कोई मजिस्ट्रेट उपस्थित हो, बल उपयोग करने का दायित्व उस पर रहेगा और यह उसके लिए होगा कि वह ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी को बल उपयोग करने के लिये निर्देशित करे। यदि कोई मजिस्ट्रेट उपस्थित न हो तो उत्तरदायित्व ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी पर रहेगा।

(5) यदि मजिस्ट्रेट उपस्थित हो या मजिस्ट्रेट उस्थित न हो, ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी यह देखने के लिये जिम्मेदार होगा कि जमाव को प्रभावपूर्ण ढंग से बिखेरने और गिरफ्तारियाँ करने के लिए न्यूनतम बल का उपयोग किया जाता है।

(6) उपयोग किये गये बल का प्रकार और समयावधि का, पद 7 के अधीन सुरक्षा के अध्यावधीन रहते हुये, ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा निर्णय किया जावेगा और कम से कम घातक शस्त्र प्रयोग किये जावेंगे जिनकी परिस्थतियाँ अनुज्ञा दें। किसी अन्तरस्थ हेतु यथा दन्डात्मक अथवा दमनात्मक प्रभाव को विचार में नहीं लाया जायेगा।

(7) बल का उपयोग त्यों ही बन्द कर देना चाहिये ज्यों ही हेतु पूरा हो जावे। उपस्थित मजिस्ट्रेट को निर्णय करने की शक्ति है कि कब पर्याप्त बल का उपयोग किया गया है। उसे ऐसा निर्णय ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी के परामर्श करने के पश्चात् लेना चाहिए।

खण्ड घ—आग्नेयास्त्रों के प्रयोग को नियमित करने वाले नियम

(1) गोली तभी चलाई जायेगी जब यदि कोई मजिस्ट्रेट या जहाँ मजिस्ट्रेट न हो भारसाधक पुलिस अधिकारी, जीवन या सम्पत्ति के संरक्षण के लिए गोली चलाना नितान्त आवश्यक समझे।

(2) यदि मजिस्ट्रेट उपस्थित हो तो आग्नेय आयुधों का उपयोग करने का उत्तरदायित्व उसी पर रहेगा और वह उपस्थित ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी को गोली चालन प्रारम्भ करने के लिए निर्देशित करेगा।

(3) जब मजिस्ट्रेट ने ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी को गोली चालन प्रारम्भ करने का आदेश दिया हो तो वह चलाये जाने वाले चक्रों की संख्या नियत कर उसके विवेक को बन्धन में नहीं डालेगा। ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी ही सदैव गोली चलाने की आज्ञा देगा और गोली चालन पर नियन्त्रण रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी गोली चलाना बन्द करने की आज्ञा दे देगा ज्यों ही जमाव निवृत्त होने या बिखर जाने की प्रवृत्ति दर्शाने लगे।

मजिस्ट्रेट, यदि उपस्थित हो, ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी को गोली चालन बन्द करने का आदेश देने की शक्ति रखता है। ऐसा आदेश, ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी से परामर्श करने के उपरान्त किया जायेगा।

(5) जब कभी गोली चालन किया जावे ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी, जब तक कि यह कर्त्तव्य मजिस्ट्रेट द्वारा न ले लिया गया हो, उस घटना की जिसके कारण गोली चालन हुआ हो, सविस्तार सूचना, वे कारण जिनसे गोली चालन आवश्यक समझा गया, गोली चालन के परिणाम, मृत और आहत व्यक्तियों के विवरणों और अन्य संयत विवरणों के साथ अभिलिखित करेगा।

खण्ड ड—आग्नेयास्त्रों का प्रयोग आवश्यक होने की दशा में पुलिस अधिकारियों के पथ प्रदर्शन के लिये विस्तृत अनुदेश

इस हेतु कि, बिना किसी भ्रम या नियन्त्रण को क्षति पहुँचाये, गोली चलाने का निर्णय कार्यान्वित किया जा सके, ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी, ज्यों उसे यह सम्भाव्य हो कि आग्नेय आयुधों का उपयोग आवश्यक होगा, सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी को तैयार रहने को कहेगा। जब गोली चलाना प्रारम्भ किया जाना हो, ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी उस न्यूनतम प्रभावकारी घनफल का निर्णय लेगा जो परिस्थितियों में आवश्यक हो और उसी के अनुसार ठीक-ठीक आदेश देगा कि किस व्यक्ति और जन पंक्ति पर गोली चलाई जाना है और क्या गोलियों की बौछार, लक्ष्य या निशाने पर अधीन रहे बिना की जाना है और वह निश्चित करेगा कि उसके आदेशों के आगे कोई कार्य नहीं किया जाता और बिना आदेश के या उसके उल्लंघन से कोई गोली नहीं चलाई जाती, जब तक कि अवर अधिकारी और सिपाही अपने को गोली चलाने के लिए निजी सुरक्षा के अधिकार को प्रयोग करते हुए, बाध्य नहीं पाते। सिवाय अत्यधिक तत्कालीनता के, एक बार में गोलियों की केवल एक ही बौछार का आदेश दिया जावे और उसी क्षण गोली चालन बन्द कर दिया जावे जब और आगे आवश्यक न रहे। उद्देश्य स्पष्टत: प्रदर्शित होना चाहिये और गोली चालन का जितना घनफल आदेशित किया जावे वह अधिकतम प्रभावकारी रीति से लागू किया जावे। लक्ष्य नीचे की ओर तथा जमाव के सबसे अधिक धमकी दे रहे भाग की ओर रखा जावे, क्योंकि ऐसा करने से जमाव और आगे बल प्रयोग के लिए कदाचित ही प्रोत्साहित होगा। इसी कारण जमाव के विरुद्ध नियोजित की गई या नियोजित की जाने के लिए संभाव्य टुकड़ी में खाली कारतूस नही बाँटे जाना चाहिए। इस आदेश के बाद "किलो चलान बन्द करो और निकाल लो" चलाये गये और लापता कारतूसों की सावधानी से जाँच की जावे और चक्रों की संख्या तथा परिणामों को अंकित किया जावे। यह हर एक अवर अधिकारी द्वारा तत्काल अपने खण्ड के लिये किया जाना चाहिए और उसे यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि गोली चलाना बन्द होते ही सभी सिपाही उपस्थिति हैं, उपस्थित ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी को स्वयं का यह समाधान कर लेना चाहिए कि यह कर लिया गया है। प्रत्येक अवर अधिकारी को अपने सिपाहियों अंधाधुंध गोली चालन या स्वाधीन कार्य के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए, "साधारणतया परिस्थितियों में उनके साथ" चाहे पृथक् व्यवहार हो।

इन सिद्धान्तों पर समुचित नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस लाइन में निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता होती है और इस विषय पर उपमहानिरीक्षक द्वारा उनके निरीक्षण में ध्यान दिया जायेगा।

किसी ऐसे उपद्रव के पश्चात जिसमें पुलिस द्वारा गोली चालन आवश्यक हो गया हो, ज्योंही शान्ति पुनर्स्थापित हो जावे, तत्काल—

(क) धरनों की पद स्थापना और गश्तों का संगठन कर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की उपलब्धि के लिये, और

(ख) मृतकों की मृत्यु उपरान्त परीक्षा और आहतों तथा घायलों की चिकित्सा तथा अन्य ध्यान प्राप्त करने के लिये, कार्य किये जावें, यदि ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक न हो, वह तत्काल पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा।

71. जिले के आवंटन से अधिक सशस्त्र पुलिस की माँग, यदि संलग्न हो महानिरीक्षक से उस दिन के 6 सप्ताह पूर्व की जावेगी, जिस दिन अतिरिक्त पुलिस की अपेक्षा हो, और जिला मजिस्ट्रेट तथा आयुक्त द्वारा भेजी जावेगी, परन्तु यह कि जब ऐसा करने से विलम्ब हो, आवेदन जिला मजिस्ट्रेट से परामर्श करके अर्द्ध सरकारी रूप से भेज दिया जावे। सशस्त्र पुलिस की प्रदर्शन के रूप में नगण्य

अवसरों पर परेड नहीं कराना चाहिये, परन्तु उसे तभी उपयोग किया जावे जब सिविल पुलिस स्थिति से निपटने के लिये स्पष्टत: असमर्थ हो। सशस्त्र पुलिस को उनके समुचित कर्त्तव्यों तक ही निर्बन्धित रखना चाहिये और छोटी चौकियों में उसका विसर्जन नहीं कर देना चाहिये, जहाँ वे अल्प उपयोग की होती हैं।

72. राज्यपाल को साइकिल अर्दली के रूप में पुलिस अधीक्षक लखनऊ द्वारा सशस्त्र पुलिस के छ: कान्सटेबिल प्रदाय किये जाते हैं। जब राज्यपाल लखनऊ से दूर भ्रमण पर हों, संक्षिप्त अवकाश के तत्कालिक आवेदनों के साथ मिलिट्री द्वारा व्यवहार किया (निपटाया) जायेगा। यदि वह अवकाश मंजूर करे और मुक्ति की अपेक्षा करे, वह स्थानीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन करेगा। इसी प्रकार यदि कोई साइकिल अर्दली, जब वह भ्रमण पर हो, अस्वस्थ हो जावे, वह उस स्थान के पुलिस चिकित्सालय में भेज दिया जावेगा, जहाँ वह उस समय हो और पुलिस अधीक्षक को उसकी सूचना दी जावेगी और यदि उसके स्थान पर मुक्ति के लिये अपेक्षा हो तो उसके प्राप्त करने के लिये माँग की जावेगी। किसी भी दशा में, स्थानीय पुलिस अधीक्षक को पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से तत्काल सहायता भेजने के लिए निवेदन करना चाहिए। जब तक मिलिट्री सेक्रेटी द्वारा लौटा न दिए जावें सहायता पहुँचाने वाले राज्यपाल के शिविर के साथ रहेंगे। भ्रमण की समाप्ति पर, जो राज्यपाल के द्वारा नैनीताल को प्रस्थान करते ही समाप्त हो जाता है, मिलिट्री सेक्रेट्री साइकिल वाले अर्दलियों को उस जिले के, जहाँ भ्रमण समाप्त होता है, मुख्यालय की रिजर्व लाइन में भेज देगा और सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से उन्हें वापस लखनऊ भेज देने के लिए आवेदन करेगा। राज्यपाल द्वारा परिदर्शन किये गये जिले का पुलिस अधीक्षक, मिलिट्री सेकेट्री के निवेदन पर, साइकिल के अर्दलियों के लिये डेरे राज्यपाल के शिविर में गड़वाएगा।

कुछ जिलों में और पुलिस ट्रेनिंग कालेज पर आबंटित मन्जूरी हर मशीन पर दो कान्सटेबिल के हिसाब से साइकिल अर्दली के रूप में सशस्त्र पुलिस के कान्सटेबिलों की नियुक्ति के लिए व्यवस्था है, और जहाँ दो साइकिलें आबंटित की गई हों, एक आरक्षित दल को सम्मिलित करते हुए, पाँच कान्सटेबिलों के लिए व्यवस्था किया गया है।

अध्याय 7

सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व (आरक्षित)

73. सशस्त्र पुलिस को रिजर्व प्रत्येक जिले में बनाई रखी जाती है। उसकी शक्ति हर जिले के लिए नियत की जाती है।

74. सशस्त्र रिजर्व में सेवाएँ नामावली द्वारा समनुदेशित की जावें, जिससे हर सदस्य बारी-बारी से रिजर्व से होकर निकल जावे। सेवा काल दो मास से अधिक का नहीं होना चाहिए। रिजर्व को इकट्ठे मुक्त किया जावे, किन्तु विशेष कारणों से अधीक्षक किसी सिपाही को रिजर्व में दूसरे निरन्तर काल के लिए सेवा करने के आदेश दे सकता है।

75. पुलिस अधीक्षक अवकाश पर रहने वाले सिपाहियों को रिजर्व के लिए समनुदेशित कर सकता है, किन्तु ऐसे सिपाहियों का अनुपात रिजर्व के 11/85 से अधिक का नहीं होना चाहिए। रिजर्व के सिपाहियों को अवकाश तभी अनुदत्त किया जावेगा, जब उसकी बीमारी या विशेष रूप से

अति आवश्यक किसी निजी मामले के कारण ही अति आवश्यक अपेक्षा होने पर अनुदत्त (मन्जूर) किया जा सकेगा।

इन रंगरूट की, जिनकी सेवाएँ एक वर्ष से कम की न हों, रिवर्ज के लिए समनुदेशित किए जा सकेंगे किन्तु ऐसे रंगरूटों का अनुपात उस वास्तविक अनुपात से अधिक का नहीं होना चाहिए जो एक वर्ष से कम की सेवा के न होने वाले रंगरूटों और सशस्त्र पुलिस की कुल मन्जूर की गई शक्ति में रहता है।

जब सशस्त्र पुलिस में रिक्त स्थानों की संख्या मन्जूर की गई शक्ति के 20 प्रतिशत से अधिक हो जावें, और एक वर्ष से कम की सेवा करने वाले रंगरूटों की संख्या एक वर्ष से अधिक सेवा करने वाले रंगरूटों की संख्या से बढ़ जावे, तो एक वर्ष से अधिक की सेवा करने वाले रंगरूटों के बारे में यह माना जावेगा कि वे रिजर्व में समनुदेशित किये जाने के लिए दक्ष कान्सटेबिल हैं। तब छः मास से अधिक की सेवा वाले रंगरूटों को इस पैरा के प्रथम पद में विनिर्दिष्ट किए गए अनुपात में, रिजर्व में पदस्थ किया जावे। इस पद के अधीन अपवाद के रूप में की गई व्यवस्था के लिए रेन्ज के उप महानिरीक्षक की मूंजरी आवश्यक है।

76. जब सशस्त्र पुलिस किसी दूसरे जिले में विशेष कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त की जावे, वे इस रिजर्व से प्रदाय किये जावें, जब तक कि वह अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति का आदेश देता है, अन्यथा निर्देशित करे।

जिले के भीतर रिजर्व को डकैती के विशेष कर्त्तव्य पर, मेलों और दूसरे बड़े समूहों पर व्यवस्था बनाये रखने या प्रशांति के गंभीर गैंग को रोकने के लिए, नियोजित किया जा सकेगा। ऐसे कर्त्तव्यों पर रिजर्व की सेवा में नियोजित किये जाने की विस्तृत सूचना उप महानिरीक्षक को बिना विलम्ब के भेज दी जानी चाहिए। रिजर्व की सेवा नियोजन की अनुज्ञा विशेष अवसरों तक ही निबन्धित है, किन्तु मुख्यालय पर रात्रि को गश्त लगाने का कर्त्तव्य रिजर्व के एक भाग को सौंप दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है, इसे रिजर्व के साधारण प्रशिक्षण का अंग समझा जावे और उसकी रिपोर्ट उन महानिरीक्षक को किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

77. रिजर्व के सदस्यों को साधारण दिनचर्या के कर्त्तव्यों में उदाहरणार्थ गारद या मार्ग-रक्षण में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि आवश्यकता तात्कालिक न हो और अपेक्षित पुलिस का अन्यथा उपबन्ध न किया जा सके। जब सिविल पुलिस उपलब्ध और सशस्त्र पुलिस के पूरक के रूप में सुरक्षित रूप से नियोजित की जा सकती हो, रिजर्व से माँग करने से बचना चाहिए। जब रिजर्व का कोई सदस्य दिनचर्या के कर्त्तव्य पर नियोजित किया जावे, अधीक्षक को तत्काल उप महानिरीक्षक के पास, कारणों को स्पष्ट करते हुये, विस्तृत रिपोर्ट भेजना चाहिए। यदि अधीक्षक मुख्यालय पर न हो, और उसके आदेश सिपाहियों को दिनचर्या के कर्त्तव्य पर भेजने के पूर्व प्राप्त न किए जा सके, इस रिपोर्ट को मुख्यालय पर रहने वाले ज्येष्ठ अधिकारी द्वारा तैयार की जाकर भेजना चाहिए, जिसे उसकी एक प्रति अधीक्षक को देना चाहिये।

78. सशस्त्र ट्रेनिंग रिजर्व को प्रशिक्षण के हर काल में व्यायाम, बन्दूक चालन निरीक्षण सशस्त्र पुलिस के सामान्य कर्त्तव्यों, प्रारंभिक विधि और लाइन स्कूल के पाठ्यक्रम के ऐसे अंश, जैसे अधीक्षक यथोचित समझे, पूर्ण पाठ्यक्रम से होकर निकाला जावे।

अध्याय 8

सवार पुलिस

79. सवार पुलिस के विहित कर्तव्य निम्नलिखित हैं—

(1) सड़कों पर गश्त करना।

(2) बन्दियों और कोषों की मार्ग रक्षा।

(3) विशेष तात्कालिक की संसूचनायें लाना ले जाना।

(4) अपराधियों का पीछा करना।

(5) संगठित डकैतियों या अन्य उपद्रवों का दमन करना।

(6) उत्सवों पर मार्गरक्षण।

(7) यातायात नियंत्रण के कर्तव्य।

दो सवार अर्दली राजस्व मण्डल के सदस्य को, जब वह मैदानों में दौरे पर हो और आयुक्त को जब वह अपने डिवीजन में भ्रमण पर हो, स्वीकार किये गये हैं।

आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों की माँग पर विशेष संसूचनायें ले जाने के लिये सवार अर्दली हर समय उपलब्ध कराये जायेंगे।

80. कुछ मुख्यालयों पर सवार पुलिस के दो दल बना दिये जाते हैं। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि पैरा 84 और 85 में गिनाये गये सभी कर्त्तव्यों की पूरी जानकारी घोड़ों को अच्छी अवस्था में तथा अपनी वर्दी, शस्त्र और सज्जा को स्वच्छ, चुस्त और सेवा के योग्य रखें। प्रत्येक दल के साथ एक तुरही (Trumpet) बजाने वाला संलग्न रहेगा।

81. सवार पुलिस के उप निरीक्षकों और प्रधान कान्सटेबिलों के कर्त्तव्य, सेना में भारतीय अधिकारियों और बिना कमीशन प्राप्त अधिकारियों के समान हो, उन्हें घुड़सवारी के व्यायाम के प्रशिक्षण के रूप में सक्षम होना चाहिये और वे अपने दल के सिपाहियों और घोड़ों की दक्षता के लिये उत्तरदायी होंगे।

मुख्यालय पर सवार पुलिस के एक प्रधान कान्सटेबिल को घोड़ों के उस दिन के प्रभारी के रूप में तैनात किया जावे। सवार पुलिस के उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के उप निरीक्षकों के साथ सम्पूर्ण रिजर्व दिन के अधिकारी के रूप में अपनी बारी सम्भालेंगे। अपनी लाइन पर सवार पुलिस एक प्रधान कान्सटेबिल के अधीन एक सैनिक आवास गारद (क्वार्टर गार्ड) प्रदाय करेंगे।

82. दल के मुख्यालय पर, रिजर्व निरीक्षक, कर्त्तव्य पर बाहर जाने वाले सभी सिपाहियों की कर्त्तव्य सूची (प्रारूप क्र० 95) रखेगा। इस बारे में सभी के साथ न्यायिक व्यवहार किया जावे। दल का उन निरीक्षक मुख्यालय पर कर्त्तव्य पर तैनात किये गये सभी सिपाहियों की नामावली रखेगा।

83. दल के मुख्यालय का अधीक्षक, उनके जाने के पहले, अन्य खिजलों के लिये प्रतिनियुक्त किये गये सभी बलों का भली प्रकार निरीक्षण करायेगा। उन जिलों के अधीक्षक और रिजर्व निरीक्षक, जहाँ सवार पुलिस प्रतिनियुक्त की जावे, इस बात के लिये उत्तरदायी हैं कि घोड़े, सज्जा, घोड़ों और अस्तबल का साज-सामना अच्छी अवस्था में रखे जाते हैं। ज्यों ही कोई बल आ जाये, उसकी परेड ली जाना चाहिए और बल के मुख्यालय के पुलिस अधीक्षक को न्यूनताओं की रिपोर्ट की जावे। बल के लौट आने पर दल के मुख्यालय के पुलिस अधीक्षक को परेड कराना चाहिए। किसी बाहरी स्थान को जाने वाले या वहाँ से लौटने वाले दल को एक कमाण्ड प्रमाणपत्र दिया जावे।

सवार पुलिस का प्रशिक्षण

84. सवार सेना में भर्ती किए गए रंगरूटों को, पद पुलिस से स्थानान्तरित सिपाहियों को शामिल करते हुये पैरा 45 में अन्तर्विष्ट आदेशों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा और दो वर्ष की परिवीक्षा के अधीन रहेंगे। पद पुलिस के सवार पुलिस को स्थानान्तरित कान्सटेबिल, परिवीक्षा की अवधि में उस अवधि की, जो पद पुलिस की सेवा की अवधि की अधिकतम 16 मास की गणना कर सकते हैं, परन्तु पद पुलिस से सवार पुलिस को स्थानान्तरित कोई कान्सटेबिल सवार पुलिस में आठ मास की कम अवधि के लिये परिवीक्षा पर नहीं रहेगा, चाहे उसका सेवाकाल कुछ भी हो। सवार पुलिस में परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर सवार कान्सटेबिल सम्पुष्ट कर दिये जायेंगे यदि वे रंगरूटों को दिये गये प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में अर्ह होकर सफल हो जाते हैं और यह कि उनका आचरण अच्छा रहता है। उनको इस प्रकार प्रशिक्षित किया जावे—

(1) कि वे दल की परेड में दक्षतापूर्वक घोड़े पर भली प्रकार सवारी कर सकते और उसे संभाल सकते हैं।

(2) वे घोड़े पर समुचित रूप से काठी कस और उतार सकते हैं। वे घोड़े के सभी साजसामान को अलग-अलग कर और फिर एक साथ मिलाकर रख सकते हैं, और वे अपने घोड़े की साईसी कर सकते हैं।

(3) सवार या पैदल रहने की दोनों दशाओं में वे तलवार और बल्लम के अभ्यास और दल से व्यायाम में प्रवीण हैं।

85. सवार पुलिस के सदस्यों को चर सेवा (स्काउटिंग) का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें अकेले और खण्डों में रह का अपने कर्त्तव्य का पालन करना सिखाया जाना चाहिये। घोड़ों को अग्नि सहना सिखया जावे।

86. रेन्ज के पुलिस उप महानिरीक्षक के आदेशों के अधीन सवार पुलिस से चुने हुए कान्सटेबिलों को पुलिस प्रशिक्षण कालेज, प्रशिक्षण कालेज, मुरादाबाद में महानिरीक्षक द्वारा सवार पुलिस के विषयों और कर्त्तव्यों के बारे में विहित तीन मास के प्रगतिशील पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए भेजा जावे। पुलिस महानिरीक्षक, समय-समय पर दल के प्रत्येक मुख्यालय के द्वारा इस प्रशिक्षण के लिये भेजे जाने वाले कान्सटेबिलों की संख्या का निर्णय करेगा। केवल वे कान्सटेबिल जो इस प्रशिक्षण के प्रगतिशील पाठ्यक्रम में अर्ह हो जावें, सवार पुलिस में प्रधान कान्सटेबिल के पद पर उन्नत किए जाने के लिए, पुलिस विनियम क्र० 458 के उपबन्धों से अध्याधीन रहते हुए पत्र होंगे। इस प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों का चुनाव रेन्ज के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा, केन्द्रीय (सेन्ट्रल) परीक्षा के आधार पर किया जावेगा। केवल वे ही जिन्होंने सवार पुलिस में पाँच साल का सेवाकाल समाप्त कर लिया हो और जो पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोनीत किए जावें, इस परीक्षा में प्रतियोगिता कर सकते हैं।

सवार पुलिस का वह कान्सटेबिल जो घुड़सवारी के प्रशिक्षण में दिए गए अनुदेशों के पाठ्यक्रम में अर्ह हो जावे, परन्तु जिसने घुड़सवारी व्यायाम प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया हो, आगामी पाठ्यक्रम में, जिसके लिए वह उपलब्ध हो सकता हो, अपने द्वारा घुड़सवारी का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात् भेज दिया जावेगा।

87. दल के घोड़ों को ट्रकों और घुड़साल में प्रवेश करने का प्रशिक्षण दिया जाये।

88. महानिरीक्षक की पूर्व में प्राप्त कर ली गई मंजूरी से, बल के सिपाहियों को यदा-कदा पशुओं के लखनऊ स्थित स्कूल में घोड़े के उपचार में अनुदेश लेने के लिये भेजा जावे :

अध्याय 9

ग्राम पुलिस

89. ग्राम चौकीदार एक ग्राम सेवक होता है, जिसका मुख्य कर्त्तव्य अपने प्रभार के गाँवों को देखना और रक्षा करना है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह ग्राम के मुखिया से रिपोर्ट ले जाए, उसे अपराधियों का पता लगाने में सहायता पहुँचाए और विधि द्वारा प्राधिकृत गिरफ्तारियाँ करें। वह अपने कर्त्तव्यों के सम्यक् पालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी है। मुखियों से सम्बन्धी नियम गवर्नमेंट आर्डर पुस्तिका में है।

90. ग्राम चौकीदारों द्वारा भूमि में खेती किए जाने का प्रतिषेध (मनाही) नहीं है, उन्हें उन गाँवों में से, जिनके लिये वह उत्तरदायी है, एक में रहना चाहिए। उन्हें कान्सटेबिलों के बल के सदस्यों द्वारा दासता के कर्त्तव्यों में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए।

91. जन्म और मरण की रिपोर्ट देने के प्रयोजन के लिए चौकीदार को अपने थाने पर मास में दो बार नियत दिनांकों को हाजिर होना चाहिए। (देखिए पच्चीसवाँ अध्याय) इन दिनांकों में से एक पर उन्हें उनका वेतन दिया जावे।

92. प्रत्येक ग्राम के पुलिस वाले को अपराध अभिलेख-पुस्तक (लकड़ी का बना हुआ) हाजिरी के लिए तख्ता और जन्म तथा मृत्यु का छपा हुआ रजिस्टर दिया जाना चाहिए, वह इन दोनों को उसे प्रदाय की गई चमड़े की पेटी में रखेगा और जब थाने जाये, अपने साथ ले जायेगा।

अभिलेख पुस्तक थाना लेखक द्वारा अपराधों की घटना की रिपोर्टों या उन रिपोर्टों के लिये जो चौकीदार करना चाहे, और उसके परितोषण, दण्ड और अच्छी सेवाओं के लिखने के लिये, परितोषण, दण्ड और अच्छी तथा बुरी सेवाओं सम्बन्धी प्रविष्टियाँ थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए। हिस्ट्रीशीट के चौकीदार के फेरों में होने वाले सभी व्यक्तियों की सूची इस अभिलेख पुस्तक में प्रविष्ट की जावेगी और उनके घर से अनुपस्थित रहने की सभी रिपोर्टें उसमें अंकित की जावेंगी।

टिप्पणी

ग्राम अपराध पुस्तिका में अंकित किए जाने के लिए अपेक्षित प्रकार के अपराध इस अभिलेख पुस्तक में दिखाये जायें।

हाजिरी की तख्ती थाने में हुई हाजिरी को अभिलिखित करने के लिये है और थाने के लेखक द्वारा हाजिरी के समय लिखी जावेगी। किसी राजपत्रिक पुलिस अधिकारी के द्वारा थाने के किए गए वार्षिक निरीक्षण के समय से हुई हाजिरियाँ तख्ती को दर्शाना चाहिये। इस प्रयोजन के लिए तख्ती के हर ओर को छः भागों में रेखाओं से बाँट देना चाहिए जिनमें से एक प्रत्येक मास के लिये हो। ग्राम चौकीदारों द्वारा जन्म-मरण और महामारी की रिपोर्ट देने के नियम पच्चीसवें अध्याय में पाये जावेंगे।

ग्राम की पंचायत द्वारा की गई मृत्यु समीक्षा में ग्राम चौकीदार के कर्त्तव्यों के लिये बारहवाँ अध्याय देखिए। निगरानी के बारे में उनके कर्तव्यों के लिये बीसवाँ अध्याय देखिए।

93. कान्सटेबिलों के बल के सदस्यों द्वारा, ऐसी अपेक्षा किए जाने पर ग्राम पुलिस को उन्हें मार्गरक्षण में सहायता देना चाहिए।

94. भ्रमण पर रहने वाले अधिकारियों के शिविरों को देखने और उनकी रक्षा करने के लिए ग्राम पुलिस को प्रदाय किए जाने को निम्नलिखित नियम सीमित करते हैं :—

(1) स्वरीकार किए गए चौकीदारों की संख्या दो से कम न होगी। बडे शिविरों के लिए वह संख्या बढ़ाई जा सकती है, परन्तु वह छः से अधिक न होगी।

(2) इस कर्तव्य पर कोई चौकीदार एक सप्ताह में दो दिन से या एक रात से अधिक सेवा नहीं करेगा।

(3) शिविरों के पड़ोस से चौकीदारों को इस प्रकार चुना जाये कि जहाँ तक हो सके कम से कम गाँव बिना चौकीदार के छोड़े जावें।

(4) उन चौकीदारों को देय विशेष भत्ता, ग्राम भ्रमण करने वाले अधिकारियों के शिविरों पर अपने गश्त की जगह छोड़कर पहरा देते हैं या मार्गरक्षण करते हैं, सम्बन्धित भ्रमण करने वाले अधिकारी द्वारा तत्परता से भुगताया जावे। थाना अधिकारियों को, अधीक्षक को, इस सम्बन्ध में भ्रमण करने वाले अधिकारियों द्वारा की गई असावधानियों के किसी दृष्टान्त की रिपोर्ट करना चाहिए।

राष्ट्रपति की विशेष गाड़ी और उन विशेष गाड़ियों के जिसमें प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हों, के लिए जब रेलवे लाइन की रक्षा करने को ग्राम चौकीदार को प्रतिनियुक्त किया जावे या जब उन्हें अन्य कर्त्तव्य पर नियोजित किया जावे जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के परिदर्शन से सम्बन्धित हों उन्हें, उनके वेतन के अतिरिक्त ग्राम चौकीदारों को दिये जाने वाले पुरस्कार अनुदान में से छः आना प्रतिदिन की दर से भुगताए जावेंगे, यदि उनके स्थान पर किसी अन्य को न लगाया गया हो।

पुलिस महानिरीक्षक (वेतन को सम्मिलित करते हुए) प्रतिदिन के लिए एक रुपया से अधिक न होने वाले दैनिक भत्ते पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के परिदर्शन सम्बन्धी कर्त्तव्यों पर चौकीदार के प्रतिनियुक्त किए जाने पर जबकि उसके परिणाम में उन्हें अपने ग्रामों से छः दिन से अधिक के लिये अनुपस्थित रहना पड़े, चौकीदार के अस्थायी पद का सृजन कर सकता है। ऐसे मामलों में विचार करना अधीक्षक का काम होगा कि स्थानापन्न नियुक्तियाँ की जावें और यदि वह स्थानापन्न नियोजन को आवश्यक समझे तो उसे महानिरीक्षक के कार्यालय से पूर्व मन्जूरी प्राप्त कर लेना चाहिये। स्थानापन्न व्यक्तियो को चौकीदारों के मामले में दिया जाने वाला साधारण वेतन दिया जाएगा, जबकि स्थायी चौकीदारों को, जो प्रतिनियुक्ति पर हों, वेतन और परितोषण को सम्मिलित करते हुए एक रुपया प्रतिदिन की दर से, बजट के "ग्राम पुलिस के अधीनस्थ चौकीदार," शीर्ष (मद) से भुगताया जावेगा।

95. ग्राम चौकीदारों को संज्ञेय अपराधों की लिखित रिपोर्ट करने और चोरी गई संपत्ति की सूची बनाने के लिये छपे हुये क्र० 44वें प्रारूप प्रदाय किये जाने चाहिये और उन्हें अनुदेशित किया जावे कि वे उस व्यक्ति किया जावे कि वे उस व्यक्ति को दे दें, जो उसे उपयोग करने के लिए मांगे और परिवाद द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जावे जो उसके भरे जाने और परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात् वह उसे ले कर थाने में दे दे। ग्राम चौकीदारों को सदैव यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि परिवादियों को लिखित में रिपोर्ट करने को विवश न किया जावे। जब कभी कोई चौकीदार थाने में लिखित रिपोर्ट लाये, उसे परिवादी को चेक रसीद की दूसरी प्रति ले जाकर देना चाहिये।

96. (1) ग्राम चौकीदार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज विलेज एण्ड रोड पुलिस ऐक्ट, 1873 (1873 का सोलहवाँ अधिनियम) की धारा 3 से 6 के, या अवध लाज ऐक्ट (1876 का अठारहवाँ अधिनियम) की धारा 29 से 32 के अधीन नियुक्त किया जाते हैं। वे वर्ष 1873 के सोलहवें अधिनियम की धारा 10 या वर्ष 1876 के अठारहवें अधिनियम की धारा 36 के अधीन पदच्युत किए जा सकते हैं। वे वर्ष 1873 के सोलहवें अधिनियम की धारा 11 या वर्ष 1876 के अठारहवें अधिनियम की धारा 37 के अधीन अभियोजन के लिये भी दायित्वाधीन होंगे।

(2) चौकीदारों की सच्चरित्रता के लिये दिये गये परितोषण और भत्ते अनुशासनात्मक उपाय के रूप में वापस लिये जा सकते हैं। [देखिये पैरा 476 (5)]।

96-ए. पैरा 501 से अन्तर्विष्ट उपबन्ध ग्राम चौकीदारों पर लागू होंगे, यदि शासन के अलावा भी उनके विरुद्ध कोई सिविल या आपराधिक कार्यवाही संस्थापित की गई हो।

दूसरा भाग

विशेष कर्तव्य

अध्याय 10

थानों में की गयी रिपोर्ट

97. जब कभी किसी संज्ञेय अपराध की इत्तिला थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जावे, संज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट चेक रसीद पुस्त (पुलिस प्रारूप क्र० 341) में तीन प्रतियों में तत्काल लेखबद्ध की जावेगी। किसी भी कारण से, यह पग उठाने में, प्रारम्भिक अन्वेषण के द्वारा सही तथ्य सुनिश्चित करने के लिये, विलम्ब नहीं किया जायेगा। यदि वह असत्य प्रतीत होती हो, रिपोर्ट को तत्काल अभिलिखित किया जावे। यदि रिपोर्ट मौखिक की जावे उससे पूछे गये प्रश्नों के उत्तर सहित रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के ही ठीक-ठीक शब्द लिखे जावें और उसे पढ़कर सुना दी जावे। उसे तीनों पत्तों पर हस्ताक्षर करना चाहिये और यदि वह लिख न सकता हो तो उसके अंगूठे का चिह्न उस पर ले लिया जावे। यदि रिपोर्ट लिखित में की जावे तो उसकी वैसी ही प्रतिलिपि कर ली जाना चाहिये, किन्तु उसे लाने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे के चिह्न लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी मामलों में थानों के भारसाधक अधिकारी को तीनों भागों में से प्रत्येक पर हस्ताक्षर करना चाहिए और हर एक पर थाने की मोहर लगा देना चाहिए। तीसरी प्रति पुस्तक में लगी रहेगी दूसरी प्रति मौखिक रिपोर्ट या लिखित रिपोर्ट लाने वाले का दे दी जावे और मूल प्रति, मूल रिपोर्ट को, (यदि कोई हो) संलग्न करते हुए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेज दी जावे।

जब तक कि वे मुख्यालय को विशेष या जनरल डायरी में संलग्न कर न भेजी जावें, प्रथम सूचना में विलम्ब करने का अभ्यास दण्ड प्रक्रिया संहिता के विरुद्ध है और उसका प्रतिषेध (मनाही) किया जाता है।

यदि सब डिवीजन का भारसाधक कोई सहायक या उप पुलिस अधीक्षक हो जो जिला मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर पदस्थ हो ते मूल लेख उसके द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी जावे।

98. यह आवयक है कि रजिस्टरों और डायरियों में सभी रिपोर्टें और जाँचें स्पष्ट और सुवाच्य लिखी जानी चाहिये। यह दस्तावेज बाद में न्यायालय में प्रमाणित कराने पड़ सकते हैं और अधिक विलम्ब और कठिनाई उपस्थित हो सकती है, यदि मूल लेख स्पष्ट और निर्विवाद न हो।

99. ज्यों ही रिपोर्ट प्रथम सूचना पुस्तक में लिख ली जावे, जनरल डायरी में रिपोर्ट का सार संक्षेप रूप में लिखा जायेगा। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और जनरल डायरी में प्रविष्टियाँ तत्काल की जानी चाहिये, चाहे रिपोर्ट रात को ही प्राप्त हुई हो, ग्राम अपराध नोट बुक, अपराध रजिस्टर और सम्पत्ति का रजिस्टर 24 घण्टे के भीतर लिख लिया जावे, यदि रिपोर्ट के परिणामस्वरूप इन रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ की जानी हों।

100. यदि थाने का भारसाधक अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त करे जब वह थाना गृह से बाहर हो और तत्काल अन्वेषण प्रारम्भ कर देने की इच्छा करे और रिपोर्ट करने वाली की उपस्थिति मुक्त न कर सके, उसे रिपोर्ट को लेखबद्ध कर लेना चाहिये और उस पर उसके करने वाले द्वारा हस्ताक्षर या अंगूठा लगवाने के पश्चात् उसे थाने को लिखित रिपोर्ट के रूप में व्यवहार किये जाने के लिये भेज देना चाहिये।

101. जब कभी निम्नलिखित में से किसी प्रकार की घटना की रिपोर्ट प्राप्त हो

(1) डकैती,

(2) महत्वहीन मामलों यथा कान की बाली छीन लेना के सिवाय लूट,

(3) पुलिस के द्वारा यातना देने,

(4) पुलिस की अभिरक्षा से बचकर निकल जाना,

(5) कूट रचित करेन्सी नोट बनाना,

(6) कूटकृत सिक्कों का संनिर्माण,

(7) लोक निधि के गम्भीर व्यपहरण (खयानत), नोटों, पत्रों से हुँडियों की चोरी को सम्मिलित करते हुए,

(8) बध, बलवा, सेंधमारी और चोरी, विभिन्न वर्गों, सम्प्रदायों और राजनैतिक गुटों के बीच प्रशान्ति भंग होने के महत्वपूर्ण मामले, विशेष लोक हित के अन्य मामले,

रिपोर्ट की प्रति तत्काल पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और मण्डल निरीक्षक को लाल रंग के लिफाफे में डाक या व्यक्ति द्वारा, भेजने के रीति अधिक तेज हो, से भेजी जावेगी, टेलीफोन और तार जहाँ उपलब्ध हों या निकट के तारघर से पुलिस टेलीग्राफिक कोड का भी, जिसकी प्रति हर थाने को प्रदाय की गई है, अधीक्षक को शीघ्र सूचना देने के लिये उपयोग किया जावे।

टिप्पणी

जघन्य अपराधों में विशेष रूप से, प्र०सू०पत्र की प्रति प्रसंज्ञान लेने में समक्ष मजिस्ट्रेट के पास, धारा 157 जा०फौ० के अन्तर्गत शीघ्रातिशीघ्र भेजे जाने की आवश्यकता को भली प्रकार समझाना चाहिये, तथा देर से भेजे जाने के दुष्परिणाम से बचना चाहिये, *स्वप्नसिंह* बनाम *राज्य*[1] में यह निर्णय आया कि स्पेशल रिपोर्ट को विलम्ब से भेजे जाने पर, मजिस्ट्रेट द्वारा उसके प्राप्त करने के समय से प्र०सू० पत्र के लिये जाने के समय की धारणा की जा सकती है।

101-ए. सभी महत्वपूर्ण मामलों में और उस श्रेणी के मामलों में जिसमें वे उन्हें रिपोर्ट भेजे जाने की अपेक्षा करें, पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट की प्रति भेजी जानी चाहिए।

102. जब किसी असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट की जावे, संज्ञेय अपराधों के लिए चेक रसीद पुस्तक (पुलिस प्रारूप क्रं० 347) में रिपोर्ट के महत्वूर्ण भाग अभिलिखित किए जावें। दोनों प्रतियों में से प्रत्येक पर सूचना देने वाले से हस्ताक्षर करने या अपना अंगूठा चिह्न लगाने की अपेक्षा की जावे। मूल पुस्तक में बनाये रखते हुए, दूसरी पर्त उसको दे दी जावे। रिपोर्ट का सार जनरल डायरी में लिखा जावे और यदि रिपोर्ट लिखित में, हो तो उसकी अन्तर्विष्ट करने वाले कागज की डायरी से संलग्न कर दिया जावे। सूचना देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित कर दिया जावे जैसा दण्ड प्रक्रिया की धारा 155 द्वारा अपेक्षित है।

103. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 और 155 (1) के द्वारा थाने के भारसाधक अधिकारी पर अपराध की चाहे संज्ञेय, हो या असंज्ञेय, सही रिपोर्ट लिखने का दायित्व प्रवर्तनीय होगा, और उसे अभिलिखित की गई दोनों प्रकार की रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर करना चाहिये।

---

1. 1981 क्रि०ला०ज० 364.

टिप्पणी

(1) रिपोर्ट के आवश्यक तत्व—धारा 154 के अधीन किसी इत्तिला के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट होने के लिए यह आवश्यक है कि प्रथम तो वह इत्तिला संज्ञेय अपराध की हो दूसरे वह थाने के भारसाधक अधिकारी को दी गई हो।[1] तीसरे वह या तो लिखित में प्रस्तुत की गई हो अथवा मौखिक होने की दशा में वह थाने के भार-साधक अधिकारी द्वारा लेखबद्ध की या कराई गई हो, चौथे उसका सार जनरल डायरी में अंकित किया गया हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर वह समय भी अंकित किया जाना चाहिए जब वह थाने में प्रस्तुत की गई हो।[2]

(2) दूरभाष द्वारा इत्तिला—किसी इत्तिला के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट होने के लिए यह आवश्यक है कि वह संज्ञेय अपराध की इत्तिला हो। यदि दूरभाष (टेलीफोन) द्वारा कोई गुमनाम व्यक्ति पुलिस को यह सूचित करे कि किसी स्थान पर गोली चल रही है तो वह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट नहीं मानी जा सकती है।[3] तथापि दूरभाष (टेलीफोन) द्वारा संज्ञेय अपराध की दी गई प्रथम इत्तिला, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मानी जा सकती है।[4] परन्तु एक अन्य मामले में जहाँ दूरभाष से प्राप्त इत्तिला को अभिलिखित किया गया था तो उसे प्रथम इत्तिला नहीं माना गया।[5]

(3) दूरलेख (तार) द्वारा इत्तिला—किसी थाने के भारसाधक अधिकारी को दूरलेख (तार) द्वारा भी संज्ञेय अपराध की इत्तिला दी जा सकती है, परन्तु जब तक उस इत्तिला को देने वाले व्यक्ति द्वारा साक्षात में प्रमाणीकरण न कर दिया जावे, वह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की परिभाषा में नहीं आयेगी।[6]

(4) अभियुक्त द्वारा प्रथम इत्तिला—ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभियुक्त द्वारा की जावे और उसमें अभियुक्त द्वारा अपने दोष को स्वीकार भी किया गया हो। ऐसी स्थिति में अपराध की संस्वीकृति इण्डियन एवीडेन्स एक्ट की धारा 25 के अनुसार साक्ष्य में ग्रहण योग्य न होगी, परन्तु अन्य तथ्य तथा उक्त अधिनियम की धारा 27 के अधीन आने वाले संगत तथ्य साक्ष्य में ग्रहण किए जा सकते हैं।[7] परन्तु ऐसी रिपोर्ट का उपयोग अभियुक्त के पक्ष में किया जा सकता है।[8] अन्वेषण के दौरान अभियुक्त द्वारा दिये गये कथन को किसी भी दशा में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट नहीं माना जा सकता।[9] इस धारा के अधीन अभियुक्त द्वारा दी गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के अधीन स्वीकृति के रूप में करने के लिए सम्पूर्ण रिपोर्ट पर पूर्णरूपेण विचार करना चाहिए न कि आंशिक रूप में।[10] यदि एक अभियुक्त ने किसी सह अभियुक्त

---

1. आल इ०रि० 1956 त्रावणकोर कोचीन 207.
2. सुन्दर *बनाम* राज्य, आल०इ०रि० 1957 इलाहाबाद 809.
3. तपीन्द्र सिंह *बनाम* पंजाब राज्य, आल इ०रि० 1970 सु०को० 1566.
4. आल इ०रि० 1965 गुजरात 143.
5. सूर्माभाई *बनाम* गुजरात राज्य, 1975 क्रि०ला०ज० 1201-आल०इ०रि० 1975 सु०को० 1453.
6. आल इ०रि० 9159 त्रिपुरा.
7. फद्दी *बनाम* म०प्र० राज्य, 1964 ए०एल०ज० 252-आल०इ०रि० 1964 सु०को० 1850; जलाम सिंह *बनाम* राजस्थान राज्य, उच्च न्यायालय नि०प० 1976 राजस्थान 332.
8. धर्मा *बनाम* राज्य, उच्च न्यायालय नि०प० 1976 राजस्थान 126.
9. 1974 क्रि०ला०ज० 849.
10. जालम सिंह *बनाम* राजस्थान राज्य, उच्च न्यायालय नि०प० 1976 राजस्थान 332.

के विरुद्ध रिपोर्ट दी हो तो वह ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध प्रयोग नहीं की जा सकती। *निसार अली बनाम* उत्तर प्रदेश राज्य।[1]

(5) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट किसको दी जावेगी—जब किसी घटना की इत्तिला बीट चौकी के हवलदार को दी गई हो और वही इत्तिला बाद में थाने में दी जावे तो थाने में दी कई इत्तिला ही प्रथम इत्तिला मानी जावेगी, क्योंकि चौकी थाने की परिभाषा में नहीं आती।[2] इसी प्रकार बीट चौकी पर दी गई इत्तिला रिपोर्ट नहीं होगी परन्तु यदि उसके आधार पर अन्वेषण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावे तो धारा 154 के अनुरूप न होने पर भी उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट माना जा सकता है।[3]

इत्तिला उसी भाषा और शब्दावली में अंकित की जाना चाहिये, जिसमें वह पुलिस अधिकारी को दी गई हो।[4]

यदि इत्तिला लेखबद्ध किये जाते समय इत्तिला देने वाले ने उस पर हस्ताक्षर न किये हों, तो इस त्रुटि के कारण वह साक्ष्य में ग्रहण किये जाने के अयोग्य नहीं हो जावेगी।[5] यद्यपि हस्ताक्षर न किया जाना इत्तिला की विश्वसनीयता को कम कर देता है, तथापि इत्तिला रिपोर्ट का स्वरूप समाप्त नहीं हो जाता।[6]

(6) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अंकित किया जाना अनिवार्य है—जब कभी किसी संज्ञेय अपराध के गठित होने की इत्तिला पुलिस अधिकारी को दी जावे तो उसका लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है। पुलिस अधिकारी उसकी सत्यता की प्रारम्भिक जाँच करने तक उसके लिखने को टाल नहीं सकता। यदि रिपोर्ट असत्य हो तो भी उसका अंकित किया जाना आवश्यक है।[7]

पुलिस अधिकारी को चाहिये कि जब भी उसे किसी संज्ञेय अपराध की इत्तिला दी जावे वह तत्काल उसे वहीं पर ग्रहण करे।[8]

(7) असंज्ञेय मामलों में पुलिस का कर्त्तव्य—पुलिस अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह असंज्ञेय मामले में भी इत्तिला का सार अंकित करे। यद्यपि वह बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की आज्ञा के अन्वेषण प्रारम्भ नहीं कर सकता है। वह इत्तिला देने वाले को समक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही करने को निर्देशित कर सकता है अथवा मजिस्ट्रेट को इत्तिला का सार उचित आदेश हेतु स्वयं भी भेज सकता है।[9]

प्रथम सूचना रिपोर्ट—कोई दुविधापूर्ण या अनिश्चित सूचना जो पुलिस को अन्वेषण आरम्भ करने के लिए बाध्य नहीं करती, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत सूचना नहीं होती। इस प्रकार, किसी पश्चात्वर्ती नियमित प्रथम सूचना रिपोर्ट को धारा 162 के अधीन अनुमन्य धारित नहीं किया जा सकता। पहले की डायरी प्रविष्टि को तलब नहीं किया गया, न ही उसकी कोई प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की गयी। अन्वेषण अधिकारी से इन तथ्यों का पता नहीं लगाया गया कि इसका सम्बन्ध उसी

---

1. 1957 सु०का०नि० 128-आल इ०रि० 1957 सु०को० 366.
2. 1962 म०प्र०ला०ज० 352.
3. आल इ०रि० 1960 कलकत्ता 519.
4. इ०ला०रि० (1951) 1 राजस्थान 460.
5. आल इ०रि० 1960 बम्बई 146-आल इ०रि० 1962 कलकत्ता 641.
6. 1974 क्रि०ला०जा० 465 देहली.
7. शेखकाले शाह, आल इ०रि० 1957 आ०प्र० 268.
8. आल इ०रि० 1965 केरल 196.
9. आल इ०रि० 1956 कलकत्ता 286.

घटना से है या किसी अन्य घटना से। अत: इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और अभियोजन द्वारा इसको पेश न किए जाने से कोई प्रतिकूल अनुमान नहीं लगाया जा सकता।[1]

प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्ष्यिक मूल्यांकन—प्रथम सूचना रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य नहीं है। उसमें सभी तथ्यों का विस्तृत ब्योरा आवश्यक नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का गलत मूल्यांकन किये जाने पर अपील न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट मौखिक साक्ष्य नहीं है कहने का अभिप्राय है कि यह उन तथ्यों साक्ष्य नहीं है जो उसमें उल्लिखित किये गये हैं।

जहाँ पर प्रथम बार में यह परिकल्पित किया गया हो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को जानबूझ कर गढ़ा गया है या उसे घटना के घठित होने के काफी देर बाद अस्तित्व में लाया गया है तो वहां ऐसी सूचना को बल प्रदान करने के सम्बन्ध में अभियोजक की सारी बातें अस्वीकार कर दी जायेंगी।

प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति का प्रदान किया जाना—इस धारा की उपधारा 2 में यह अभिकथित किया गया है कि उप धारा के अधीन अभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना देने वाले व्यक्ति को अविलम्ब बिना कोई शुल्क लिये प्रदान की जायेगी।

इसके अतिरिक्त जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट से प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति की मांग करेगा तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को ऐसी प्रति देने के लिए बाध्य होगा क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लोक दस्तावेज है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विलम्ब से भेजा जाना—प्रथम सूचना रिपोर्ट का विलम्ब से भेजा जाना सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि मामला धारा 148/149/307, भा०दं०सं० के अधीन 3.25 अपराह्न में मृत्यु कालिक कथन के आधार पर दर्ज किया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास दूसरे दिन प्रात: 4 बजे भेजी गयी।[2]

जब प्रथम सूचना रिपोर्ट 13-11-82 को दाखिल की गई, और अभियुक्त उपलब्ध होते हुए भी 4-12-82 के पूर्व गिरफ्तार नहीं किया गया तथा अन्वेषण अधिकारी इसका स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहा, तो यह सब बातें प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यता तथा सम्पूर्ण अन्वेषण पर भीषण रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालती है।[3]

घटना जिसके फलस्वरूप हत्या हुई लगभग 10-30 मिनट पर प्रात: हुई। पुलिस स्टेशन 10 कि०मी० दूर था। प्रथम सूचना रिपोर्ट 1 बजकर 45 मिनट पर लिखवाई गयी। इस प्रकार यह विलम्ब नहीं मानी जा सकती।[4]

---

1. उड़ीसा राज्य *बनाम* बचन छत्तर तथा अन्य तथा गगन छत्तर तथा अन्य *बनाम* उड़ीसा राज्य, एस०सी० क्रि०रि०, 1988 पृष्ठ 318 उड़ीसा उच्च न्यायालय.
2. दलबीर सिंह तथा अन्य *बनाम* पंजाब राज्य, सु०को० क्रि०रि० 1988, पृष्ठ 103 उच्च न्यायालय.
3. धीर सिंह तथा एक अन्य *बनाम* मध्य प्रदेश राज्य, सु०को० सी०आर०आर० 1988, पृष्ठ 565 म०प्र० उच्च न्यायालय.
4. रंगीलाल *बनाम* स्टेट आफ यू०पी०, 1991 इला०ला०ज० 336, 1991 क्रि०लॉ०ज० 916.

अध्याय 11

अनुसंधान

104. जब किसी संज्ञेय अपराध की इत्तिला प्राप्त हुई हो, जब थाने के भारसाधक अधिकारी को यह विनिश्चय करना चाहिए कि क्या अन्वेषण वांछनीय है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1) (ख) के द्वारा दिए गए विवेक का प्रयोग करने में, उसे उस पर विचार करना चाहिए कि क्या मामला आपराधिक न्यायालय की अपेक्षा सिविल का और क्या प्रशासन के हित से पुलिस द्वारा कार्यवाही आवश्यक या कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए इष्टकर है।

कोई अन्वेषण नहीं किया जाना चाहिए, यदि परिवाद की विषयवस्तु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 95 की परिधि में जाने वाली प्रतीत हो या परिवादी द्वारा कोई तकनीकी अपराध खड़ा किया जाना या किसी विवाद का अभियोजन करने में पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए किसी क्षुद्र झगड़े को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाना प्रतीत हो।

किसी विशिष्ट मामले में पुलिस अधीक्षक के आदेश या किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपराध के किसी विशिष्ट वर्ग के लिये उप महानिरीक्षक की सहमति के सिवाय, निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई अन्वेषण नहीं किया जाना चाहिये :—

(1) नगण्य चोरी और सेंध लगाने के मामले में; जब तक कि यह विश्वास करने का कारण न हो कि उससे कोई पेशेवर अपराधी सम्बन्धित है या अपराधी पकड़ न लिया गया हो, जिसके अभियोजन के लिए परिवादी इच्छुक हो।

(2) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 और 325 के मामलों में।

(3) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अधीन मामले में घोर उपहति (गम्भीर चोट) न पहुँची हो या और आगे प्रशान्ति भंग किए जाने का खतरा न हो।

(4) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341 से 344 (जब तक कि अवरोध उस समय तक जारी न रहे, जबकि रिपोर्ट की जावे), 354, 447 और 448 के अधीन मामलों में।

(5) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 और 420 के अधीन मामलों में, जहाँ इस बात की प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है कि मामला सिविल स्वरूप का है।

नोट—घातक आयुध से पहुँचाई गई उपहति के मामलों में, थाने के भारसाधक अधिकारी को यह विचार करना चाहिए कि क्या परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 और 308 के अधीन मामले के रजिस्ट्रीकरण को उचित ठहराती है। इन दोनों धाराओं के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों के अनुक्रम में ही तत्परता से, पुलिस अधीक्षक के आदेशों या चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बिना, अन्वेषण किया जाना चाहिए।

टिप्पणी

अनुसंधान करने की विधि या अनुसंधानकर्ता के किसी कार्य से मजिस्ट्रेट के प्रसंज्ञान अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न अहस्तक्षेपीय अपराध के बिना मजिस्ट्रेट के आदेश लिए अनुसंधान करने पर, मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान लेने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।[1]

---

1. बीस *बनाम* राज्य, ए०आई०आर० 1960 इलाहाबाद 509.

अनुसंधान के किसी अवैधानिकता या त्रुटि का प्रभाव मजिस्ट्रेट के प्रसंज्ञान के अधिकारिता पर नहीं पड़ता।[1] पुलिस द्वारा दी गई जाँच रिपोर्ट चाहे वह भारसाधक सब इन्स्पेक्टर द्वारा या अन्य अधिकारी द्वारा दी गई हो, धारा 173 जा०फौ० के ही अन्तर्गत आती है, चाहे कोई भी अनियमितता पाई जाय।[2] सी०आई०डी० के इन्स्पेक्टर थाना के भारसाधक से ज्येष्ठ हैं और इनके द्वारा किया गया अनुसंधान वैध है।[3] किसी अनुसंज्ञान पर यह आक्षेप नहीं लगाया जा सकता कि पुलिस अधिकारी उस मामले में जाँच करने का सक्षम अधिकारी नहीं था।[4]

आर०पी० कपूर बनाम *सरदार प्रताप सिंह*[5] में यह निर्णय दिया गया है कि धारा 36 जा०फौ० के अन्तर्गत थाना के भारसाधक अधिकारी से वरिष्ठ सभी अधिकारी अपने तैनाती के क्षेत्र में उसको दिये अधिकार स्वयं में रखते हैं व सी०आई०डी० या सतर्कता विभाग के अधिकारी भी पूरे राज्य में अनुसंधान की अधिकारिता रखते हैं। सी०आई०डी० के इन्स्पेक्टर को शा०आ०स० 5081-124 (1)/1938 पुलिस, दिनांक 27-10-38 द्वारा उक्त अधिकार प्रदत्त हैं, उसी प्रकार सी०आई०डी० के अन्य शाखाधिकारियों को भी उनकी कार्यसीमा के अन्दर जिला पुलिस अधीक्षक के, पुलिस.एक्ट के तहत, अधिकार प्राप्त हैं जो विज्ञप्ति सं० 2380/आठ-7-273-72-गृह (पु०), दिनांक 17-7-1973; विज्ञप्ति सं० 1795/आठ-7-273-72-गृह (पु०) 7, दिनांक 4-7-1974 एवं विज्ञप्ति सं० 5853/सात-ए०एम० 216-77, दिनांक 2-5-79 से स्पष्ट है तथा इसमें अपराध शाखा, प्रशासनिक विभाग, आर्थिक सूचना एवं अनुसंधान शाखा, वैज्ञानिक शाखा, विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता), विशेष अनुसंधान विभाग (कृषिकक्ष) भी सम्मिलित है।

105. जब कभी थाने का भारसाधक अधिकारी यह निर्णय करे कि किसी अज्ञेय अपराध का अन्वेषण नहीं किया जायेगा, उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के उपबन्धों की पालना करने के लिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट की मूल और तीसरी पर्त पर मामले का अन्वेषण न करने के कारणों का प्रविष्टि करना चाहिये। उसे दूसरी पर्त पर, जो रिपोर्ट करने वाले को दी जायेगी, यह तथ्य अंकित करना चाहिये कि कोई अन्वेषण नहीं किया जावेगा। जब वह, पैरा 104 (3) वर्ग में गिनाए गए किसी अपराध का, अधीक्षक की आज्ञा से अन्यथा, अन्वेषण करे या न करने का आदेश दे, उसे जनरल डायरी में ऐसा करने के कारण अभिलिखित करना चाहिए।

106. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1) (2) के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सिवाय अन्वेषण को साधारणतया स्थल पर ही किया और पूर्ण किया जाना चाहिए। यदि घटना का स्थल, जैसा कस्बों में होता है, थानों के निकट हो और मामला 157 के (1) (क) के अधीन न आता हो, अन्वेषणकर्त्ता अधिकारी स्थल का परिदर्शन करने और थाने में लौट आने के पश्चात् पूर्ण कर सकेगा।

किसी संगीन मामले का अन्वेषण करने के लिए प्रस्थान कर रहे किसी पुलिस अधिकारी को प्रथम उपलब्ध ट्रेन द्वारा, चाहे वह यात्री गाड़ी हो या मालगाड़ी, से यात्रा करने की रेलवे प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञा दी जावेगी, किन्तु वह उसे प्रक्रम के बाहर रोक नही सकेगा।

---

1. ए०आई०आर० 1955 सु०को० 196.
2. ए०आई०आर० 1963 कलकत्ता 191.
3. ए०आई०आर० 1959 इलाहाबाद 337.
4. ए०आई०आर० 1961 सु०को० 1117.
5. 1961 (2) क्रि०ला०ज० 161.

टिप्पणी

(1) मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसंधान पर नियंत्रण—विधान में अनसुंधान के दौरान किसी अधिकारी द्वारा हस्तक्षेप करने या आदेश देने की व्यवस्था नहीं है फिर भी विवेचनाधिकारी स्वेच्छानुसार विवेचना लिये बैठा नहीं रह सकता। धारा 167 (2) में अपराधियों को जेल में रखने की अवधि दे दी गई है जिसके अन्दर विवेचना समाप्त हो जानी चाहिये यदि गिरफ्तारी के 6 माह के अन्दर विवेचना समाप्त नहीं हो जाती तो सम्मन बाद में मजिस्ट्रेट उसे रोक देंगे, इसी प्रकार धारा 468 व 469 जा०फौ० में दंड व्यवस्थानुसार अपराधों की विवेचना दिये गये अवधि में समाप्त हो जानी है, और आरोप पत्र न्यायालय पहुँच जाना है।

(2) मजीद विवेचना—धारा 173 जा०फौ० में दिये गये आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिये जाने के बाद भी अन्य प्रमाण साक्ष्य पाये जाने पर विवेचनाधिकारी मजीद विवेचना कर सकता है, यदि गलत रिपोर्ट पर भी मजिस्ट्रेट ने प्रसंज्ञान ले लिया है तो कोई अवैधानिकता नहीं होती चाहे रिपोर्ट थाना भारसाधक द्वारा न होकर अन्य अधिकारी द्वारा हुई हो।[1]

(3) अभियुक्त का प्रतिप्रेषण रिमांड—रिमांड के प्रावधान में नये जा०फौ० में विशेष परिवर्तन हुए हैं तथा 1978 में इसे और भी संशोधित किया गया है, मजिस्ट्रेट, जिसे सुनवाई का अधिकार नहीं है, अभियुक्त को गिरफ्तार करके लाये जाने पर प्रथम बार 15 दिन तक का रिमांड दे सकता है, मगर आधिकारिक मजिस्ट्रेट, आजीवन कारावास या 10 वर्ष के ऊपर के दंडनीय अपराधों में 90 दिन व अन्य अपराधों में 60 दिन तक का रिमांड स्वीकृत कर सकते हैं, जिस अवधि में विवेचना समाप्त हो जानी चाहिये।

(4) जब धारा 167 जा०फौ० का स्तर समाप्त हो जाता है—जब विधान द्वारा प्रदत्त 60/90 दिन की रिमांड की अवधि समाप्त हो जाती है और आरोपपत्र न्यायालय में प्राप्त नहीं होता तो अभियुक्त छूट पाने का अधिकारी हो जाता है, यदि वांछित बंध आदि दाखिल कर सके। यदि विधिक अवधि बीत चुकी है पर अभियुक्त ने जमानत की याचना नहीं की है और इस बीच आरोप-पत्र प्राप्त हो गया है तो धारा 167 जा०फौ० का स्तर बीत चुका रहता है और इसके अंतर्गत वह छूटने का अधिकारी नहीं होता। *हीरामन* बनाम *राज्य*,[2] इस पर अन्य न्यायालयों के भिन्न मत भी बाद को हुए हैं और *बाबू* भाई बनाम *राज्य*[3] ने यह निर्णय दिया है कि भले ही अभियुक्त की जमानत तथ्यों पर पहले खारिज हो चुकी हो पर नियत अवधि तक आरोप-पत्र न प्राप्त होने पर उसे न्यायालय द्वारा छोड़ना ही है।[4]

(5) आदेश के साथ शर्त नहीं—धारा 167 जा०फौ० के अंतर्गत दिये गये जमानत का वही मूल्य है जो धारा 437/438 ज०फौ० में दिये गये जमानत की होती है, इस आदेश के साथ कोई प्रतिबन्ध लगाना जैसे कि आरोप-पत्र आने पर अभियुक्त की जमानत रद्द की जायेगी, आदि अवैध है; *रामपाल सिंह* बनाम *राज्य*[5] क्रिमिनल लॉ (संशोधन) एक्ट, 1952 के अन्तर्गत आधिकारिक विशेष जज को भी धारा 167 जा०फौ० में रिमांड आदेश देने का मजिस्ट्रेट का अधिकार प्राप्त है।[6]

---

1. रामलाल नवरंग *बनाम* राज्य, ए०आई०आर० 1979 सु०को० 1791.
2. 1975 क्रि०ला०ज० 1508 इला०.
3. 1982 क्रि०ला०ज० 284 गुजरात पूर्णपीठ.
4. सु०को० 1978 ए०आई०आर० 55 माना गया है.
5. 1976 क्रि०ला०ज० 288 इला०.
6. अर्जुन प्रधान *बनाम* राज्य; 1979 क्रि०ला०ज० 1073 सु०को० : ए०आई०आर० 1979 सु०को० 1259.

(6) कब धारा 167 जा०फौ० में जमानत नहीं दी जायेगी—जब 90 दिन बीतने पर अभियुक्त ने जमानत का आवेदन दिया और मजिस्ट्रेट द्वारा सबूत को नोटिस मिलने पर सबूत ने उसी दिन आरोप पत्र दे दिया तो *पिंडी* बनाम *राज्य*[1] में यह निर्णय हुआ कि इस धारा में जमानत नहीं दी जा सकती, *हुसैन आरा खातून* बनाम *गृह सचिव*[2] में यह निर्णय हुआ है कि हिरासत की 60/90 दिन की अवधि प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुनः रिमांड देने के पूर्व, बताये कि वह जमानत पर छूटने का अधिकारी है और राज्य सरकार अपने कोष से उसके लिए वकील की व्यवस्था करे, धारा 167 पूर्व प्रसंज्ञान स्तर है व धारा 437 उत्तर प्रसंज्ञान स्तर है, आरोप पत्र प्राप्त होते ही धारा 167 का स्तर समाप्त हो जाता है। जैसा कि *विजय बहादुर* बनाम *राज्य*[3] *काना* बनाम *राज्य*[4] व *कु० रंजना* बनाम *उज्ज्वल प्रकार*[5] में घोषित हुआ है।

(7) प्रसंज्ञान कब लिया जा सकता है—पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट लगाने के बाद भी उसे स्वीकार करने की मजिस्ट्रेट को बाध्यता नहीं है व अभियुक्त को तलब करने को प्रसंज्ञान लिया जा सकता है, पहले जा०फौ० के धारा 190 (सी) में ''जानकारी व सन्देह'' प्रयुक्त थे, किन्तु अब ''संदेह'' निकाल दिया गया है तथा ज्ञान/जानकारी निजी या किन्हीं अभिलेख के आधार पर हो सकती है जैसा *गंगा प्रसाद* बनाम *राज्य*[6] में ए०आई०आर० 1968 सु०को० 117 को मानते हुये निर्णय लिया गया है।

वाद को सत्र न्यायालय सुपुर्द करने की क्रिया यांत्रिक है जो जाँच नहीं माना जाता।[7] यदि अभियुक्त फरार नहीं है तो कमिटल के दिन उसका न्यायालय में उपस्थित न रहना कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता।[8]

रिमांड आदेश पर अदालत की मुहर लगना जरूरी नहीं न धारा 209 जा०फौ० की ही यह मन्शा है, धारा 70 वारण्ट पर मुहर देने की व्यवस्था देता है और रिमांड आदेश पर मुहर का न होना मात्र त्रुटि ही हो सकती है जो *कन्हैया* बनाम *सरकार*[9] में आया है, जो प्रतिकूल प्रभाव नहीं देता,

मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सत्र न्यायालय सुपुर्द करते समय धारा 209 (बी) में रिमांड आदेश पारित न करना अवैध है।[10]

(8) जा० फौजदारी में नये विधान का जोड़—धारा 433 ए०जा०फौ० के योग ने, प्रदत्त दण्ड में मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने *भारु राम* बनाम *सरकार*[11] में व्यवस्था दी है कि प्राणदण्ड के एवज में आजीवन कारावास या प्राणदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किये जाने पर दण्ड की अवधि में छूट का समाप्त करने का अधिकार संसद की सीमा में

---

1. 1979 क्रि०ला०ज० 1503 मद्रास.
2. ए०आई०आर० 1979 सु०को० 1377.
3. 1981 ए०एल०जे० 198.
4. ए०आई०आर० 1979.
5. 1980 क्रि०ला०ज० 106.
6. 1975 क्रि०ला०ज० 1565 इला०.
7. लक्ष्मी ब्राह्मण *बनाम* राज्य, 1976 क्रि०ला०ज० 118 इला०.
8. ओंकार सिंह *बनाम* सरकार, 1976 क्रि०ला०ज० 1774 इला०.
9. 1980 क्रि०ला०ज० नोट.
10. तेज बहादुर सिंह *बनाम* राज्य, 1977 क्रि०ला०ज० नोट 90 इला०.
11. ए०आई०आर० 1980 सु०को० 2147.

है, इस धारा ने धारा 432 के सुविधा तथा अन्य जेल नियमों को परिवर्तित कर दिया है तथा यह संविधान के अनुच्छेद 20 का अतिक्रमण नहीं करता, न अनुच्छेद 104 का ही अतिक्रमण करता है, मगर दिनांक 18-12-78 के पूर्व दण्डित अभियुक्तों पर नया विधान लागू नहीं है व उन्हें प्राप्य छूट उपलब्ध होगी।

(9) पूर्वानुमानित जमानत के प्रावधान का निकालना— नये जा०फौ० ने अभियुक्त को, जिसे किसी बिना जमानती अपराध में पकड़े जाने का समुचित कारण हो, पूर्वानुमानित जमानत दिये जाने का विधान दिया है जिसे धारा 438 जा०फौ० में जमानत देते समय न्यायालय उस पर उचित प्रतिबन्ध लगा सकती है, इस विधान की मन्शा किसी सम्मानित व्यक्ति को पुलिस के हाथों हुई परेशानी या संकट से बचाने की थी, मगर अपने राज्य में अपराधियों ने इसका उपयोग अपने आपराधिक कार्य को बचाने व पुलिस के हाथों से गिरफ्तारी से बचने को लेना प्रारम्भ किया, अधिकांशत: यदि अभियुक्त अपराध के शीघ्र बाद पकड़ा जाता है तो, अपने विरुद्ध प्राप्य शहादत को नष्ट नहीं कर पाता व पूछताछ के दौरान ऐसे भी सुराग दे देता है जिससे अनदेखे अपराध भी प्रकाश में आ जाते हैं। इस विधान के दुरुपयोग के कारण उ०प्र० एक्ट सं० 16 सन् 1976 द्वारा इस राज्य में इसकी प्रयुक्ति निकाल दी गयी है।

107. अन्वेषण अधिकारी को अपने को साक्ष्य अभिलिखित करने वाला लिपिक मात्र नहीं मानना चाहिए। यह उसका कर्तव्य है कि वह देखे और अनुमान करे। हर मामले में अपराध के घटना स्थल और सामान्य परिस्थितियों को अपने विशेष ज्ञान से साक्षियों की साक्ष्य की जाँच करने में उपयोग करेगा और वह हर मामले में जिसमें अपराधी अज्ञात हो, वह उस दिशा को विनिश्चित करेगा जिसमें वह उसको खोजेगा। उसे, उनके हाथ के कार्यों को पहचानने की दृष्टि से स्थानीय अपराधियों की कार्य-रीतियों को जो स्थानीय पुलिस के ज्ञात रहती हैं, अध्ययन करना चाहिए और साक्षियों और परिवादी के उन सन्देहों को मानने के विरुद्ध सतर्क रहना चाहिए, जो तथ्यों से निकलने वाले प्रकट अनुमानों के विपरीत हो। उसे स्मरण रखना चाहिए कि सत्यता का पता चलाना उसका कर्त्तव्य है, केवल दोषसिद्धि प्राप्त करना नहीं। उनमें, उसे किसी व्यक्ति के पक्ष में या उसके विरुद्ध तथ्यों के बारे में कोई दृष्टिकोण नहीं बना लेना चाहिए और यद्यपि उसे ऐसे मामले में जिसमें उसे यह विश्वास करने के समाधानकारक कारण हो कि अभियुक्त दोषी है, मार्ग से हटकर, बचाव पक्ष के लिए साक्ष्य नहीं खोजना चाहिए, किन्तु उसे अपने समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अभियुक्त को सदैव ही अवसर देना चाहिए और यदि प्रस्तुत की जावे तो ऐसी साक्ष्य पर सावधानी से विचार करना चाहिए। सेन्ध लगाने के मामलों में उक्त विषय पर दिये गये विशेष आदेशों के अनुसार अन्वेषण किया जावे।

108. अन्वेषणकर्ता अधिकारी का पहला पग, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 के द्वारा विहित की गई, केस डायरी में उस प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिस पर वह कार्य करे, प्राप्त करने का समय और स्थान अभिलिखित करना है तथा उसमें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रतिलिपि करना चाहिए। अन्वेषण करते समय उसे डायरी में वे स्थान और समय, जब और जहां से उसने अन्वेषण प्रारम्भ किया हो, अंकित करना चाहिए। तब उसे आरोपित अपराध के स्थान का निरीक्षण करना चाहिए और परिवादी तथा अन्य व्यक्तियों से जो परिस्थितियों पर प्रकाश डालने में समर्थ हों, प्रश्न करना चाहिए। अन्वेषण के प्रारम्भिक प्रक्रम में उस ग्राम अपराध की नोट बुक को, उसमें अभिलिखित किसी ऐसे विषय को, जानने के लिए जो मामले पर कोई प्रभाव डाल सकता हो, देखना चाहिए।

टिप्पणी

पुलिस डायरी का मंतव्य— पुलिस डायरी के रखने का एक अभिप्राय तो यह है कि घटित अपराध व उससे सम्बन्धित दर्ज हुई सूचना से पुलिस अधीक्षक एवं मजिस्ट्रेट अवगत रहें, इसका सही

रख-रखाव और नियमित लिखना इसलिये भी आवश्यक है कि न्यायालय राज्य अभिकरण (एजेन्सी) के निष्पक्ष कार्य से सन्तुष्ट हो और दर्ज हुए अपराध व उनमें की गई विवेचना से पुलिस में आस्था उत्पन्न हो, कर्तव्य यह है कि निर्धारित रिकार्ड में पूरी सूचना लिखी जाये।

मामला डायरी का छुट्टे पन्नों पर लिखा जाना अनुचित है—इसके लिये विभाग से ही परते/तीन परते रजिस्टर कारबन की सहायता से लिखे जाने के लिये प्राप्त होते हैं जिसका कि उपयोग होना चाहिये और यदि खुले पन्नों पर लिखना ही पड़े तो उसकी अक्षरश: नकल जिल्द पर उतार दिया जाना चाहिये।[1]

अनुसंधान—जहाँ पर अनुसन्धान में गम्भीर त्रुटियाँ पाई गईं, पंचायत नामा व रोजनामचा में इन्दराज करने में, व शव को ले जाने तथा गवाहान का बयान लेने में विलम्ब पाये जाने का समुचित कारण नहीं दिया गया, सभी तथ्य सबूत के लिये घातक माने गये।[2]

109. केस डायरी में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 द्वारा विशिष्टियाँ इतने पर्याप्त विस्तार से होना चाहिए जिससे पर्ववेक्षण प्राधिकारी तथ्यों को समझ सके। परिवादी के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से कथन की भिन्नता और पूरक कथनों के सार, यदि कोई हों, अभिलिखित किये जावें। अन्वेषणकर्ता अधिकारी इस बात के लिये आबद्ध नहीं है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने सक्षम साक्षियों के परीक्षण के प्रक्रम में किसी कथन को लिखे, परन्तु वह ऐसा करे, वह हर उस व्यक्ति के कथन का अलग अभिलेख तैयार करेगा जिसका कथन वह अभिलिखित करे, कथन प्रथम प्रारूप के रूप में लिखे जावेंगे और उसमें ऐसे विवरण रहेंगे जिनका मामले के अभियोजन में लाभदायक होना सम्भाव्य हो।

विधि का यह विचार है कि कथन, यदि अभिलिखित किए जायें तो पृथक ही लिखे जावें। अत: यह विधि की पर्याप्त पालना नहीं होगी कि केवल इतना लिखा जावे कि किसी साक्षी ने परिवादी का या दूसरे साक्षी का सारवान रूप से समर्थन किया है और इस प्रकार के वाक्यांशों से बचा जावे।

तथापि अभियुक्त का कथन पूरा-पूरा अभिलिखित किया जाना चाहिए। अब उस दिन के लिए अन्वेषण बन्द कर दिया जावे, बन्द करने का समय और स्थान लिखा जाना चाहिये और पूरे अन्वेषण के दौरान, ऐसे दिन के लिए जब कोई कार्यवाही की जावे, अधीक्षक को प्रति दिन डायरी भेजना चाहिए। यदि अन्वेषक अधिकारी स्वयं थाने का भारसाधक अधिकारी न हो, सिवाय तब के जब उससे विलम्ब हो, डायरी भारसाधक अधिकारी के माध्यम से भेजी जावे। यदि एक से अधिक अधिकारी एक ही मामले का एक समय में स्वतन्त्र रूप से अन्वेषण कर रहे हों तो हर एक को पृथक डायरी रखना चाहिए। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 और 173 का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जावे। नगण्य मामलों में साधारण तया बहुत छोटी डायरी पर्याप्त होगी।

टिप्पणी

उक्त पैरा के पृष्ठभूमि में कोई विधिक नींव नहीं है और यह विवेचना के लिये प्रशासनिक निदेश है।[3]

---

1. भैयालाल *बनाम* सरकार, 53 क्रि०ला०ज० 143.
2. सुभाष *बनाम* राज्य, सु०को० केसेज (क्रि०) 1976 पेज 483.
3. निरंजन सिंह *बनाम* राज्य; ए०आई०आर० 1957 सु०को० 142.

110. कार्यवाही का वह प्रक्रम उसी के विवेक पर छोड़ दिया गया है जिस पर अन्वेषक अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 के अधीन संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करे। वह संदिग्ध व्यक्ति पर दृष्टि रख सकता है, परन्तु न तो बिना गिरफ्तार किए वह उसके चलने-फिरने पर कोई निबन्ध लगा सकता है और न उसे साक्षी के रूप में हाजिर रहने के लिए विवश कर सकता है।

111. वह पुलिस अधिकारी जो दण्ड प्रक्रिया संहिता या अन्य किसी विधि के अधीन, तलाशी संचालित करने वाला हो, उस स्थान के, जिसमें तलाशी ली जानी है, प्रवेश करने से पहले, अधिशासी या अधिभोगी का और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन बुलाए गए साक्षियों का यह समाधान कर देगा कि उसके या तलाशी दल के किसी सदस्य के पास सूचना देने वाले को, यदि उपस्थित हो, सम्मिलित करते हुए, शरीर पर छुपी हुई फँसा सकने वाला कोई वस्तु नहीं है। किसी सूचना देने वाले व्यक्ति को तलाशी ली जाने वाले स्थान में जाने की अनुमति नही दी जायेगी, जब तक कि उसकी सहायता को छोड़ सकना असंभव न हो। आयुध अधिनियम, आबकारी अधिनियम, अफीम अनिनियम (1878 का पहला) की धारा 19 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन तलाशियाँ दिन या रात में की जा सकती हैं। (साल्ट एक्ट 1882 का बारहवाँ) तथा अफीम अधिनियम (1878 का पहला) की धारा 14 के अधीन तलाशियाँ केवल दिन में ही ली जावेंगी।

112. उन व्यक्तियों को जिनसे पुलिस पूछ-ताछ करे अनावश्यक रूप से तंग या निरुद्ध न किया जावे। यदि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 या 160 के अधीन समन किया गया व्यक्ति यह निवेदन करे कि उसकी हाजिरी का समय अभिलेख पर लाया जावे, तो आवेषक अधिकारी उसकी पूर्ति आर्डर फार्म नंबर 7 के पर्ण और प्रति पर्ण (पर्त और प्रतिपर्त पर प्रविष्ट करके करेगा)।

113. वे जाँचे, जिसमें लोक सेवक या रेल कर्मचारी, अभियुक्त या साक्षी के रूप में संबंधित हो, इस प्रकार संचालित की जावें कि उनके कार्यालयीन कर्तव्य में न्यूनतम हस्तक्षेप हों। यद्यपि, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 66 पुलिस अधिकारी को बाध्य नहीं करती कि वह धारा 107 के अधीन जब साक्षी के रूप में न्यायालय में उसकी उपस्थिति की या धारा 162 के अधीन पुलिस के समक्ष परीक्षण के लिए हाजिर होने की अपेक्षा करे, उसके वरिष्ठ अधिकारी को नोटिस दे, ऐसा नोटिस, जब संभव हो दिया जाना चाहिए और रेलवे या किसी लोक सेवक से, अन्वेषण के प्रयोजन के लिए अपने कर्तव्यों को छोड़ देने की अपेक्षा नहीं करना चाहिए जब तक कि उसको मुक्त करने की व्यवस्था के लिए दूसरे वरिष्ठ अधिकारी को युक्तियुक्त अवसर न प्रदान कर दिया गया हो।

पुलिस अधिकारियों, को उनकी हाजिरी के लिये नियत किये गये दिन को, न्यायालय में हाजिर रहना चाहिये। न्यायालय से अनुपस्थिति को सरलता से न लिया जावे। न्यायालय में हाजिर होने के लिये अपने अधीनस्थों को अनुमति देने वाले नियंत्रक अधिकारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि समन्स सुनवाई की तारीख से काफी समय पहले लौटा दिये जावें। पुलिस अधीक्षक एक रजिस्टर बनाये रखेगा, जिसमें वह उन अधिकारियों के नाम प्रविष्ट करेगा, जो सुनवाई के लिये नियत की गई तारीखों पर हाजिर न हुए हों। यह नाम न्यायालय से प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर लिखे जायेंगे। पुलिस अधीक्षक तत्काल त्रुटिकर्ता अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगेगा और ऐसी शिकायत की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर प्राप्त स्पष्टीकरण की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को भेज देगा। यदि इस अवधि में स्पष्टीकरण न भेजा जावे, वह न्यायालय इस विषय की रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही के लिये जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा। वार्षिक अभ्युक्तियाँ (रिमार्क) अभिलिखित करते समय इस रजिस्टर की प्रविष्टियों को ध्यान में रखा जावे। अपने निरीक्षण के समय इस रजिस्टर का परीक्षण करना पुलिस उप-महानिरीक्षक का कर्तव्य होगा।

114. वध, डकैती या महत्वपूर्ण सेंध लगाने के मामले और ऐसे अन्य मामले में, जहाँ नक्शे द्वारा न्यायालय या पर्यवेक्षक पुलिस अधिकारी को तथ्यों के समझने में सहायता प्राप्त हो सकती हो, अन्वेषक अधिकारी द्वारा घटना स्थल का एक नक्शा तैयार किया जावेगा। यदि अन्वेषक अधिकारी नक्शे को आवश्यक शुद्धता से तैयार करने में असमर्थ हो, तो यदि संभव हो, उसे वह पटवारी से बनवा लेना चाहिए। नक्शे को सदैव उसके बनाने वाले द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये।

115. ऐसे मामले के अन्वेषक अधिकारी को जिसमें कोई व्यक्ति इतने गम्भीर रूप से घायल हुआ हो कि चिकित्सालय पहुँचने के पूर्व ही उसकी मृत्यु सम्भाव्य हो, जहाँ मरणासन्न घोषणा अभिलिखित की जा सके, उसे तत्काल स्वयं उसकी घोषणा दो सम्मानित साक्षियों की उपस्थिति में, और घोषणा के नीचे घोषणा करने वाले और साक्षियों के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिह्न प्राप्त करते हुए, अभिलिखित कर लेना चाहिए।

टिप्पणी

विवेचनकर्ता को दिया गया बयान निजाई मान्य नहीं हुआ है,[1] मगर मृतक के बयान पर लिखी रिपोर्ट, भले पुलिस अधिकारी को लिखी हो, बयान निजाई माना गया है, क्योंकि उसके लिखे जाते समय लेखक विवेचनाधिकारी नहीं था यह जरूरी नहीं है कि ऐसे बयान में सारी घटना या पूर्ववृत्त आये, मगर इसे सदैव सतर्कता से पढ़ना चाहिये क्योंकि बयानकर्ता जिरह के लिये प्राप्त नहीं होता जहाँ ऐसे बयान में कोई त्रुटि नहीं पाई गई हो, वहाँ बिना समर्थन मिले भी इस पर भरोसा किया जा सकता है जैसा कि *मुन्नू राम* बनाम *सरकार*[2] में निर्णीत है, पहली बार या बयान निजाई जो दौरान कपट व पीड़ा के दिया गया था और सही पाया गया, उसकी वैधता पर दुबारा दिया गया विस्तृत बयाना निजाई, जो नहीं भी देय था, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता।[3]

जसवन्त सिंह बनाम *राज्य*[4] में यह माना गया कि बयान निजाई का साक्ष्य, जहाँ मृतक का बयान विवेचनाधिकारी ने दोगवाहान व ड्यूटी के डाक्टर के सामने अस्पताल में लिखा, और उसमें किसी संदेह के निराकरण की आवश्यकता नहीं थी; अपराध सिद्ध मानने के लिए पर्याप्त है, स्त्री ने मरते समय बयान दिया कि उसके पति ने उसे जलाया है पर उसे मारा न जाय, इस बयान से यह नहीं प्रकट होता है कि वह अभियुक्त को बचा रही है और *बीसवानी नरायन पवार* बनाम *राज्य*[5] में इस बयान पर भरोसा किया गया,

जब सतर्क परिनिरीक्षा के बाद न्यायालय ने बयान निजाई को सही पाया तो *कूसा* बनाम *राज्य*[6] में इस अधिकतम विश्वसनीय साक्ष्य माना, और जिसके लिये अन्य समर्थन की आवश्यकता नहीं समझी, बयान निजाई में प्रामाणिक तथ्य पाये जाने पर उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती।[7]

116. उन सभी मामलों में, जिनमें यह संभावना हो कि किसी भी प्रक्रम में संदिग्ध व्यक्ति की साक्षियों के द्वारा अभिज्ञान (शिनाख्त) के लिये परेड अपेक्षित होगी, जो प्रारम्भ से अन्वेषण अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए पग उठाना चाहिये कि अभिज्ञान की कार्यवाही होने के पहले

---

1. बालक राम *बनाम* राज्य, ए०आई०आर० 1974 सु०को० 2165.
2. 1976 क्रि०ला०ज० 1718 सु०को०.
3. सूरत सिंह *बनाम* राज्य, 1977 क्रि०ला०ज० 347 सु०को०.
4. ए०आई०आर० 1979 सु०को० (1) 190.
5. राज्य ए०आई०आर० 1980 सु०को० 1270 : 1980 क्रि०ला०ज० 1009 सु०को०.
6. 1980 क्रि०ला०ज० 408 सु०को०.
7. राज्य *बनाम* कृष्णमूर्ति लक्ष्मीपति, 1981 क्रि०ला०ज० सु०को०.

संदिग्ध व्यक्ति को साक्षियों द्वारा देख लिए जाने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता । ऐसी कार्यवाहियाँ, जब संभव हो सकें, तब तक स्थगित रखी जानी चाहिये जब तक कि वे जेल में गवर्नमेन्ट आर्डर और इन विनियमों के पैरा 31 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन हो सकें, जिनके सम्यक् अनुपालन के लिए जहाँ तक पुलिस का सम्बन्ध है, लोक अभियोजक तब उत्तरदायी रहेगा, जब अभिज्ञान की कार्यवाही जेल में, संदिग्ध व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी के योग साक्ष्य के अभाव या अन्य किसी कारण से न हो सके, तो जहाँ तक लागू हो सके ऊपर निर्देशित अनुदेशों का अन्वेषण अधिकारी द्वारा अनुसरण किया जावेगा। ऐसे मामलों में कार्यवाही मजिस्ट्रेट के सामने की जानी चाहिये जैसे कि वह जेल में की जाने की स्थिति में होती या यदि मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो, सम्मानीय और निष्पक्ष व्यक्तियों के सामने की जानी चाहिये, जिनसे अपना यह समाधान करने को कहा जावे कि कार्यवाही साक्षियों और अभियुक्त दोनों के लिए न्यायिक हो। महत्व के किसी मामले में, जब अभिज्ञान की जेल में न हुई कार्यवाही के लिए कोई मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो, राजपत्रित पुलिस अधिकारी को हाजिर रखने की व्यवस्था की जानी है।

टिप्पणी

यह भार सबूत पक्ष पर है कि साबित करे कि गवाहान जिन्होंने घटना के समय अभियुक्त को देखा पहचाना था, उन्हें न पहले से जानते थे ये पहचान कार्यवाही व घटना के बीच उन्हें पुनः देखा था, विवेचनकर्ता को भी चाहिये कि ऐसे अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय उसे भी पहचान कार्यवाही के प्रति बता दें व उसका मुँह ढक दें, थाने के मार्ग पर थाने पर व न्यायालय व जेल तक उसे बीच में कोई न देखे-पहचाने इसकी व्यवस्था मातहतों द्वारा कराये, यही सावधानी उस समय भी बरतनी है जब-जब ऐसा अभियुक्त जेल से, स्वीकारोक्ति आदि बयान के लिए बाहर लाया जाय, यह सभी सावधानी एतदर्थ आवश्यक है कि बाद पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।[1]

एक हत्या के मामले में उपनिरीक्षक ने, बिना मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही कराये, अपने तुष्टि हेतु कार्यवाही पहचान कराया जिसे न्यायालय ने मेठी पेंटइयां आदि के मामले (1960 क्रि०ला०ज० 1402) गम्भीर त्रुटि मानी और कहा कि विधि की तुष्टि हेतु न कि विवेचन की तुष्टि हेतु, कार्यवाही होनी चाहिये थी।

पुलिस के समक्ष की गई पहचान कार्यवाही, चाहे वह अभियुक्त की हो चाहे बरामदा सामान की धारा 162 जा०फौ० से बाधित मानी गई है जो साक्ष्य में स्वीकार नहीं होगी,[2] इसलिये कार्यवाही पहचान अभियुक्त के जमानत पर जाने के पूर्व ही पूरा कराया जाना चाहिये तथा इस कारण पर जमानत का विरोध करना चाहिये (1960 क्रि०ला०ज० 358) हालांकि नये जा०फौ० में केवल इस कारण ही अभियुक्त को जेल में रखने का औचित्य नहीं माना गया है।

कार्यवाही पहचान की मन्शा गवाहान के साक्ष्य के प्रति मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करने का है, इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि बिना इस कार्यवाही के गवाहान के बयान का कोई मूल्य नहीं फिर भी इसका यह भाव नहीं कि इस कार्यवाही के आवश्यकता की अवहेलना की जाय।[3]

जब तक कोई विशेष परिस्थिति स्थापित न हो। कार्यवाही पहचान में करीब, वर्ष या इससे अधिक का विलम्ब इसके मूल्य की समाप्त कर देता है जैसा कि *शीतला* बनाम *राज्य*[4] में पाया गया,

---

1. राज्य *बनाम* गुमनाम बाबू सिंह, 157 क्रि०ला०ज० 870.
2. राम किशुन *बनाम* राज्य, 1955 सु०कौ० 518 : 1960 क्रि०ला०ज० 358.
3. 1962 क्रि०ला०ज० 82.
4. 1972 ए०क्रि०टि० 526.

इससे विधि का यह नियम नहीं हो जाता कि अधिक बिलम्ब हो जाने के कारण गवाहान जिन्होंने घटनास्थल पर अभियुक्त को देखा, पहचाना था अब किसी परिस्थिति में नहीं पहचान सकते और *दिल्ली प्रशासन* बनाम *बाल किशन*[1] में यह भी घोषित हुआ कि उक्त सिद्धांत न रहने के अभियुक्त के लिये बड़ा बचाव हो जायेगा कि एक निश्चित अवधि के बाद वह इस विश्वास के साथ उपस्थित होकर कहे कि अब वह दोषी नहीं कहा जा सकेगा, *कानून* बनाम *राज्य*[2] से ये माना गया है कि कार्यवाही पहचान इसलिये आवश्यक है कि गवाह का संप्रेक्षण बिना उसकी शहादत व्यर्थ न चली जाय, *अन्तर सिंह* बनाम *राज्य*[3] में यह निर्णय हुआ कि जब कुछेक अभियुक्त की कार्यवाही पहचान तो समय से हुई पर कुछेक की 1 वर्ष बाद और बस विलम्ब के लिये कोई कारण नहीं दिया गया तो वह अमान्य है।

117. महत्वूर्ण मामलों में संदिग्ध व्यक्तियों से या चोरी गई संदिग्ध पुन: प्राप्त सम्पति की वस्तुओं को, उसी प्रकार की वस्तुओं में मिलाना और तब परिवादियों को अभिज्ञान के लिए दिखाये जाने के अभ्यास का अनुसरण, बहुधा लाभकारी होता है। ऐसे मामलों में उन्हीं सतर्कताओं का पालन किया जाना चाहिये जो अभियुक्तों की अभिज्ञान की कार्यवाही के लिये पालन किये जाने को निर्धारित की गई है। वह व्यक्ति जिसके समक्ष अभिज्ञान हुआ हो, संहेह के ऊपर होना चादिये और यह सिद्ध करना भी आवश्यक होगा कि संदिग्ध वस्तु और उसके साथ मिलाई गई वस्तुएँ, समय से पहले साक्षियों द्वारा देखी नहीं जा सकती थी।

118. जब वह स्थापित कर दिया जावे कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य कर दिया है जो किसी स्वस्थ चित्त के व्यक्ति द्वारा क़िए जाने की दशा में संज्ञेय अपराध होता हो तो यह अवधारित करना पुलिस का कर्तव्य नहीं है कि उन्मत्तता के आधार पर बचाव का मामला खड़ा किया जा सकता है। यह प्रश्न न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा। अभियुक्त की विवेचना के लिये भेजा जायें और उसकी मानसिक दशा डायरी में लिखी जावें।

119. जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति अभिलिखित को जाना हो, मजिस्ट्रेट को कहा जाना चाहिये कि वह उसको करने वाले व्यक्ति से, मामले के बारे में विस्तार जानने के लिए अधिक से अधिक प्रश्न पूछें, जिससे उसकी सत्यता सत्यापित हो सके। जब तक कि महत्वपूर्ण विशिष्टियों में उसकी सत्यता के बारे में स्वतन्त्र समर्थक साक्ष्य प्राप्त न हो जावें, वह न्यायालय अत्यन्त अल्प महत्व की होगी। एक सत्य संस्वीकृति का प्रारम्भिक उपयोग अन्वेषण के लिये आगे की पंक्तियों का अवधारण करना है।

120. पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति को संस्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट के सिवाय, युक्तियुक्त समय में पहुँचे जा सकने वाले उच्चतम मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कराई जानी चाहिये। केवल प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और इस सम्बन्ध में स्थानीय सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट ही संस्वीकृतियाँ अभिलिखित करने के लिए सक्षम है। डकैतों के महत्वपूर्ण मामलों और अन्य संगीन मामलों में जब सम्भव हो सके, संस्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट, या ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट को वरीयता देते हुये किसी स्थायी मजिस्ट्रेट द्वारा जिले के उस भाग पर ध्यान दिये बिना जहाँ मामला घटित हुआ हो, अभिलिखित कराई जावे।

---

1. ए०आई०आर० 1972 सु०को० 3 : 1972 क्रि०ला०ज० 1.
2. ए०आई०आर० 1979 सु०को० 1127.
3. ए०आई०आर० 1979 सु०को० 1188.

टिप्पणी

साहू बनाम *राज्य*[1] में यह माना गया है कि अभियुक्त की संस्वीकृति में उन सभी तथ्यों को होना चाहिये जिससे अपराध की स्वीकारोक्ति हो और अपराध के पूरे लक्षण आवें। मगर यदि अभियुक्त पुलिस की हिरासत के दौरान संस्वीकृति देता है तो केवल उतना ही भाग धारा 27 साक्ष्य विधान में मान्य होगा जितने से किसी तथ्य/पदार्थ की प्राप्ति का आधार बना हो।[2] *हिमाचल प्रदेश प्रशासन* बनाम *ओम प्रकाश*[3] ने यह स्पष्ट किया है कि प्राप्ति अभियुक्त कथन के आधार पर ही होना चाहिये व वह सूचना पुलिस के जानकारी में पहले से न रही हो। मल्लादि रामैया के बाद[4] में बताया गया है कि इसके लिये (1) व्यक्ति का अभियुक्त होना व (2) पुलिस की हिरासत में होना जरूरी है, पर यह आवश्यक नहीं कि वह उसी बाद में अभियुक्त हो।

121. पुलिस अभिरक्षा का रिमाण्ड न तो मांगा जावे या दिया जावे जब तक कि आवेदन करने वाला अधिकारी निश्चित और पर्याप्त कारण, आधार बताने में समर्थ न हो। एक सामान्य अभिकथन कि अभियुक्त आगे और सूचना देने में समर्थ हो सकता है, स्वीकार नहीं किया जायेगा। पुलिस अभिरक्षा के रिमान्ड के लिये आवेदन पुलिस अधीक्षक या सब डिवीजन के भारसाधक किसी राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से किया जावे और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के द्वारा अपेक्षित पद के मजिस्ट्रेट को ही सम्बन्धित किया जावे। संदिग्ध व्यक्तियों को जमींदारों या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को उन्हें संस्वीकृतियाँ देने को प्रेरित करने के लिए नहीं सौंपना चाहिये।

122. (1) जितने शीघ्र संभव हो सके अन्वेषणपूर्ण कर लिया जावे और जब पूर्ण हो जावे तो अन्वेषक अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161–171 तथा 173 का पालन करना चाहिये। धारा 173 के द्वारा विहित रिपोर्ट उस धारा के अधीन थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक की सूचना के अधीन जार्चशीट के प्रारूप (पुलिस प्रारूप क्र० 339) में, यदि मामला विचारण के लिये भेजा जावे और (पुलिस प्रारूप क्र० 340) में अन्तिम रिपोर्ट के प्रारूप में यदि मामला विचारक के लिए न भेजा जाना हो, भेजी जावेगी। मामलों में आरोप-पत्र चार्जशीट और अंतिम डायरी न्यायालय को मण्डल अधिकारी तथा लोक अभियोजक के माध्यम से भेजी जावेंगी और वह न्यायालय में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट किये जाने के दिन से सम्मन और वारन्ट मामलों में चार सप्ताहों और सेशन मामलों में आठ सप्ताहों के भीतर प्रस्तुत कर दी जावेंगी। किसी मण्डल अधिकारी या लोक अभियोजक को आरोप-पत्र को एक सप्ताह से अधिक अपने पास रोक कर नही रखना चाहिये और लोक अभियोजक को उसे न्यायालय में विहित काल-सीमा के भीतर कर देना चाहिये। अत्यन्त विशेष कारणों के सिवाय विहित काल-सीमा से अधिक बढ़ने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिये।

(2) यथासंभव शीघ्र और प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर किसी भी दशा में एक मास के पश्चात् नहीं, पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में और दो प्रतियों में भेजेगा। उन मामलों की एक त्रैमासिक सूची भेजेगा जिनमें 4/8 सप्ताहों की विहित काल-सीमा में आरोप-पत्र प्रस्तुत न किए जा सके हों। जिला मजिस्ट्रेट उसे रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक को अग्रेषित करेगा और दूसरी प्रति का अपनी टिप्पणियों सहित डिवीजन के आयुक्त को पृष्ठांकन करेगा। रेन्ज का पुलिस उप-महानिरीक्षक तत्पश्चात् विहित प्रारूप में विलंब हुये मामलों की एक विवरणी संकलित करेगा और

---

1. ए०आई०आर० 1966 सु०को० 40.
2. एडिगा अनम्मी *बनाम* राज्य, ए०आई०आर० 1974 सु०को० 799.
3. ए०आई०आर० 1972 सु०को० 975.
4. ए०आई०आर० 1956 आ०प्र० 56.

उसे पुलिस के महानिरीक्षक को भेज देगा जो अपनी टिप्पणियों के साथ सरकार के गृह विभाग (पुलिस-ए) को अग्रेषित कर देगा।

(3) सभी मामलों में अन्तिम रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजी जावे।

(4) अन्वेषण के परिणामस्वरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (1) (ख) के द्वारा परिवादी को, यदि कोई हो, थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा पुलिस प्रारूप क्र० 47 में, यथा स्थिति आरोप पत्र या अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय सूचना भेजी जावेगी।

123. किसी अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्ध की विशिष्टियाँ आरोप-पत्र के खाना 7 में प्रविष्ट की जावें। यदि अभियुक्त उसी जिले के अन्य पुलिस थाने में रहता हो, उस थाने के भारसाधक अधिकारी से उसकी पूर्व दोषसिद्धियों के विवरण भेजने या यदि समय कम हो तो सीधे लोक अभियोजक को भेज देने के लिए कहा जावे।

124. जब किसी संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध के परिवाद को, जिसका मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (क) के अधीन संज्ञान ले लिया हो उसके द्वारा धारा 202 के अधीन पुलिस को अन्वेषण के लिए भेजी जावे, पुलिस के अधीक्षक या सबडिवीजन के भारसाधक, किसी राजपत्रित अधिकारी को थाने में रिपोर्ट को अग्रेषित करने के पूर्व अपना यह समाधान कर लेना चाहिये कि धारा 200 और 200 के उपबन्धों का पूर्ण रूप से पालन कर लिया गया है। कोई ऐसा मामला, जिसमें मजिस्ट्रेट ने धारा 200 के अधीन परिवादी का शपथ पर कथन न ले लिया हो या धारा 202 के अधीन पुलिस से अन्वेषण कराने के कारणों को अभिलिखित न किया गया हो, पुलिस को अन्वेषण के लिए विधित: नहीं भेजा जा सकता। ऐसे सभी मामले और वे सभी मामले जिनमें अभिलिखित कारण प्रथम दृष्ट्या अवैध हो पुलिस अधीक्षक द्वारा, इससे पूर्व की आगे कोई कार्यवाही की जावे, जिला मजिस्ट्रेट के ध्यान में लाया जाना चाहिये। उन मामलों में, जिनमें पुलिस द्वारा अन्वेषण किये जाने की आज्ञा धारा 202 के अधीन किसी परिवाद के मामले में उचित रूप से दी गई हो, अन्वेषण उतनी तत्परता से किया जाना चाहिए जिसकी परिस्थितियाँ अनुज्ञा देती हों, किन्तु जहाँ तक ऐसे अन्वेषणों के समय को निर्धारित किए जाने का प्रश्न है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 147 (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अन्वेषणाधीन मामलों को उन मामलों की अपेक्षा वरीयता दी जावेगी, जो परिवाद और मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को भेजे जावें।

125. उन सभी मामलों में जिनमें किसी भारतीय के किसी ब्रिटिश सैनिक द्वारा मारे या आहत किये जाने का संदेह करने के कारण हों, स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा अन्वेषण किया जाना चाहिए। जब तक कि उस मामले में जस्टिस ऑफ दी पीस के पद पर कम से कम चार वर्ष स्थित अधिकारी द्वारा न्यायिक जाँच न कर ली गई हो (इन विनियमों के पैरा 357 से भी तुलना करें)।

126. किसी अन्वेषणकर्ता अधिकारी के काम का सांख्यकीय परीक्षा के आधार पर किया गया विश्लेषण आक्षेपजनक है और उससे बेईमानी को प्रोत्साहन मिलता है। पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि वह सभी पंक्तियों के अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर यह छाप अंकित करे कि उनकी दक्षता का निर्णय सांख्यकीय परीक्षा के आधार पर नहीं, अपितु उस रीति के आधार पर किया जावेगा जिसमें वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।

127. सरकार द्वारा डाक विभाग को निम्न अनुदेश दिये गये हैं। (देखिये 18 मार्च, 1891 का पुलिस गजट) "पुलिस के समक्ष अभिलेखों का प्रस्तुत किया जाना।"

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अन्वेषण कर रहे पुलिस अधिकारी के लिखित आदेश पर डाक विभाग के अभिलेख प्रस्तुत किये जा सकेंगे तथा उपलब्ध सूचना प्रकट की जा सकेगी, किन्तु अभिलेखों की केवल वे ही प्रविष्टियां प्रकट की जावें जो अन्वेषण के अधीन अभियुक्त या अभियुक्त

से सम्बन्धित हों या अपराध से संगत हो। किसी अन्य मामले में पोस्ट मास्टर को बिना किसी विलम्ब के पोस्ट मास्टर जनरल को आदेशों के लिये निर्देशित करना चाहिये, जो यह निर्णय करेगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872 का पहला) की धारा 124 के अधीन चाही गई जानकारी रोक ली जावे या नहीं।

टिप्पणी

जब पुलिस अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारी डाकघर अभिलेखों में उपलब्ध न हो, पुलिस अधिकारी को तद्नुसार सूचना दी जानी चाहिये, इस बात पर ध्यान दिये बिना कि उपलब्ध सूचना पूर्ववर्ती नियम के अनुसार दी जा सकती थी या नहीं।

128. किसी ऐसे क्षेत्रफल में जहाँ मालगाड़ियों से वस्तुओं की चोरी की घटनाएँ व्यापक रूप से हो रही हों, सरकारी रेलवे पुलिस का अधीक्षक सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक को सूचित करे और तब सम्मिलित उपाय किये जावेंगे।

टिप्पणी

(1) कथनों पर साक्षियों के हस्ताक्षर न लिया जाना— धारा 162 दण्ड प्रक्रिया संहिता इस बात का निषेध करती है कि जब साक्षियों के कथन धारा 161 की उपधारा (3) के अधीन लेखबद्ध किये जावें तो उन पर हस्ताक्षर न लिए जायें।[1]

परन्तु यदि साक्षियों के हस्ताक्षर उनके कथनों पर करा लिये जावें तो वे कथन महत्वहीन नहीं हो जावेंगे, यद्यपि उनका उपयोग करने में सतर्कता की मात्रा अधिक बढ़ जायेगी।[2] न्यायालय अभियुक्त की कथनों की प्रतियां देने से इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि उन कथनों पर साक्षियों के हस्ताक्षर हैं।[3]

(2) अन्य थाने की सीमा में तलाशी— यदि यह शंका हो कि वारन्ट प्राप्त करने में होने वाले विलम्ब से साक्ष्य छिपा ली जावेगी या नष्ट कर दी जावेगी तो एक थाने का पुलिस अधिकारी दूसरे थाने की अधिकारिता में बिना उस थाने के भारसाधक के अधिकारी से वारन्ट प्राप्त किये तलाशी ले सकता है।[4]

(3) कारणों का अभिलिखित किया जाना— जब धारा 165 या 166 के अधीन किसी अधिकारी द्वारा बिना वारन्ट के तलाशी ली जावे तो उसे ऐसा करने के पूर्व अपने विश्वास के कारणों को अभिलिखित करना आवश्यक होगा। यदि आधार न लिखे जायें तो तलाशी अवैध होगी।[5]

जहाँ कारणों को लिखित किये बिना धारा 165 के अधीन तलाशी ली गई तो पटना[6] और लाहौर[7] उच्च न्यायालय ने उसे असद्भावपूर्ण माना।

---

1. आल इ०रि० 1961 केरल 99 : आल इ०रि० 1955 त्रावनकोर 9 : आल इ०रि० 1954 त्रावनकोर 282 : आल इ०रि० 1936 लाहौर 34.
2. आल इ०रि० 1955 पेप्सू 81 : आल इ०रि० 1947 प्रीवि कौंसिल 75.
3. आल इ०रि० 1950 कलकत्ता 165.
4. गोपी *बनाम* उत्तर प्रदेश राज्य, 1971 क्रि०ला०ज० (ब०नो०) 26 : 1970 म०प्र०ला०ज० (नोट) 75 : 1970 म०प्र०वी०रि० 910.
5. राजस्थान राज्य *बनाम* रहमान, आल०इ०रि० 1669 सु०को० 210.
6. आल इ०रि० 1944 पटना 228 : आल इ०रि० 1944 पटना 222 : आल इ०रि० 1937 पटना 501 : आल इ०रि० 1932 पटना 66.
7. आल इ०रि० 1941 लाहौर 456 : आल इ०रि० 1939 लाहौर 280.

(4) तलाशी कौन ले सकता है—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1903 की धारा 165 यह उपबन्ध करती है कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या मामले का अन्वेषणकर्ता अधिकारी भी तलाशी ले सकता है। यदि ऐसा अधिकारी किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी से तलाशी लिवाने का इच्छुक हो तो उसे चाहिए कि वह कारण सहित एक लिखित आदेश अपने अधीनस्थ के नाम जारी करे जिसमें उस स्थान का विवरण दे, जिसकी तलाशी ली जाना है तथा उस वस्तु का उल्लेख हो जिसकी तलाश किया जाना हो।[1] इस प्रकार तलाशी के लिए अधिकृत किये गये व्यक्ति को उसी, केवल उसी स्थान की तलाशी लेने तथा उसी वस्तु की तलाश करने का अधिकार प्राप्त होगा जिसका उल्लेख लिखित आदेश में किया गया है।[2] जब सहायक उप निरीक्षक थाने का भारसाधक अधिकारी हो और उसी ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखी हो तो वह उस अपराध का अन्वेषण करने को सशक्त होने से इस धारा के अधीन कार्यवाही कर सकता है।[3]

कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी की तलाशी लेने का मौखिक आदेश या प्राधिकार नहीं दे सकता। यदि मौखिक रूप से आदेश लेकर कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करे तो वह अनाधिकार रूप से प्रवेश करने का दोषी और उससे उत्पन्न होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।[4] बिना लिखित आदेश के तलाशी लेने वाले व्यक्ति को ऐसा करने से रोका जा सकता है और यदि जन समूह जो ऐसी अवैध तलाशी को रोक दे तो वह दंगे अथवा लोक सेवक को कर्तव्य पालन में बाधा डालने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।[5]

तलाशी स्वयं लेने का अर्थ या नहीं है कि अधिकारी स्वयं सन्दूकें खोले, फर्श उखाड़ने आदि इतना ही अभिप्रेत है कि सम्पूर्ण कार्यवाही उसके सामान्य पर्यवेक्षण में हो। (13 क्रिमिनल ला जनरल 763)। एक प्रकरण से जहाँ दो मकानों की तलाशी एक साथ ली जानी थी तथा एक को तो थाने के भारसाधक अधिकारी ने ली और दूसरे की मुख्य आरक्षक से कराई गई, तो यह अवधारित किया गया कि न्याय दान में विफलता न होने से इस दूसरी तलाशी को इतना नियमित नहीं माना जा सकता कि उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के माध्यम से हस्तक्षेप करे।[6]

(5) साक्षियों का स्वतन्त्र और प्रतिष्ठित व्यक्ति होना—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 की उपधारा (4) के अनुसार तलाशी में हाजिर रखे जाने वाले दो या अधिक साक्षी जो बुलाये जावें, स्वतन्त्र और प्रतिष्ठित होना चाहिए। साक्षियों के स्वतन्त्र होने से तात्पर्य यह है कि वे पुलिस के प्रभाव से मुक्त हों। पुलिस के द्वारा अनेकों छापों में यदि वे ही साक्षी हाजिर होते रहे हों तो उन्हें स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता।[7] ऐसे साक्षियों के समक्ष ली गई तलाशी संदिग्ध होगी जो स्वयं दाण्डिक मामलों में फँसे हों, पुलिस थाने के पास रहते हों और अभियुक्त से विरोधी राजनीतिक दल के सदस्य हों।[8]

---

1. आल इ०रि० 1960 सु०को० 210.
2. आल इ०रि० 1944 पटना 228.
3. 1971 बिहार ला०ज०रि० 493.
4. आल इ०रि० 1935 नागपुर 237.
5. आल इ०रि० 1944 पटना 228 : आल इ०रि० 1914 सिन्ध 1088.
6. आल इ०रि० 1932 अवध 249 (2).
7. हजारा सिंह *बनाम* पंजाब राज्य (1901) सु०को० केसेज 529.
8. कौरसेन *बनाम* पंजाब राज्य आल इ०रि० 1974 सु०को० 329 : 1974 क्रि०ला०ज० 358.

यदि पुलिस के अतिरिक्त अन्य साक्षी न हों और न यह सिद्ध किया गया हो कि स्वतन्त्र साक्षी उपलब्ध नहीं थे तो अभिग्रहण को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।[1] भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के निरीक्षक को चाहिये के वह छापे के समय तलाशी के लिए स्वतन्त्र साक्षियों की साक्ष्य प्राप्त करने का गम्भीरता से यत्न करे। एक मामले में जहाँ लोक सेवक द्वारा ली जाने वाली रिश्वत को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था, परन्तु छापे और धन के अभिग्रहण के साक्षी हित रखने वाले थे, उनकी साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना गया।[2] जहाँ पुलिस द्वारा ऐसे प्रतिष्ठत साक्षी प्राप्त करने की चेष्टा ही न की गई हो।

(6) अभिज्ञान कब कराया जावे— अभिज्ञान व्यक्ति की दशा में उसकी गिरफ्तारी और पशु या वस्तु की दशा में उसकी पुन: प्राप्ति के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र कराया जाना चाहिये। अभिज्ञान में विलम्ब न हो, इसके दो कारण हैं :—

प्रथम जो यह कि घटना के पश्चात् अभिज्ञान जितने शीघ्र होगा साक्षियों की स्मृति उतनी ही ताजी होगी और उन्हें सही पहचान करने में सरलता होगी।

दूसरे, यह कि विलम्ब से यह शंका उत्पन्न हो जाती है कि गिरफ्तार व्यक्ति या पुनर्प्राप्त वस्तुओं की साक्षियों को दिखा दिया गया है या साक्षियों को ऐसा अवसर मिल गया है कि वे उन्हें देख सकें।

यह उल्लेखनीय है कि विचारण में यदि शंका परिस्थितियों से प्रकट हो जावे तो अभिज्ञान की समस्त कार्यवाही ही अविश्वसनीय और व्यर्थ हो जावेगी।

जहाँ घटना के दो मास पश्चात् अभिज्ञान प्रदर्शन की कार्यवाही कराई गई थी, उसे सन्तोषजनक नहीं माना गया।[3]

यह वांछनीय है कि गिरफ्तारी के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र और जमानत पर उन्मोचित किये जाने के पूर्व आवश्यक रूप से अभिज्ञान की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जावे।[4]

(7) व्यक्तियों का अभिज्ञान— व्यक्तियों के अभिज्ञान का प्रश्न तब ही उठता है, जब कि साक्षी उससे अपरिचित हों, यदि साक्षी अभियुक्त को पहले से जानता हो, तो अभिज्ञान की कार्यवाही निरर्थक होगी। सफल अभिज्ञान के लिये यह आवश्यक है कि पहचाने गये व्यक्ति के शरीर पर कोई विशिष्ट लक्षण हो जिससे उसकी पहचान सम्भव हो सके तथा दूसरी ओर साक्षी को इस बात का समुचित अवसर मिला हो कि वह अभियुक्त को ठीक प्रकार से देख सका हो। ऐसे व्यक्ति का अभिज्ञान अविश्सनीय माना गया जिसे घटना के 15 मास पश्चात् पहनवाया गया था और साक्षी के लिये अनजान था। साक्षी ने चाँदनी रात में भागते हुये उसकी केवल एक झलक देखी थी।[5]

आवाज से की गई अभियुक्त की पहचान को एक विश्वसनीय साक्ष्य माना गया।[6]

ऐसे विशिष्ट चिह्नों को जिनके बारे में शब्दों में अभियुक्त की जा सकती हो, काजग को पंक्तियों से छिपा देना चाहिये जिससे पुलिस द्वारा सिखाये गये साक्षी उन्हें अपने द्वारा पहचान का आधार न बना

---

1. 1975 : क्रि०ला०ज० (सु०को०) 502.
2. रघुवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, आल इ०रि० 1976 सु०को० 91.
3. देवी *बनाम* स्टेट, आल इ०रि० 1953 राजस्थान 49 : 1953 क्रि०ला०ज० 447.
4. हजारा सिंह *बनाम* स्टेट, आल इ०रि० 1951 कलकत्ता 337 : 1952 क्रि०ला०ज० 492.
5. री *बनाम* कामराज, 1960 क्रि०ला०ज० 360.
6. री *बनाम* साईवन्ना, आल इ०रि० 1966, मैसूर 248 : 1966 क्रि०ला०ज० 1155.

सकें, परन्तु फीके या सामान्य रूप से पाये जाने वाले चिह्नों को कागज की पर्चियों से छिपाने की आवश्यकता नहीं है।[1]

न इतने कम चिह्न छिपाये जावें जिससे अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और न इतने अधिक चिह्नों को छिपाने का प्रयास किया जावे जिससे ईमानदार साक्षी भ्रमित हो जावे।[2]

(8) प्रमाणित होने वाले मामले में अन्तिम रिपोर्ट— ऐसी स्थिति भी होती है जब अन्वेषण के पश्चात् कोई मामला प्रमाणित न हो और उसे समाप्त किया जाना ही न्यायानुकूल और इष्टकर हो। ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी द्वारा तद्नुसार अन्तिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाती है। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट यह आज्ञा तो दे सकता है कि मामले में आगे और अन्वेषण किया जाये किन्तु वह यह आदेश नहीं दे सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र (चालान) प्रस्तुत किया जावे।[3]

एक मत यह भी है कि मजिस्ट्रेट आगे अन्वेषण करने का आदेश नहीं दे सकता।[4] यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से सहमत न हो तो वह स्वयं संज्ञान लेकर विचारण के लिये अग्रसर हो सकता है।[5]

अन्वेषक यदि संकलित साक्ष्य से सन्तुष्ट न हो तो पुलिस अभियोजक मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को समन करने का आदेश देने के लिये निवेदन नहीं कर सकता है, जब तक कि अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध न हो।[6]

चालान के साथ यदि अभिलेखों की प्रक्रिया संलग्न करने में चूक हो जावे तो यह मात्र अनियमितता होगी जिसका सुधार किया जा सकता है।[7]

अन्वेषण पूर्ण न किया गया हो तो उसके पूर्व प्रस्तुत रिपोर्ट को 173 (2) के लिये पुलिस रिपोर्ट नहीं माना जा सकता है। [(1975) 2 आ०प्र०ला०ज० 28]

किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठित होने से यह प्रयोजन नहीं है कि वह धनी, समाज में मानो या सम्पत्तियुक्त हो, जो व्यक्ति निंदनीय आचरण का अपराधी न हो प्रतिष्ठित माना जायेगा, कोई व्यक्ति इस कारण अप्रतिष्ठित नहीं हो जायेगा, कि उसने पहले पुलिस को साक्ष्य दी हो।[8]

छोटी जाति के व्यक्ति भी प्रतिष्ठित होंगे यदि उस पर मकान का अधिभोगी विश्वास कर सके।[9]

तलाशी के लिये जो साक्षी बुलाये जावें वे सरकार या शासकीय अधिकारियों से सम्बन्धित नहीं होना चाहिये।[10]

---

1. धानी *बनाम* स्टेट, 1960, इ०ला०ज० 301.
2. अशरफ *बनाम* स्टेट, आल इ०रि० 1961 इलाहाबार 158.
3. आल इ०रि० 1956 आसाम 127 : आल इ०रि० 1960 म०प्र० 12 : (1972) 2 राजधानी ला०रि० (देहली).
4. आल इ०रि० 1954 कच्छ 26.
5. 1974 क्रि०ला०ज० 213 : (1971) 12 गुज०ला०रि० 481.
6. आल इ०रि० 1971 उड़ीसा 9.
7. आल इ०रि० 1965 हि०प्र० 68.
8. आल इ०रि० 1933 इला० 707.
9. आल इ०रि० 1955 एन०यू०सी० 2174 (राजस्थान).
10. 4 क्रिमिनल ला०ज० 390.

अध्याय 12

पंचायतनामा, शव परीक्षा और घायल व्यक्तियों का उपचार

129. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 40 के अधीन किसी गाँव के चौकीदार से उसके गाँव या उसके निकट किसी अचानक या अप्राकृतिक मृत्यु या संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन किसी मृत्यु की या गाँव में या उसके निकट ऐसी परिस्थितियों में, जो इस बात की युक्तियुक्त संदिग्धता प्रकट करे कि ऐसी मृत्यु कर कारित हुई है, किसी शव या शव के किसी भाग का पता चलने पर थाने में उसकी सूचना करने की अपेक्षा की जाती है।

जब ऐसी रिपोर्ट की जावे, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन अन्वेषण करने के लिये सशक्त पुलिस अधिकारी को इस धारा में उपदर्शित कार्यवाही तत्काल करना चाहिये।

संक्षिप्त टिप्पणी

दण्ड प्रक्रिया संहिता 174 में निम्नवत् प्रावधान है :—

174-आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना—(1)— जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गये किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इत्तिला मिले कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की ली है अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीवजन्तु द्वारा या किसी यन्त्र द्वारा दुर्घटना द्वारा मारा गया है, अथवा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिनसे यह उचित रूप से सन्देह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने के लिये सशक्त निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसकी प्रज्ञापना तुरन्त देगा और जब तक राज्य सरकार द्वारा विहित किसी नियम द्वारा या जिला या उप खंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न हो वह उस स्थान की जायेगा जहाँ ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर हो और वहाँ पड़ोस को दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा और ऐसे घावों, अस्थिभंगों, नीलों और क्षति के अन्य चिह्नों के, जो शरीर पर पाये जायें, वर्णन सहित और इस कथन सहित कि किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण द्वारा (यदि कोई हो) ऐसे चिह्न किये गये प्रतीत होते हैं, मृत्यु के दृश्यमान कारण को रिपोर्ट तैयार करेगा।

(2) उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा, या उनमें से इतनों द्वारा जो उससे सहमत हों, हस्ताक्षर किए जायेंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट को तत्काल भेज दी जाएगी।

(3) जब—

(1) मामले में किसी स्त्री द्वारा उसके विवाह के दिनांक से सात वर्ष के भीतर आत्महत्या अन्तर्गस्त है, या

(2) मामला किसी स्त्री की उसके विवाह से सात वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से सम्बन्धित है, जो युक्तियुक्त सन्देह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने किसी स्त्री के सम्बन्ध में कोई अपराध किया है, या

(3) मामला किसी स्त्री की उसके विवाह से सात वर्ष के भीतर मृत्यु से सम्बन्धित है और उस स्त्री के किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है, या

(4) मृत्यु के कारण के बारे में कोई सन्देह है, या

(5) किसी अन्य कारण पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है, तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किये जायें, वह यदि मौसम ऐसा हो और दूरी इतनी हो कि रास्ते में ऐसी सड़न की जोखिम के बिना, जिससे ऐसी परीक्षा व्यर्थ हो जाये, उसे भिजवाया जा सके, जो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से, निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य सहित चिकित्सक के पास भेजेगा।

(4) निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है, अर्थात कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

इस धारा के अधीन पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या इस निमित्त विशेषतया नियुक्त किये गये किसी पुलिस अधिकारी पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह आत्महत्याओं अथवा अन्य अप्राकृतिक संदेहात्मक मृत्युओं का अन्वेषण कर उसकी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को अविलम्ब प्रेषित करें।

जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेज देने के उपरान्त पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसके निर्देशों का पालन करेगा।

इस विशिष्ट प्रयोजन हेतु यदि राज्य सरकार द्वारा कोई नियम विहित किया गया होगा तो ये उसके अनुसार कार्य करेगा नहीं तो वे उस स्थान का निरीक्षण करेगा जहाँ पर मृतक का शव था।

और वह व्यक्तिगत जांच के दौरान उस स्थान पर जहां शव था वहां दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु से सम्बन्धित कारणों का अन्वेषण करेगा और इस अन्वेषण की रिपोर्ट बनाकर मृतक व्यक्ति के शव से सम्बन्धित सभी दशाओं का उल्लेख किया जायेगा।

जहां अभियुक्त के शव परीक्षण की रिपोर्ट अभियुक्त के पक्ष में है और मृत्यु समीक्षा की रिपोर्ट भ्रांतिमूलक है तो उस दशा में अभियुक्त को संदेह का लाभ अवश्य दिया जायेगा और शव के परीक्षण की रिपोर्ट को ही स्वीकार किया जायेगा, मृत्यु समीक्षा की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया जायेगा।[1]

शव की शिनाख्त के सम्बन्ध में अथवा शव पर शिनाख्त के कोई चिह्न पाये जाने से सम्बन्धित दशाओं का उल्लेख मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में किया जाना अनिवार्य नहीं है।[2]

मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बिना विलम्ब किये शीघ्र तैयार की जायेगी।[3]

मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की प्राथमिकता नगण्य है, किन्तु ऐसी रिपोर्ट समर्थन हेतु न्यायालय में प्रयुक्त की जा सकती है।[4]

मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट उस पुलिस अधिकारी द्वारा बनायी जायेगी जो मामले का अन्वेषण करेगा किन्तु प्रत्येक गवाहों की बयान एवं उनका हस्ताक्षर कराना उपयोगी न होगा।

इस धारा के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी पर एक अनिवार्य कर्त्तव्य अधिरोपित किया गया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी इस कर्त्तव्य के निर्वहन में चूक करता है तो उसे धारा 201 के अन्तर्गत दंडित किया जा सकता है।

---

1. मौलाबक्स *बनाम* राजस्थान राज्य, (1983) सु०को० केसेज 379.
2. नि०प० 3975 हिमाचल प्रदेश 99.
3. 1979 क्रि०ला०ज० 161.
4. ए०आई०आर० 1957 सु०को० 667.

130. *[विलुप्त]*

131. समस्त उपनिरीक्षक और ऐसे प्रधान कान्सटेबिल, और पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेषतया चयन किये जावें, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन जाँच करने के लिये स्थानीय सरकार द्वारा सशक्त किए गये हैं।

132. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन, अन्वेषक पुलिस द्वारा यदि संभव हो, शरीर को छुये जाने या हटाये जाने से पूर्व ही किया जाना चाहिये। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रारूप क्र० 211 में होना चाहिये। उन मामलों में जिनमें यह संदेह न हो कि मृत्यु दुर्घटना या आत्महत्या के कारण हुई थी और जिनमें जाँच एक दिन में समाप्त हो गई हो, इस प्रारूप का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और धारा 172 के अधीन विहित केस डायरी दोनों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।

टिप्पणी

पंचायतनामा का मंतव्य यह है कि मृत्यु का जाहिरा कारण निश्चित हो सके, यह कि मृत्यु किन्हीं संदिग्ध परिस्थिति में या अस्वाभाविक ढंग से हुई है। किसने मारा, कैसे मारा या किस परिस्थिति में मारा इस पर पंचायतनामा न सुसंगत (Relevent) है न विधि में आवश्यक है, जैसा पेड्डा नरायनजन बनाम राज्य[1] में 1975 में निर्णीत है। *शकीला खादर* बनाम *नौशीर कोमा*[2] के अनुसार इसमें न तो गवाहान के बयान सम्मिलित करने की आवश्यकता है न चक्षुदर्शी गवाहान का नाम ही *राजिक राम* बनाम *जसवंत सिंह*[3] दिया है कि यदि गवाहान के बयान इसमें आये तो धारा 162 जा०फौ० द्वारा वह बाधित होगा। विवेचक द्वारा इसमें मृतक के बदन पर आई चोटों का विवरण देना चाहिये अन्यथा बयान आदि दे देने पर केवल परिभ्रांति ही पैदा होगी, जैसा *नरपाल सिंह* बनाम *राज्य*[4] में आया है। ए०आई०आर० 1971 सु०को० 2256 में घोषित है कि पंचायतनामे के आधार पर गवाहान का खंडन नहीं किया जा सकता।

133. *[विलुप्त]*

134. जब मृत्यु किसी संज्ञेय अपराध के करने के कारण होना प्रतीत हो या संदेहित हो या जब किसी अन्य कारण से अन्वेषणकर्ता अधिकारी ऐसा करना इष्टकर समझे,वह शव को मृत्यु उपरांत परीक्षण के लिये भेजेगा, यदि मौसम की स्थिति और अन्तर बिना सड़क पर ऐसी सड़न का जोखिम उठाये जो परीक्षण को अनुपयोगी बना दे, उसके अग्रेषित करने की अनुज्ञा देते हैं।

135. सभी अशनाख्त शवों के उंगली चिह्न तलाशी चिट प्रारूपों में लिये जाना और फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो की खोज के लिये भेज देना चाहिये; वैसे ही जहाँ मृत्यु किसी संज्ञेय अपराध करने के कारण होना प्रतीत हो या संदेहित हो और जहाँ सम्भाव्यता हो कि उंगली चिह्न तत्पश्चात् अपराध के स्थल पर पर पाये जाने पर, अन्वेषण में सारवान हो सकते हों, अशनाख्त (न पहचाने गये) शव के उंगली चिह्न तलाशी चिट पर लिये जाना चाहिये, ताकि उनकी अपराध स्थल पर पाये जाने वाले चिह्नों से इसके पूर्व कि उनका उपयोग अपराधी की तलाश में समय नष्ट हो, तुलना की जा सके।

---

1. 4 सु०को० केसेज 153.
2. 4 सु०को०के० 122 सन् 1975.
3. 1975 सु०को०के० 769.
4. 1977 क्रि०ला०ज० 642 सु०को०.

साधारणतया किसी शव को उँगलियों से चिह्न लेना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन कभी-कभी उँगलियों की खाल इतनी संकुचित और झुर्रियाँयुक्त हो जाती हैं कि आशय निकलने योग्य छापे प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। ऐसे मामले में मृत्यु उपरान्त परीक्षण कर रहे चिकित्सा अधिकारी से उँगलियों पर से खाल उतार लेने को कहना चाहिये। प्रत्येक टुकड़े को अलग मोहर बंद लिफाफे में उसके ऊपर उसमें होने वाली उँगली के चिह्न को अंकित करते हुये, स्थित करना चाहिये। वे लिफाफे जब फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो को अभिमत के लिये भेज दिये जावें।

शव के उँगलियों की छापे सदैव उपनिरीक्षक की पंक्ति से कम न होने वाले अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन ली जानी चाहिए और पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी तलाशी चिट अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करेगा कि चिह्न सही रूप से उसकी उपस्थिति में लिये हैं। पर्ववेक्षणकर्त्ता अधिकारी, सड़न की सभी पूर्व स्थितियों में या अन्यथा शरीर की दशाएँ, तलाशी चिट के अभियुक्तियों के खाने में अंकित करेगा।

135-ए. जब कोई शव पुलिस द्वारा प्राप्त किया जावे जिस पर न तो कोई दावा करता हो और न जिसे पहचाना जा सके, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उसके पता लगने का अधिक से अधिक व्यापक प्रचार इस दृष्टिकोण से कि शव को पहचान लिया जावे और मृतक के सम्बन्धियों, मित्रों, परिचितों का पता लगाने के लिये, जिनको शव के संस्कार के लिये सौंपा जा सके, करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा प्रचार ढोल बजाकर किया जावेगा और नगरीय क्षेत्रों में पुलिस स्थानीय प्रेस, यदि कोई हो तो प्रसारण केन्द्र और स्वयंसेवी संगठनों यथा सेवा समिति, की सहायता भी ले सकती है।

जाँच कर रहा कोई पुलिस अधिकारी, जहाँ तक सम्भव हो, उस धर्म का सही रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा जिसका अनुयायी मृतक हो ताकि शव का निपटारा (संस्कार), यदि अन्ततः वह आवश्यक हो, उस धर्म की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार किया जा सके, जिसका मृतक अनुयायी रहा हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित अधिकारी, अन्य जाँच करने के अतिरिक्त, शव को यह देखने की सावधानीपूर्वक परीक्षा करेगा कि क्या उस पर ऐसे कोई विशिष्ट लक्षण हैं जो उसकी पहचान की स्थापित करने में सहायक सिद्ध हों और जनरल डायरी तथा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में इस आशय की प्रविष्टि करेगा।

यदि सम्यक् प्रचार के बाद भी शव पर किसी का दावा न किया जावे, जिले का पुलिस अधीक्षक उसे मेडिकल कालेज को उसी के व्यय से किये जाने वाले शरीर रचना की परीक्षा और चीर-फाड़ के प्रयोजन के लिये सौंप देगा। ऐसे महाविद्यालय का भारसाधक अधिकारी पुलिस अधीक्षक को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि परीक्षण और चीर-फाड़ के पश्चात् शव का संस्कार उस धर्म की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार कर दिया गया है, जिसका अनुयायी मृतक था।

136. अन्वेषणकर्ता अधिकारी द्वारा मृत शरीर या आहत व्यक्तियों की परीक्षा करने में चिकित्सा अधिकारी की सहायता करने के लिये निम्न पग उठाये जावेंगे—

(1) विष देने के संदिग्ध मामले में :—

(क) निम्नलिखित पदार्थ और वस्तुएँ इकट्ठी की जावें और पैरा 139 में यथाविहित रीति से उनसे व्यवहार किया जावे :—

(1) कोई ऐसा खाद्य या पेय जिसे व्यक्ति ने लिया हो, जिसे विष दिया जाना माना जा रहा हो।

(2) उल्टी किया हुआ कोई पदार्थ जो शरीर पर या बिस्तर में पाय जावे, जिसे चिथड़े की सहायता से सावधानी से पोंछ कर इकट्ठा किया जावे।

(3) कोई ऐसा कपड़ा, बिछावन, लकड़ी या कीचड़ या अन्य पदार्थ जिसमें की गई वस्तु सोख ली गई हो।

(4) किसी बर्तन में उल्टी किया गया पदार्थ अन्तर्विष्ट वस्तु इसे सावधानीपूर्वक बोतल में रख लिया जावे।

(5) शव दाह हो जाने की दशा में, चिता को भस्म ।

(ख) निम्नलिखित आठ बिन्दुओं पर यथासम्भव शीघ्र जानकारी निकाली जावे और उसे क्रमबद्ध रूप से डायरी में प्रविष्ट किया जावे :—

(1) वह अन्तर जिसमें उस व्यक्ति को जिसे विष दिया जाना माना जा रहा हो, कोई वस्तु खाई या पी या कोई औषधि ली तथा विष दान के लक्षण पहली बार प्रकट हुए।

(2) उन समयों के बीच का अन्तर जब उस व्यक्ति द्वारा कोई वस्तु अन्तिम बार खाई या औषधि पाई गई जब उसकी मृत्यु घटित हुई (यदि मृत्यु हो गई हो तो)।

(3) क्या वह व्यक्ति उस स्थान से चला था, जहाँ प्रथम बार लक्षण प्रकट हुये थे, यदि हाँ, तो वह कितनी दूर गया?

(4) विषदान के प्रारम्भिक लक्षण क्या थे?

(5) क्या उल्टी या दस्त हुये थे?

(6) क्या व्यक्ति सो गया था उनींदा हो गया था?

(7) क्या वहाँ उल्टी हुई थी?

(8) ध्यान में आये अन्य कोई लक्षण।

जब पदार्थ विश्लेषण के लिये भेजे जावें तो रासायनिक परीक्षक के मार्ग दर्शन के लिये निम्न प्रारूप में मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण, मनुष्य को दिये गये विष के संदेहित मामलों में, दिये जावें :—

(1) रोगी का नाम, लिंग और आयु।

(2) अंतिम बार लिये गये भोजन की प्रकृति ।

(3) इस भोजन के कितने समय के पश्चात् विषदान के लक्षण प्रारम्भ हुए?

(4) क्या वह व्यक्ति उस स्थान से, जहाँ वह अस्वस्थ हुआ, चलकर गया? यदि हाँ, तो कितनी दूर?

(5) क्या रोगी ने दर्द या बेचैनी की कोई शिकायत की थी?

(6) क्या उसे दस्त लगे थे?

(7) क्या उसे उल्टी हुई थी?

(8) क्या रोगी बेसुध हो गया था? यदि हाँ, तो लक्षण प्रकट होने के कितनी देर बाद ऐसा हुआ?

(9) क्या रोगी का सिर चकरा रहा था तो यह मुरझाया हुआ था?

(10) क्या मांसपेशियों में ऐंठन या चटक हुई थी?

(11) क्या रोगी ने खाल या गले में सनसनी होने की शिकायत की थी?

(12) क्या रोगी होश हवास में या मूर्खतापूर्ण रूप से बातें कर रहा था?

(13) क्या रोगी ने भूमि या बिस्तर पर से कोई वस्तु उठाई?

(14) क्या कोई उपचार अपनाया गया? यदि, हाँ तो उसका स्वरूप क्या था?

(15) क्या मृत्यु घटित हुई, यदि हाँ तो अस्वस्थता प्रारम्भ होने के कितने देर बाद?

(16) कौन सा विष उपयोग किया गया माना जाता है?

उपरोक्त बिन्दुओं पर सूचना जिला मजिस्ट्रेट को, पश्चात्वर्ती अधिकारी द्वारा पदार्थ की रासायनिक विश्लेषक के पास भेजने के पूर्व, दी जावे।

टिप्पणी

जहाँ कहीं संभव हो, जब किसी चिकित्सा अधिकारी ने मामले को देखा हो, उसकी रिपोर्ट भी जोड़ दी जावे जिसमें उपयोग किये गये विष के स्वरूप में उसके अभिमत का समावेश हो। मित्रों और पड़ोसियों द्वारा दी गई जानकारी भी अंकित की जावे।

(दो) फाँसी लगाने या गला घोटने के मामले में—

(1) यदि सम्भव हो, उसके पूर्व कि शरीर को काटा या हटाया जावे, गला घोंटने के साधनों को तथा चेहरे, विशेषकर होंठों और आँख के पपोटों का नीलापन, आँखो का बाहर निकलना, जीभ की स्थिति क्या वह बढ़ी हुई है या बाहर की ओर निकली हुई है या ओठों के बीच दबी हुई है, मुँह या नाक से निकल जाने वाला कोई द्रव पदार्थ और उसके बहने की दिशा पर ध्यान दिया जावे।

(2) जब शरीर काट दिया जावे या गला घोंटने का साधन हटाया जावे, गर्दन की दशा को ध्यान से देखा जावे, क्या गला घोंटने की रेखा के साथ-साथ छिल जाने के चिह्न हैं और चिह्न की दिशा गोलाई में है या तिरछी और अंगूठे की स्थिति क्या वह हथेली के पर तक है।

(3) गला घोंटने या फाँसी लगाने के काम में लाये गये उपकरणों को यदि सम्भव हो तो प्राप्त किया जावे और पैरा 142 द्वारा विहित अनुदेशों के अनुसार उनसे व्यवहार किया जावे।

(तीन) जब कोई शरीर तालाब या कुएँ में पाया जावे तो निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये :—

(1) कुएँ के मुँह के चारों ओर या तालाब के या उनके किनारों पर पाये जाने वाले रक्त के चिह्न।

(2) जब शरीर हटाया जावे तो शरीर पर विशेषकर सिर और गर्दन पर पाये जाने वाले बाहरी चोटों के चिन्ह।

(3) क्या त्वचा चिकनी या खुरदुरी है।

हाथों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जावे और यदि उनमें कोई चीज पकड़ कर रखी हुई हो तो उसे सावधानीपूर्वक निकाला जावे।

(चार) हत्या किये गये व्यक्ति का शव पाये जाने के मामले में :—

(1) किसी चोट की संख्या, प्रकृति रूप ध्यान से अंकित किया जावे।

(2) यदि कोई आयुध पाया जावे तो उसे कागज में लपेट कर मोहरयुक्त किया जावे। उस पर पाये जाने वाले रक्त और चिपके हुये बालों को ध्यान से देखा जावे और उन्हें सुरक्षित कर लिया जावे।

(3) किसी नवजात शिशु के आरक्षित छोड़ दिये जाने के मामले में, डोरी नाल को स्थिति विशेषकर यह कि वह बंधी हुई है और बल प्रयोग के चिह्न ध्यान से देखें जावें।

(पाँच) प्रकल्पित हत्या, शव और अवशेषों के गाड़ दिये जाने या दाह-संस्कार कर दिये जाने की दशा में—

(1) बल प्रयोग के कोई चिह्न विशेषकर खोपड़ी पर तलाश और अंकित किये जावें।

(2) लिंग के कोई लक्षण ध्यान से देखे जावें और कम से कम जबड़े तथा श्रोणि (पेल्विश) की हड्डियाँ लाई जावें।

(3) यदि विष दिये जाने का कोई संदेह हो, उस स्थान की, जहाँ पेट पाया गया हो, मिट्टी उठा लेना और पैरा 142 के अनुसार उससे व्यवहार करना चाहिये।

(4) यदि ऐसा कोई शरीर, जिसके बारे में बध किये जाने की धारणा हो, जला दिया जावे, राख में पाये जाने वाले हड्डियों को संचित किया जाकर पैरा 142 के द्वारा विहित रीति से उससे व्यवहार किया जावे।

(छः) उन मामलों में, जहाँ कपड़ों पर धब्बों के स्वरूप के बारे में कोई अभिमत अपेक्षित हो, कपड़ों का तह करने के पहले धब्बों को सुखा लिया जावे :—

कच्ची मिट्टी या कठोर फर्श आदि पर पाये जाने वाले संदेहित धब्बों को अन्तर्विष्ट करने वाले भाग को काट लिया जावे और इसके पूर्व कि उसका पैरा 142 में विहित रीति से निराकरण किया जावे, उसे ऊनी रुई (काटन वूल) में लपेट दिया जावे।

137. इन विनियमों के परिशिष्ट पाँच में गिनाये गये स्थानों के सिवाय वे सभी शव जिले के मुख्यालय को भेजे जावेंगे, जिनका परीक्षण अपेक्षित हो।

138. सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा जिले के मुख्यालय को परीक्षण के लिवे भेजे गये शरीर की दशा में, यह सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक पर निर्भर रहेगा कि वह यह निर्णय करे कि क्या मृत्यु उपरान्त परीक्षण वास्तव में आवश्यक है।

139. जब शव उपरान्त परीक्षण के लिये भेजा जावे, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएंगी :—

(1) शरीर की खोल के भीतर उसी अवस्था में लिटाया जावेगा जिसमें वह पाई गई थी। सड़न को विलम्बित करने की आशा से उस पर कोई पदार्थ न लगाया जावे।

(2) शरीर के साथ एक पुलिस कान्सटेबिल और चौकीदार रहेगा। यदि थाना चिकित्सा अधिकारी से 20 मील से अधिक के अन्तर पर हो, चौकीदार और कान्सटेबिल को एक या अधिक थानों पर मुक्त कर दिया जावे; किन्तु सहायताओं की संख्या जितनी कम सम्भव हो सके, उतनी लेना चाहिये।

(3) पुलिस प्रारूप क्र० 13 व 33 में कान्सटेबिल और चौकीदार के तथा मुक्त करने वाले कान्सटेबिल और चौकीदार के, यदि कोई हो, नाम सदैव ही प्रविष्ट किये जावेंगे।

(4) शरीर के साथ जा रहे कान्सटेबिल और थाने के स्थायी अग्रिम से, कुलियों आदि तथा अन्य आवश्यक व्ययों की पूर्ति के लिये पर्याप्त धनराशि और मुख्यालय पर उस धन की प्राप्ति के लिए प्रारूप क्र० 13 में एक चेक दिया जाना चाहिये, यदि शरीर वहाँ भेजा गया हो।

(5) भेजने वाले अधिकारी द्वारा कान्सटेबिल को अनुदेशित किया जावे कि वह सामान्य अपेक्षा के सहित शरीर को चिकित्सा अधिकारी को सौंप दे, वह तब तक शरीर के प्रभार में

रहेगा, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण पूर्ण न कर लिया जावे और किसी रिश्तेदार के न होने की दशा में मृतक के अवशेषों का निपटारा न हो जावे।

(6) अन्वेषक अधिकारी दो प्रतियों में शरीर की वर्णनात्मक नामावली अभिज्ञान (पहचान) के चोटों से निम्न विशिष्ट लक्षणों को अन्तर्विष्ट करते हुये, जो शरीर प्रकट हों, तैयार करेगा। वह इस नामावली की एक प्रति शरीर के साथ जाने वाले कान्सटेबिल को दे देगा और दूसरी प्रति मुख्यालय के भारसाधक अधिकारी को डाक द्वारा भेजेगा।

(7) इस विवरणात्मक नामावली के साथ ही शरीर के साथ प्रारूप क्रमांक 13 में एक विवरण भी भेजा जायेगा जिसे अधिकतम सतर्कता से तैयार करेगा। जहाँ से शरीर मुख्यालय को, या किसी अन्य स्थान को जहाँ अंग्रेजी पुलिस कार्यालय हो, प्रारूप 13 में अंग्रेजी में भी एक विवरण कार्यालय द्वारा प्रारूप 33 में मृत्यु उपरान्त परीक्षण किये जाने की अपेक्षा के साथ चिकित्सा अधिकारी को अग्रेषित किया जावेगा और अन्वेषक अधिकारी को शरीर की प्रकट स्थिति और मृत्यु के कारण पर, जहाँ तक अन्वेषक अधिकारी उसे सुनिश्चित करन में समर्थ हुआ हो, रिपोर्ट का सविस्तार अनुवाद भी भेजा जावेगा।

टिप्पणी

अधीक्षक सिविल सर्जन के मृत्यु-उपरान्त परीक्षा के लिए कहने को प्राधिकृत है।

(8) इससे पूर्व कि मृत्यु उपरान्त परीक्षा किया जावे पुलिस कान्सटेबिल और चौकीदार शरीर को चिकित्सा अधिकारी के समक्ष पहचानेंगे।

(9) जितने शीघ्र सम्भव हो सके, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में सिविल सर्जन की रिपोर्ट का अनुवाद कराया जावेगा और उसे पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेजा जावेगा।

140. जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण करने के लिये भेजे, उसे ऐसे परीक्षण के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या किया जाना विशेष कारणों से वांछनीय न हो, पुलिस अधीक्षकों को यथासम्भव चिकित्सा अधिकारी के पास अनावश्यक रूप से भेजे जाने वाले मामलों को रोकने के लिए पग उठाना पड़ेगा।

141. जब सिविल सर्जन को कोई वस्तु या पदार्थ परीक्षण के लिये भेजा जावे, लोक अभियोजक उससे सीधे पत्र व्यवहार करेगा।

142. (1) अपराध से सम्बद्ध वे सभी वस्तुयें और पदार्थ जो विचारण के लिए अपेक्षित हों अन्वेषक अधिकारी द्वारा लोक अभियोजक को बीजक के साथ भेजना चाहिये, जो पार्सल की प्राप्ति के बीजक पर हस्ताक्षर करेगा और अपने रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि करेगा। बीजक को उस कान्सटेबिल का नाम दर्शाना चाहिये जो मोहरबन्द लिफाफा (या गठरी) लाया हो। प्रदर्श करने वाली वस्तुओं के संलग्न लेबिल जिन्हें बाद में रक्त विश्लेषण के लिए भेजा जाना हो, प्रदर्श वस्तुओं के साथ आटे की लेई से चिपकाई जावे, गोंद से नहीं।

(2) यदि वस्तु का कोई चिकित्सकीय या रासायनिक परीक्षण अपेक्षित न हो, लोक अभियोजक को उसे अपने पास रखना चाहिये।

(3) यदि सिविल सर्जन या रासायनिक परीक्षक द्वारा परीक्षण करना आवश्यक हो, तो लोक अभियोजक सिविल सर्जन को, उससे परीक्षण करने का निवेदन करते हुये उसको अपने पत्र के साथ भेजेगा। सिविल सर्जन को मामले के पूरे विवरण से सूचित किया जावे, क्योंकि रासायनिक परीक्षक या सरकारी रक्त विशेषज्ञ को भेजे जाने वाली वस्तुओं के साथ पूरे चिकित्सकीय और वैधानिक वृत्तान्त भेजे जाना चाहिये। उसे यह भी सूचित किया जावे कि क्या रक्त समूह परीक्षा (ग्रुप-टेस्ट) अपेक्षित है।

लोक अभियोजक द्वारा उससे ऐसा करने को तब तक न कहा जावे, जब तक कि मामले के लिए वह वास्तव में अति आवश्यक न हो। लोक अभियोजक उसे अभिकर्ता (एजेन्सी) का नाम अंकित करेगा जिसके द्वारा पार्सल भेजी जावे और उसके लिए सिविल सर्जन को रसीद प्राप्त करेगा।

(4) पार्सल की प्राप्ति पर, सिविल सर्जन उसे खोलेगा और उसमें अन्तर्विष्ट वस्तुओं का निरीक्षण करेगा। यदि वह पाये कि उनका परीक्षण कर सकता है, ऐसा करेगा और जब तक कि उसमें संतापकारी वस्तुओं यथा पेट से निकले हुये पदार्थ, उल्टी या चिपचिपी वस्तुओं का समावेश न हो वह उन्हें अपनी परीक्षा रिपोर्ट के साथ लोक अभियोजक को लौटा देगा, जो रिपोर्ट और यदि लौटाई गई हो तो पार्सल में समाविष्ट वस्तुएँ न्यायालय द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा किए जाने पर प्रस्तुत करेगा। यदि अन्तर्विष्ट वस्तुओं की प्रकृति ऐसी हो कि रासायनिक विश्लेषण वांछनीय हो, सिविल सर्जन न्यायालय को इस आशय की सूचना देगा और जब तक न्यायालय से आदेश प्राप्त न हों, अन्तर्विष्ट वस्तुओं को नहीं लौटा देगा।

(5) न्यायालय से अन्तर्विष्ट वस्तुओं को रासायनिक परीक्षक को भेजे जाने की अपेक्षा करते हुये आदेश प्राप्त हो जाने पर सिविल सर्जन मेडिकल मैनुअल के पन्द्रहवें अध्ययन में निर्धारित रीति से अग्रसर होगा।

(6) यदि न्यायालय का यह विचार हो कि वह रासायनिक परीक्षक द्वारा परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है, सिविल सर्जन पार्सल को न्यायालय को निपटारे के लिए, न्यायालय से उसकी रसीद प्राप्त करते हुये, भेज देगा।

जब तक चिकित्सा विश्लेषण विचाराधीन रहे, संतापकारी वस्तुओं का अभिरक्षक सिविल सर्जन होगा। जब एक बार विश्लेषण हो जावें तथा रिपोर्ट और पदार्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये जावें, पुलिस को प्रदर्श वस्तुओं का प्रभार ले लेना चाहिये, जिन्हें मालखाने में रखा जावे।

143. यदि उनकी चोटें बहुत गम्भीर और खतरनाक हों तथा वे यात्रा सहन करने में समर्थ हों, आहत व्यक्तियों को मुख्यालय में या कुछ जिलों के परिशिष्ट 5 में दर्शाये गये स्थानों पर, अन्यथा जिन्हें, यदि कोई निकटतर हो मुफ्फसिल के औषधालय में ले जाया जावे। यदि आहत व्यक्ति को जिले के मुख्यालय पर या किसी ऐसे स्थान पर, जहाँ पुलिस का अंग्रेजी कार्यालय हो ले जाया जावे तो प्रारूप क्र० 34 वहाँ तैयार किया जावेगा अन्यथा थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रारूप 34-ए तैयार किया जावेगा।

बड़े कस्बे में पुलिस अधीक्षक वह मार्ग विहित करेगा, जिसका अनुसरण मुर्दाघर को शव ले जाने में किया जाना हो, जिले के सभी पुलिस थानों में इन आदेशों की एक प्रति रखी जावे।

143-ए. जब कोई चिकित्सकीय विधिक मामला किसी दूरस्थ औषधालय में लाया जावे, उस औषधालय के चिकित्सा अधिकारी का प्रारिम्भक सहायता उपलब्ध कराना चाहिये और यह निर्णय करना चाहिये कि क्या यह मामला सदर अस्पताल को अन्तरित किये जाने योग्य है या उस दूरस्थ औषधालय में अपेक्षित इलाज उपलब्ध है। पहली दशा में, चिकित्सा अधिकारी मार्ग रक्षी भारसाधक पुलिस अधिकारी को परिवहन के सबसे तेज उपलब्ध साधन के द्वारा सदर चिकित्सालय को ले जाने का परामर्श देगा और रोगी को वहाँ आवश्यक इलाज किया जावेगा।

144. (1) चिकित्सा अधिकारी तीन प्रतियों में चोटों की अथवा मृत्यु उपरान्त परीक्षा की रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट की मूल प्रति साधारण माध्यम से पुलिस अधीक्षक को अग्रेषित कर दी जावेगी, दूसरी प्रति आहत या मृतक के साथ आने वाले कान्सटेबिल को मोहरबन्द लिफाफे में दे दी जावेगी और तीसरी प्रति चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यालयीन प्रति के रूप में अपने पास रख ली जावेगी।

(2) यदि अन्वेषण वे मध्य, चोटों की या मरणोपरान्त परीक्षा की रिपोर्ट से सम्बन्धित किन्हीं बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त करना आवश्यक हो जावे, पुलिस अधीक्षक के उपनिरीक्षक से कम की पंक्ति के न होने वाले किसी अधिकारी को लिखित आवेदन-पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी के पास आने और ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकता है। चिकित्सा अधिकारी ऐसी सूचना देगा और ऐसे उत्तरों का अभिलेख रखेगा।

145. शव को ले जाने के लिये एक खोल और आहत व्यक्ति को ले जाने के लिये एक बन्द स्ट्रेचर प्रत्येक थाने में रेलवे के पुलिस थानों सहित, उपलब्ध कराया गया है। शवों के लिये काम में आने वाले खोलों का उपयोग आहत व्यक्तियों को ले जाने के लिये कभी नहीं किया जाना चाहिये।

ढका हुआ स्ट्रेचर सामान्य रीति से संलग्न दुली खम्भों से युक्त देशी चारपाई ही होता है, और खम्भों के ऊपर छाया के लिये कम्बल डाल दिया जाता है।

146. किसी व्यक्ति को चिकित्सा परीक्षण के लिये उसकी इच्छा के विरुद्ध पुलिस द्वारा न भेजा जा सकेगा। पुलिस के मामले में यदि कोई महिला पुलिस चिकित्सक द्वारा परीक्षण कराने से इन्कार करे तो स्थानीय डफरिन चिकित्सालय की भारसाधक महिला चिकित्सक के पास भेजा जावेगा, जो उसका व्यक्तिशः परीक्षण करेगी और यदि तथा जब ऐसा करने की अपेक्षा की जावे न्यायालय में साक्ष्य देगी। मेडिकल मैनुअल के पैरा 422 के प्रयोजन के लिये यह कार्य उसके नियमित कर्त्तव्यों का अंग होगा और महिला चिकित्सक को इस कार्य के लिये कोई शुल्क प्राप्त करने का हक नहीं होगा, तथापि वह मेडिकल मैनुअल के पैरा 741 के अनुसार स्वीकार्य यात्रा और विश्राम भत्ता, साक्ष्य देने के लिए जाते समय प्राप्त करने की अधिकारी होगी।

टिप्पणी

(1) मृत्यु समीक्षा का स्वरूप और प्रक्रिया

शव परीक्षा— पंचायतनामा के बाद शव को कान्सटेबिल द्वारा सक्षम चिकित्सा अधिकारी के पास भेजना चाहिए, हत्या के मामले में यह भी साबित करना है कि जिस शव का पंचायतनामा लिया गया था वही शव परीक्षा का समय भी देंगे जिससे न्यायालय को मृत्यु समय निर्धारण करने में सहूलियत हो।

मृतक को किस प्रकार और किन परिस्थितियों में चोटें पहुँचाई गईं, यह देखना इस धारा के अधीन मृत्यु समीक्षा की विषयवस्तु नहीं है।[1]

किसी मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा करने वाले पुलिस अधिकारी के लिये यह आवश्यक है कि वह उसे घटना स्थल पर ही करे।[2]

मृत्यु समीक्षा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे यथासम्भव शीघ्र तैयार करना चाहिये, क्योंकि उसे शव के साथ मरणोपरान्त परीक्षण के लिये भेजना पड़ता है।[3]

यह आवश्यक नहीं है कि दुर्घटना के समय हाजिर सभी साक्षियों के नाम, मृत्यु समीक्षा का उद्देश्य केवल मृत्यु के कारण का पता लगाना ही होता है।[4]

---

1. पुद्धानारायण *बनाम* आन्ध्र प्रदेश राज्य, 1975 कि०ला०ज० 1062 : आल इ०रि० 1975 सु०को० 1252; बसीत अली और अन्य *बनाम* म०प्र० राज्य, 1976 म०प्र०ला०ज० 149 : 1976 ज०ला०ज० 245.
2. कोदाली प्राणचन्द्र राव *बनाम* पब्लिक प्रासीक्यूटर आन्ध्र प्रदेश, आल इ०रि० 1975 सु०को० 1975.
3. 1973 क्रि०ला०ज० 42.
4. मि० शेखिला खोडर *बनाम* नौ शेर गामा 1975 क्रि०ला०रि० (सु०को०) 255 : 1975 सु०को० 1324.

धारा 174 के अधीन मृत्यु समीक्षा की दशा में दो या अधिक साक्षियों की सहमति और रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर का उपबन्ध है।[1]

(2) अधिग्रहण की गई वस्तुओं के बारे में कार्यवाही

अभिग्रहण की हुई वस्तु या सामग्री किसी गठरी या लिफाफे में मोहरबन्द की जानी चाहिये और बाहरी आवरण पर उन वस्तुओं की सूची अंकित होनी चाहिये जो उसके भीतर हों।[2]

अन्वेषण के मध्य साक्षियों के कथन यदि लिए जावें तो उन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिये क्योंकि यदि वे नष्ट कर दिये जाएँ या उनकी प्रतियाँ अभियुक्त को न दी जावें तो ऐसी साक्ष्य के प्रतिकूल धारणा की जावेगी।[3] मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त करना और उसका साक्षियों से किये गये प्रतिपरीक्षण में उपयोग करना अभियुक्त का अधिकार है।[4]

अध्याय 13

गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा

147. कोई व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1) के अधीन गिरफ्तार करने की सशक्त हो, पुलिस अधिनियम (1961 को पाँचवाँ) के अधीन नामांकित किसी सिपाही को ऐसी सूचना देकर जिससे यह औचित्य प्रकट हो जावे कि वह अधिकारी उस धारा के अधीन अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुये गिरफ्तार करने को सशक्त है, गिरफ्तार करवा सकता है। धारा 41 (1) के प्रयोजन के लिये, किसी तार के बारे में किसी व्यक्ति के संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित होने की विश्वसनीय सूचना होना समझा जा सकता है। थाने का भारसाधक अधिकारी या दण्ड प्रक्रिया संहिता के बारहवें अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा कोई अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे वह धारा 41 के अधीन गिरफ्तार करने को सशक्त अपने अधीन किसी अधिकारी को धारा 55 के अधीन लिखित आज्ञा देकर गिरफ्तार करवा सकता है। थाने का भारसाधक अधिकारी सदैव ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धारा 55 के अधीन आदेश जारी कर सकेगा जिसे वह धारा 41 के अधीन गिरफ्तार करने के लिये सशक्त हो।

147-ए. (1) लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों और उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य सभालन के नियमों के अनुसार लोकसभा और विधानसभा का कोई सदस्य जब कभी किसी आपराधिक आरोप या अपराध के लिए गिरफ्तार किया जावे या न्यायालय द्वारा कारावास से दन्डित किया जावे या किसी कार्यपालिका आदेश के अधीन निरुद्ध किया जावे, सौंपने वाले न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या कार्यपालक प्राधिकारी जैसी कि स्थिति हो, विहित प्रारूप में, उसकी गिरफ्तारी, निरोध या दोषसिद्ध के कारणों की जैसी कि स्थिति हो, सदस्य के निरोध या कारावास के स्थान की सूचना स्पीकर को देगा। यही नियम यह उपबन्ध करते हैं कि जब कोई सदस्य गिरफ्तार

---

1. आल इ०रि० 1954 त्रावणकोर 300.
2. ए०आई०आर० 1949 इलाहाबाद 291.
3. ए०आई०आर० 1954 मद्रास 229.
4. ए०आई०आर० 1935 कलकत्ता 861 : आई०एल०आर० (1956) 2 कलकत्ता 66.

किया जावे और दोषसिद्ध ठहराया जावे और अपील के लम्बित रहने तक जमानत पर मुक्त या अन्यथा उन्मोचित कर दिया जावे, ऐसी ही सदृश्य प्रक्रिया राज्य सभा या विधान परिषद के सदस्यों की दशा में अनुसरण किया जाना अपेक्षित है और यही प्रारूप आवश्यक फेरफार के साथ उपयोग किए जावेंगे।

(2) उस थाने के भारसाधक अधिकारी का जिसकी अधिकारिता के भीतर गिरफ्तारी की गई हो या ऐसे सदस्य की गिरफ्तारी करने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह गिरफ्तारी के बारे में विस्तृत विवरण और यदि सदस्य जमानत पर उन्मोचित कर दिया गया हो तो उसके बाबत विवरण भी तत्काल उस मजिस्ट्रेट न्यायाधीश या कार्यपालक प्राधिकारी जिसके आदेश के अधीन गिरफ्तारी की गई हो, सम्बन्धित सदन के स्पीकर या सभापति को अपेक्षित सूचना संसूचित करने के लिये सूचित करें।

टिप्पणी

यदि अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश या कार्यपालक प्राधिकारी जिसके आदेश के अधीन गिरफ्तारी की गई हो, उपलब्ध न हो तो पुलिस अधिकारी द्वारा निकटतम उपलब्ध मजिस्ट्रेट से व्यक्तिश: सम्पर्क किया जावेगा उन कारणों को लेखबद्ध रूप से जिनसे अधिकारित रखने वाले मजिस्ट्रेट या गिरफ्तारी का आदेश देने वाले न्यायाधीश या कार्यपालक प्राधिकारी से सम्पर्क न साधा जा सका हो, देते हुए आवश्यक सूचना आगे सम्भावित करने के लिये उसके पास प्रस्तुत कर देगा। इस प्रक्रिया का आश्रय केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही लिया जाना चाहिये।

(3) मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश या कार्यपालक प्राधिकारी के आदेश सिवाय गिरफ्तारी की दशा में उदाहरणार्थ कोई संज्ञेय अपराध के करते समय या प्रशान्ति के मार्ग का निवारण करने के लिए आदि, यदि थाने का भारसाधक अधिकारी या अन्य अधिकारी, किसी सदस्य की गिरफ्तारी की जावे, अधिकारिता रखने वाले थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा एक विशेष रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट इत्यादि को पुलिस विनिमय 101 में निर्धारित किये अनुसार भेजी जावे। पुलिस अधीक्षक को विशेष रिपोर्ट या अन्यथा रूप से सूचना प्राप्त हो जाने पर, सम्बन्धित सदन के पीठासीन को तत्काल तार द्वारा सूचना और डाक द्वारा विस्तृत जानकारी संसूचित करना चाहिये। संसूचना की प्रतियाँ जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जावे।

(4) जब पुलिस किसी सदस्य को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 79 के अधीन जारी किये गये वारन्ट की पालना में गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की जाने के तत्काल बाद उस प्राधिकारी के समक्ष जिसके सामने गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को उक्त संहिता की धारा 81 के निबन्धों के अधीन प्रस्तुत किया जावे, इस निवेदन के साथ कि वह सम्बन्धित सदन के पीठासीन अधिकारी को अग्रेषित कर दी जावे, आवश्यक सूचना रखना चाहिये।

(5) जब पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए किसी गिरफ्तार सदस्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल दिया जावे जो इस तथ्य की सूचना भी सम्बन्धित सदन के पीठासीन अधिकारी को उस जिले के, जहाँ से सदस्य को बदला गया हो, जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा दी जानी चाहिए। ऐसी सूचना उस दशा में भी पुलिस अधीक्षक द्वारा दी जानी चाहिये, जब कि पुलिस अभिरक्षा से रिमान्ड पर सौंपा गया कोई सदस्य अन्य स्थान के लिये बताया जावे। उसे तद्नुसार ही रिमान्ड जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देनी चाहिये।

(6) जब किसी सदस्य की गिरफ्तारी या निरोध की सूचना तार या रेडियो सन्देश द्वारा दी जावें, उपयुक्त प्रारूप में वर्णित सभी बिन्दुओं पर सूचनायें सार रूप से, किन्तु स्पष्टतया दी जावे।

(7) उपरोक्त उप पैरा (1) में वर्णित नियम यह भी उपबन्ध करते हैं कि स्पीकर कि बिना अनुमति प्राप्त किये सदन के अहाते के भीतर कोई सदस्य न तो गिरफ्तार किया जायेगा और न उस सिविल या आपराधिक कोई विधिक नामीला कराई जावेगी। ऐसी ही प्रक्रिया का राज्य सभा/विधान परिषद् के सदस्यों की दशा में अनुसरण किया जाना अपेक्षित है। ऐसी गिरफ्तारी के लिये निवेदन करते समय वारण्ट के साथ यह स्पष्ट करते हुये कि सदन के भीतर ही ऐसा क्यों वांछनीय है और विषय को उस दिन सत्र के स्थगित होने तक प्रतीक्षा क्यों नहीं की जा सकती, इसके लिये भली प्रकार युक्तियुक्त आधार बताते हुए एक लघु और संक्षिप्त कथन रखा जाना चाहिये ताकि स्पीकर/अध्यक्ष यह निर्णय करने में समर्थ हो सके कि वह सदन की चारदीवारी के भीतर गिरफ्तारी के लिये अनुज्ञा अनुदत्त करे या उसे विधारित करे।

टीप—उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों और स्पीकर के निर्देशों के अनुसार अभिव्यक्ति सदन का अहाता की परिभाषा इस प्रकार है—

विधान भवन में, प्रकोष्ठ, सभाकक्ष, दीर्घा और उन तक पहुँचने के प्रमुख मार्ग और स्पीकर या विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के कब्जे के अन्य सब आवास और ऐसे अन्य स्थान जिन्हें स्पीकर समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे "सदन के अहाते" से अभिप्रेत और उसमें सम्मिलित होंगे।

निर्देश

सदन के अहाते से स्पष्टतया सभा गृह, लॉबी, विधायिका सचिवालय के अधिवास के कक्ष, स्पीकर कक्ष, डिप्टी स्पीकर कक्ष, समिति कक्ष, पुस्तकालय, पार्टी कक्ष और उन तक पहुँचने के मार्ग अभिप्रेत होंगे।

अभिव्यक्ति "सदन का अहाता" उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के अध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार परिभाषित किया गया है—

विधान भवन में के प्रकोष्ठ, लॉबी, दीर्घा, अध्ययन कक्ष और विधायिका का पुस्तकालय और उन तक पहुँचने के मार्ग और अध्यक्ष या परिषद् सचिवालय के अधिकारियों के कब्जे के सभी आवास और ऐसे अन्य स्थान जिन्हें अध्यक्ष समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, सदन के अहाते में सम्मिलित होंगे।

(8) यह भी ध्यान देने योग्य है कि सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 135-क में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध के होते हुए भी संसद/राज्य विधान मण्डल के सदस्य को सिविल तामील की पालना में गिरफ्तार किये जाने से उन्मुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 (3), 194 (3) के निबन्धनों के लिये, सदन के अधिवेशन के 40 दिन पूर्व या पश्चात् तक विस्तृत होगी।

(9) न्यायिक या अभिरक्षा में रहने के सिवाय संसद सदस्य/राज्य विधान मण्डल के सदस्य द्वारा जो गिरफ्तारी या निरोध के अधीन हो, इस सदन के स्पीकर या अध्यक्ष को, जिसका वह सदस्य हो या किसी समिति के (विशेषाधिकार समिति को सम्मिलित करते हुये) या संसद/राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के अध्यक्ष को सम्बोधित सभा सूचनाएं पुलिस अधीक्षक द्वारा सरकार के गृह विभाग (पुलिस विभाग) को तुरन्त भेज दी जावेगी, ताकि वह उस सदन के जिससे वह सम्बन्धित हो, सदस्य के रूप में प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों से व्यवहार किया जा सके।

टिप्पणी

न्यायिक या जेल की अभिरक्षा में रहने वाले सदस्यों की ओर से ऐसी संसूचना के साथ न्यायालय या जेल प्राधिकारियों के द्वारा, जैसी स्थिति हो, व्यवहार किया जाना चाहिये।

148. कोई पुलिस अधिकारी ब्रिटिश इण्डिया में कहीं भी उस अधिकारी का पीछा कर सकता है, जिसे गिरफ्तार करने को वह सशक्त हो। जहाँ देशी राज्यों से संबंध हो, पालन की जाने वाली प्रक्रिया के लिए चौबीसवाँ अध्याय देखे।

149. जब कोई ऐसा रेल सेवक, जिसको कर्त्तव्य पर से हटाये जाने से रेलवे के कार्यकलाप असंगठित हो जावे, गिरफ्तार किया जाना हो, उसकी गिरफ्तारी को तब तक के लिए टाल देना चाहिये जब तक कि वह कर्त्तव्य मुक्त न हो जावे, किन्तु यदि उसे तत्काल अवरोध में रखा जाना परामर्श योग्य हो तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तथा रक्षा के अधीन उसे कर्त्तव्य करने दिया जा सकता है।

150. अधिनियम क्रमांक 5 सन् 1861 की धारा 34 के द्वारा पुलिस अधिकारियों को प्रदत्त गिरफ्तारी की शक्ति उस व्यक्ति के बारे में प्रयोग नहीं की जानी चाहिये, जिसका नाम और पता ज्ञात हो। ऐसे व्यक्ति से अपेक्षित किये जाने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए एक बन्धपत्र निष्पादित करने के लिये कहना चाहिए।

151. जब कोई अभियुक्त किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जा कर थाने में लाया जावे, तो उसे थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा पुन: गिरफ्तार किया जाना चाहिए या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के उपबन्धों के अनुसार उन्मुक्त कर देना चाहिए।

152. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 व 167 के द्वारा उस अवधि के सम्बन्ध में जिसमें बिना वारण्ट गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है, आरोपित निबन्धनों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जैसा सबसे अधिक सुविधाजनक हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 द्वारा अपेक्षित गिरफ्तारी की रिपोर्ट आरोप-पत्र या अंतिम रिपोर्ट या पृथक रिपोर्ट द्वारा की जानी चाहिये।

153. जब कोई व्यक्ति अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार किया जावे, अन्वेषणकर्ता अधिकारी, गिरफ्तारी के पश्चात् और अन्वेषण के प्रथम पग के रूप में उससे यह पूछेगा कि उसे पुलिस से दुर्व्यवहार की क्या कोई शिकायत है, और केस डायरी में प्रश्न और उत्तर दोनों को ही अभिलिखित करेगा। वह तथी और वही, बन्दी की सहमति के अध्याधीन बन्दी के शरीर को, यह देखने के लिए कि क्या उस पर दुर्व्यवहार किये जाने के कोई चिह्न हैं, परीक्षण करेगा और अपने अन्वेषण की डायरी में यह प्रमाणित करते हुए कि उससे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में कि बन्दी दुर्व्यवहार से पीड़ित हुआ है या नहीं और क्या उसके शरीर पर दुर्व्यवहार के चिह्न हैं, अपने परीक्षण का परिणाम अभिलिखित करेगा। यदि बन्दी अपने शरीर का परीक्षण किये जाने से इन्कार कर दे तो इन्कारी और उसके बताये गये कारणों की अभिलिखित किया जावेगा। यदि दुर्व्यवहार का कोई आरोप लगाया जावे या दुर्व्यवहार के चिह्न बन्दी के शरीर पर पाये जावे, अन्वेषणकर्ता अधिकारी उस अन्वेषण को जिसके अधीन बन्दी को गिरफ्तार किया गया है, स्थगित कर देगा ताकि वह बन्दी को उसकी शिकायत, शारीरिक परीक्षा के अभिलेख, अन्य कोई उपलब्ध साक्ष्य और यदि संभव हो तो बन्दी की शिकायत के द्वारा फंसाये गये पुलिस अधिकारी, के साथ उस मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे मामले की जाँच करने की अधिकारिता हो। जब-जब कभी ऐसी कार्यवाही की जावे, पुलिस अधीक्षक को तत्काल सूचना दी जावे।

यह प्रकिया तब अपनाई जावेगी जब कोई व्यक्ति अन्वेषण के दौरान के अतिरिक्त अन्यथा थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी किया गया हो। ऐसे मामलों में प्रश्न और उत्तर थाने की सामान्य डायरियों में अभिलिखित किये जावेंगे।

टीप—इस पैरा द्वारा अपेक्षित, जब बन्दी महिला हो, किसी दूसरी महिला द्वारा शिष्टता का कठोरता से पालन करते हुए किया जावेगा।

154. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 51 (1) के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की तलाशी जब ऐसे साक्षी उपलब्ध हों, पुलिस से असंबंधित दो साक्षियों के सामने ली जानी चाहिए। उस समस्त सम्पत्ति पर जो पुलिस द्वारा विनिग्रहीत की जावे, चिह्न डाले जावे, और एक सूची में प्रविष्ट की जावे। तलाशियाँ विचारपूर्वक और ऐसी गोपनीयता से जैसी हर मामले में संभव हो, ली जानी चाहिए। व्यक्ति को असम्यक रूप से अभिदर्शित किए जाने से बचना चाहिए।

155. गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को अनावश्यक कठिनाई या अपमान के अध्याधीन न किया जावे, गारद और मार्ग लक्षण के नियमों में अन्तर्विष्ट दोषसिद्ध और विचाराधीन बन्दियों को हथकडियाँ और बेड़ियाँ लगाने के अनुदेश जहाँ तक सम्भव हो सके, सभी गिरफ्तार बन्दियों को थाने के उनके रास्ते तक और बाहरी थानों से मुख्यालय तक ले जाने के लिये लागू होंगे।

मित्रों और विधिक सलाहकारों का परिदर्शन ऐसी पूर्वा विधानियों के अध्याधीन जो बन्दी को बचकर भाग निकलने या अन्यथा न्याय के आशयों को विफल करने से रोकने के लिए आवश्यक हो, अनुज्ञा दी जावेगी। यदि हथकडियाँ लगाई जाना हो तो ऐसी जोड़ी छाँटी जावे जो बन्दी की कलाई में फिट आ जावे और उसकी चाबी बन्दी के भारसाधक पुलिस अधिकारी की सीने की जेब से रहना चाहिए।

सड़क द्वारा यात्रा के लिये, यदि बन्दी या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति किसी भाड़े के वाहन में यात्रा करने की इच्छा करे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते कि वह अपना और मार्ग रक्षी का भाड़ा भुगताने को तैयार हो।

जब रेल से यात्रा कर रहे हो बन्दी या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति साधारणतया तृतीय श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करेंगे, किन्तु बन्दी या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पुलिस मार्ग रक्षक को सम्मिलित करते हुए उच्चतर श्रेणी का भाड़ा देने से तत्पर हो, तो उसे उसकी पसन्द की श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

156. जब कभी कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जावे, अन्वेषक अधिकारी या थाने का भारसाधक अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 और तैंतीसवें अध्याय के निर्देश में यह विचार करेगा कि क्या जमानत स्वीकार की जावे। जमानत तब तक अस्वीकार नहीं की जावेगी तब तक कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त कारण न हो कि अभियुक्त न अजमानतीय अपराध किया है और ऐसी परिस्थितियों में भी थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा जमानत मंजूर करना तब तक निषिद्ध (मना) नहीं है जब तक कि अपराध मृत्यु या आजीवन निर्वासन से दण्डनीय न हो। वह अन्वेषणकर्ता अधिकारी जो थाने का भारसाधक अधिकारी न हो, दण्ड संहिता की धारा 169 के अधीन रहने और जब अभियुक्त को अग्रेषित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य या युक्ति-युक्त कारण न होने के सिवाय, जमानत पर नहीं छोड़ सकता। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436 व 437 के अन्तर्गत आने वाले मामलों में उसे अभियुक्त को अपनी सिफारिश के साथ थाने के भारसाधक अधिकारी के पास भेज देना चाहिए। उन मामलों में जहाँ यह विश्वास करने के युक्तियुक्त कारण हो कि अभियुक्त अजमानतीय अपराध करने का दोषी है, थाने के भारसाधक अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के विशेष उपबन्धों के अधीन जमानत पर छोड़ने के पूर्व उसके पूर्व इतिहास पर यदि ज्ञात हो, और उसके भाग जाने की संभावनाओं पर विचार करके ही उसे उन्मोचित करना चाहिये।

157. थाने के भारसाधक अधिकारी उत्तरदायी हैं कि न्यायालयों को लाने ले जाने के मार्ग में या थाने की हवालात में निरुद्ध बन्दियों की उचित सुरक्षा रखी जाती है, उपलब्ध अनुदान से पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक थाने की हवालात को कम्बल, लोटे और सफाई के बर्तन प्रदान किये जाते हैं।

पुलिस ठेका अनुदान के बंदियों को मौसम की कठोरता से बचाने के लिए टाट पर्दे या अन्य साधन उपलब्ध कराये जावे।

158. पुलिस अधीक्षक हर थाना हवालात (पुरुष और स्त्री) के बारे में एक बार में एक साथ रखे जा सकने वाले बन्दियों की संख्या अवधारित करेगा, यह संख्या हवालात के बाहरी और किसी सहज गोचर भाग पर चिह्नित की जावेगी। गणना का आधार फर्श पर छत्तीस वर्ग फीट और हर व्यक्ति के लिये कुल 540 घन फीट स्थान होगा।

उसकी विनिर्दिष्ट क्षमता से अधिक क्षमता में बन्दियों को हवालात में न रखा जावे। जब किसी थाने में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या हवालात में रखे जा सकने वाली क्षमता से अधिक हो जावे, अधिक संख्या को या तो किसी पड़ोस की जेल में या यदि संभव हो तो पड़ोस के किसी सुरक्षित और उपयुक्त मकान में, जिसे यदि आवश्यक हो तो अस्थायी रूप से किराये पर लिया जा सकता है, निवास कराया जावे या यदि ऐसा कोई आवास उपलब्ध न हो तो उन्हें उस निकटतम हवालात में भेज दिया जावे जहाँ स्थान हो। प्रत्येक थाने के लिए पुलिस अधीक्षक यह निर्धारित करेगा कि हवालात में बन्द किये जा सकने वाले व्यक्तियों से अधिक को कहाँ निवास कराया जावे या भेज दिया जावे, साथ ही वह हवालात के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर बन्दियों की गारद के लिए आदेश पारित करेगा।

159. स्वस्थ बन्दियों को दैनिक भोजन और रोगी बन्दियों को भोजन के, जो यातायात के या मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन बन्दियों को जो शिविर में हों, मान में विस्तृत अनुदेश गारद और मार्ग रक्षक के नियमों में पाये जावेंगे।

160. गवर्नमेंट आर्डर की पुस्तिका के अनुसार विचाराधीन बन्दियों को इतने विलम्ब तक न्यायालय में रखा जावे, जिससे हवालात के समय के बाद जेल या हवालात में उनका प्रवेश कराने की आवश्यकता हो जावे। प्रत्येक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयत्न किया जावेगा कि इन निर्देशों का पालन सभी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाता है। विचाराधीन बन्दियों को जो हवालात के समय तक न आ सकते हों संबंधित मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के सिवाय, जेल में न भेजा जावे। यह अनावश्यक और अव्यवहारिक है कि वे परिस्थितियाँ विनिर्दिष्ट की जावें जिनमें ऐसा आदेश दिया जा सकता हो। हर मामले में विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या न्याय और सुरक्षा के हित में ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनसे बन्दी का पुलिस अभिरक्षा में रखा जाना वांछनीय न हो, ऐसी परिस्थितियों के विद्यमान या अन्यथा रहने के लिये, मजिस्ट्रेट को, जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए, सुविवेक का प्रयोग करना चाहिए। कारावासों के महानिरीक्षक ने सभी जेल अधीक्षकों की हवालात के समय के पश्चात् विचाराधीन व्यक्तियों को जेल में प्रवेश देने के लिये अनुदेश जारी कर दिये हैं, परन्तु यह कि आवश्यक वारन्ट जेल के फाटक पर प्रस्तुत कर दिया जावे। सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट को एक ऐसे मजिस्ट्रेट को नामांकित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं, जिसका कर्त्तव्य रिमान्ड के उन प्रारूपों पर हस्ताक्षर करना होगा जो हवालात के समय के बाद पहली बार आये हों। पुलिस अधीक्षक यह देखेगा कि उनके लोक अभियोजक आदेशों को समझते और उनके प्रवर्तन में सहायता पहुँचाते हैं।

161. थाने का भारसाधक अधिकारी यह देखने के लिए व्यक्तिशः उत्तरदायी होगा कि कोई पागल या पागल होने के लिये संदेहित कोई व्यक्ति एक ही कोठरी में अन्य लोगों के साथ कभी भी निरुद्ध न किये जावें।

162. नियम के तौर पर अवयस्क लड़कियों के, विशेषकर जिन्हें "भटकी हुई" कहा जाता है, पुलिस की अभिरक्षा में नहीं रखना चाहिए। उन पर मामलों में जहाँ महिलाओं के लिये स्थान सहित

किसी औषधालय या चिकित्सालय का अस्तित्व हो, ऐसी लड़कियों को चिकित्सालय प्राधिकारियों को भोजन किए हुए रोगी के रूप में सौंप दिया जावे।

संबंधित जिला बोर्ड की सहमति के सिवाय, वह अवधि जिससे ऐसी लड़कियाँ औषधालय में रखी जा सकती हों, पन्द्रह दिन से अधिक की न होगी।

163. जब गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में रखा जाना हो, किन्तु उसके स्वास्थ्य की अवस्था ऐसी हो कि वह स्वयं या अन्य को गम्भीर जोखिम पहुँचाया बिना हिलाया न जा सकता हो, तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी उसे अभिरक्षा में रखने के लिए यथोचित प्रबन्ध करेगा, जहाँ वह हो।

164. किशोर अपराधियों से पुलिस द्वारा व्यवहार किये जाने के नियम गारद और अनुरक्षण नियमों के अधीन पाये जायेंगे।

बरेली किशोर जेल से उन्मोचित किए गये किसी दोषसिद्ध किशोर का उसके घर तक पुलिस द्वारा मार्ग रक्षण नहीं किया जावेगा। इन विनियमों के पैरा 234 में दिए गये आदेशों के अनुसरण में खोली गई हिस्ट्रीशीट की दशा के सिवाय, पुलिस को किशोर अपराधियों के साथ उनके उन्मोचित किए जाने के पश्चात् कुछ नहीं करना है, अन्य जेलों से उन्मोचित किए गये दोषसिद्ध किशारों का उनके घर तक मार्ग रक्षण जेल मैन्युअल (1941 का पुनरावृत्त संस्करण) के पैरा 336 के अनुसरण में किया जावेगा।

टिप्पणी

(1) बिना वारन्ट गिरफ्तारी— गश्त पर पुलिस आर्म्स एक्ट की धारा 25 के अधीन अपराधी किसी व्यक्ति को पकड़ सकती है और उसके पास पाई जाने वाली बन्दूक या बारुद्ध आदि प्राप्त कर सकती है।[1]

धारा 41 के अनुबन्ध अध्याय 8 की कार्यवाही पर लागू नहीं होते।[2]

(2) अन्य पुलिस अधिकारी को अध्यपेक्षा पर गिरफ्तारी— धारा 41 (झ) इस स्थिति के सम्बन्ध में उपन्ध करती है जिसमें एक अधिकारी पुलिस के दूसरे अधिकारी से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने की अध्यपेशा तभी की जा सकती है, जबकि उसके करने वाला अधिकारी बिना वारन्ट के आरोपों को स्वयं गिरफ्तार कर सकने का अधिकारी हो।[3]

अध्युपेक्षा में गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति का पूरा विवरण और उस अपराध का दृष्टांत जिसके लिए गिरफ्तार किया जाना है उल्लिखित होना चाहिये।[4]

(3) प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया—प्राइवेट व्यक्ति किसी को तभी गिरफ्तार कर सकता है जबकि उसने कोई अपराध उसकी दृष्टि के सामने किया हो। केवल उसके अपराधी होने की राय या संदेह या सूचना पर्याप्त नहीं है, अतः जहाँ चाकू सहित भागते हुये एक व्यक्ति के पीछे पकड़ने के लिए चिल्लाती हुई भीड़ की आवाज सुनकर एक व्यक्ति ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो माना गया कि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उसने उसके सामने कोई अपराध नहीं किया था।[5]

---

1. 1972 इला०क्रि०रि० 314.
2. आल इ०रि० 1971 सु०को० 2486.
3. आल इ०रि० 1955 इला० 462 : 1962 क्रि०ला०ज० 1946.
4. आल इ०रि० 1950 मध्य भारत 83.
5. 1974 क्रि०ला०ज० 248 (खण्ड पीठ).

प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार तभी कर सकता है, जबकि अपराध संज्ञेय और अजमानतीय हो। धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन जो अमानतीय अपराध है, की गई गिरफ्तारी अप्राधिकृत मानी गई।[1]

(4) जब पुलिस अधिकारी वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है, तब प्रक्रिया—इस धारा का पालन न करते हुए धारा 51 के अधीन उस व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अधीन कार्यवाही चल रही हो, गिरफ्तारी विधि के प्रतिकूल न होगी।[2]

यदि कोई व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी की अपेक्षा की गई हो, जाने लगे और पकड़ लिया जावे तो गिरफ्तारी इसलिये अवैध नहीं हो जावेगी कि उसे आदेश के सार से सूचित नहीं किया गया था।[3]

(5) गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का चौबीस घण्टे से अधिक निरुद्ध न किया जाना— 24 घण्टे से अधिक पुलिस निरुद्ध नहीं रख सकती, यह अधिकतम सीमा है।[4]

मजिस्ट्रेट के सामने रिमान्ड के लिये निवेदन किया जावे जो उसे रिमान्ड ही देना होगा, वह अन्वेषण में न तो हस्तक्षेप कर सकता और न कार्यवाही को बन्द कर सकता है।[5]

अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर स्वयं मजिस्ट्रेट निवेदन पर थाने में आकर आदेश दे तो इसका यह अर्थ नहीं है कि अभियुक्त को उसके सामने पेश गिया गया।[6]

(6) जब चौबीस घण्टे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया—पुलिस को चाहिये के अभियुक्त को रिमान्ड के लिये मजिस्ट्रेट के पास भेजते समय वह मामले की डायरी भेजे, यदि डायरी न भेजी गई हो तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि डायरी लिखी ही नहीं गई है।[7]

यदि रिमान्ड के आवेदन के साथ डायरी न भेजी जावे और अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त बारे में कोई स्पष्टीकरण न दिया जावे तो यह अन्वेषण की सद्भावना पर संदेह करने का वैध आधार होगा।[8] बिना किसी युक्तियुक्त स्पष्टीकरण के मामले की डायरी को मजिस्ट्रेट के पास भेजने में 24 घण्टे से अधिक का किया गया विलम्ब अन्वेषण को संदिग्ध बनाता है।[9]

और इस स्थिति में मजिस्ट्रेट रिमांड स्वीकार करने के स्थान पर अभियुक्त का उन्मोचन भी कर सकता है।[10] यदि अभियुक्त को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में चौबीस घण्टे से अधिक रखा हो तो निरोध अवैध होते हुये भी आगे के लिये अभियुक्त को रिमांड पर निरुद्ध रखने की मजिस्ट्रेट की शक्ति को प्रभावित नहीं करता।[11] क्योंकि पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त को ले जाये

---

1. 1970 इला०क्रि०रि० 213.
2. 1972 इला०ला०ज० 762.
3. 1973 पना०ला०ज०रि० 432.
4. 40 कल०ला०टा० 922 : 1975 क्रि०ला०ज० 83.
5. 1971 क्रि०ला०ज० 440 (मैसूर).
6. 1974 इला०क्रि०रि० 193.
7. आल इ०रि० 1957 आन्ध्र प्रदेश 561.
8. 1972 (1) कटक वी०रि० 464.
9. 1972 (1) कटक वी०रि० 464.
10. आल इ०रि० 1964 मणिपुर 39.
11. आल इ०रि० 1951 मध्य भारत 70.

जाने के पूर्व के निरोध के लिये पुलिस अधिकारी दोषपूर्ण निरोध का अपराधी हो सकता है, परन्तु पश्चात्वर्ती निरोध के रिमांड का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिये जाने से वैध होगा।[1]

(7) पुलिस अभिरक्षा का रिमान्ड आदेश— जब अभियुक्त को पुलिस की अभिरक्षा में रखे जाने हेतु रिमान्ड स्वीकार किया जाये तो मजिस्ट्रेट को ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करना चाहिये। मजिस्ट्रेट का यह कार्य यन्त्र की भाँति नहीं, अपितु न्यायिक विवेक से प्रेरित होना चाहिये।[2] उसे डायरी देखनी चाहिए और यदि उसके अवलोकन से अभियुक्त का निरोध आवश्यक प्रतीत न होता हो, अथवा डायरी प्रस्तुत न की गयी हो तो मजिस्ट्रेट को चाहिये कि वह अभियुक्त को मुक्त कर दे।[3] रिमान्ड का आदेश तब दिया जा सकता है जबकि अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने लाया जावे, अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने लाये बिना केवल पुलिस के आवेदन पर स्वीकार किया गया रिमान्ड विधिपूर्ण नहीं होगा।[4] रिमान्ड तभी स्वीकार किया जाना चाहिये जबकि प्रथम तो केस डायरी के अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य विद्यमान होना प्रकट होता हो और दूसरे यह सम्भावना हो कि रिमान्ड पर सौंप दिये जाने से और अधिक साक्ष्य संकलित हो सकेगी।[5]

(8) जहाँ पुलिस को किसी अपराध के कारित किये जाने की सूचना मिल चुकी है तो ऐसी दशा में पुलिस व मजिस्ट्रेट को इत्तला देने की असमर्थता में किसी व्यक्ति को इस धारा के अन्तर्गत अभियोजित नहीं किया जा सकता है।

ग्रामीण मामलों में नियुक्त किये गये अधिकारियों का रिपोर्ट करने का कर्त्तव्य अभिनिर्धारित किया गया है। धारा 40 दो उपधाराओं में विभाजित है। प्रथम उपधारा उन मामलों से तात्पर्य है जिनमें रिपोर्ट का दिया जाना अनिवार्य है, जबकि दूसरी उपधारा के अन्तर्गत ग्राम के नियोजित हरेक अधिकारी के शब्दों की सरल व्याख्या की गयी है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 40 के अन्तर्गत यदि कोई अधिकारी समय पर सूचना न देकर सूचना देने में लोप करता है तो वह ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के अधीन अपराध कारित करता है इसके अतिरिक्त यदि ऐसा अधिकारी गलत या त्रुटिपूर्ण सूचना देता है तो वह ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के अधीन अपराध कारित करता है। इस प्रकार लोप की दशा में अधिकारी के विरुद्ध धारा 176 के अधीन कार्यवाही की जायेगी तथा असत्य सूचना की दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

अमुक धारा में उपबंधित प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट अपराध के घटित होने पर या ऐसे अपराध से संबंधित अपराधी की जानकारी होने पर बिना विलंब किये हुए शीघ्र ही सूचना नजदीकी मजिस्ट्रेट या भारसाधक पुलिस अधिकारी को संसूचित किये जाने से है जिससे बिना किसी विलंब के अपराधी को शीघ्रातिशीघ्र अभिरक्षा में किया जा सके तथा अबाध गति से बढ़ते हुए अपराधों पर सरलता से काबू पाया जा सके।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 में निम्नवत प्रावधान हैं :—

41. पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी—

---

1. आल इ०रि० 1953 सु०को० 287 आल इ०रि० 1961 बम्बई 42.
2. आल इ०रि० 1959 इलाहाबाद 384 : आल इ०रि० 1963 मणिपुर 12.
3. आल इ०रि० 1964 मणिपुर 39.
4. आल इ०रि० 1948 मद्रास 100.
5. आल इ०रि० 1956 उड़ीसा 129.

(1) कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा—

(क) जो किसी संज्ञेय अपराध से सम्बद्ध रह चुका हो या जिसके ऐसे सम्बद्ध रहने के बारे में उसके विरुद्ध उचित परिवाद किया जा चुका हो या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी हो या उचित संदेह वर्तमान हो, अथवा

(ख) जो अपने कब्जे में विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना, जिस प्रतिहेतु को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, गृह-भेदन का कोई उपकरण रखता हो, अथवा

(ग) जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका हो, अथवा

(घ) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाये जिसके चुराई हुई संपित्त होने का उचित रूप से सन्देह किया जा सकता हो और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से सन्देह किया जा सकता हो, अथवा

(ङ) जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधित करे जब वह अपने कर्त्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा हो या निकल भागने का प्रयत्न करें, अथवा

(च) जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह हो, अथवा

(छ) जो भारत से बाहर के किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य के किये जाने से, जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किये जाने का भागी हो, सम्बद्ध रहा हो या उसके ऐसे सम्बद्ध होने के बारे में उसके विरुद्ध उचित परिवाद किया जा चुका हो या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी हो या उचित संदेह वर्तमान हो, अथवा

(ज) जो छोड़ा गया दोषसिद्ध होने पर धारा 356 की उपधारा (5) के अधीन बनाये गये किसी नियम को भंग करें, अथवा

(झ) जिसको किसी गिरफ्तारी के लिये किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्ता हो चुकी हो, परन्तु यह तब तक कि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का, जिसे गिरफ्तार किया जाना हो, और अपराध का या उस अन्य कारण का, जिसके लिये गिरफ्तारी की जानी हो, विनिर्देश हो और उससे वह दर्शित हो कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना यह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था।

2-कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 109 या धारा 110 में विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक प्रवर्गों के व्यक्तियों का हो उसी प्रकार से गिरफ्तार कर सकेगा या करा सकेगा।

संक्षिप्त टिप्पणी

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 41 व्यक्तियों की गिरफ्तारी से तात्पर्यित है। इस धारा के अन्तर्गत पुलिस को इस हेतु प्राधिकृत किया गया है कि वह बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट में कतिपय अपराधों से सम्बन्धित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यह धारा दो उपधाराओं में विभाजित है।

प्रथम उपधारा के अंतर्गत उन विशिष्ट अपराधों की तालिका प्रस्तुत की गई है जिससे सम्बन्धित अपराधी की गिरफ्तारी पुलिस बिना मजिस्ट्रेटी जांच अथवा बिना वारंट के कर सकता है।

उपधारा 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 109 या धारा 110 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों में से एक या एक से अधिक का हो इसी प्रकार गिरफ्तार कर सकती है या करा सकती है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन पुलिस को अबाधित शक्ति प्रदत्त की गयी है, किन्तु इस शक्ति का प्रयोग करने के पूर्व पुलिस या भारसाधक अधिकारी को युक्तियुक्त सावधानी एवं सतर्कता बरतनी चाहिए।

इस संहिता में यह स्पष्ट एवं परिभाषित नहीं किया गया है कि पुलिस अधिकारी से कौन व्यक्ति तात्पर्यित है। इस धारा में प्रयुक्त किये गये शब्द पुलिस अधिकारी से वे सभी व्यक्ति तात्पर्यित हैं जो भारतीय पुलिस सेवा या राज्य पुलिस सेवा में सदस्य रूप में पुलिस दल में सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणी के पुलिस भी इसमे अंतर्गत सम्मिलित माने जाते हैं।

पुलिस अधिकारी के प्रयोजनार्थ गांव के चौकीदार को एक पुलिस अधिकारी की संज्ञा नहीं प्रदान की जा सकती है।

किसी खाद्य निरीक्षक को इस धारा के भाव-बोध के अंतर्गत पुलिस अधिकारी कहा जा सकता है।

संवैधानिक मान्यता की अवज्ञा के आधार पर की गई गिरफ्तारी—यदि कोई पुलिस अधिकारी संवैधानिक मान्यताओं की अवज्ञा करके किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति के मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है। इसी प्रकार जहाँ पर उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को असंवैधानिक ठहराया है, यदि ऐसे आदेश के उपरांत उस व्यक्ति को गिरफ्तारी की जाती है तो ऐसी गिरफ्तारी को संवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। ऐसी गिरफ्तारी पूर्णतया असंवैधानिक होगी।

जिन कारणों से गिरफ्तारी संभव है वे विशिष्ट आधार— जिन कारणों से पुलिस द्वारा गिरफ्तारी संभव है वे विशिष्ट आधार इस धारा की उपधारा (1) व (2) में बतलाये गये हैं। (विशेष अध्ययन के लिए देखें धारा 41 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 एवं 110)।

जहां पर अपराधी किसी आराधना स्थल में छिपा हो तो राजकीय नीति के तहत ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस आराधना स्थल में प्रविष्टि नहीं कर सकती है, किन्तु ऐसे मामलों में पुलिस के प्रवेशन हेतु न्यायालय को परमादेश जारी करना चाहिए।

अपना नाम और निवास बताने से इन्कार करे या ऐसा नाम या निवास बताये, जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकेगा कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 43 में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर क्रिया का प्रावधान है जो निम्नवत है :—

(1) कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करे, या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकेगा या गिरफ्तार करवा सकेगा और ऐसे गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने में ले जायेगा या भिजवाएगा।

(2) यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबन्धों के अन्तर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा।

(3) यदि वह विश्वास करने का कारण हो कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इन्कार करे, या ऐसा नाम या निवास बताए, जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 42 के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जाएगी, किन्तु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण न हो कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरन्त छोड़ दिया जायेगा।

धारा की समीक्षा—इस धारा में उपबंधित प्रावधान कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में एक वैयक्तिक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए सक्षम बनाते हैं। इसका भाव इस प्रकार व्यक्त किया जाना चाहिए कि व्यक्तियों की दूसरे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति में विस्तार न होवे। यह धारा तीन उपधाराओं में विभक्त है, प्रथम उपधारा के अन्तर्गत किसी प्राइवेट व्यक्ति को उस स्थिति में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सक्षम बनाया गया है जब कि वह नामजद अपराधी हो या ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी में उसने कोई अजमानतीय या असंज्ञेय अपराध किया हो। इस उपधारा के अन्तर्गत पकड़ने वाले व्यक्ति पर यह अनिवार्यता अधिरोपित की गई है कि वह पकड़े गये व्यक्ति को पकड़ने (गिरफ्तार) के पश्चात् किसी पुलिस अधिकारी के हवाले कर देवे। यदि ऐसा करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो उसका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे व्यक्ति की किसी समीपस्थ थाने पर ले जाकर वहां पुलिस के सुपुर्द कर देवे।

किसी अपराध से सम्बन्धित अपराधी की पुनः गिरफ्तारी—जहाँ पर किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी अपराधी को पकड़ा जाता है, किन्तु वह ऐसे पकड़ से भाग जाता है तो उसे पुनः पकड़ा जा सकता है, किन्तु जहाँ पर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने अपराधी को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है और पुलिस अभिरज्ञा से ऐसा अपराधी अपने को मुक्त करके भाग गया हो तो ऐसी दशा में ऐसे अपराधी को पुनः गिरफ्तार करने का दायित्व पुलिस अधिकारी पर होगा। जहाँ पर कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी अपराधी को पकड़ कर शीघ्रातिशीघ्र पुलिस को सुपुर्द नहीं करता है तो ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 51 में निम्नवत प्रावधान है :—

51. गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी—(1) जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारन्ट के अधीन, जो जमानत ली जाने का उपबन्ध नहीं करता या ऐसे वारन्ट के अधीन, जो जमानत ली जाने का उपबन्ध करता है, किन्तु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए, तथा

जब कभी कोई व्यक्ति वारन्ट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारन्ट के अधीन गिरफ्तार किया जाए और अवैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती या वह जमानत देने में असमर्थ हो,

तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा ली जाए तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को सौंपे, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उस पर पाई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकेगा और जहाँ गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहाँ ऐसे व्यक्ति को एक ऐसी रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तुएँ दर्शित हो।

(2) जब कभी किसी वस्त्रों की तलाशी करना आवश्यक हो तब वह अन्य स्त्री द्वारा शिष्ठता का पूरा ध्यान रखते हुए की जायेगी।

धारा की समीक्षा—इस धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी किये जाने के संबंध में नियम प्रतिपादित किया गया है। इस धारा का प्रवर्तन तभी प्रभावशील माना जायेगा जबकि अपराधी गिरफ्तार न किया गया हो, चूंकि गिरफ्तारी के उपरान्त तलाशी लेने का कोई प्रश्न हो नहीं उठता है।

इस धारा के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी एकान्त रूप में नहीं ली जा सकती है, ऐसी तलाशी में कुछ सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि ऐसा संभव न हो तो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी ली जा सकती है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 में निम्नवत प्रावधान है :—

पुलिस आफिसर के अनुरोध पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा व्यक्ति की परीक्षा :—

(1) जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाए जो ऐसी प्रकृति का हो और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित हो कि यह विश्वास करने के उचित आधार हों कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किये जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रार्थना पर कार्य कर रहे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिये और उसकी सहायता करने में और उसके निदेशाधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को, जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सके, अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिये उचित रूप से आवश्यक हो।

(2) जब कभी इस धारा के अधीन किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी हो, तो ऐसी परीक्षा केवल किसी रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी।

स्पष्टकरण—इस धारा और धारा 54 में "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथा परिभाषित मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय अर्हता रखता है तथा जिसका नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है।

धारा की समीक्षा—यह धारा दो उपधाराओं में विभक्त है। प्रथम उपधारा के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, जिसका अपराध के किये जाने के कारणों को जानने के सम्बन्ध में चिकित्सकीय परीक्षण अनिवार्य हो जाता है तो ऐसे पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो के प्रार्थना के आधार पर पंजीकृत चिकित्सक व्यवसायी अभियुक्त की जांच करेगा।

इस धारा के अधीन अभियुक्त के परीक्षण में उतना ही बल प्रयोग किया जायेगा जितना कि बल प्रयोग अपराध की जांच हेतु पर्याप्त हो।

महिला के परीक्षण की दशा में उपधारा 2 में नियम उपबन्धित किया गया है। इसके अनुसार जब कभी इस धारा के अधीन किसी महिला की शारीरिक परीक्षा की जाती है तो ऐसा परीक्षण किसी महिला चिकित्सक द्वारा ही किया जा सकता है। इसके लिए यह अनिवार्य होगा कि ऐसी महिला चिकित्सक रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी हो।

अध्याय 14

सम्पत्ति की अभिरक्षा और निस्तारण

165. निम्नलिखित नियम उस जंगम सम्पत्ति के निपटारे को शासित करते हैं जिसका पुलिस द्वारा आधिपत्य लिया जाता है :—

(1) सम्पत्ति की संक्षिप्त सूची जनरल डायरी में बनाई जावेगी।

ऐसी सम्पत्ति से सम्बन्धित हर प्रविष्टि का एक संक्षेप थाने में तैयार किया जावेगा और सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर दिया जावेगा।

(2) पुलिस एक्ट (1861 का पाँचवाँ) की धारा 25 कब्जे में ले ली गई या दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाराएँ 83, 84, 85, 422 या 457 के अधीन कुर्क की गई, रोकी गई या विनिग्रहण की गयी, जीवधन के अतिरिक्त बड़े आकार की सम्पत्ति साधारणतया मजिस्ट्रेट के आदेश लम्बित होने तक किसी भूधारी या अन्य सम्मानीय व्यक्ति के प्रभार में जो उसको अभिरक्षा में लेने और न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर सम्पत्ति को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व लेने को सहमत हो, उसी स्थान पर, जहाँ पर पाई गयी थी, छोड़ दी जावेगी।

(3) (क) न्यायालय के आदेश के लम्बित रहने तक, जीवन साधारणतया कांजी हाउस के रखवाले को सौंप दिये जावेंगे और जब तक पशु उसके प्रभार में हों उनके स्वामित्व का दावा करने वाला या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को उन्हें दाना डालने और पानी देने का प्रबन्ध करने की अनुज्ञा दी जा सकती है।

(ख) कांजी हाउस के रखवाले को पशुओं को सौंपने के बजाय थाने के भारसाधक अधिकारी यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, एक या अधिक चरवाहों को देखभाल के लिये नियुक्त कर सकता है, किसी व्यक्ति द्वारा उसे किये गये आवेदन-पत्र पर, यदि ऐसा सुरक्षित रूप से किया जा सकता हो, ऐसे व्यक्ति को अपेक्षित किये जाने पर प्रस्तुत करने के लिए प्रतिभूति सहित या रहित बन्धपत्र निष्पादन करने पर सौंप सकता है।

(ग) जीवधन की अभिरक्षा, चराई और परिवहन का व्यय प्राय: सभी मामलों में, यदि पशु बेचे जावें तो उनकी बिक्री से और यदि न्यायालय के आदेश से किसी अन्य व्यक्ति को सौंपे जावें तो उस व्यक्ति से वसूली योग्य होगा और न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के अध्याधीन रहते हुये वह इस प्रकार वसूल किया जाना चाहिये।

(घ) यदि जीवधन बेचे जावें, उस थाने का भारसाधक अधिकारी जहाँ वे अभिग्रहीत किये गये हों और उस न्यायालय से जिसने बिक्री का आदेश दिया हो, सम्बद्ध पुलिस मोहर्रिर बिक्री संचालित करने वाले अधिकारी के ध्यान में उन पर व्यय की गई धनराशि को लाने के लिए उत्तरदायी होंगे ताकि हिसाब का समायोजन हो सके। यदि व्यय बिक्री से प्राप्त धन से अधिक हो तो अन्तर अधीक्षक के ठेका अनुदान से भुगताया जावे।

(ङ) यदि न्यायालय द्वारा जीवधन को किसी अन्य व्यक्ति को दिये जाने का आदेश प्रदान किया जावे, न्यायालय से सम्बद्ध पुलिस मोहर्रिर को चाहिये कि वह न्यायालय से व्यय के भुगतान के लिये आदेश प्राप्त करे। यदि न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा व्यय का भुगतान किये जाने का आदेश पारित करे, जिसे पशु दिये गये हों, वे उसे तब तक नहीं दिये जाने चाहिये जब तक वह भुगतान न कर दे। यदि वह भुगतान करने में विफल रहे तो न्यायालय से आदेश परित करने के लिये कहा जावे।

(च) यदि न्यायालय व्यय को सरकार द्वारा भुगताए जाने का आदेश दे, भुगतान अधीक्षक के ठेका अनुदान से किया जावेगा।

(4) यदि पुलिस बिना इच्छा पत्र के भरने वाले किसी व्यक्ति की सम्पत्ति पर कब्जा करे, दो प्रतियों में ऐसी सभी सम्पत्ति की पूर्ण और सही सूची, पड़ोस के दो प्रतिष्ठित साक्षियों की उपस्थिति में उनके द्वारा हस्ताक्षरित कराई जाकर तैयार की जावेगी। निम्न मदों में आने वाली कोई सम्पत्ति मुख्यालय को अग्रेषित न की जावे, और आगरा प्रान्त में जिला मजिस्ट्रेट की मार्फत न्यायालय के न्यायाधीश और अवध प्राप्त में जिला मजिस्ट्रेट से हर विशेष मामले में मन्जूरी प्राप्त कर लेने के बाद थानेदार द्वारा स्थल पर ही नीलाम द्वारा बेच दी जानी चाहिये।

(क) द्रुतगामी और प्राकृतिक रूप से नाशवान सम्पत्ति।

(ख) प्रत्येक आठ आने से कम के मूल्य की वस्तुयें।

(ग) वह सम्पत्ति जिसके रखने और न्यायालय तक ले जाने का व्यय उसके मूल्य से अधिक हो जायेगा।

(घ) वह सम्पत्ति जो पूर्वगामी शीर्षों में सम्मिलित नहीं हुई हो, किन्तु जिसका मूल्य 5 रुपये से कम न हो।

(5) मुख्यालय को अग्रेषित की जाने वाली सम्पत्ति सीधे लोक अभियोजक को भेजी जानी चाहिये, जिस पर चिह्न और लेबिल (जीवधन के अतिरिक्त) लगे हों और उसके साथ तीन प्रतियों में पूर्ण और ठीक-ठीक विवरण रहना चाहिए। लेबिल को यह दर्शाना चाहिए कि वह वस्तु किससे ली गई थी या कहाँ मिली थी और उसकी तारीख। यदि सम्पत्ति विवरण के अनुरूप हो, लोक अभियोजक कागज को मजिस्ट्रेट के पास भेजने के पहले मालखाना मोहर्रिर से निम्न प्रविष्टियाँ करवायेगा—

(1) अपने मालखाने के बेदावी और मामलों की सम्पत्ति के रजिस्टर में बेदावी सम्पत्ति और उस सम्पत्ति को जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 45 के अधीन अभिग्रहीत की गई है।

(2) मालखाने की अवरुद्ध सम्पत्ति के रजिस्टर में शस्त्र और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के अधीन भेजी गई वस्तुओं और समपहरण तथा अधिहरण के दायित्वाधीन जंगम सम्पत्ति।

(3) मालखाने के प्रकीर्ण सम्पत्ति के रजिस्टर में अभियुक्तों या दोषसिद्ध व्यक्ति के होने वाली जंगम सम्पत्ति या उस सम्पत्ति की संहिता की धारा 83, 84, 85 के अधीन कुर्क की गई हो या जुर्माने, शास्ति या फीस के भुगतान में विफल रहने पर रोक ली गई हो।

(4) उसके लावारिस सम्पत्ति के रजिस्टर में लावारिस सम्पत्ति। वह तब थाने से प्राप्त हुए विवरण की तीसरी प्रति पर वह उसकी प्राप्ति और मालखाना रजिस्टर का क्रमांक पृष्ठांकित करेगा और उसे थाने से सम्पत्ति लाने वाले अधिकारी को लौटा देगा। इस सूची की मूल प्रति सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अन्य संगत कागजों के साथ रखी जावेगी। मालखाने की जांच करने वाले अधिकारी को मालखाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा रखी गई सूची को निर्देशित करना चाहिए :

टीप—वह सम्पत्ति जिसे तत्पश्चात् पहचनवाया जाना हो, अन्वेषणकर्ता अधिकारी द्वारा तलाशी के साक्षियों की उपस्थिति में मुहरबन्द की जायेगी, जिन्हें उनके समक्ष मोहरबन्द करने के अभिप्रमाणन के स्वरूप वस्तु को अन्तर्विष्ट करने वाले आवरण पर हस्ताक्षर या अंगूठा चिह्न अंकित करना चाहिए। मोहर सम्पत्ति के अभिज्ञान (शिनाख्त) की संचालित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा ही तोड़ी जावे। यदि ऐसी सम्पत्ति लोक अभियोजक को भेजी जावे, उसे अपने रजिस्टर में मोहर के

यथावत् पाये जाने की प्रविष्टि करना चाहिये और जब तक अभिज्ञान की कार्यवाही समाप्त न हो जावे उसे मोहर नहीं तोड़ना चाहिये और न रजिस्टर में विवरण प्रविष्ट करना चाहिए।

(6) जब सम्पत्ति सोना, चाँदी, रत्नाभूषण या अन्य कीमती चीजों के रूप में हो, उसकी तौल करने के पश्चात्, एक मोहरबन्द लिफाफे में उसे भेजा जावेगा और उसका वजन सामान्य डायरी और लिफाफे में संलग्न सूची में अंकित किया जावे। मापों और नापों का एक समूह प्रत्येक थाने पर रखा जाना चाहिए।

(7) मालखाना मुहर्रिर, जो 15 वर्ष से कम न होने वाले सेवा काल का अधिकारी होगा, मालखाने में उसके द्वारा प्राप्त की गई सम्पत्ति की प्राप्ति के स्वरूप में हस्ताक्षर करेगा।

टिप्पणी

अनवार अहमद बनाम *राज्य*[1] में तथ्य यह थे कि पुलिस ने चोरी गई कार को बाद बरामदगी सुपुर्दार को, बन्धनामा लिखाकर, दिया कि उसे जब आवश्यकता हो, पेश करे ऐसा न किया जाने पर मजिस्ट्रेट ने बन्धनामा जप्त किया। निर्णय में यह आया कि न तो पुलिस इस प्रकार बन्ध लेकर कार को सुपुर्दी में देने में सक्षम थी जिसे धारा 446 जा०फौ० में प्रवर्तित कराया जा सकता था न मजिस्ट्रेट ही ऐसे बन्ध को धारा 457 जा०फौ० में जब्त कर सकते थे। पुलिस गाड़ी को मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 457 जा०फौ० में पेश करने को बाध्य थी व मजिस्ट्रेट ही उसके निस्तारण का आदेश देने में सक्षम था। पुलिस विनियम भी ऐसा अधिकार पुलिस को नहीं देता।

166. जब तक कि मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देशित न करे, किसी भी प्रकार की सम्पत्ति, 100 रु० से अधिक की नकदी राशि के सिवाय, और समान मूल्य की सम्पत्ति और महत्व के मामलों से सम्बन्धित सम्पत्ति, जो लोक अभियोजक द्वारा खजाने में ताले चाबी के अधीन पृथक सन्दूक में रखी जावेगी, लोक अभियोजक के सामान्य नियन्त्रण और उत्तरदायित्व के अधीन, मालखाना माहर्रिर की अभिरक्षा में तब तक रहेगी, जब तक कि अन्तिम रूप से उसका निपटारा न हो जावे।

167. मालखाना, मोहर्रिर का यह कर्तव्य होगा कि वह दिन के दौरान अपेक्षित सम्पत्ति न्यायालय से संलग्न पुलिस को सौंप दे और वापस प्राप्त करे। वह यह देखने के लिये दायित्वाधीन होगा कि ऐसी सम्पत्ति पूर्णरूपेण वापस प्राप्त हुई है।

168. लोक अभियोजक उत्तररदायी होगा कि सम्पत्ति के निपटारे से सम्बन्धित न्यायालय के आदेशों का उचित रूप से पालन किया गया है, और जब यह समाधान हो जावे कि ऐसा किया जा चुका है, मालखाना रजिस्टर पर इस आशय का प्रमाण-पत्र देगा। ऐसा प्रमाण-पत्र देने के पहले लोक अभियोजक—(क) निपटारे के लिए थाने को वापस की गई सम्पत्ति की दशा में प्राप्ति के हस्ताक्षरों को अभिप्रमाणित करते हुए थाने के अधिकारी की रिपोर्ट का परीक्षण करेगा, (ख) न्यायालय के किसी पक्षकार को सौंपी गयी सम्पत्ति की दशा में, सम्पत्ति की सूची पर मजिस्ट्रेट के प्रमाण-पत्र को देखेगा, (ग) खजाने में निक्षेप के लिए भेजी गई सम्पत्ति की दशा में, सम्बन्धित न्यायालय को भेजने से पहले खजाना अधिकारी की रसीद देखेगा और (घ) मजिस्ट्रेट के समक्ष नष्ट किए जाने के लिए आदेशित सम्पत्ति की दशा में, सम्पत्ति की सूची पर, ऐसा किया जा चुकना प्रमाणित करने वाले, मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर देखेगा।

---

1. ए०आई०आर० 1976 सु०को० 680 : 1976, क्रि०ला०ज० 620.

168-ए[1]. पुलिस द्वारा बरामद किये अवैध आग्नेयास्त्र और शस्त्र जो अदालत के निर्णय के बाद नष्ट किए जाने हैं, वे एक समिति (कमेटी) के सदस्यों के मौजूदगी में, जिनमें निम्न सदस्य होंगे, नष्ट किये जाने चाहिये—

(अ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

(ब) पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक पुलिस अधिकारी जो अधीक्षक के पद से कम न हो।

(स) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक सम्मानित व्यक्ति जो राजसेवक न हो।

169. उन सभी मामलों में, जिनमें बेदावी सम्पत्ति छः मास से अधिक के लिये मालखाने में रखी जावे, उन सभी मामलों में जिनमें नश्वर सम्पत्ति आदेश होने में विलम्ब के कारण खराब हो रही हो और उन सभी मामलों में जिनमें प्रत्यक्षतः बच सकने योग्य देर हो रही हो, लोक अभियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के ध्यान में लाये।

170. लोक अभियोजक मालखाने का माहवारी निरीक्षण करेगा। राजपत्रित अधिकारी त्रैमासिक रूप से इसका निरीक्षण करेगा और इसके लिये रखे गये रजिस्टरों की जांच-पड़ताल और उन पर हस्ताक्षर करेगा।

171. किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से संलग्न कोई पुलिस अधिकारी, जो शिविर में हो या जिला मुख्यालय से अन्यत्र स्थित हो, लोक अभियोजक के मामले के लिए अभिकथित नियमों को, जहाँ तक ऐसे नियम लागू किये जा सकें, अनुपालन करेगा। वह पैरा 36 में विहित रीति से आयुधों, गोला, बारूदों और सैनिक भण्डारों वाले के रजिस्टरों को बनाये रखेगा। ये रजिस्टर नियत कालिक रूप से दौरे के समय मन्डल निरीक्षक और राजपत्रित अधिकारी द्वारा जाँचे जावेंगे और मुख्यालय पर लोक अभियोजक द्वारा जांच-पड़ताल के लिए भेजे या लाये जा सकेंगे।

सम्पत्ति की अभिरक्षा और निपटारे से सम्बन्धित अतिरिक्त आदेशों के लिए, गवर्नमेंट आर्डर की पुस्तक को देखिये।

172. आगरा प्रान्त में लावारिस मरे व्यक्तियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति, सन् 1861 के अधिनियम क्रमांक पांच की धारा 25 के अधीन दावी सम्पत्ति की तरह व्यवहृत नहीं की जावेगी, परन्तु गवर्नमेन्ट आर्डर की पुस्तक के अधीन व्यवहृत की जानी चाहिए। दोनों स्थितियों में इस प्रक्रम तक जहाँ तक लोक अभियोजक सम्पत्ति को प्राप्त व पंजीयित करता है और जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है, समान प्रक्रिया होती है। इसके बाद आगरा प्रान्त में, लोक अभियोजक अपने स्वयं की रिपोर्ट की और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट के मार्फत जिला न्यायाधीश को आदेश के लिये अग्रेषित करेगा। लावारिस सम्पत्ति के रख-रखाव और जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय को भेजने में किये गये सभी व्यय उस न्यायालय के द्वारा वसूल योग्य होंगे।

173. आयुध अधिनियम (1878 का ग्यारहवां) की धारा 16 के अधीन थाने पर गोला-बारूद या सैनिक भण्डार निक्षेपित किये जावें थाने का भारसाधक अधिकारी प्रत्येक हथियार या वस्तु पर, निक्षेपकर्ता का नाम, निक्षेप का दिनांक और निक्षेपित हथियार या वस्तु का विवरण दर्शाते हुये एक टिकट चिपकावेगा। वह अपने द्वारा हस्ताक्षरित इस टिकट की एक प्रति भी, प्राप्ति के रूप में, निक्षेपकर्ता का सौंपेगा और सूचित करेगा कि वस्तु की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ही सरकार उत्तरदायी होगी न कि उसके जंग लगने या क्षय होने से बचाव के लिए।

---

1. शासनादेश सं० 56/8-7-2-27/77, दिनांक 19 दिसम्बर, 1977 द्वारा बढ़ाया गया.

पन्द्रह दिन कि समाप्ति पर, यदि स्वामी को उसे उनको धारण करने के लिए प्राधिकृत करने वाली अनुज्ञप्ति प्राप्त न हुई हो, तो आयुध, गोला-बारूद और सैनिक भन्डारों को जिला मुख्यालय को अग्रेषित किया जायेगा और वहां जिला मजिस्ट्रेट के मालखाने में या जिला मजिस्ट्रेट के विवेक पर अधीक्षक के मालखाने में रखे जावेंगे। यदि वे जिला मजिस्ट्रेट के मालखाने में निक्षेपित किये जावें, नाजिर उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, यदि अधीक्षक के मालखाने में रखे जावें तो लोक अभियोजक उत्तरदायी होगा।

अतिरिक्त निर्देश आयुध नियम 1962 में पाये जावेंगे।

टिप्पणी

अभिग्रहण का अर्थ— अभिग्रहण का शाब्दिक अर्थ होना बलात् या अचानक ले लेना अथवा पहुँचते ही दबोच लेना, कब्जा में कर लेना, अदालत के आदेश या विधिक प्रक्रिया में कब्जे में करना या अभिग्रहण करना इसका मूल भाव है, जब सम्पत्ति को वस्तुत: अपने कब्जे में ले लिया जाय।[1]

यदि भगोड़े की चल सम्पत्ति या ऋण को कुर्क करने का आदेश है तो उसे कब्जे में लेना होगा और यदि संपत्ति अचल है तो आदेश होने पर उस पर कब्जा करना होगा।

अध्याय 15

विशेष अपराध

174. डकैतों या गिरोह द्वारा लूट की घटना होने के बाद, यथासम्भव शीघ्र थाने का भारसाधक अधिकारी अतिशीघ्र गति वाली रीति से पड़ोसी थानों को सूचना भेजेगा और उस दिशा में जिसमें अपराधियों का जाना अनुमानित हो, नहर; घाटों और रेलवे पुलों, रेलवे स्टेशनों, सरायों और ऐसे अन्य स्थानों की देख-भाल करने को सिपाहियों को रवाना करेगा। संदेहित व्यक्ति रोके जाना चाहिये, और थाने में लाए जाना चाहिये, यदि आवश्यक हो तो वे गिरफ्तार किये जा सकेंगे। यही पग अन्य थानों के भारसाधक अधिकारियों, जिनको सूचना भेजी गई हो, द्वारा उठाये जाने चाहिये।

उस जिले के अधीक्षक को, जिसमें डकैतों या गिरोह द्वारा लूट की घटना हुई हो, पड़ोसी जिलों को तत्काल सूचना भेजना चाहिये।

यदि उपलब्ध हो सके, तो अपराधियों की विचारणात्मक नामवलियां, अन्वेषणकर्ता अधिकारी द्वारा पड़ोसी थानों को तथा अधीक्षक द्वारा अन्य थानों और जिले के मुख्यालयों को भेजी जानी चाहिये।

किसी अन्य जिले में हुई डकैती की सूचना प्राप्त होने पर अधीक्षक को अपने जिले की पुलिस को सावधान होने के आदेश देना चाहिये और उस थाने को अनुदेश भेजना चाहिये जहाँ विशेष पूर्व विधानियाँ आवश्यक हों।

जब डकैती किसी घूमने वाले गिरोह के द्वारा की जावे, उसका समाचार जितने व्यापक रूप से सम्भव हो सके फैलाना महत्वूर्ण है।

देशी राज्यों में की जा सकने वाली कार्यवाही के लिये चौबीसवां अध्याय देखें।

---

1. टेक्सटाइल्स ट्रेडर्स सिंडीकेट *बनाम* राज्य, ए०आई०आर० 1960 इला० 405 : 1960 ए०एल०जे० 222.

175. व्यवसायिक विषदान के मामले घटित हों तो पूर्वगामी पैरा के अनुसार कार्यवाही की जावे, किन्तु अपेक्षाकृत छोटे मन से। अधीक्षक और थाने के भारसाधक अधिकारियों को उन स्थानों के बारे में जहां सूचना भेजी जाना हो या जिनकी निगरानी की जाना हो, अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिये।

अपराधी की विवरणात्मक नामावली को अभिलिखित करने में अधिक सावधानी बर्ती जावे। उसके हुलिया के पूरे विवरण सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये क्योंकि विष देने वाला अपने शिकार के साथ कुछ समय अवश्य खर्च करता है।

विष देने वाले की गिरफ्तारी की पूर्व आशा में समर्थक साक्ष्य उपलब्ध करने के लिए यह कभी-कभी उपयोगी होता है कि परिवादी को उस स्थान पर ले जाया जावे जहां के बारे में वह यह बताता हो कि वह विष देने वाले की संगति में रहा था और उसका सामना, किन्हीं व्यक्तियों से उदाहरणार्थ सराय के रखवाले, अनाज विक्रेता या अन्य ऐसे व्यक्तियों से, जिन्होंने उन्हें साथ-साथ यात्रा करते देखा हो, कराया जावे। विष देने वाले की लौटने की आशा में परिवादी को पुलिस के साथ रहने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिये।

176. जब 14 वर्ष के आयु के बालक या 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के गायब हो जाने की रिपोर्ट प्राप्त हो, और परिस्थितियाँ व्यपहरण के अपराध की ओर संकेत करती हों, कार्यवाही के भारसाधक अधिकारी को पड़ोसी थानों और पुलिस अधीक्षक को सूचित और पुलिस अधीक्षक को अवस्यक की विवरणात्मक नामावली, उस दिशा के बारे में, जिसमें सम्भवतया बालक/बालिका गया होगा/गई होगी, संग्रह की गई सूचना और बालक/बालिका को ले भागने के लिए संदेहित किसी व्यक्ति की विवरणात्मक नामावली के साथ, अग्रेषित करना चाहिये। अधीक्षक आवश्यक की पुनर्प्राप्ति के लिए कार्यवाही करेगा जैसी वह सर्वश्रेष्ठ समझे।

ग्राम पुलिस के सिपाहियों को अनुदेशित किया जावे कि वे किसी अवयस्क के गायब होने या किसी अपरिचित अवस्यक के आगमन की रिपोर्ट करें।

177. पशुओं को विष देने का पता लगाने के लिये पशुओं की मृत्यु दर पर निगरानी रखी जानी चाहिये तथा जब पशुओं की बड़ी संख्या में मृत्यु हो, विशेष कर जब चमड़े का मूल्य ऊँचा हो गया हो, पूछताछ की जावे। ग्राम पुलिस के सिपाहियों को असाधारण मृत्यु दर की रिपोर्ट करना चाहिये। जब बीमारी होने के कारण के बिना पशुओं की मृत्यु दर अत्यधिक हो, तो खालों को खरीदने वाले ठेकेदारों की गतिविधियों का पता लगाना महत्वूर्ण होगा। अनेक बार यह ध्यान में आया है कि ठेकेदार गांव में आता है, उसके प्रस्थान के कुछ समय पश्चात् पशु मर जाते हैं और थोड़े समय पश्चात् वह खालों, को खरीदने के लिए लौट आता है।

जमींदारों से यह अर्ज की जावे कि वे उन सभी पशुओं की खालें नष्ट कर दें जो संदिग्ध परिस्थितियों में मरे हों।

जब रासायनिक विश्लेषण वांछनीय हो मृत पशु के गुर्दे, जिगर और पेट के भाग तथा पेट में अन्तर्विष्ट वस्तुओं को नमक और पानी में डुबोकर मजिस्ट्रेट के आदेशों के लिए मुख्यालयों को भेज दिया जावे।

पशुओं को विष दिए जाने से संदेहित मामलों में, जब पदार्थ विश्लेषण के लिए भेजी जावें रासायनिक परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित प्रारूप में संक्षिप्त विवरण दिये जावें—

(1) पशु की विशिष्ट जाति और स्वामी का नाम।

(2) अंतिम बार लिये गये आहार की प्रकृति।

(3) इस आहार के लेने के बाद कितने शीघ्र रोग के लक्षण प्रकट हुये?

(4) क्या पशु का पीड़ा में होना प्रकट हुआ था?

(5) क्या दस्त हुए थे?

(6) क्या मुँह और नथनों से कोई स्राव निकला था?

(7) क्या ऐंठन देखी गई थी?

(8) क्या पशु अचेत देखा गया था? यदि हाँ, तो लक्षणों की उत्पत्ति के बाद कितने लक्षण प्रकट हुए।

(9) क्या यह सन्देहित है कि विष मुँह, गुदा या अधस्त्वचीय (खाल में सुई लगाकर विष दान) दिया गया था?

(10) क्या गुदा में कोई बाहरी पदार्थ विद्यमान था?

(11) क्या मृत्यु घटित हुई?

उपरोक्त बिन्दुओं पर जिला मजिस्ट्रेट को, उसके द्वारा रासायनिक परीक्षक के पास पदार्थ को भेजने के पूर्व सूचना दी जावे।

178. पशुओं को नष्ट करने के लिए दिया गया विष बहुधा संखिया होता है और कभी-कभी एकोनाइट होता है। किसी पशु को संखिया खिलाने की सामान्य विधि यह है कि सफेद संखिये को खुरदुरे चूर्ण के रूप में गीले आटे में मिला दिया जावे और तब विषयुक्त गीले आटे को मिला दिया जावे और तब विषयुक्त गीले आटे को ताजी घास में या चने, पौधे के डन्ठलों के साथ लपेट दिया जावे।

कभी साँप के जहर से मरा हुआ चिथड़ा पशु के गुदा द्वार के बीच घुसा दिया जाता है। जब इस प्रकार के किसी मामले का पता चले, तो चिथड़े को रासायनिक परीक्षण के लिए भेज दिया जाना चाहिए। ऐसे मामले में, विष के बारे में यह आशा की जा सकती है कि वह चिकने सफेद रंग का होगा जैसे गहने आदि चमकाने की सिलमिट होती है।

विष देने का एक सामान्य रूप यह है कि धतूरे, अफीम, गुंची के बीच और प्याज के अंगों को लेई के रूप में बनाकर स्प्रिटयुक्त कर लोहे के कांटे में डालकर उसे धूप में सुखाकर और कठोर बनाकर लोहे के कांटे को पशु के शरीर में सामान्यतया पीठ में ठोक दिया जावे। इस कांटे के चुभा दिये जाने के कुछ घन्टों पश्चात् सूजन दिखना प्रारम्भ हो जाती है और शरीर के एक भाग पर फैल जाती है। किन्तु जब तक कि पशु गिर न पड़े और चलने योग्य न रहे, जो कि सूजन प्रकट होने के तीन चार दिन बाद होती है, तब तक सूजन, खाने से बचना और बैठने से अरुचि के अतिरिक्त अन्य कोई लक्षण प्रकट नहीं होते। सूजन को छेदने का चिन्ह देखने के लिए भली प्रकार परीक्षण करना चाहिए। क्योंकि वह इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं पड़ सकता। ऐसे मामले भी अभिलेख पर हैं कि इस पद्धति से मानव प्राणियों को भी विष दिया गया है।

गोजातीय पशुओं की चोरी

179. सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, आगरा, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बदायूँ और शाहजहाँपुर जिलों के भीतर आबादी वाले स्थलों, पशु शालाओं से पशुओं के चले जाने की रिपोर्ट को तत्काल चोरी की रिपोर्ट के रूप में अभिलिखित और अन्वेषित किया जावे, अन्य आबारा होने के मामलों की इस प्रकार अभिलिखित या अन्वेषित नहीं किया जाना चाहिए; जब तक कि आबारा हो जाने की रिपोर्ट करने वाले स्वामी द्वारा संदेह व्यक्त करते हुए अन्वेषण की प्रार्थना न की गई

हो या जब तक कि मामले की विशेष परिस्थितियों से, थाने के भारसाधक अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण (जिन्हें अभिलिखित किया जावे) न हो कि चोरी की घटना हुई है।

180. पशुओं की चोरी के प्रत्येक मामले में अन्वेषण किया जावेगा चाहे चोरी गए पशु का मूल्य कुछ भी न हो, चाहे स्वामी अन्वेषण के लिए किए जाने की इच्छा व्यक्त न करे।

181. निम्नलिखित निर्देश सभी जिलों को लागू होंगे :—

(1) थाने का भारसाधक अधिकारी, चोरी गए पशुओं की विवरणात्मक नामावली के साथ पशु चोरी का शीघ्र रिपोर्ट अपने और अन्य जिलों के सभी पड़ोसी थानों को भेजेगा। वह अपने थाने की अधिकारिता के भीतर काँजी हाउस के रखवालों को यदि कोई हो, आवारा हो जाने की रिपोर्ट की सूचना देगा, और अपने थाने के नोटिस बोर्ड पर आवारा होने की सूचना चिपकायेगा।

(2) काँजी हाउस के पशुओं की चोरी गयी पशुओं की विवरणात्मक नामावली के साथ सावधानी से तुलना की जावे। पड़ोस के कृषकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के द्वारा पशुओं को अवरुद्ध किए जाने या काँजी हाउस से दूर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा पाले जाने के मामले में सावधानीपूर्वक जाँच की जावे।

(3) वर्ष के दौरान उनके फेरों की जगह से प्राप्त आबारा होने की रिपोर्ट की सूची कान्सटेबिलों को दी जानी चाहिए और उन्हें गाँव के चौकीदारों, निवासियों से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या आबारा गये पशु पुनः प्राप्त कर लिए गए हैं, यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में। ग्राम चौकीदारों से, जब वे थाने में परिदर्शन के लिए आयें, इन बिन्दुओं पर प्रश्न किया जाना चाहिए।

(4) जब ग्राम चौकीदार थाने का परिदर्शन करें, थाने का भारसाधक अधिकारी थाने पर की गई पशुओं की चोरी या आवारा हो जाने की रिपोर्टों को पढ़वा कर सुनवायेगा और उनकी व्याख्या करेगा।

(5) हर थाने के भारसाधक अधिकारी को पशु ठाँगदारों के नाम और पतों की पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसे यह पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए कि क्या अभ्यासित या पशु किसी विशेष दिशा में ले जाये जाते हैं और क्या उसके मण्डल में कोई ऐसे ग्राम हैं जिनके अधिकांश निवासी पशु चोरों से सहानुभूति रखते हैं तथा क्या कोई ऐसे क्षेत्र उदाहरणार्थ डाक के जगल और नदी के खादर हैं, जहाँ चोरी गये पशुओं को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। सहारनुपर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, फर्रुखाबाद, बदायूँ और शाहजहाँपुर जिलों के हर एक थाने में थानेदार ग्राम अपराध पुस्तक के साथ ठाँगदारों के नाम और उन गाँवों को जिसमें वे रहते हैं, दर्शाते हुए एक सूची रखेगा। इन सूचियों पर अन्य कोई विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सभी विवरण ग्राम अपराध पुस्तक में अन्तर्विष्ट होंगे। यदि कोई गाँव ठाँगदारों से इतना भरा हुआ है कि कुछ नामों का विनिर्दिष्ट किया जाना महत्वहीन होगा। (उदाहरणार्थ गूजरों के कुछ गांवों की दशा में), तो सूची में केवल गांव का नाम ही लिखना पर्याप्त होगा। सूची ग्राम अपराध पुस्तक को निर्देशिका का कार्य करेगी और थानेदार तथा निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को एक झलक में यह बता देगी कि पशु चोरी किस सीमा तक व्याप्त है।

दूसरे जिलों के पुलिस अधीक्षक अपने विवेकानुसार इस आदेश का विस्तार अपने जिले के सभी या किन्हीं थानों में कर सकते हैं।

(6) पारितोषिक न केवल पशुओं के चारों को गिरफ्तार कराने वालों या चोरी गये पशुओं को पुनर्प्राप्ति करने वालों को अपितु पशुओं के चोरों और उनके साथियों के निवास, प्रथाओं और मार्गों के बारे में लाभदायक सूचनायें देने वालों को भी मुक्त रूप से दिये जावें। इस मामले में ग्राम चौकीदारों को सहायता पहुँचाने के लिये, बुद्धिमत्तापूर्वक प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

(7) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 412 और 414 के अन्तर्गत आने वाले पशुओं से सम्बन्धित सभी अपराध उन जिलों और थानों के द्वारा, जिसकी सीमाओं के भीतर चोरी की गई हो, रजिस्ट्रीकृत किये जावेंगे और विचारण के लिये भेजे जावेंगे। वहाँ अपराध चोरी की तरह रजिस्ट्रीकृत होंगे।

टीप—उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक इस नियम का अनुसरण करने के लिए अन्य राज्यों की पुलिस से आग्रह नहीं करेंगे।

(8) उत्तर प्रदेश के थानेदार और मण्डल निरीक्षक, जिनका मण्डल पंजाब पुलिस मण्डल की सीमा पर हो, पंजाब मण्डल के थानागृह अधिकारियों और मण्डल निरीक्षकों से महीने में एक बार पशु चोरी और आपराधिक वर्ग के विशेष संदर्भ में सीमा की समस्याओं पर विचार करने की व्यवस्था करेंगे। हर बैठक में वे विचार किये गये विषय और प्रस्तावित कार्यवाही का एक संक्षिप्त अभिलेख बनायेंगे और इसको अधीक्षक के पास आदेश के लिए अग्रेषित करेंगे।

(9) उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों के अधीक्षकों को पंजाब के निम्नलिखित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकृत उनके जिले की जन-जातियों के बारे में सूचित करना चाहिये। इसी के साथ ही उन्हें सम्बन्धित पंजाब के जिलों के अधीक्षकों से ऐसी सूचना देने के लिए कहना चाहिये :—

पंजाब	उत्तर प्रदेश
गुरगांव	देहरादून
करनाल	मेरठ
रोहतक	सहारनपुर
अम्बाला	मुरादाबाद
	बुलन्दशहर
	बिजनौर
	मुजफ्फरनगर

182. एक दूसरे से टिप्पणियों की तुलना करके और थानों का निरीक्षण करके मण्डल निरीक्षकों को अपना यह समाधान करना चाहिये कि उनके मण्डल के प्रत्येक थाने के पशु चोरों की हिस्ट्री शीट, उस पशु चोर तथा अन्य थानों के पशु चोरों के बारे में सम्बन्ध दर्शाती है, जहाँ ऐसे सम्बन्ध का पता लगाया जा सकता है। मण्डल निरीक्षक का यह एक मुख्य कर्तव्य है कि वह पशु चोरी का दमन करने में वह थानों के बीच सहयोग को प्रभावी बनाये।

पशुओं के आवारा हो जाने के सभी मामलों की रिपोर्ट ग्राम की पुलिस द्वारा थाने में की जानी चाहिये।

183. *[निकाल दिया गया]*

184. एक कान्सटेबिल को, जो यदि सम्भव हो तो साक्षर हो, हर पड़ोसी थाने से महत्वपूर्ण पशु मेलों और बाजरों में हाजिर रहने के लिये, पशुओं की बिक्री का सूक्ष्म परीक्षण करने, किसी पशु की बिक्री के बारे में जांच करने जिस पर वह चोरी किये गये होने का सन्देह करे और सामान्यतया पशु व्यापारियों, कसाइयों और अन्य क्रेताओं और विक्रेताओं के चरित्र और ईमानदारी की जाँच करने के प्रयोजन से भेजा जावे। उसे अपने साथ थाने से पिछले 6 मास में चोरी गए पशुओं की एक सूची लाना चाहिये। इस सूची में पशु का जितना विस्तृत विवरण हो सके, सम्मिलित किया जावे और कान्सटेबिल को किसी चोरी गये पशु की बिक्री का पता लगाने की दृष्टि से सावधानीपूर्वक इन सूचियों को बेचे जा रहे पशुओं से तुलना करना चाहिये।

185. थानेदार का कर्त्तव्य होगा कि वह अपनी अधिकारिता के भीतर निजी पशु बाजार के स्वामियों द्वारा नियोजित रजिस्ट्रीकरण लिपिकों द्वारा रखे गये रजिस्टरों की नियतकालिक रूप से या तो स्वयं या हेड कान्सटेबिल से निम्न श्रेणी के न होने वाले किसी अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा विशेषतया प्राधिकृत किये गये हेड कान्सटेबिल से निम्न पंक्ति न होने वाले किसी अधिकारी द्वारा भी जाँच की जा सकेगी। इन विनियमों के पैरा 183 के नियम दो (1), (2), (4) और (5) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण लिपिक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस पैरा के द्वारा प्राधिकृत किए गये पुलिस अधिकारी को यह उसे वह अपराध के निवारण के सम्बन्ध में उसे देखना चाहता हो, अपने रजिस्टरों को मुख्य रूप से निरीक्षण करने देगा।

अध्याय 16

अपराधी जन-जातियाँ, विदेशी और आवारा (खानाबदोश)

186. निवासी और घूमने वाली जन-जातियों के रजिस्ट्रीकरण और निगरानी के नियम के लिये क्रिमिनल ट्राइब्स मैनुअल देखिये।

187. संदिग्ध विदेशियों, विदेशी एशियाई आवारों के गिरोह से व्यवहार करने के लिये अनुदेश गवर्नमेंट आर्डर्स की पुस्तिका में अन्तर्विष्ट है। ऐसे गिरोहों को पुलिस या अन्य गार्दों के अधीन, अन्य प्रान्तों के अन्य जिलों या देशी राज्यों में नही निकाल देना चाहिये। यदि उन्हें बाहर निकालना वांछनीय हो तो जिला मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त किये जावें।

188. यूरोपीय खानाबदोशों से सम्बन्धित आदेशों के लिये गवर्नमेंट आर्डर्स की पुस्तिका देखिये। क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट की पुस्तिका का भाग, एक अध्याय छः भी देखिये।

189. जब कभी किसी विदेशी को फारेनर्स एक्ट, (1864 का तीसरा) की धारा 3 के अधीन अपने को ब्रिटिश भारत से हटा लेने के लिये निर्देशित किया जावे, एक पुलिस अधिकारी को उसी ट्रेन से, जिससे विदेशी यात्रा कर रहा हो, यह देखने के लिये कि आदेश के निबन्धों का कठोरता से पालन किया जाता है, यात्रा करने को, प्रतिनियुक्त करना चाहिये, पुलिस अधिकारी को आदेश की एक प्रति उपलब्ध कराना चाहिये, और उसके भागने की दशा में वह विदेशी को तत्काल अधिनियम की धारा 4 के अधीन गिरफ्तार करेगा और अपनी अभिरक्षा में निकटतम स्थानीय प्राधिकारी के पास ले जायेगा। जब तक कि गिरफ्तार किया गया विदेशी पुलिस अधिकारी का यह समाधान न कर दे कि वह आदेश का पालन करने और अपने गन्तव्य स्थान पर तत्काल प्रस्थान करने के लिए तत्पर है। जिला प्राधिकारियों की, धारा 3 के अधीन किसी विदेशी को हटा दिये जाने के आदेश की पूर्व आशा में, उसे गिरफ्तार और निरुद्ध करने की शक्तियों के लिये अधिनियम की धारा 3-क देखिये।

अध्याय 17
गश्त और नाकाबन्दी

190. निम्नलिखित नियम सड़कों पर गश्त लगाने को शासित करते हैं :—

(1) साधारणतया सिविल पुलिस को इस काम में लगाया जावेगा, विशेष परिस्थितियों में सशक्त और सवार पुलिस का भी उपयोग किया जा सकता है, ग्राम चौकीदारों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

(2) जब सड़कों पर नियमित गश्त करने के लिये कान्सटेबिल फालतू किये जा सकते हों। हर थाने का भारसाधक अधिकारी प्रतिदिन एक सांकेतिक शब्द चुनेगा और उस दिन की जनरल डायरी के प्रारम्भ में उसे अभिलिखित करेगा। वह कागज की परची पर अपने हस्ताक्षरों के ऊपर उस शब्द को लिखेगा, जिसे वह गश्त करने वाले को दे देगा, उस थाने का भारसाधक जहाँ यह कागज दिया जावे, उसे जनरल डायरी की उस प्रति के साथ संलग्न करेगा जिसे वह मुख्यालय को भेजे। बन्दियों और खजानों के मार्ग रक्षण के सिवाय गश्ती दल को ले जाने के लिये किसी सार्वजनिक कर्त्तव्य का भी लाभ उठाया जा सकता है। गश्ती दल को बाहर भेजे जाने का समय बदलते रहना चाहिये और उन्हें उस समय और उन अवसरों पर जब वे सबसे अधिक उपयोगी हो सकें, उदाहरणार्थ मूल्यवान वस्तुओं से युक्त गाड़ियों के साथ जाया जा सकता है। गश्ती दल को देखना चाहिये कि सड़कों के किनारे व्यवस्था बनी रहती है तथा उन्हें यात्रियों को सुरक्षा की निगरानी करना चाहिये। थाने या जिलों की सीमाओं पर कोई ध्यान न दिया जावे। दो थानों के बीच की सड़क पर गश्त करना, उन थानों की पुलिस का ही कार्य है, चाहे वह एक ही जिले में हो या भिन्न जिलों में।

(3) सड़क के गश्त करने के लिये रात्रि में कर्त्तव्य पर नियोजित कान्सटेबिल भालों या बन्दूकों से सशस्त्र हो सकते हैं।

191. गश्ती दल को सड़क के किनारे वृक्षों को क्षति, सड़कों पर अतिक्रमण को रोकने और उनकी रिपोर्ट करना चाहिये। यदि सड़क के किनारे तार की लाइन हो, गश्ती दल को उसकी देख-परख तथा खम्भों या तारों को हुई किसी हानि की रिपोर्ट करना चाहिये, ऐसी रिपोर्ट तार घर को तुरन्त भेज देना चाहिये।

192. यह सुनिश्चित करने के लिये पुलिस को टेलीग्राम के ताँबे के तारों की चोरी की पर्याप्त रूप से तत्परता से सूचना मिल जावे, तारघर के साथ यह व्यवस्था की गई है कि वह लाइनमैन जो तार चोरी चले के पश्चात् टूट की मरम्मत को भेजा जावे, यदि संभव हो, अपने साथ पुलिस अधिकारी को भी ले जावे। जिला या रेलवे पुलिस के ऐसे अधिकारी की, जिससे ऐसे अवसर पर लाइनमैन के साथ जाने को निवेदन किया जावे, ऐसे निवेदन का पालन करना चाहिये और यदि चोरी उसकी अधिकारिता के भीतर न हुई हो, तो उसे चोर का पता लगाने के लिया गया आवश्यक पग उठाना चाहिये और संबंधित थाने को संसूचित कर देना चाहिये।

193. जिला पुलिस और रेलवे पुलिस के अधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वह इस प्रकार के अपराधों का दमन करने और उनका पता लगाने में एक दूसरे को और तार विभाग को सहयोग प्रदान करेंगे। यदि उनके अतिरिक्त अन्यथा रूप से चोरी की कोई सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी से प्राप्त हो जावे तो उसे लाइनमैन से सुनने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं हैं। अपितु उसे तत्काल मौके पर जाना चाहिये, उस कार्य में अपराधियों पर निगरानी रखने की दृष्टि से, तार को चोरी हो जाने के बाद कुछ दिनों तक तार लाइन की निगरानी करने के लिये विशेष उपाय किये जाने चाहिये। जिन पड़ोसी थानों में से होकर तार लाइन आगे बढ़ती है उनको सूचित कर देना चाहिये।

194. कस्बों में गश्त लगाने का कार्य, "फेरों की पद्धति" के द्वारा किया जाना चाहिये जिसकी आवश्यक विशेषताएँ यह हैं कि प्रत्येक सिपाही को 6 में से दो रातों को विश्राम मिल जाये, फेरे में कम से कम एक व्यक्ति दिन में और दो रात्रि को (दस बजे से प्रात: छ: बजे तक) कर्त्तव्य पर रहें और किसी सिपाही को रात्रि में एक समय में 4 घण्टे से अधिक कार्य न करना पड़े।

इस पद्धति के अनुसार फेरों का कर्त्तव्य वितरण का एक उदाहरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है जिसमें स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार फेर बदल किया जा सकता है—

कस्बों में फेरे पर कर्त्तव्य की पद्धति

ग्रीष्म ऋतु

	दिन घण्टे					रात घण्टे		
	6-8,	8-10,	10-1,	1-4,	4-6,	6-8,	8-10,	10-2,	2-6
पहला	क	ख	ग	घ	क	ख	गघ	ङख	कख
दूसरा	ग	ग	ङ	च	ग	घ	ङच	कख	गघ
तीसरा	ङ	च	क	ख	ङ	च	कख	गघ	ङच
चौथा इत्यादि	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ग्रीष्म ऋतु

	दिन घण्टे					रात घण्टे		
	6-8,	8-11,	11-2,	2-5,	5-8,	8-10,	10-2,	2-6
पहला	कख	ग	घ	ङ	च	गघ	ङच	कख
दूसरा	गघ	ङ	च	क	ख	ङच	कख	गघ
तीसरा	ङच	क	ख	ग	घ	कख	गघ	ङच
चौथा इत्यादि	-	-	-	-	-	-	-	-

टीप—(1) रात्रि में फेरे के कर्त्तव्य पर रहने वाले सिपाहियों को निरन्तर चलते रहना चाहिये और उन स्थानों पर विशेष ध्यान देना चाहिये जहाँ सेंध लगाये जा सकने की संभावना हो। दिन के दौरान कर्त्तव्यों पर तैनात सिपाहियों में से आधे को थाने या चौकी पर उपस्थित रहना चाहिये। कर्त्तव्य से निवृत्त सभी सिपाहियों को रात्रि में उपस्थित रहना चाहिये।

(2) जहाँ बल यथेष्ट रूप से बड़ा हो फेरों को मण्डलों में व्यवस्थित करना चाहिये, हर मंडल किसी उप-निरीक्षक या हेड कान्सटेबिल के प्रभार में हो। यदि चौकीदारों को निगरानी और पहरे के लिये काम में लिया जावे, उसके परिवेक्षण के कर्त्तव्य का पालन कान्सटेबिल द्वारा किया जावे। इस अधिकारी को विशेष गश्ती दल के साथ यह देखने को कि क्या फेरे पर तैनात सिपाही अपना कार्य उचित रूप से कर रहे हैं और चोरों को पता लगाने के लिये, चक्कर लगाना चाहिये। यह विशेष दल कभी-कभी लाभ के लिये सादा वस्त्र पहन सकता है। कस्बे में फेरे पर और रात्रि के विशेष गश्त पर तैनात सिपाहियों को भाले, सोटे, उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

(3) गश्त पर तैनात कान्सटेबिलों को रात्रि में रजिस्ट्रीकृत बुरे चरित्र वालों की चौकसी करने के लिये उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये।

195. रात्रि की गश्त के पूरक विकल्प के रूप में, कस्बों और नगरों में नाकाबन्दी के लिये टुकड़ी पदस्थ की जा सकती है :—

(1) रजिस्ट्रीकृत बुरे चाल चलन वालों के मकानों और मकानों तक के रास्तों की निगरानी के लिये (पैरा 236 से तुलनार करें)।

(2) अपराध के स्थल की ओर से आने या उस ओर जाने वाले अपराधियों के रोकने के लिये, साधारणतया दो सिपाही एक टुकड़ी बना लेंगे, किन्तु विशेष परिस्थितियों में उदाहरणार्थ यदि खतरनाक अपराधियों की मिलने की संभावना हो, इस संख्या को बढ़ा दी जावे। उन्हें घूमना-फिरना या आवास नहीं करना चाहिये, अपितु वे भली प्रकार छुपे रहें। नाकेबन्दी के हर सदस्य को बारीबारी से पहरा देना चाहिये और शेष को सोना चाहिये। यदि कोई बुरे चरित्र वाला व्यक्ति जिसके घर की नाकाबन्दी की गई हो; अपना घर रात्रि में छोड़े, टुकड़ों को साधारणतया उसका पीछा नहीं करना चाहिये। नाकाबन्दी की पद्धति का उपयोग बुरे चरित्र वालों का, जिनके बारे में अस्थायी रूप से सक्रिय होने का संदेह हो तथा उन क्षेत्रों में जहाँ डकैती और सेंध लगाना व्यापक हो, नियंत्रण के लिये काम में लायी जाती है।

अध्याय 18

विशेष गारद और अतिरिक्त पुलिस

196. गारदों और अनुरक्षण (मार्ग रक्षा) के बारे में सामान्य अनुदेशों के लिये अध्याय "गारद और अनुरक्षण के नियम 1928" को निर्देशित किया जावे।

197. प्रत्येक रात्रि की रिजर्व लाइन से, एक गश्ती दल मुख्यालय की सभी गारदों को, जो लाइन से प्रतिनियुक्त किए गये हों, परिदर्शन करेगा, परन्तु यह कि उप महानिरीक्षक मन्जूरी से पुलिस अधीक्षक यह निर्देशित कर सकता है कि लाइन से दूर किसी गारद या प्रत्येक रात्रि के बजाय कभी-कभी या अवसर पड़ने पर ही परिदर्शन किया जावे। यह गश्ती दल अपने मार्ग पर पड़ने

(ख) भारत सरकार ने—

(1) उत्तर प्रदेश में कोष भेजने के लिये पुलिस मार्गरक्षी दल के यात्रा और अन्य आनुषंगिक व्ययों के प्रभार के लिए और

(2) करेन्सी कार्यालय, कानपुर, अफीम और सर्वे विभाग को प्रदाय किए गए पुलिस गारद के वेतन, पर्यवेक्षण व्यय और भविष्य निधि अंशदान के कारण प्रभार के लिये, दायित्वाधीन होना स्वीकार कर लिया है।

किसी अनुदेश, प्रतिकूल अनुदेश के अभाव में, यह मान लिया जाना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार के विभागों, उदाहरणार्थ डाक विभाग को प्रदाय किये गये गारदों के लिए उपरोक्त पद (ख) (2) के अनुसार प्रभार धन लिया जावेगा।

199. निजी मनोरंजन के लिए भी गारद प्रदान की जा सकती है, किन्तु आफिस मैन्युअल के पैरा 158 मे दी गई दरों पर उसके लिये भुगतान लिया जावेगा।

200. जिला और नगर पालिका बोर्ड तथा अधिसूचित क्षेत्र नियम के तौर पर मेलों आदि के अवसरों पर, जो संस्थापित लो कर्त्तव्यों के स्वरूप के होते हैं विशेष पुलिस सुरक्षा के लिये कोई प्रभार देने के लिए दायित्वाधीन नहीं है। जिला प्रदर्शनी में कर्त्तव्यों पर प्रतिनियुक्त पुलिस, पुलिस एक्ट की धारा 13 के अधीन प्रदाय किए जाते हैं और उसी धारा के अधीन प्रदर्शनी के प्राधिकारियों से वसूली की जाती है। इन प्रभार धनों के बारे में विस्तृत नियम आफिस मैनुअल के चौदहवें अध्याय में पाये जावेंगे।

201. निजी संगठनों या व्यक्तियों से जो किसी मेले या संगठन करते हों आफिस मैनुअल में दी गई दर के अनुसार प्रभार धन लिया जाना चाहिये।

202. रेलवे को सुरक्षा प्रदाय करने और उसके लिये वसूली करने के विस्तृत नियम आफिस मैनुअल के पैरा 157 में विस्तार से दिये गये हैं।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अभिकर्ता की अपेक्षा पर पुलिस द्वारा मार्ग रक्षा दल प्रदाय करने के नियम, सिवाय उसके जबकि कोषालय अधिकारी यह प्रमाणित करे कि भेजी जाने वाली रकम सरकारी लेखे की है, आफिस मैनुअल के पैरा 157 में पाये जायेंगे। यह मार्ग रक्षा दल 1861 के पाँचवें अधिनियम की धारा 13 के अधीन प्रदाय किये जाते हैं।

203. इन विनियमों के पैरा 72 और 79 में यथाउपबन्धित के सिवाय काई अर्दली पुलिस अधीक्षक द्वारा उप महानिरीक्षक की मंजूरी के बिना न तो सेवा योजन में लगाया जायेगा और न प्रदाय किया जायेगा।

राजपत्रित अधिकारियों और रिजर्व इन्स्पेक्टर द्वारा उपयोग और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में सेवा के लिये अर्दली चपरासियों का एक पृथक् कर्मचारी मण्डल रखा जाता है।

204. जब भ्रमण पर हो, डिवीजन के कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक और उपमहानिरीक्षक को एक हेड कान्सटेबिलों और तीन कान्सटेबिलों की एक गारद उपलब्ध कराई जावेगी। जब वे निरीक्षण के लिये उनके भ्रमण के दौरान ऐसे स्थान पर परिदर्शन करें तो इलाहाबाद और लखनऊ को छोड़कर अन्य स्थानों पर इसी प्रकार की गारद उच्च न्यायालय के सम्माननीय न्यायाधीश अथवा राजस्व मण्डल के सदस्य को, जुडीशियल मेम्बर के अतिरिक्त, ऐसी गारद उपलब्ध कराई जावे।

ऐसी गारद उस जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदाय की जावेगी जहाँ ऐसे अधिकारी परिदर्शन करें। यदि आवश्यक हो तो पुलिस अधीक्षक उप-महानिरीक्षक को अपनी रेंज के रिजर्व से जहाँ ऐसे दावों की पूर्ति के लिये उपलब्ध हो, सहायता के लिये आवेदन करेगा।

205. सब डिवीजन का भारसाधक हर एक ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट और असिस्टेन्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी मजिस्ट्रेट व्यवस्था बनाये रखने के लिए भ्रमण पर अपने शिविर में रिजर्व लाइन द्वारा प्रतिनियुक्त सिविल पुलिस का एक कान्सटेबिल रखेगा। करवी (बाँदा) और ललितपुर (झाँसी) सब डिवीजनों के भारसाधक जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट को अपने निवास स्थान पर एक हेड कान्सटेबिल और तीन कान्सटेबिलों की एक सशस्त्र पुलिस गारद रखने की स्वीकृति है, वह इस गारद या इसके किसी भाग को भ्रमण पर जाते समय अपने शिविरों की रक्षा और व्यवस्था बनाये रखने के लिये अपने साथ ले जा सकते हैं।

206. यदि निर्देश करने के लिये समय, अधीक्षक की पुलिस एक्ट (1861 का पाँचवाँ) की धारा 13 के अधीन अतिरिक्त गारद प्रदाय करने के लिये, सिवाय तब कि जब कोई छोटी गारद बहुत ही थोड़े समय के लिये अपेक्षित हो, जिला मजिस्ट्रेट से परामर्श कर लेना चाहिये।

प्रदाय की गई गारद पर्याप्त रूप से इतनी बड़ी होनी चाहिये कि वह अपने कर्त्तव्य की दक्षता से पालन करने में और सिपाहियों को बिना कोई कठिनाई पहुँचाये, समर्थ हो सके। दिन और रात के कार्य के लिये गारद में चार सिपाहियों से कम का समावेश नहीं होना चाहिये। रेंज के उप-महानिरीक्षक की मंजूरी के बिना, निजी व्यक्तियों को प्रदाय की गई गारद के लिये आग्नेय शस्त्र प्रदाय न किये जावें।

207. (1) जब जिला मजिस्ट्रेट का यह अभिमत हो कि उसके अधिकारिता के किसी क्षेत्र में, जो उपद्रवी भयानक स्थिति में हो, पुलिस ऐक्ट (1861 का पाँचवाँ) अधिनियम की धारा 15 के अधीन अतिरिक्त पुलिस आरोपित की जावे, उसे घटना के घटित होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र अपना प्रस्ताव सरकार को एक साथ डिवीजन के कमिश्नर और पुलिस के महानिरीक्षक के माध्यम से, प्रस्तुत करना चाहिये, जिसमें पुलिस अधीक्षक का लिखित दृष्टिकोण का भी समावेश होगा। विलम्ब से चलने के लिये प्रारंभिक प्रकरण में अर्द्ध शासकीय पत्र व्यवहार का प्रयोग किया जा सकता है तथा जिला मजिस्ट्रेट को, निवासियों के उस वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त न होने के करण हुये विलम्ब से, जिनसे वह अतिरिक्त पुलिस का व्यय वसूल करना चाहता हो, अपने प्रस्ताव को स्थगित नहीं करना चाहिये, प्रारंभिक प्रस्ताव में सदैव ही विनिर्दिष्ट किये जावें :—

(1) बल्कि अब आरोपित करने के कारण,

(2) प्रस्तावित शक्ति और नियोजित की जाने वाली पुलिस की श्रेणी,

(3) यह कालावधि जिससे अतिरिक्त पुलिस आरोपित की जाना है,

(4) उन आनुषंगिक व्ययों के (यदि कोई हो) स्थूल अनुमान के साथ अनुशंसा की गई आरोपित अतिरिक्त पुलिस के अनुमानित (विस्तृत नहीं) व्यय, जिनकी अतिरिक्त पुलिस के व्यय के निर्धारण और वसूली में अन्तर्वलित होने की संभावना हो,

(5) सामान्यतया निवासियों या निवासियों का वर्ग जो व्यय उठायेंगे और व्यय भुगताने में उनकी सामर्थ्य, और

(6) वह क्षेत्र जहाँ अतिरिक्त पुलिस आरोपित होना हो।

पुलिस एक्ट (1861 का पाचवाँ) अधिनियम की धारा 15 के अधीन अतिरिक्त पुलिस के लिए आवेदन अग्रेषित करते हुये (आफिस आर्डर्स का पैरा 154) आयुक्त को यह विचार करना चाहिये कि क्या अपेक्षित राशि निर्धारितियों पर अधिक कठोरता से दबाव डाले बिना, वसूल की जा सकती है।

(2) अधिनियम की धारा 5 (3) सहपठित धारा 15 (2) के अधीन अतिरिक्त पुलिस का व्यय 15 (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा के पूर्व के काल के सम्बन्ध में अतिरिक्त पुलिस का व्यय निवासियों से वसूल नहीं किया जा सकता, अपितु वह सरकार पर आयेगा। इसलिए यह आवश्यक है

कि ज्यों ही अतिरिक्त पुलिस की आवश्यक प्रकट दिखाई दे प्रारंभिक अर्द्धशासकीय प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत कर दिये जावें।

(3) यह भी आवश्यक है कि अर्द्धशासकीय प्रस्ताव में इस बात की सावधानी अपनाई जावे कि उस क्षेत्र में जिसमें अतिरिक्त पुलिस आरोपित किया जाना है, वह सभी क्षेत्रफल सम्मिलित कर लिए जावें, जिनसे व्यय की वसूली सम्भाव्य हो क्योंकि अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन जारी की गई घोषणा से अधिक क्षेत्र आवश्यक हुआ तो प्रारंभिक रूप से अधिसूचित क्षेत्र के सम्बन्ध में अतिरिक्त पुलिस का व्यय एक तारीख से और अतिरिक्त क्षेत्र अधिसूचित होने पर उसके बारे में दूसरी तारीख किया जावेगा।

(4) यदि सरकार का यह समाधान हो जावे कि अतिरिक्त पुलिस का प्रस्ताव आवश्यक है तो वह (1861 का पाचवाँ) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन उद्घोषणा जारी करेगी।

(5) ऊपर विचार किए गए प्रारंभिक अर्द्धशासकीय प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट ने भेजा हो या न भेजे हों, उसे एक साथ डिवीजन के आयुक्त और पुलिस के महानिरीक्षक के माध्यम से औपचारिक प्रस्ताव यथासंभव शीघ्र भेज देना चाहिये। अपने औपचारिक प्रस्ताव में उसे उपरोक्त पैरा (1) में विनिर्दिष्ट सभी विषयों पर पूर्ण रूप से रिपोर्ट करना चाहिये, और इसके अतिरिक्त उसे छूट जिये जाने वाले निवासियों के वर्ग और उस क्षेत्र के बारे में, यदि कोई हो, जो मूल प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया था; किन्तु बाद में ऐसा प्रतीत हुआ हो कि उसे निकाल दिया जावे, के बारे में अपनी अनुशंसा भी भेजेगा। व्यय के बारे में एक प्रारूप विवरण पत्र चार प्रतियों में भेजा जाना चाहिये, किन्तु यदि इस विवरण पत्र के पूर्ण होने से औपचारिक प्रस्ताव भेजने में विलम्ब हो, उन प्रस्तावों को इस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कर देना चाहिये कि जितनी संभव हो सकेगा, व्यय के विवरण पीछे भेज दिये जावेंगे।

(6) जब कभी पुलिस एक्ट (1861 का पाचवाँ) अधिनियम की धारा 15 के अधीन आरोपित अतिरिक्त पुलिस के कार्य काल में विस्तार करना वांछनीय समझा जावे, प्रस्तावित विस्तार के कारणों और उसकी कालावधि सहित मजिस्ट्रेट द्वारा सरकार को संभाग के आयुक्त और पुलिस के महानिरीक्षक के माध्यम से एक रिपोर्ट एक साथ भेजी जानी चाहिये, इस प्रकार कि वह कालावधि समाप्त होने के एक मास पूर्व सरकार के पास पहुँचा जावे।

(7) अतिरिक्त पुलिस को बिना सरकार की मंजूरी के उस समय के पश्चात् जिसके लिये वह प्रारंभिक रूप से आरोपित की गई थी, न रोका जावे।

208. अन्य जिलों को कर्त्तव्य पर भेजे गये सभी बलों को प्रमाण-पत्र दिये जावें, और उन्हें यह अनुदेश भी जिया जावे कि यदि अपेक्षा में कोई अन्य स्थान वर्णित न किया गया हो तो वह रिजर्व लाइन में अपनी रिपोर्ट दें।

जब किसी दूसरे जिले को विशेष कर्तव्य पर भेजा जाना हो, अच्छे सिपाही छाँटे जाना चाहिये।

स्थानान्तरण के सभी मामलों में प्रारूप क्रमांक 232 में अंतिम वेतन और प्रभार-पत्र तैयार किए जावें और अग्रेषित कर दिए जावें।

209. दूसरे जिलों की पुलिस की मार्ग रक्षा में भेजे गए विचाराधीन बंदियों और पागलों के रेलवे भाड़े और भोजन पर व्यय किये जाने वाला धन स्थायी अग्रिम रूप से भुगतान किया जाना चाहिए और तत्पश्चात् उसकी पुनर्पूर्ति "शव, आहत और अभियुक्यों के परिवहन" के अनुदान से कर ली जावे।

210. दोषसिद्ध व्यक्तियों पर जिनकी उपस्थिति न्यायालय द्वारा चाही जावे, किये जाने वाले व्ययों और प्रभारों के नियमों के लिये गवर्नमेंट आर्डर्स की पुस्तिका देखिये।

किसी बन्दी के परिवहन के व्यय के लिये न्यायालय द्वारा भुगतान किए गए धन को "प्रिजनर्स टेस्ट मनी एक्ट के अधीन प्राप्ति" शीर्ष में जमा किया जावे।

211. भारत के राज्यों के बाहर भेजे गये कैदियों के साथ जाने वाली पुलिस गारद तथा भेजे जाने वाले अनुरक्षकों की सहायता यथासम्भव स्थानीय एवं रेलवे पुलिस द्वारा की जानी चाहिए।

212. किसी भी पंक्ति के दो से अनधिक पुलिस अधिकारी किसी भी कैदी को ले जाने हेतु भारतीय रेलवे की किसी मालगाड़ी को असाधारण रूप से रोकने के लिए तथा उसके ब्रेक वैन में यात्रा करने के लिए प्राधिकृत हैं, यदि—

(क) कैदी के उन्मोचित (छुड़ा लिये जाने) कराने का खतरा है;

(ख) कैदी की चिकित्सकीय देखभाल आवश्यक है जिसे कि स्थल पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है;

(ग) कैदी अन्धेरा होने से पूर्व हवालात में निरुद्ध नहीं किया जा सकता। यदि किसी यात्री गाड़ी की प्रतीक्षा की जाती है। पुलिस अधीक्षक को सम्बंधित अधिकारियों तथा व्यक्तियों पर इस बात का प्रभाव डालना चाहिए कि इन रियायतों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

नोट—भारत में इस तरह की सुविधा का प्रचलन वर्तमान समय में व्यवहार के रूप में समाप्त कर दिया गया है।

213. प्राप्त हो सकने वाली इस सुविधा का उपयोग रेल के द्वारा कोष का मार्ग रक्षण करने के समय किया जावे। ये सुविधाएँ रेलवे के 'कोचिंग टेरिफ' में पाई जावेंगी और भेजे जाने वाले कोष के भार के अनुसार एक या अधिक सिपाहियों के लिए निःशुल्क यात्रा के स्वरूप की है।

214. जेल प्राधिकारी जेल के बाहर चिकित्सालय को भेजे गये बन्दिशों और दो सिपाहियों की रक्षा के लिए उत्तरदायी है। एक केवल संकट काल में ही पुलिस गारद को इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया जावे, जबकि सिविल चिकित्सालय को भेजे जाने वाले बन्दियों की संख्या जेल कर्मचारी मण्डल की संख्या के 25 प्रतिशत से भी अधिक कम हो जाने से यह आवश्यक हो जावे, परिस्थितियों की रिपोर्ट तत्काल रेन्ज के उपमहानिरीक्षक को भेजी जावे।

अध्याय 19

फरार अपराधी

215. जब कभी थाने का भारसाधक अधिकारी या दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय बारहवें के अधीन अन्वेषण कर रहा कोई अधिकारी संतुष्ट हो जावे कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन गिरफ्तार करने को सशक्त है, फरार हो गया है या अपने को छुपा रहा है जिससे कि उसकी गिरफ्तारी न की जा सकें, उसे अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट से एक के पश्चात् एक, गिरफ्तारी का वारन्ट जारी करने, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन घोषणा जारी करने और धारा 83 के अधीन कुर्की का आदेश देने के लिए निवेदन करना चाहिये। ऐसे सभी आवेदन किन्हीं विशिष्ट मामलों में जितनी शीघ्रता से वांछनीय हो किये जाना चाहिये, अन्वेषण के निष्कर्ष के लिये उन्हें विलम्बित करने की आवश्यकता नहीं है, और गिरफ्तारी-वारन्ट उद्घोषणा और कुर्की का कोई विधिक रूप से एक के बाद दूसरा उनके उचित क्रम में उसी दिन, जारी किया जा सकेगा। किसी अधिकारी को जो न्यायालय से उद्घोषणा जारी करने को कहता है, यह सिद्ध करने के लिए कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी वांछनीय है, वह फरार हो गया है, विधिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये, तैयार रहना चाहिये और किसी अधिकारी के न्यायालय को सन्तुष्ट करने के लिये, फरार व्यक्ति के सम्बन्ध में व्यक्तिगत जानकारी न रखता हो, केवल अभिकथन रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिये। जब कुर्की का आदेश जारी हो गया हो तो उसे अपना संतोष करना चाहिये कि यह पर्याप्त रूप से निष्पादित किया गया है।

216. कोई व्यक्ति, जिसकी उपसंजाति के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी की गई हो, इस अध्याय के आशयों के लिये 'फरार अपराधी' होगा।

217. फरार अपराधी क और ख, दो वर्गों में बांटें जावेंगे। वर्ग क में वह सभी फरारों, जिनके नाम, जाति, निवास और पूर्व इतिहास, सभी शंका सम्भावनाओं से परे सत्यापित हो चुका हो, सम्मिलित होंगे। वर्ग ख में, केवल उन्हीं व्यक्तियों का समावेश होगा जिनके वास्तविक नाम, पता और पूर्व इतिहास विनिश्चित न हुये हों।

टीप—सभी देशान्तरगामी फरार दोषसिद्धि के स्वमेव वर्ग 'क' के फरार अपराधी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किये जावेंगे।

218. हरेक थाने में रजिस्टर प्रारूप क्रमांक 214 में रखा जावेगा, जिनमें संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामलों के सभी फरार अपराधियों के नाम और पूरी विशिष्टियां प्रविष्ट की जावेंगी, वर्ग क और ख के अधीन आने वाले व्यक्ति पृथक से दर्शाये जावेंगे। वर्ग क का हर एक फरार अपराधी उसे हर एक थाने के रजिस्टर में जिसमें उसकी पत्नी, पिता, माता, पुत्र, पुत्रियां, भाई या बहिनें रहती हों तथा उस थाने के रजिस्टर में—(1) जिसमें वह स्वयं रहता हो, और (2) जिसमें वह अपराध जिसके लिये उसकी जरूरत है, किया गया हो, दर्शाया जावेगा। उस जिले के जिसमें अपराध किया गया है, अधीक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि उन अन्य जिलों के अधीक्षकों को जिनमें रहने या सम्बन्धों के कारण उसे पंजीबद्ध होना चाहिये, सूचित करे, और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उन अधीक्षकों को अपने जिलों में फरारियों के नाम पंजीबद्ध करने का कर्तव्य होगा। वर्ग ख के फरार को केवल उन थानों में पंजीबद्ध होना आवश्यक होगा जिसमें फरार ने, जिसके लिये वे सम्बन्धित थे, अपराध किया हो। रजिस्टर या स्तम्भ 17 अध्यानत रखा जाना चाहिये और जब कभी किसी फरार अपराधी के रिश्तेदार या साथी अपना पता बदले, थानेदार, अधीक्षक को सूचित करेगा। यदि वह अपराध जिसके लिए फरार व्यक्ति की आवश्यकता है, उसके जिले में किया गया हो तो वह अधीक्षक अन्य सभी सम्बन्धित जिलों और थानों तक सूचना पहुँचायेगा, अन्यथा वह उस जिले के अधीक्षक को जिसमें अपराध किया गया था, को सूचित करेगा और बाद वाला अधिकारी तब सभी सम्बन्धियों को सूचित करेगा।

219. मुख्यालय पर लोक अभियोजक पूरे जिले के लिए थाना रजिस्टर के प्रारूप में ही एक रजिस्टर अंग्रेजी में बनाये रखेगा, प्रत्येक वर्ग क और ख के लिए प्रत्येक भाग आवन्टित किये जावें। उसका रजिस्टर केवल उन्हीं फरार अपराधियों के नामों को समावेश करेगा, जो उस जिले में विचारण के योग्य हों, सरकारी रेलवे पुलिस की आवश्यकता होने वालों के सिवाय जिनके लिए रेलवे पुलिस का लोक अभियोजक रजिस्टर बनाये रखता है।

जिले के फरार अपराधियों के वार्षिक प्रविवरण की अभियुक्तियों के शीर्ष में उस जिले में निवास करने वाले फरार व्यक्तियों की संख्या दर्शाई जावे जो लोक अभियोजन के रजिस्टर में अंकित हों।

220. अधीक्षक, निम्नलिखित में से किसी भी कारण से रजिस्टर से किसी फरार अपराधी का नाम निकाल दिये जाने की आज्ञा दे सकता है।

(1) गिरफ्तारी

(2) सुनिश्चित मृत्यु

(3) जब सभी महत्वपूर्ण साक्षियों की मृत्यु या लापता हो जाने के कारण, और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा के अभाव में, या अन्य किसी कारण से अपराधी के विरुद्ध सफल अभियोजन के लिए अपराध अपर्याप्त पाई जाने पर,

(4) उस दिनांक से जब फरार व्यक्ति को अन्तिम बार जीवित सुना गया हो, 'क' वर्ग के, अपराधियों के मामले में 30 वर्ष और 'ख' वर्ग के मामलों में 5 वर्ष व्यपगत हो जाने पर।

221. जिला मजिस्ट्रेट अपने जिले में विचारणीय किसी अपराधी के नाम को अपलोपित करने का आदेश पारित कर सकता है, चाहे पूर्वगामी पैरा में दी गई शर्तों की पूर्ति न हुई हो, जब कभी उसका यह विचार हो कि अपराध के नगण्य होने के कारण फरार की तलाश करना अनावश्यक है, परन्तु यह

कि वह इस प्रकार ऐसे अपराध को नहीं मिटा देगा जो एकत्र रूप से सेशन न्यायालय के द्वारा विचार योग्य हो।

जिला मजिस्ट्रेट वर्ष में एक बार या तो थाने के निरीक्षण या फरार अपराधियों की सूची के परीक्षण द्वारा यह विचार करेगा कि क्या कोई नाम हटा दिया जाना चाहिये। जब कभी किसी फरार अपराधी का नाम जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा हटा दिया जावे तो उसके विरुद्ध बिना जिला मजिस्ट्रेट की मन्जूरी के, परिवाद के सिवाय अभियोग नहीं चलाया जा सकेगा।

222. हर उस मामले में जिसमें अभियुक्त फरार हो गया हो, अत्यन्त छोटे और नगण्य प्रकृति के मामलों या जहाँ विशेष परिस्थितियाँ विद्यमान हों, जो प्रक्रिया को अनावश्यक या अवांछनीय बना देती हों, के सिवाय, न्यायालय से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के अधीन साक्ष्य अभिलिखित करने को कहा जाना चाहिये। यद्यपि पुलिस को उनके विरुद्ध धारा 83 या 299 के अधीन कार्यवाही की प्रतीक्षा किये बिना फरार व्यक्तियों के नाम पंजीकृत कर लेना चाहिये। सभी मामले में विशेष कारणों से धारा 299 के अधीन साक्ष्य अभिलिखित न की गई हो, उप-महानिरीक्षक के सामने उसके निरीक्षण के समय प्रस्तुत किये जावें।

भावी विचारण के समय धारा 299 के अधीन अभिलिखित साक्ष्य ग्रहण किये जाने के योग्य हो सकें, इसके लिए वह सिद्ध किया जावे और अभिलेख पर लाया जावे कि अपराधी फरार हो गया है और उसके गिरफ्तार किया जाने की कोई तात्कालिक आशा नहीं है। धारा 299 के उपबन्धों की सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जावे।

टीप—कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के पश्चात फरार हो जाता है तो उस व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की का प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता 83 में दिया गया यह धारा निम्नवत है—

83. फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की—(1) धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय उद्घोषित व्यक्ति की किसी जंगम या स्थावर या दोनों प्रकार की सम्पत्ति की कुर्की का आदेश घोषणा के जारी किये जाने के पश्चात् लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों के आधार पर किसी समय भी दे सकेगा।

परन्तु घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ-पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में उद्घोषणा निकाली जानी है—

(क) अपनी समस्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, अथवा

(ख) अपनी समस्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ कुर्की का आदेश दे सकेगा।

(2) ऐसा आदेश उस जिले में की, जिसमें वह दिया गया हो, उस व्यक्ति की किसी भी सम्पत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी सम्पत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जह वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसके जिले में ऐसी सम्पत्ति स्थित हो, पृष्ठांकित कर दिया जाये।

(3) यदि कुर्की की जाने का आदेश दी गई सम्पत्ति, ऋण या अन्य जंगम सम्पत्ति हो, तो इस धारा के अधीन कुर्की—

(क) अभिग्रहण द्वारा, अथवा

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा, अथवा

(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस सम्पत्ति का किराया देने या उस सम्पत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा, अथवा

(घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से, ऐसा न्यायालय ठीक समझे, की जाएगी।

(4) यदि कुर्क की जाने का आदेश दी गई सम्पत्ति स्थावर हो तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से, जिसमें भूमि स्थित हो, और अन्य सब दशाओं में—

(क) कब्जा लेने द्वारा अथवा

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा अथवा

(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी सम्पत्ति का किराया देने या उस सम्पत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा, अथवा

(घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से, जैसा न्यायालय ठीक समझे की जाएगी।

(5) यदि कुर्क की जाने का आदेश दी गई सम्पत्ति जीवधन हो या विनिश्चय प्रकृति की हो तो, यदि न्यायालय समीचीन समझे, वह उसके तुरन्त विक्रय का आदेश दे सकेगा और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे।

(6) इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियाँ, कर्त्तव्य और दायित्व वे ही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं।

1-तत्सम्बन्धी पूर्व विधि-दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की यह धारा पूर्व संहिता की धारा 88 (1) चरण 1 से 6 के अनुरूप है।

फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की के आदेश के सम्बन्ध में इस धारा में नियम अभिकथित किया गया है। इस धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय को उद्घोषित व्यक्ति की चल व अचल सम्पत्ति की कुर्की के बारे में आदेश पारित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

इस धारा की उपधारा (2) और (3) में सम्पत्ति को कुर्क किये जाने की रीति बतलायी गयी है।

इस धारा की उपधारा (2) में यह बतलाया गया है कि कुर्की का आदेश जारी करने वाला मजिस्ट्रेट यदि जिले की स्थानीय सीमा से बाहर स्थित सम्पत्ति की कुर्की के बारे में आदेश जारी करता है तो उस दशा में उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर ऐसी सम्पत्ति स्थिति है, उस मजिस्ट्रेट के द्वारा पृष्ठांकित किया जाना अनिवार्य होगा।

इस धारा की उपधारा (3) के अन्तर्गत उस दशा में कुर्की की प्रक्रिया अभिकथित की गई है जबकि कुर्क कराये जाने के लिए आदेशित सम्पत्ति ऋण या अन्य जंगम सम्पत्ति हो।

इस उपधारा के अनुसार ऐसी दशा में कुर्की—

(क) अभिग्रहण द्वारा की जायेगी, अथवा

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जायेगी, अथवा

(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस सम्पत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध कराने वाले लिखित आदेश द्वारा की जायेगी।

अध्याय 20

बुरे चरित्र वालों का पंजीकरण और निगरानी

223. ग्राम अपराध नोटबुक हर थाने पर रखा जाने वाला एक गोपनीय अभिलेख है और उस मण्डल के हर अपराध और अपराधी के बारे में उसमें सूचना का समावेश रहता है। थाने का भारसाधक अधिकारी उसकी सुरक्षित अभिरक्षा और विषयवस्तु के लिये उत्तरदायी है। उन नगरों और कस्बों में जो एक नोट बुक के लिये बहुत बड़े हों, हर मोहल्ले या अन्य खण्ड के लिये एक पृथक् नोट बुक रखी जानी चाहिये।

भाग एक, दो और तीन में प्रविष्टियाँ थाने के भारसाधक अधिकारी के पर्यवेक्षण में किसी अधीनस्थ द्वारा की जा सकती हैं। भाग 4 में प्रविष्टियाँ भारसाधक अधिकारी द्वारा ही की जावेंगी। भाग 5 में प्रविष्टियाँ आगे के पैरा 228 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार की जावेंगी।

224. भाग एक में जनसंख्या, दूरस्थ गाँव, राजस्व हाट के दिन, मुख्य जातियाँ जन-जातियाँ, मुखिया, मुख्य भू-स्वामी, अन्य प्रमुख व्यक्तियों और गाँवों के चौकीदार के विवरण दर्शाये जावेंगे। केवल गाँव में रहने वाले, "अन्य प्रमुख व्यक्ति" शीर्षक के अधीन दर्शाये जाने चाहिये।

225. भाग 2 में गाँव के क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर कारित हुए उन सभी अपराधों के विवरण जो (1) अंज्ञेय और पुलिस को रिपोर्ट किए गए हों, (2) भारतीय दण्ड संहिता की निम्न धाराओं या अन्य विधियों के अधीन आते हों, जाहे मूल रूप से रिपोर्ट किये या पुलिस द्वारा व्यवहृत किए गए हों, या न हों, प्रविष्ट किये जावेंगे—

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121, 121-क और 124-क राज्य के विरुद्ध अपराध, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 465 से 469-कूट रचना, भारतीय दण्ड संहिता की धारायें 489-ए से 489-बी तक मुद्रा और बैंक नोट की कूटरचना। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारायें 109 और 110—बुरी जीविका, सार्वजनिक जुआ अधिनियम—1967 का तीसरा—सामान्य जुआघर और बनाना और उसमें जुआ खेलना।

1910 के अधिनियम क्रमांक 4 की धारायें 68, 62, 63 और 65 आबकारी अधिनियम के अधीन अपराध।

1878 के अधिनियम क्र०। की धारा 9—अधीन अधिनियम के अधीन अपराध।

1959 के अधिनियम क्रमांक 54 की धारायें 25 और 26—आयुध अधिनियम के अधीन अपराध।

1924 के अधिनियम क्रमांक छः की धारायें 21, 22, 23, 24 और 25—आपराधिक जन-जाति अधिनियम।

आपराधिक जन-जाति अधिनियम, 1924 का छठां, की अनुसूची में गिनाये गए, अधिनियम की धारा 3 के अधीन आपराधिक जन-जाति होना घोषित, जनजाति के सदस्यों के दोषसिद्ध अपराध।

सभी अपराध प्रविष्टि किए जावेंगे, चाहे वह सही या झूठे रिपोर्ट किए गए हों, यदि मामला हटा दिया जावे तो तथ्य अंतिम शीर्ष में अंकित किए जावेंगे, अन्य शीर्षों की प्रविष्टियाँ स्थिर रहेंगी।

226. भाग 3 में गाँव के सभी निवासी निम्नलिखित अपराधों के दोषसिद्ध व्यक्तियों के विवरण होंगे—

'क'

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 75 के आशयों के लिए

भारतीय दण्ड संहिता का अध्याय बारह— धारायें 241, 254 और 262 के अधीन दण्डनीय अपराधों के सिवाय सभी अपराध।

भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय सत्रह

धाराएँ 379 से 382—सभी प्रकार की चोरियाँ।

धाराएँ 385 के सिवाय, धाराएँ 384 से 389—सभी प्रकार के उद्दापन।

धाराएँ 395, 316, 399 और 402—सभी प्रकार की डकैती।

धाराएँ 400 और 401—चोरी या डकैती के दल से सम्बन्धित होना।

धाराएँ 406 से 408—आपराधिक न्याय भंग।

धाराएँ 409—लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग।

धाराएँ 411 से 414—चोरी की हुई सम्पत्ति प्राप्त करना।

धाराएँ 418 से 422—छल।

धाराएँ 429 से 433 और 435 से 440—गम्भीर रिष्टि ।

धाराएँ 449 से 452—अपराध करने के लिए गृह अतिचार।

धाराएँ 454 से 457—प्रछन्न गृह अतिचार या साधारण से अन्य गृह भेदन।

धारा 458—गृह भेदन के सभी प्रयास।

धाराएँ 459 और 460—गृह भेदन में कारित घोर अपहति या मृत्यु।

धारा 462—न्यास में प्राप्त बन्द पात्र का कपटपूर्वक खोलना।

'ख'

ह्वीपिंग एक्ट, 1909 को चौथे की धारा 3 और 4 के आशयों के लिए

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376—बलात्कार, धारा 377—अप्राकृतिक अपराध।

'ग'

आपराधिक जन-जाति अधिनियम की धारा 22 और 33 को, और अधिनियम की धाराएँ 21, 22, 24 और 25 के अधीन या अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित किसी अपराध के लिए, आपराधिक जन-जाति अधिनियम की धारा 3 के अधीन आपराधिक जन-जाति होना घोषित हुई जन-जाति के सदस्यों की दोषसिद्धि के आशयों के लिए।

'घ'

अन्य अपराध

भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 121, 121-क और 124-क राज्य के विरुद्ध अपराध।

धारा 170—लोक सेवक का प्रतिरूपण करना।

भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 212, 213, 215, 216 और 216-क—संश्रय देना या लोक न्यास के विरुद्ध अन्य अपराध।

धारा 311—ठग होना।

धाराएँ 363 से 369—व्यपहरण।

धारा 461—बेईमानी से बन्द पत्र को तोड़कर खोलना।

धारा 465 से 469—कूट रचना।

धाराएँ 489-क से 489-घ—बैंक और मुद्रा नोट्स की कूट रचना।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराएँ 109 और 110-बुरी जीविका।

1867 के अधिनियम क्रमांक तीसरे की धाराएँ 3 और 4—सामान्य जुआघर को बनाये रखना और उसमें जुआ खेलना।

1910 के अधिनियम क्रमांक चार की धारा 60, 62, 63 और 65—आबकारी अधिनियम के अधीन अपराध।

1878 के अधिनियम क्रमांक 1 की धारा 9—अफीम अधिनियम के अधीन अपराध।

1959 के अधिनियम क्रमांक 54 की धारा 25 और 26—आयुध अधिनियम के अधीन अपराध।

भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित धाराओं के अधीन दोषसिद्धि व्यक्तियों के पुलिस नाम, अधीक्षक के केवल विशेष आदेश द्वारा भाग 3 में प्रविष्ट किये जावेंगे—

धाराएँ 143 से 153—बलवा, विधि विरुद्ध जमाव।

धारा 302—हत्या।

धारा 304—आपराधिक मानव वध।

धारा 307—हत्या करने का प्रयत्न।

धाराएँ 324 से 325—अपहति और घोर अपहति ।

भाग तीन के अभियुक्तियों के स्तम्भ में अपराधों की प्रकृति, यथा—''पशु चोरी'', ''बहुमूल्य आभूषण रोकने की चाल'' दर्शाई जावेगी। यदि कोई पूर्व दोषसिद्ध प्रसिद्ध दल का सदस्य हो तो इस तथ्य को भी अंकित किया जावेगा। सेन्धमारी के लिये सजायाफ्ता व्यक्तियों की कार्यप्रणाली वर्णित की जानी चाहिये। यदि कोई पूर्व दोषसिद्ध स्थायी रूप से अपना निवास बदल ले, तो अन्तिम स्तम्भ में नया निवास अंकित किया जायेगा और उस गाँव के रजिस्टर के, जिसमें वह गया है, भाग तीन में उसका नाम प्रविष्ट किया जावेगा। उस दोषसिद्ध व्यक्ति का नाम, जो केवल एक बार दोषसिद्ध किया गया हो और जिसकी हिस्ट्री शीट कभी भी न खोली गई हो उसकी सजा से बीस वर्ष व्यतीत हो जाने पर; हटा दिया जावेगा। अन्य दोषसिद्ध व्यक्तियों के नाम केवल उनकी मृत्यु के बाद हटाये जावेंगे।

प्रत्येक थाने में ग्राम अपराध नोट बुक के भाग तीन में वर्णक्रमानुसार निम्नलिखित शीर्षों में विभाजित एक विषय सूची बनाई जावेगी और प्रत्येक के लिये अलग रजिस्टर, या भाग आवंटित किया जावेगा—डकैती, पशु चोरी, जेबकटी, रेलवे सवारी चोरी, मालगाड़ी से चोर, बाइसिकिल चोरी, विविध चोरियाँ, विषदान, पशु विषदान, बुरी जीविका, सिक्का कूटकरण, कूट रचना, कोकीन और अफीम की तस्करी, छल, अनैतिक आशाओं के लिये व्यपहरण, राज्य के विरुद्ध अपराध, टेलीग्राफ के तारों को काटना और भाग तीन में विशिष्ट ''अन्य विविध अपराध''।

सूची उप-महानिरीक्षक या पुलिस के अधीक्षक के आदेश द्वारा अतिरिक्त उप विभाजित की जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति इन शीर्षों में से एक से अधिक के अधीन जाने वाले अपराधों के लिए दोषसिद्ध हो तो उसका नाम हर एक में प्रविष्ट किया जावेगा।

227. भाग चार में धार्मिक त्योहार और विवाद, सम्पत्ति पर विवाद, दल, रेल्वेज,नहर टेलीग्राफ को प्रभावित करने वाले अपराध, आपराधिक रिश्वत प्रस्तुत करना, संगठित अपराध जैसे पशु चोरी का प्रचलित यह तथ्य कि दल रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत दल का कोई सदस्य गाँव में रहता या प्रवृत्त रहता है, और इसी जैसी अन्य विषयों जो कि पुलिस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हों, से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ सम्मिलित होंगी। अपराध के सभी विशेष महत्वपूर्ण प्रारम्भ भी कुछ विस्तार से प्रविष्ट होंगे। हर एक प्रविष्टि का विषय दर्शाते हुए, एक संक्षिप्त नोट इसके विरुद्ध हाशिये में किया जावेगा। प्रविष्टियाँ, उनके किये जाने के पूर्व, अनुमोदन के लिये अधीक्षक को प्रस्तुत की जावेंगी।

हिस्ट्री शीट (अपराध लेख) और निगरानी

228. भाग पाँच में हिस्ट्री शीट का समावेश होगा। यह निगरानी के अधीन अपराधियों का व्यक्तिगत अभिलेख होता है। हिस्ट्री शीट केवल उन व्यक्तियों की खोली जानी चाहिये, जो अभ्यासिक अपराधी या ऐसे अपराधियों के दुष्प्रेरक हों या उनका ऐसा हो जाना सम्भाव्य हो। शीट के दो वर्ग होंगे :—

(1) डकैत, सेन्धमार, पशु चोर, रेलवे डिब्बों से माल के चोर, और उनके दुष्प्रेरकों के लिये वर्ग 'क' हिस्ट्री शीट।

(2) उन पुष्ट और पेशेवर अपराधियों, जो डकैती, सेन्धमारी, पशु चोरी और रेलवे डिब्बों से माल की चोरी के सिवाय अन्य अपराध करने वालों, पेशेवर छल और अन्य विशेषज्ञ जिनके लिए अपराध अन्वेषण विभाग द्वारा आपराधिक व्यक्तिगत नत्थियाँ बनाये रखी जाती हैं, विषदाता, पशु विषदाता, रेलवे यात्री चोर, जेबकतरी विशेषज्ञ, कूट रचक, सिक्के के कूटकरणकर्ता, कोकीन और अफीम के तस्कर, विख्यात बदमाश और गुंडे, टेलीग्राफ के तार काटने वाले, आभ्यासिक निषिद्ध शराब उतारने वाले और उनके दुष्प्रेरक के लिए वर्ग ख हिस्ट्री शीट ।

दोनों हिस्ट्री शीट समान प्रारूप रखे जावेंगे। परन्तु 'ख' वर्ग के लिए, पहले पेज के शीर्ष पर लाल डन्डा चिह्नित करते हुये सुभेदित किया जावेगा। वर्ग ख के हिस्ट्री शीट का वर्ग 'क' का हिस्ट्री शीट में नहीं बदला जा सकेगा। चाहे वर्ग 'ख' हिस्ट्री शीट में होने वाले व्यक्ति डकैती, सेंधमारी, पशु चोरी या रेलवे माल डिब्बों से चोरी में लिप्त होते पाये जावें। वर्ग क और वर्ग ख दोनों के लिये निगरानी पैरा 238 के अधीन उस पर लागू हो सकेंगी। वर्ग क के हिस्ट्री शीट के व्यक्ति के विविध अपराधों में लिप्त हो जाने की दशा में अधीक्षक की मन्जूरी से उसकी वर्ग क हिस्ट्री शीट वर्ग ख हिस्ट्री शीट में बदली जा सकेंगी।

टिप्पणी

किसी अपराधी के इतिवृत्ता (History sheet) की अधिकारिता तब प्रारम्भ होती है जब यह देखा जाय कि वह एक पुष्ट या पेशेवर अपराधी है जिसके लिये कुछ आधार या तथ्य होना चाहिये और इसके अनुपस्थिति में इतिवृत्ता चलाना अवैध व बिना अधिकारिता के होगा।

229. हिस्ट्री शीटों के क और ख वर्गों में वर्गीकरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि जहाँ डकैती, सेंधमारी या पशुचोरी या रेलवे डिब्बों से माल की चोरी करने वालों के आचरण सुधारे जाने की हमेशा आशा होती है, वहाँ विविध अपराधों के विशेषज्ञ जैसा कि नियम हैं, सुधार के अयोग्य होते हैं। इसलिए वर्गीकरण, एकमात्र उस अपराध की प्रकृति पर किया गया है, जिसमें संदेहित, लिप्त और केवल निम्न को विनियमित करने के लिए किया गया है—

(1) उसके विरुद्ध किसी शिकायत के न होने पर निगरानी के अधीन समय की वह लम्बाई जिसमें साधारणतया संदेहित व्यक्ति को निगरानी के अधीन रखा जाना चाहिये।

(2) निगरानी के प्रकृति जिसकी उसके कार्यकलाप अपेक्षा करते हों, संदेहाधीन का प्रयोग की जाने वाली निगरानी के प्रकार की कोटि उसके वर्गीकरण पर निर्भर नहीं करेगी, किन्तु उस विस्तार पर निर्भर करेगी जिसमें किसी समय पर उसके सक्रिय होने का विश्वास किया जाता है।

230. यदि क वर्ग हिस्ट्री शीट के अधीन व्यक्ति इतना खतरनाक या सुधार के अयोग्य समझा जावे कि उसके लिए उस वर्ग की सामान्यता से अधिक सुरक्षित निगरानी अपेक्षित है, वह अधीक्षक के आदेश के द्वारा तारांकित किए जा सकेंगे। यहाँ पुनः यह तथ्य कि हिस्ट्री शीट के अधीन व्यक्ति तारांकित है, आवश्यक रूप से केवल यह संकेत करेगा कि उसे लम्बे समय के लिये निरन्तर निगरानी के अधीन रखा जाना है। वह आवश्यक रूप से यह संकेत नहीं करेगा कि उसकी निगरानी, जब तक वह चलती रहे प्रबल रूप से ही। उद्देश्य उन अपराधियों के बारे में होता है जो तारांकित हो, जिसके द्वारा उसके अस्थायी रूप से सक्रिय होने का विश्वास किया जाता हो। जिला पुलिस का अधीक्षक रेलवे पुलिस के किसी संदिग्ध हिस्ट्री शीट के अधीन व्यक्ति को तारांकित करने या निगरानी बन्द करने के लिये आदेश सरकारी रेलवे पुलिस अधीक्षक की सहमति के बिना नहीं दे सकेगा।

231. वर्ग 'क' के हिस्ट्री शीट के अधीन व्यक्ति जब तक कि वह तारांकित न किये गये हों, कम से कम से कम दो निरन्तर वर्षों के लिए, जिनमें उनका कोई भाग जेल में व्यतीत न हुआ हो, निगरानी के अधीन रखे जावेंगे। जब वर्ग 'क' वर्ग हिस्ट्री शीट के अधीन व्यक्ति जिनके नाम तारांकित न किए गये हों, यदि निरन्तर दो वर्षों तक किसी संज्ञेय अपराध के लिये दोषसिद्ध न ठहराया गया हो, और जेल में न रहे हों या उस पर किसी अपराध के करने का संदेह न हो या संदेहित परिस्थितियों में अपने आपको अनुपस्थित न रखा हो, तो उनकी निगरानी बन्द कर दी जावेगी, जब तक कि थाने की निरीक्षक पुस्तक में, अभिलिखित किए गए विशेष कारणें से अधीक्षक विनिश्चय न करे कि वह जारी रखा जावे।

जब वर्ग क हिस्ट्री शीट का व्यक्ति तारांकित किया गया हो, तो वह कम से कम ऐसे दो निरन्तर वर्षों जिसमें वह जेल में न रहा हो, या संज्ञेय अपराध का संदेहित न हो या उसके विरुद्ध अभिलिखित किसी संदिग्ध रूप से अनुपस्थित न रहा हो, के लिये तारांकित रहेगा। इस अवधि की समाप्ति पर, यदि उसके सुधर जाने का विश्वास हो, तो उसका तारांकित किया जाना बन्द कर दिया जावेगा, परन्तु कम से कम अतिरिक्त दो वर्षों के लिये निगरानी के अध्याधीन रहेगा, जिसकी समाप्ति पर उसकी निगरानी बन्द कर दी जावेगी, यदि इस अवधि के दौरान उसके विरुद्ध कोई शिकायत अभिलिखित न की गई हो।

किसी अतारांकित पूर्व दोषसिद्ध और विशेषतया पूर्व दोषसिद्ध डकैत की हिस्ट्री शीट बन्द करने में बहुत सावधानी का प्रयोग करना चाहिये।

232. 'ख' वर्ग की हिस्ट्री शीट निरन्तर रूप से खुला रहने वाला अभिलेख होगा और इस शीटों के अधीन व्यक्ति, बहुत विशेष कारणों के सिवाय, मृत्यु तक निगरानी के अधीन रहेंगे ऐसा होने के कारण इस वर्ग के संदिग्ध व्यक्तियों को तारांकित करना आवश्यक है।

233. हिस्ट्री शीट के अधीन व्यक्ति की निगरानी या उसको बन्द कर दिये जाने का परिणाम उस हिस्ट्री शीट को बन्द करना नहीं होता है, हिस्ट्री शीट का जो केवल सूचना का अभिलेख होती है, कभी बन्द हो गई नहीं समझी जाना चाहिये। उस व्यक्ति के मामले में जिसकी निगरानी रोक दी गई हो, इस आशय की एक टीप हिस्ट्री शीट में अंकित की जानी चाहिये और उसके बाद नियतकालिक

या अन्य प्रविष्टि करना आवश्यक नहीं है, जब तक कि ऐसी कोई सूचना न आई हो, जिसका शीट में प्रविष्टि किया जाना वांछनीय हो। उन व्यक्तियों की शीट जिनकी निगरानी रोक दी गई हो, उस ग्राम की अपराध पुस्तिका में रहने दी जाना चाहिये, परन्तु यदि संख्या इतनी अधिक हो कि जिल्द बहुत मोटी हो जावे तो वह नोट बुक के संलग्न एक पृथक् जिल्द में बनाये रखे जावें। वे केवल शीट के अधीन व्यक्ति की मृत्यु पर या यदि अधीक्षक का यह विचार होने पर कि उनको आगे रोक कर रखा जाना किसी महत्व का नहीं है, नष्ट की जावेगी।

234. क वर्ग का हिस्ट्री शीट पुलिस अधीक्षक की मन्जूरी के बिना रोकी नहीं जा सकती। यदि 'ख' वर्ग के हिस्ट्री शीट में वर्णित व्यक्ति की निगरानी रोकना अस्वीकार किया जाना हो तो उस महानिरीक्षक या रेलवे पुलिस अधीक्षक की मन्जूरी प्राप्त की जानी चाहिए। हिस्ट्री शीट की रुकावट और संदेहित वर्ग के तारांकित या अतारांकित करने के लिये थाना अधिकारी द्वारा मण्डल निरीक्षक के माध्यम से प्रस्ताव किया जाना चाहिये, जब तक कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान सीधे व्यवहार न किया गया हो।

235. निगरानी के अधीन सभी हिस्ट्री शीट वाले व्यक्तियों के नाम उनकी रीतियाँ और साक्षी स्थानीय पुलिस की जानकारी में होना चाहिये, और बीट कान्सटेबिलों और चौकीदारों को उनके व्यक्तिगत रूप से परिचित रहना चाहिये।

236. किसी विधिक कार्यवाही को अभ्यास में लाने, ऐसे शहर में शरण देने, जिससे वे पायें कि वे विशेष स्थानों या विशेष परिस्थितियों में संदिग्ध व्यक्ति से सम्पर्क रख सकते हैं, के पुलिस अधीक्षक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिक व्यवहारिक प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित एक या अधिक उपायों को सम्मिलित करते हुये, निगरानी परिभाषित की जा सकेगी—

(क) संदिग्ध व्यक्तियों के मकानों और मकानों मे पहुँचने के मार्गों की गुप्त नाकाबन्दी।

(ख) ख्याति, आदत, साथ, आय, व्यय और व्यवसायों के बारे में, उपनिरीक्षक की श्रेणी से कम न होने वाले अधिकारी द्वारा नियतकालिक जाँच के माध्यम से।

(ग) कान्सटेबिल या चौकीदारों द्वारा उनकी गतिविधियों और घर से अनुपस्थिति की रिपोर्ट।

(घ) जाँच पर्चियों के साधन द्वारा गतिविधियाँ और अनुपस्थिति का सत्यापन।

(ङ) आचरण पर प्रभाव डालने वाली सभी सूचनाओं का हिस्ट्री शीट में इकट्ठा और अभिलिखित करना।

टिप्पणी

पैरा 236 (बी), जिसमें संदिग्ध के घर पर जाकर पता करने की व्यवस्था थी, को मूलभूत अधिकार पर कुप्रभाव आने के कारण, असंवैधानिक करार दे दिया गया और *खटक सिंह* बनाम *राज्य*[1] ने यह घोषित किया कि उक्त भाग प्रभावी न रहेगा। इसमें यह भी अभिव्यक्त हुआ कि विनियम कोई विधि नहीं है, बल्कि उ०प्र० राज्य के रिसायत पर आधारित है क्योंकि यह पुलिस एक्ट के किसी प्रावधान से उद्भूत नहीं है। इस पैरा को न्यायालय ने मध्य प्रदेश विनियम के पैरा 856 के समकक्ष जाना ,जो उक्त एक्ट के धारा 46 (2) (सी) के अन्दर बनाया गया और व्यक्ति के घर जाकर देखने की अनुमति दी कि वह वहाँ है या अपराध करने कहीं गया है, इसकी मन्शा अपराध की रोक-थाम करने

---

1. ए०आई०आर० 1963 सु०को० 1295 : 1963 (2) क्रि०ला०ज० 329.

की है जिसके लिये सरकार एक्ट से सामन्जस्य रखते हुये निगम बनाने में अधिकृत है। *गोविन्द* बनाम *राज्य*[1] में मध्य प्रदेश के उक्त विनियम को अदालत ने विधिक ठहराया जिसमें व्यक्ति के एकांतता अधिकार व व्यक्ति के स्वतन्त्रता पर भी विचार हुआ था। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को व्यापक माना गया जिसमें अनेक प्रकार के अधिकारी का समावेश है और जो संविधान के अनुच्छेद 19 (बी) (डी) में आये विशिष्ट अधिकार से भिन्न परिधि में है।

धन्जी राम बनाम *पुलिस अधीक्षक दिल्ली*[2] में यह भी माना गया है किसी व्यक्ति का नाम इतिवृत्ता व रजिस्टर पर लाने के लिये पुलिस अधिकारी का समुचित विश्वास पर्याप्त है कि वह अपराध करने का वादी है, और इसके लिए प्रदत्त आदेश में इस विश्वास के कारणों का दिया जाना आवश्यक नहीं है।

राज्य ने आदतन अपराध पाये जाने का निर्णय लेने के बाद व्यक्ति की हिस्ट्री शीट खोली, मगर तथ्यों को देखने से ज्ञात हुआ कि उसे जुआ खेलने के अपराध में 50 रु० जुर्माना हुआ था तथा चौथाई बोतल विदेशी शराब उसके पास से आबकारी एक्ट में बरामद हुआ था। यह भी पाया गया कि उसकी गिरफ्तारी धारा 151/110 जा०फौ० में नहीं हुई थी। किसी व्यक्ति को हिस्ट्री शीट पर लाने से समाज में उसका स्तर नीचा होता है इसलिये इस विषयक नियमावली का उसकी भावना के अनुरूप ही पालन होना चाहिये। उसके विरुद्ध पाये गये तथ्यों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह एक आदतन अपराधी था या वह ऐसे लोगों को मदद या बढ़ावा देता था। इस कारण उसकी हिस्ट्री शीट रद्द घोषित की गई। *रमेश कुमार* बनाम *राज्य (आई०जे० रिपोर्ट्स)*[3] इस सन्दर्भ में *सुदेश कुमार* बनाम *पुलिस कमिश्नर*[4] का निर्णय भी अवलोकनीय है।

237. 'क' वर्ग के तारांकित और अतारांकित सभी हिस्ट्री शीट वाले व्यक्ति निगरानी की इस सभी उपायों के अध्याधीन होंगे। अधीक्षक और मण्डल निरीक्षक के नियन्त्रण के अध्याधीन थाना अधिकारी के लिये संदिग्ध व्यक्ति की विश्वास की जा रही अस्थायी सक्रियता के अनुसार हर एक विशेष मामलों में लागू की जाने वाली प्रबलता को विनियमित करना होगा।

इस प्रकार 'क' वर्ग के सभी व्यक्तियों की गतिविधियों और अनुपस्थिति की थाने में रिपोर्ट की जानी चाहिये, परन्तु उन्हें जाँच पर्चियों के साधन द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि उनका संदिग्ध होता हो। इसी प्रकार जबकि प्रश्नाधीन व्यक्तियों के चाहे वे तारांकित हों, या अतारांकित हों, ख्याति आदतें, संगति, आय-व्यय और व्यवसाय के बारे में थाना अधिकारी या उसके निर्देशन के अधीन अधीनस्थ उपनिरीक्षक द्वारा स्थानीय जाँच के माध्यम वर्ष में एक बार जांच की जाना आवश्यक है या ऐसे व्यक्तियों के मामले में, चाहे वे तारांकित हों या अतारांकित हों जिनका अस्थाई रूप से कार्यरत होना विश्वासित हो, अर्द्ध वार्षिक रूप से और भी अधिक आवृत्ति के साथ ऐसी जाँच की जानी चाहिये।

238. 'ख' वर्ग की हिस्ट्री शीट वाले व्यक्ति (ग), (घ) और (ङ) उपायों के अध्याधीन होंगे, (क) या (ख) उपायों के अध्याधीन नहीं, जब तक कि उस अपराध की प्रकृति, जिसमें वह लिप्त हो, अपेक्षित न करती हो कि वे उपाय उनकी लागू होना चाहिये। इस प्रकार, जब टेलीग्राफ के तार

---

1. 1975 क्रि०ला०ज० 1101 ए०आई०आर० 1975 सु०को० 1378.
2. ए०आई०आर० 1966 सु०को० 1966; 966 क्रि०ला०ज० 1486.
3. 1986 (3) रिपोर्ट्स (दिल्ली) 3-8.
4. 1985 (1) क्राइम 302.

काटने वालों का शक्ति से परिदर्शन करना या उसके मकान पर रात में नाकाबन्दी करना आवश्यक है, व्यवसायिक छल करने वालों पर निगरानी की इन रीतियों का प्रयोग व्यर्थ होगा।

इसी प्रकार, यद्यपि 'ख' वर्ग वाले सभी हिस्ट्री शीट व्यक्तियों की घर से अनुपस्थिति की रिपोर्ट थाने पर की जानी चाहिये और यद्यपि ऐसे सभी व्यक्ति अपनी गतिविधियों का सत्यापन कराने के लिए दायित्वाधीन रहेंगे, ऐसा सत्यापन तब करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि यह स्पष्ट हो कि उसका कोई लाभदायक प्रयोजन नहीं होगा। यह प्राय: सदैव ही उदाहरणार्थ, विष देने वाले या जेब कतरे की गतिविधियों का सत्यापन करना अति आवश्यक होगा, किन्तु होगा, किन्तु स्थानीय गुण्डे के बारे में सत्यापन करना यदा-कदा ही आवश्यक था। ऐसे विषयों में थानेदारों से यह आशा कि जानी चाहिये कि वे बुद्धिमानी से अपराधियों की परिस्थितियों, अनुपस्थिति और उस अपराध की प्रकृति का जिसमें वे लिप्त हों, ध्यान रखते हुये, अपने विवेक का प्रयोग करें।

239. दोनों वर्गों की हिस्ट्री शीट इस पैरा में दिये निर्देशों के अनुसार बनाई रखी जावेंगी और जो पूर्व से ही प्रयोग में, पुराने प्रारूप में, चली आ रही है इन निर्देशों के अनुरूप बना ली जावेंगी।

सम्बन्धियों, साथियों, आश्रितों, सम्पत्तियों, व्यवसाय, आय और दोषसिद्धि के बारे में प्रविष्टियाँ प्रथम पृष्ठ के उपर्युक्त स्तम्भ में की जावेंगी और अध्यापन रखी जावेगी तथा मण्डल निरीक्षक और सभी निरीक्षक अधिकारियों द्वारा उनकी जांच की जावे। हिस्ट्री शीट का अवशेष भाग के पैराओं की शृंखला के रूप में, दिनांक के क्रम में तथ्यों के वर्णन और हाशियों की टिप्पणियों को अन्तर्विष्ट करते हुये, बनाये रखा जावेगा।

पहला पैरा जब हिस्ट्री शीट खोला जावे लिखा जावेगा और संदिग्ध के पिछले अभिलेखों का संक्षिप्त विवरण और उनके लिये हिस्ट्री शीट खोले जाने के लिये आवश्यक कारणों को बतायेगा। हिस्ट्री शीट में की जाने वाली प्रारम्भिक प्रविष्टियाँ, उनके किये जाने के पूर्व अधीक्षक के समक्ष उसके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जावेंगी। पश्चात्वर्ती पैरा, अधीक्षक को बिना निर्देश किये, थाने में भरे जावें और उनमें—

(क) सभी अनुपस्थितियों के सविस्तार विवरण।

(ख) पुलिस को की गई सभी रिपोर्ट और दुराचारी के विरुद्ध संस्थापित सभी मामलों के चाहे वह संज्ञेय हो या असंज्ञेय, के विवरण।

(ग) दुराचारी की आदतों और ख्याति के सम्बन्ध में की गई नियतकालिक जाँच का परिणाम।

(घ) उन मामलों के विस्तृत विवरण जिसमें दुराचारी संदेहित हुआ हो अन्तर्विष्ट रहेंगे।

अनुपस्थिति की रिपोर्ट जब तक प्रविष्ट नहीं की जावेगी जब तक कि वह संदिग्ध न हो। नाकाबन्दी या घर में जाकर परिदर्शन की रिपोर्ट तब तक प्रविष्ट नहीं की जावेगी जब तक कि वह उपरोक्त वर्णित सूचना उत्पन्न करने के योग्य न हो। क्योंकि "वे मामले जिनमें दुराचारी संदेहित हुआ है" में वे ही मामले दर्शाये जावेंगे जिनमें, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक या उप अधीक्षक ने युक्तियुक्त सन्देह होना पारित किया हो।

प्रत्येक पैरा में दैनिक डायरी या अन्य अभिलेख का जिनके आधार पर वह तैयार किया गया हो क्रमांक और दिनांक उद्धरित किया जावेगा, परन्तु वह इतनी विस्तृत हो कि अपने में पूर्ण हो। हर पैरा में समावेश की गई सूचना का स्वरूप उसके सामने हाशिया में दर्शाया जावे, उदाहरणार्थ "मण्डल निरीक्षक द्वारा स्थानीय जाँच", "संदिग्ध अनुपस्थिति", "मारपीट की शिकायत", 'सेन्धमारी के लिये सन्देहित"।

आदतों और सामान्य ख्याति के बारे में प्रविष्टियाँ, संदिग्ध व्यक्ति के ग्राम और पड़ोसी ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर की जानी चाहिये और उसमें, क्या संदिग्ध व्यक्ति अपराधरत है या उसके बारे में ईमानदारी के जीविका निर्वाह किये जाने की सूचना है, उसकी आमदनी की राशि; उसके व्यय, क्या वह नियमित काम में है और उसके साथियों के चरित्र और अभिज्ञान, दर्शाए जावें।

अस्पष्ट सामान्यताओं से बचना चाहिये।

थाने में हिस्ट्री शीट की जाने वाली प्रत्येक प्रविष्टि के लिए, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है और उसके द्वारा या उसके निर्देशन के अधीन किसी अधीनस्थ उपनिरीक्षक द्वारा की जावे।

जब कोई संदिग्ध व्यक्ति किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जावे या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 या 110 के अधीन आबद्ध किया जावे, और उसे छः मास या उससे अधिक कारावास या दण्ड दिया जावे, उसकी हिस्ट्री शीट में अन्तिम पैरा के नीचे लाल स्याही से एक रेखा खींच दी जावेगी। इस लाल रेखा के नीचे दोषसिद्धि का दिनांक, दण्ड का स्वरूप और उसके उन्मोचित किये जाने का सम्भाव्य दिनांक प्रविष्ट किये जावेंगे। जब निगरानी जारी की जावे तो ऐसी ही काली रेखा खींच दी जावे जिसके नीचे अधीक्षक के आदेश का क्रमांक और दिनांक प्रविष्ट किया जावे। जब हिस्ट्री शीट किसी दूसरे थाने का हस्तांतरित की जावे तो ऐसी ही काली रेखा एक सिरे से दूसरे सिरे तक खींच दी जावेगी और उसे भेजने वाले अधिकारी द्वारा अन्तरण की एक संक्षिप्त टीप अंकित की जावेगी।

240. दोनों वर्गों की हिस्ट्री शीट (1) सन्देह पर या (2) दोषसिद्ध या मुक्ति पर खोली जा सकेगी। पुलिस अधीचक के आदेशों के बिना कोई हिस्ट्री शीट नहीं खोली जा सकेगी।

(1) संदेह पर—जब कभी डकैती, पशुचोरी, रेलवे मालगाड़ी से चोरी के मामलों में या पेशेवर किस्म के विविध अपराधों के मामलों में अन्वेषण के परिणाम स्वरूप थाने का भारसाधक अधिकारी किसी व्यक्ति के नाम अपराध रजिस्टर में युक्तियुक्त सन्देहित के रूप में प्रविष्ट होने के लिए आवेदन करता है, वह उसी समय रिपोर्ट करेगा कि क्या संदिग्ध व्यक्ति निगरानी के अधीन है, और यदि नहीं तो उसके मत में उसकी हिस्ट्री शीट खोली जानी चाहिए। यदि सब डिवीजन का भारसाधक राजपत्रित अधिकारी, ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर या ऐसी अतिरिक्त जाँच के बाद जैसी वह आवश्यक समझे, समझता है कि हिस्ट्री शीट अपेक्षित है, वह रिपोर्ट की अधीक्षक को अग्रेषित करेगा, जो यदि वह प्रस्ताव स्वीकार करता है, खोले जाने वाले हिस्ट्री शीट का वर्ग निर्धारित करेगा और आदेश पारित करेगा कि क्या संदेहित व्यक्ति को तारांकित किया जावे। इसी प्रकार जब किसी थाने के भारसाधक अधिकारी को अन्वेषण के दौरान के अतिरिक्त, यह विश्वास करने के कारण प्राप्त हों कि उसके मण्डल में रहने वाला कोई व्यक्ति किसी अपराध में लिप्त है या जब कभी राजपत्रित अधिकारी या मण्डल निरीक्षक किसी कारण से विश्वास करते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए हिस्ट्री शीट आवश्यक है, अधीक्षक की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी, जो उपरोक्त वर्णित रूप से आदेश पारित करेगा।

(2) दोषसिद्धि या दोषमुक्ति पर—जब कोई व्यक्ति, डकैती, सेन्धमारी, पशु चोरी या रेलवे मालगाड़ी से चोरी या पेशेवर किस्म के विविध अपराध के आरोप विचारण के लिये भेजा जाता है, थाने का भारसाधक अधिकारी अपनी डायरी में अभिकथित करेगा कि क्या अभियुक्त की हिस्ट्री शीट है और यदि नहीं, तो वह सिफारिश करता है कि उसके लिए एक हिस्ट्री शीट खोला जाना चाहिए। अभियुक्त के दोष मुक्त हो जाने पर, अधीक्षक को यह सूचित करने का लोक अभियोजक का कर्त्तव्य है कि दोष मुक्ति पर या अन्यथा क्या उसके मत में हिस्ट्री शीट अपेक्षित है। इस पर अधीक्षक थानेदार के

लिए आदेश पारित करेगा जो आवश्यक हो। यदि अभियुक्त दोषसिद्धि हो जावे, लोक अभियोजक दोषसिद्धि या दोषमुक्ति की दैनिक रिपोर्ट (प्रारूप क्रमांक 107) की अभियुक्तियों के स्तम्भ में यदि हिस्ट्री-शीट पूर्व में खोली हुई हो तो शब्द "ही०शी० पर" लाल स्याही में, या यदि वह सिफारिश करता है कि हिस्ट्री-शीट की जावे तो अक्षर "ही०शी०" प्रविष्ट करेगा। प्रत्येक मामले में उसे पी०आर० पर्चा (प्रारूप क्रमांक 313) दोषसिद्धि ओर दोषमुक्ति की दैनिक रिपोर्ट में तैयार कर संलग्न करना चाहिये। यदि हिस्ट्री-शीट पूर्व से खोली हो या यदि अधीक्षक स्वीकार करता है कि हिस्ट्री-शीट खोली जाना चाहिये, वह इस पी०आर० पर्ची पर हस्ताक्षर करेगा जैसा दोषसिद्धि और दोषमुक्ति की दैनिक रिपोर्ट पर शब्द "हि०शी०" या "हि०शी० पर" अद्याक्षरित करेगा। लोक अभियोजक तब अधीक्षक के हिस्ट्री-शीट खोलने के आदेश को सम्बन्धित थाने की ससूंचित करेगा और पुलिस रजिस्टर्ड पर्ची को जेल के अधीक्षक को अग्रेषित कर देगा। यदि हिस्ट्री-शीट न खोली गई हो या पुलिस अधीक्षक उसके तैयार किये जाने से सहमत न हो, वह पुलिस रजिस्टर्ड पर्ची को हस्ताक्षरित न करेगा जो रद्द कर दी जावेगी।

यदि अभियुक्त दूसरे जिले या राज्य का निवासी हो या अभियोजन के लिये रेलवे पुलिस के द्वारा भेजा गया हो, सिवाय इसके कि पुलिस अधीक्षक हिस्ट्री-शीट खोले जाने का आदेश नहीं देगा, उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जावेगा। यदि अभियुक्त दोषसिद्ध ठहरा दिया जावे और पुलिस अधीक्षक हिस्ट्री-शीट की वांछनीय समझें, पुलिस रजिस्टर्ड पर्चा हस्ताक्षरित की जाकर जेल के अधीक्षक को भेज दी जावेगी और जेल का अधीक्षक पुलिस के अधीक्षक को पुलिस रजिस्टर्ड पर्ची की एक रसीद प्रदान करेगा। प्रारूप 148 के स्तम्भ 10 (दोषसिद्धि नामावली) में लोक अभियोजक लाल स्याही से यह टीप अंकित करेगा कि यह किया जा चुका हैं और उसी स्तम्भ के प्रारूप क्रमांक 15 में हिस्ट्री-शीट खोली जाना चाहिये, इसकी टिप्पणी अंकित की जावेगी। कोई दोषसिद्धि नामावली, जिस पर हिस्ट्री-शीट खोले जाने की सिफारिश की गई हो, दोषसिद्धि व्यक्ति के निवास के जिले में प्राप्त होने पर उस जिले के पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखी जावे, जो यह निर्णय करेगा कि हिस्ट्री-शीट खोली जावे या नहीं और पुलिस रजिस्टर्ड पर्ची को रद्द करने के लिये जेल अधीक्षक को सम्बोधित करेगा, यदि वह हिस्ट्री-शीट के वांछनीय होने से सहमत न हो। ऊपर किसी बात के होते हुये भी; उत्तर प्रदेश के किसी जिले का पुलिस अधीक्षक रेंज के उपमहानिरीक्षक जिसको किसी असहमति का मामला निर्देशित किया जावे, निर्णय के अधीन रहते हुये सरकारी रेलवे पुलिस के अधीक्षक के निवेदन पर, रेलवे पर अपराध के लिए संदिग्ध या दोषसिद्धि ठहराये गए किसी निवासी व्यक्ति की हिस्ट्री-शीट खोलने के लिए आबद्ध रहेगा। रेलवे पुलिस के अधीक्षक को प्रत्येक मामले में अपेक्षित निगरानी का प्रकार विनिर्दिष्ट करना चाहिये।

उन मामलों में जिसमें कोई व्यक्ति रेलवे पुलिस द्वारा अभियोजन के लिए भेजा जावे और पुलिस अधीक्षक उसी हिस्ट्री-शीट खोलना वांछनीय समझे, लोक अभियोजक प्रारूप क्र० 143 (दोषसिद्ध नामावली) को उपरोक्त निर्देशित किये गये के अनुसार पृष्ठांकित करके, उस व्यक्ति के जिले के अधीक्षक को रेलवे पुलिस के अधीक्षक के माध्यम से भेजेगा।

रेलवे पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जिले के अधीक्षक को प्रारूप क्र० 148 अग्रेषित करते हुये, यह अभिकथित करेगा कि क्या वह हिस्ट्री-शीट आवश्यक समझता है। यदि नहीं, तो वह जेल के अधीक्षक को पुलिस रजिस्टर्ड पर्ची रद्द करने को निवेदन करेगा।

241. पुलिस रजिस्टर्ड पर्ची जब जेल के अधीक्षक को भेजी जावे, तो वह सम्बन्धित दोषसिद्धि व्यक्ति के वारन्ट के साथ नत्थी रहेगी और वह किसी भी ऐसी जेल को भेजी जा सकती है जिसमें तदन्तर वह स्थानांतरित किया जावे।

पुलिस रजिस्टर्ड दोषसिद्धि व्यक्ति के उन्मोचन के एक मास पूर्व सम्बन्धित जेल का अधीक्षक दोषसिद्धि व्यक्ति के घर के जिले के पुलिस अधीक्षक को इस चेतावनी के रूप में कि दोषसिद्धि व्यक्ति उन्मोचित किया जाने वाला है, पी०आर० पर्ची भेजेगा।

पुलिस रजिस्टर्ड पर्ची प्राप्ति पर पुलिस अधीक्षक जांच करने और आगामी व्यवस्था करने और वैकल्पिक रूप से सामान्य कार्यवाही करने के, यदि वह लौटने में विफल हो और लापता हो जावे, निर्देशों के साथ भेजेगा। थाने का भारसाधक अधिकारी पी०आर० पर्ची को पुलिस अधीक्षक को इस रिपोर्ट के साथ कि क्या ग्राम अपराध नोट बुक के भाग तीन में दोषसिद्धि सम्यक् रूप से प्रविष्ट कर दी गई है, लौटा देगा (यदि दोषसिद्धि पर कोई हिस्ट्री-शीट न खोली गई हो, वह पता लगाने के लिए पग उठाए जाना चाहिये कि इस लोप के लिए कौन जिम्मेदार था और हिस्ट्री-शीट तत्काल खोली जाना चाहिये जब तक कि कोई विशेष कारण न हों, जिससे ऐसा क्यों न किया जावे) पुलिस रजिस्टर्ड पर्ची थाने के द्वारा पृथक् बन्डलों में अभिलेख में फाइल की जावेगी। वे थानों के निरीक्षक अधिकारियों द्वारा हिस्ट्री-शीट की जांच करने के उपयोग के लिए ले जाई जा सकती है। वह एक वर्ष के पश्चात् नष्ट कर दी जावेगी।

वह दोषसिद्धि व्यक्ति जिसके लिए पुलिस रजिस्टर्ड पर्ची तैयार की गई हो, उस जेल से उन्मुक्त किया जावेगा जिसमें वह निरुद्ध रहा हो, और जेल का अधीक्षक दोषसिद्ध व्यक्ति को उसके घर से निकटतम होने वाले स्टेशन के लिए एक रेलवे टिकट देगा। यह उन दोषसिद्धि व्यक्तियों पर जो अपराधी जन-जाति के सदस्य हों या उन दोषसिद्धों पर जिनके बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 356 के अधीन आदेश पारित कर दिया गया हो और उन बन्दियों पर चाहे वे पुलिस रजिस्टर्ड दोषसिद्ध हों, जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 के अधीन सशर्त रूप से उन्मोचित किया गया हो, लागू नहीं होता। बाद वाले के लिये पैरा 375 और 376 देखिए। किसी पुलिस रजिस्टर्ड दोषसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु या बचकर भाग निकलने की दशा में जेल का अधीक्षक तत्काल सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को उनकी सूचना देगा।

242. पुलिस अधीक्षक का यह निर्णय करने में कि क्या हिस्ट्री-शीट खोली जाना चाहिये और यदि हां, तो उसे किस कोटि में रखा जावे, निम्नलिखित सिद्धान्त मार्ग दर्शन करते हैं—

ज्यों ही किसी सन्देह या दोषसिद्ध के द्वारा यह संस्थापित हो जावे की कोई संदिग्ध व्यक्ति डकैतों के गिरोह का सक्रिय और प्रमुख सदस्य है, उसके लिये क वर्ग की हिस्ट्री शीट खोली जावे और उसे तत्काल तारांकित कर दिया जावे। दूसरी ओर पहली बार सन्देह या दोषसिद्धि के द्वारा ध्यान में आने पर सेंधमारों, पशुचोरों और रेलवे मालगाड़ी चोरों के लिये यद्यपि क वर्ग की हिस्ट्री-शीट खोली जाती है, ऐसे संदिग्धों को तारांकित न किया जावे, जब तक कि निरन्तर रहने वाले संदेहों या दोषसिद्धि की शृंखला द्वारा यह स्पष्ट या संस्थापित न हो जावे कि वह खतरनाक और सन्तुष्ट अपराधी हो गये हैं तथा उनके सुधार की सम्भावना नहीं है।

जब अपराधियों के किसी गिरोह का अस्तित्व प्रकाश में लाया जावे तो हिस्ट्री-शीट गिरोह के अधिक प्रमुख व्यक्तियों के लिए ही खोली जावे। गिरोह के छोटे सदस्यों से सम्पर्क बनाये रखने के लिये गिरोह रजिस्टर (पैरा 253) का प्रयोग किया जावे।

यह तथ्य है कि किसी व्यक्ति को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अधीन आबद्ध किया जा चुका है, अपने आप में इतना पर्याप्त नहीं है कि उससे हिस्ट्र-शीट का खोला जाना आवश्यक हो जावे। ऐसे मामले में उस आदमी का पूर्व इतिहास और उसकी गिरफ्तारी की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जावे। दूसरी ओर यदि हिस्ट्री-शीट पर न होने वाला कोई व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन आबद्ध किया जावे, तो उसकी हिस्ट्री-शीट तत्क्षण तैयार की जावे।

पुलिस अधीक्षक उन मामलों की जिसमें दुश्चरित्र व्यक्ति, जो हिस्ट्री-शीट पर नहीं है, दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 110 के अधीन अभियोजित किये गये हों यह जानने की दृष्टि से कि वह पूर्व पुलिस की जानकारी से बचने में कैसे सफल हुये, देख भाल करेगा।

उन व्यक्तियों के लिए हिस्ट्री-शीट नहीं खोली जाना चाहिये जिनके पास नियत निवास स्थान न हो। निवासी आपराधिक जन-जाति के सदस्यों के लिये हिस्ट्री-शीट खोलने पर अधिरोपित निबन्धों के लिए आपराधिक जनजाति पुस्तिका देखें।

संदेह की अपेक्षा दोषसिद्धि पर हिस्ट्री-शीट का खोला जाना अधिक आवश्यक है और यह लक्ष्य कि दोषसिद्धि व्यक्ति इतने अधिक कारावास से जो कितनी ही लम्बी अवधि का हो, से दण्डित किया गया है, उसकी हिस्ट्री-शीट न खोलने के लिये कारण नहीं है।

243. उपरोक्त तीन पैराओं के आदेश किशोर और वयस्क बन्दियों और संदेहित व्यक्तियों को लागू होते हैं परन्तु किशोरों के मामले में हिस्ट्री-शीट की तैयारी के लिये आदेश पारित करने के पहले विशेष सावधानी से विचार करना चाहिये। यदि कभी दोषसिद्धि पर किशोर अपराधी बरेली किशोर जेल को भेजा जावे, तो वह विशिष्ट उपचार प्राप्त करेगा। उसको पुलिस रजिस्टर्ड पर्ची, यदि तैयार की गई हो, उसके निरोध की अवधि समाप्त होने से एक मान पहले, किशोर जेल के अधीक्षक द्वारा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को इस अभियुक्त के साथ कि छोड़ दिए जाने पर किशोर अपराधी को पुलिस की निगरानी से मुक्त क्यों करना है, वापस की जावेगी। इस तरह पृष्ठांकित पुलिस रजिस्टर पर्ची प्राप्त होने पर, पुलिस अधीक्षक अपराधी को हिस्ट्री-शीट फाइल कर देगा और सम्बन्धित थानेदार को आदेश जारी करेगा कि उसे निगरानी के किसी रूप के अध्याधीन नहीं किया जाना है। नियमों का यह न्यूनीकरण किसी तरह निम्नलिखित वर्गों के पुलिस रजिस्टर किशोर अपराधियों को बरेली किशोर जेल से छूटने पर, समानुगत नहीं होगा।

(क) वे, जिनका आचरण, निरोध के दौरान किशोर जेल के अधीक्षक, द्वारा, यह दर्शाने के लिये कि वे सुधार प्रशिक्षण कोर्स द्वारा लाभान्वित नहीं हुये हैं, समझा गया है।

पुलिस रजिस्टर्ड किशोर अपराधियों के इन दो वर्गों के सम्बन्ध में सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जावेगा। हर मामले में छोड़े जाने के एक माह पूर्व किशोर के अधीक्षक द्वारा निवासी जिले के पुलिस अधीक्षक को, वर्ग ख के किशोर बन्दियों के मामले में, जेल में उसके व्यवहार पर रिपोर्ट के साथ पुलिस रजिस्टर्ड पर्ची भेजेगा और छोड़ जाने पर पूर्व दोषसिद्ध किशोर निगरानी से सम्बन्धित साधारण नियमों के अध्याधीन रहेगा।

आपराधिक जन-जाति के सदस्यों और एक से अधिक बार दोषसिद्धि किशोरों को बरेली जेल में भर्ती नहीं किया जावेगा। प्रथमोक्त आपराधिक जन-जाति पुस्तिका के नियमों के अध्याधीन होंगे।

244. धारा 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व, थानेदार को चाहिये कि वह प्रारूप क्रमांक 5 में मण्डल निरीक्षक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को आवेदन भेजे। मण्डल निरीक्षक बिना किसी विलम्ब के आवेदन पत्र अधीक्षक को संदिग्ध व्यक्ति के बारे में स्थानीय जाँच कर अपनी जानकारी की रिपोर्ट के साथ अग्रेषित कर देगा। यदि पुलिस अधीक्षक रिपोर्ट का अनुमोदन कर दे तो वह उसे, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन 'सूचना' के रूप में भेज देगा। (टिप्पणी :—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन धारा 110 के अन्तर्गत सूचना पर विचार करने की अधिकारिता अब प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही है।) यदि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 110 के अधीन कारण बताने की अपेक्षा करना आवश्यक समझे, वह उक्त धारा के द्वारा अपेक्षित विवरणों का वर्णन करते हुए धारा 112

के अधीन आदेश बनायेगा और प्रारूप 5 थानेदार को लौटा देगा, जो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और आवश्यक साक्ष्य के साथ मजिस्ट्रेट के पास पेश करने के लिये तत्काल पग उठायेगा। प्रारूप 5 अभियोजक अधिकारी की मामले के संक्षेप के रूप में प्रयोग के लिये भेज दिया जावेगा और यदि मजिस्ट्रेट उचित पावे, तो उसे फाइल के साथ संलग्न कर दिया जावेगा। नियम के तौर पर हिस्ट्री-शीट न्यायालयों को नहीं भेजी जावेगी, परन्तु वह तब भेजी जावेगी, जब न्यायालय उन्हें देखने के लिए माँगे। जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 या 110 के अधीन कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए जाँच कर रहे हो, पुलिस के द्वारा किसी कथन को अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिये। यदि ऐसे कथन अभिलिखित किये जावें तो अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अधीन उनकी प्रतियाँ प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है [तथापि, 1973 की दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 देखे।]

245. हिस्ट्री-शीट वाले सभी व्यक्तियों के नाम फेरे वाले सिपाहियों को नोटबुक में और ग्राम चौकीदार की अपराध नोटबुक में प्रविष्ट किये जावें। उन गांवों का, जिनमें दुश्चरित्र निवास करते हों, अधिकारियों और सिपाहियों द्वारा किए गए सभी परिदर्शन ग्राम नोटबुक के छुट्टे कागज [फ्लाई शीट] में दिखाये जावेंगे और इस कागज में यह प्रविष्टि की जावेगी कि ग्राम के सभी 'क' वर्ग के हिस्ट्री-शीट वाले व्यक्तियों से परिदर्शन किया गया है। इस सभी परिदर्शनों का परिणाम दर्शाने वाली एक पूर्ण टिप्पणी, जनरल डायरी में, जनरल डायरी के क्रमांक निर्देश फ्लाई शीट पर देते हुए, प्रविष्ट की जावेगी और यदि महत्व की कोई बात सुनिश्चित हो तो उसकी टिप्पणी हिस्ट्री-शीट में भी अंकित की जावेगी। नगरों में हिस्ट्री शीट के संलग्न एक प्रथक (फ्लाई शीट) संलग्न की जावेगी, जिसमें संदिग्धों के किये जाने वाले सभी परिदर्शन अभिलिखित किये जावेंगे।

246. हिस्ट्री-शीट में, अन्य मण्डल के निवास करने वाले किसी मुखबिर (सूचना दाता) को प्रभावित करने वाली किसी सूचना को अभिलिखित करने वाला थाने का भारसाधक अधिकारी उस मण्डल की पुलिस को सूचित करेगा।

247. जब हिस्ट्री-शीट के अध्याधीन कोई व्यक्ति, जिले के भीतर अपना निवास बदल ले, सम्बन्धित मण्डल निरीक्षक यह निर्णय करेगा कि उस मण्डल को जहाँ वह चला गया है, हिस्ट्री-शीट भेजी जावे या नहीं। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति ब्रिटिश भारत के भीतर किसी अन्य जिले में अपना निवास बदल ले, उसकी हिस्ट्री-शीट मूलरूप में पुलिस अधीक्षक द्वारा उस जिले के पुलिस अधीक्षक को, जहाँ वह चला गया है, अग्रेषित कर दी जावेगी। यदि वह अपना निवास किसी देशी राज्य में बदल दे, राज्य की पुलिस अंग्रेजी कार्यालय द्वारा सूचित किया जावेगा और यदि हिस्ट्री-शीट माँगी जावे तो उसकी एक प्रति भेज दी जावेगी। जब एक ही जिले के भीतर एक थाने से दूसरे थाने को हिस्ट्री-शीट अन्तरित कर दी जावे, दोनों सम्बन्धित थानेदार इस तथ्य को पुलिस अधीक्षक को इसके द्वारा मुख्यालय की सूची शुद्ध करने में समर्थ होने के लिये सूचित करेंगे (पैरा 249)।

248. रेलवे पर अपराधों में अभ्यस्त व्यक्तियों की हिस्ट्री-शीट जिला पुलिस द्वारा रखी जावेगी सिवाय उन विशेष मामलों के जहाँ दोनों अधीक्षकों के अभिमत में निगरानी रेलवे पुलिस द्वारा अधिक दक्षता से हो सकती है।

मतभेद की दशा में रेंज के उप-महानिरीक्षक का आदेश अंतिम होगा। रेलवे पर अपराध करने वाले अभ्यस्त व्यक्तियों की हिस्ट्री-शीट रेलवे पुलिस द्वारा दो प्रतियों में बनाई रखी जावेगी, जिसे जब कभी भी आवश्यक हो जिले के अभिलेख तक पहुँच की अनुमति दी जावेगी। रेलवे पुलिस का थानेदार जिला पुलिस के थोनदार को, हिस्ट्री शीट बनाये रखता हो, ऐसे तथ्यों को, जो उनके अभिमत से हिस्ट्री-शीट में प्रविष्ट किये जाना चाहिये, तत्काल सूचित करेगा, और हर मामले में एक त्रैमासिक

ज्ञापन अग्रेषित करेगा जो हिस्ट्री-शीट के संलग्न रहेगा। इसी प्रकार जिला पुलिस को हिस्ट्री-शीट के अध्याधीन रेलवे पर अपराध करने के अभ्यस्त व्यक्ति के बारे में ऐसी सूचना जो रेलवे पुलिस के ध्यान में लाये जाने योग्य हो, उसे संसूचित करना चाहिये।

249. हर थाने पर, मण्डल के भीतर हिस्ट्री-शीट पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को दो सूचियाँ बनाई रखी जावेंगी। एक सूची 'क' और 'ख' वर्ग के लिये होगी।

यह सूचियाँ नाम, जाति, निवास, पूर्व दोषसिद्धि, हिस्ट्री-शीट खोलने का दिनांक; ''तारांकित'' और ''अतांकित'' किये जाने का दिनांक (केवल वर्ग क संदिग्धों के मामलों में) और निगरानी, बन्द करने का दिनांक, दर्शायेगी और अभियुक्तों के लिये उनमें एक स्तम्भ अन्तर्विष्ट रहेगा। जब 'क' वर्ग का कोई संदिग्ध तारांकित किया जावे तो 'क' वर्ष की सूची में उसके नाम के सामने लाल स्याही से एक तारा अंकित कर दिया जावे। हर थाने पर हर सूची के नाम अनुक्रमांकित किये जावेंगे (प्रारूप 9), अनुक्रमांक कभी नहीं बदला जावेगा और जब कोई नवीन हिस्ट्री-शीट खोली जावे, उसके लिये उपयुक्त सूची में नया अनुक्रमांक लिया जावेगा और जब किसी संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी बन्द कर दी जावे, उसकी हिस्ट्री-शीट का अनुक्रमांक पुनः प्रयोग नहीं किया जावेगा, जब तक कि उसकी निगरानी पुनः प्रारम्भ न की दी जावे। प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर थानेदार ठीक ऐसी ही सूची अंग्रेजी में पुलिस अधीक्षक के प्रवाचक द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों के वर्ग के लिए बनाई रखी जावेंगी। मुख्यालय और थाने की सूचियों के अनुक्रमांक एक रूप के होंगे। मुख्यालय की सूची नवीनतम रूप में रखी जावे और थाने निरीक्षण के समय जाँच करने और अपराधों से व्यवहार करने के सभी मामलों में प्रयोग की जावे।

हिस्ट्री-शीट पर साथियों के स्तम्भ में, उन साथियों के अनुक्रमांक, वर्ग और अक्षर जो स्वयं भी हिस्ट्री-शीट पर हों, दिखाये जाये उदाहरणार्थ—क, 7, ग-9।

250. दुश्चरित्रों की सूची और हिस्ट्री-शीट गोपनीय अभिलेख है। यद्यपि हिस्ट्री-शीट ग्राम अपराध नोट बुक में रखी जाती है, थानेदार को यह देखना चाहिये कि उन तक किसी अनाधिकृत व्यक्ति की पहुँच न हो।

251. निगरानी के मामले में मण्डल निरीक्षक का उत्तरदायित्व कड़ाई से प्रवृत्त किया जावेगा। जब कभी कोई मण्डल निरीक्षक किसी थाने का परिदर्शन करे, वह यह देखने के लिए या दो हिस्ट्री-शीट की जांच करेगा कि वह अध्यान्त तक रखी गई है और इस आशय की प्रविष्टि अपनी साप्ताहिक डायरी में करेगा। अपने वार्षिक निरीक्षण, वह दुश्चरित्रों के बारे में, विशेषकर उन पर जिनके बारे में अस्थायी रूप से सक्रिय होना समझा जाता हो या जो ऐसे क्षेत्र में रहते हों जहाँ अपराध प्रचलित हों, विशेष ध्यान देते हुये, स्थानीय जांच करेगा, वह ऐसी जांच के परिणाम हिस्ट्री-शीट में लिखेगा। मण्डल निरीक्षक अपने मण्डल के भीतर रहने वाले व्यक्तियों की सूची थाने और मुख्यालय की सूची के, प्रारूप में रखेगा। वह अपने मण्डल में हिस्ट्री-शीट पर रहने वाले व्यक्तियों के बारे में थाने के जैसे प्रारूप में अनुशंसा करने; वर्ग 'क' के व्यक्तियों को अवसर द्वारा अपेक्षानुसार अतारांकित करने और जब आवश्यक हो, अपने मण्डल के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन मामलों का अभियोजन करने के लिए उत्तरदायी ठहराये जावेंगे। वह अधीक्षक के ध्यान में उन थाने के मामलों को लायेंगे, जहाँ खोली गई हिस्ट्री-शीट की संख्या अत्यधिक हो या जहाँ निगरानी समुचित रूप से न की जा रही हो और सुधार के बारे में, अपने सुझाव देंगे।

252. उन व्यक्तियों की निगरानी के निदेशों के लिये, जिनके लिये व्यक्तिगत अपराध फाइलें अपराध अन्वेषण विभाग द्वारा बनाये रखी जाती हैं, अपराध अन्वेषण विभाग पुस्तिका देखिये।

गिरोह पंजी

253. जब कभी डकैतों, पशु चोरों या रेलवे वैगन से चोरों का संगठित गिरोह प्रकाश में आवे, प्रत्येक उस थाने, और जिले के मुख्यालय में, जिसके भीतर गिरोह का कोई सदस्य निवास करता हो, सम्पूर्ण गिरोह के विवरण गिरोह पंजी (प्रारूप क्र० 45) में रखे जावेंगे। सेंध लगाने के गिरोह के लिए, परिपत्र क्रमांक 1/चार-23-25, दिनांक 14 दिसम्बर, 1929 के द्वारा विहित पत्र, गिरोह पंजी के बजाय प्रयोग किया जावे। यह आवश्यक नहीं है कि गिरोह के सभी सदस्यों की हिस्ट्री-शीट हो। रजिस्टर के स्तम्भ में उस सदस्य व्यक्ति के नाम के सामने, उस व्यक्ति के बारे में जिसकी हिस्ट्री-शीट न हो, अभिलेख पर लाए जाने के योग्य सभी विवरण प्रविष्ट किये जावें। यदि गिरोह के सदस्य के बारे में अभिलिखित किये जाने के लिये अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण तथ्य अन्तर्विष्ट करने के लिये, यदि स्तम्भ 6 का स्थान अपर्याप्त हो, इससे हिस्ट्री-शीट की आवश्यकता प्रतीत होगी। स्तम्भ 7 में रजिस्ट्रीकरण के कारण, गिरोह का पूर्ण इतिहास और उसकी पद्धति और उसके बारे में पश्चात् में सुनिश्चित किये तथ्यों का कथात्मक विवरण प्रविष्ट किये जावेंगे। जब कभी गिरोह के बारे में जांच की जावे, मण्डल निरीक्षक या जांचकर्ता अधिकारियों की टिप्पणियाँ और यदि महत्व की कोई बात न पाई जावे तो उसके हस्ताक्षर, जांच की तारीख इस स्तम्भ में प्रविष्ट की जावे। गिरोह रजिस्टर में गिरोहों की प्रविष्टि अधीक्षक के आदेशों के अधीन ही की जावेगी। गिरोह का रजिस्टर एक स्थायी अभिलेख होगा और गिरोह को उसमें से कभी नहीं मिटाया जावेगा, किन्तु यह संस्थापित हो जाने पर कि गिरोह भंग हो गया है, रजिस्टर में प्रविष्टियां और उनके बारे में पूछ-ताछ अधीक्षक के आदेशों के अधीन बन्द की जा सकेंगी। जिस दशा में इस आशय की प्रविष्टि स्तम्भ 6 में की जावेगी और इसके नीचे पृष्ठ के एक सिरे तक लाल स्याही से एक रेखा खींच दी जावेगी।

254. प्रत्येक डकैती के मामले की समाप्ति पर लोक अभियोजक द्वारा मुख्यालय के गिरोह रजिस्टर में क्या प्रविष्टि की जानी चाहिये जो यह विचार करेगा और अधीक्षक को रिपोर्ट देगा कि रजिस्टर में क्या प्रविष्टि की जानी चाहिये और उसी के साथ ही वह यह रिपोर्ट देगा कि वह मामले मे किन संकेतों (सुरागों) का अनुसरण और आगे किये जाने का विचार करता है। यदि यह पाया जावे कि कोई गिरोह एक से अधिक जिलों में शाखाओं में विभाजित हो गया है उस जिले का अधीक्षक, जहां वह पहले प्रकाश में आया हो, अन्य सम्बन्धित जिलों के अधीक्षकों से उसके रजिस्ट्रीकरण का प्रस्ताव करने के लिए उत्तरदायी रहेगा। उन सभी जिलों के अधीक्षकों का जहां कोई गिरोह रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, किसी भी जिले में उसके बारे में सुनिश्चित की गई किसी महत्वपूर्ण बात से सूचित किया जावे और नामों की वृद्धि या प्रविष्टियों और जांचों को बन्द करने के सभी प्रश्न सम्बन्धित अधीक्षकों के बीच वर्ष में एक बार, यदि सम्भव हो तो, साक्षात चर्चा द्वारा तय किया जावे। एक से अधिक जिलों में कार्यरत गिरोह के रजिस्ट्रीकरण के लिए या इसमें सम्बन्धित जांचों और प्रविष्टियों को जारी रखने या बन्द करने के लिए आवश्यकता के बारे में कोई मतभेद आदेश के लिए उप-महानिरीक्षक को निर्देशित किया जाना चाहिये।

255. मुख्यालय का गिरोह रजिस्टर अंग्रेजी में आपराधिक जन-जाति के उप-निरीक्षक द्वारा रखा जायेगा, जो छः माह के मध्यान्तर से वर्ष में दो बार उसके जिले में प्रत्येक थानों को जिसमें कोई गिरोह रजिस्ट्रीकृत हुआ हो, परिदर्शन करेगा और उसके रजिस्टर को थाने के रजिस्टर से, थाने के रजिस्टर में की गई किसी महत्वपूर्ण प्रविष्टि की अपने रजिस्टर में प्रतिलिपि करते हुये और उनके द्वारा रजिस्ट्रीकृत किये गये गिरोह के बारे में अन्य साधनों से सुनिश्चित की गई जानकारी को थानेदार को संसूचित करते हुये जांच करेगा।

256. गिरोह रजिस्टर पर कोई ऐसा गिरोह जो अपराधी जन-जातियां अधिनियिम के अधीन उद्घोषित और रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिये उपयुक्त होने के लक्षण दर्शाता हो, अपराधी जन-जाति अधिनियम की पुस्तिका के द्वारा विहित प्रारूप के गिरोह रजिस्टर पर लाया जाना चाहिये। जब कभी ऐसा किया जावे, गिरोह रजिस्टर पर उसकी टिप्पणी लायी जानी चाहिये।

बुरे चरित्रवालों की गतिविधियों की रिपोर्ट सत्यापन करने के लिये नियम

257. ग्राम चौकीदार और (कस्बे में) फेरे वाले कान्सटेबिल का यह कर्त्तव्य है कि जैसे ही हिस्ट्री-शीट पर रहने वाला कोई दुश्चरित्र व्यक्ति अपना घर छोड़े, वह उसके प्रस्थान और यदि ज्ञात हो तो गन्तव्य स्थान की सूचना तुरन्त थाने के भारसाधक अधिकारी को दे।

258. किसी वर्ग के, "तारांकित" या "अतारांकित" हिस्ट्री-शीट वाले व्यक्ति के प्रथान की रिपोर्ट मिलने पर थाने के भारसाधक अधिकारी को पैरा 237 और 238 के अन्तर्गत बताये गये सिद्धान्तों के अनुसार यह निर्णय लेना चाहिये कि क्या जांच पर्ची-क भेजा जाना आवश्यक है, क्योंकि थानेदार सभी समयों पर थाने में उपस्थित नहीं रहता, उन दुश्चरित्रों के नाम कार्यालय के अभिलेख में रखे जावे, जिनके लिये जाँच पर्ची भेजा जाना हो। जब जांच पर्ची-क भेजना आवश्यक समझा जावे, यह तत्क्षण प्रारूप नं० 204 में बनाया जाना चाहिये और तीव्रतम साधनों से हाथ या डाक द्वारा मण्डल के भारसाधक अधिकारियों को, जिसमें बुरे चरित्र वाले व्यक्तियों का जाना बताया या विश्वास किया गया हो, अग्रेषित किया जावे। उस चौकीदार के द्वारा जो प्रस्थान की रिपोर्ट करता है, गन्तव्य स्थान के थाने को जांच पर्ची कभी नहीं भेजी जानी चाहिये।

259. यदि बुरे चरित्र वाले व्यक्ति का गन्तव्य स्थान जहां पर्ची भेजी जाना हो, अज्ञात हो, जांच को कार्बन या अन्य प्रति उस प्रत्येक थाने को भेजी जावेगी, जिसमें युक्तियुक्त रूप से उसका जाना समझा जावे। हिस्ट्री-शीट में सम्बन्धियों और साथियों के स्तम्भ के निर्देश बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के सम्भावित गन्तव्य स्थान का संकेत करेंगे।

जब कोई हिस्ट्री-शीट वाला रेलवे चोर अपने आपको संदिग्ध परिस्थतियों के अधीन अनुपस्थित रखे, तो सम्बन्धित सरकारी रेलवे पुलिस अधिकारी को तत्काल सूचित किया जाना चाहिये।

260. जब कभी कोई दुश्चरित्र व्यक्ति अपने घर को, उस मण्डल के लिये, जिसका वह निवासी हो, असाधारण परिस्थितियों में छोड़ दे, चौकीदार या कान्सटेबिल की रिपोर्ट जनरल डायरी में प्रविष्ट की जावेगी और यथासम्भव शीघ्र किसी कान्सटेबिल के द्वारा या उस गांव के चौकीदार से, जहाँ दुश्चरित्र का जाना आरोपित हो, जांच द्वारा उसके परिदर्शन का सत्यापन किया जावेगा।

261. चौकीदारों के द्वारा दुश्चरित्र व्यक्तियों के प्रस्थान की—(1) मण्डल के बाहर गन्तव्य स्थान को, (2) मण्डल के भीतर सामान्य गन्तव्य को, (3) किसी अज्ञात स्थान को और (4) रात्रि में, प्रस्थान करने की रिपोर्ट जनरल डायरी में, अभिलिखित की जावेगी और ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट के क्रमांक और दिनांक का निर्देश चौकीदार की अपराध पुस्तक में संदिग्ध व्यक्ति के नाम के सामने इस प्रयोजन के लिये उपबन्धित स्तम्भ में किया जावेगा।

262. जांच पर्ची-क (पैरा 258) प्राप्त करने वाला पुलिस अधिकारी, यह सुनिश्चित करने के लिए पग उठायेगा कि क्या दुश्चरित्र व्यक्ति आ पहुँचा है, तब वह तत्क्षण जांच पर्ची में उसकी पूर्ति करेगा और उसे उस थाने को लौटा देगा जहाँ से वह प्राप्त हुई थी। यदि दुश्चरित्र व्यक्ति उसके मण्डल में बना रहे, वह उसकी उसी प्रकार निगरानी करवायेगा मानों वह उसके ही मण्डल का दुश्चरित्र हो। यदि उसके बारे में महत्व की कोई बात उसके ठहरने के बीच विदित हो तो वह उसकी तत्क्षण

सूचना मूल थाने के भारसाधक अधिकारी को भेजेगा। वह जांच पर्ची-क को इस प्रत्याशा में विलम्बित नहीं करेगा कि दुश्चरित्र अपने घर लौट जाये।

263. यदि दुश्चरित्र व्यक्ति पर्ची में दिये गये दिनांक और समय से भिन्न दिनांक और समय पर जाये, जाँच पर्ची प्राप्त करने वाला अधिकारी उस अधिकारी को सूचित करेगा, जिसने वह भेजी हो।

264. यदि दुश्चरित्र व्यक्ति उस पुलिस मण्डल के भीतर जहाँ उसका जाना आरोपित हो, युक्तिसंगत समय के भीतर न पहुँचे, इस आशय की रिपोर्ट के साथ भारसाधक अधिकारी जांच पर्ची को लौटा देगा और सम्बन्धित चौकीदार या कान्सटेबिल को संदिग्ध के आगमन को देखते रहने के लिए निर्देशित करेगा। यदि अन्ततः दुश्चरित्र व्यक्ति आ पहुँचे, उस थाने को जहां से मूलतया जाँच पर्ची आई थी, तत्काल एक रिपोर्ट जांच पर्ची द्वारा अपेक्षित विवरण देते हुये, भेजी जावेगी।

265. यदि दुश्चरित्र व्यक्ति उस थाने की सीमाओं को, जहाँ वह आया है, छोड़कर अपने घर के अतिरिक्त किसी अन्य गन्तव्य स्थान को चला जावे, थाने का भारसाधक अधिकारी उस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जहाँ वह गया है, जाँच पर्ची-क की एक प्रति उस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जहाँ का दुश्चरित्र व्यक्ति निवासी हो, भेजते हुये, इस प्रकार भेजेगा मानो वह उसके ही मण्डल का निवासी हो। उस थाने का भारसाधक अधिकारी, जिसमें दुश्चरित्र गया हो, दुश्चरित्र के निवास के थाने को जांच पर्ची का उत्तर भेजेगा और आगामी गतिविधियों के मामले में उसी प्रकार कार्य करना जारी रखेगा, मानो दुश्चरित्र अपने निवास से आया हो।

266. किसी मामले में जिसमें किसी दुश्चरित्र व्यक्ति की अनुपस्थिति संदिग्ध पाई जावे, पैरा 239 में यथावर्णित, उसकी हिस्ट्री-शीट में तथ्यों की एक संक्षिप्त टीप अंकित की जावेगी।

267. यदि कोई ग्राम चौकीदार अपने गाँव में किसी संदिग्ध अपरिचित का आगमन सुने, वह उससे उसके पूर्व वृत्तांत और निवास के बारे में प्रश्न करेगा तथा इस प्रकार प्राप्त जानकारी को यथासम्भव शीघ्रता से थाने को ले जायेगा या भेज देगा।

268. किसी भी स्रोत से सूचना प्राप्त होने पर , थाने का भारसाधक अधिकारी यथासंभव शीघ्र जाँच पर्ची-ख (प्रारूप क्र० 245) को उस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास भेज देगा जहाँ से उस अपरिचित का आगमन आरोपित हो और प्रतिपर्ण पर अपने ऐसा करने के कारणों की टिप्पणी लिखेगा।

269. जाँच पर्ची-ख के प्राप्त होने पर, थाने का भारसाधक अधिकारी उसे तत्काल अपरिचित व्यक्ति के सम्बन्ध में सूचना सहित लौटा देगा। यदि अपरिचित उसके मण्डल का निवासी न हो, वह जाँच पर्ची को इस आशय की टिप्पणी के साथ लौटा देगा। जांच पर्ची को जारी करने वाला अधिकारी, उत्तर प्राप्त हो जाने पर, यह निर्णय करने की स्थिति में हो जायेगा कि क्या उस अपरिचित के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अधीन कार्यवाही की जाना चाहिए या क्या उसकी निगरानी किया जाना जारी रखा जानाा चाहिए। यदि न तो अभियोजन और न निगरानी अपेक्षित हो, जाँच पर्ची फाइल कर दी जावेगी और अपरिचित पर आगे और ध्यान नहीं दिया जावेगा।

270. यदि संदिग्ध अपरिचित की गतिविधियाँ और व्यवहार उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन गिरफ्तार किये जाने को युक्तियुक्त बना दें, ऐसी कार्यवाही की जांच पर्ची के उत्तर को बिना देखे तत्काल की जानी चाहिये।

271. उस थाने की सीमाओं के जहाँ से जांच पर्ची-ख जारी की गई थी, अपरिचित के बाहर चले जाने पर जांच पर्ची उसके निवास के थाने को लौटा दी जावेंगी, यदि—(क) उसके परिदर्शन के दौरान उसके विरुद्ध कोई संदिग्ध बात अभिलिखित की गई हो या (ख) वह हिस्ट्री-शीट पर हो। अन्य सभी मामलों में, जांच पर्ची उसी थाने में रहगी जहाँ से वह जारी की गई थी।

जब कभी जांच पर्ची-ख निवास के थाने को लौटाई जावे, पर्ची पर संदिग्ध व्यक्ति के प्रस्थान का समय और दिनांक दिया जावेगा और उपरोक्त (क) की दशा में संदिग्ध व्यवहार के विवरण बढ़ा दिये जावेंगे।

272. यदि संदिग्ध, जिसके बारे में जांच पर्ची-ख भेजी गई हो, हिस्ट्री-शीट पर ही और यदि वह अपने घर के अतिरिक्त अन्य पुलिस मण्डल को चला जावे, जांच पर्ची-क उस पुलिस मण्डल को जहाँ वह चला गया हो, उसके निवास के थाने को एक प्रति अग्रेषित करते हुए, भेजी जावेगी। इस जांच पर्ची का उत्तर निवास के थाने को सीधा भेज दिया जावेगा और उस थाने का भारसाधक अधिकारी, जहाँ संदिग्ध चला गया है, इस प्रकार कार्य करेगा मानो संदिग्ध व्यक्ति अपने निवास में आया हो और जांच पर्ची उसके निवास के थाने के द्वारा उसे भेजी गई है।

273. ग्रामीण क्षेत्र में चौकीदार के द्वारा पालनीय कर्त्तव्य नगरों और कस्बों में पुलिस के द्वारा पालन किए जावेंगे। जब टेलीफोन उपलब्ध हो, साधारणतया जांच पर्ची नहीं भेजी जावेगी, परन्तु तब टेलीफोन का प्रयोग किया जावेगा जब आगमन का प्रस्थान की कोई रिपोर्ट प्राप्त हो ऐसी रिपोर्ट जनरल डायरी में अभिलिखित की जावेगी और जांच पर्चियां केवल अभिलेख के प्रयोजनों के लिए तैयार की जावेंगी। इसी प्रकार टेलीफोन से प्राप्त किये गये उत्तर जनरल डायरी और जांच पर्चियों में प्रविष्ट किये जावेंगे। नगर निरीक्षण और नगर थानों के भारसाधक अधिकारी यह देखने के उत्तरदायी होंगे कि जांच पर्चियों की फाइल आद्यान्त रखी जाती है और टेलीफोन जांच के उत्तर शीघ्रता से दिये जाते हैं। दुश्चरित्र व्यक्तियों की गतिविधियों को टेलीफोन द्वारा जांच के उत्तर में 24 घण्टे से अधिक के विलम्ब को नगर निरीक्षक को तत्काल रिपोर्ट की जानी चाहिये।

274. थाने के भारसाधक अधिकारियों की जांच पर्चियाँ जारी की जाने का पर्यवेक्षण करना चाहिये। उन्हें उनके सही और नियमित प्रयोग के लिये, उनके परीक्षण करने के लिए और यह देखने के लिए कि सम्बन्धित हिस्ट्री-शीट में संदिग्ध और असत्यापित गतिविधियां उचित रूप से प्रविष्ट की जानी है, उत्तरदायी ठहराया जावेगा। प्रत्येक थाने पर, प्रत्येक जारी और प्राप्त की गई जांच पर्चियों की एक निदेशक सूची, तालिका के रूप में उनका नाम, गन्तव्य स्थान, हिस्ट्री-शीट क्रमांक उन सभी के जिनके लिए वह जारी की गई हो, आगमन और प्रस्थान का समय दर्शाते हुये, बनाई रखी जावेगी। जब जांच पर्चियां दूसरे प्रान्तों को भेजी जावें, उसका अंग्रेजी प्रतिपर्ण अवश्य ही भरा जावे।

उन दोषसिद्धों अपराधियों जिनके सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 336 के अधीन आदेश पारित किया गया हो और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अधीन सशर्त छोड़े गये बन्दियों के बारे में नियम :—

275. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 356 के अधीन, उस धारा में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिस दोषसिद्ध ठहराया गया किसी व्यक्ति को दंडाज्ञा दिये जाते समय वह आदेशित किया जा सकता है कि वह ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार बना सकेगी, अपना निवास और अपने ऐसे निवास स्थान से या उसका परिवर्तन दन्डाज्ञा की समाप्ति से पांच वर्ष से अधिक न होने वाली समय-अवधि तक के लिए, अधिसूचित करें। इस धारा के अधीन स्थानीय सरकार द्वारा बनाये गये नियम इस प्रकार हैं :—

(1) जेल मैनुअल के पैरा 124 के अधीन जेल का अधीक्षक दोषसिद्ध व्यक्ति के उन्मोचन से कम से कम दो दिवस पूर्व पुलिस अधीक्षक को सूचना देगा और पुलिस अधीक्षक गारद और अनुरक्षणों के नियमों के नियम 165 के अनुसार एक गारद की उस दिनांक को उस बंदी को जेल से पुलिस अधीक्षक के या जेल के भारसाधक किसी अन्य अधिकारी के पास

लाने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा। दोषसिद्ध व्यक्ति उसे उस ग्राम या मोहल्ले से संसूचित करेगा, जिसमें निवास करने का उसका विचार हो। सम्बन्धित अधिकारी तब उसे उस शर्त की सूचना देगा, जिसकी उसके द्वारा पूर्ति की जानी है और (जेल द्वारा अग्रेषित) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 356 के अधीन पारित आदेश की प्रतिलिपि पर दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा बताये गये जिले और स्थानीय क्षेत्र को प्रविष्ट कर देगा, और उन्मोचित दोषसिद्धों द्वारा अपने निवास को अधिसूचित करने के लिये स्थानीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की हिन्दी या उर्दू में एक प्रति दोषसिद्ध में व्यक्ति को दे देगा। तदुपरान्त पुलिस अधीक्षक सिद्धदोष व्यक्ति को उन्मोचित कर देगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 356 के अधीन पारित आदेश की प्रति में दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा बताए गए जिला और स्थानीय क्षेत्र प्रविष्ट करेगा और उन्मोचित दोषसिद्ध व्यक्तियों द्वारा अपने निवास स्थान को अधिसूचित करने के लिये स्थानीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की हिन्दी या उर्दू में एक प्रति सिद्धदोष व्यक्ति को देगा। पुलिस अधीक्षक तदुपरान्त दोषसिद्ध व्यक्ति को उन्मोचित कर देगा।

(2) तदुपरान्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 356 के अधीन आदेश के द्वारा विहित अवधि की समाप्ति पर सिद्धदोष व्यक्ति अपराधी जन-जाति अधिनियम (1924 का छठां) की धारा 20 के अधीन स्थानीय सरकार द्वारा रचित नियमों की जहाँ तक वे रजिस्ट्रीकृत जनजाति के सदस्यों का उसे अधिनियम की धारा 10 (ख) के अधीन दायित्वधीन बनाते हों, पूर्ति करेगा, परन्तु ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह अपने निवास, उसमें परिवर्तन या अभिप्रेत परिवर्तन या ऐसे निवास से अपनी अनुमति को पुराने निवास और नये निवास के स्थान की पुलिस को उसकी सूचना देता रहे।

कोई दोषसिद्ध जिसके बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 356 के अध्याधीन आदेश पारित किया गया हो, जो इस नियमों की पालना करने से निषेध करे या ऐसा करने में चूक करे, वह भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अधीन दण्डनीय होगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारन्ट के गिरफ्तार किया जा सकेगा।

276. दण्ड संहिता की धारा 432 सह पठित उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (1941) के पैरा 189, 201, 202, 203, 204 और 205 के अधीन, दोषसिद्ध व्यक्ति अपनी दण्डनीय आज्ञा की समाप्ति के पूर्व कुछ शर्तों पर जो प्रारूप 'क' या 'ख' में हो सकती है और जो दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा उसके उन्मोचन के पूर्व उसके द्वारा स्वीकार की जाना चाहिये, उन्मोचित किया जा सकेगा।

प्रारूप 'क' की शर्तें यह अपेक्षा करती हैं कि दण्डाज्ञा की अवधि की सशर्त कम किए जाने के दौरान :—

(1) दोषसिद्ध व्यक्ति ब्रिटिश भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दण्डनीय कोई अपराध ब्रिटिश भारत या किसी देशी राज्य में नहीं करेगा।

(2) वह किसी ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करेगा, जो दुश्चरित्र के रूप में जाने जाते हों और न कोई बुरा दुराचारी जीवन व्यतीत करेगा।

(3) वह विनिर्दिष्ट जिले में ऐसे स्थान पर निवास करेगा जैसा उस जिले का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देशित करे और उस जिले के मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक की, जिसमें उसके द्वारा निवास किये जाने की अपेक्षा की गई है, बिना लिखित स्वीकृति के उस स्थान की सीमाओं से न तो बाहर जावेगा और न अनुपस्थित रहेगा।

(4) जब तक कि उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा करने से छूट न दे दी जावे, यह नियतकालिक रूप से ऐसे स्थान, समय पर और ऐसे अधिकारी के सामने अपने बारे में

रिपोर्ट देगा जैसा कि उस जिले के जहाँ उसके निवास किये जाने की अपेक्षा की गई हो, मजिस्ट्रेट या पुलिस के अधीक्षक द्वारा समय-सयम पर विहित किया गया हो।

(5) वह सशर्त रूप से उन्मोचित दोषसिद्ध व्यक्तियों के लिये पुलिस निगरानी के नियतों के प्रति अपने को प्रस्तुत करेगा और उनकी पूर्ति करेगा।

जेल मैनुअल के पैरा 203 और 205 के अधीन जेल के अधीक्षक को दोषसिद्ध व्यक्ति के सर्शत उन्मोचन का पुलिस अधीक्षक को कम से कम दो दिन पूर्व सूचना देना चाहिये और उसके उन्मोचन के लिए ऐसा दिन चुनना चाहिये जो न्यायालय के अवकाश का न हो। जब पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हो, उसे गारद और अनुरक्षण के नियम 165 में यथा उपबन्धित एक गारद को उन्मोचन के दिन बन्दी को पुलिस अधीक्षक या मुख्यालय के भारसाधक अन्य अधिकारी के पास लाने के लिये प्रतिनियुक्त करना चाहिये। पुलिस अधीक्षक दोषसिद्ध व्यक्ति को वह ग्राम या मोहल्ला स्वीकृत करेगा जहाँ उसे निवास करना है, और उसके पश्चात् दन्डाज्ञा की समाप्ति तक (या यदि दन्डाज्ञा ऐसा निर्देशित करे जो, जीवन पर्यन्त) अपराधी जनजाति अधिनियम (1924 का छठां) की धारा 10 (1) (ख) के उपबन्धों के दायित्वाधीन रहने वाले आपराधिक जाति के सदस्यों को पुलिस द्वारा निगरानी के नियम और जिनकी गतिविधियाँ उस अधिनियम की धारा 11 के अधीन प्रतिबन्धित कर दी गई है, उस पर लागू होंगे। प्रारूप 'क' के पीछे अंतिम प्रमाण-पत्र के निष्पादन के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करने के बाद पुलिस अधीक्षक दोषसिद्ध व्यक्ति को उन्मोचित कर देगा।

प्रारूप 'ख' में शर्तें केवल इतनी ही अपेक्षा करती हैं कि दोषसिद्ध व्यक्ति केवल विनिर्दिष्ट राज्य को या उस राज्य के राजनैतिक अधिकारी के राज्य को ही जायेगा और विनिर्दिष्ट अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में पुन: प्रवेश नहीं करेगा।

कोई व्यक्ति जो 'क' या 'ख' की शर्तों के अधीन उन्मोचित किया गया हो; जिसके बारे में इन शर्तों के उल्लंघन करने का पता चले, किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारन्ट के गिरफ्तार किया जा सकेगा। इस प्रकार गिरफ्तार किये गये दोषसिद्ध व्यक्ति के मामले को जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट की जानी चाहिये, जो सरकार के द्वारा उसकी छूट रद्द करने के आदेश के विचाराधीन रहने तक उसे अभिरक्षा के निरुद्ध रखे जाने की आज्ञा दे सकता है। वह दोषसिद्ध व्यक्ति जिसकी छूट रद्द कर दी गई हो, तब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के अधीन दन्डाज्ञा समाप्त अवधि का दण्ड भुगतने के लिए परावर्तित (रिमान्ड) किया जा सकेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अधीन प्रारूप की शर्तों के अधीन उन्मोचित दोषसिद्ध व्यक्तियों पर और उन दोषसिद्ध व्यक्तियों, जिनके बाबत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 356 के अधीन पारित किया गया हो, पर प्रयोग की जाने वाली निगरानी वैसी ही होगी जैसी अपराधी जन-जाति के सदस्यों पर प्रयोग की जाती है, जिन पर वही निर्बन्ध क्रमश: लगाये गए हों, यद्यपि ऐसे दोषसिद्धों का रजिस्टर पत्र नहीं होगा। इन दोनों मामलों में प्रत्येक के लिए पृथक रजिस्टर थाने पर निहित प्रारूप में और मुख्यालय पर अपराधी जन-जाति उप-निरीक्षक द्वारा बनाये रखे जावें। उन दोषसिद्धों के विवरण जिनके बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 356 के अधीन आदेश पारित किया गया हो, दोषसिद्धि के समय उपयुक्त रजिस्टर में प्रविष्ट किये जावें। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 356 के महत्व और उपयोगिता की ओर पुलिस अधीक्षक का ध्यान आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक मामले में जिसमें यह लागू हो सके, लोक अभियोजक को यह निर्देशित किया जावे कि वह इसके अधीन आदेश देने के लिए आवेदन के साथ न्यायालय के पास जावे।

अध्याय 21
आदेशिकाओं का निष्पादन
(Execution of Processes)

277. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अधीन (जुर्माने के अतिरिक्त) इस संहिता के अधीन प्रदत्त आदेश के कारण भुगतान योग्य और जिसकी वसूली की रीति अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित न की गई हो, इस प्रकार वसूल योग्य होना मानो यह जुर्माना हो।

278. जंगम सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री के द्वारा जुमाने की वसूली के लिए वारन्ट का निष्पादन निम्नलिखित रीति से किया जावेगा—

(1) साधारणतया ऐसा वारन्ट उस थाने को लोकअभियोजक के माध्यम से निर्देशित किया जावेगा, जिसके मण्डल के भीतर अपराधी की सम्पत्ति स्थित हो और थानेदार द्वारा उसे अपने किसी भी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के नाम पृष्ठांकित कर सकेगा।

(2) दायित्वाधीन व्यक्ति से पहले जुर्माना अदा करने की मांग की जावेगी।

(3) यदि मांग किए जाने पर पुलिस अधिकारी को भुगतान कर दिया जावे, तो उसके द्वारा धन निकटतम कोषालय या उप कोषालय को भुगतान दिया जावेगा और वारन्ट न्यायालय को निष्पादन के पृष्ठांकन सहित लौटा दिया जावेगा।

(4) यदि भुगतान तत्काल न किया जावे, तो वारन्ट को ले जाने वाला पुलिस अधिकारी जुर्माने किये गये व्यक्ति की इतनी जंगम सम्पत्ति का जो जुर्माने के परिसमापन के लिए पर्याप्त हो, कुर्क कर लेगा। वह तब वारन्ट को मजिस्ट्रेट को इस पृष्ठांकन और टिप्पणी के साथ कि क्या किया गया है, लौटा देगा।

(5) यदि कुर्क की गई सम्पत्ति की बिक्री आवश्यक हो तो बिक्री पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं अपितु मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन नाजिर या कुर्क अमीन द्वारा की जावेगी।

279. जब कोई धन पुलिस अधिकारी द्वारा कोषालय या उप-कोषालय को भुगतान किया गया हो उसे एक पास बुक (उच्च न्यायालय प्रारूप क्रमांक 3) के साथ और एक पृथक संक्षेप उसमें प्रविष्ट, हर प्रविष्टि के सम्बन्ध में दो प्रतियों में भेज दिया जावे।

कोषालय या उप-कोषालय का भारसाधक अधिकारी धन की प्राप्ति पर पास बुक और संक्षेप की एक प्रति पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें लौटा देगा।

इस प्रकार लौटाये गये संक्षेप को थाने का भारसाधक अधिकारी उस न्यायालय को जिसने भुगतान करने का आदेश दिया हो और यदि न्यायालय सेशन न्यायालय हो तो जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर देगा।

थाने के भारसाधक अधिकारी के पास बुक का संक्षेप हो जाने पर मजिस्ट्रेट ऐसे अधिकारी को एक चेक रसीद (उच्च न्यायालय प्रारूप भाग सोलह क्रमांक 3) अग्रेषित करेगा। चेक रसीद अंग्रेजी या हिन्दी, उर्दू या दोनों में तैयार की जा सकती है, किन्तु किसी भी दशा में वह राशि और संख्या जो प्राप्त धन को दर्शाती हो, जिसके लिये रसीद जारी की गई हो, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्वयं अपने हाथ से लिखी जाएगी और रसीद पर हस्ताक्षर करना चाहिये।

280. जब कोई पुलिस उस न्यायालय की जिसके द्वारा यह जारी किया गया हो स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी समन का निष्पादन करे, वह प्रारूप 42 में एक शपथ-पत्र निकटतम मजिस्ट्रेट के

सामने बनायेगा। शपथ-पत्र और समन की दूसरी प्रति उस न्यायालय को लौटा दी जावेगी जिसके द्वारा वह जारी किया गया था।

थानों के सभी भारसाधक अधिकारियों को शपथ-पत्र के छपे प्रारूप किया जावेंगे।

281. किसी असंज्ञेय अपराध के मामले में गिरफ्तारी का कोई वारन्ट किसी भी कारण से किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा 6 सप्ताह से अधिक न रखा जावे। जब कोई वारन्ट बिना निष्पादित किये हुये लौटाया तो न्यायालय को उसके निष्पादित न हो सकने के कारणों की पूरी रिपोर्ट दी जानी चाहिये।

282. अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर निवास कर रहे त्रुटिकर्त्ता के विरुद्ध स्थानीय निकायों के लिए, जिनकी ओर से वह वारन्ट जारी किया गया हो, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गए वारन्ट के सिवाय, नगरपालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, अधिसूचित क्षेत्र या कस्बा क्षेत्र के करों की वसूली के लिये जारी किये गये वारन्टों का निष्पादन पुलिस का कर्त्तव्य नहीं है और सम्बन्धित स्थानीय निकाय के कर्मचारी मण्डल के किसी सदस्य द्वारा किया जाना चाहिये।

पुलिस तामील के लिए किसी भी प्रकार की अनियमित आदेशिकायें स्वीकार करने से इन्कार करेगी।

अध्याय 22

अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज

283. थाने पर रखे जाने वाले रजिस्टर और वहाँ से भेजे जाने वाले प्रविवरणों और उनकी सूची प्रथम और द्वितीय परिशिष्ट में मिलेगी।

284. थानों को पुलिस गजट और क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स गजट प्रदान किया जाता है। पूरे पांच वर्ष की जिल्दें रखी जावें और जो पुराने दिनांकों के हों, नष्ट कर दिये जावें।

285. अधीक्षक के कार्यालय में वार्षिक रूप से निम्नलिखित सूची जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई सूचना से तैयार की जावेगी और वर्ष की समाप्ति तक थाने की फाइल में रखी जाने के लिए वह प्रत्येक थाने को भेज दी जावेगी—

(क) उन व्यक्तियों की सूची में निवास कर रहे हों और जिन्हे नाम से आयुध अधिनियम के किसी उपबन्ध में छूट दी गई हो, उन व्यक्तियों की सूची के साथ जो आयुध अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त हों और थाने की सीमाओं के भीतर निवास या अनुज्ञप्ति व्यापार कर रहे हों। अन्य जिलों की सीमा पर स्थित थानों को उस जिले के पड़ोसी थाने के निवासी विमुक्त व्यक्तियों की सूची भी प्रदान की जावे।

(ख) मण्डल की सीमाओं के भीतर आबकारी या अफीम के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाले और अनुज्ञापित व्यापार करने वाले सभी व्यक्तियों की सूची।

(ग) मण्डल की सीमाओं के भीतर सभी सार्वजनिक फेरियों की अनुज्ञप्ति व्यक्तियों के नाम के सहित सूची।

286. प्रत्येक थाने में कार्यालय की फाइल में निम्नलिखित सूचियां भी रखी जावें—

(1) सभी सरकार सम्पत्ति की।

(2) निर्देश के लिये सभी अधिनियमों और पुस्तकों की।

(3) कान्सटेबिलों के ग्रामीण फेरों की।

(4) थाने में बनाये रखे जाने वाले रजिस्टरों की।

(5) ग्रामीण पुलिस के द्वारा रिपोर्ट देने के दिनांक की।

(6) थाने से संलग्न अधिकारियों और सिपाहियों की उनके पदस्थ होने के दिनांक सहित।

(7) उन अधिकारियों की जिनके द्वारा 31 दिसम्बर से थाने का निरीक्षण किया गया है, दिनांक सहित।

(8) मण्डल को लागू किये गये, उस पर विस्तार किये गये, अधिनियमों के अंशों की सूची (पैरा 338)।

(9) वेतन, पारितोषिक और भत्तों की प्राप्तियां और विवरण को दर्शाने वाली सूची।

(10) क वर्ग की हिस्ट्री-शीट।

(11) ख वर्ग की हिस्ट्री-शीट।

(12) छुट्टी के आवेदन-पत्र।

(13) पारितोषिक आवेदन-पत्र।

(14) ग्राम चौकीदारों के लिए सदाचरण के भत्ते।

(15) मण्डल के निवासियों की जो मण्डल के भीतर या बाहर सिद्धदोष ठहराये गये हों।

(16) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षित मामले।

(17) सर्पदंश अन्य और वन पशुओं द्वारा मृत्यु के मामले।

(18) मोटर व्हीकिल्स एक्ट के अधीन मामले।

(20) ग्राम चौकीदार की सूची।

सूची (7) में यह दर्शाया जावे कि निरीक्षण विशेष वार्षिक था या आकस्मिक। जब कभी कोई निरीक्षण किया जावे, सूची में तत्काल प्रविष्टि कर ली जावे। एक वर्ष की सूची दूसरे वर्ष के लिए निर्देश हेतु रखी जावे।

287. हर थाने में सहज गोचर स्थल पर सार्वजनिक सूचनाओं और उद्घोषणाओं के लिए एक नोटिस बोर्ड लगाया जावेगा।

जैसा अवसर द्वारा अपेक्षित हो, भारसाधक अधिकारी सूचनाओं को हटायेगा या नवीनीकृत करेगा। यदि थाने के मण्डल के सीमा के भीतर किसी स्थान में सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 13 और 17 के सिवाय सार्वजनिक जुआ अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध का विस्तार कर दिया गया हो, नोटिस बोर्ड पर उस स्थान की चतुर्सी सीमायें बताते हुये एक सूचना पत्र लगाया जावेगा और जब वह पढ़े जाने योग्य न रहे, उसका नवीनीकरण किया जावेगा।

288. थाने के मण्डल के भीतर सभी गांवों की स्थिति और चारों ओर की सीमाओं का एक नक्शा थाने की कार्यालय की दीवाल पर लटकाया जाना चाहिये। यदि थाने के मण्डल में कोई कस्बा या नगर, किसी कस्बे या नगर का भाग अन्तर्विष्ट हो, तो एक नक्शा मोहल्लों और फेरों की जगहों को दर्शाने वाला होना चाहिये।

टीप—यह नक्शे उनके अतिरिक्त हैं, जो सेंध लगाने के मामलों के वर्गीकरण के लिए रख जाते हैं।

289. थाने पर रखे जाने वाले प्रारूपों (फार्मों) की एक सूची पृथक से प्रकाशित की गई है। थानों को प्रारूप तभी प्रदाय किए जावें जब कि हस्तगत भण्डार कम हो गया हो, न कि शासकीय मुद्रणालय से प्राप्त होने पर नियम के रूप में।

290. पैरा 9 के द्वारा मजिस्ट्रेट के निरीक्षण के लिये विहित की गई खाली पुस्तक के अतिरिक्त केवल विभागीय अधिकारियों के उपयोग के लिये प्रत्येक थाने में प्रत्येक प्राधिकृत छपे हुए प्रारूप (क्रमांक 35 और 35-क) में रखी जावेगी और विस्तृत तथा आकस्मिक दोनों ही निरीक्षणों के लिए उपयोग की जावेगी। राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के द्वारा किये निरीक्षणों की टीपें पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की जावेंगी।

291. जनरल केस डायरियों की सभी खाली जिल्दों पर, जब वे शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय से प्राप्त हों, उसके अभिलेखागार में संग्रह किये जाने के पहले उनके प्रत्येक पृष्ठ पर अधीक्षण कार्यालय की मोहरें अंकित की जावे और प्राप्त की गई जिल्दों की संख्या, रजिस्टर और प्रारूपों की भण्डार पुस्तक में (मैनुअल मिस्लैन्युअस फार्म नम्बर 33-बार) प्रविष्ट की जावे। इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिये कि उसमें से कोई पृष्ठ बाहर न निकाले जावें। डायरियों की खाली जिल्दें सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाना चाहिये। जनरल और केस डायरी निम्नलिखित रीति से रखी जानी चाहिये :—

(1) थाने या चौकी को दुबारा से जारी की गई जिल्द का क्रमांक और छपाई का वर्ष निर्गमित करने वाले रजिस्टर को दर्शाना चाहिये।

(2) जारी करने के समय डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर जिले या थाने या चौकी के नाम, जिसको वह विशेष जिल्द जारी की गई हो, की ओर जारी करने की दिनांक की मोहर लगाई जावेगी।

(3) उपयोग में आने वाली रबड़ की मोहरें ताले और चाबी के अधीन रखी जाना चाहिए ताकि उनका पुलिस के उस राजपत्रित अधिकारी के, जो रबड़ की मोहरों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा, विनिर्दिष्ट आदेश के बिना अभिलेखागार में रखी गई, खुली जिल्दों पर उपयोग न किया जा सके।

(4) खाली जिल्दों के भण्डार की मास में एक बार किसी पुलिस विभाग के अधिकारी के द्वारा जो राजपत्रित अधिकारी से कम की पंक्ति का न हो, जाँच की जाना चाहिये और उसके द्वारा रजिस्टर की प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर किये जाना चाहिये।

(5) राजपत्रित अधिकारी से न्यूनतम पंक्ति के न होने वाले पुलिस विभाग के अधिकारी के स्पष्ट आदेश के बिना कोई जिल्द जारी नहीं की जाना चाहिये। माँग के लिए प्रारूप उसके जारी किये जाने के पहले एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर किये जाने की अपेक्षा रखता है।

(6) आपातकालीन स्थितियों से उपयोग किये जाने के लिये, प्रत्येक थाने को प्रत्येक डायरी की एक ही फालतू जिल्द रखने की अनुमति दी गई है। जब वह प्रयोग में लाई जावे, जनरल डायरी में इस आशय की प्रतिविष्ट जिल्द का क्रमांक और उसकी छपाई का वर्ष देते हुए की जावे। चौकी के मामले में, किसी फालतू प्रति जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(7) प्रत्येक अन्वेषणकर्त्ता अधिकारी की केस डायरी की एक पृथक जिल्द जारी की जावे और उसके स्थानान्तर की दशा में वह उसके उत्तराधिकारी को दे दी जानी चाहिए तथा उसके

प्रमाण-पत्र में डायरी के प्रयोग किये जा चुके और बिना प्रयोग किये गये पृष्ठों की संख्या अंकित रहना चाहिये।

(8) अपने आकस्मिक निरीक्षणों के दौरान मण्डल अधिकारियों को जाँच करना चाहिये कि थानों में एक प्रकार की एक से अधिक फालतू जिल्द नहीं रखी जाती और यह प्रमाणित करना चाहिये कि उसका दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है।

(9) मण्डल अधिकारियों को यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि पेशी क्लर्क इस बात की जाँच करते हैं कि उनके द्वारा जनरल डायरी/केस डायरी अनुक्रमांक के अनुसार प्राप्त की जाती है।

(10) डायरियों में उपरिलेखन करने की अनुमति नहीं है। डायरी में खींची गई पंक्ति पर एक से अधिक पंक्तियाँ न लिखी जावें। खिंची हुई रेखा का जो भाग बिना प्रयोग का रह जावे, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आड़ी रेखा खींच देना चाहिए।

(11) जब कभी अभिलेखागार में खाली पृष्ठों सहित कोई जनरल डायरी या केस डायरी जमा की जावे, ऐसे प्रत्येक पृष्ठ को किसी राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षरों के अधीन रद्द कर दिया जावे, ताकि उसका उपयोग न किया जा सके। ऐसे खाली पृष्ठों को अन्तर्विष्ट करने वाली जिल्द थाने/चौकी में न रखी जावे, जब तक कि उनकी न्यायालय में मामलों के विचारण के लिये अपेक्षा न हो। ऐसे मामलों में ऐसी जिल्दें मण्डल अधिकारी को प्रस्तुत की जावें, जो यथास्थिति जनरल/केस डायरी के बिना प्रयोग किये गये पृष्ठों को रद्द कर दे।

292. इसके पूर्व कि जनरल/केस डायरी की जिल्दें पुलिस (प्रारूप क्रमांक 217 ओर 34) वितरण के लिये अधीक्षक के कार्यालय के बाहर जावें, पृष्ठों को सावधानीपूर्वक यह देखने के लिये कि शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय के द्वारा कोई अशुद्धि नहीं की गई है और प्रत्येक जिल्द के प्रारम्भ और अन्त में उसमें अन्तर्विष्ट पृष्ठों की संख्या और पाई गई कोई अशुद्धि को दर्शाते हुये एक टीप अंकित की जाना चाहिए। इस प्रविष्टि पर पुलिस अधीक्षक या अन्य किसी राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर किये जाना चाहिये।

293. जब केस डायरी की कोई जिल्द उपयोग में लाई जावे उसकी सूची के रूप में प्रारूप क्रमांक 280 जोड़ दिया जावे।

294. जनरल डायरी (पुलिस प्रारूप क्र० 217) थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीक्षण में दो प्रतियों में लिखी जावेगी, जो उसमें की गई प्रविष्टियों के लिये उत्तरदायी होगा तथा उसमें, नित्य प्रति हस्ताक्षर करना चाहिये। "भारसाधक अधिकारी" में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (ण) के अधीन अस्थायी रूप से भारसाधक अधिकारी रहता है। दूसरी प्रति थाने में रहेगी और मूल प्रति अधीक्षक को, सब डिवीजन के भारसाधक सहायक या उप पुलिस अधीक्षक को भेज दी जावेगी। डायरी पुलिस की कार्यवाही और उन्हें रिपोर्ट की गई घटनाओं का या जिनकी उन्हें सूचना मिले, डायरी एक पूर्ण, किन्तु संक्षिप्त अभिलेख होगा। निम्नलिखित पैरा में वर्णित अपवाद के सिवाय प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, केस डायरी या पृथक रिपोर्ट में समावेश विवरणों को डायरी में लिखने की आवश्यकता नहीं है।

295. जनरल डायरी में निम्नलिखित मामले लिखे जावें :—

(1) प्रातः परेड की रिपोर्ट, किसी अधिकारी या सिपाही की अनुपस्थिति का कारण।

(2) भारसाधक अधिकारी द्वारा अवशेष धन का सत्यापन और मालखाने का निरीक्षण।

(3) दैनिक कर्त्तव्यों का विवरण और आकस्मिक अवकाश का अनुदान।

(4) कर्त्तव्यों, स्थानान्तरण और अवकाश पर पुलिस अधिकारियों का प्रस्थान और उनके आगमन।

(5) सभी कर्त्तव्यों, यथा फेरे या कर्त्तव्य आदेशिकाओं की तामील, निरीक्षण और अन्वेषण के पालन की रिपोर्ट।

(6) थाने का प्रधान मोहर्रिर के कर्त्तव्यों के प्रभार का हस्तान्तरण।

(7) सन्तरियों को पदस्थ और पद मुक्त किया जाना जबकि उनको पैरा 59 के अनुसार उप-निरीक्षण या प्रधान कान्सटेबिल द्वारा पदस्थ या पदमुक्त किया जाना हो।

(8) नकद धन की प्राप्ति और वितरण।

(9) यह तथ्य कि पुलिस ने किन्हीं सम्पत्ति पर कब्जा किया है, ऐसी सम्पत्ति के संक्षिप्त विवरण और उनके निपटारे के लिये किये गये कार्य के सहित।

(10) थाने पर की गई गिरफ्तारियाँ।

(11) बाहर जाने वाले बन्दियों के मामलों में उनको हथकड़ियाँ लगाने या न लगाने के कारणों के अभिकथन सहित बन्दियों का आगमन और प्रस्थान।

(12) थाने पर बन्दियों की जमानत स्वीकार करना।

(13) चैक रसीद (प्रारूप क्रमांक 341 या 347) क्रमांक सहित, थाने से उस गाँव का, जहां से अपराध सूचित हुआ हो, अन्तर और दिशा और संज्ञेय अपराधों के मामले में उस गाँव से एक वर्ष में अद्यान्त रिपोर्ट किये गये अपराधों की संख्या, अपराधों की रिपोर्ट।

(14) उन सभी घटनाओं की रिपोर्ट, जिनकी रिपोर्ट के अधीन की जानी हो या जो पुलिस या मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी कार्यवाही की अपेक्षा रखती हों या जिसको जिला प्राधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिये।

(15) रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही।

(16) प्राप्त किये गये और कागजों के विवरण।

(17) राजपत्रित अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा थाने के निरीक्षण।

(18) प्रत्येक मास की पहली और सोलह तारीख को पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई और निपटारे के विचाराधीन मालखाने में विद्यमान सम्पत्ति का विवरण।

(19) पहली और सोलह तारीख को लम्बित निर्देशों और आदेशों की सूची।

296. दिन के दौरान, उन घटनाओं को जिनका निर्देश करती हों, सभी प्रकार की रिपोर्ट तत्काल प्रविष्ट की जावे। निम्नलिखित घटनाओं की रिपोर्ट भी रात के दौरान तत्काल प्रविष्ट की जावे :—

(क) सभी अपराध और घटनायें जो भारसाधक अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाने की अपेक्षा रखती हों।

(ख) बन्दियों, धन और सम्पत्ति का आगमन और प्रस्थान।

(ग) जब पैरा 59 के अधीन किसी अधिकारी द्वारा किया जावे तो सन्तरियों का पदस्थ और भार मुक्त किया जाना।

297. जब तक कि अधीक्षक डाक या जावक की अन्य रीति का कोई अधिक अच्छा समय विहित न करे, जनरल डायरी प्रत्येक दिन के लिये सूर्यास्त पर बन्द कर दी जावेगी और रात्रि के दौरान की गई प्रविष्टियाँ आगामी दिन का भाग रहेंगी।

298. जब कभी जनरल डायरी की कोई प्रविष्टि जिला या सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के ध्यान में लाई जावे, अधीक्षक या तो डायरी को मूल रूप में या उसकी प्रति भेजेगा।

299. (1) जब कभी किसी न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक या उसके अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी पर डायरी प्रस्तुत करने के लिये किसी आदेशिका की तामील की जावे या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 में न आने वाली किसी दशा में न्यायालय से डायरी प्रस्तुत करने के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त हो, पुलिस अधीक्षक डायरी को न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने और उसके द्वारा निरीक्षण किये जाने की अनुज्ञा और उससे उत्पन्न होने वाली साक्ष्य दिये जाने की अनुमति प्रदान करेगा, जब तक कि उसके अभिमत में उसका प्रकटीकरण जन-हित के प्रतिकूल न हो या उसको निर्धारित करने के लिए कोई उचित कारण विद्यमान न हो।

2.—(क) उच्चतर प्राधिकारियों से नामतः राज्यपाल, भारत सरकार के सचिव, भारत सरकार, या प्रान्तीय सरकार या जो ऐसे उच्चतर प्राधिकारियों से पत्र-व्यवहार का विषय बने हों, या

अन्य सरकारों से, चाहे विदेशी हों या संघीय, से बाहर निकलने वाली दस्तावेजों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक को सामान्य कार्यालयीन प्रणाली के माध्यम से, यथास्थिति भारत सरकार या प्रान्तीय सरकार की सहमति, न्यायालय में उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होने या उन पर आधारित साक्ष्य की अनुमति देने के पूर्व, प्राप्त कर लेना चाहिये जब तक कि कागज प्रकाशन के लिये अभिप्रेत हों या औपचारिक या दिनचर्या के स्वरूप के न हों, जब उच्चतर प्राधिकारियों को निर्देश करने से मुक्त रहा जा सके।

(ख) उपरोक्त नियम एक व दो (क) में विनिर्दिष्ट किये गये कागजों की दशा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को उन विषयों के पत्र व्यवहार को, जो सामान्यतया गोपनीय माने जाते हैं या जिसका प्रकटीकरण उसके अभिमत में जनहित के प्रतिकूल होगा या उन मामलों की जो किसी अन्य सम्बन्ध में सरकार या अन्य किसी पक्ष के बीच विवादाधीन हो या उसके बीच उनसे मतभेद उत्पन्न हो गया हो, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देगा।

3.—(1) उपरोक्त नियम एक या दो में वर्णित दस्तावेजों के बारे में शंका की दशा में, पुलिस अधीक्षक को सदैव से ही पुलिस महनिरीक्षक से आदेशों के लिये निर्देश करना चाहिये। यदि ऐसा विचार किया जावे कि दस्तावेज पेश करने की अनुज्ञा विधारित की जाना चाहिये, पुलिस अधीक्षक या तो सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ स्वयं न्यायालय में उपस्थित होगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 या 124 के अधीन दिये गये विशेष अधिकारों का दावा करेगा या वह नीचे अंकित प्रारूप में एक आदेश जारी करेगा जो उस सरकारी अधिकारी द्वारा, जो दस्तावेज के साथ साक्ष्य देने के लिये न्यायालय में उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, प्रस्तुत किया जावेगा और उसे यह स्पष्ट कर देना चाहिये के वह न्यायालय में दस्तावेज पेश करने को या उनसे उत्पन्न साक्ष्य देने के लिए स्वतन्त्र नहीं है।

(2) पुलिस अधीक्षक को न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से उन आधारों के बारे में, जिन पर दस्तावेज बुलाई गई हो, पत्र व्यवहार करने से बचना चाहिये। उसे न्यायालय के आदेशों को मानना चाहिये और उसे दस्तावेज के साथ न्यायालय में स्वयं उपस्थित होना चाहिये या अन्य किसी को उपस्थित रखने की व्यवस्था करना चाहिये और उपरोक्त उपनियम (1) में बताई गई रीति से कार्य करना और यदि वह विशेष अधिकार का दावा करे तो उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये।

आदेश का प्रारूप

न्यायालय.....से.....से सम्बन्धित कार्यालयीन फाइल को.....पर प्रस्तुत करने के लिए समन।

(क) मैं समन में वर्णित फाइल के साथ.....को उपस्थित होने और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 या 124 के अधीन विशेषाधिकार का दावा करने के लिए निर्देशित करता हूँ।

(ख) मैं उस फाइल से, जिसके लिए आदेश के अधीन विशेषाधिकार का दावा किया गया है, किसी साक्ष्य देने की अनुमति को विधारित करता हूँ।

मेरी ओर से न्यायालय को यह अभ्यावेदन किया जाना चाहिये कि ये फाइलें राज्य के अधिकारियों से सम्बन्धित अप्रकाशित.....कार्यायलीन अभिलेख..... गोपनीय विषय जिनका प्रकटीकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123/124 के आशयों के लिए जनहित के विरुद्ध होगा, अन्तर्विष्ट करती है और उक्त अधिनियम की धारा 162 के दृष्टिकोण से फाइलें न्यायालय द्वारा निरीक्षण के किए जा सकने योग्य नहीं है।

दिनांक

पुलिस अधीक्षक

300. पुलिस प्रक्रिया का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि उन स्रोतों और अभिकर्त्ताओं का ज्ञान, जो गोपनीय सूचनायें प्रदान करते हैं, उन्हीं अधिकारियों को होना चाहिये, जो उन्हें सेवायोजित करते हों या जिनके बारे में पुलिस दल के प्रधान विनिश्चय करें और गोपनीय अभिलेखों तथा दस्तावेजों की गोपनीयता बनाये रखने के लिए सभी पूर्वानिधानियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

इसलिए पुलिस बल का कोई सदस्य पुलिस महानिरीक्षक के सामान्य या विशेष आदेशों के सिवाय, बल के भीतर या बाहर के किसी व्यक्ति को सूचना का स्रोत या वह माध्यम, जिससे उसे सूचना प्राप्त हुई हो, न तो प्रकट करेगा और न उससे प्रकट करने की अपेक्षा की जावेगी।

पुलिस बल का कोई सदस्य, बल के बाहर के किसी व्यक्ति को किसी गोपनीय अभिलेख दस्तावेज या ऐसे दस्तावेजों से प्राप्त होने वाली किसी सूचना को, पुलिस महानिरीक्षक के सामान्य या विशेष आदेशों के सिवाय संचारित नहीं करेगा।[1]

जब पुलिस बल के बाहर के किसी व्यक्ति को किसी गोपनीय सूचना का संचार करना आवश्यक हो, सूचना का स्रोत या वह माध्यम जिससे सूचना प्राप्त हुई हो, को अभिदर्शित करने से बचने के लिये अधिकतम सतर्कता अपनाई जाना चाहिये। रिपोर्टों को संक्षिप्त किया जाकर पदों में विभाजित किया जावे और किसी भी कारण से मूल रिपोर्ट या उस रिपोर्ट की प्रति को संचारित किया जावे।

टीप—गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट की धारा 57 की उपधारा (1) में वर्णित अपराधों के करने में प्रवृत्त, या उनके करने या षड्यन्त्र रचने, उनके करने या करने की तैयारी करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित गोपनीय सूचना का प्रकट या संसूचित किया जाना, ऐसे नियमों और आदेशों से शासित होती है, जैसा कि सरकार उक्त अधिनियम की धारा 58 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जारी करे।

---

1. इसमें जो सम्बन्धित या आवश्यक न हों, वे काट दिये जाएँ.

अध्याय 23

पुलिस थानों पर रखे गये लेखे

301. प्राप्ति और वितरण के सभी हिसाब तत्काल थाने की रोकड़ प्रारूप क्र० 224 में प्रविष्टि किये जावेंगे। मास के अन्त में हस्तगत अवशेष धन के विवरण दिखाये जाना चाहिए।

302. धन की प्राप्ति पर थाने का लेखक प्रधान कान्सटेबिल जनरल डायरी में उसके आगमन का समय और दिन में वितरित की गई धनराशि, हस्तगत अवशेष और पूरा धन वितरित न किये जाने के कारण प्रविष्टि करेगा, पश्चात्वर्ती वितरित की गई समस्त धनराशियाँ उनके भुगतान के समय जनरल डायरी में प्रविष्ट की जावेंगी।

(क) रोकड़ और जनरल डायरी दोनों में की गई नकद धन की प्रविष्टियां, ज्यों ही वे की जावें, थानेदार द्वारा जांच ली जानी चाहिये या वे उसकी अनुपस्थिति के दौरान की गई हों, तो उसके थाने पर लौटते ही, उसके द्वारा उसकी अनुस्थिति में किए गए सभी संव्यवहारों की जांच की जाकर सूक्ष्म जांच के पश्चात् उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिये।

303. बिना वितरण किया अवशेष धन किसी दृढ़ सन्दूक में ताले और चाबी के अधीन रखा जावेगा और थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उसका प्रतिदिन सत्यापन किया जावेगा। सन्दूक ऐसे स्थान पर रखा जावेगा, जहाँ से सन्तरी उसे देख सके, तथा उसके किसी खम्भे या भूमि से जंजीर द्वारा बांधकर रखा जाना चाहिये। उसकी चाबी थाने में उपस्थित ज्येष्ठ अधिकारी द्वारा रखी जावेगी।

304. डाक सेवाओं, लेबलों और डाक पन्नों की प्राप्ति और व्यय रोकड़ में इस प्रकार दर्शाए जाना चाहिए, मानो ये धन हों।

305. थाने के भारसाधक अधिकारी और रिजर्व निरीक्षक पुलिस अधीक्षक से निम्नलिखित व्ययों की पूर्ति करने के लिये स्थायी अग्रिम प्राप्त करते हैं जो प्रत्येक के सामने अंकित बजट शीर्ष में नामे किए जाने योग्य हैं :—

अनुक्रमांक	प्रभार (व्यय) का नाम	शीर्ष के अधीन आवन्टन से किये जाने के लिये
1	2	3
1.	शवों (व्यक्ति और पशु दोनों के घायल), और अभियुक्त, आवारा और पागलों, अपराधियों का परिवहन।	33—पुलिस—नॉन प्लान-बी जिला कार्यपालक-संविदा-आकस्मिकताएँ—शवों, घायलों और अभियुक्त व्यक्तियों के परिवहन व्यय।
2.	अभियुक्त व्यक्ति की सम्पत्ति का थाने से न्यायालय को ले जाना (आबकारी विभाग द्वारा विचारण को भेजी गयी, को सम्मिलित करते हुए)।	
3.	गरीब व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने के लिये व्यय	
4.	बेदावी सम्पत्ति को थाने से न्यायालय को ले जाना	
5.	सारजेन्ट द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त व्यक्तियों का संवहन किराया	

अनुक्रमांक	प्रभार (व्यय) का नाम	शीर्ष के अधीन आवन्टन से किये जाने के लिये
1	2	3
8.	मृत्यु की घटनाओं की, जिनमें घृणित कार्य सन्देहित हो, रिपोर्ट करने को सरपंच द्वारा थाने को भेजे जाने वाले सन्देश वाहक का खाना व्यय	
9.	पुलिस मामलों में घायल व्यक्तियों की खुराक	19—सामान्य प्रशासन—जिला प्रशासन-सामान्य स्थापना। क्या पुलिस महानिरीक्षक के नियन्त्रण के अधीन है। पुलिस अधीक्षक को आवश्यक भुगतान करना चाहिये और भू-राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग, इलाहाबाद के वेतन और लेखा अधिकारी के देयक से निकालना चाहिये।
10.	पुलिस अभिरक्षा यूरोपियन के मामले में प्रकाश, पंखा,, कुली, मेहतरों के व्यय	22--जेल्स एण्ड कन्विक्ट्स सेटिलमेंट—पुलिस अभिरक्षा के लिए व्यय। क्या पुलिस महानिरीक्षक के नियन्त्रण के अधीन है। पुलिस अधीक्षक को आवश्यक भुगतान करना चाहिए और बिलों को जेल, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य विभाग लखनऊ के वेतन और लेखा अधिकारी से बिलों को प्राप्त करना चाहिये।
11.	अभियुक्त व्यक्तियों का खुराक व्यय	
12.	विचाराधीन हवालातों में बन्दियों को पानी संदाय करने के लिये प्रति-नियुक्त पानी देने वाले व्यक्तियों का वेतन	
13.	आपराधिक पागलों के भोजन व्यय	
14.	अपराधी न होने वाले पागलों के भोजन व्यय	29—सामान्य प्रशासन—जिला प्रशासन-सामान्य स्थापना-अपराधी न होने वाले पागलों का भोजन और अनुरक्षण व्यय। क्या पुलिस महानिरीक्षक के नियंत्रण के अधीन है। पुलिस अधीक्षक को आवश्यक भुगतान करना चाहिये और देयक भू-राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग, इलाहाबाद के वेतन और लेखा अधिकारी से प्राप्त करना चाहिये।

अनुक्रमांक	प्रभार (व्यय) का नाम	शीर्ष के अधीन आवन्टन से किये जाने के लिये
1	2	3
18.	रेलगाड़ी द्वारा कर्त्तव्य पर भेजे गए अधिकारियों और सिपाहियों के किराये का मूल्य	23—पुलिस नान प्लान—बी०डी०इ०एफ०—एलाउन्सेज एण्ड आनरेरिया-गवाहों--के भोजन और यात्रा भत्ते और अन्य विविध व्यय।
19.	पुलिस अन्वेषण और कार्यपालक जाँच में समन किये गये गवाहों के भोजन और यात्रा व्यय	23—पुलिस नान प्लान--बी०डी०इ०एफ०—एलाउन्सेज एण्ड आनरेरिया-गवाहों—के भोजन और यात्रा भत्ते और अन्य विविध व्यय।

टीप—सामान्यतया मामले की सम्पत्ति न्यायालय द्वारा मामले या अपील का निपटारा करने के तुरन्त पश्चात् उसके स्वामी को लौटा दी जाती है। यदि स्वामी न्यायालय में उपस्थित न हो या सम्पत्ति मालखाने में आकर प्राप्त करने में असमर्थ हो, सरकार का ऐसा कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि वह उसके निवास पर जाकर स्वामी को सम्पत्ति लौटाये, क्योंकि उसके कब्जे से पुलिस द्वारा वह सम्पत्ति अभिग्रहीत नहीं की जाती, जो किसी अपराध की विषयवस्तु होती है। सम्पत्ति को खो देने वाले को पुलिस से यह आशा नहीं करना चाहिये कि वह सम्पत्ति का पता लगा देने के बाद ही वह उसको लौटा देने का व्यय भी भुगते। अपवादित मामलों में तथापि सरकार स्वामी के निवास सम्पत्ति प्रदाय करने का व्यय वहन करती है तथा ऐसे किसी मामले में परिवहन व्यय एकाउन्ट कोड, जिल्द एक के अनुच्छेद 30 के अनुसार परिवहन के व्यय, शीर्ष "23—पुलिस बी०डी०इ०एफ०—(1) जिला पुलिस—3-कन्टेनजेन्सीज—मिस्लेन्युअस" के अधीन पुलिस बजट के नामे डाले जावें।

306. प्रारूप क्रमांक 11 में चेकों की एक पुस्तक हर थाने में ताले और चाबी के अधीन रखी जावेगी। उसके पूर्व की कोई चेक बुक थाने को जारी की जावे, पुस्तक के मूल और दूसरी प्रति दोनों पर अधीक्षक के कार्यालय की मोहर लगाई जावेगी। स्थायी अग्रिम पूर्ति के लिए, पूर्वगामी पैरा की संख्या 18 के सिवाय प्रत्येक वर्ग के व्यय के लिए एक पृथक चेक जारी किया जावेगा जिसके निर्देशों के लिये आफिस मैनुअल का पैरा 206 (घ) देखें, और उन्हें पुलिस अधिकारी द्वारा मुख्यालय को भेज देना चाहिये। मुख्यालय पर आ जाने पर पुलिस अधिकारी को चेक लोक अभियोजक के पास ले जाना चाहिये जो उस मामले के कागजों की जाँच करने के पश्चात् जो उस पर अधिकारी के मुख्यालय पर आगमन का दिनांक, भुगतान की जाने वाली धनराशि, उस अधिकारी का नाम, जिसके द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाना है; पृष्ठांकित करेगा और पृष्ठांकन पर अपने हस्ताक्षर करेगा। वह चेक के बारे में एक रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा जिसे वह इस प्रयोजन के लिए बनाये रखेगा। यह रजिस्टर पुलिस थाने द्वारा रखा जावेगा, और हर चेक का क्रमांक और दिनांक, उसकी प्रस्तुति का दिनांक, वह प्रयोजन जिसके लिये भुगतान मांगा जा रहा है, वह व्यक्ति जिसे भुगतान किया जाना है, भुगतान किया जाने वाला धन और चेक लाने वाले के हस्ताक्षर और मोहर, दर्शाये जावेंगे। चेक (जब तक वे कि इच्छा पत्र हीन सम्पत्ति से सम्बन्धित व्ययों की पूर्ति के लिये न हों,) पुलिस अधीक्षक के समक्ष भुगतान के आदेश के लिये लाये जावेंगे और तब पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उसे लाया हो, लेखपाल के पास ले

जाया जावेगा। वह उसे आकस्मिक रजिस्टर में प्रविष्ट करते हुये और साधारण नीति से भुगतान पाने वालों की रसीद प्राप्त करते हुये, जिले के अग्रिम से राशि भुगतान करेगा। लेखपाल केवल उन पुलिस अधिकारियों को भुगतान करेगा, जिनका नाम चेक में हो और अधिकारी धन को थाने ले जायेगा। बन्दियों, घायल व्यक्तियों, शवों इत्यादि के मुख्यालय के अतिरिक्त स्थान पर भेजने के मामले में, उस न्यायालय जिसमें वे भेजे जाते हैं, का पुलिस अधिकारी या यदि वे न्यायालय को न भेजे जावें तो गन्तव्य स्थान के थाने के भारसाधक अधिकारी चेक के पीछे प्राप्ति का दिनांक, देय राशि, पुलिस भारसाधक अधिकारी का नाम, अभिलिखित करेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा। तब वह चेक को लोक अभियोजक को भेजेगा और अपने रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा और उसे अधीक्षक के कार्यालय को प्रेषित करने वाले थाने को पूर्ति और राशि भेजने के लिये प्रेषित करेगा।

इच्छा पत्र हीन सम्पत्ति से सम्बद्ध व्ययों के सम्बन्ध में चेकों के मामलों में प्रक्रिया समान होगी, सिवाय इसके कि पुलिस अधीक्षक के समक्ष लाये जाने के बजाय वे लोक अभियोजक द्वारा पृष्ठांकन और उसके रजिस्टर में प्रविष्टि के बाद जिला न्यायाधीश के न्यायालय में भुगतान करने के लिये प्रस्तुत किये जावेंगे।

307. प्रत्येक माह की पहली तारीख को थाने का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी पूर्व मास में उसके द्वारा जारी किए गये चेकों का ज्ञापन प्रारूप क्र० 198 में प्रस्तुत करेगा। अधीक्षक या निरीक्षक से न्यून पंक्ति का न होने वाला पुलिस अधिकारी इस ज्ञापन की जाँच लोक अभियोजक के रजिस्टर से करेगा।

यह नियम और पैरा 305 और 306 में वर्णित नियम जहाँ तक वह पैरा 305 में वर्णित शीर्षों पर किये गये व्ययों से सम्बन्धित हों, सरकारी रेलवे पुलिस पर भी लागू होंगे। स्थायी अग्रिम की, उस जिले के, जिसके भीतर रेलवे स्टेशन स्थित हों, पुलिस अधीक्षक के द्वारा या उसके माध्यम से, पूर्ति की जावेगी, सिवाय उन रेलवे थानों की जिनकी स्थिति के कारण कोई विशेष आदेश जारी किये गये हों, उपरोक्त विहित मासिक ज्ञापन रेलवे पुलिस थाने के अधिकारी द्वारा उस पुलिस अधीक्षक को जिसके द्वारा या माध्यम से पूर्ति प्रभावित की गई हो, अग्रेषित करेगा।

308. रिजर्व लाइन में लेखे, थाने के लिये ऊपर विहित की गई रीति से रखे जावेंगे, रिजर्व निरीक्षक थाने के भारसाधक अधिकारी के रूप में और लाइन मोहर्रिर थाने के मुख्य कान्सटेबिल मोहर्रिर के रूप में कर्त्तव्य पालन करेंगे। वह पैरा 305 में वर्णित प्रकार के व्ययों को पूरा करने के लिये स्थायी अग्रिम धारण करोगा और पैरा 306 और 307 में वर्णित थानेदार के कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा। वह चेक की पुस्तक (पुलिस प्रारूप 304 और 320) ताले-चाबी के अधीन रखेगा और वह अपने स्थाई अग्रिम की पूर्ति चेकों के द्वारा करेगा जिन्हें वह जाँच और पृष्ठांकन के लिये लोक अभियोजक के पास भेजेगा। भुगतान ठीक उसी प्रकार होंगे, जैसा पैरा 306 में निर्धारित किया गया है। पैरा 307 में विहित किया गया मासिक ज्ञापन का प्रारूप 198 रिजर्व पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अध्याय 24

भारतीय राज्य

309-321— *[निकाल दिया गया]*

अध्याय 25

जन्म और मरण की रिपोर्ट देना और पंजीकरण

322. नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र, टाउन एरिया या छावनी के बाहर के क्षेत्रों में ग्राम चौकीदार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह गाँव सभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या सचिव को शीघ्रतम अवसर पर पंचायत की समानुदेशित क्षेत्र में होने वाले किसी जन्म या मरण की रिपोर्ट करें। यदि मृतक कोई सरकारी पेन्शनर या मरण की रिपोर्ट करे। यदि मृतक कोई सरकारी पेन्शनर या भारतीय सेना की नान कमीशन्ड अधिकारी या निजी अवकाश पर कोई व्यक्ति या विदेशी हो, उसके मरण की सूचना तत्काल अपने थानेदार को भी देगा।

323. *[विलुप्त]*

324. *[विलुप्त]*

325. नगरपालिका सीमा के भीतर या बाहर के थाने का भारसाधक अधिकारी, किसी पेन्शनर की मृत्यु या उसके लापता हो जाने पर जनरल डायरी में रिपोर्ट प्रविष्ट करेगा और उस तथ्य की सूचना बिना विलम्ब के तहसीलदार को देगा, जो उसका सत्यापन करने के लिये पग उठायेगा।

326. थाने का भारसाधक अधिकारी किसी भारतीय नान-कमीशन्ड अधिकारी या भारतीय सेना के छुट्टी पर होने वाले व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में चौकीदार या कान्सटेबिल से सूचना प्राप्त होने पर, अपने जिले के पुलिस अधीक्षक को तत्काल इस तत्य की रिपोर्ट करेगा। ऐसी सूचना पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उस रेजीमेन्ट के कमान्डिंग अधिकारी को, जिससे मृतक सम्बन्धित हो, बिना विलम्ब के संसूचित करेगा। मृतक के सम्बन्धियों द्वारा दिये गये किन्हीं शासकीय कागजों को उसी के साथ अग्रेषित किया जावेगा।

327. किसी विदेशी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर थानेदार मृतक के समस्त विवरण, उसकी मृत्यु के कारण और उसकी राष्ट्रीयता अभिनिश्चित करेगा और अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा, जो इस सूचना को अपराध अन्वेषण विभाग को प्रेषित करेगा। पुलिस अधीक्षक को मृतक के अभिज्ञान के दस्तावेजों और रजिस्ट्री के कागजों को प्राप्त करने और मृतक की सम्पत्ति, निकटतम नातेदारों के पूरे विवरण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये और दस्तावेजों और इस सूचना को अपराध अन्वेषण विभाग तक पहुँचा देना चाहिये।

अध्याय 26

अकाल के समय पुलिस अधिकारी को मार्ग दर्शन के लिए निर्देश

328. जब कलेक्टर अकाल के समय परीक्षा कार्य और निर्धन आवास खोले, वह प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक थाने में प्रयत्न करने के लिये पुलिस अधीक्षक को जिले के भीतर घूमने वालों की सहायता के लिये अकाल अग्रिम के रूप में एक धनराशि भेजेगा। हर थाने का भारसाधक अधिकारी अपने अग्रिम की पूर्ति उस अवशेष से करेगा, जिसे पुलिस अधीक्षक अपने पास सुरक्षित रखे और पुलिस अधीक्षक अपने अग्रिम की पूर्ति कलेक्टर से करेगा। थाने का भारसाधक अधिकारी अपने मण्डल के चौकीदार को, भुखमरों और घुमक्कड़ों को जो उन्हें मिले, जिनको वे निकटतम सहायता स्थल (निर्धन

आवास, सहायता कार्य या थाना जैसी कि स्थिति हो) तक ले जाने या निर्देशित करने के लिए अनुदेश देगा। फेरों के कान्सटेबिलों द्वारा अनुरक्षण की पद्धति भी भुखमरे घुमक्कड़ों को ट्रक और जिला सड़क, अस्थायी विश्राम गृह और सराय और कस्बों और गांवों की गलियों और उप मार्गों जैसे सम्भावित स्थानों में खोज करने के लिए संगठित की जाना चाहिए, और उनको निकटतम सहायता स्थल पर भेज देना चाहिये। कान्सटेबिलों और चौकीदारों द्वारा कोई बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। यदि घूमने वाला सहायता स्थल पर जाने से निषेध कर दे, तो उसे अकेला छोड़ दिया जावे। यदि वह चलने-फिरने के लिए बहुत दुर्बल हो, उसे सहायता दी जानी चाहिए या वहां ले जाना चाहिए, ले जाने और मार्ग में भोजन के व्यय अकाल अग्रिम से भुगतान किया जा सकता है और थाने के भारसाधक अधिकारी को बिना निर्देश किये, आपातकालीन मामलों में वह कान्सटेबिल या चौकीदार के द्वारा भी किया जा सकता है।

329. जब कि कोई घूमने वाला मुसीबत में थाने आये, उसे भोजन कराया जावे यदि उसे भोजन की आवश्यकता हो और उसे निकटतम निर्धन आवास या राहत कार्यों के लिए निर्देशित किया जाने या ले जाया जावे। यदि वह चलने में समर्थ होते हुये भी सहायता स्थल पर जाने से निषेध कर दे, उसे घूमने वाले की भाँति न खिलाया जावे, और उसे थाने तक भोजन प्राप्त करने के लिए आने और निर्धन आवासों से बचने के लिए प्रोत्साहित न किया जावे। निर्धन आवास तक यात्रा करने का व्यय अग्रिम भुगतान किया जा सकता है, यदि घूमने वाला चलने फिरने के लिए अत्यन्त दुर्बल हो। थाने पर दिया जाने वाला खाना इस प्रकार का होना चाहिये कि जैसा घूमने वाले की दशा देखते हुये थानेदार उपयुक्त समझे। दुर्बल व्यक्तियों को वह वस्तु दी जावे जो सरलता से पच सके। उन व्यक्तियों को जो अपनी स्वयं देखभाल करने के लिए समक्ष हो, भोजन या जैसा उन्हें सर्वोत्तम लगे, भोजन खरीदने के लिये धन दिया जा सकता है। भोजन का खर्चा या उसके बदले में दिया जाने वाला धन पुनरावृत्त अकाल संहिता उ०प्र० 1912 के पैरा 128 (क) के द्वारा विहित आश्रितों के भत्ते से अधिक न होगा।

330. थाने के प्रत्येक भारसाधक अधिकारी को पुलिस अधीक्षक को एक साप्ताहिक संक्षिप्त प्रारूप क्र० इ० छ: भेजना चाहिये, इस प्रारूप की नारंगी कागज पर छपी हुई प्रतियां सरकारी केन्द्रीय मुद्रणालय से पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, जो उन्हें थानों को वितरित करेगा।

वहन के खर्चे में हुआ कोई व्यय पृथक् से दर्शाया जाना चाहिये। यह विवरण इस प्रकार भेजा जाना चाहिये कि रविवार को मुख्यालय पहुँच सके। अधीक्षक उसी प्रारूप में कलेक्टर को प्रविवरण इस प्रकार प्रस्तुत करेगा कि वह उसके पास सोमवार को प्रात: पहुँच जावे और थानों को अग्रिम की पूर्ति के लिये धनराशि प्रेषित कर देगा। यदि धनराशि के आगमन के पूर्व अग्रिम प्राप्त हो जावे, भारसाधक अधिकारी इस तथ्य की तत्काल रिपोर्ट करेगा और धनराशि को पूर्व अपेक्षा में धन की किसी अन्य राशि, जो उसके नियन्त्रण के अधीन हो, व्यय कर देगा। प्रारूप क्र० इ० छ: की संक्षिप्त के साथ, थाने का भारसाधक अधिकारी को एक सूची सहायता दिए गए प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चों के नाम और निवास तथा उन प्रत्येक पर व्यय की गई धनराशि को दर्शाते हुए भेजना चाहिये। यदि किसी व्यक्ति को सहायता न दी गई हो तो एक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए कि संक्षिप्त खाली है।

331. यदि कलेक्टर उचित समझे तो पुलिस को, सहायता कार्यों के लिए कोष की तिजोरी की रक्षा करने और वहाँ व्यवस्था बनाये रखने के लिए सेवायोजित किया जा सकता है, परन्तु नियम के तौर पर उन्हें पश्चात्वर्ती रीति से नहीं लगाया जावेगा। पुलिस को सफाई के करारों को प्रभावशील करने के लिए गश्त करने में उपयोग नहीं किया जावेगा।

332. यदि कलेक्टर से या उसके आदेश के अधीन कोई धन ग्राम की सहायता में सौंपे गये व्यक्तियों को वितरण करने के लिए प्राप्त हो, तो वह प्राप्तकर्त्ताओं के लिए रखा जाय और ज्यों ही वे

आ पहुँचे उनमें वितरित कर दी जावे। यदि इस रीति से धन भेजा जावे। रसीद लेने और हिसाब रखने के लिए अनुदेश जारी किये जावेंगे।

333. मृतक के धर्म के अनुसार पुलिस के द्वारा लावारिस लाशें गाड़ अथवा जला दी जावें। इसका व्यय थाने के आहत और अभियुक्त व्यक्तियों इत्यादि से परिवहन के लिये स्थायी अग्रिम से किया जावेगा, न कि अकाल के अग्रिम से।

334. यदि अकाल सहायता किसी भी थाने पर पुलिस के कर्त्तव्यों में गम्भीर वृद्धि कर देती है, थाने के भारसाधक अधिकारी को पुलिस अधीक्षक को कर्मचारी मण्डल में वृद्धि करने के लिए आवेदन करना चाहिये।

335. जब सहायता कार्य बन्द हो जावे, थाने का भारसाधक अधिकारी अकाल अग्रिम की अवशेष राशि को कोषालय या पुलिस अधीक्षक को भुगतान करके वापस लौटा देगा।

336. नियतकालिक रिपोर्ट थानों से पुलिस अधीक्षक को उसके द्वारा विहित तारीखों पर,

(1) मूल्य में सामान्य वृद्धि या भोजन की कमी के कारण से होने वाले अपराधों में वृद्धि।

(2) आवश्यकता पीड़ित या भूखे व्यक्तियों का घूमना।

(3) पुलिस मण्डल से व्यक्तियों का बाहर जाना या उसके भीतर आ जाना।

(4) मृत्यु दर की असाधारण वृद्धि।

(5) भूख से मरने या अत्यधिक कमी के कोई मामले।

(6) कमी के लक्षणों में कोई अवनति, के सम्बन्ध में प्रस्तुत करना चाहिये।

पुलिस अधीक्षक नियतकालिक रूप से जिला मजिस्ट्रेट को अपने प्रभार में होने वाले सम्पूर्ण क्षेत्रफल के बारे में ऐसी ही रिपोर्ट भेजेगा।

337. थाने का भारसाधक अधिकारी अकाल प्रशासन या किसी वृद्धि या अवनति या मुसीबत से सम्बद्ध किसी ऐसे महत्वपूर्ण, तथ्य की रिपोर्ट भेजेगा, जिसके बारे में उसका यह विचार हो कि जिला अधिकारियों को उसे जानना चाहिये, परन्तु वह उसे जानते न हों। उसे अकाल सहायता के भारसाधक अधिकारी की, अपने मण्डल में सहायता कार्यों और निधन आवासों के स्थल के बारे में सूचना फैलाकर और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करके, भय प्रस्तुत करके तथा उन सिद्धान्तों को, जिन पर अकाल सहायता प्रशासित की जा रही है; स्पष्ट करने और उचित ठहराते हुये, सहायता करेगा।

अध्याय 27

विशेष विधियों और नियमों के अधीन कर्तव्य

338. पुलिस अधीक्षक और प्रत्येक थाने के कार्यालयों में, उन अधिनियमों या अधिनियमों के अंशों की जो पुलिस से सम्बन्ध रखते हैं और जिले या थाने के पूरे या किसी भाग पर उनका विस्तार हो, परन्तु जो प्रान्त भर में प्रवृत्त न हों, एक सूची रखी जाना चाहिये।

उस स्थान की चतुर्सीमायें जिसमें किसी अधिनियम या उसके किसी अंश का विस्तार हो, सूची में वर्णित की जावेंगी, यदि उस अधिनियम या अधिनियम के अंश का सम्पूर्ण जिले या थाने में विस्तार न किया गया हो।

339. जब थल, नौ या वायु सेना या भारतीय नाविक सेवा को छोड़कर भाग आया कोई यूरोपियन गिरफ्तार किया जावे, उसे शांति के न्यायाधीश के समक्ष ले जाना चाहिये, जिससे इन्डियन आर्मी एक्ट की धारा 167 (1) के द्वारा यथाअपेक्षित उसकी चतुर्थ अनुसूची द्वारा निर्धारित प्रारूप में वर्णनात्मक विवरण तैयार करने और हस्ताक्षर करने को कहा जावे। वर्णनात्मक विवरण को उस सैनिक जिले य स्टेशन के जिसमें न्यायालय स्थित हो, कमान्डिग अधिकारी के पास भेज दिया जावे। किसी भारतीय भगोड़े को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जावे।

यदि उस सैनिक टुकड़ी, जिससे उसके भाग जाने का विश्वास किया जाता है, निवेष उसके पकड़े जाने के स्थान पर या उसके ठीक पड़ोस के स्थान पर हो, वह मजिस्ट्रेट के द्वारा सीधा उस सैनिक टुकड़ी को भेज दिया जावेगा। यदि सैनिक टुकड़ी का निवेष दूरस्थ हो, तो वह निकटतम स्टेशन के कमान्डिंग आफिसर को सौंप दिया जावेगा।

340. जब कोई सैनिक विधि के अध्याधीन व्यक्ति सेवा से भाग जावे, तो उस सैनिक टुकड़ी का, जिससे वह सम्बन्धित हो, कमान्डिंग आफिसर तत्काल स्थानीय और रेलवे पुलिस को सूचित करेगा। ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर, अधीक्षक ऐसी कार्यवाही करेगा जो इष्टकर हो।

341. निम्नलिखित वर्गों के किसी व्यक्ति को, भगोड़ा हो या बिना अवकाश अनुपस्थित हो (किसी ऐसे व्यक्ति के अलावा स्वयं का आत्मसमर्पण कर दे) पकड़ने के लिये 5 रुपये का पारितोषिक अनुदत्त किया जावेगा—

(1) सुरक्षितों को सम्मिलित करते हुये लड़ने वाले।

(2) लड़ाकू न होने वाले (भर्ती किये गये) व्यक्ति।

(3) भारतीय चिकित्सालय सैन्य दल के सिपाही (भारत में सेना के वेतन और भत्ते विनियमों का 1938 संस्करण का भाग दो, पैरा 233 देखें)।

यदि किसी तृतीय पक्ष द्वारा की गई सूचना के परिणामस्वरूप कोई भगोड़ा पकड़ा जावे मंजूर किये गये पारितोषिक का अर्धांश उस व्यक्ति को दिया जावेगा, जिसने सूचना दी हो।

342. जब कोई भगोड़ा पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जावे, पुलिस अधीक्षक को चाहिये के वह उसके कमान्डिंग आफिसर को उसका पकड़ा जाना अधिसूचित करे और उसी के साथ ही कमान्डिंग आफिसर को उसका पकड़ा जाना अधिसूचित करे और उसी के साथ ही कमान्डिग आफिसर को उसका पकड़ा जाना अधिसूचित करे और उसी के साथ ही कमान्डिग आफिसर को उस व्यक्ति के पूरे नाम और पते की सूचना दें, जिसको पारितोषिक भुगतान योग्य है। ज्यों ही भगोड़ा अपनी यूनिट तक पहुँच जावे, कमान्डिंग आफिसर तत्काल मनीआर्डर द्वारा पारितोषिक की राशि उसके अधिकारी व्यक्ति को भेज देगा, जिसके मनीआर्डर की अभिस्वीकृति सपरीक्षा अधिकारियों द्वारा पारितोषिक के रूप में भुगतान की गई धनराशि और मनीआर्डर फीस के लिये पर्याप्त प्रमाणक मानी जावेगी।

पुलिस अधिकारी या सिपाही को, जिसके लिये पारितोषिक देय हो, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की, जब उसे पारितोषिक का मनीआर्डर प्राप्त हो जावे, सूचित कर देना चाहिये ताकि भुगतान में होने वाला विलम्ब सम्बन्धित यूनिट के कमान्डिंग आफिसर को निर्देशित किया जा सके।

यूनिटों के कमान्डिंग आफिसर यह सुनिश्चित करेंगे कि सेना के भगोड़ों के पकड़े जाने के कारण दिये जाने वाले पारितोषिक के रूप में भुगताई जाने वाली धनराशि के भेजने में कोई विलम्ब न हो और ज्योंही भगोड़ा यूनिट पुनः सम्मिलित हो जावे, पारितोषिक की राशि भेज दी जावे। यूनिटों के कमान्डिंग आफिसर, अग्रिम धनराशि का प्रवर्तन करते हुये ऐसी धनराशि को अपने अग्रिम में से देंगे। उन मामलों, में जहाँ तत्काल धन उपलब्ध न होने के कारण तत्काल आवश्यक धन न भेजा जा सके,

भगोड़ा अपनी यूनिट में पुन: सम्मिलित हो जावे, यूनिट के कमान्डिंग आफिसर पुलिस प्राधिकारी को प्राधिकृत कर सकते हैं कि वे राशि को भुगतान पुलिस निधि से 13 दिसम्बर सन् 1944 के पुलिस गजट, पृष्ट 253 और 254 पर अधिसूचना क्रमांक छ:/56-43, दिनांक 8 दिसम्बर, 1944 के अधीन प्रकाशित भारतीय आर्मी आर्डर्स क्रमांक 2095/44 के अधीन कर दें। इस प्रकार पुलिस निधि से भुगतान की गई धनराशि बाद में सम्बन्धित सैनिक लेखाओं के नियन्त्रक के नामें डाल दी जावे।

343. जब भगोड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जावे और सैनिक अधिकारियों को सौंप दिया जावे, इन्डियन आर्मी एक्ट, 1911 की धारा 91-क-6 के अधीन प्रमाण-पत्र का प्रारूप पुलिस को पूर्ण करने भेजा जाता है, इस थाने के भारसाधक अधिकारी से न्यून पंक्ति से कम न होने वाले अधिकारी द्वारा पूर्ण और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। यदि उससे निम्नतर पंक्ति के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जावे तो भगोड़े का विचार करने वाले सैनिक न्यायालय के समक्ष वह साक्ष्य के लिये पूर्णतया अवैध होगा।

344. किसी भारतीय राज्य का बल या बल की किसी इकाई से भगोड़ों का दरबार के समक्ष समार्पित नहीं किया जाना चाहिये, जब तक कि राज्य के ऐसे बलों या बलों की संबंधित इकाई से भाग जाना इन्डियन एक्सट्रेडीशन एक्ट (1903 का पन्द्रहवाँ) का प्रथम अनुसूची के अधीन प्रत्यार्पण अपराध के रूप में भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट न कर दिया गया हो। प्रत्यार्पणहीन भगोड़े, यदि पुलिस की सूची में अंकित हों, पदच्युत कर दिये जावें, जब तक कि उनकी बल में रखे जाने की मन्जूरी पुलिस के महानिरीक्षक द्वारा न ले ली जावे।

345. ब्रिटिश भारत के बाहर जाने के सम्बन्ध में नियत गवर्नमेन्ट आर्डर की पुस्तिका में अन्तर्विष्ट है।

346. इन्डियन फैक्ट्रीज एक्ट (1911 का बारहवाँ) के अधीन नियम गवर्नमेन्ट आर्डर्स की पुस्तिका में पाये जावेंगे। इन नियमों के अधीन दुर्घटना की, जिसका परिणाम मृत्यु हो सूचना फैक्ट्री प्राधिकारियों द्वारा तार, टेलीफोन या विशेष सन्देश वाहक द्वारा उस क्षेत्र के थाने के भारसाधक अधिकारी को जिसके भीतर फैक्ट्री हो, उस स्थान में मृत्यु घटित होने से या अन्यत्र घटित होने का ज्ञान होने से, एक घन्टे के भीतर भेज दी जावेगी। यदि सूचना तार या टेलीफोन द्वारा भेज दी जावे, उसे विहित प्रारूप में लिखित रिपोर्ट द्वारा संपुष्ट की जाना चाहिये। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर थानेदार को इन विनियमों को अध्याय बारह में यथा निर्धारित रीति से कार्य करना चाहिये। उन दुर्घटनाओं की सूचना जिनका परिणाम मृत्यु न हो पुलिस को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

यदि ऐसी कोई सूचना प्राप्त हो जावे, पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना कोई कार्यवाही नहीं की जाना चाहिये, जब तक कि यह संदेह करने का कारण न हो कि कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है। ऐसे मामलों में, अधीक्षक के माध्यम से रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास अग्रेषित कर देना चाहिये।

347. फेरिज अधिनियम (1878 का सत्रहवाँ) के अधीन नियम बनाने के लिये संभाग का आयुक्त सशक्त है। पुलिस अधीक्षक को नियमों का अध्ययन करना चाहिये और पुलिस द्वारा ध्यान देने के लिये अपेक्षित उपबन्धों को थाने के भारसाधक अधिकारियों के ध्यान में लाना चाहिये। मेले के अवसरों पर उस अवधि के भीतर जिसमें भारी भीड़ होने की आशा होती है, नावों की अत्यधिक भीड़ को रोकने के लिये फेरियों में सदैव ही पर्याप्त पुलिस तैनात रखी जानी चाहिए।

348. फेरिज एक्ट (1878 के सत्रहवें) के अधीन बनाये गये नियम गवर्नमेन्ट आर्डर्स पुस्तिका में अन्तर्विष्ट है।

349. पुलिस अधीक्षक को थानों के भारसाधक अधिकारियों के, उनका ध्यान अपेक्षित करने वाले किन्हीं स्थानीय व नियमों को ध्यान में लाना चाहिये।

350. सार्वजनिक जुआ अधिनियम (1897 के चौथे) के अधीन सरकार ने निरीक्षकों और उप-निरीक्षक से न्यून पंक्ति के न होने वाले थाने के भारसाधक अधिकारियों को उस धारा के अधीन जारी किये गये वारन्टों को निष्पादित करने के लिये प्राधिकृत कर दिया है।

351. सार्वजनिक रूप से आखेट खेलने की अनुज्ञा कभी भी अनुदत्त नहीं की जाना चाहिए। (गवर्नमेन्ट आर्डर्स की पुस्तिका देखें)।

लाट्री चलाने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये और लाट्री चलाने के लिये दिये गये सभी आवेदनों को अस्वीकार किये जाना चाहिये (गवर्नमेन्ट आर्डर्स पुस्तिका देखें)।

352. ग्लेन्डर्स और फारसी एक्ट (1899 का तेरहवाँ) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन पुलिस अधीक्षक को अपने जिले के भीतर उस अधिनियम द्वारा निरीक्षकों को प्रदत्त शक्तियों और आरोपित कर्त्तव्यों को आरोपित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। (गवर्नमेन्ट आर्डर्स पुस्तिका देखें)।

353. उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 317 के अधीन पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि यह नगरपालिका बोर्ड अधिनियम के या उक्त अधिनियम की धारा 114 की उपधारा (1) के पद (ख) में वर्णित अधिनियमों या उक्त अधिनियम के अधीन रचित किन्हीं नियमों के विरुद्ध किये गये अपराधों की सूचना दें, और उनके द्वारा विधिपूर्ण प्राधिकार प्रयोग करते हुये, परिषद के सभी सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों को सहायता पहुँचाने के लिये आबद्ध हैं। पुलिस अधीक्षक को यह देखना चाहिये कि नगरपालिका सीमाओं के भीतर के सभी थानों को उन सभी अधिनियमों और नियमों की, जिनके निर्देश के इस धारा के अधीन पुलिस के कर्त्तव्य होते हैं, प्रतियाँ प्रदाय करें।

वह सूचना, जो पुलिस के द्वारा धारा 317 के अधीन दिये जाने के लिये अपेक्षित है, नगरपालिकाओं को इस बात के समर्थ बनाने के लिए है कि वह धारा 114 के अधीन जुर्माने वसूल कर सकें और यह तथ्य कि पुलिस द्वारा यह सूचना दिया जाना अपेक्षित है, यह विवक्षा नहीं करती कि वह कार्य जो इस प्रश्नाधीन अधिनियम पर निर्भर रहें बिना विधिपूर्ण रीति से कर सकते हैं, नगरपालिका प्राधिकारियों के माध्यम से किये जाना चाहिये।

354. सरांय में आश्रय लेने वाले व्यक्तियों का सरांय अधिनियम (1867 के बाईसवें) की धारा 8 द्वारा विहित रजिस्टर तैयार किये जाने की तभी आवश्यकता है, जब जिला मजिस्ट्रेट निर्देशित करे। यदि ऐसे रजिस्टर को बनाये रखे जाने की आज्ञा दी जावे, अधीक्षक द्वारा सरांय की व्यवस्था करने वाले को प्रारूप (क्रमांक 265) के खाली फार्मों की पुस्तक दी जानी चाहिए।

355. स्टेट कैरिजेज के सम्बन्ध में नियम गवर्नमेन्ट आर्डर्स पुस्तिका में अन्तर्विष्ट हैं।

356. ट्रेजर ट्रोव से सम्बन्धित नियम गवर्नमेन्ट आर्डर्स पुस्तिका में अन्तर्विष्ट हैं।

357. गवर्नमेन्ट आर्डर्स पुस्तिका में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार, पुलिस अधीक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे गम्भीर प्रकृति के मामले की सूचना दे, जिसमें सैनिकों का सम्बन्ध होने का विश्वास किया जाता है। ऐसे मामले की इस विनियमों के पैरा 101 और आफिस मैनुअल के पैरा 67 के अधीन विशेष रूप से रिपोर्ट की जाना चाहिए। उन मामलों के अभियोजन, विचारण और अन्वेषण, विनियमों का पैरा 125 और गवर्नमेन्ट्स आर्डर्स मैनुअल देखिये। गवर्नमेंट आर्डर्स पुस्तिका द्वारा विहित की गई प्रक्रिया का यथासम्भव उस सभी मामलों में अनुसरण किया जावे,

जिनमें यूरोपीय और भारतीयों के बीच विवाद उत्पन्न होता है और जिनमें भारतीयों को यूरोपियन द्वारा गोली मार दी जाती है या आहत कर दिया जाता है।

358. मेलों में कर्त्तव्यों को विहित करने वाले नियम गवर्नमेंट आर्डर्स पुस्तिका में अन्तर्विष्ट हैं।

359. पुलिस को पशुओं के कांजी हाउस के औपचारिक निरीक्षण का कोई प्राधिकार नहीं है, यद्यपि वह उनका विशुद्ध पुलिस प्रयोजन के लिये परिदर्शन कर सकते हैं।

360. पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जिले के भीतर सभी बड़े त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण केन्द्रों के अभिलेख रखे जावेंगे। ग्रामीण पुलिस के सिपाही केन्द्रों को जान-बूझकर पहुँचाई जाने वाली क्षति को रोकने के लिये आबद्ध हैं, उन्हें थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी भी हानि की रिपोर्ट करना चाहिए।

एक पुलिस अधिकारी को इन केन्द्रों की दशा का नियतकालिक रूप से परीक्षण करने के लिए परिदर्शन करना और किसी तात्कालिक मरम्मत की आवश्यकता की रिपोर्ट करना चाहिए (गवर्नमेन्ट आर्डर्स पुस्तिका देखें)।

361. पुरातन निर्माण का संरक्षण करने और अनधिकृत खुदाई को रोकने के लिये ग्राम पुलिस के कर्त्तव्यों के लिए गवर्नमेन्ट आर्डर्स पुस्तिका देखिये। ग्रामीण पुलिस उत्तरदायी है कि वह भूमि के ऊपर पुरातत्व अवशेषों को बिगाड़ने से उनके स्थायित्व को संकटापन्न बनाने वाले किसी कार्य के प्रयास के किये जाने की रिपोर्ट करें और विध्वंश नगरों और भवनों के स्थल पर किसी अनधिकृत खुदाई के प्रयास की सूचना दें। जब कभी लागू हों, मूल्यवान पुरातत्व अवशेषों के साथ ट्रेजर्स ट्रोव्स एक्ट (1878 का छठां) के अधीन व्यवहार किया जाना चाहिये।

362. जिला या केन्द्रीय जेल से बचकर भाग जाने वाले बन्दियों के बारे में की जाने वाली कार्यवाही के नियम उत्तर प्रदेश जेल पुस्तिका में अन्तर्विष्ट हैं। जब कभी कोई बन्दी जेल से बचकर भाग निकले, जेल अधीक्षक को तत्काल जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी चाहिये और बन्दी को वर्णनात्मक नामावली को, बन्दी के निवास के स्थान और उसके पुनः पकड़े जाने के लिए पारितोषिक को सम्मिलित करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं सहित, निम्नलिखित प्राधिकारियों को भेज दी जानी चाहिये :—

उस जिले का अधीक्षक जिसमें बचकर भाग निकलना घटित हुआ है, उस जिले का अधीक्षक जिसमें बन्दी का घर स्थित हो, उपरोक्त से लगे हुए जिलों के पुलिस अधीक्षक और रेलवे पुलिस उसे तत्काल बन्दी का वर्णनात्मक नामावली अपराध अन्वेषण विभाग के पुलिस उप-महानिरीक्षक, लखनऊ को क्रिमिनल इन्टेलीजेन्ट्स गजट में पारितोषिक की सूचना के साथ, प्रकाशनार्थ अग्रेषित कर देना चाहिये। यदि बन्दी दुबारा पकड़ लिया जाये तो उसके द्वारा इन प्राधिकारियों को पुनः सूचित किया जावेगा।

यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि पुलिस तत्काल बन्दी के घर की उसके द्वारा उसके परिवार को देखने के लिये जाते समय मुठभेड़ करने के लि निगरानी करे।

जेल पुस्तिका के अनुसार जेल मजिस्ट्रेट से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वह उसकी सूचना प्राप्त होते ही बचकर भाग जाने के हर मामलों की परिस्थितियों का अन्वेषण करे, परन्तु जेल के भीतर पुलिस के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञा के सिवाय कोई अन्वेषण नहीं किया जा सकता। जिला मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मजिस्ट्रेट द्वारा इस पैरा के अधीन जाँच के कागजों को, जैसे जाँच की प्रगति हो, पुलिस अधीक्षक को देखने दें। पुलिस अधीक्षक को इन कागजों को देखने की मांग करना चाहिए और किन्हीं विशेष विवरणों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जो पुलिस द्वारा पुनः

गिरफ्तारी करने के लिए सहायक सिद्ध हो सकें, उनका परीक्षण करना या किसी राजपत्रित अधिकारी से करवाना चाहिए।

363. आबकारी अपराधों के सम्बन्ध में पुलिस के कर्त्तव्य उ०प्र० आबकारी अधिनियम (1910 के चौथे) और यथासंशोधित आबकारी अधिनियम की धारा 49, 50, 53 और 54 में अन्तर्विष्ट नियमों में निर्देशित किये गये हैं। (आबकारी अधीक्षक पुस्तिका का पृष्ठ 2 देखें)।

364. अफीम और माफिया अपराधों के मामले में पुलिस की शक्तियाँ और कर्त्तव्य अफीम अधिनियम (1857 का तेरहवां) की धारा 23 और 24 और अफीम अधिनियम (1878 का पहला) की धारा 14 से 22 तक में, जो आबकारी अफीम पुस्तिका और उस पुस्तिका के अध्याय तृतीय में पाये जावेंगे, निर्देशित किये गये हैं।

365. आबकारी निरीक्षक की नियुक्ति से पुलिस आबकारी अपराधों का पता लगाने और उनका अभियोजन करने के कर्त्तव्य से मुक्त नहीं हो जाती। आबकारी निरीक्षक और पुलिस अधिकारी दोनों ही इन निष्पादन के लिये उत्तरदायी हैं। पहले वालों से न केवल अपने द्वारा जांच करने और अपराधों का पता लगाने की, अपितु पुलिस द्वारा पता लगाये मामलों में पुलिस की सहायता और उसमें सहयोग करने की भी अपेक्षा की जाती है। पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आबकारी निरीक्षकों की महत्वपूर्ण और कठिन मामलों में और जब सहायता मांगी जावे तो तलाशी लेने में, सहायता करें।

366. नियम के तौर पर, अवैध रूप से शराब उतारने का अपराध किसी भी समय तक ग्राम के पटेलों, जमींदारों या चौकीदारों के कान में आये बिना नहीं किया जा सकता। शराब के अवैध निर्माण के सभी मामलों में, जिनमें वह चौकीदार जिसके फेरे के स्थान में अवैध शराब या उपकरण पाये गये हों, स्वयं ही सूचना देने वाला न हो, पुलिस अधीक्षक द्वारा चौकीदार के आचरण की जाँच की जानी चाहिये और यदि ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि वह मौनानुकूलता का दोषी है, जिला मजिस्ट्रेट को उसकी पदच्युति की सिफारिश की जानी चाहिये। यदि वह असावधानी का दोषी पाया जावे, उसे कठोरता से दण्डित किया जावे।

367. उस ग्राम के मुखिया के बारे में, जो किसी आबकारी योग्य पदार्थ के अवैध निर्माण या मादक औषधि उत्पन्न करने वाले पौधों की, अवैध खेती की, अवैध निर्माण या खेती के उसके ज्ञान में आते ही तत्काल सूचना देने में विफल रहे, तत्काल जिला मजिस्ट्रेट को आबकारी अधिनियम की धारा 68 के अधीन अधियोजित किये जाने की रिपोर्ट दी जानी चाहिये।

368. विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति पुलिस अधिनियम (1861 का पाँचवाँ) की धारा 17 से 19 के द्वारा विनियमित की जाती है। ऐसी नियुक्तियाँ, यथासम्भव आकस्मिक और गम्भीर आपातकाल के मामलों से निपटाने के लिये दबाव से नहीं, बल्कि ऐच्छिक भर्ती द्वारा की जानी चाहिए और उन्हें ज्यों ही आपातकालीन दशा समाप्त हो जावे, रद्द कर दी जाना चाहिये। विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्तियों के लिये आवेदन करना तब उचित होगा, जब कोई विधि विरुद्ध जमाव, गम्भीर दंगे या परिशान्ति भंग हो चुकी हो या युक्तियुक्त या उसकी आशंका हो और (निरीक्षक से न्यून पंक्ति का न होने वाला) उपस्थित ज्येष्ठ अधिकारी का यह विचार हो कि व्यवस्था और शान्ति बनाये रखने के लिए साधारण रूप से सेवा में योजित पुलिस, उसको बनाये रखने या उस स्थानीय क्षेत्र के निवासियों के जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों का चुनाव करने में विशेष सतर्कता बर्ती जाना चाहिये। वरिष्ठ सामाजिक स्तर के प्रभावशाली व्यक्तियों को (जिनका वास्तव में व्यवस्था को बनाये रखने और पुनः स्थापित करने में सहायक होना सम्भाव्य हो) असंयत मिजाज या दुश्चरित्र के रूप में विख्यात व्यक्तियों से वरीयता में चुना जावे और नियुक्त किये गये व्यक्तियों को अपमानित करने के लिए चुनाव को प्रकट करने से रक्षा करने के लिये सतर्कता बर्ती जावे तथापि उत्तेजना के समय को कुछ अवसरों पर यह परामर्श योग्य हो सकता है कि परस्पर विरोधी गुटों के प्रमुख नेताओं की भर्ती की जावे ताकि उस निरोध के अधीन लाये जा सके जो उनकी विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति अन्तर्वलित करे। विशेष पुलिस अधिकारियों को बचाये जा सकने वाली कठिनाइयों या असुविधाओं को रोकने के प्रत्येक प्रयत्न करना चाहिये। विधि यह अपेक्षा करती है कि उन्हें शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने, और क्षेत्र को विधि के पालन करने वाले नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति का संरक्षण करने में अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये, परन्तु उनसे उससे अधिक कुछ करने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, जो उनके द्वारा दक्षतापूर्वक कर्त्तव्य पालन करने के लिये आवश्यक हो। इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को इस रीति से सेवायोजित किया जावे कि वे सर्वोत्तम उपयुक्तता से अपने व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग कर सकें और किसी भी परिस्थिति में उन्हें कोई मानसिक या युक्ति से असंगत कर्त्तव्य समानुदेशित न किया जावे। उन्हें, नियम के तौर पर कर्मचारी मण्डल पर तथा पर्यवेक्षण के कर्त्तव्यों पर सेवायोजित किया जावे और उसी प्रकार भर्ती किये गये निम्नतर स्तर के व्यक्तियों की अपेक्षा उन्हें उच्चतर पंक्ति दी जावें।

अनुशासन के सम्बन्ध में अपेक्षाएँ साधारणतया होना चाहिए। कार्यालय की ऐसी शर्तें जो स्थानीय निवासियों द्वारा घृणास्पद या अनावश्यक रूप से त्रासदायक समझी जावें, बल न दिया जावे। विशेष पुलिस अधिकारियों से साधारणतया परेड में भाग लेने या छोटे अधिकारियों के अभिवादन करने की अपेक्षा नहीं की जाना चाहिए और उनकी उपस्थिति को, जब वह थाने में आवश्यक हों, इस प्रकार विनियमित किया जावे कि कठिनाई होना बच जावे। वर्दी के बारे में जो कुछ अपेक्षित है वह यह है कि विशेष पुलिस अधिकारी कोई विशिष्ट पहचान का बैच उदाहरणार्थ बाँह पर रंगीन पट्टी धारण कर लें, और उन्हें प्राधिकार के प्रतीक स्वरूप तथा आवश्यकता की दशा में संरक्षण के लिये कोई सोंटा या भाला उपलब्ध कराया जावे।

369. कुछ जिलों में यातायात पुलिस नियुक्त की गई है।

कुछ क्षेत्रों में पुलिस के चलते-फिरते दस्ते मोटर ह्वीकिल्स एक्ट के अधीन अपराधियों से व्यवहार करने के लिये निर्मित किये गये हैं। प्रत्येक चलता-फिरता दस्ता एक निरीक्षक के प्रभार में रेन्ज के पुलिस उप-महानिरीक्षक के सीधे नियन्त्रण के अधीन रहता है,

कुछ पुलिस अधिकारी मोटर ह्वीकिल एक्ट 1939 के अधीन पदेन रूप से परिवहन प्राधिकारी नियुक्त किये जाते हैं।

पुलिस मोटर ह्वीकिल एक्ट के अधीन पुलिस कर्तव्य के विस्तृत विवरण के लिये पृथक् पैम्फलेट देखिए।

अध्याय 28
प्रकीर्ण

370. पुलिस विभाग द्वारा उन पुलिस लाइन और थानों के लिये, जिसकी सफाई का कार्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 196 (क) के अधीन नगरपालिका द्वारा ले लिया गया है, कोई निजी झाड़ू लगाने वाला (मेहतर) सेवायोजित नहीं किया जावेगा। जहाँ वाहन व्यवस्था पुलिस अधीक्षक के हाथों में हो, निजी मेहतरों को सेवायोजित किया जा सकता है या मल वाहन के लिए आफिस मैन्युअल का पैरा 136 के अनुसार भत्ते दिए जा सकते हैं।

371. सरकारी सेवकों के निजी मामलों में निबन्धों के लिए गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट कन्डक्ट रूल्स और गवर्नमेन्ट आर्डर्स पुस्तिका देखिये।

372. पुलिस अधिकारी पुलिस लेखपाल के साथ धन के कोई निजी संव्यवहार नहीं करेंगे और न पुलिस बल या लिपिकीय कर्मचारी मण्डल का कोई सदस्य राजपत्रित अधिकारियों के व्यक्तिगत हिसाब बनाये रखने के लिए सेवायोजित किया जावेगा। तथापि इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि राजपत्रित अधिकारियों के प्रवाचकों को छोटे अग्रिम, आकस्मिक व्यय उदाहरणार्थ लकड़ी कटवाने, डेरे गड़वाने या शिविर की भूमि साफ कराने के लिए करने को दे दिये जाने या मुख्य लिपिकों या लेखपालों के पास छोटी धनराशियाँ उदाहरणार्थ प्रत्याशित मूल्य भुगतान योग्य पार्सल आदि पर व्यय करने के लिए छोड़ दी जावें।

पुलिस अधिनियम की धारा 2 में, भर्ती किये गये पुलिस अधिकारी के लिये यह अनिवार्य है कि वह उस पुलिस अधीक्षक को जिसके अधीन वह सेवा कर रहा हो, उसके अधिक्षेत्र में सरकारी सेवा के अतिरिक्त अन्य व्यापार या सेवायोजन में उसके किसी भी सम्बन्धी के होने की सूचना दे। ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर, यह विचार अधीक्षक को करना होगा कि क्या परिस्थितियाँ सम्बन्धित अधिकारी के स्थानान्तरण को औचित्यपूर्ण बनाती है। सामान्य सिद्धान्त यह कि पुलिस अधिकारी को सामान्यतया उस अधिकारिता के भीतर सेवायोजन में नहीं रखना चाहिये, जहाँ उपरोक्त वर्णित पीढ़ी के रिश्तेदार कोई निजी व्यापार करते हों। वह सीमा, जिसमें विशेष मामलों में पुलिस अधीक्षक इस सिद्धान्त को प्रवृत्त करेगा, उस मण्डल की स्थिति पर, जिसमें अधिकारी अधिवासित हो तथा सामान्य परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी। यह आदेश, गवर्नमेन्ट सर्विस कन्डक्ट रूल्स के नियम 15 में किसी प्रकार फेरफार नहीं करते।

373. सभी वर्गों के पुलिस अधिकारियों को, विधि के द्वारा अपेक्षित किये जाने के अतिरिक्त श्रमिकों को न ले जायें, श्रमिकों, परिवहन या किसी भी प्रयोजन के लिये उपबन्ध करने और किसी भी प्रकार के बहानों से जनसंख्या के किसी वर्ग के व्यक्तियों और सम्पत्ति में हस्तक्षेप करने से कड़ाई से प्रतिबन्ध किया जाता है।[1]

[2][373-ए. पुलिस फोर्स के सदस्यों, को अपने कर्त्तव्यानुपालन के दौरान या जब समुचित आशा की जाती हो कि वे कार्य सरकार करने के लिये बुलाये जा सकते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करना सख्त मना है। उन्हें कड़ी चेतावनी दी जाती है कि इसका उल्लंघन या थोड़ी भी अवहेलना उनके

---

1. शा०आ०सं०यू०ओ० 7/आठ-1 दिनांक 19-3-76.
2. शा०अ०सं० 127/आठ-ई-66-67, 1967.

विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का कारण होगा जिसमें सम्बन्धित अधिकारी की सेवा मुक्ति भी सम्मिलित है।

374. लोक निधि या पुलिस के प्रभार में किसी अन्य सम्पत्ति के गबन या हानि के मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिये फाइनेन्शियल हैन्ड बुक खण्ड पाँच के भाग एक में एकाउन्ट रूल्स के पैरा 82 द्वारा संशोधित गवर्नमेन्ट आर्डर्स पुस्तिका देखिये।

375. अपने जिले के बाहर गुप्तचर के रूप में किसी पुलिस अधिकारी को भेजने वाला पुलिस अधीक्षक सदैव ही उचित प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षा किये जाने पर उन्हें दिखाने के लिये एक लिखित विश्वास पत्र देगा।

पुलिस बल के भर्ती न होने वाले मुखबिरों या नौसिखिये गुप्तचरों को परवाने न दिये जावें।

376. जब सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा ऐसा करने को कहा जावे, रेलवे, डाक तथा अन्य सरकारी विभागों को अधीनस्थ सेवाओं के उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व वृत्तांत के बारे में पुलिस द्वारा जाँच की जानी चाहिये और उन्हें उस प्रयोजन के लिये भेजी गई सत्यापन नामावली को पूर्ण करना चाहिये।

377. डाकघर की तिजोरियाँ (लोहे की) थाने में स्थाई रूप से नियत की जा सकती हैं और संतरी के चार्ज में रखी जा सकती हैं। ऐसी तिजोरी की चाबियाँ डाक अधिकारियों द्वारा रखी जावेंगी। नकद और मूल्यवान वस्तुओं को अन्तर्विष्ट करने वाला कैश बाक्स तिजोरी में रखा जाता है, जो दोहरे ताले द्वारा सुरक्षित किया जाता है। ताले को चमड़े की छोटी थैली में रखा जाता है या कपड़े से लपेटकर रखा जाता है और उसे चारों ओर से सुतली द्वारा बाँध दिया जावेगा। गठानों पर डाक कार्यालय की तारीख की मोहर लगा दी जावेगी।

सम्बन्धित थाने की जनरल डायरी में तिजोरी में कैश बाक्स जमा करने और उसमें से निकालने की प्रविष्टि की जानी चाहिये, जिसमें डाकघर के अधिकारियों की तिजोरी की बाहरी और ताले पर मोहर की दशा के बारे में भरपाई देना चाहिये।

378. (1) जिला पुलिस मुख्यालयों पर बनाई रखी जाने वाली मोहर लारी या हलके वाहन, दंगों का दमन करने और रोकने, डकैतों और अन्य अपराधियों पर छापा मारने, महत्वपूर्ण दोषसिद्ध और विचाराधीन बन्दियों का मार्ग रक्षण करने, डकैतों को अभिज्ञान के लिए लाने या उन परिस्थितियों में, जहाँ द्रुत परिवहन महत्वपूर्ण हों, के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों के परिवहन के प्रयोजन के लिए मुख्यतया अभिप्रेत है। उन्हें साधारण परिवहन के लिए प्रयोग न किया जावे, जबकि रेलवे या परिवहन के अन्य सस्ते साधन उपलब्ध हों।

(2) पुलिस के मोटरयानों का पुलिस टीम के सदस्यों को खेल प्रतियोगिताओं, टूर्नामेंटों इत्यादि में केवल ऐसे मामलों में, जहाँ उनका प्रयोग रेल या अन्य प्रकार के यात्रा करने की तुलना में मितव्ययी हों, परिवहन के लिये प्रयोग किये जा सकते हों।

379. समस्त राजपत्रित अधिकारी अपने पास 14.2 हाथ ऊंचाई से कम न होने वाला एक घोड़ा उपलब्ध रखेंगे और वे सभी मण्डल निरीक्षक तथा उप-निरीक्षक, जो घोड़े का भत्ता प्राप्त करते हैं, अपने पास ऐसे उपर्युक्त घोड़े उपलब्ध रखेंगे, जो ऊँचाई से 14 हाथ से कम न हों। पुलिस महानिरीक्षक किसी प्रान्तीय पुलिस अधिकारी को घोड़ा रखने की आवश्यकता से छूट दे सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जावे कि उस अधिकारी के द्वारा समुचित रूप से कर्त्तव्य पालन के लिये घोड़े को बनाये रखना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार छूट प्राप्त अधिकारी घोड़े के बजाय कोई मोटरयान रख सकता है। उससे किसी प्रारम्भिक या नवीकृत अनुदान को लौटाने की अपेक्षा नहीं की जावेगी जो उसने इस प्रयोजन तथा घोड़े और उसकी साज-सज्जा के रख-रखाव के लिए प्राप्त की हो,

परन्तु यह कि उस अनुदान का उपयोग घोड़े और उसकी सज्जा को खरीदने या बनाये रखने में किया जा चुका है और यह भी कि वह समयावधि जिसमें वह मोटरयान बनाये रखे, घोड़े और उसकी साज-सज्जा के भत्ता के लिये विहित की गई सात वर्ष की समयावधि में से अपजर्जित कर दी जावेगी।

380. चिकित्सालय की स्थापना चिकित्सा विभाग के नियन्त्रणाधीन है, तथा पुलिस अधीक्षक को चिकित्सालय कर्मचारी मण्डल की नियुक्ति, छुट्टी, पदोन्नति, दण्ड और पदच्युति के बारे में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यद्यपि वह इन विषयों में सिविल सर्जन को या पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से असैनिक-चिकित्सालयों के महानिरीक्षक को अभ्यावेदन कर सकता है।

भारसाधक चिकित्सा अधिकारी के सिवाय पद स्थापना का वेतन, पुलिस लेखपाल के द्वारा निकाला या वितरण किया जाता है।

यूरोपियन औषधियों (तथा चिकित्सालय की अपेक्षायें) की मद का पुलिस बजट में आबंटन असैनिक चिकित्सालयों के महानिरीक्षक के निपटारे पर है, जो उसे सिविल सर्जनों के बीच जावे, विभाजित करता है। रिजर्व लाइन, पुलिस थाने और चौकियों में पदस्थ के बीच वितरण की जाने वाली कुनैन के खरीदने का व्यय, इस शीर्ष में नामे डाले जाने योग्य है। इस शीर्ष में नामे डाले जाने वाले बिल सिविल सर्जन के पास भुगतान के लिये भेज दिये जावें।

सिविल सर्जन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य औषधि पुलिस अधीक्षक को पृथक् से ठेका मद से क्रय करना चाहिये।

जब उपचाराधीन हो, कोई पुलिस अधिकारी चिकित्सालय को, सिविल सर्जन या पुलिस की चिकित्सा के भारसाधक अधिकारी की बिना अनुज्ञप्त अनुज्ञा के सिवाय, किसी बहाने से नहीं छोड़ेगा। बिना अनुमति के चिकित्सालय से अनुपस्थिति को अनुशासन का भंग मान कर व्यवहार करना चाहिये। उपचार के अधीन रोगियों के लिये प्रारूप 73, 74, 77, 82 और 302 का प्रयोग किया जावे। प्रत्येक चिकित्सालय के आबंटित दो अर्दलियों में से एक ब्राह्मण और दूसरा मुसलमान होना चाहिये। यह अर्दली यह देखने के लिये उत्तरदायी होंगे कि प्रभार में रहने वालों के पास विहित किये गये के अतिरिक्त कोई भोजन न भेजे। चिकित्सालय का प्रति दिन रिजर्व निरीक्षक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा परिदर्शन किया जावे, और चिकित्सालय के अर्दलियों की ओर से होने वाली किसी असावधानी या आज्ञा के उल्लंघन के किसी मामले की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक द्वारा सिविल सर्जन को की जावे।

चिकित्सालय में प्रवेश का एक रजिस्टर तीन खण्डों में रखा जावे, और प्रत्येक को पृथक् से क्रम संख्या दी जावे।

(1) समस्त सशस्त्र पुलिस के लिये, सवार पुलिस के लिये एक खण्ड सहित;

(2) मुख्यालय के चिकित्सालय में उपचार की गई जिले की समस्त सिविल पुलिस;

(3) सरकारी रेलवे पुलिस, दूसरे जिले के सिपाही, अर्दली चपरासी और अन्य वे जो (एक) या (दो) में सम्मिलित न हुये हों। पदस्थ होने का स्थान सदैव ही दिया जावे।

381. चिकित्सा अवकाश या चिकित्सा प्रमाण-पत्रों पर अवकाश के विस्तारण के लिये आवेदकों को यह आवश्यक है कि वह चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के अपने विचार की पुलिस अधीक्षक को सूचना दें। ऐसा करने में विफल रहने का परिणाम यह निर्णय हो सकता है कि चिकित्सा प्रमाण-पत्र दुर्व्यपदेशन (गलत जानकारी देकर) द्वारा प्राप्त किया गया है और उसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

382. कर्त्तव्य पर रहते हुये या कर्त्तव्य से लौटने पर अवर अधिकारी या कान्सटेबिल स्वस्थ हो जावें तो उन्हें जिला पुलिस चिकित्सालय में या यदि वह सरल पहुँच से बाहर हो तो निकटतम

औषधालय में प्रवेश के लिये आवेदन करना चाहिये। उसके प्रवेश या उपचार के तथ्य की रिपोर्ट स्थानीय अधीक्षक को करना चाहिये। जो, जब तक कि वे उसके ही अधीनस्थ न हों, उस अधीक्षक को, जिसके वे अधीनस्थ हों, संसूचित करने के लिए पग उठायेगा। उच्चतर पंक्ति के अधिकारी पुलिस चिकित्सालयों में प्रविष्ट होने के लिए विवश नहीं हैं, परन्तु उपरोक्त रूप में विहित किये गये अनुसार चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के अपने विचार को पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने के उत्तरदायित्व से उन्हें छूट प्राप्त नहीं हो जाती।

टिप्पणी

यदि परिवार के किसी सदस्य के गम्भीर रूप से बीमार हो जाने के कारण, जिसके देख-भाल में अधिकारी का अविलम्ब उपस्थित होना है, अवकाश का आवेदन डाक द्वारा भेजी गई है तो अवकाश स्वीकृत करने के लिए वह पर्याप्त कारण है और उसे अस्वीकृत नहीं किया जा सकता।[1]

जब परीक्षा समाप्त होने के एक ही दिन बाद पेटीशनर शहर आया तो इससे आवश्यक रूपेण यह प्रमाणित नहीं होता कि वह परीक्षा के दिन बीमार नहीं रहा। किसी विपरीत प्रमाण के अभाव में उसके बीमार होने के तथ्य को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के ही आधार पर स्वीकार करना है।[2]

383. पदस्थ होने के जिले से भिन्न किसी पुलिस चिकित्सालय से मुक्त होने पर, किसी ऐसे अवर अधिकारी या कान्सटेबिल को, जिसके अवकाश के लिए सिविल सर्जन द्वारा सिफारिश की जावे, अवकाश के आवेदन पर आदेश के लम्बित रहने तक तत्काल अपने पदस्थ होने के जिले में लौटाना चाहिये। जब तक उसे उस जिले के, जिसमें वह हो, पुलिस अधीक्षक द्वारा इसके लिये मुक्त न कर दिया जावे। न लौटाने की अनुज्ञा बहुत ही विशेष परिस्थितियों में दी जानी चाहिये।

384. थाने का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी, हर एक चौकी, बैरक, अनुरक्षण या अन्य टुकड़ी का भारसाधक प्रत्येक गार्ड, कमान्डर या कान्सटेबिल अपनी कमान में रहने वाले सिपाहियों के बीच अस्वस्थ्य की रिपोर्ट करने और चिकित्सालयों में उन्हें प्रवेश प्राप्त कराने के लिए उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में असावधान पाये गये अधिकारी के विरुद्ध इन विनियमों के इक्कीसवें अध्याय के अधीन कार्यवाही की जाना चाहिये। ऐसी असावधानी प्रमाणित करने के लिए यह दर्शाना आवश्यक होगा कि सम्बन्धित अधिकारी यह जानता था या युक्तियुक्त श्रम का प्रयोग करके यह सुनिश्चित कर सकता था कि उसके अधीनस्थ कोई सिपाही अस्वस्थ है।

385. गुप्तांग रोग से पीड़ित प्रत्येक प्रधान कान्सटेबिल या कान्सटेबिलों को इस तथ्य की रिपोर्ट अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिये, जो उसकी तत्काल पुलिस चिकित्सालय में, प्रवेश प्राप्त कराने के लिए पग उठायेगा। प्रधान कान्सटेबिलों द्वारा या कान्सटेबिलों को अपने गुप्तांग रोगों को छुपाना पुलिस अधिनियम की धारा 7 के अधीन दण्डनीय अपराध है। वह अधिकारी जो गुप्तांग रोग से ग्रस्त होने को छुपाने के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिया जावे, ऐसे दण्ड के अतिरिक्त, जिसका उस पर आरोपित करना आवश्यक समझा जावे, निलम्बित किया जाकर तब तक चिकित्सालय में निरुद्ध रखा जावेगा तब तक कि वह ठीक या समर्थ न हो जावे। ऐसे निलम्बन काल की अवधि में उसे मूलभूत नियम 53 के अधीन पोषण भत्ता दिया जावेगा। (फाइनेन्शियल, हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो)

---

1. 1983 एस०एल०जे० 524; शिवप्रसाद अवस्थी *बनाम* उ०प्र० राज्य.
2. 1986 (1) एस०एल०आर० 514; जनक कुमार मनुभाई शुक्ला *बनाम* ए० म्यांगर, जिला विकास अधिकारी.

386. प्रत्येक अधिकारी और उप-निरीक्षक से कम पंक्ति के लिये विहित प्रारूप दो प्रतियों में एक चिकित्सा इतिहास पत्र बनाये रखा जावेगा, एक प्रति चरित्र नामावली से संलग्न की जावेगी और दूसरी स्वयं अधिकारी द्वारा रख ली जावेगी। जब कोई अधिकारी पुलिस चिकित्सालय में प्रवेश के लिए आवेदन करे, उसे अपने साथ अपने चिकित्सा इतिहास पत्र की प्रतिलिपि ले जाना चाहिए। जब उसे चिकित्सालय से मुक्त कर दिया जावे, उस रोग की जिससे वह चिकित्सालय में रहते हुए पीड़ित रहा हो, उसके चिकित्सा इतिहास पत्र में प्रविष्टि की जावेगी और उसे चिकित्सालय से सीधे ही पुलिस अधीक्षक को भेज दिया जावेगा। तब इस प्रविष्टि की प्रतिलिपि चरित्र नामावली के संलग्न चिकित्सा इतिहास पत्र में की जावेगी, इसके पश्चात् अधिकारी की प्रति उसे लौटा दी जावेगी। चिकित्सा प्रमाण-पत्र के अवकाश पर विस्तार का अवकाश उप-निरीक्षक से न्यून पंक्ति के होने वाले किसी अधिकारी को साधारणतया अनुदत्त न किया जावे, जब तक कि उसके द्वारा चिकित्सा का इतिहास पत्र, जिसमें चिकित्सा अधिकारी ने अपनी अभियुक्तियाँ और हस्ताक्षर प्रविष्ट कर दिये हों, प्रस्तुत न कर दिया जावे।

387. प्रधान कान्सटेबिल के और उससे निम्नतर पंक्ति के अधिकारी अनिवार्य चिकित्सा निरीक्षण के लिए दायित्वाधीन हैं और पुलिस अधीक्षक यह निश्चित करेगा कि उसके कमान्ड में रहने वाले सभी अधिकारियों का प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में कम से कम एक बार चिकित्सकीय निरीक्षण हो जाता है। उन जिलों में जहाँ पुलिस चिकित्सालयों के लिए पूर्वकालिक चिकित्सा अधिकारी भारसाधक होते हैं, इन पुलिस अधिकारियों का वार्षिक चिकित्सकीय परीक्षण सम्बन्धित जिले के सिविल सर्जन द्वारा किया जावेगा। पहाड़ी जिलों के आंतरिक क्षेत्र में, यदि सिविल सर्जन ऐसा करना प्राधिकृत कर दे, यह कार्य बाहरी औषधालयों के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। इस निरीक्षण के लिए प्रत्येक अधिकारी को अपने साथ अपना चिकित्सा इतिहास पत्र लाना चाहिये।

388. अन्य प्रान्तों के पुलिस अधिकारी और सिपाहियों को, जिन्हें अस्वस्थता या अन्य किसी कारण से जब वे इन प्रान्तों में कर्त्तव्य पर या अवकाश पर हों, उपचार की आवश्यकता हो, उनका उपचार इन प्रान्तों के पुलिस चिकित्सालयों में कराया जा सकता है। उन्हें भीतर रोगियों के रूप में भर्ती किया जा सकता है, यदि उनके स्थान उपलब्ध हों।

(इस राज्य के पुलिस अस्पताल में इस प्रकार दाखिल किये गये प्रत्येक रोगी के लिये चिकित्सा तथा औषधियाँ देने के बाद और अन्य प्रासंगिक व्ययों को पूरा करने के लिये तथा साथ में आहार के लिये, यदि वह दिया गया हो, वास्तविक व्यय पूर्ति के लिये :— 1—मैदानी क्षेत्र में रुपया-75 पैसा, 2—पहाड़ी क्षेत्र में रु० 2-00, 3-क्षय रोग से पीड़ित रोगियों के लिये रु० 2-75 प्रतिदिन के समान दर से धनराशि उन राज्यों को जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति सेवा कर रहा हो सरकार से महालेखाकार (Accountant General) द्वारा रखे जाने वाले विनियम लेखे के जरिये वसूल की जायेगी। केवल असम के मामले में ऐसा नहीं किया जायेगा।)[1]

असम की दशा के सिवाय प्रभार धन वसूलने और समायोजित करने के लिए निम्न प्रक्रिया का अनुसरण किया जावेगा। चिकित्सालय से रोगी के मुक्त किये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, उस जिले के पुलिस अधीक्षक, जहाँ के चिकित्सालय में वह भर्ती हुआ था, उस जिले के पुलिस अधीक्षक को जहां वह सेवारत हो, रोगी का नाम, उसकी क्रम संख्या, पंक्ति, प्रवेश और मुक्ति का दिनांक, प्रदान किये गए भोजन का वास्तविक व्यय, यदि कोई हो, और उपरोक्त द्वितीय उप पैरा के अनुसार गणित की गई कुल हुए व्यय की राशि, सूचित करेगा। उसी के साथ इस रिपोर्ट की एक प्रति उत्तर प्रदेश के

---

1. शा०आ०सं० 619/आठ-8--276/69 दिनांक 14-8-75 द्वारा प्रतिस्थापित.

महालेखपाल को, इस निवेदन के साथ कि वे विनियम लेखाओं के माध्यम से सम्बन्धित प्राप्त के नामे उस राशि को डाल दें, अग्रेषित की जावेगी। अन्य प्रान्तों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा सीधे भेजे गए धन स्वीकार न किये जावेंगे, और न कोई वसूली उन अन्य प्रान्तों के उन पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों के उपचार के लिये की जावें, जो बाहरी रोगी के रूप में इन प्रान्तों के चिकित्सालयों से उपचार प्राप्त करें।

असम में सेवारत किसी पुलिस अधिकारी या सिपाही की दशा में उपरोक्त उप पैरा 2 के अनुसार गणित और किया गया सम्पूर्ण व्यय, रोगी से सीधे वसूल किया जावेगा। यदि वह किसी कारण से तत्काल भुगतान करने में असमर्थ हो, उस जिले का पुलिस अधीक्षक जिसके चिकित्सालय में सिपाही भर्ती हुआ हो, उस जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, जिसमें वह सिपाही सेवारत हो, उपचार व्यय, उपरोक्त उप पैरा 2 और 3 में दिये गए विवरणों को प्रदान करते हुए, वसूल करेगा। कीमत जब प्राप्त हो जावे, शीर्ष "0-55-पुलिस-प्रकीर्ण" के नामे डाली जानी चाहिये।

389. पुलिस अधीक्षक दूसरे जिले के लिये आपात काल की दशा में अराजपत्रित प्रान्तीय पुलिस बल को पुन: बाँट सकता है। स्थायी पुनराबंटन के प्रत्येक प्रस्ताव की रिपोर्ट, जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से, महानिरीक्षक को की जानी चाहिये, जो सरकार की मन्जूरी के लिए आवेदन किये बिना बल को जिले या जिलों में पुन: बाँट सकेगा, बशर्ते कि वह पद स्थापना के प्रान्तीय मान से विचलित न हो।

थाने को कमांड करने वाले अधिकारी से पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की गई, पुलिस टुकड़ी की संख्या के सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव के पहले सम्पर्क कर लेना चाहिए।

390. जिला मजिस्ट्रेट की मन्जूरी से ग्रामीण पुलिस जिले में पुनराबंटित की जा सकेगी।

391. रेंज का उप महानिरीक्षक अस्थायी रूप से अपने एक जिले के पुलिस बल की, अन्य जिलों में निरीक्षक के ऊपर की पंक्ति के न होने वाले पुलिस अधिकारियों का हटाकर डकैती के विरुद्ध अभियान चलाने या मेले जैसे प्रयोजनों के लिए, वृद्धि करने को सशक्त है। अतिरिक्त पुलिस (सशस्त्र और सिविल) के लिए पुलिस अधीक्षक को रेंज के उप महानिरीक्षक के प्रति आवेदन करना चाहिये। वार्षिक मेलों और समारोहों के लिए नियतकालिक अपेक्षाओं के लिए, जिनके लिए साधारणतया भारी बलयोजित होता हो, दीर्घ सूचना दी जानी चाहिए।

392. प्रत्येक जिले में, पुलिस आबंटन में स्वीकृति, निश्चित की गई गारदों की संख्या और मान दर्शायी जाती है और उसे बदला नहीं जाना चाहिए।

393. प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक के प्रवाचक के रूप में एक उप-निरीक्षक को अनुमति है, अधीक्षक के प्रवाचक का पद सदैव उप-निरीक्षक के द्वारा धारण किया जाना चाहिए।

394. अवर अधिकारियों की पंक्ति के लिए पदोन्नति करने के हेतु कान्सटेबिलों के प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिये सीतापुर में एक प्रशिक्षण विद्यालय बनाया गया है।

395. सैनिक पुलिस के निकाय की सूचना प्रान्तीय सरकार द्वारा मन्जूर की गई है। मुख्यालय का डिपो और प्रशिक्षण केन्द्र सीतापुर में है। कम्पनियों को सुविधाजनक केन्दों पर पदस्थ किया जाता है। इसकी निम्नलिखित सहायता सेवायें होती हैं :—

(क) वायरलेस शाखा।

(ख) अश्रुगैस शाखा।

(ग) कारखाने सहित मोटरयान शाखा, जहाँ चालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और वाहनों की मरम्मत की जाती है।

तीसरा भाग

आन्तरिक प्रशासन

अध्याय 29

नियुक्ति

396. पुलिस बल में निम्नलिखित निकाय अन्तर्विष्ट रहते हैं :—

1. सिविल, सशस्त्र और सवार प्रान्तीय पुलिस	1861 के अधिनियम क्रमांक पाँच के अधीन नियुक्त और भर्ती की गई।
2. सरकारी रेलवे पुलिस	आगरा में 1873 के अधिनियम क्रमांक सोलह के अधीन और अवध में 1876 के अधिनियम क्रमांक अठारह के अधीन नियुक्त। 1861 के अधिनियम क्रमांक पाँच के अधीन भर्ती नहीं किये गये।
3. गाँव के चौकीदार	

397. पुलिस बल के निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारी हैं :—

(1) महानिरीक्षक
(2) उप महानिरीक्षक
(3) अधीक्षक
(4) सहायक अधीक्षक
(5) उप अधीक्षक

398. बल के निम्नलिखित अराजपत्रित अधिकारी हैं :—

(1) निरीक्षक
(2) उप-निरीक्षक
(3) प्रधान कान्सटेबिल
(4) कान्सटेबिल

399. अधीक्षक और उससे उच्च पद के अधिकारी परिषद् सहित गवर्नर द्वारा नियुक्त किये जाते हैं :—

400. सहायक अधीक्षक भारत में भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के परिणाम अनुसार सरकार द्वारा परिवीक्षा पर साधारणतया नियुक्त किये जाते हैं। वे परिषद् सहित गर्वनर द्वारा सम्पुष्ट किये जाते हैं। (देखिये अध्याय पैंतीस)

401. जिला पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति (चाहे वह सीधी भर्ती या निरीक्षक की पंक्ति से पदोन्नति के द्वारा हो) के नियम सरकारी अधिसूचना क्रमांक ओ०-337/दो-444-40, दिनांक 4 मई, 1942 में अन्तर्विष्ट हैं।

402. सीधे भर्ती के किये गये उप-अधीक्षक प्रथम भर्ती और 220/- रु० मासिक प्राप्त करेंगे। विभागीय परीक्षा और संपुष्टि के विभागीय नियमों के अध्याधीन रहते हुये, वे तत्समय प्रवृत्त

वेतनमान के समय अनुसार वृद्धियाँ पाने के अधिकारी होंगे। पदोन्नति द्वारा नियुक्त उपअधीक्षक का प्रथम नियुक्ति पर वेतन पदोन्नत के समय उनके निरीक्षक पद के वेतन पर निर्भर करेगा और मूलभूत नियमों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

403. रिजर्व निरीक्षक के पद के लिए नियुक्तियाँ साधारणतया उप-महानिरीक्षक द्वारा उप-निरीक्षकों में से चयन करके की जाती है। (देखिये अध्याय तीस)। अभियोजक और मण्डल निरीक्षक के पंक्ति की नियुक्तियाँ उप-महानिरीक्षक द्वारा, महानिरीक्षक द्वारा आमन्त्रित समिति द्वारा चुने हुये उप-निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा की जाती है। (देखिये अध्याय तीस)।

सारवान रूप से उनकी नियुक्ति की जाने के दिनांक से समस्त निरीक्षक दो वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे।

404. परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर पुलिस बल से मुक्त किये गये ब्रिटिश सेना के अधिकारियों को, निकटतम सैनिक प्राधिकारी को आवेदन करना चाहिये, यदि अपने देश को वापस लौटने के लिए इच्छुक हों।

405. (विलुप्त)।

406. **(क) सिविल पुलिस**— उप-निरीक्षकों की नियुक्ति उप-महानिरीक्षक द्वारा अभ्यर्थियों की उस सूची में से की जाती है, जो पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की कैडिट परीक्षा में अर्ह हो जाते हैं। अवर अधिकारियों की स्थानापन्न (आफिसिएटिंग) नियुक्तियाँ पुलिस मैन्युअल के पैरा 191 के अधीन पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाती है।

(ख) पुलिस सशस्त्र—सशस्त्र पुलिस में उप-निरीक्षक की पंक्ति पर स्थायी नियुक्तियाँ उप-महानिरीक्षक द्वारा उनकी सूची में से की जाती हैं जो अपने को पैरा 448 के अधीन विहित परीक्षा में अर्ह बना लेते हों, अधीक्षक स्थानापन्न या अस्थायी रिक्तियों में पदोन्नत कर सकता है।

(ग) सवार पुलिस— सवार पुलिस के उपनिरीक्षकों की स्थायी और स्थानापन्न पदोन्नतियाँ प्रान्तीय सूची से वरिष्ठता के अनुसार उप-महानिरीक्षक द्वारा की जाती है।

407. सिविल और सशस्त्र पुलिस में प्रधान कान्सटेबिल पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला बल के कान्सटेबिलों की पदोन्न कर नियुक्त किये जाते हैं।

408. सवार पुलिस के कान्सटेबिल परिवीक्षा पर पुलिस अधीक्षक द्वारा या तो बाहरी अभ्यर्थियों की भर्ती के द्वारा या पद पुलिस के सिपाहियों को (उनके स्वयं के निवेदन पर) स्थानान्तरित कर नियुक्त किया जाता है। बाहरी अभ्यर्थियों की भर्ती एक सितम्बर से तीस सितम्बर के बीच की जावेगी। पद से सवार शाखा में स्थानान्तर उसी महीने में किये जावेंगे। पद पुलिस से अन्तरित किये गये सिपाहियों को सम्मिलित करते हुये, सभी सवार पुलिस के रंगरूट, अनुदेशों के विहित पाठ्यक्रम में भाग लेंगे। पैरा 84 को उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुये उन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा दो वर्ष के पश्चात् संपुष्ट किया जाता है।

सवार पुलिस के अभ्यर्थियों के पद हेतु पुलिस के रंगरूटों के लिये अपेक्षित आयु, ऊँचाई और सीने के माप के होना चाहिये।

बाहरी अभ्यर्थियों की, उनके भर्ती किये जाने के पहले, सिविल सर्जन द्वारा चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त पारित किया जाना चाहिए। चिकित्सा प्रमाण-पत्र को कोरा प्रारूप क्रमांक 29, जो उनके साथ भेजा जावे, उसके ऊपर "केवल सवार पुलिस के लिए" अंकित होना चाहिये।

409. सशस्त्र और सिविल पुलिस के लिये कान्सटेबिलों की भर्ती अधीक्षक द्वारा की जावेगी। कोई व्यक्ति, जो 18 वर्ष से कम और 23 वर्ष की आयु से अधिक का न हो, भर्ती किया जा सकता है

(या पुन: भर्ती किया जा सकता है)। अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में, आयु की ऊपरी सीमा अपेक्षाकृत 5 वर्ष अधिक होगी। अनुमोदित चरित्र और योग्यता वाले चौकीदार 30 वर्ष की आयु तक प्रादेशिक पुलिस में प्रारूपित किए जा सकेंगे। सेवानिवृत्त सैनिक कान्सटेबिलों के रूप में भर्ती किये जा सकेंगे। उन्हें 35 वर्ष से अधिक आयु का न होना चाहिये। अपनी नियुक्ति के पश्चात्, वे पुलिस बल के सदस्य के रूप में, इस विषय में सामान्य नियमों के अध्याधीन रहते हुये अपनी सैनिक पेंशन के अतिरिक्त वेतन प्राप्त करेगा। भर्ती को सैनिक लेखाओं के नियन्त्रक को अधिसूचित किया जावेगा।

पूर्व सैनिक, जो रिजर्व अधिकारी या पेन्शन भोगी न हो, सिविल और सवार दोनों ही पुलिस में साधारण रंगरूटों की भांति भर्ती किये जा सकेंगे, परन्तु यह कि उन्हें 35 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिये।

पुलिस महानिरीक्षक न्यूनतम/अधिकतम आयु-सीमा में ढील देने की शक्तियों का प्रयोग केवल तभी करेगा, जबकि अधिसूचना क्रमांक 1129 (5)/दो—175-39, दिनांक 4 जुलाई, 1941 के अधीन उचित व्यवहार या जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझा जावे।

उन जिलों में जहाँ भर्ती कम हो, अधीक्षक, कर्मचारी मण्डल के भर्ती अधिकारी को रिजर्व अधिकारियों के अतिरिक्त सेवा निवृत्तों या पूर्व सैनिकों के लिये आवेदन कर सकेगा। भारतीय सेना के रिजर्व अधिकारी और भारतीय क्षेत्रीय बल के किसी सदस्य को पुलिस बल की किसी भी शाखा में भर्ती न किया जावे और पुलिस बल के किसी सदस्य को (लिपिकीय कर्मचारी मण्डल को सम्मिलित करते हुये) अनुज्ञा नहीं होगी कि वह भारतीय क्षेत्रीय बल में या भारतीय सहायक बल में सम्मिलित हो।

410. उत्तर प्रदेश पुलिस में उसके कान्सटेबिल के रूप में भर्ती हो जाने पर निम्नलिखित वर्गों के पूर्व सैनिक, सिपाही के वेतन की तत्समय के मान के अनुसार वेतन वृद्धियाँ प्राप्त करने के लिये सैनिक के रूप में की गई पूर्व सेवा काल की गणना कराने के अधिकारी होंगे :—

(1) भारतीय सशत्र बल की लड़ाकू यूनिट के पूर्व सैनिक, और

(2) पूर्व आई०एस०एफ० और नान—आई०एस०एफ० की लड़ाकू यूनिट के पूर्व सैनिक।

परन्तु यह कि सेना के पेन्शनर या कृपा धन भोगी व्यक्ति की सेना की सेवा वेतन की वृद्धि के लिये नहीं गिनी जावेगी। यदि वह अपनी पेन्शन लेना रखे या जब तक कि वह सेना की सेवा के मुक्ति-काल के उपलक्ष में प्राप्त किया गया लाभांश (बोनस) या सेवा का कृपात् धन छत्तीस से अधिक न होने वाली मासिक अंशिकाओं में न लौटा दे।

ऐसे पूर्व सैनिक के वेतन के निर्धारण का प्रश्न, उनके द्वारा पूर्ण से लाभांश/और सेवा का कृपात् धन लौटा देने के पश्चात् ही विचारा जायेगा। तथापि उन्हें पुनरावृत्त वेतन भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् पुलिस बल में उनके भर्ती के दिनांक से आबंटित किया जावेगा।

अलड़ाकू सेवाओं की कोटि में आने वाली सेना सेनाओं के बारे में भारत के आर्मी रेगुलेशन्स की द्वितीय जिल्द का अट्ठाईसवां परिशिष्ट देखा जावे। उस परिशिष्ट में वर्णित न की गई इकाईयों की सेवाओं के सिपाहियों के मामले, भर्ती के समय, पुलिस महानिरीक्षक को निर्देशित किये जावें, जब तक कि वे पूर्व में अधिसूचित दृष्टान्तों द्वारा शासित न होते हों।

भारतीय सेना के वे रिजर्व सेवक, जिनकी सैनिक सेवायें नियमों के अधीन पेन्शन योग्य थीं और इसके पूर्व कि उन्होंने अपनी सैनिक सेवाओं के बाबत पेन्शन अर्जित की हो, रिजर्व से मुक्ति के पश्चात् उत्तर प्रदेश की पुलिस सेवा में नियुक्त कर दिये जावें, कि क्या उनकी सैनिक सेवायें रिजर्व के वर्षों के

अतिरिक्त सेवा में गिनी जावें या केवल रिजर्व की सेवा ही, पुलिस बल में वेतन वृद्धि के लिए यदि कोई हो तो, वर्णों के साथ पूरी सेवा और रिजर्व के रूप में उसकी आधी सेवा की गणना महानिरीक्षक के विवेक पर इस शर्त के अध्याधीन, अनुज्ञेय रहेगी कि वे अपनी सैनिक सेवाओं के बदले में प्राप्त किये गये किसी कृपात् धन को लौटा दें।

411. (1) कोई रंगरूट भर्ती नहीं किया जावेगा, जिसके सीने की नाप फुले हुये रूप में 34 इंच से कम हो और फुलाये जाने पर न्यूनतम 2 इंच की वृद्धि न होती हो और जिसकी ऊँचाई 5 फीट 6 इंच से कम हो। इस नियम के लिये निम्नलिखित अपवाद हैं :—

(क) ऐसा रंगरूट जिसकी आयु 18 और 20 वर्ष के बीच हो और जिसमें बढ़ने के लक्षण प्रकट होते हों, भर्ती किया जा सकता है, यदि उसकी ऊँचाई 5 फीट 5 इंच से कम न हो और फुलाये जाने पर सीना 32 इंच से कम और फुलाये जाने पर न्यूनतम 2 इंच की वृद्धि होने वाला न हो, परन्तु यह कि सिविल सर्जन यह प्रमाणित करे कि उसकी आयु 20 से कम है और यह सम्भावना है कि वह मानक माप प्राप्त कर लेगा।

(ख) पहाड़ी व्यक्ति के मामले में ऊँचाई 5 फीट 4 इंच से कम न होनी चाहिये।

(ग) जन-जाति अभ्यर्थियों के मामलों में सीने की माप फुलाई हुई दशा में 34 इंच से कम और फुलाये जाने पर 2 इंच से कम वृद्धि की न हो और ऊँचाई 5 फीट 3 इंच से कम न होनी चाहिए।

टीप—(1) जहाँ तक संभव हो सके, कान्सटेबिल के रूप में लम्बे और सुगठित व्यक्ति पुलिस में भर्ती किये जाने चाहिये, क्योंकि उनके दक्षतापूर्ण कर्त्तव्य पालन के लिये शारीरिक गठन और व्यक्तित्व महत्वपूर्ण बातें हैं।

(2) झुकी हुई टांगों वाले व्यक्तियों को, झुकाव की यात्रा पर ध्यान दिये बिना, भर्ती नहीं किये जाना चाहिये, परन्तु तनिक से टेढ़ेपन को औसत रूप में माना जावे और उसका परिणाम अनावश्यक अस्वीकृति न हो।

412. इसके पूर्व की कोई अभ्यर्थी सिविल सर्जन के पास चिकित्सकीय परीक्षण के लिये भेजा जावे, रिजर्व निरीक्षक के सामने शुद्ध रूप में उसकी ऊँचाई और सीने की माप से ली जानी चाहिये। अभ्यर्थी के हाथ ऊँचे किये जाकर उसके नंगे सीने की गोलाई में नापा जावे।

जिले के सिविल सर्जन द्वारा हस्ताक्षरित प्रारूप क्रमांक 29 में चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र के बिना कोई अभ्यर्थी भर्ती नहीं किया जावेगा। भर्ती किये जाने के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रारूप में एक करार पर हस्ताक्षर करना चाहिये :—

मैं.....आत्मज.....निवासी ग्राम..... थाना.....जिला..... प्रतिज्ञा करते हुये यह करार करता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती कर लिए जाने पर मैं बल में सम्मिलित होने के दिनांक से दो वर्ष तक उक्त उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा करूँगा जब तक कि मुझे ऐसी सेवा से मुक्त या पदच्युत या उसके लिये सिविल सर्जन द्वारा अक्षम प्रमाणित न कर दिया जाये। यदि मैं उक्त दो वर्ष के पूर्व पद त्याग करूँ तो मैं निम्नलिखित दरों से गणित की जाने वाली धनराशि के समपहृत किये जाने की प्रतिज्ञा करार करता हूँ :—

(क) तीन मास की सेवा तक के लिये सेवा के पूर्ण किये गये मासों के लिए प्रति मास एक रुपया।

(ख) तीन मास से अधिक किन्तु 6 मास से कम की सेवा के लिये अधिकतम 10/- रुपये के अध्याधीन रहते हुए पूर्ण किये गये सेवा काल के लिये दो रुपये मासिक।

(ग) छः मास से अधिक किन्तु एक वर्ष से अधिक न होने वाली सेवा के लिये, अधिकतम 25/- रुपये के अध्याधीन रहते हुए, पूर्ण किये गये सेवा काल के लिये 3 रुपये मासिक।

(घ) एक वर्ष के पश्चात् किन्तु 2 वर्ष के भीतर की सेवा के लिये, अधिकतम पचास रुपये के अध्याधीन रहते हुए, पूर्ण किए गए सेवा के लिए चार रुपये प्रतिमास।

413. भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का, एक रजिस्टर प्रत्येक जिले में रखा जावेगा (प्रारूप क्रमांक 355)। जब कभी कोई अभ्यर्थी सिविल सर्जन के पास परीक्षण के लिए भेजा जावे, स्तम्भ क्रमांक 8, 13, 14, 15, 16 और 17 के सिवाय सभी स्तम्भ भरे जाकर रजिस्टर उसके साथ भेजा जावेगा। सिविल सर्जन स्तम्भ आठ और तेरह भरेगा। यदि अभ्यर्थी अक्षम घोषित कर दिया जावे, प्रविष्टि को लाल स्याही से काट देना चाहिए।

414. नामांकित किए जाने की आवश्यक शर्त के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी को, या तो उनको चेचक निकल चुकने की दशा के सिवाय टीका लगाये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना या सिविल सर्जन द्वारा टीका लगाये जाने के लिए अपने को प्रस्तुत करना होगा, पश्चात्वर्ती दशा में, यदि सिविल सर्जन तत्काल उक्त शल्य कार्य करने में समर्थ न हो, तो रंगरूट को उसके पास इस प्रयोजन के लिए प्रथम उपलब्ध अवसर पर भेजा जावेगा, ऐसे सभी रंगरूटों का पश्चात्वर्ती टीका लगाये जाने का दिनांक दर्शाते हुए एक स्मरण-पत्र रखा जावेगा। अधीनस्थ पुलिस के किसी भी सदस्य से पुनः टीका लगवाये जाने के लिए प्रस्तुत होने की अपेक्षा की जा सकेगी, जब सिविल सर्जन ऐसा किया जाना आवश्यक समझे। (द्वितीय पद उन्हीं सिपाहियों पर लागू होगा जिनकी भर्ती या नियुक्ति दिनांक 18 जुलाई, 1930 के बाद की गई हो)।

415. सभी रंगरूटों को, सभी शारीरिक अर्हताएँ धारण करना, चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त होना और अच्छे चरित्र का होना चाहिए। भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चुनाव करने में पुलिस अधीक्षक उन्हें स्वीकार करेगा, जो पुलिस सेवा के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पाये जावें। सिविल पुलिस के लिए अभ्यर्थी को आठवीं कक्षा (कनिष्ठ हाईस्कूल) या सरकार के अधीन सेवाओं में भर्ती के लिए, उसके समक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिये और सशस्त्र पुलिस के लिये अभ्यर्थी की छठी कक्षा या सरकार द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। सिविल और सशस्त्र दोनों ही पुलिस के लिये अभ्यर्थी को हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान भी होना चाहिए।

नेपाल के मूल निवासी को सम्मिलित करते हुए, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, राज्यपाल के नियम बनाने के नियन्त्रणाधीन सेवाओं और पदों की भर्ती के लिये असह्य होगा, परन्तु यह कि नेपाल के मूल निवासी की दशा में, इसके पूर्व कि उस व्यक्ति के भर्ती किए जाने का विचार किया जावे, पुलिस महानिरीक्षक के आदेश प्राप्त कर लिया जाना चाहिये। पुलिस महानिरीक्षक की रिपोर्ट भेजते समय, जाति, निवास इत्यादि के सम्यक् रूप से सत्यापित पूर्ण विवरण उसके मामले की सिफारिश किए जाने के कारण के साथ, सूचित किया जाना चाहिए।

टीप—यह पुनरावृत्त पैरा 21 मार्च, 1959 से प्रभावशील हुआ समझा जावेगा।

पुलिस अधीक्षक द्वारा भर्ती किया जाना प्रारम्भ करने के पूर्व, चुनाव के समय और स्थान तथा अपेक्षित योग्यताओं का पूर्ण प्रचार तहसीलों, स्कूलों, महाविद्यालयों, पंचायतों इत्यादि के माध्यम से किया जाना चाहिए।

416. पुलिस अधीक्षक उस सिपाही को पुन: भर्ती करने के लिए प्राधिकृत है, जिसने किसी प्रान्त के पुलिस बल में उनकी नियुक्ति से त्याग-पत्र दे दिया हो, परन्तु यह कि उनका पूर्व चरित्र और त्याग-पत्र देने के कारण अच्छे रहे हों। ऐसे मामलों में, पुलिस अधीक्षक, मूलभूत नियम क्रमांक 27 के अधीन, उस सीमा तक अग्रिम वेतन वृद्धि मन्जूर कर सकता है जो एक पुन: भर्ती किए गए सिपाही को उस प्रक्रम में लाने के लिए जिसमें वह उत्तर प्रदेश पुलिस में इस समय के वेतनमान में पहुँच गया होता, यदि उसको त्याग-पत्र देने से पहले की सेवायें मूलभूत नियम क्र० 22 के अधीन गिन ली जाती, इस प्रकार एक मार्च, 1933 के पूर्व भर्ती किए गए सिपाही की सेवायें अवकाश के लिए मूलभूत नियम 65 (क) के अधीन नहीं गिनी जावेंगी। इसके पूर्व कि सिपाही पुन: भर्ती किया जावे, प्रथम भर्ती की भांति उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाना चाहिये और उस आदमी के मामले में जो 23 वर्ष से अधिक आयु का हो, महानिरीक्षक को मन्जूरी, पुन: भर्ती के लिये ली जानी चाहिए।

417. उन व्यक्तियों ने जिन्होंने सरकारी सेवाओं की अन्य शाखाओं का परित्याग कर दिया है, उस विभाग से, जिसके वे सेवायोजन में थे, बिना निर्देश किये भर्ती नहीं किया जाना चाहिये। किसी विभाग से दुराचरण के कारण पदच्युत कोई व्यक्ति भर्ती नहीं किया जा सकेगा। (गवर्नमेंट आर्डर्स मैनुअल देखें)।

418. ज्यों ही किसी व्यक्ति का नाम अभ्यर्थी के रजिस्टर में प्रविष्ट कर लिया जाता है और उसको सिविल सर्जन द्वारा पारित कर दिये जाने पर या उस सिपाही की दशा में, जो अभ्यर्थी के रूप में बिना रजिस्ट्रीकृत हुए भर्ती कर लिया गया हो, तत्काल पश्चात्, उसका चरित्र, पूर्व इतिहास और आयु प्रारूप क्रमांक 92 में सत्यापित की जानी चाहिये। यह प्रारूप भेजने के लिए लाइन मोहर्रिर द्वारा रिजर्व निरीक्षक या उप-निरीक्षक से न्यून न होने वाले पंक्ति के किसी अधिकारी की उपस्थिति में लिखा जाना चाहिए और इसके पूर्व कि रंगरूट भर्ती किया जाये, उस पर इन अधिकारियों और रंगरूट के हस्ताक्षर होना चाहिये। रंगरूट को यह चेतावनी दे दी जावे कि यदि उसके द्वारा अपने बारे में दिये गये कोई लेखे का विवरण असत्य पाया गया, वह अपने को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182 के अधीन अभियोजन के दायित्वाधीन बना लेगा। पुलिस अधीक्षक को सावधानीपूर्वक यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि क्या वह व्यक्ति पूर्व में किसी सरकारी सेवा में रहा है और इस बिन्दु पर, परिणाम की प्रारूप में यथासम्भव अंग्रेजी में अंकित करते हुये, सत्यापित करना चाहिए।

419. ज्यों ही कोई अभ्यर्थी सिविल सर्जन द्वारा पारित कर दिया जावे, प्रोत्साहन का प्रारूप मुख्यालय पर किसी ज्येष्ठ राजपत्रित अधिकारी या मुख्यालय पर से सभी राजपत्रित अधिकारियों की अनुपस्थिति की दशा में, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के भारसाधक अधिकारी की उपस्थिति में पढ़कर सुनाया जावेगा। इसके पश्चात् प्रारूप क्र० 90 द्वारा विहित शपथ अभ्यर्थी द्वारा ली जावेगी और उसे प्रारूप क्र० 91 की एक प्रति दी जावेगी, जिसमें पुलिस कान्सटेबिल के कर्त्तव्य और उद्देश्य वर्णित किये गये हैं। उसके मूल्य में वृद्धि करने के लिये शपथ समारोह को यथासम्भव प्रभावोत्पादक बनाया जाना चाहिये।

420. जिस अधिकारी की सेवानिवृत्ति के समय कठिनाई से बचने के लिये वह सभी सैनिक सेवा जिसकी पेन्शन के लिये गणना की जा सके, भर्ती के समय सत्यापित कर ली जानी चाहिये। आफिस मैन्युअल के अध्याय अट्ठाईस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अनुसरण किया जावे।

421. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक यातायात पुलिस अर्दली, और अर्दली चपरासी, चिकित्सालय अर्दली, मोटर चालक, पुलिस लाइन के अध्यापक ग्रामीण पुलिस इत्यादि को सम्मिलित करते हुये सभी पंक्तियों के पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी के बाबत विस्तृत अनुदेश इन विनियमों में पृथक छापे गये तृतीय परिशिष्ट में अन्तर्विष्ट हैं।

भर्ती पर हर एक रंगरूट बिना मूल्य के वर्दी विनियमों के पैरा 232 में वर्णित और उस पैरा में वर्णित शर्तों पर सज्जा के अतिरिक्त वस्तुएं पाने का अधिकारी है। वे सिपाही जो सेवा परित्याग करने के पश्चात् पुन: भर्ती किये जावें, इस सज्जा को जारी किये जाने के लिये पात्र नहीं है रंगरूट को वेतन का 5/- रु० अधिक न होने वाला, अग्रिम जो एक रुपये मासिक की अंशिकाओं के द्वारा वसूल योग्य होगा, स्वीकार किया जा सकता है।

421-ए. (1) सिविल पुलिस—(क) पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय से उत्तीर्ण होने वाला प्रत्येक अधिकारी जिले में पदस्थ किये जाने पर 150/- रु० की साज-सामान का सामान्य भत्ता प्राप्त करेगा।

(ख) प्रत्येक अधिकारी उप-निरीक्षक के रूप में अस्थायी रूप से पदोन्नत किये जाने या प्रभारी अधिकारी की क्षमता में कार्य करने पर, उप-निरीक्षक की पंक्ति धारण करने पर कुल मिलाकर सात मास की अवधि के लिए सौ रुपये का साज-सामान भत्ता प्राप्त करेगा।

(2) सशस्त्र और सवार पुलिस—उप-निरीक्षक के रूप में पदोन्नत सभी अधिकारी जब वे अस्थाई रूप से पदोन्नत किये गये हों या प्रभारी अधिकारी की क्षमता में हो, तो कुल मिलाकर सात मास की समयावधि के लिए 100 रुपये का साज-सामान भत्ता प्राप्त करेंगे, परन्तु यह कि कोई अधिकारी अपनी सेवा में उप-निरीक्षक के रूप में सिविल पुलिस में 150 रुपये, उप-निरीक्षक के रूप में सशस्त्र, सवार या सैनिक पुलिस में 100 रु० से अधिक भत्ता प्राप्त नहीं करेगा।

(3) प्रत्येक दशा में भत्ता पुलिस अधीक्षक द्वारा बजट शीर्ष "29-पुलिस—बी० डी० इ० एफ०—(क) डिस्ट्रिक पुलिस—कान्टेनजेन्सीज परचेज आफ यूनीफार्म्स एण्ड एकाउन्ट मैटर्स" से सीधे कोषालय से निकाला जायेगा और सम्बन्धित अधिकारी को भुगतान दिया जावेगा। पुलिस अधीक्षक भुगतान का दिनांक और भुगताई गई राशि को (सम्बन्धित अधिकारी की) सेवा पुस्तक में उस दिनांक को जब वेतन और भत्ते अंकित किये जाते हैं; अंकित करेगा।

(4) वायरलेस का रखरखाव करने वाले और थाने के अधिकारी—(क) प्रत्येक वायरलेस मेन्टीनेन्स और थाने का अधिकारी जो सिविल/वायरलेस तार विभाग में उप-निरीक्षक हो, 150 रु० का साज-सामान भत्ता प्राप्त करेगा; जब वह प्रशिक्षण का विहित पाठ्यक्रम पूरा करके किसी जिले में पदस्थ किया जावे।

(ख) प्रत्येक मामले में देय भत्ता वायरलेस टेलीग्राफी सेक्शन के भारसाधक अधिकारी जिसका वर्तमान पदनाम प्रान्तीय वायरलेस अधिकारी है, के द्वारा बजट शीर्ष "29—पुलिस—डिस्ट्रिक एक्जीक्यूटिव फोर्स-(डी)-वायरलेस टेलीग्राफ सेक्शन कन्टेजेन्सीज", से सीधा कोषालय से निकाला जायेगा और सम्बन्धित अधिकारी को भुगतान कर दिया जावेगा। उक्त अधिकारी भुगतान के दिनांक और भुगताई गई राशि को सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में अंकित करेगा।

422. पुलिस अधीक्षक किसी व्यक्ति को जो पूर्व से ही सरकारी सेवा में हो, उस अधिकारी की सहमति के बिना, जिसका वह व्यक्ति अधीनस्थ हो, उसके नियंत्रणाधीन किसी पद पर नियुक्त नहीं करेगा। ऐसी सहमति तब भी आवश्यक होगी जब कोई व्यक्ति अपने पूर्व पद से त्याग-पत्र दे दे। सिविल सैनिक पेन्शन का कृपात् धन भोगी व्यक्तियों की नियुक्ति के नियमों के लिए सिविल सर्विस रेगुलेशन का अध्याय इक्कीस विशेषतया आर्टिकल 501, 510-क और 526 देखिये।

423. भर्ती किये जाने के दिनांक को दर्शाते हुए प्रारूप क्रमांक 25 में नियुक्ति का एक प्रमाण-पत्र कपड़े पर मढ़ाकर 1861 के पांचवें अधिनियम के अधीन पुलिस बल में भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दिये जावेंगे।

424. ज्येष्ठ सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रथम नियुक्ति और पश्चात् के समय की अचल सम्पत्ति के स्वामित्व अर्जन की घोषणा के लिए गवर्नमेंट आर्डर्स पुस्तिका देखिए।

425. कर्मचारी मण्डल की नियुक्ति के नियमों के लिए आफिस मैन्युअल का अध्याय अट्ठाईस देखिए।

426. उन मामलों के नियमों के लिये, जिनमें अस्थायी नियुक्तियों पर भारसाधक नियुक्तियाँ की जा सकें, के लिये आफिस मैन्युअल का अध्याय उन्नीस देखिये।

427. सिपाहियों के लिये, जिनके नाम भर्ती के लिये अभ्यर्थियों के रजिस्टरों में से (पैरा 13 देखिये) और जो अस्थाई रिक्तियों पर तब तक नियुक्त न हुई हों, वरीयता दावा रहेगा। यदि उनमें से कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो, अन्य नियुक्त किये जा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक को यथासम्भव कान्सटेबिल के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त सिपाहियों के लिए इस बात पर आग्रह करना चाहिये कि वे रंगरूटों के लिये अपेक्षित योग्यताएँ रखते हों। किसी व्यक्ति को स्थाई रिक्ति में कान्सटेबिल के रूप में अस्थाई रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त नहीं किया जावेगा।

अध्याय 30
पदोन्नतियाँ

428. दल के राजपत्रित पदों पर पदोन्नतियाँ परिषद् सहित गर्वनर द्वारा की जाती हैं। महानिरीक्षक विशेषतया सरकार द्वारा चुना गया अधिकारी होता है। उप-महानिरीक्षक पद पद पदोन्नतियां अधीक्षक के पद के अधिकारियों में से चयन द्वारा की जाती है। शेष से सम्बन्धित उपबन्धों, जो नीचे पाये जावेंगे, के अध्याधीन रहते हुये सहायक अधीक्षक की अधीक्षक के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता द्वारा की जाती है, परन्तु यह कि कोई अधिकारी उक्त पंक्ति पर पदोन्नत नहीं किया जावेगा, जब तक कि उसकी सेवा अनुमोदित न हो चुकी हो और जब तक कि वह कनिष्ठ अधिकारियों की परीक्षा में उत्तीर्ण और प्रारूप क्रमांक 528 (आठ) में प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर चुका हो। सहायक अधीक्षक और अधीक्षक नियतकालिक वेतन वृद्धि सेवा के पहले से 26 वर्ष तक तत्समय के मान के अनुसार, सहायक अधीक्षक कनिष्ठ और अधीक्षक वरिष्ठ मान में रहते हुए, प्राप्त करते हैं। कनिष्ठ मान में रहने वाले अधिकारी जब वरिष्ठ मान में कार्य कर रहे हों, वही वेतन प्राप्त करेंगे, जो उस काल की सेवा वाला वरिष्ठ मान का अधिकारी प्राप्त करता है, परन्तु यह कि जिसके सेवा काल के लिए कोई वरिष्ठ मान विहित न किया गया हो, वरिष्ठ मान में विहित न्यूनतम दर पर वेतन निकालेगा।

कनिष्ठ में नवीं साल की सेवा के पश्चात् और वरिष्ठ मान में सत्रहवें वर्ष की सेवा के पश्चात् दक्षता अवरोध प्रवर्त होते हैं। कोई अधिकारी जो वरिष्ठ मान के लिये उपयुक्त नहीं समझा जावे, उसकी नियुक्ति की प्रथम अवरोध पार करने की अनुमति नहीं दी जावेगी और कोई अधिकारी, जो प्रथम श्रेणी के जिले का प्रभार ग्रहण करने वाले के लिए उपयुक्त न समझा जावे, उसे द्वितीय अवरोध पार करने की अनुमति नहीं दी जावेगी। उच्चतर वेतन पर पुलिस अधीक्षकों के पदों पर सीमित संख्या में नियुक्तियां चयन द्वारा की जाती हैं।

भारतीय पुलिस अधिकारियों की ज्येष्ठता, जो सारवान रूप से वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किये जाते हैं, भारत सरकार के गृह विभाग के अधिसूचना क्रमांक एक 41/26-पुलिस, दिनांक 13 फरवरी, 1930 द्वारा जारी किये गये इन्डियन पुलिस (रेगुलेशन आफ सीनियर्टी रूल्स, 1930 द्वारा शासित होती है।

टिप्पणी

दक्षता-अवरोध पार करने विषयक आदेश पारित करने के लिए उसके देय तिथि/समय पर ही विचार करना चाहिये। यदि अधिकारी द्वारा इस विषय में आदेश समय से पारित नहीं किया जाता और बाद में कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाती है तो यह उचित नहीं है क्योंकि दक्षता अवरोध के बारे में निर्णय लेने के लिए वह लम्बित अनुशासिक कार्यवाही की दृष्टि में रखकर विचार करने में सक्षम नहीं है। यदि कर्मचारी के दक्षता अवरोध पार करने के समय अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण सम्भावित है तो उस स्थिति में सक्षम अवरोध विषयक आदेश पारित करने को टाल सकेगा।[1]

कर्मचारी के प्रोन्नति के लिये इसलिये विचार नहीं किया गया कि उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित रही। इसके बाद में दोषयुक्त होने के कारण उसके पदोन्नति पर उस तिथि से विचार किया जाना होगा जब से उसके कनिष्ठों ने प्रोन्नति पाया था।[2]

यदि कर्मचारी को अविधिक रूप से प्रोन्नति से वन्चित किया गया है तो वह देय तिथि से ही समस्त देय लाभ के साथ प्रोन्नति पाने का अधिकारी है।[3]

429. भारतीय पुलिस के अधिकारियों के लिये, जो सितम्बर 1894 के पश्चात् नियुक्त किये गये थे और जो निरीक्षक की पंक्ति से पदोन्नत नहीं हुये थे, ज्येष्ठता निम्न नियमों द्वारा अवधारित की जाती है—

एक जून, 1903 और 3 अप्रैल, 1918 के बीच नियुक्त किये गये अधिकारियों के लिए—

(1) अधीक्षक का पद प्राप्त करने पर सरवान रूप से वे सेवा में उनकी नियुक्ति के आदेश के अनुसार पद क्रम सूची में रखे जावेंगे, न कि उनके द्वारा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सफलता के दिनांक से, परन्तु यह कि सेक्रेट्री आफ स्टेट द्वारा उसी वर्ष में नियुक्त किये गये अधिकारी आनुपातिक रूप से उस क्रम में रखे जावेंगे, जिसमें वे प्रतियोगिता परीक्षा में पास हुये हों।

3 अप्रैल, 1918 के पश्चात् नियुक्त किये गये अधिकारियों के लिए—

(2) सहायक पुलिस अधीक्षक अपनी मूल ज्येष्ठता विभागीय परीक्षा के उत्तीर्ण होने के दिनांक की सापेक्षता के बिना धारण करेंगे, किन्तु वह अधिकारी, जो अपनी नियुक्ति के दिनांक से दो वर्ष के भीतर इन विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में विफल हो जावें, सेवा से मुक्त कर दिये जाने के दायित्वाधीन होंगे। विशेष मामलों में स्थानीय सरकार, विभागीय परीक्षा के किसी अंश में उत्तीर्ण होने के लिये किसी अधिकारी को छूट दे सकती है या उस समयावधि में विस्तार कर सकती है, जिसमें उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ जावे। ऐसे मामलों में स्थानीय सरकार अपने विवेक अनुसार ऐसी वृद्धि विधारित

---

1. 1986 (1) एस०एल०आर० 631 इला० हरिओम प्रकाश अग्रवाल *बनाम* भारत सरकार.
2. 1986 (1) एस०एल०आर० 481 पंजाब: दिलीप सिंह *बनाम* पंजाब राज्य.
3. 1986 (1) एस०एल०आर० 500 सु०को०: अरुण कुमार चटर्जी *बनाम* एस०ई० रेलवे.

कर सकती है, जिसके लिये वह अधिकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर पात्र होता, या इस तथ्य को कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ है, सापेक्ष न मान कर ऐसी वृद्धियाँ मंजूर कर सकती है।

1919-20 की पुन:रचना योजना के अधीन अथवा प्रथम नवम्बर, 1912 की प्रेस विज्ञप्ति के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी आयु के अनुसार, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के दिनांक को सापेक्ष न मानते हुए, वर्गीकृत किये जावेंगे।

430. प्रथम नियुक्ति पर उप अधीक्षक की ज्येष्ठता नियुक्ति के दिनांक के अनुसार होगी। एक ही दिनांक को दो या अधिक उप अधीक्षकों के नियुक्त किये जाने की दशा में उनकी ज्येष्ठता का क्रम परिषद् सहित गवर्नर द्वारा अवधारित किया जावेगा।

इस समय तीन वेतनमान हैं—नामतया (1) 1913 के पूर्व का, (2) 1913 के उपरान्त का तथा (3) 1939 में एक दक्षता अवरोध सहित पहली दशा में पुनरावृत्त, और अंतिम दो दशाओं में दो दक्षता अवरोध सहित। पुलिस उप अधीक्षक उस काल के वेतनमान में जिसमें वे नियुक्त किये गये हों, नियतकालिक वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं। उच्चतर वेतन की सीमित संख्या के पदों पर पदोन्नति चयन के द्वारा होती है और उन विशेष गुण सम्पन्न पुलिस उप अधीक्षकों में से जो 1913 के पूर्व के वेतनमान में हो, की जावेगी। भारतीय पुलिस के लिये पुलिस उप अधीक्षक की नियुक्ति चयन द्वारा की जाती है।

431. चयन के वर्गों के लिये स्थायी अथवा अस्थायी रूप से पदोन्नत पुलिस अधीक्षक या उप अधीक्षक उन वर्गों में उनकी अपेक्षा ज्येष्ठ समझे जावेंगे, जिन्हें उन्होंने अधिक्रमित किया हो।

432. प्रान्तीय पुलिस बल के अधिकारियों का वेतन, जो नवम्बर 1912 के पश्चात् भारतीय पुलिस के लिये पदोन्नत किये गये हों, या उस सेवा के संवर्ग में लाये गये पदों पर प्रभारी रहे हों, गृह विभाग (पुलिस) की अधिसूचना क्रम क्रमांक एफ-113 तीन/24, दिनांक 20 मार्च, 1928 में पुन: उद्धृत किये गये परिषद् सहित सेक्रेट्री आफ स्टेट के संकल्प से किये गये निम्नलिखित नियमों के द्वारा विनियमित होता है :—

नियम 1928

(1) इन नियम में :—

(अ) "प्रान्तीय सेवा", से प्रान्तीय पुलिस सेवा अभिप्रेत है।

(आ) पदोन्नत अधिकारियों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(क) कोई अधिकारी जो प्रान्तीय पुलिस से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत किया गया हो, और

(ख) प्रान्तीय सेवा का ऐसा अधिकारी, जो भारतीय पुलिस सेवा के संवर्ग पर लाये गये पद पर प्रभारी रूप में कार्यरत हो।

(इ) "वास्तविक वेतन" से अभिप्राय उस सेवा के संवर्ग में अपनी सरवान स्थिति के कारण, प्रान्तीय सेवा का कोई अधिकारी समय मान में, या प्रान्तीय सेवा के चयन वर्ग में, जैसी स्थिति हो, वेतन प्राप्त करने के अधिकारी हों, वेतन से होगा।

(ई) "मान लिए गये वेतन" से अभिप्राय उस वेतन से है जो प्रान्तीय सेवा के चयन वर्ग का कोई अधिकारी इस सेवा के तत्समय के मान में प्राप्त कर रहा होता, यदि वह चयन वर्ग में पदोन्नत न किया जाता।

(उ) ''कनिष्ठ समयमान'' और ''वरिष्ठ समयमान'' से अभिप्राय भारतीय पुलिस सेवा के क्रमशः कनिष्ठ समयमान और वरिष्ठ समयमान से है।

(2) (क) कनिष्ठ समयमान में नियुक्त किए गये किसी अधिकारी का प्रारम्भिक आधार वेतन, उसकी पदोन्नति के प्रत्येक अवसर पर उसके वास्तविक वेतन के कनिष्ठ समयमान के प्रक्रम के ठीक आगे नियत किया जावेगा, यदि वह चयन किए गये संवर्ग में न हो अथवा उसका मान लिया गया वेतन, यदि वह उस वर्ग का हो, या और यदि उसका वास्तविक या मान लिया गया वेतन, जैसी स्थिति हो, कनिष्ठ समयमान के अधिकतम के बराबर या उससे अच्छा हो तो उस मान के अधिकतम पर, नियत किया जायेगा। वरिष्ठ समयमान पर होने वाले पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये किसी अधिकारी का प्रारम्भिक आधार वेतन, ऐसी पदोन्नति के प्रत्येक अवसर पर, वरिष्ठ समयमान के उस प्रक्रम पर कनिष्ठ समयमान के उस प्रक्रम के अनुरूप जिस पर वह इस नियम के अधीन नियत किया जाता, यदि वह अधिकारी उस समयमान के पद पर नियुक्त किया गया होता, नियत किया जायेगा और दोनों में से किसी भी दशा में तत्पश्चात् वह यथास्थिति निम्न या वरिष्ठ समयमान में वृद्धियाँ प्राप्त करेगा।

परन्तु यह कि इस प्रकार गणित किया गया अधिकारी का आधार वेतन, किसी भी समय उस वेतन से अधिक न होगा, जो वह यथास्थिति कनिष्ठ या वरिष्ठ समयमान में प्राप्त कर रहा होता, यदि प्रान्तीय सेवा में, यदि कोई हो, तो उसकी अराजपत्रित सरकारी सेवा के अद्धांश सहित उसकी कुल सेवायें भारतीय पुलिस सेवा में रही होतीं।

(ख) यदि और जब तक पद (क) के अनुसार किसी पदोन्नत अधिकारी का गणित किया गया आधार वेतन, उसके पदोन्नत समय के वास्तविक वेतन से कम हो, वह न्यूनतम के बराबर राशि का व्यक्तिगत वेतन प्राप्त करेगा।

(ग) यदि और जब तक कि वरिष्ठ समयमान में पद धारण करने वाले पदोन्नत अधिकारी के पद (ख) के अधीन किसी व्यक्तिगत वेतन के तहत, आधार वेतन के बराबर उसकी पदोन्नति के दिनांक को 175 रुपये मासिक से अधिक नहीं होती है वह, पद (क) के परन्तुक में वर्णित सीमा के अध्याधीन रहते हुये, न्यूनता की राशि के बराबर व्यक्तिगत वेतन प्राप्त करेंगे।

(घ) यदि और जब तक कि इस नियम के पूर्वोक्त पदों के अधीन गणित पदोन्नत अधिकारी का वेतन, जो भारतीय पुलिस के संवर्ग के लाये गये पद पर प्रभारी के रूप में पूर्व में कार्य कर चुका हो, उस वेतन से कम हो, जो कि वह अंतिम बार प्रभारी के रूप में प्राप्त कर रहा था, वह न्यूनता के बराबर वेतन प्राप्त करेगा।

(3) यदि पदोन्नत अधिकारी का वास्तविक या माना गया वेतन बढ़ाया जाता है, जबकि वह भारतीय पुलिस के संवर्ग पर लाये गये पद पर प्रभारी के रूप में कार्यरत हो, उसका वेतन इन नियमों के अनुसरण में इस प्रकार पुनः गणित किया जावेगा मानो कि वह वृद्धि के दिन पदोन्नत हुआ है।

(4) भारतीय पुलिस के समयमान में वेतन वृद्धियाँ पदोन्नत अधिकारी को इस मान के किसी भी क्रम में एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही अनुदत्त की जावेंगी, किन्तु वेतन की कोई दी हुई दर एक वर्ष की गणना करने में उस दर पर प्रभारी सेवा की समयावधि का खण्ड हिसाब में गिना जावेगा।

(5) यह नियम 8 नवम्बर, 1927 के बाद पदोन्नत किये गये सभी अधिकारियों पर लागू होंगे, किन्तु उसके पूर्व के अधिकारी व्यक्ति अपने वेतन को 8 नवम्बर, 1927 को पुनरावृत्त किये जाने हेतु चुनाव कर सकते हैं।

नियम जो पूर्व में लागू थे

प्रान्तीय से भारतीय पुलिस सेवा में 7 अप्रैल, 1921 (30 अप्रैल 1921, नियम (2) की दशा में) और 8 नवम्बर, 1927 के बीच पदोन्नत अधिकारियों के मामले में शासित करने वाले निम्नलिखित नियम निर्देश के लिये पुन: उद्धृत किये जाते हैं :—

(1) प्रान्तीय पुलिस सेवा से पदोन्नत किसी अधिकारी का प्रारम्भिक वेतन, उसकी पदोन्नति के प्रत्येक अवसर पर, प्रान्तीय पुलिस सेवा में उसके वर्तमान वेतन के प्रक्रम में ठीक आगे, भारतीय पुलिस सेवा के लिए निम्न समय मान के वेतन पर नियत किया जावेगा। जैसा ही वह ज्येष्ठ पद धारण करता है, वह ज्येष्ठ मान के तद्नुरूप प्रक्रम में बढ़ जावेगा।

(2) जब प्रान्तीय पुलिस सेवा का कोई अधिकारी, उस सेवा में निम्न राजकीय पुलिस समयमान के अधिकतम के बराबर या उच्चतर वेतन प्राप्त करता हो, और राजकीय सेवा पद या श्रेष्ठ पद पर पदोन्नत हो जावे, वह उस वेतन से जिसे वह प्रान्तीय सेवा में प्राप्त कर रहा था, 175 रुपये से अधिक के प्रक्रम में उच्चतम समयमान में, या यदि ऐसा कोई प्रक्रम न हो तो उस सेवा में उसके कुल वेतन और 175 रुपये के ठीक उपरोक्त मान में लाया जावेगा, परन्तु यह कि प्रान्तीय सेवा से इस प्रकार पदोन्नत कोई अधिकारी उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकेगा, जो राजपत्रित पंक्ति पर सेवा के वर्षों की समान संख्या वाले भारतीय पुलिस सेवा का कोई अधिकारी श्रेष्ठतम समयमान के अधीन प्राप्त करने का पात्र होता।

(3) उसकी प्रान्तीय पुलिस सेवा में वेतन की किसी वृद्धि पर (चाहे प्रान्तीय पुलिस सेवा के उक्त समयमान वेतन की पुनरावृत्ति के या प्रान्तीय पुलिस सेवा समयमान के या प्रान्तीय पुलिस सेवा के चयन वर्ग पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप) जब वह भारतीय पुलिस सेवा के पद पर प्रभारी के रूप में कार्यरत हो, ऐसा अधिकारी इन नियमों के नियम (1) और (2) में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार पुन: गणना की गई भारतीय पुलिस के समयमान में, प्रान्तीय पुलिस सेवा में बढ़े हुये वेतन के आधार पर और ऐसी वृद्धि की दिनांक के प्रभाव से वेतन प्राप्त करने का पात्र होगा।

(4) भारतीय पुलिस सेवा के वेतन के समयमान में वेतन वृद्धि, प्रान्तीय पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस पद को धारण करने वाले को केवल उसके द्वारा उस मान के किसी प्रक्रम में एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही अनुदत्त किया जायेगा, किन्तु किसी दिये हुए वेतन की दर पर वर्ष की सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिये वेतन को उस दर पर प्रभारी के रूप में कार्य करने की समयावधि का खण्ड हिसाब में गिना जावेगा।

433. पुलिस महानिरीक्षक द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों की गोपनीय व्यक्तिगत फाइलें बनाये रखी जाती हैं और उन पर तब विचार किया जाता है जब दक्षता अवरोध के परे या उन पदों पर जिन पर पदोन्नति चयन द्वारा की जाती है, राजपत्रित अधिकारी की पदोन्नति के लिये उपयुक्तता के सम्बन्ध में प्रश्न उत्पन्न होता है। अधिकारियों की अपनी व्यक्तिगत फाइलें देखने की अनुज्ञा नहीं है, परन्तु गवर्नमेंट आर्डर की पुस्तिका में निर्धारित सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुये महानिरीक्षक अपने अधीन सेवारत प्रत्येक राजपत्रित अधिकारी को नियतकालिक रूप से अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल में प्रविष्ट की गई अभियुक्ति को, जो उन त्रुटियों के बारे में हो, जो महानिरीक्षक के अभिमत में (क) सुधारे जाने योग्य हों, और (ख) अधिकारी को भावी पदोन्नति से वंचित करना सम्भाव्य संसूचित करेगा।

434. निरीक्षकों की तरक्की वेतन वृद्धि के समयमान की स्थिति द्वारा शासित होती है (देखिये पैरा 463-क)। दक्षता अवरोध के परे वेतन वृद्धि के निकाल के लिए मूलभूत नियम 25 के अधीन मन्जूरी देने के लिए सशक्त प्राधिकारी उप-महानिरीक्षक होता है। वार्षिक वेतन वृद्धि के विधारण के लिये मूलभूत नियम 24 के अधीन अधीक्षक द्वारा आदेश किये जा सकेंगे।

435. रिजर्व निरीक्षक की पंक्ति के लिये पदोन्नति निम्न रीति से की जाती है :—

(क) परिवीक्षाधीन उप-निरीक्षक को सम्मिलित करते हुये शाखा के उप-निरीक्षक की, जिसका रिजर्व निरीक्षक के पद के लिये उपयुक्त होना सम्भावित हो, रिवर्ज निरीक्षक की पंक्ति के लिये प्रशिक्षण हेतु अधीक्षक सिफारिश कर सकता है। जब सशस्त्र शाखा से कोई उपयुक्त उप-निरीक्षक उपलब्ध न हो, सिविल पुलिस के उपयुक्त उप-निरीक्षक की ऐसी सिफारिश की जाती है। इस प्रकार सिफारिश किये गए प्रत्येक उप-निरीक्षक का पहले उनके उप-महानिरीक्षक द्वारा परीक्षण और साक्षात्कार किया जावेगा। उप-महानिरीक्षक तब उनके, राज्य की चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए मनोनीत करेगा, जिन्हें वह रिजर्व शाखा के लिए उपयुक्त समझे। राज्य चयन समिति द्वारा चयन किए गए उप-निरीक्षक प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम का अध्ययन करेगा, जैसा पुलिस महानिरीक्षक विहित करे।

(ख) प्रशिक्षण के इस पाठ्यक्रम की सफलतापूर्वक समाप्ति पर, उसे रिजर्व निरीक्षक की पंक्ति पर पदोन्नत करने के लिए अनुमोदित रिजर्व उप-निरीक्षक की प्रान्तीय सूची में रखा जावेगा। इस सूची में ज्येष्ठता प्रान्तीय सूची में सम्मिलित किए जाने के चयन के दिनांक से अवधारित की जावेगी। उसी दिनांक पर चयन किए गए व्यक्तियों में सापेक्ष ज्येष्ठता अंतिम परीक्षा के द्वारा प्रकट होने वाले गुण के क्रम से नियत की जावेगी। दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में उनके बीच ज्येष्ठता उनके उप-निरीक्षक के रूप में ज्येष्ठता के आधार पर अवधारित की जावेगी।

(ग) रिजर्व उप-निरीक्षक की प्रान्तीय सूची में वे उप-निरीक्षक भी सम्मिलित होंगे, जो 1 अप्रैल, 1948 के पूर्व निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अनुमोदित किए गए थे या जो 1 अप्रैल, 1948 के पूर्व सार्जेन्ट कहलाते थे।

(घ) रिजर्व निरीक्षक की पंक्ति पर पदोन्नति मुख्यालय के उप-महानिरीक्षक द्वारा सूची में ज्येष्ठता से की जावेगी, परन्तु यह कि :—

(1) अवर सेवारत अधिकारी को छोड़ा जा सकेगा या बारी-बारी से हट कर भी किसी विशेष अच्छे को पदोन्नत किया जा सकेगा, और

(2) चार मास की अवधि से अधिक की न होने वाली अस्थाई रिक्तियाँ रेन्ज के उप-महानिरीक्षक द्वारा, स्थानीय रूप से ज्येष्ठता की सापेक्षता के बिना सम्बन्धित जिले या रेन्ज के किसी अधिकारी को, जिनका नाम सूची में हो, या जहाँ ऐसा अधिकारी उपलब्ध न हो, उस उप-निरीक्षक की पदोन्नति द्वारा, जिसका नाम अनुमोदित सूची में न हो, भरी जा सकेगी।

(ङ) मुख्यालय का पुलिस उप-महानिरीक्षक सूची से किसी भी नाम को हटाए जाने का आदेश किसी भी समय कर सकेगा, यदि उसके अभिमत में, अपने द्वारा अनुमोदित किया गया अधिकारी उसमें रखे जाने के लिए अनुपयुक्त हो, हटाए जाने का ऐसा आदेश, पैरा 508 में सम्मिलित किसी बात के होते हुए भी अन्तिम होगा।

436. लोक अभियोजक और मण्डल निरीक्षक के पद के लिए पदोन्नति प्रान्तीय आधार पर की जाती है।

प्रान्तीय महानिरीक्षक उन उप-निरीक्षकों की चार सूचियाँ बनाये रखवायेगा जो :—

(1) लोक अभियोजक।

(2) मण्डल निरीक्षक ।

(3) अपराध अन्वेषण विभाग के निरीक्षक।

(4) केन्द्रीय अन्वेषण एजेन्सी, सरकारी रेलवे पुलिस में निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किए जाने के लिए योग्य हों।

इन सूचियों में से किसी एक या अधिक में उप-निरीक्षकों के नामों को सम्मिलित करने के लिए मनोनयन प्रथम मामले में जिले और अपराध अन्वेषण विभाग की शाखाओं के पुलिस अधीक्षकों द्वारा और सरकारी रेलवे पुलिस के खण्ड (सेक्शन) अधिकारियों द्वारा किया जावेगा।

पुलिस अधीक्षक सूची क्रमांक तीन और चार के लिये अपने जिले में पदस्थ उप-निरीक्षक के नामों को, उनके अभिमत में अपराध अन्वेषण विभाग या अपराध अन्वेषण एजेन्सी के विशेष कार्यों के लिये योग्यता रखते हैं, नामों को सम्मिलित करने के लिए मनोनीत कर सकेगा।

सूची क्रमांक 2 में सम्मिलित करने के लिए मनोनीत कोई उप-निरीक्षक सूची क्रमांक तीन या चार या दोनों में सम्मिलित किए जाने के लिए मनोनीत किये जा सकेंगे, यदि उस अधिकारी के अभिमत में, जो उसको मनोनीत करे, वह अपराध अन्वेषण विभाग या अपराध अन्वेषण एजेन्सी में से किसी में निरीक्षक की पंक्ति पर पदोन्नत किये जाने के लिये उपयुक्त हो।

टिप्पणी

(1) पदोन्नति विचार प्रक्रिया से परिवर्तन— कर्मचारी के पदोन्नति अनुमोदन-प्रक्रिया-विचार में उदार परिवर्तन हुए हैं, विभागीय या सतर्कता शाखा में चल रही प्रारम्भिक जाँच या निलम्बन अब इसके लिए बाधक न होगा। शासनादेश सं० 41/3/70—नियुक्त-3, दिनांक 29-6-72 के अनुसार चयन समिति अपने निर्णय को बन्द लिफाफे में, उक्त कार्यवाही समाप्त होने तक रख सकती है, बाद में, शा०आ०सं० 41/3/70—कार्मिक 1, दिनांक 13-9-77 द्वारा यह निर्देश आया कि सतर्कता अधिष्ठान द्वारा खुली जाँच चलने की हालत में भी पदोन्नति-अनुमोदन की कार्यवाही चलेगी पर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया से, उक्त जाँच के परिणाम के बाद ही इसे देखा जायेगा। शा०आ०सं० 19/30/77--कार्मिक-1, दिनांक 24-12-77 से और भी स्पष्ट हुआ कि वस्तुतः स्थानापन्न पदोन्नति पर विचार तब होगा जब सतर्कता अधिष्ठान की बन्द लिफाफे की प्रक्रिया प्रशासनिक न्यायाधिकरण में सन्दर्भित विषय पर निर्णय हो जाये। *एम०एम० सिद्दीकी* बनाम *भारत सरकार*[1] में यह निर्णय आया कि पदोन्नति अनुमोदित होने के बाद भी बाद में चल रही जाँच के कारण पदोन्नति रोकी जा सकती है।

शा०आ०सं० 41/3/70--कार्मिक-1 दिनांक 12-6-78 ने यह स्पष्ट किया कि केवल सतर्कता अधिष्ठान की खुली जांच चलते रहने के कारण बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाना एवं पदोन्नति रोकना उचित न होगा। इसे तब अपनाना चाहिए जब खुली जांच या प्रारम्भिक जांच में रिपोर्ट आ गई हो और सक्षम अधिकारी ने व्यक्त कर दिया हो कि प्रथम-दृष्टया आरोप बनता है, पर जहां पदोन्नति का प्रश्न, योग्यता के आधार पर विचार करने बाद कर्मचारी के पदोन्नति का अनुमोदन नहीं हुआ, वहां

---

1. 1978 सु०को० केसेज 349.

करन सिंह ग्रोवाल बनाम *राज्य*[1] में यह निर्णय हुआ कि कर्मचारी को शिकायत का कोई कारण न होगा। विज्ञप्ति संख्या 41/3/70—कार्मिक-1, दिनांक 27-7-78 और दिनांक 27-7-79।

इस विषय पर और प्रकाश डालते हैं व ये सभी तथा अन्य आदेश (हिन्द पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित) मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर में प्राप्य हैं।

(2) आरोप से मुक्ति का परिणाम— *एस०एस० कबीर* बनाम *दिल्ली प्रशासन*[2] में यह निर्णीत हुआ कि जब किसी अधिकारी की पदोन्नति इसलिये टाल दी गई हो कि वह निलम्बित था या उसके विरुद्ध किसी वाद में विवेचना या जांच चल रही थी तो आरोप से मुक्ति पर उसकी पदोन्नति भूतलक्षी *(Retrospective) प्रभाव से विचार की जायेगी जिससे वह ज्येष्ठता के लाभ से वंचित न रहे, लेकिन* उसे उस अवधि का वेतन आदि न दिया जायेगा क्योंकि उसे वास्तविक पदोन्नति नहीं मिली थी या स्थिति प्रभेदकारी व असंवैधानिक नहीं है।

(3) पदोन्नति टालना कब दण्ड के रूप में है— पदोन्नति के लिये विचार किया जाना तो सेवा नियम में अधिकार है पर पदोन्नति की संभावना नहीं यह अन्तर होना चाहिए कि पदोन्नति की सम्भावना को टालना कब दण्ड रूप में है और कब नहीं। सामान्यतया पदावनति से पुनः पदोन्नति के लिये विचार किये जाने का अधिकार समाप्त नहीं होता, जिसका भिन्न स्तर है, पर जब सेवा नियमों के अधीन पदावनति के बाद पदोन्नति के लिये विचार किये जाने का अधिकार लुप्त हो जाय तो यह दण्ड रूप होगा जैसा कि *बी०एस०देवधर* बनाम *राज्य*[3] में निर्णय हुआ है।

(4) जब न विचार करने का आधार नहीं— *करतार सिंह* बनाम *दिल्ली प्रशासन*[4] में यह निर्णय हुआ कि, जहाँ प्रार्थी को पदोन्नति पर यथापूर्व करने पर इसलिये विचार नहीं किया गया क्योंकि सरकार की, उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील लम्बित थी, यह एक सट्टे का रूप था और किसी विधि के सिद्धान्त पर आधारित नहीं था।

(5) निर्णय—लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने के लिए एक प्रारंभिक लिखित परीक्षा की व्यवस्था की और उसमें सफल प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया। *जय सिंह सूर्यवंशी* बनाम *लोक सेवा आयोग*[5] में एक निर्णय हुआ कि इससे अनुच्छेद 234 का अतिक्रमण नहीं होता, *अमरनाथ* बनाम *राज्य*[6] में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी को, जिसे कर्मचारी के निलम्बित होने के कारण तदर्थ पदोन्नति दी गई थी, उसके यथापूर्व पदोन्नति पा जाने पर, पदोन्नति पर बने रहने का न अधिकार है न उसे कारण बताओ नोटिस दिये जाने की आवश्यकता है, जब प्रार्थी को, पदोन्नति दिये जाने के विचार के समय योग्य पाये जाने के लिये पर्याप्त तथ्य नहीं पाये गये तो *रामेश्वर* प्रसाद बनाम *राज्य*[7] में अनुच्छेद 16 का प्रभावी होना पाया गया।

(6) चयन सूची से प्रत्यावर्तन— जहाँ सरकार को, नियमों में, यह अधिकार है कि मण्डल-निरीक्षक को चयन सूची की पुनरावृत्ति करे व योग्यता तथा क्षमता के आधार पर विशेष परिस्थितियों व जनहित में उसमें परिवर्तन करे वहाँ सरकार के लिये यह भी बाध्यता है कि वह उन विशेष

---

1. 1975 (2) सर्विस ला०रि० 189.
2. 1973 (1) एस०एल०आर० 961.
3. ए०आई०आर० 1974 सु० को० 259.
4. 1974 एस०एल०डब्ल्यू०आर० 539.
5. 1979 (2) एस०एल०आर० 523.
6. 1979 (2) एस०एल०आर० 44.
7. 1979 (2) एस०एल०आर० 390 सु०को०.

परिस्थितियों व जनहित के कारण को बताये अन्यथा *एम० बालकृष्ण* बनाम *आई०जी० पुलिस*[1] में इस सूची को अवैध माना है—

(7) पदोन्नति पर आक्षेप करने की अवस्था—जिन पदों को पदोन्नति से भरना है उस विषयक आदेश हो जाने पर पदोन्नति की सम्भावना स्पष्ट हो गई और *मोहन लाल* बनाम *कम्प्ट्रोलर*[2] में यह स्पष्ट किया गया कि इस पदोन्नति पर आक्षेप में रिट समय से पूर्व नहीं है।

(8) ज्येष्ठता का निर्धारण— मातहत कर्मचारी की ज्येष्ठता उसके अनवरत सेवा के आधार पर निर्धारित होगी जो उसके श्रेणी में हो, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, ऐसा ए०आई०आर० 1966 सु०को० 150 व ए०आई०आर० 1974 सु०को० 1343 में आया है, व बालेश्वर दास के याचिका सं० 864/79 व 251/80 दिनांक 19-8-80 में भी निर्णीत है, यह ज्येष्ठता प्रारम्भिक नियुक्ति के समय से ली जायेगी भले ही वह तदर्थ नियुक्ति रही हो, मगर कोटा प्रकिया में दी गई प्रोन्नति प्रभावित न होगी जैसा कि *ए०सी०* बनाम *राज्य* में उसके स्फुट आवेदन सं० 5427/80 में लखनऊ पीठ द्वारा दिनांक 10-10-80 को निर्णीत है। इसमें आधार नीति यह है कि अस्थायी कर्मचारी को भी स्थायीकरण आदि के मामलों में समान अवसर दिया जाये। राजकीय विज्ञप्ति सं० 19-8-75 कार्मिक 1/78 दिनांक 18-4-78 की मन्शा रही है कि जो सेवक दिनांक 1-1-77 से पूर्व सेवा में आ गये हैं वह लगातार सेवा में हों उन्हें योग्य पाये जाने पर जैसे-जैसे वे तीन वर्ष पूरा करते जाएँ उनकी सेवा नियमित कर दी जाय और जिनकी सेवा सन्तोषजनक नहीं पाई जाएँ उसे समाप्त कर दी जाये। इसके बाद 1979 में जिसमें दिये गये सिद्धान्त पर उनकी सेवा का विनिमयकरण किया गया है।

(9) जब पदोन्नति से इन्कार किया जाये— यदि सेवक दी गई प्रोन्नति को लेने से इन्कार कर देता है तो उसके कनिष्ठ को सरकार प्रोन्नति दे सकती है और इस परिस्थिति में ज्येष्ठ कर्मचारी अपने प्रोन्नति में उस दिन से ज्येष्ठता नहीं मांग सकेगा जिस दिन उसके लिये रिक्ति पर प्रोन्नति दी गई थी *एन०सी० सिंघल* बनाम *भारत सरकार*[3]। विभागीय पदोन्नति समिति ने जब अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में अपास्त कर दिया तो *टी०के० सुकुमारम्* बनाम *राज्य*[4] में यह निर्णय हुआ कि यह आवश्यक नहीं था कि ज्येष्ठ अभ्यर्थी को यह अवसर दिया जाता कि वह स्थापित करे कि वह अपास्त किये जाने के योग्य नहीं था।

(10) दण्ड अवधि बीतने के बाद— *बलवन्त सिंह* बनाम *जे०ए० देव*[5] में यह निर्णीत हुआ कि जब कर्मचारी को पदावनति में न्यूनतम वेतन कालमान पर लाया गया तो उस अवधि के बीतने पर तथा अन्य किसी अवरोध के न होने पर उसे बकाया वेतन व भत्ते के साथ प्रोन्नति दी जाये।

437. निरीक्षक सिविल पुलिस की कोटि में पदोन्नति निम्न रीति से की जाती है—

(क) ऐसे उप-निरीक्षक सिविल पुलिस जिन्होंने इस रूप से चयन के वर्ष की पहली अप्रैल को 10 वर्ष अन्यून सेवा की हो, निरीक्षक के पद पर पदोन्नति पाने के पत्र होंगे, रेन्ज का पुलिस उप-महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय को प्रति वर्ष निम्नलिखित सूची भेजेगा—

---

1. 1979 (2) एस०एल०आर० 395.
2. 1980 (1) एस०एल०आर० 46 इला०.
3. 1980 (2) एस०एल०आर० 118 सु०को०.
4. 1981 (1) एस०एल०आर०.
5. 1981 (1) एस०एल०आर० सु०को०.

(1) पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सिविल पुलिस के उन उप-निरीक्षकों की सूची जो ज्येष्ठता क्रमानुसार निरीक्षक के रूप में स्थानापन्न रूप में पदोन्नति पाने के लिये उपयुक्त समझे जाएँ।

(2) सिविल पुलिस के उन उप-निरीक्षकों की संक्षिप्त कारणों सहित, सूची जो स्थानापन्न रूप से पदोन्नति पाने के योग्य न समझे जांय।

वैभागिक चयन समिति तत्पश्चात् सिविल पुलिस के उन उप-निरीक्षकों को ज्येष्ठता क्रमानुसार अंतिम समेकित सूची तैयार करायेगी जो स्थानापन्न रूप से पदोन्नति पाने के लिये उपयुक्त समझे जांय इस अन्तिम समकित सूची में से, शासनादेश द्वारा यथा गठित वैभागिक चयन समिमि द्वारा स्थानापन्न रूप में पदोन्नति पाने के लिये स्वीकृत किये जाने के निमित्त अपेक्षित निरीक्षकों की संख्या के चौगुने लोगों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा, समिति द्वारा किया गया मूल्यांकन योग्यता के आधार पर चयन के द्वारा किया जायेगा, अनुमोदित उम्मीदवारों की सूची तैयार की जायेगी जिसमें चयन किये गये उम्मीदवारों को उनकी ज्येष्ठता के क्रमानुसार रखा जायेगा जिन लोगों का नाम इसके पूर्व वर्ष की अनुमोदित सूची में होगा उनका स्थान परवर्ती वर्ष की अनुमोदित सूची के लोगों के ऊपर होगा।

(ख) मौलिक रिक्तियां होने पर पैरा 'क' के अधीन तैयार की गई अनुमोदित सूची में रखे गये उम्मीदवारों में से उपयुक्तता के आधार पर नियुक्ति की जायेगी। अवक्रमित (Passedover) उम्मीदवारों के दावों पर परवर्ती चयन में विचार किया जायेगा। यह चयन वैभागिक चयन समिति द्वारा किया जायेगा और मौलिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए उम्मीदवारों का कोई अतिरिक्त साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।

(ग) मौलिक नियुक्ति के लिये चयन किये गये उम्मीदवारों को पुलिस विनियमावली के पैरा 403 (3) के उपबन्धों के अनुसार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जायेगा। पुलिस निरीक्षक के पद पर अस्थायी या स्थानापन्न रूप में उन्होंने जो सेवा की हो उसकी गणना परिवीक्षा काल के लिये की जावेगी।

438. महानिरीक्षक वार्षिक रूप से लोक अभियोजक और मण्डल निरीक्षक पंक्ति पर स्थायी पदोन्नति के लिए अनुमोदित अधिकारियों की प्रान्तीय सूची में सम्मिलित किये जाने वाले नामों की कुल संख्या का अवधारण करेगा, और इस सूची में भरे जाने के लिए अपेक्षित उप-निरीक्षकों की संख्या चयन करने के लिये और स्थाई पदोन्नति के प्रयोजन के लिए उनके ज्येष्ठता के क्रम का अवधारण करने के लिए एक समिति संयोजित करेगा।[1]

टिप्पणी

इसमें यह प्रावधान है कि मण्डल निरीक्षक के पदों पर स्थायी पदोन्नति हेतु अनुमोदन हेतु अधिकारियों की सूची के लिए उनकी संख्या पुलिस महानिरीक्षक महोदय निश्चित करेंगे और उप-निरीक्षकों में से चयन करने व ज्येष्ठता निर्धारण के लिये समिति का आयोजन करेंगे। महानिरीक्षक द्वारा अनुमोदित सूची के उप-निरीक्षकों को मण्डल निरीक्षक बनाने के अलावा उप-महानिरीक्षक का कोई विकल्प नहीं है। शब्द "नियुक्ति" का इस पैरा में प्रयोग "तैनाती" के पर्याप्त में ही माना जायेगा और यह एक मंत्रीय कार्य ही कनिष्ठ अधिकारी के लिए रह जाता है। महानिरीक्षक द्वारा उप-निरीक्षकों का एक क्रम में मंडल निरीक्षक के पद के प्रोन्नति के लिये अनुमोदन से यह माना जायेगा कि उप-निरीक्षक के पद से मण्डल निरीक्षक के पद पर नियुक्त करने का सक्षम अधिकारी यही है।

---

1. शा०आ०सं० 1294/आठ—क—250 (625) 62 दिनांक 3-4-69 द्वारा प्रतिस्थापित.

यह निर्णय *राज्य* बनाम *चन्द्रपाल सिंह* के द्वितीय अपील संख्या 1259/70 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दिनांक 22-9-71 का है।

439. (1) निरीक्षण के अपने वार्षिक दौरे में रेंज के सभी उप-महानिरीक्षकों को, यह सुनिश्चित करने के लिये कि निरीक्षक की पंक्ति पर भारसाधक या स्थाई रूप से पदोन्नति के लिये अनुमोदित सभी उप-निरीक्षकों ने वर्ष में किस रीति से कार्य किया है तथा वह सामान्य ख्याति, जो उन्होंने धारण की हैं, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से उनके बारे में पूछताछ करते हुए, उनसे उन थानों के निरीक्षण करते हुये, जहाँ वे पदस्थ हों, जब सम्भव हो; व्यक्तिशः साक्षात करके, पग उठायेगा। अप्रैल में भ्रमण के मौसम की समाप्ति पर प्रत्येक रेन्ज का उप-महानिरीक्षक प्रत्येक अधिकारी के लिए अपना अभिमत यह स्पष्ट वर्णन करते हुये कि क्या वह उसके नाम को अनुमोदित सूची में रखने की या उसमें से निकाल देने की अनुशंसा करता है, अभिलिखित बाद वाली दशा में, उसे अपनी अनुशंसा के कारण देना चाहिए।

परन्तु यह उन जिलों में जहां कलेक्टर/उप-आयुक्त, डिवीजन का भारसाधक कलेक्टर/उप-आयुक्त हो, इस पैरा के अधीन उसके कार्य अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कार्यपालक) द्वारा प्रयोग किये जावेंगे।

(2) अपराध अन्वेषण विभाग का उप-महानिरीक्षक और रेलवे पुलिस के सहायक महानिरीक्षक इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष के अप्रैल में क्रमशः उनके प्रभार में रहने वाले उप-निरीक्षकों के बारे में, जो अनुमोदित सूची में हों, परीक्षण और रिपोर्ट करेंगे।

(3) पैरा (1) और (2) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट, पैरा 438 में महानिरीक्षक द्वारा संयोजित की गई समिति के समक्ष रखी जावेगी और यदि समिति सूची में से किसी नाम को निकाल देने की अनुशंसा से सहमत हो जावे, वह अनुमोदित सूची में से प्रश्नगत अधिकारी के नाम को निकाल दिये जाने का आदेश देगी।

(4) जब किसी उप या सहायक महानिरीक्षक ने अनुमोदित सूची में से किसी नाम के निकाले जाने की अनुशंसा की हो, प्रश्नाधीन अधिकारी का पदोन्नति के लिए तब तक वह विचार न किया जावे जब तक कि समिति संयोजित न हो और अनुशंसा पर की जाने वाली कार्यवाही के लिये निर्णय न ले लें। उन अस्थाई रिक्तियों में, जिन पर वह अधिकारी, जिनके नाम को निकाले जाने की अनुशंसा की गई है, अन्यथा पदोन्नत कर दिया जाता, समिति के निर्णय लम्बित रहने तक उस उप-निरीक्षक की, जिसका नाम अनुमोदित सूची में ठीक पश्चात् हो, पदोन्नति द्वारा पूर्ति की जावेगी।

टिप्पणी

(1) पदोन्नति का अधिकार नहीं— केवल यह तथ्य कि उप-निरीक्षक का नाम चयन सूची पर है, उसे पदोन्नति का अक्षुण्ण अधिकार नहीं देता है, यह तथ्य भी कि उसे अस्थाई या स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति दे दी गई है, उसे उस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं देता और वह दो वर्ष के परीक्षण काल की अवधि में भी किसी समय पदावनत किया जा सकता है, यदि उसका कार्य असंतोषजनक पाया गया है। उसका यह कथन कि प्रोन्नति के लिए चयन सूची पर नाम आने से या वस्तुतः प्रोन्नति पा जाने से उसे पद पर बने रहने का अधिकार है, यह अस्वीकार कर दिया गया। *जी०एस० रामस्वामी* बनाम *राज्य*[1] में यह भी निर्णय आया है कि परीक्षण काल बीतने के बाद भी उसे

---

1. ए०आई०आर० 1966 सु०को० 175 जिसमें ए०आई०आर०, 1962 सु०को० 1711 को माना गया है.

सेवा में स्थायी सदस्य की स्थिति नहीं प्राप्त होती जब तक कि उसके तैनाती के नियम स्पष्टत: इसकी व्यवस्था नहीं देते।

(2) कारण बताओ नोटिस आवश्यक—इससे पूर्व निर्णीत मामले, *दिनेश्वर* बनाम *सी०सी०एस० पूर्वी रेलवे*[1] में यह तय हुआ कि अनुमोदित सूची से नाम हटा देने से सेवक की भावी प्रोन्नति की संभावना भी प्रभावित होती है, इसलिए अधिकारी को चाहिये कि वह कारण बताओ नोटिस दे उस पर सुने जाने का अवसर देने के बाद आदेश पारित करे। पर *शीतला प्रसाद* बनाम *पूर्वोत्तर रेलवे*[2] में इसे उचित नहीं ठहराया कि अनुमोदित सूची से नाम हटाए जाने के पूर्व सेवक को सुने जाने का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

(3) नोटिस का चरण—यदि अनुमोदित सूची से नाम हटाये जाने के पूर्व कारण बताओ का अवसर दिया जाना जरूरी नहीं है तो सूची से नाम हटाने के बाद और वस्तुत: पदावनति करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस का दिया जाना सही अवसर दिये जाने की भावना के अनुकूल प्रतीत नहीं होता, क्योंकि एक बार सेवक का नाम चयन सूची से हट जाने के बाद उसे प्रोन्नत पर बनाये नहीं रखा जा सकता, चाहे कितना ही सन्तोषप्रद उत्तर उसका कारण बताओ नोटिस के जवाब में रहा हो, और उसे पदावनत करना है इसलिए नहीं कि उसका उत्तर असंतोषजनक रहा, बल्कि इसलिए कि उसका नाम अनुमोदित सूची से हटा दिया गया है। यह मानकर कि पदोन्नति पाने का अधिकार निहित अधिकार नहीं है पर अनुमोदित सूची पर आया नाम पदोन्नति देने के भाव को बल देता है पर नाम हटा दिए जाने पर तो पदोन्नति के लिए विचार किये जाने पर अधिकार भी चला जाता है।

(4) कब नोटिस आवश्यक नहीं—स्वाभाविक न्याय के नियम की यह वांछा नहीं है कि किसी ज्येष्ठ अधिकारी को अतिक्रमण करने में उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाय। *भारत सरकार* बनाम *एम०एल० कपूर*[3] में यह कथन कि नोटिस आवश्यक है, नहीं माना गया।

(5) प्रत्यावर्तन (Reversion) कब पदावनति होता है—न्यायालय ने *राज्य* बनाम *मुल्लराज*[4] में यह माना है कि प्रत्यावर्तन ओहदे की पदावनति नहीं है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत पुन: विचार किये जाने का अधिकार उसे और सूची पर पुन: नाम आने के बाद वह पदोन्नति योग्य हो जाता है। मगर ए०पी०धरनी के बाद में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह माना है कि यदि पदोन्नति की संभावना एक अनिश्चित काल के लिये टल जाती है तो पदावनति है अन्यथा नहीं। इसमें कारण यह दिया गया है कि केवल वे ही उप-निरीक्षक पदोन्नति के लिये विचारे जाते हैं जिनका नाम अनुमोदित सूची पर हो अन्यथा नहीं और जब इस सूची में नाम नहीं रहा तो उनके पदोन्नति के लिये विचार किये जाने का अधिकार समाप्त हो गया और बाद को उनका नाम यदि पुन: अनुमोदित सूची पर आया भी तो वह उससे पूर्व हुए अनुमोदित लोगों के बाद में होगा तथा स्थायी रिक्ति में तैनाती के समय उसके द्वारा अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से की गई सेवा की गणना उसके परीक्षण काल की अवधि में नही माना जा सकेगा।

(6) दिये गये परख—संविधान के अनुच्छेद 311 ने स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के बीच भेद न मानकर दोनों को समान सुरक्षा, सेवामुक्ति के विषय में दिया गया है। *परशोत्तम लाल* बनाम

---

1. ए०आई०आर० 1960 कल० 109.
2. ए०आई०आर० 1966 सु०को० 1197.
3. ए०आई०आर० 1974 सु०को० 87.
4. ए०आई०आर० 1970 पंजाब 415 पूर्णपीठ.

भारत सरकार[1] इस पर प्रमुख निर्णय है जिसमें दण्ड स्वरूप पाये गये सेवामुक्ति में अनुच्छेद 311 का आकर्षित होना अन्यथा सेवा समाप्ति या पदावनति पर जो दण्ड स्वरूप न हों, इसका लागू न होना आया है। यह भी निर्णय हुआ है कि परीक्षण कालीन या स्थानापन्न तैनातियों में, चाहे स्थायी या अस्थायी पद पर हों, सेवक का उसके लिये कोई अधिकार नहीं होता। इस निर्णय में दो परख दिये हैं, (1) क्या सेवक को पद पर बने रहने का अधिकार है? (2) क्या प्रश्नगत आदेश से बुरे प्रभाव पड़ते हैं? यदि आदेश से सेवक का वेतन या भत्ता जब्त होता है, स्थायी पद की ज्येष्ठता नष्ट होती है, उसकी भविष्य की पदोन्नति को संभावना टलती या रुकती है तो वह आदेश प्रतिकूल प्रभाव कारक माना गया है।

(7) केवल आदेश का प्रपत्र पर्याप्त नहीं—यह आदेश, कि अधिकारी का नाम पदोन्नति के लिये चयन सूची पर आये नाम से हटा दिया जाये, गम्भीर दुष्परिणाम दायक है। ऐसे आदेश के पहले अधिकारी बाध्य है कि वह राज्य सेवक को अपना आचरण स्पष्ट करने का अवसर दे। केवल आदेश के प्रपत्र पर अधिकारी को उसके अस्थायी पद से प्रत्यावर्तन करना, चाहे वह अस्थायी, चाहे स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, निर्णायक नहीं होगा। आदेश भले ही हमनस्ल (Collateral) भाव या अधिकारी के द्वेष भावना से पारित न हो, यह निरस्त होने योग्य है। यदि आदेश में दंड की भावना दिखती है चाहे भले प्रकट में ऐसा प्रतीत न होता हो, तो प्रभावित राज्य कर्मचारी अनुच्छेद 311 की हुई अवहेलना सिद्ध करने का अधिकारी है, यह *जगदीश प्रसाद* बनाम *राज्य*[2] में निर्णीत हुआ है।

(8) पदोन्नति को रोकना या रद्द करना—*बी० जार्ज०* बनाम *आई आई०जी० पुलिस*[3] में यह तय हुआ कि यदि कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही न्यायाधिकरण के समक्ष चल रही हो तो चयन समिति उसके पदोन्नति पर किये जाने का विचार टाल या स्थगित नहीं कर सकती, क्योंकि विधान में ऐसी कोई मनाही नहीं है। *ओ०पी० गुप्त* बनाम *म्युनिसिपल कारपोरेशन*[4] में यह तय पाया कि जब कर्मचारी के तदर्थ पदोन्नति पर इसलिये विचार नहीं किया गया, क्योंकि उसे गोपनीय प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त थी व विभागीय कार्यवाही भी लम्बित थी, तो उससे मुक्त हो जाने के कारण उसकी पदोन्नति पर विचार उस तिथि से देने के लिये करना चाहिये जब वह देय हुआ था। एक अन्य वाद *रमेशचन्द्र जोशी* बनाम *राज्य*[5] में और स्पष्ट हुआ कि किन्हीं लम्बित जाँच के कारण पदोन्नति रोकना या टालना दंड स्वरूप होता है और अनुच्छेद 16 की भावना के विरुद्ध है। रोकने या रद्द करने की शक्ति सेवक के अधिकार को तथा संवैधानिक सुरक्षा को सीमित करता है।

(9) पदोन्नति के अनुमोदन के बाद परिस्थति में परिवर्तन—बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मत कि वाद के अभिलेख के आधार पर सेवक के पदोन्नति को, जिसका नाम चयन सूची पर है, नहीं रोका जा सकता, से भिन्न निर्णय लिया कि एन०एम० सिद्दीकी के मामले में यह निर्णय दिया कि आवेदन का नाम पदोन्नति के सूची पर आने भर से यह अर्थ नहीं होता कि वह अपने आप पदोन्नत हो गया। यह केवल व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि पदोन्नति के लिये उसका विचार किया जाये या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अनुमोदित होने के समय वह पदोन्नति के योग्य समझा गया था, लेकिन चयन सूची पर आने के बाद हुई घटनाओं के कारण वह पदोन्नति के अयोग्य भी हो सकता

---

1. ए०आई०आर० 1958 सु०को० 36.
2. ए०आई०आर० 1971 सु०को० 1224.
3. 1973 (2) एस०सी०आर० 131 आ०प्र०.
4. 1977 (2) एस०एल०आर० 850 दिल्ली.
5. 1977 (2) एस०सी०आर० 864.

है (1978 सु०को०के० 349)। इसी भाव की पुनरावृत्ति *यादराम वर्मा* बनाम *राज्य*[1] दिनांक 17-7-80 में भी हुई है।

440. *[विलुप्त]*

441. उप-निरीक्षकों को आगे बताया जाना वृद्धि से समयमान द्वारा विनियमित किया जाता है (पैरा 463 देखिये)। अधीक्षक मूलभूत नियम 24 के अधीन वृद्धि रोक लेने और मूलभूत नियम 25 के अधीन दक्षता अवरोध के परे निकलने की मंजूरी देने के लिये प्राधिकृत है।

दक्षता अवरोध के ऊपर आगे बढ़ने की योग्यता पुलिस अधीक्षक द्वारा अवधारित की जावेगी, जिससे यह प्रमाणित करने की अपेक्षा की जावेगी की उप-निरीक्षक :—

(1) थाने का प्रभार ग्रहण करने के लिये उपयुक्त है, या

(2) पूर्णतया अक्षम अभियोजक अधिकारी, या

(3) अपराध अन्वेषण विभाग की अन्वेषण शाखा में नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त, या

(4) दीर्घ रिजर्व में वरिष्ठ सशस्त्र पुलिस उप-निरीक्षक का पद ग्रहण करने के लिए उपयुक्त, या

(5) सैनिक पुलिस में प्लाटून को कमान्ड करने के लिए उपयुक्त है।

442. जब किसी अधिकारी की पदोन्नति उप-महानिरीक्षक की सहमति की अपेक्षा रखती हो, उस अधिकारी तथा किसी ऐसे अधिकारी की जिसका अधिक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, चरित्र पत्रावलियाँ अधिक्रमण के कारण देते हुए, टिप्पणियाँ सहित उप-महानिरीक्षक को भेजी जावें।

443. *[विलुप्त]*

444. सिविल, सशस्त्र और सवार पुलिस के सभी उप-निरीक्षकों की प्रारूप 116 में सूची प्रत्येक वर्ष की पहली सितम्बर को रेंज के उप-महानिरीक्षक को निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी के साथ प्रस्तुत की जावेगी :—

(क) वर्तमान वेतन (1 सितम्बर को)।

(ख) अगली वेतन वृद्धि का दिनांक।

सूची की एक दूसरी प्रति, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को भेजी जावेगी।

[2][445. (क) कोई ऐसा कान्सटेबिल या हेड कान्सटेबिल जिसकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो और जिसकी सेवा तीन वर्ष से कम हो, उप-निरीक्षक सिविल पुलिस की कोटि में पदोन्नति हेतु चयन के लिये नामित नहीं किया जायेगा। यह आयु सीमा जिस वर्ष में चयन होगा उसकी पहली जनवरी को अनुमन्य होगी।

कान्सटेबिल के लिये जो विभाग में तीन वर्ष की सेवा कर चुके हैं, शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट तथा समकक्ष होनी चाहिये अथवा हेड कान्सटेबिल सिविल पुलिस कोर्स पास होना चाहिये। हेड कान्सटेबिल सिविल पुलिस कोर्स पास कान्सटेबिल के लिये शैक्षिक योग्यता का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, साथ ही हेड कान्सटेबिल के लिये भी शैक्षिक योग्यता का प्रतिबंध नहीं होगा।

---

1. क्लेम पेटिशन 134 एफ०/111/77/2.
2. शा०आ०सं० 4256/आठ-2-1200 (55)-76 दि० 31-8-77 और शा०आर० सं० 628/आठ-7-922 (30) 71 दि० 8-10-75.

नोट—शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट करने के आदेश केवल उन अभ्यर्थियों पर लागू होंगे जो शासनादेश के जारी होने के पश्चात् पुलिस विभाग में आते हैं।[1]

(क) पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में उप-निरीक्षक सिविल पुलिस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये कान्सटेबिलों और हेड कान्सटेबिलों का चयन करने की प्रक्रिया निम्न होगी :—

(1) प्रत्येक वर्ष जनवरी में एक नोटिस जारी की जानी चाहिये जिसमें (चयन की) पात्रता के नियम दिये गये हों और पात्र उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया हो कि यदि वे चाहते हों कि चयन के लिये उनका विचार किया जाये तो वे उसके लिये आवेदन करें, इस नोटिस का व्यापक विचार किया जाना चाहिये और उन लोगों के पास भी भेजी जाय जो प्रतिनियुक्ति, अवकाश आदि पर गये हों, यह सुनिश्चित करना जिला पुलिस अधीक्षक/यूनिटों के प्रभारियों का कर्त्तव्य होगा कि नोटिस की सूचना उन सभी स्थानों को भेजी जाय जहां उनके आदमी उस समय कार्य कर रहे हों। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिये 6 सप्ताह का समय दिया जाना चाहिये। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों की पुलिस अधीक्षक/यूनिट प्रभारियों के कार्यालय में उनकी छँटाई के लिये परिनिरीक्षा करनी चाहिये जो निर्धारित नियमावली के अधीन चयन के पात्र नहीं हैं।

(2) तत्पश्चात् उन सभी पात्र उम्मीदवारों का जो विचार किये जाने के लिये रहें, निम्न रीति से प्रारंभिक परीक्षण किया जाना चाहिये :—

(क) 50 अंकों का एक प्रश्न-पत्र जिसके तीन भाग होंगे, केन्द्रीय रूप से तैयार किया जायेगा—तीन प्रश्न विधिक, तीन पुलिस संबंधी प्रक्रिया और तीन निबंध सामान्य ज्ञान के होंगे। निबंध-लेखन संबंधी प्रश्न अनिवार्य होना चाहिये और प्रत्येक उम्मीदवार को प्रश्न-पत्र के दो भागों में से किन्हीं दो प्रश्नों का व तीसरे भाग से एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिये अर्थात् प्रत्येक उम्मीदवार को प्रश्न-पत्र में से कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना चाहिये। अनिवार्य प्रश्न 10 अंकों का और शेष प्रश्नों में प्रत्येक आठ-आठ अंकों के होने चाहिये।

(ख) प्रारम्भिक परीक्षायें सभी जिलों में एक निश्चित दिनांक को पुलिस मुख्यालय द्वारा किये गये प्रबंध के अधीन होना चाहिये। उत्तर पुस्तिकायें संबंधित पुलिस उप-महा-निरीक्षक को भेजी जानी चाहिये, जो उनकी जाँच तीन पुलिस अधीक्षकों के एक मंडल (बोर्ड) द्वारा करायेंगे। अर्हता प्राप्त करने का स्तर अधिकतम अंकों को 50 प्रतिशत नियत किया जाना चाहिये।

(ग) एक मण्डल को, जिसमें रेंज पुलिस उप-महानिरीक्षकों, रेंज पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा नामित पी०ए०सी० का एक कमांडेंट तथा संबंधित स्थानीय पुलिस अधीक्षक होंगे। तत्पश्चात् प्रत्येक जिले का दौरा करना चाहिये और उन सभी पात्र उम्मीदवारों को चरित्र पंजियों की सावधानी से परिनिरीक्षा करनी चाहिये जिन्होंने लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त की हो। शारीरिक दृष्टि से अयोग्य व्यक्तियों की छँटाई करने के उद्देश्य से ऐसे सभी उम्मीदवारों की एक साधारण ड्रिल तथा शारीरिक प्रशिक्षण की परीक्षा भी ली जानी चाहिये। मण्डल को उम्मीदवारों की चरित्रपंजी और ड्रिल तथा शारीरिक-प्रशिक्षण परीक्षण में प्रदर्शित उनके कौशल के

---

1. शा०आ०सं० 4257/आठ-2-1200 (55) 76 दि० 31-8-77.

आधार पर पुलिस महानिरीक्षक द्वारा यथानिर्धारित निश्चित मापदंड के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को अंक प्रदिष्ट करने चाहिये।

(घ) इस प्रकार लिखित परीक्षा, चरित्रपंजी की परिनिरीक्षा तथा शारीरिक परीक्षा के परिणामस्वरूप चयन किये गये उम्मीदवार अंतिम चयन के लिये किये जाने वाले केन्द्रीय परीक्षण के वास्ते रेंज के नामित व्यक्ति समझे जाने चाहिये।

(3) रेंज के सभी नामित व्यक्तियों को तत्पश्चात् लिखित परीक्षा में बैठना चाहिये जिसमें (1) विधि, तथा (2) पुलिस संबंधी प्रक्रिया और (3) निबंध तथा सामान्य ज्ञान के 50-50 अंकों वाले तीन प्रश्न-पत्र होंगे। ये प्रश्न भी केन्द्रीय रूप से तैयार किये गये होंगे और उत्तर पुस्तिकायें पुलिस उप-महानिरीक्षक, मुख्यालय को भेजी जायेंगी, जो इसकी जाँच कई पुलिस अधीक्षकों के ऐसे मण्डल द्वारा करायेंगे जिनकी संख्या उम्मीदवारों के संख्या पर निर्भर करेगी। इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने अंक अलग-अलग प्रश्न-पत्रों में 30 प्रतिशत तथा कुल मिलाकर 40 प्रतिशत होंगे और इस संबंध में एक सूची योग्यता क्रम से तैयार की जायेगी।

(4) रैंकर कैडेट के लिये जितनी रिक्तियाँ आरक्षित हों उसके लगभग चौगुने उम्मीदवारों को ऊपर निर्दिष्ट सूची में से नियमत: योग्यतानुसार साक्षात्कार के लिये बुलाया जाना चाहिये। चयन मंडल को, जिसमें दो पुलिस उप-महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नामित एक अधीक्षक होंगे, इन उम्मीदवारों का साक्षात्कार करना चाहिये। साक्षात्कार के, जिसमें सेवा अभिलेख सम्मिलित होगा, 150 अंक होने चाहिये और उसमें अर्हता प्राप्त करने के लिये न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत होने चाहिए। मण्डल को पहले की तरह चरित्र पंजियों की परिनिरीक्षा करना तथा अंक प्रदिष्ट करना चाहिये। तत्पश्चात् उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार तथा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर अंतिम योग्यता सूची तैयार की जानी चाहिये।

446. *[विलुप्त]*

447. सशस्त्र पुलिस के उप-निरीक्षक-प्लाटून कमाण्डर के पद के लिए भर्ती निम्नलिखित रीति से की जावेगी :—

(क) सशस्त्र पुलिस के उप-निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर के संयुक्त संवर्ग के 80 प्रतिशत स्थाई तथा और अस्थाई दोनों प्रकार के पद सिपाहियों की पंक्ति से चयन द्वारा भरे जावेंगे।

(ख) सशस्त्र पुलिस के उपनिरीक्षक-प्लाटून कमाण्डर के संयुक्त संवर्ग में अवशेष 20 प्रतिशत स्थाई या अस्थाई दोनों पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जावेंगे।

(ग) वर्ग के लिए, रेंज पुलिस के उप-महानिरीक्षक, प्रान्तीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी के उप-महानिरीक्षक और रेलवे पुलिस की दशा में मुख्यालय के उप-महानिरीक्षक समय-समय पर जैसा महानिरीक्षक द्वारा अपेक्षित किया जावे, विनिर्दिष्ट की गई अनुसार सशस्त्र पुलिस के प्रधान कान्सटेबिलों की संख्या मनोनीत करेंगे।

(घ) वर्ग के लिये अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या का चयन महानिरीक्षक, प्रान्तीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी के उप महानिरीक्षक और महानिरीक्षक द्वारा मनोनीति एक उप-महानिरीक्षक को समावेश करने वाली एक समिति द्वारा किया जावेगा।

448. (1) पैरा 447 के अधीन मनोनीत या चयन किये गये अभ्यर्थी प्रान्तीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी में एक मास का अभ्यास प्रशिक्षण को सम्मिलित करते हुए, सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र, सीतापुर के सात मास की अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेंगे।

(2) उपरोक्त उपपैरा में प्रशिक्षण लेने के पूर्व, पैरा 447 (ख) के अधीन चयन किये गये अभ्यर्थी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, सीतापुर में दो मास के सफलतापूर्वक प्रारम्भिक प्रशिक्षण में भाग लेंगे।

448-ए. सापेक्ष ज्येष्ठता, उप-निरीक्षक का सशस्त्र पुलिस पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के दिनांक से और सिपाहियों के लिये उसी पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होकर उप-निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पाठ्यक्रम की अन्तरिम परीक्षा में उनकी स्थिति के द्वारा शासित होगी, उस परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले दो सिपाहियों के बीच (एक) सीधे भर्ती किये गये अभ्यर्थियों के ऊपर पदोन्नति अभ्यर्थियों को ज्येष्ठता प्राप्त होगी और (दो) यदि दोनों सिपाही सीधे ही भर्ती किये गये हों तो आयु अवधारित करने वाला तत्व होगा और कैडेटों को श्रेणी में होने वालों की दशा में वह तत्व सेवा की लम्बाई होगा।

449. सवार सेना के सिवाय, प्रधान आरक्षकों के पद पर पदोन्नतियाँ उप-महानिरीक्षक के सामान्य नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाती है।

पुलिस की सभी शाखाओं में प्रधान कान्सटेबिलों की उन्नति वृद्धि के समयमान द्वारा विनियमित की जाती है। (देखिये पैरा 463-क)। वेतन वृद्धि रोकने के लिए मूलभूत नियम 24 के अधीन सशक्त प्राधिकारी अधीक्षक है।

समस्त प्रधान कान्सटेबिल जो 1 अप्रैल, 1945 पर इस रूप में स्थायी पद धारण करते थे, यदि वे वर्ग की उन्नति की अपेक्षा अधिक वेतन प्राप्त कर रहे होते, वर्ग वेतन के अनुरूप समयमान के प्रक्रम में पुनः वेतन नियत कराने के लिए अधिकारी होंगे, इसलिए कि पदोन्नतियाँ नामानुसार नामावली पत्र पर उस समय तक के लिये दे दी जानी चाहिये जब तक कि सभी प्रधान कान्सटेबिल अधिकतम समयमान के अधिकतम तक नहीं पहुँच जाते।

450. सिविल और सशस्त्र पुलिस के प्रधान कान्सटेबिलों के पदों पर स्थायी पदोन्नति पुलिस अधीक्षक द्वारा (पुलिस के उप-महानिरीक्षक के नियन्त्रण के अध्याधीन रहते हुये) उन कान्सटेबिलों में से, जो पैरा 454 के अधीन योग्य हो या पैरा 455 के अधीन चुना जा चुका हो, की जाती है।

इन पैरों के अधीन प्रधान कान्सटेबिलों के पद पर पदोन्नति किए गये सशक्त या सिविल पुलिस के कान्सटेबिल एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के तत्काल बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा उनकी नियुक्तियाँ संपुष्ट की जा सकेंगी, यदि उनका कार्य संतोषप्रद पाया जावे दूसरी ओर, पुलिस अधीक्षक परिवीक्षाधीन प्रधान कान्सटेबिल को कान्सटेबिल के मूल पद पर वापस कर देगा, यदि इस अवधि में उसका कार्य असन्तोजनक पाया जावे तथापि वापस करने का आदेश पारित करने के पहले, उसे सम्बन्धित प्रधान कान्सटेबिल को लेखीय में उन विनिर्दिष्ट शिकायतों और आधारों को, जिन पर उसको मूल पद पर वापस किया जाना प्रस्तावित हो, प्रदाय किया जाना चाहिए, और उससे यह कारण पूछना चाहिये कि उसे मूल पद पर वापस क्यों न कर दिया जावे, और उसके स्पष्टीकरण पर सम्यक् रूप से ध्यान देना चाहिये।

यदि किसी कारण से, जिसे लेखीय में अभिलिखित किया जावे, पुलिस अधीक्षक का यह अभिमत हो कि प्रश्नाधीन प्रधान कान्सटेबिल तब तक भी संपुष्ट किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं है, इस बात की सावधानी अपनाते हुए कि स्थगन के कारण उसे संसूचित कर दिये जावें, वह उसकी परिवीक्षा में एक वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि का विस्तार कर सकता है। इस बात पर और ध्यान दिया जावे कि ऐसे मामलों में संपुष्टि का आदेश जब वास्तव में पारित किया जावे, उस दिनांक से प्रभावशील होगा, जब परिवीक्षा को विस्तार की गई अवधि समाप्त हो जावे।

451. *[विलुप्त]*

452. *[विलुप्त]*

453. *[विलुप्त]*

454. निम्नलिखित कान्सटेबिल प्रधान कान्सटेबिल की पंक्ति पर पदोन्नति के लिए योग्य होंगे :

(क) सिविल पुलिस के वे कान्सटेबिल, जिन्होंने पहली जनवरी, 1941 के पहले, तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार अर्हता प्राप्त कर ली हो और पुलिस महानिरीक्षक द्वारा यथा विहित किये गये पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हों,

(ख) सशस्त्र पुलिस के वे कान्सटेबिल जिन्होंने रेजीमेन्ट का व्यायाम (ड्रिल) प्रमाण-पत्र पूर्व में ही प्राप्त कर लिया हो, और

(ग) सिविल और सशस्त्र पुलिस के वे कान्सटेबिल जो पुलिस प्रशिक्षण शाला, सीतापुर में विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो चुके हों।

455. सिविल पुलिस के विशेष रूप से योग्य कान्सटेबिल के, जो पैरा 445 में विनिर्दिष्ट रीति से पदोन्नति के लिए अर्हय होने में असमर्थ हो, रेन्ज के पुलिस महानिरीक्षक के अनुमोदन से प्रधान कान्सटेबिल के पद पर पदोन्नत किये जा सकते हैं, परन्तु यह कि जिले में इस प्रकार पदोन्नत किये गये प्रधान कान्सटेबिलों की कुल संख्या रक्षा प्रहरी कर्त्तव्य के लिये जिले में सिविल पुलिस के प्रधान कान्सटेबिल की स्वीकृत कुल संख्या के एक बार में 20 प्रतिशत से अधिक न होगी।

अपराध अन्वेषण विभाग की सिविल पुलिस के विशेष रूप से योग्य कान्सटेबिल, जो पैरा 414 में विनिर्दिष्ट रीति से पदोन्नति के लिए अहर्य होने में असमर्थ हों, अपराध अन्वेषण विभाग के पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा प्रधान कान्सटेबिल के पद पर पदोन्नत किये जा सकते हैं, परन्तु यह कि इस प्रकार अपराध अन्वेषण विभाग के पदोन्नत किये गये प्रधान कान्सटेबिलों की कुल संख्या अपराध अन्वेषण विभाग के लिए मन्जूर किये गये सिविल पुलिस के प्रधान कान्सटेबिलों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक न होगी।

सशस्त्र पुलिस के विशेष रूप से योग्य कान्सटेबिल, जो पैरा 454 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रधान कान्सटेबिल के पद पर पदोन्नत के लिये अहर्य होने में असमर्थ हों, मुख्यालय के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रधान कान्सटेबिलों के पद पर पदोन्नत किये जा सकते हैं, परन्तु यह इस प्रकार पदोन्नत प्रधान कान्सटेबिलों की कुल संख्या, पुलिस बल के लिये मन्जूर किये सशक्त पुलिस के प्रधान कान्सटेबिलों की कुल संख्या के 2 प्रतिशत से अधिक न होगी।

456. सिविल और सशस्त्र पुलिस के कान्सटेबिलों को प्रधान कान्सटेबिलों के पदों पर पदोन्नति, पदोन्नति के लिये अहर्य कान्सटेबिलों की सूची में से ज्येष्ठता के द्वारा की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये—

(क) उनके बीच जो विभिन्न सत्रों में पुलिस प्रशिक्षक शालाओं में अहर्य हुये हों, जिसमें वे अहर्य हों, उस सत्र के द्वारा,

(ख) उनके बीच जो एक ही सत्र में अहर्य हुये हों, प्राप्त किये गये कुल अंकों के द्वारा;

(ग) उनके बीच जो एक ही सत्र में समान कुल अंकों के साथ अहर्य हुये हों, सेवा की लम्बाई द्वारा, ज्येष्ठता अवधारित की जावेगी।

457. पुलिस विनियमों के पैरा 454 (ग) में विहित पाठ्यक्रम में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करने वाले विद्यार्थी को परीक्षा मण्डल द्वारा ''वाई'' विद्यार्थी से विभूषित किया जावेगा, यह तथ्य उसकी चरित्र नामावली में अंकित किया जावेगा। वह द्रुतगामी पदोन्नति के लिये योग्य होगा।

458. पुलिस मुख्यालय, राज्य के सशस्त्र पुलिस के उन कान्सटेबिलों की सूची बनाये रखेगा, जो पैरा 86 में विहित प्रशिक्षण के अग्रिम पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के दिनांक द्वारा अवधारित की जावेगी।

उसी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वालों की दशा में सापेक्ष ज्येष्ठता अन्तिम परीक्षा में प्राप्त होने वालों के अंकों के योग द्वारा, और उसी अन्तिम परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वालों की सवार पुलिस कान्सटेबिल पर सेवा की लम्बाई द्वारा, अवधारित की जावेगी।

सवार पुलिस के प्रधान कान्सटेबिल की सभी रिक्तियों पर मुख्यालय के पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा ज्येष्ठता के क्रम से, उनमें से जो राज्य सूची में सम्मिलित हों, भर्ती की जावेगी। रेन्ज का पुलिस उप-महानिरीक्षक किसी ऐसे कान्सटेबिल के नाम को राज्य सूची से हटाये जाने की अनुशंसा कर सकता है, जो अपने पश्चात्वर्ती कार्य और आचरण से पदोन्नति के लिए अपने को अनुपयुक्त प्रमाणित करता है।

459. सवार पुलिस के उप-निरीक्षक की पंक्ति पर पदोन्नति के लिए अनुमोदित सवार पुलिस के प्रधान कान्सटेबिलों की एक सूची पुलिस मुख्यालय पर बनाई रखी जावेगी। प्रधान कान्सटेबिल के रूप में तीन वर्ष से कम की सेवा और 40 वर्ष से अधिक की आयु के न होने वाले प्रधान कान्सटेबिल इस सूची में सम्मिलित किये जाने के लिये मनोनीत किये जावेंगे। अपवादित मामलों में रेन्ज के पुलिस उप-महानिरीक्षक असाधारण गुण सम्पन्न 45 वर्ष तक की आयु के प्रधान कान्सटेबिलों को मनोनीत करेगा। वे, जो इस प्रकार मनोनीत किये जावें, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा विहित की गई एक केन्द्रीय विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होंगे। केवल वे ही, जो इस परीक्षा के परिणामस्वरूप चयन किये जावें, अनुमोदित सूची में लाये जावेंगे।

सवार पुलिस के उप-निरीक्षक की पंक्ति में समस्त रिक्तियाँ मुख्यालय के पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा ज्येष्ठता के क्रम में उन प्रधान कान्सटेबिलों को पदोन्नत करते हुये, जिनके नाम अनुमोदित सूची में सम्मिलित हों, भरी जावेंगी। तीन वर्ष से कम की अवधि की अस्थाई, रिक्तियाँ, रेन्ज के पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा, उसकी रेन्ज के किसी अनुमोदित अभ्यर्थी को पदोन्नत करके, भरी जावेगी।

रेन्ज के पुलिस उप-महानिरीक्षक किसी ऐसे प्रधान कान्सटेबिल के नाम को अनुमोदित सूची में से हटाये जाने की अनुशंसा कर सकता है, जो अपने पश्चात्वर्ती कार्य और आचरण से पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त समझा जावे। तथापि ऐसे प्रधान कान्सटेबिल के बारे में पुन: अनुमोदित सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए विचार किया जा सकता है, यदि वह इस प्रयोजन के लिये विहित केन्द्रीय विभागीय परीक्षा में पुन: सम्मिलित होने की सभी अर्हतायें धारण करता हो।

459-ए. सवार पुलिस के कान्सटेबिल और प्रधान कान्सटेबिल जबकि वे क्रमश: पैरा 458 और 459 के अधीन प्रधान कान्सटेबिल और उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किये जावें, क्रमश: एक और दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसके पश्चात् यदि उनका कार्य और आचरण समाधान करके पाया जावे, वे मुख्यालय के पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा संपुष्ट किये जा सकेंगे।

यदि पुलिस अधीक्षक का यह अभिमत हो कि किसी परिवीक्षाधीन को वापस कर देना चाहिये क्योंकि उसका कार्य असन्तोषजनक है, वह परिवीक्षाधीन को लेखीय में वह विनिर्दिष्ट शिकायतें और आधार, जिन पर वापसी प्रस्तावित है, प्रदाय करेगा और उसी के साथ उससे यह कारण बताने को कहेगा कि उसे वापस क्यों न कर दिया जावे। विनिर्दिष्ट शिकायतों के विवरण की, परिवीक्षाधीन के स्पष्टीकरण के साथ, एक प्रति जब रेन्ज के पुलिस उप-महानिरीक्षक के माध्यम से आदेश के लिए मुख्यालय के उप-महानिरीक्षक को अग्रेषित कर दी जावेगी।

यदि किसी कारण से, जिसे लेखीय में अभिलिखित किया जावे, मुख्यालय का पुलिस उप-महानिरीक्षक का यह अभिमत हो कि कोई परिवीक्षाधीन सम्पुष्टि के लिए उपयुक्त नहीं है, वह

परिवीक्षा की अवधि में एक वर्ष से अधिक की न होने वाली समयावधि का विस्तार कर सकता है। ऐसी कार्यवाही के कारण लेखीय में सम्बन्धित परिवीक्षाधीन को संसूचित किया जाना चाहिये। ऐसे मामलों में, जब सम्पुष्टि के आदेश वास्तव में पारित किये जावें, उस दिनांक से प्रभावशील होंगे, जिसको बढ़ाई हुई परिवीक्षा अवधि समाप्त हुई हो।

460. बल की सभी शाखाओं में कान्सटेबिल की उन्नति, वेतन वृद्धि, समयमान की शर्तों के द्वारा विनियमित की जाती है। (देखिये पैरा 463-क)

जिसमें सबसे ऊपर, पदों के निश्चित स्थानों का समावेश करने वाला एक चयन वर्ग होता है। चयन वर्ग के लिए पदोन्नत पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमुख गुणोत्कृष्ट अभिलेख वाले ''बी'' श्रेणी के कान्सटेबिलों में से चयन करके, की जाएगी, जिनका चयन वर्ग सुरक्षित हो। मूलभूत नियम 24 के अधीन वेतन वृद्धि रोक लेने के लिये सशक्त प्राधिकारी अधीक्षक है। वे कान्सटेबिल की जो अशक्तता या क्षतिपूर्ति पेन्शन पर सेवानिवृत्त हुये हैं और तत्पश्चात् पुन: सेवायोजन में आ गये हैं, यदि उनकी पूर्व सेवा पेन्शन के लिये सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 514 और 519 के अधीन गिनी जावे, तो ऐसी सेवा की वेतन वृद्धि भी गिना जाना चाहिये। उन भूतपूर्व सैनिकों के लिये जो भर्ती किये जावें और त्याग-पत्र देने वाले, पुलिस अधिकारियों के लिये, जो पुन: पुलिस में भर्ती किये जावें, पैरा 410 और 418 देखिये।

''ख'' श्रेणी से ''क'' श्रेणी में कान्सटेबिलों की पदोन्नति को विनियमित करने वाले नियमों के लिये पैरा 543 देखिये।

461. नाम युक्त नामावली प्रत्येक जिले, सरकारी रेल पुलिस खण्ड, अपराध अन्वेषण विभाग और पुलिस की अन्य प्रत्येक शाखा में प्रारूप क्रमांक 362 में रखे जावें। पदोन्नतियाँ अभियुक्तियों के स्तम्भ में प्रविष्ट की जावेंगी।

462. पदोन्नति और पद पर वापसी की नामावलियां सभी पंक्तियों और सभी शाखाओं से सम्बन्धित प्रभारी और सारवान पदोन्नतियों के लिये विहित प्रारूप में पृथक्-पृथक् बनाये रखी जावेंगी।

ये नामावलियां लेखपाल द्वारा बनायी रखी जावेंगी, जो प्रथम तीन स्तम्भों में प्रविष्टि करेगा और जब कभी कोई पदोन्नति या पद पर वापसी सम्यक हो जावे, उचित नामावलियों को सभी आवश्यक कागजों और चरित्र नामावली के साथ अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा। पुलिस अधीक्षक नामावली के स्तम्भ 4 और 5 की स्तम्भ 5 में किसी अधिक्रमित किये गये अधिकारी का नाम उनके अधिक्रमण के कारणों की एक संक्षिप्त टीप के साथ, वर्णन करते हुये, अपने हाथ से पूर्ति करेगा। किसी अधिकारी के अधिक्रमण के प्रथम अवसर से इस तथ्य की एक टीप और उसके कारण चरित्र नामावली में अंकित किये जावेंगे।

463. सभी शाखाओं के उप-निरीक्षक, अपर अधिकारी और कान्सटेबिलों की वेतन वृद्धियों से सम्बन्धित आदेश नामावली की अभियुक्तियों के स्तम्भ में पुलिस अधीक्षक द्वारा अंकित किये जाना चाहिये, जिसे इस प्रयोजन के लिये पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक माह की दसवीं तारीख को प्रस्तुत किया जावेगा। जब कभी कोई वेतन वृद्धि रोक ली जावे, अधिकारियों की चरित्र नामावली में और साथ ही नामयुक्त नामावली में अभियुक्त के स्तम्भ में कारण सहित उनकी प्रविष्टि की जावेगी। ऐसे किसी मामले में, जिसमें किसी अधिकारी की सेवा मूलभूत नियम 24 की अपेक्षाओं का समाधान करने वाली न मानी जावे, वेतन वृद्धि रोके जाने के आदेश में वह अवधि विनिर्दिष्ट की जाना चाहिए जिसके लिए वह रोकी गई है। एक समय में ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक की न होना चाहिये,

यदि प्रत्येक वर्ष पुनः वेतन वृद्धि रोकना आवश्यक समझा जावे जो अधिकतम तीन वर्ष के अध्यधीन रहते हुये, प्रतिवर्ष पृथक् आदेश पारित किये जावें। (विभागीय विचारण के अनुसरण में निश्चित दण्ड के रूप में वेतन वृद्धि रोकने की प्रक्रिया का उपबन्ध पैरा 482-क में किया गया है।)

टिप्पणी

(1) प्रत्यावेदन का अवसर—नियमों के अनुसार पुलिस अधिकारी की वार्षिक वेतनवृद्धि या दक्षता रोक के बाद की वेतन वृद्धि दो प्रकार से रोकी जा सकती है—(1) पैरा 478 पु०रे० में विभागीय कार्यवाही के बाद दण्ड स्वरूप, और (2) पैरा 463 में, यदि मूल नियम 24 या 25 की आवश्यकता उसकी सेवा से न पूरी होती हो, बाद वाली प्रक्रिया तभी अपनाई जायेगी जब वार्षिक वेतन वृद्धि देय हो, मगर इसके लिये विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता न होगी, परन्तु इसके अन्तर्गत आदेश पारित करने के पूर्व अधिकारी/कर्मचारी को प्रत्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिये इसलिये यह आवश्यक होगा कि प्रस्तावित कार्यवाही करने के पूर्व उसे कारण बताते हुए पूछा जाय कि उक्त आदेश क्यों न पारित किया जाय।

(2) सत्यनिष्ठा, वेतन वृद्धि, दक्षता अवरोध एवं प्रतिकूल मंतव्य—वार्षिक मंतव्य में दिये जाने वाले सत्यनिष्ठा प्रमाण का सम्बन्ध सेवक के ईमानदार आचरण से एवं बहुत महत्वपूर्ण मंतव्य है यदि 5 वर्षों के अन्दर दो बार सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं हुआ है तो नियमानुसार उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिये मामले को उच्च अधिकारी के पास विचारार्थ भेजना चाहिये। संदिग्ध सत्यनिष्ठा होने पर स्थानापन्न अधिकारी को उसके स्थायी पद पर, बिना कारण दिये; प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, सत्यनिष्ठा विषयक जाँच चल रही हो तो भी वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है। यदि सेवक के परीक्षण काल में सत्यनिष्ठा प्रमाणित न हुआ तो उसका स्थायीकरण न होगा। यदि सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं होती तो वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी या दक्षता रोक पाठ नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण भी हो सकता है। शा०आ० 9523/8-क/89/69, दिनांक 24-9-69 की मन्शा है कि जाँच के बाद सम्बन्धित वर्ष की सत्यनिष्ठा रोकी जाय। यदि वह प्रमाणित की जा चुकी हो और आवश्यक हो तो उसे हटाई भी जा सकती है, यदि जाँच की आवश्यकता नहीं रही तो सत्यनिष्ठा को रोकी गई प्रविष्टि को उचित सत्यनिष्ठा प्रमाण से ठीक किया जाना चाहिये। शा०आ० 41/2/71 नियुक्ति 3, दिनांक 28-7-72 में निदेश है कि दक्षातारोक विषयक विचार उसी अवधि के अभिलेख पर किया जाय जब के लिये प्रविष्टि होनी हो, यदि देय तिथि को या इससे पूर्व सेवक को कोई आरोप-पत्र दिया गया है या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हुई है या वह निलम्बित है तो परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिये, मगर सी०आई०डी० या सतर्कता अधिष्ठान लम्बित जाँच दक्षता अवरोध पार करने के लिये बाधक न होगा बशर्ते कि सम्बन्धित अवधि के पूर्व अभिलेख ऐसे निर्णय के लिये संतुष्ट करते हों। प्रविष्टि देय तिथि के बाद अधिक से अधिक एक माह के अन्दर इस पर निर्णय ले लेना चाहिये।

वेतन वृद्धि रोकना और दुश्चरित्र प्रविष्टि देना दो भिन्न कार्य हैं चाहे दोनों के मूल में कारण एक ही हो, इसलिये दोनों आदेश एक में न पारित होने चाहिये। पहला दण्ड के कोटि में नहीं आता जबकि दूसरा इस कोटि में है इसलिये दोनों में पृथक्-पृथक् कारण बताओ नोटिस जाना चाहिये। पुलिस मैनुअल (पैरा 302) में पुलिस अधीक्षक के अलावा अधिकारी, हेड कान्सटेबिल, व कान्सटेबिल को वार्षिक प्रविष्टि और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दे सकते हैं, मगर सत्यनिष्ठा प्रमाण रोकने की प्रविष्टि उन्हें नहीं देना चाहिये क्योंकि परिणामस्वरूप वेतन वृद्धि भी रोकनी पड़ेगी जिसके लिये इस पैरा में केवल पुलिस अधीक्षक ही सक्षम हैं। 1978 (2) एस०एल०आर० 682 में वर्ष के अन्त में दी गई

प्रतिकूल प्रविष्टि को इस आधार पर वैधता से परे माना गया कि जिस अवधि के लिये प्रविष्टि दी गई थी उस अल्पकालिक व समकालिक अवधि के लिये कोई अभिलेख नहीं रखे गये थे और गोपनीय प्रविष्टि के लिये तथ्यों के समर्थन में कुछ प्राप्य नहीं था।

(सेवा सम्बन्धित सभी स्तरों से सम्बन्धित शासनादेशों के लिये इसी प्रकाशक के "मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स" को देख सकते हैं।)

[1][463-अ. पुलिस एक्ट की धारा 2 के अधीन राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि पुलिस एक्ट के अधीन भर्ती किए गए पुलिस दल की अधीनस्थ पंक्तियों की वेतन, अवकाश, पेन्शन, भत्ते, भविष्य निधि के बारे में सेवा की शर्तें और सेवा की अन्य वे शर्तें जिनके लिये इन विनियमों में विनिदिष्ट उपलब्ध न किया गया हो, गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 की धारा 241 की उपधारा (क) के पैरा (ख) के अधीन गवर्नर द्वारा और ऐसे नियमों के लम्बित रहने तक, गवर्नमेंट आफ इण्डिया (प्रारम्भ और संक्रमण उपबन्ध) आदेश, 1936 के पैरा 15 (2) के उपबन्धों के अनुसार और उक्त अधिनियम की धारा 276 में अन्तर्विष्ट प्रवर्तनीय नियमों के द्वारा विनियमित की जावेगी।

463-ब. अध्याय 21 व 30 में निहित सभी भर्तियों एवं पदोन्नति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति की नियुक्तियां समय-समय पर शासन द्वारा प्रदत्त आरक्षणों के अनुसार की जायेगी।

टिप्पणी

यदि प्रत्याशी के चरित्र पंजी में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि है, जिसके विरुद्ध अपील लम्बित है, तो वह प्रविष्टि चयन समिति द्वारा विचारणीय न होगी।

जयपालसिंह नरेश बनाम *राज्य*[2] में निर्णय हुआ कि चयन समिति प्रत्याशी के गुणावगुण पर विचार करने के लिये अन्य चीजों के अलावा उसके सेवा अभिलेख पर भी विचार करेगी और स्वभाव तथा उसके प्रतिकूल प्रविष्टियों पर भी विचार करेगी, लेकिन प्रतिकूल प्रविष्टि, जिसके विरुद्ध अपील लम्बित है, पर उसमें अन्तिम निर्णय हुए तक, विचार नहीं किया जायेगा व इससे परे रखा जायेगा।

शासनादेश सं० 6379/8-अ, दिनांक 5-11-65 में उपनिरीक्षकों से मण्डल निरीक्षकों के लिये चयन प्रक्रिया दी है शा०आ० 4072/8-अ 10 (13) 66, दिनांक 27-10-66 सहायक लोक अभियोजकों से लोक अभियोजकों का चयन प्रक्रिया बताता है कि स्थानापन्न या स्थाई रिक्तियों के लिये उपरोक्त मण्डल निरीक्षकों की चयन प्रक्रिया बताता है कि स्थानापन्न या स्थाई रिक्तियों के लिये उपरोक्त मण्डल निरीक्षकों की चयन प्रक्रिया ही लागू होगी। इस शासनादेश की भावना रही है कि चयन गुणावगुण पर हो, चयन समिति ने जो परीक्षण अपनाया वह प्रतियोगितात्मक रही, अर्हता पर नहीं, ऐसे परीक्षण में वह आवश्यक है कि सभी प्रत्याशियों के क्षमता पर एक साथ विचार हो और गुणावगुण के क्रम में सभी प्रत्याशियों की सूची बने और वांछित संख्या में उम्मीदवार उसी सूची से ऊपर से क्रमानुसार लिये जाएँ, एक यही प्रकार है जिससे उम्मीदवारों के तुलनात्मक गुणावगुण पर निर्णय लिया जा सकता है, यदि चयन प्रक्रिया टुकड़ियों में हुई तो सभी टुकड़ियों के साक्षात्कार के बाद ही परिणाम बने, और तभी उम्मीदवारों के तुलनात्मक गुणावगुण का सही मूल्यांकन हो सकेगा।

---

1. शा०आ०सं० 6620/आठ 2-1000 (243) 77 दिनांक 22-7-78 द्वारा जोड़ा गया।
2. 1973 ए०क्रि०रि० 129.

दूसरी ओर, यदि हर टुकड़ियों का परिणाम अलग-अलग घोषित हुआ है तो यह टुकड़ीवार उम्मीदवारों के बीच गुणावगुण निर्धारण होगा, उम्मीदवारों के पूरे समूह का निर्धारण नहीं होगा, और यह प्रक्रिया केवल विकृत परिणाम देगा। आवेदक के कथन को उक्त *जयपाल सिंह नरेश* बनाम *राज्य* में मान्यता मिली।

अध्याय 31

पारितोषिक

464. इनाम चार प्रकार के होते हैं—

(क) अपराधियों की गिरफ्तारी और दोषसिद्धि की परिणामजनक सूचनाओं के लिए घोषित इनाम।

(ख) अच्छी सेवा के निश्चित कार्यों, वीरता, प्रशिक्षण में विशेष गुण सम्पन्न कार्य और वार्षिक शस्त्रचालन में अच्छे अंक प्राप्त करना, बन्दूक चालन प्रतियोगिता के लिये इनाम।

[1](ग) पारितोषिक जो गांव के चौकीदारों/स्पेशल पुलिस फोर्स के पोर्टरों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिये और विशेष सेवाओं के लिये दिये जाते हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश विभाग के उल्लिखित विभागों और न्यायालयों, निजी संवादों, या व्यक्तियों द्वारा भुगतान किये गये इनाम।

पद (क) और (ख) के इनाम उसी अनुदान से भुगतान किए जाते हैं और प्राइवेट व्यक्तियों तथा पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारियों को दिए जा सकते हैं। पद (क) के, परन्तु पद (ख) के नहीं, इनाम चौकीदारों को भी दिये जा सकते हैं। अनुदान प्रान्तीय होता है, किन्तु प्रान्तीय रिजर्व के लिये उपबन्ध कर दिये जाने के पश्चात्, वह महानिरीक्षक द्वारा विभाजित और उप महानिरीक्षक द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो विशेष मामलों में, बड़े इनाम देने को रक्षित रखते हुए, जिलों और खण्डों के बीच उसे आवंटित कर देता है। प्रत्येक जिले या खण्ड को आबंटित की गई धनराशि वह अधिकतम राशि मानी जानी चाहिए, जो औसत दशाओं में व्यय की जा सकती है और कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं दिया जावेगा, जब तक कि यह न दर्शा दिया जावे कि विशेष परिस्थितियों ने, उदाहरणार्थ असाधारण महत्व के किसी मामले में, धनराशि को अपर्याप्त बना दिया है। पुलिस अधीक्षक व्यय पर सतर्क दृष्टि रखेगा और उसे विशेष गुण सम्पन्न मामलों में ही इनाम भुगतान चाहिए। उन्हें रेन्ज के उप-महानिरीक्षक की बचत के आधिक्य की सम्भावित राशि से अधिक से अधिक 15 जनवरी से आवश्यक किये जाने वाले किसी समायोजन को करने में समर्थ बनाने के लिये सूचित करना चाहिए।

उप-महानिरीक्षक बचत का पुनर्विनियोग करने के लिए अधिकृत है।

---

1. शा०आ०सं० 4316/आठ-7-922 (31)/77 दिनांक 24-11-70.

अपराध अन्वेषण विभाग के पद (क) और (ख) के इनाम के लिए प्रान्तीय अनुदान से पृथक् होता है। अपराध अन्वेषण विभाग के उप-महानिरीक्षक उसके बारे में प्रान्तीय अनुदान के सम्बन्ध में रेन्ज के उप-महानिरीक्षक की भाँति ही शक्तियों का प्रयोग करता है।

465. पद (क) के इनाम विनिर्दिष्ट सीमाओं तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा दिए जा सकते हैं—

[1][पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक अपराधी के लिये 250/- रु० तक।

महानिरीक्षक या उप-महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा प्रत्येक अपराधों के लिये 2000/- रु० तक। सचिव गृह (पुलिस) विभाग द्वारा प्रत्येक अपराधी के लिये 5000/- रु० तक।

इस श्रेणी में इनाम, साधारणतया गिरफ्तारी और दोषसिद्धि दोनों के लिये हो न कि अकेले गिरफ्तारी के लिये, प्रस्तावित किये जाना चाहिये, किन्तु वह अधिकारी जो उसे, देने का प्रस्ताव करने को सशक्त हो, घोषणा के शब्दों का अवधारण कर सकता है। उस मामले में जिसमें घोषणा गिरफ्तारी और दोषसिद्धि के लिये हो, वह पूरे इनाम या उसके किसी भाग को केवल गिरफ्तारी के लिए, या तो (1) गिरफ्तारी के तुरन्त पश्चात् या विचारण के दौरान या पूर्व, यदि कार्यवाही का संरक्षित किया जाना संभाव्य हो, उसका समाधान हो जावे कि विचारण से जो भी विदित हो, वह गिरफ्तारी कराने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति के कार्य के गुण को प्रभावित नहीं कर सकेगा, या (2) विचारण के पश्चात् जब गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति के दोष के न होते हुए, दोषसिद्धि न हुई हो, भुगतान किये जाने का आदेश दे सकेगा। किसी अपराधी को "मुर्दा या जीवित" पकड़ने के लिये इनाम प्रस्तावित नहीं किये जाने चाहिए।

नोट— अपराधियों को गिरफ्तार कराने तथा दण्डित कराने के लिए सूचना देने पर पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था। उपरोक्त मैटर इसी पुस्तक के पेज नम्बर 439 पर देखें।

466. (ख) श्रेणी के इनाम, पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने प्राधिकार से प्रत्येक घटना के लिए 100/- रुपयों की सीमा तक और उप-महानिरीक्षक को मंजूरी से 1,000/- रुपये तक भुगताए जा सकते हैं। लम्बी राशियों के लिए उप-महानिरीक्षक के माध्यम से महानिरीक्षक को मन्जूरी प्राप्त कर ली जानी चाहिये। इस श्रेणी को इनाम देने के लिये निम्न सिद्धान्त लागू होंगे—

(1) निरीक्षक को और उप-निरीक्षकों को दिये गये इनाम छुद्र नहीं होना चाहिए, 10 रुपये से कम का इनाम उप-निरीक्षकों को दिया जाना उसका मान घटाने वाला है। इनाम की नाप को वेतन से यान्त्रिक रूप से आनुपातिक नहीं होना चाहिए और यदि उसका मुख्य श्रेय किसी कान्सटेबिल या अवर अधिकारी से सम्बन्धित हो, उसे इनाम का परिणाम मिलना चाहिये। उच्चतर पंक्ति के अधिकारियों द्वारा सम्पन्न किये गये अच्छे कार्यों का उनकी चरित्र नामावली में अच्छी प्रविष्टियों द्वारा मान्यता दी जावेगी, किन्तु साधारण मामलों में अल्पतम ही धन में दिया जावे। अपने अधीनस्थों के व्यय पर अपनी प्रवृत्ति पर निगरानी रखी जाकर उसका दमन किया जावे।

(2) लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक को इनाम तब तक नहीं दिया जाना चाहिये जब तक कि कोई मामला विशेष रूप से कठिन या जटिल न रहा हो और अभियोजन अधिकारी को इनाम देने के लिये यह पर्याप्त कारण नहीं है कि अन्वेषणकर्ता कर्मचारी मण्डल द्वारा भली प्रकार तैयार किए गए मामले का परिणाम न्यायालय में सफल अन्त निकला। परीक्षा आपत्तियों को न्यूनतम करने के लिए, अधिकारियों को, आबकारी और जुये के मामलों के सिवाय रेन्ज उप-महानिरीक्षक की मन्जूरी के बिना इनाम नहीं दिया जाना चाहिये।

---

1. शा०आ०सं० 1461 पी०/आर०अनु० 6-1558/70 दिनांक 16-5-1972.

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अधीन गिरफ्तारियों के परिणाम में होने वाली चुश्त गिरफ्तारियाँ उचित रूप से पुरस्कृत की जा सकेंगी, परन्तु साधारणतया दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के मामले में कोई इनाम नहीं दिया जाना चाहिए। यदि अन्वेषणकर्ता अधिकारी इस धारा के अधीन मामलों का अभियोजन करने में खर्चे जेब से व्यय करे, तो भरपाई की दृष्टि से मामला उप-महानिरीक्षक के ज्ञान में लाया जाना चाहिए।

(4) किसी अधिकारी को "सामान्य अच्छे कार्य" के लिए ही नहीं, परन्तु विशेष कार्य या विशेष कौशल के लिए जैसे अच्छी गिरफ्तारी, अच्छी खोज या किसी विशेष अवसर पर अच्छी सेवा के लिए ही इनाम दिया जाना चाहिये। वार्षिक अस्त्र चालन और बन्दूक चालन प्रतियोगिता में निशानेबाजी में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिये नकद इनाम भी स्वीकार है। जब कभी किसी मामले का पता लगे, इनाम नियत परिपाटी के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए। या न वे साधारण कर्तव्यों के कुशल या निर्वहन यथा अच्छी भर्ती के लिए रिजर्व निरीक्षकों या प्रशिक्षणाधीन रंगरूटों को नियत परिपाटी के अनुसार, प्रशिक्षण के लिए इनाम नहीं दिया जाना चाहिये, ऐसे इनाम उन्हीं रंगरूटों को दिया जाना चाहिये जो प्रशिक्षण के दौरान विशेष अभिरुचि और असाधारण कुशाग्रता और दक्षता दर्शायें।

(5) प्रशिक्षण में रंगरूटों को दैनिक परिपाटी में इनाम नहीं देना चाहिये। ऐसे इनाम न केवल ऐसे रंगरूटों को दिया जाना चाहिये जो प्रशिक्षण काल में विशेष योग्यता और अलौकिक तीव्र बुद्धि और दक्षता प्रदर्शन करते हों।

467. वर्ग (ग) के इनाम प्रान्तीय अनुदान से, जिससे जिलों को वार्षिक आबंटन किया जाता है, भुगताये जाते हैं। दोनों शीर्षों (1) गुण सम्पन्न सेवा और (2) विशेष सेवाओं, के अधीन चौकीदारों को अनुदत्त इनामों के वितरण पृथक् से बनाये रखे जाना चाहिये। नियत कर्तव्यों के तत्काल और स्फूर्तियुक्त कार्य सम्पन्नता के लिए चौकीदारों को इनाम देने की आवश्यकता पर दृष्टिक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

शीर्ष (1) के अधीन अच्छे सेवा के विशिष्ट कार्य या ऐसी वरीयता आयेगी, जिसके सदृश्य कार्यों के लिए पुलिस बल के सदस्य के पद (ख) के इनाम पाते, शीर्ष (2) के अधीन सामान्य अच्छे कार्य, जन्म और मरण की अच्छी रिपोर्ट देना, दुश्चरित्रों की गतिविधियों को तत्काल रिपोर्ट देना, हिस्ट्री-शीट के व्यक्तियों और अपराधी जन-जातियों के सदस्यों की निगरानी, विशेष रेलगाड़ियों की रक्षा करना, मेलों और उत्सवों में सड़कों की निगरानी करना, आयेंगे। पुलिस अधीक्षक एक अवसर पर एक व्यक्ति के लिए किसी भी शीर्ष के अधीन अधिकतम 20 रुपये की राशि तक इनाम मंजूर करने के लिए सशक्त है। इससे अधिक बड़े व्यक्तिगत इनामों के लिए उप-महानिरीक्षक की मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।

प्राप्तकर्ताओं को तुरन्त भुगतान किया जावे और यदि राजपत्रित अधिकारी द्वारा या उसकी उपस्थिति में भुगतान न किया जावे, तो उनके थाने के परिदर्शन करने वाले प्रथम राजपत्रित अधिकारी उनसे यह निश्चय कर लेना चाहिये कि उन्होंने धन प्राप्त कर लिया है, शीर्ष (2) के अधीन इनाम मुक्त रूप से दिए जावें। जिले के आबंटन को पूर्ण रूप से व्यय किया जावे और इसके किसी भाग को बचत के रूप में अन्य शीर्षों को अन्तरित न किया जावे। चौकीदारों को इनाम देने के लिये अतिरिक्त अनुदान के आवेदन पत्रों पर सहानुभूति से विचार किया जावेगा।

468. वर्ग (क), (ख) या (ग) का कोई इनाम पुलिस अधीक्षक के लिखित आदेश के बिना नहीं भुगताये जावेंगे। अधीक्षक का प्रवाचक विहित रूप में इनाम का रजिस्टर बनाये रखेगा। वह इनाम नामावली से रजिस्टर के स्तम्भ 1 से 5 भरेगा और उस रजिस्टर को पुलिस अधीक्षक के पास

पेश करेगा, जो प्रविष्टियों की इनाम नामावली से तुलना करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। मास में दो या तीन बार रजिस्टर लेखपाल को सौंपा जावेगा जो उस दिन तक के आद्योपान्त इनामों के लिये जो बिल तैयारी के दिनांक तक मन्जूर किये गये हों, इनाम देयक (बिल) तैयार करेगा। रजिस्टर के अन्तिम स्तम्भ में वह बिल का नम्बर और दिनांक, निकाली गई राशि और उपलब्ध सवभष अंकित करेगा।

469. उन इनामों की दशा में, जिनके लिये उप-महानिरीक्षक या उच्चतर प्राधिकारी की मन्जूरी अपेक्षित हो, इनाम रजिस्टर से एक संक्षेप प्रारूप नं० 227 में दो प्रतियों में मन्जूर करने वाले प्राधिकारी को अग्रेषित किया जावेगा। यदि आवेदन मन्जूर हो जावे, मन्जूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित एक प्रति जिले को लौटा दी जावेगी और मूल रूप में उस आकस्मिक बिल के, जिसमें कोषालय से इनाम की धनराशि निकाली गई हो, संलग्न कर दी जावेगी। अधीक्षक सब-डिवीजन के भारसाधक, सहायक या उप-अधीक्षक से, न्यायालयों से और निरीक्षकों और थानेदारों से इनाम के लिये सिफारिशें प्राप्त करेगा। ऐसी सिफारिशों के साथ केस डायरी या अन्य कागजात रहना चाहिए और अधीक्षक को, इसके पूर्व कि वह इनाम रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को चिन्हित करे, उसे अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि इनाम औचित्यपूर्ण है। प्रत्येक मामले में मन्जूर किये गये कुल इनाम अधीक्षक द्वारा इनाम रजिस्टर में शब्दों में लिखे जाने चाहिए।

470. वर्ग (घ) सभी इनाम चरित्र नामावली प्रविष्टियाँ करने में समर्थ बनाने, और अभिलेख तथा वार्षिक प्रविवरण के प्रयोजनों के लिये इनाम रजिस्टर में दर्शाये जाने चाहिये, परन्तु अधीक्षक को इन्हें अपने हाथ से प्रविष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य विभागों द्वारा दिये गये वर्ग (घ) के इनाम पुलिस अधीक्षक को विवरण के लिये भेजे जाने चाहिए। धनराशि को रोकड़ में जमा किया जाना चाहिए और तब साधारण रीति से वितरण किया जावे।

पुलिस अधीक्षक को भेजी गई धनराशि लेखाओं से उक्त प्रयोजन के लिये आकस्मिक धन के रूप में होता है और कोषालय में निक्षेपित किये जाने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यह प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के अन्दर वितरित कर दिया जावे। न्यायालय द्वारा पुलिस को मन्जूर किये गये इनामों की दशा में, हाईकोर्ट जनरल रूल्स (क्रिमिनल) 1911 के अध्याय नौ नियम 7 यह अपेक्षा करती है कि न्यायालय उसे "पुलिस से प्राप्तियाँ" के रूप में कोषालय में निक्षेप कर दें और पुलिस अधीक्षक को धन वापस लौटाने का प्रमाणक अनुदत्त करने की व्यवस्था करें जो जमा होने के सत्यापन के पश्चात् कोषालय द्वारा ग्रहण और सम्मानित किया जावेगा। ऐसे इनाम भी पुलिस अधीक्षक द्वारा उनकी प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर वितरित कर दिये जाना चाहिये।

टीप—(1) भारतीय आयुध अधिनियम, 1959 का 54वाँ के अधीन मामलों में न्यायालय द्वारा पुलिस या अन्य व्यक्तियों को भुगताये गये इनामों की दशा में, मन्जूर करने वाला न्यायालय अपेक्षित धनराशि का एक बिल तैयार करेगा, और कोषालय को प्रस्तुत करेगा तथा "पुलिस से प्राप्तियों" से अन्तरण द्वारा शीर्ष "27-एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस-क्रिमिनल कोर्ट्स-रिवार्ड्स अन्डर दि आर्म्स एक्ट" में नामे और शीर्ष "उन्नीस-पुलिस-मिस्लेनिअस-अदर मिस्लेनिअस रिसीप्ट्स" में तदनुरूप जमा के द्वारा धन प्राप्त करेगा। तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक न्यायालय से वापसी का प्रमाणक प्रस्तुत करेगा, जो कोषालय द्वारा जमा होने के सत्यापन के पश्चात् स्वीकार और सम्मानित किया जावेगा। इस प्रकार इनाम दिये गये व्यक्तियों में वितरण करने के लिये कोषालय से निकाली हुई धनराशि "29-पुलिस डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव फोर्स-रिवार्ड्स" पर प्रभारित की जावेगी। पुलिस अधीक्षक इनामों का, उनकी प्राप्ति से एक माह के भीतर वितरण करेगा, और देखेगा कि पुलिस के प्राप्तकर्ताओं को चरित्र नामावली में इनामों के तथ्य प्रविष्ट किये गये हैं। इस टीप में अभिव्यक्ति "पुलिस

अधीक्षक, में, कुमाऊँ डिवीजन में राजस्व पुलिस को भुगतान योग्य इनामों के सम्बन्ध में, नैनीताल, गढ़वाल और अल्मोड़ा के उप-आयुक्त सम्मिलित होंगे।

(2) सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अधीन अपराधों की दोषसिद्धि पर जुर्माने की वसूली से प्राप्त धन शीर्ष ''इक्कीस-ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस-जनरल फीस, फाइन्स और फोरफीचर-मजिस्ट्रेट फाइन्स और फोरफीचर्स'' में प्रादेशिक राजस्व में जमा किया जावेगा। ऐसे मामलों में अच्छी सेवाओं के लिये पुलिस अधिकारियों को-कोई इनाम पुलिस बजट शीर्ष 92 से भुगतान किये जावेंगे।

471. पुलिस अधिकारियों को प्राइवेट व्यक्तियों या कम्पनियों से नीचे इनाम प्राप्त नहीं करना चाहिए। इन साधनों से प्राप्त इनाम तथा पुलिस अधिकारियों की सेवाओं के लिये भुगतान किया गया धन और वे सभी इनाम, समपहरण, शास्तियाँ या उन इनामों समपहरण और शास्तियाँ के वे भाग, जो विधि के अनुसार सूचना देने वाले को, जब सूचना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई हो भुगतान योग्य हो शीर्ष ''उन्नीस-पुलिस मिस्लेनिअस-अदर-मिस्लेनिअस रिसीप्ट्स'' में जमा करने के लिये कोषालय में पुलिस अधीक्षक द्वारा भुगतान दिये जावें।

जब धन कोषालय में जमा कर दिया जावे, तो उसके समान राशि पुलिस बजट के शीर्ष ''23 पुलिस नान प्लान बी डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव फोर्स (ए) डिस्ट्रिक्ट पुलिस रिवार्ड्स'' से निकाली जाकर सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों में वितरण की जा सकेगी। निक्षेप के समय बिना पूर्ति की गई शर्तों पर निक्षेपित किये गये इनामों के, उदाहरणार्थ जब कोई प्राइवेट व्यक्ति या कम्पनी चोर की गिरफ्तारी या चोरी गई वस्तु की पुनः प्राप्ति के लिये इनाम का प्रस्ताव करे, मामले में भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जावेगा। (1) उस शर्त की पूर्ति न होने, जब जनता के किसी सदस्य द्वारा कोई इनाम सशर्त रूप से निक्षेप किया गया हो या (2) जनता को प्रदाय की गई पुलिस के अतिरिक्त व्यय भार के मामले में वापसी के कारण प्रभार शीर्ष ''उन्नीस-पुलिस-डिडक्ट-रिफन्ड्स'' में नामे डाले जावेंगे। प्रभारी की ऐसी सभी मदों के जाम किये जाने के समर्थन में बिल के नगद भुगतान करने के पूर्व कोषालय अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जावेगा। यदि प्रदेश में कोई शासक, राजकुमार या अन्य कोई विशिष्ट परिदर्शक, किसी अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को धन के रूप में न होने वाला उपहार, कोई उपहार देने की इच्छा करे, संबंधित अधिकारी को उपहार में दी गई वस्तु ग्रहण कर लेना चाहिये, परन्तु तत्काल पश्चात् उसे अपने पुलिस अधीक्षक को सौंप देना चाहिये जो मामले को पुलिस महानिरीक्षक को निर्देशित करेगा। पुलिस महानिरीक्षक उस वस्तु को संबंधित अधिकारी द्वारा रखे जाने की मंजूरी देगा, जब तक कि पर्याप्त कारण से (यथा उसके अत्यधिक मूल्य) वह उसके पास रखे जाने को अस्वीकार करने के कारण न देखें। बाद वाली दशा में, मामले को सरकार को आवेश के लिये निर्देशित किया जावे।

472. मेले की निधि, से मेले में कर्त्तव्यरत पुलिस के रुकने के भत्ते के उपलक्ष में पुलिस अधिकारियों को भुगतान योग्य धन और निजी मनोरंजनों के लिये प्रदाय किये जाने के कारण वसूल किये गये धन के भाग को इनाम रजिस्टर में प्रविष्ट करने की आवश्यकता नहीं है और उसके बारे में आफिस मैन्युअल के पैरा 158 में निर्धारित रीति से व्यवहार किया जावे।

473. ज्योंही किसी ऐसे मामले में, स्थानीय से अधिक महत्व के होने वाले या जिसमें यह कल्पना करने का कारण हो कि अपेक्षित व्यक्ति ने जिले का परित्याग कर दिया है, के मामले में जब कोई (क) श्रेणी का इनाम प्रस्तावित किया जावे, अपराध अन्वेषण विभाग की अपराध शाखा के पुलिस अधीक्षक को क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन गजट में प्रकाशन के लिए एक अधिसूचना भेजी जावेगी।

474. लिपिकीय कर्मचारी मण्डल के सदस्य इनाम प्राप्त करने के लिए प्राइवेट व्यक्तियों की रीति की भांति अहर्य है। उन्हें, उनके द्वारा अपने लिपिकीय कर्तव्य से साधारण क्रम में किये गये कार्यों के लिए कोई इनाम नहीं दिये जा सकते।

रिजर्व लाइन के अध्यापक पुलिस इनाम अनुदान से इनाम प्राप्त करने के लिये अर्ह नहीं है। असाधारण परिस्थितियों में अपवाद के रूप में किये गये अच्छे कार्यों के लिये महानिरीक्षक की मंजूरी से ''मानदेय'' के अनुदान के लिए फाइनेन्शियल हैंड बुक, जिल्द दो देखिये।

475. ''क'' श्रेणी का भत्ता प्राप्त करने वाले अशिक्षित कान्सटेबिल को एक अच्छे कार्य की पट्टी दी जावेगी। कान्सटेबिलों को अन्य अच्छे कार्यों की पट्टियाँ नहीं दी जावेंगी।

476. ग्राम चौकीदारों को सदाचरण की पट्टियों और भत्ते देने के लिए निम्नलिखित नियम शासित करते हैं—

(1) अपने कर्त्तव्य के निर्वाह में विशेष रूप से प्रशंसनीय आचरण के लिए ग्राम चौकीदार को अधीक्षक द्वारा एक अवसर पर एक या दो सदाचरण पट्टियाँ दी जा सकती हैं।

(2) ऐसी दो पट्टियाँ धारण करने वाला व्यक्ति अपने वेतन के अतिरिक्त आठ आने मासिक या भत्ता प्राप्त करने के लिये अधिकारी होगा।

(3) अधिकतम भत्ता दो रुपये आठ आने हैं।

(4) सदाचरण पट्टियाँ वर्दी की बाई बाँह के अन्तिम सिरे से तीन इंच ऊपर और एक दूसरे से चौथाई इंच दूर, धारण की जावेंगी। वे बाँह के चारों ओर चौड़े लाल रंग के वस्त्र की चौड़ी प्रत्येक आधा इंच होगी।

(5) दण्ड के रूप में सदाचरण की पट्टियाँ और भत्ते का समपहरण करने का आदेश दिया जा सकता है।

(6) सदाचरण पट्टियों और भत्तों के अनुदान के सभी अनुदान और उनको वापस लेने के सभी आदेश, चौकीदार की अपराध नोट बुक में, अंग्रेजी में किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा एक संक्षिप्त टीप बनाते और हस्ताक्षरित करते हुये, प्रविष्ट की जावेंगी।

(7) भत्तों पर कुल व्यय बजट के उपबन्ध से अधिक नहीं होना चाहिये।

अध्याय 32

पुलिस अधिकारियों को विभागीय दण्ड और उनका आपराधिक अभियोजन

477. इस अध्याय के अधीन नियम पुलिस एक्ट (1861 का पाँचवाँ) की धारा 7 के अधीन बनाए गये हैं और पुलिस एक्ट (1861 का पाँचवाँ) की धारा 2 के अधीन नियुक्त किये गये पुलिस अधिकारियों पर ही लागू होते हैं। उस धारा के अधीन नियुक्त किया गया कोई अधिकारी, किसी कार्यपालिका आदेश द्वारा दण्डित नहीं किया जावेगा।

राजपत्रित अधिकारियों को दिये जाने वाले दण्ड सेक्रेट्री आफ स्टेट से हुये उनके करार गवर्नमेन्ट आफ इंडिया एक्ट, 1919 की धारा 96-ख की उपधारा (2) के अधीन परिषद् सहित सेक्रेट्री आफ स्टेट के द्वारा बनाए गये नियमों के द्वारा विनियमित किए जाते हैं। लिपिकीय कर्मचारी मण्डल को

दण्डित करने के नियम आफिस मैन्युअल में और ग्राम के चौकीदारों के बारे में इन विनियमों के नवें अध्याय में दिये गए हैं।

टिप्पणी

(1) **सामान्य**—पुलिस एक्ट की धारा 7 स्वयं अपने में किसी जाँच की व्यवस्था नहीं करता, बल्कि यह निर्धारित करता है कि अनुशासनिक कार्यवाही उन नियमों के अनुसार होगी जिन्हें राज्य सरकार बनायेगी।

अध्याय 32 यह व्यवस्था देता है कि धारा 7 पुलिस एक्ट में दण्ड देने के लिये विभागीय कार्यवाही की जाय।[1]

(2) **राजपत्रित अधिकारियों के नियुक्ति प्राधिकारी**—राज्य के श्रेणी 1 के राजपत्रित अधिकारियों के नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं अतएव इनको दण्ड देने के भी प्राधिकारी वे ही हैं। पुलिस विनियम केवल पुलिस के अराजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारियों पर लागू हैं। मगर राज्यपाल ने अपने नियंत्रण के अधीन संबंधित विभागाध्यक्षों को, उनके अधीन कार्य कर रहे श्रेणी 2 के अधिकारियों को क्षुद्र दण्ड देने के अधिकार हस्तांतरित किये हैं। ये क्षुद्र दण्ड हैं। (1) परिनिन्दा (Censure), (2) वेतन वृद्धि तथा दक्षता अवरोध, या (3) उनके वेतन से, उनके उपेक्षा या आदेश भंग के कारण राज्य को हुई आर्थिक क्षति की वसूली। ये व्यवस्था यू० पी० क्लास 2 सर्विसेज (इंपोजिशन आफ माइनर पनिशमेंट) रूल्स, 1973 में दिए हैं जिसे शासकीय विज्ञप्ति सं० 22/1/72 नियुक्ति-3, दिनांक 21-7-73 द्वारा प्रकाशित किया गया है। (कृपया इन्हीं प्रकाशक के मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स देखें)

(3) **प्रशासनिक नियंत्रण का अर्थ**—प्रशासनिक एवं अनुशासनिक से अर्थ है उनके कार्य संबंधित विषय का अव्यवहित पर्यवेक्षण जिसमें उनसे उत्तर माँगना, निलंबन करना, क्षुद्र दण्ड (उपरोक्त) देना निहित है। प्रशासनिक नियंत्रण में, उन अधीनस्थ अधिकारियों का, जो नियंत्रण अधिकारी के प्रति उत्तरदायी है और जिन पर उनके आदेश व निदेश पालन करने का दायित्व है, नियंत्रण व विनिमय करना सम्मिलित है, जैसा कि जयपाल सिंह नरेश *बनाम* राज्य[2] में स्पष्ट किया गया है।

(4) **मार्गदर्शन के सिद्धान्त**—इस विनियम के प्रावधान अपने में एक पूर्ण संग्रह हैं और अनुशासनिक अधिकारी जो अपने अधिकारी के अन्दर विनियमित व नियंत्रित करने को अधिकृत हैं, दण्ड दे सकता है। अनुशासनिक कार्यवाही के लिये पुलिस एक्ट और विनियम पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सेवा नियोजन के दौरान किये गये कार्यों तक के लिये ही सीमित नहीं हैं। अनुशासनिक अधिकारी को अपने जाँच में निष्कर्ष उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित करना है और वह आरोपित अधिकारी के ऊपर अन्य रीति से आरोप अवधारित करने को मुक्त नहीं है। धारा 7 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही एक न्यायिक कल्प (Quasi judicial) स्वरूप है और इसमें उत्प्रेषण आदेश हो सकता है। अध्याय 32, 33 भेदकारक नहीं है और सेवाच्युति तक इसमें निहित है। सिविल सर्विस रूल्स के प्रावधान अधीनस्थ पुलिस दल पर लागू नहीं है।[3]

---

1. महेन्द्र सिंह *बनाम* राज्य, ए०आई०आर० 1956 इला० 96 : 1955 ए०एल०जे० 643.
2. 1976 क्रि०ला०ज० 32 इला०.
3. ए०आई०आर० 1959 इला० 569.

सेवाच्युति व सेवा से हटाया जाना, दोनों में अंतर है। सेवाच्युति में सामान्यतया व्यक्ति भविष्य में सेवा के अयोग्य माना जाता है पर सेवा से हटाये जाने पर सामान्यतया यह मान्यता न होगी।[1] यदि राज्य सेवक का कथन है कि किसी नियम के उपेक्षा से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो उसे इसे सिद्ध करना होगा।[2]

(5) उत्तराधिकारी अधिकारी कार्यवाही करने में सक्षम है—किसी पुलिस अधीक्षक या इकाई के सेनानायक का, आरोपित पक्ष को कारण बताओ नोटिस देने के बाद, स्थानांतरण हो जाय तो उत्तराधिकारी बिना फिर से कारण बताओ नोटिस जारी किए, आदेश पारित करने में सक्षम हैं, मगर अवमुक्त करने वाला अधिकारी भी उसी पद का होना चाहिये। यदि उप अधीक्षक पुलिस या सहायक अधीक्षक पुलिस पदोन्नति पर स्थानापन्न अधीक्षक का कार्य कर रहे हों तो उन्हें पद परिवर्तन के कारण फिर से कारण बताओ नोटिस देना होगा।

(6) सेवा से निवृत्ति के बाद अनुशासनिक कार्यवाही—पैरा 351 सेन्ट्रल सर्विस रूल्स के अन्दर सेवानिवृत्ति के बाद भी, नियत अवधि के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। शा०आ०सं० 1014/आठ कार्मिक-3-50(2)/60, दिनांक 19-2-70 इसे स्पष्ट करता है। पुलिस के नियम में सरकारी क्षति की वसूली दण्डकोटि में नहीं आती और वसूली कारण बताओ नोटिस देकर की जा सकती है।

(7) अनुशासनिक कार्यवाही और पुलिस विनियम—सरकार को यह विशेषाधिकार है कि उ०प्र० अनुशासनिक कार्यवाही (प्रशासनिक अधिकरण) नियमावली, 1974 के नियम 10 के अन्तर्गत अधिकरण के सिफारिश के अनुकूल दण्ड का आदेश पारित करे, पर पुलिस अधिकारी के लिए, जो पैरा 490 पु० रे० अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं, ऐसा आदेश पारित करने की बाध्यता नहीं है। उक्त दोनों परिस्थिति में पुलिस अधिकारी (आरोपित) को यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 311 (2) में कारण बताओ नोटिस पर, राज्यपाल या सक्षम अधिकारी के तुष्टिपरक उत्तर, उसके विरुद्ध प्रस्तावित अनुयोजन पर दे। उक्त दोनों समूह की प्रक्रिया में अन्तर हो सकता है, पर दोनों अनुच्छेद 311 (2) का बचाव उपलब्ध है।

पैरा 490 भी अधिकरण के नियम 8 व 9 की तरह कार्यवाही में अनुपालन करने की प्रक्रिया देता है। दोनों प्रावधानों में होने वाली जांच साक्ष्य एवं प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकता से बाध्य नहीं है पर केवल सुनी गई शहादत विश्वसनीय नहीं मानी जायेगी और साध्या (Equity) तथा स्वाभाविक न्याय के नियमों का पालन होगा।

(8) लोक सेवा अधिकरण के सामने दावा—कोई कर्मचारी अपने सेवा सम्बन्धी मामले में अपने मालिक के उस कार्य के विरुद्ध, जो सेवाशर्तों, अनुच्छेद 16 व 311 या सेवा नियमों के पुष्टि में न हों, उ०प्र० लोक सेवा अधिकरण में जा सकता है पर इससे पूर्व विभागीय समस्त उपचारों को निःशेष करना पड़ेगा। अधिकरण का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकित हो सकता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 व 227 में सभी न्यायालयों पर अधीक्षण के अधिकार है।

पुलिस एक्ट के धारा 7 के प्रारम्भिक शब्द ही संकेत देते हैं कि जो नियम पुलिस वालों पर लागू होंगे। वे इसी एक्ट के अधीन बनेंगे,सिविल सर्विस रूल्स में कोई प्रावधान नहीं है जो इसे अधीनस्थ

---

1. 1976 (2) एस०एल०आर० 186 सु०को०.
2. आर०सी० शर्मा *बनाम* भारत सरकार, 1976 (2) एस०एल० आर० 265 सु०को०.

पुलिस दल के सदस्यों पर लागू होने को कहे, क्योंकि पुलिस एक्ट के प्रावधान और धारा 7 के अधीन लागू पुलिस विनियम पदच्युति के प्रश्न को पूर्णतया आवरण देते हैं और इसमें भेद दृष्टि नहीं है।[1]

कानून के निबन्धन को पालने से वंचित रहने व केवल नियमों के पालन से वंचित रहने में स्पष्ट अन्तर है। सेवक की पदच्युति जो नियमों में दी गयी प्रक्रिया के पूर्ण अवहेलना से हुई हो, उसे राज्य के विरुद्ध संदोष पदच्युति के लिए किसी हर्जे के वाद का अधिकार नहीं देता।[2]

दण्ड

478. पुलिस एक्ट की धारा 2 के अधीन नियुक्त किये गये सभी अधिकारी निम्नलिखित विभागीय दण्डों के दायित्वाधीन रहते हैं—

(क) पैरा 481 में यथापरिभाषित बल से पदच्युति या निकाल दिया जाना,

(ख) पैरा 482 में यथापरिभाषित पदावनति,

(खक) पदोन्नतियों का रोक लिया जाना,

(खख) दक्षता अवरोध पर रोक दिये जाने को सम्मिलित करते हुये वेतन वृद्धि का रोक लिया जाना,

(खग) चरित्र नामावली में दुराचरण की प्रविष्टि (दिनांक 6 अप्रैल, 1968 का उ० प्र० गजट),

प्रधान कान्सटेबिल और कान्सटेबिलों को—

(ग) पन्द्र दिवस से अधिक की न होने वाली समयी अवधि के लिए निवेष (क्वार्टरी में अवरोध) (इस परिभाषा में क्वार्टर गार्ड भी सम्मिलित है,

(घ) दाण्डिक व्यायाम (ड्रिल),

(ङ) अतिरिक्त प्रहरी कर्त्तव्य, से भी दण्डित किये जा सकेंगे।

कान्सटेबिलों को—

(च) थका देने वाला कर्त्तव्य जो निम्नलिखित कार्यों तक ही निर्बन्धित होना चाहिये—

(1) डेरा गाड़ना,

(2) नाली खोदना,

(3) घास काटना, जंगल और परेड के स्थल से पत्थर बीनना,

(4) झोपड़ियों और बन्दूक के कुन्दों की मरम्मत तथा लाइन में इसके समान अन्य कार्य करना,

(5) आयुधों को साफ करना।

से भी दण्डित किया जा सकेगा।

478-ए. पैरा 478 में अंकित दण्ड (क) और (ख) केवल विभागीय कार्यवाही के पश्चात् ही दिया जा सकता है, देखिए पैरा 490 से 494। (खक) से सम्बन्धित आदेश अध्याय तीस के अधीन पारित किये जा सकते हैं और (खख) से सम्बन्धित, यथास्थिति पैरा 463 या पैरा 482-क में यथाउपबन्धित रूप से पारित किए जा सकते हैं।

(खग) में अंकित दण्ड, सम्बन्धित अधिकारी को यह कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् कि क्यों न प्रस्तावित दुराचरण की प्रविष्टि उनकी चरित्र नामावली में की जावे, दिया जा सकेगा।

---

1. मुख्यार सिंह *बनाम* राज्य, ए०आई०आर० 1959 : ए०एल०जे० 96.

(खग) में अंकित दण्ड तब दिया जा सकता है जब पैरा 490 से 494 के अनुसार विभागीय कार्यवाही (क), (ख), (ख क) और (ख ख) में अंकित दण्डों में से एक दिये जाने के लिये मूलत: प्रारम्भ की गई हो और दण्ड देने वाला प्राधिकारी अन्तत: प्रथम को ही कम गम्भीर दण्ड के रूप में देना पर्याप्त समझे।[1]

टिप्पणी

शा०आ०सं०12978/आठ-का०-11/68, दिनांक 1-8-69 में यह स्पष्ट है कि विनियम के पैरा 490 या 478-अ किसी में दी प्रक्रिया के अनुसार पुलिस कर्मचारी को दिया गया दुश्चरित्र अभिलेख धारा 7 पुलिस एक्ट के अन्दर कृत कार्यवाही है। पैरा 486 (3) में निदेश है कि धारा 7 में विभागीय कार्यवाही के पूर्व प्रारम्भिक जांच करा ली जाय इसलिये उक्त प्रक्रिया को अपनाने के पूर्व, कारण बताओ नोटिस जारी होने वाले मामले में भी प्रारम्भिक जांच होनी चाहिये।

जहाँ दुश्चरित्र प्रविष्टि देने के लिये कारण बताओ नोटिस दी गई हो, उसमें या तो वह दण्ड दिया जाय या आरोप मुक्त कर दिया जाय, जैसा कि अभिलेख दर्शाता हो, पर इसके एवज में उसके निजी पत्रावली पर तंबीह का दिया जाना अवैध होगा, क्योंकि पैरा 478 पु०रे० में यह दण्ड नहीं माना गया है।

दण्ड देने सम्बन्धी प्रक्रिया, उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली, 1991 के नियम 4, 5, 6, 14 एवं 15 में दी गयी है।

अधिकारों की शक्तियाँ

479. (क) गवर्नर के पास सभी अधिकारियों के निर्देश में दण्ड देने की शक्ति सुरक्षित है।

(ख) महानिरीक्षक, निरीक्षकों और उससे निम्नतर पंक्ति के सभी अधिकारियों को दण्डित कर सकता है।

(ग) उप-महानिरीक्षक उसके अधीन अस्थाई या स्थाई रूप से होने वाले निरीक्षक की या उससे निम्नतर पंक्ति के सभी अधिकारियों को दण्डित कर सकता है।

(घ) पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ अस्थाई या स्थाई निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों को पदच्युत करने या निकाल देने के सिवाय दण्ड दे सकता है। ऐसे किसी मामले में, जिसमें बल की किसी शाखा के किसी निरीक्षक या उप-निरीक्षक को पदच्युत करना या निकाल देना वह प्रस्तावित करे, पुलिस उप-महानिरीक्षक को नीचे दिये गए पैरा 490 के उप पैरा 8 अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार अग्रेषित कर दिया जाना चाहिये।

(ङ) अपने अधीनस्थ अस्थाई और स्थाई सभी प्रधान कान्सटेबिलों को अधीक्षक दण्डित कर सकता है।

[2](च) पैरा 491 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये (क) सभी ऐसे स्थाई सहायक पुलिस अधीक्षक जिन्होंने 4 वर्ष की सेवा पूरी कर ली जो और सभी ऐसे स्थाई पुलिस उप-अधीक्षक जिन्होंने प्रथम दक्षता अवरोध वेतन मान में जो उन पर लागू हैं, पर कर लिया हो, और (2) पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा, जहाँ तक कि उसकी रेन्ज से सम्बन्धित हैं, विशेष रूप से प्राधिकृत किये गये अन्य सभी सहायक पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक के दण्ड से सम्बन्धित शक्तियों और मूल नियम 24 और 25 के अधीन शक्तियों के अतिरिक्त जैसी कि वे इस पैरा के उप पैरा (घ) और (ङ) में वर्णित हैं, पुलिस अधीक्षक की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

---

1. दिनांक 6 अप्रैल, 1968 का उ०प्र० गजट.
2. शा०आ०सं० 3294/8-अ-333-59, दि० 3-8-1980.

(छ) रिजर्व निरीक्षक लाइन में पदस्थ किये गये किसी कान्सटेबिल को अधिकतम तीन दिनों के लिये व्यायाम और थका देने वाले कर्त्तव्यों का दण्ड दे सकता है, परन्तु उसके आदेश रिजर्व लाइन्स के कार्यालय से चौबीस घन्टे के भीतर पुलिस अधीक्षक को सम्पुष्टि के लिये प्रेषित कर दिये जावेंगे।

टिप्पणी

(1) **पुलिस अधीक्षक के अधिकार**—पैरा 479 (सं०) हेड कान्सटेबिल को दण्डित करने को पुलिस अधीक्षक को अधिकृत करता है। उप पैरा (ई) पुलिस अधीक्षक को पुलिस का प्रमुख परिदर्शित करता है और पुलिस अधीक्षक (नगर) या पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) उस श्रेणी में नहीं आते। अधिकारों का प्रदान समकक्ष श्रेणी नहीं देता और अनुच्छेद 311 पदच्युति का दण्ड देने की अनुमति केवल प्रधान के समकक्ष या उनसे वरिष्ठ अधिकारी को देता है, पुलिस अधीक्षक (नगर) द्वारा प्रदत्त उक्त दण्ड अनुच्छेद 311 के उल्लंघन में है।[1]

(2) **जब अनुशासनिक अधिकारी निष्कर्ष से सहमत न हों**—जब जाँच कर्त्ता अधिकारी ने केवल श्रेणी में पदावनत करने की सिफारिश की तो पुलिस अधीक्षक के असहमति और अधिकतम दण्ड देने पर, *रामनाथ सिंह* बनाम *राज्य*[2] ने यह निर्णय दिया कि उन्हें उपाधीक्षक के सिफारिश के पूर्ण अवहेलना में दण्ड देना उनकी अधिकारिता में नहीं था, लेकिन यह मत विशेष अपील सं० 175/64 राज्य बनाम रामनाथ सिंह, निर्णीत दिनांक 23-10-64 में बदल दिया और यह माना कि पुलिस विनियम में उक्त निर्णय को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई आधार नहीं है और यह निर्णय दिया कि जब पुलिस अधीक्षक ने अनुच्छेद 311 में कारण बताओ नोटिस देकर अवसर दिया तो कर्मचारी को पदच्युत करना उनके अधिकारिता में है। पदच्युति से यह प्रवाहित होता है कि सेवा से हटाना और राज्य के पुनर्सेवा में आने पर रोक होना। दण्ड के प्रकार में सेवा से हटाये जाने का स्पष्ट उल्लेख न करने से, पदच्युति इतना गम्भीर आदेश पारित करने के बजाय सेवा पृथक् किये जाने का आदेश पारित करने का अधिकार अधिकारी को विपथ नहीं करता।[3]

(3) **पुलिस अधीक्षक एवं अन्य शाखाओं के अधिकारियों के अधिकार**—विज्ञप्ति संख्या 2380/आठ-7-217/72, दिनांक 17-7-73 गृह (पु० 9) से राज्यपाल ने जिला पुलिस अधीक्षक के पद के समकक्ष उन सभी पुलिस अधीक्षकों को बताया जो सी० बी०, सी० आई० डी० मुख्यालय पर हैं और इनके अन्य शाखाओं में हैं जैसे अपराध शाखा, प्रशासनिक शाखा, अर्थ सूचना एवं अनुसंधान शाखा, वैज्ञानिक शाखा और विशेष अनुसंधान शाखा (को-आपरेटिव कक्ष) जिससे वे अपने आधिकारिक क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक के समस्त कर्त्तव्यों का पालन कर सकें। शा०आ०सं० 1795-7-273-72, दिनांक 4-7-74 से इसे और परिमार्जित किया। उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान के इंसपेक्टर की धारा 161, 165 या 165-ए, द० वि० के अपराधों और धारा 5 पी०सी० एक्ट में बिना मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से आदेश लिये विवेचना करने का अधिकार विज्ञप्ति सं० 1796/उन्तालीस-वी०जी०एल०-100/1965, दिनांक 16-9-65 द्वारा दिया गया है।

(4) **पुलिस अधीक्षक के कर्त्तव्यों का पालन**—राज्य सरकार ने शा०आ०सं० 1801/आठ-ई-1070/62, दिनांक 20-4-68 द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक नगर और ग्रामीण को जिला पुलिस अधीक्षक के समस्त कर्तव्य का पालन करने को अपने आधिकारिक क्षेत्र के लिए अधिकृत किया है मगर इससे वे कान्सटेबिल के नियुक्ति अधिकारी नहीं हुये ना ही उन्हें हटाने,

---

1. 1977 (3) ए०आर०.
2. 1964 ए०एल०जे० 31.
3. 1975 ए०एल०जे० 319.

पदच्युति करने या अवनत करने का अधिकार मिला। ए०आई०आर० 1970 सु०को० 122 में पुलिस अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक में कोई वास्तविक अन्तर नहीं माना है और *राज्य* बनाम *लक्ष्मीनारायन*[1] में यह स्पष्ट किया कि "जिला पुलिस अधीक्षक" से यह अर्थ आता है कि पुलिस का प्रशासन उसमें निहित है मगर इसमें वे नहीं हैं जो जिला पुलिस अधीक्षक के कुछ या सभी कर्त्तव्यों का पालन करते हों। पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा अपने में पुलिस अधीक्षक के पद का अधिकार ग्रहण करके हेड कान्सटेबिल को पदच्युत कर देने पर, इस आदेश को इसलिये रद्द माना गया कि उनकी पुलिस अधीक्षक की श्रेणी नहीं है। शासन ने इसे आदेश सं० 2720/आठ-7-89/79, दिनांक 26-9-79 में आगे स्पष्ट किया है। (सेवा विषयक अन्य समस्त आदेशों के लिये इसी प्रकाशन का "मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स" देखें)।

(5) अधिकार और अधिकारिता— पुलिस विनियम का यह पैरा राज्यपाल के महा-निरीक्षक पुलिस के एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा दण्ड दिये जाने के अधिकार के बारे में बताता है। धारा 7 पुलिस एक्ट द्वारा पुलिस महानिरीक्षक एवं अन्य अधिकारियों पर प्रदत्त अधिकार राज्य द्वारा हस्तांतरित न होकर, पृथक् कानूनी अधिकार हैं जो न राज्य के अधिकार को सीमित करता है न प्रतिस्थाई रूप में है।

पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा पुलिस उपाधीक्षक को धारा 7 में जांच करने को दिया गया अधिकार उपाधीक्षक के उस परिक्षेत्र के बाहर स्थानांतरण हो जाने पर समाप्त हो जाता है।[2]

जब किसी विभागीय कार्यवाही में पुलिस उपाधीक्षक के अधिकारिता को किसी अधीनस्थ अधिकारी के समक्ष आक्षेपित नहीं किया गया तो यह आक्षेप याचिका में नहीं उठाया जा सकता।[3] जब उनकी योग्यता और अधिकारिता को, अवसर होने के बाद भी, चलती कार्यवाही के समय आक्षेपित नहीं किया गया तो इस आधार पर पदच्युति का आदेश याचिका में आक्षेपित न होगा।[4]

डॉट-फटकार

480. ये दण्ड तभी आरोपित किये जावेंगे जबकि अनुशासन के हित में नितान्त आवश्यक हो। दण्ड आरोपित या प्रस्तावित करने के पहले अधीक्षक सहायक या उपअधीक्षक या रिजर्व निरीक्षक को यह विचार करना चाहिए कि क्या डॉट-फटकार पर्याप्त न होगी। यह सुनिश्चित करने के लिये डॉट-फटकार की शक्ति का रिजर्व निरीक्षक द्वारा समुचित रूप से प्रयोग किया जाता है, त्रुटि करने वाले की पुस्तक (पुलिस प्रारूप क्रमांक 277) रिजर्व लाइन में बनाये रखी जावेगी। प्रथम और द्वितीय अपराध की दशा में तुच्छ दुराचार इस पुस्तक में प्रविष्ट किये जावेंगे और त्रुटिकर्ता के अंगूठे चिह्न या हस्ताक्षर लिए जावेंगे। केवल सुधार के अयोग्य ही रजिस्टर के साथ पुलिस अधीक्षक को दण्ड के लिए भेजे जावें।

पदच्युति और निकाला जाना

481. पदच्युति का आदेश केवल तब ही पारित किया जावेगा, जब किसी अधिकारी का आचरण उसका बल में रखा जाना अवांछनीय बना देता हो। कठोर कारावास की दण्डाज्ञा के अनुसरण में आवश्यक रूप से ही पदच्युति होना चाहिए और नियम के तौर पर वह अभिरक्षा से किसी बन्दी

---

1. ए०आई०आर० 1965 राज० 5.
2. ए०आई०आर० 1956 इला० 172.
3. ए०आई०आर० 1961 इला० 169.
4. ए०आई०आर० 1962 इला० 114.

को सआशय या असावधानी से बचकर भाग निकलने की अनुज्ञा के लिए दोषसिद्धि के अनुसरण में भी होना चाहिए, चाहे अभियुक्त को जुर्माने का ही दण्ड दिया गया हो। यदि बाद वाले मामले में अधीक्षक पदच्युति का आदेश न दे, उसे रेन्ज के उप-महानिरीक्षक को अपनी कार्यवाही, निर्णय की प्रतिलिपि, सभी विभागीय कागज और सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र नामावली के साथ प्रस्तुत करना चाहिये।

पदच्युति, पदच्युत अधिकारी को सरकारी सेवा में पुनः नियोजित किए जाने से विवर्जित कर देती है, जबकि बल से निकाल देने से यह विवक्षा होती है कि, यद्यपि निकाला गया अधिकारी पुलिस के कर्त्तव्यों के लिये अनुपयुक्त है, किन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि उसे किसी सरकार के अधीन अन्य ऐसे पद पर, जिसके लिए वह उपयुक्त हो पुनः नियोजित होने से रोक दिया जावे।

पदावनति

482. निम्नलिखित नियम पदावनति को शासित करते हैं—

(1) किसी अधिकारी को उस पंक्ति से निम्नतर पर अवनत नहीं किया जा सकेगा, जिस पर वह प्रथम बार सेवा में नियुक्त हुआ हो।

(2) किसी अधिकारी को, इस भावना से कि उसकी सेवायें चाहे कितनी ही गुण सम्पन्न हों, वह पुनः पदोन्नति के अर्ह न होगा, स्थायी रूप से पदावनत नहीं किया जा सकता।

(3) किसी अधिकारी को एक पंक्ति से दूसरी पर या समयमान के एक प्रक्रम से उसी समयमान के निम्नतर प्रक्रम में पदावनत किया जा सकेगा। कान्सटेबिलों को भी जैसा उप पैरा 5 में विहित किया गया है,पदावनत किया जा सकेगा।

(4)(क) जब किसी अवनत किये गये अधिकारी का वेतन पदावनति के बाद समयमान द्वारा विनियमित होता हो, पदावनति का आदेश समयमान में प्रक्रम को विनिर्दिष्ट करेगा, अधिकारी को समनुदेशित किया जावेगा और पदावनति की समयावधि निश्चित है या अनिश्चित।

(ख) यदि पदावनति निम्नतर पंक्ति पर हो और समयावधि अनिश्चित हो, उस पंक्ति के जिस पर वह अवनत किया गया है, समयमान का प्रक्रम उससे निरन्तर नहीं होगा, जिस पर वह अधिकारी पहुँच गया होता यदि वह उस पद पर, जिससे उसे अवनत किया हो, पदोन्नत न किया गया होता। यदि अवनति निम्नतर पंक्ति पर हो और समयावधि निश्चित हो, निम्नतर पंक्ति में कोई भी प्रक्रम विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(ग) यदि अवनति की समयावधि अनिश्चित हो, तो अधिकारी को स्वतः ही अपनी मूल स्थिति पुनः प्राप्त नहीं हो जावेगी।

यदि अवनति की समय, अवधि निश्चित हो, अवनति के आदेश में वह समयावधि विनिर्दिष्ट की जावेगी और वह तीन वर्ष से अधिक लम्बा न होगा। विनिर्दिष्ट निश्चित समयावधि की समाप्ति पर अधिकारी अपने आप अपना अन्तिम स्थान पुनः प्राप्त कर लेगा, किन्तु वह किसी पंक्ति की ऐसी पदोन्नति के लिये अधिकारी न होगा, जिसे उसने अवनति के समय भारसाधक के रूप में प्राप्त किया हो या जिसे वह प्राप्त कर लेता, यदि वह अवनत न हुआ होता।

(5)(क) कान्सटेबिल समयमान में रहते हैं तो जो नियत पदों के चयन वर्ग तक पहुँचता है। कान्सटेबिलों को चयन वर्ग से समयमान पर या समयमान में उच्चतर से निम्नतर

प्रक्रम पर पदावनत किया जाता है, जब कोई कान्सटेबिल चयन वर्ग से समयमान पर अवनत किया जावे, उसका समानुदेशित प्रक्रम उससे निम्नतर न होगा, जिसके लिए सेवा की लम्बाई उसे समयमान में अधिकारी बनाती हो और अवनति की कोई समयावधि विनिर्दिष्ट नहीं की जावेगी। कान्सटेबिल चयन वर्ग में पुनः चयन किये जाने के लिये अर्ह होंगे यदि उसका आचरण चयन के लिये गुणयुक्त हो, समयमान में एक प्रक्रम से, निम्नतर प्रक्रम पर अवनति के मामले में अवनति की समयावधि विनिर्दिष्ट समयावधि की समाप्ति पर कान्सटेबिल समयमान का वह प्रक्रम पुनः प्राप्त कर लेगा, जिस पर वह पहुँच गया होता, यदि अवनत न हुआ होता।

(ख) इसके अतिरित कान्सटेबिलों को निम्न प्रकार से भी अवनत किया जा सकता है—

(1) "क" श्रेणी से "ख" श्रेणी में।

(2) पदोन्नति के लिए अर्ह कान्सटेबिलों की सूची में विनिर्दिष्ट किसी निम्नतर में, और

(3) (एक) और (दो) का संयोग।

(ग) पदोन्नति के लिये अर्ह कान्सटेबिलों की सूची में निम्नतर स्थिति में अवनत किया गया कोई कान्सटेबिल अध्याय तीन के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुये, जब उसकी दुबारा बारी आवे पदोन्नति के लिए विचार किये जाने को अर्ह होगा।

(6) जब कान्सटेबिल की पंक्ति से ऊपर का कोई अधिकारी कान्सटेबिल की पंक्ति पर अवनत किया जावे, उसकी अवनति का आदेश देने वाला प्राधिकारी कान्सटेबिल के उस समयमान को बतायेगा, जिस पर उसे समानुदेशित किया गया है और यह वर्णन भी करेगा कि उसे "क" या "ख" श्रेणी में दी गई है। प्राधिकारी को यह बताना चाहिये कि उसे पदोन्नति के लिए अर्ह सिपाहियों की सूची में कौन-सा स्थान आबंटित किया जावेगा।

(7) विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए अवनति के परिणामस्वरूप होने वाली रिक्तियाँ केवल प्रभारी रूप से ही भरी जावेंगी। अन्य रिक्तियाँ स्थायी रूप से भरी जावेंगी।

टिप्पणी

(1) प्रत्यावर्तन और पदावनति में अन्तर—पदावनति को प्रत्यावर्तन से सुभिन्न रखना है। दोनों में थोड़ा मगर स्पष्ट अन्तर है। पदावनति में घटाकर या उतारकर पुनः उसके मूल स्थिति पर ला देना है पर प्रत्यावर्तन में उसकी पूर्व स्थिति पर वापस लाना है। पहले में दण्ड सम्मिलित है पर दूसरे में यह आवश्यक नहीं क्योंकि प्रत्यावर्तन इस पैरा में दण्ड में नहीं है और यहाँ पदावनति का विस्तार दिया है। जहाँ दण्ड रूप में ही प्रत्यावर्तन हुआ हो उसमें, पदावनति का भाव आयेगा।

(2) प्रत्यावर्तन दण्ड स्वरूप या अन्यथा—प्रत्यावर्तन दण्ड स्वरूप या अन्य कारणों से भी हो सकता है। जब पदच्युति, सेवा से हटाना या श्रेणी से पदावनति दण्ड रूप में किया जाता है तो आदेश को संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रतिबन्धों के अनुसार करना है। जब सेवक को किसी पद या श्रेणी पर रहने का अधिकार होता है और आदेश के फलस्वरूप उसके वेतन आदि में क्षति, स्थायी श्रेणी में ज्येष्ठता की हानि, भविष्य के पदोन्नति की सम्भावना में रुकावट या टालना आती हो तो उसे दण्ड माना गया है। परीक्षण कालीन या स्थानापन्न तैनाती चाहे स्थायी या अस्थायी पद पर हों, उस पद के लिए कोई अधिकार नहीं देता, पर जब सेवक के दुराचरण, उपेक्षा या अयोग्यता के कारण दण्ड रूप उसके प्रत्यावर्तन का आदेश हो, तो संविधान के अनुच्छेद 311 का खिंचाव होता है। जब प्रत्यावर्तन का आदेश अपने साथ कोई कलंक या दण्ड की भावना नहीं रखता तो यह एक न्यायोचित आदेश है।

परीक्षण कालीन अधिकारी को उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने के लिए कारण बताओ नोटिस की आवश्यकता नहीं है। स्थानापन्न उपनिरीक्षक के प्रत्यावर्तन का आदेश पुलिस उप-महानिरीक्षक दे सकते हैं, और यह आदेश प्रारम्भिक जाँच कराने के बाद, मगर कोई कारण दिये बिना, हो सकता है। इस विषय पर प्रमुख निर्णय *पी०एल० ढींगरा* बनाम *भारत सरकार*[1] और *राज्य* बनाम *सुधर सिंह*[2] हैं।

जहाँ न्यायालय ने पदावनति के आदेश को अवैध घोषित कर दिया वहाँ वेतन के मार्ग पर घोषणा आवश्यक नहीं जो परिसीमा में है। सरकार को वाद के साम्या (Equity) पर विचार करके सहायता देना चाहिये जिसके लिये न्यायालय प्रचारित है।[3]

482-ए. दण्ड के रूप में वेतन वृद्धि रोक लेने का प्रत्येक आदेश उस समयावधि का कथन करेगा जिसके लिए वह रोकी गई हो, ऐसी समय अवधि एक वर्ष से अधिक न होगी और केवल वर्णित समय अवधि के लिए वृद्धि को स्थगित करने का प्रभाव रखेगी।

दृष्टान्त

एक उपनिरीक्षक वेतनमान 65-2-95 दक्षतावरोध 2-2 1/2, 120 रु० में 67 रु० प्राप्त करता है और उसकी आगामी वेतन वृद्धि 1 जनवरी, 1947 को देय होता है। एक आदेश उसकी वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिए रोके जाने का एक दिसम्बर, 1946 को पारित किया जाता है। पूरे वर्ष 1947 में, वह केवल 67 रुपये प्राप्त करेगा, किन्तु 1 जनवरी, 1948 से वह 71 रुपये प्राप्त करेगा।

एक कान्सटेबिल 20 रुपये प्राप्त करता है और 1 जनवरी, 1949 से 21 रुपये और 1 जनवरी, 1952 से 22 रुपये उसे देय होते हैं। 1 दिसम्बर, 1949 को उसकी वृद्धि एक वर्ष के लिए रोकने का आदेश पारित किया जाता है। वह 1 जनवरी, 1950 तक 20 रुपये प्राप्त करना जारी रखेगा और उस दिनांक से वह 21 रुपये प्राप्त करेगा। वह 1 जनवरी, 1952 से 22 रुपये प्राप्त करेगा।

वेतन वृद्धि रोक लेने की प्रक्रिया, विभागीय कार्यवाही के पश्चात् दण्ड स्वरूप के अतिरिक्त पैरा 463 में उपबन्धित की गई है।

टिप्पणी

यदि दण्ड के कारण वार्षिक वृद्धि नहीं रोकी गई है मगर इसके अलावा अकारण रोकी गई है तो इसे भी दण्ड के कोटि में ही माना जायेगा।[4] इससे पहले भी *मृत्युन्जय सिंह* बनाम *उ० प्र० सरकार*[5] में भी यही निर्णय हुआ है।

प्रक्रिया

483. पैरा 500 में अन्तर्विष्ट विशेष उपबन्धों और गवर्नर के द्वारा किसी विशिष्ट मामले में, पारित किए किन्हीं विशेष आदेशों के अध्याधीन रहते हुए, किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही में—

(क) मजिस्ट्रेट या पुलिस द्वारा जांच जिसके अनुसरण में आगे कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता दर्शायी जावे,

(ख) न्यायिक विचारण, या

---

1. ए०आई०आर० 1958 सु०को० 36.
2. 1975, 347.
3. सकलदीप सहाय *बनाम* भारत सरकार, 1974 (1) एस०एल०आर० 471 : 1974 एस०एल०डब्ल्यू०आर० 66 सु०को०.
4. भगवान स्वरूप *बनाम* म्युनिसिपल कारपोरेशन, 1977 ए०एल०जे० 160.
5. ए०आई०आर० 1971 इला० 214.

(ग) विभागीय जाँच या निरन्तर दोनों, का समावेश होगा।

(क) जाँच

484. किसी विशिष्ट मामले में जाँच की प्रकृति में अपराध की प्रकृति के अनुसार भिन्नता होगी। यदि दण्ड प्रक्रिया संहिता की द्वितीय अनुसूची के अनुसार अपराध संज्ञेय या असंज्ञेय हो और उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त की जावे, यह दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये—

(1) मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जाँच कर सकता है या उसके लिये आदेश दे सकता है,

या

(2) पुलिस के द्वारा अन्वेषण किए जाने का आदेश दे सकता है।

यदि जिला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना प्राप्त की जावे, और वह अपराध का संज्ञान ले ले, उसे उस मामले की रिपोर्ट तत्काल जिला मजिस्ट्रेट को करना चाहिए, जो उस मामले को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 408 से 412 के अधीन अपने न्यायालय में वापस ले लेगा। जिला मजिस्ट्रेट तब उस प्रकार कार्य कर सकता है मानो कि मूलतः परिवाद उसी को किया गया था।

इस शक्ति का विस्तार पुलिस एक्ट की धारा 29 के अधीन मामलों पर होता है, परन्तु इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच का प्रत्येक अत्यन्त असाधारण परिस्थितियों में आदेश दिया जावेगा।

टिप्पणी

पैरा 483 व 484 मजिस्ट्रेट के जाँच की अधिसम्भावना करता है, *सुरेन्द्र बहादुर* बनाम *राज्य*[1] में यह निश्चय हुआ कि रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि के आरोप के दावे में जिला मजिस्ट्रेट उप-निरीक्षक के विरुद्ध धारा 202 जा०फौ० के अधिकार का प्रयोग करके मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किये जाने का आदेश दे सकते हैं।

485. जब मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच का आदेश दिया जावे वह दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार की जावेगी और जबकि न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति तक या जब तक कि मामला आगामी निपटारे के लिए उसे न सौंप दिया जावे, पुलिस अधीक्षक का उससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहेगा, किन्तु उसे जाँच करने वाले मजिस्ट्रेट को ऐसी कोई भी सहायता देना चाहिए, जो उससे विधिपूर्वक माँगी जा सकती हो और यदि पैरा 496 के अधीन यह आवश्यक हो जावे तो उसे अभियुक्त को निलम्बित कर देना चाहिए।

486. जब किसी पुलिस अधिकारी पर आरोपित कोई अपराध केवल एक्ट की धारा 7 के अधीन ही अपराध होता हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कोई जाँच नहीं हो सकती। ऐसे मामलों में, अन्य मामलों में जब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच का आदेश न हो जावे, जाँच निम्नलिखित नियमों के अनुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देशन के अधीन होगी—

(एक) पुलिस अधिकारी द्वारा किसी संज्ञेय अपराध किए जाने के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सूचना से प्रथम दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय बारहवें के अधीन, व्यवहार किया जावेगा, विधि के अनुसार सम्बन्धित थाने में उपयुक्त धारा के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया जावेगा, परन्तु यह कि—

---

1. ए०आई०आर० 1962 इला० 456 : 1962(2) क्रि०ला०ज० 454.

(1) यदि प्रथम बार, मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना प्राप्त की गई और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को अग्रेषित की गई हो, पुलिस द्वारा कोई मामला रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जावेगा,

(2) यदि सूचना प्रथम बार पुलिस द्वारा प्राप्त की जावे, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर दी जावेगी और उसको अग्रेषित करते समय पुलिस अधीक्षक अपने स्वयं के हाथ से अन्वेषण के बारे में क्या पग उठाये जा रहे हैं, या उससे बचने के लिए कारणों को अंकित करेगा,

(3) जब तक कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157(1)(ख) के अधीन पुलिस अधीक्षक द्वारा अन्वेषण करना अस्वीकार न कर दिया जावे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 159 के अधीन उसका आदेश न दिया जावे या जब तक जिला मजिस्ट्रेट धारा 159 के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा जाँच का आदेश न दे, अन्वेषण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के अधीन पुलिस अधीक्षक द्वारा चुने गये और आरोपित अधिकारी से उच्चतर पुलिस अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

(4) अन्वेषण की समाप्ति पर और इसके पूर्व कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173-क द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट तैयार की जावे, यह प्रश्न कि आरोपित अधिकारी को विचारण के लिए दिया जावे या नहीं, पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्णीत किया जावेगा, परन्तु इसके पूर्व कि उस अधिकारी को, जिसकी पदच्युति के लिए पैरा 479 के अधीन उप महानिरीक्षक का सहमति अपेक्षित होता है, पुलिस अधीक्षक के द्वारा विचारण के लिए भेजा जावे, उप-महानिरीक्षक की सहमति प्राप्त कर ली जानी चाहिए।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 या धारा 169 के अधीन आरोप-पत्र या अंतिम रिपोर्ट, जैसी कि स्थिति हो, जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जावेगी, यदि पुलिस अधीक्षक या उप-महानिरीक्षक के अभियोजन के विरुद्ध निर्णय लिया हो, ऐसे निर्णय के कारणों की एक टीप पुलिस अधीक्षक द्वारा अंतिम रिपोर्ट पर पृष्ठांकित या उसमें संलग्न की जावेगी।

(6) जब अभियोजन संस्थापित न करने का कारण यह हो कि आरोप के निराधार होने का विश्वास किया जाता है, कोई आगामी कार्यवाही आवश्यक न होगी। यदि आरोप के सत्य होने का विश्वास किया जावे, और साक्ष्य के अपर्याप्त समझे जाने के कारण या अन्य किसी कारण से अभियोजन न किया जावे, जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली जावे, पुलिस अधीक्षक पैरा 490 में यथानिर्धारित विभागीय कार्यवाही कर सकता है।

(दो) जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा असंज्ञेय अपराध की (पुलिस एक्ट की धारा 29 के अधीन अपराध को सम्मिलित करते हुए) सूचना प्रथम अवस्था में पुलिस को दी जावे, पुलिस अधीक्षक, यदि वह कार्यवाही करने के लिए कारण देखे या तो (क) इस पैरा के शीर्ष तृतीय और पैरा 490 में यथानिर्धारित विभागीय कार्यवाही कर सकता है, या (ख) उसके विकल्प के रूप में या विभागीय कार्यवाही के किसी प्रक्रम में, जिला मजिस्ट्रेट को

एक रिपोर्ट इस निवेदन के साथ कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1) (ख) के अधीन संज्ञान ले, अग्रेषित कर सकता है, परन्तु यह कि पुलिस अधिकारियों द्वारा असंज्ञेय अपराध किये जाने की रिपोर्ट की (जब पुलिस को की जावे, और जब तक कि संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा औपचारिक पुलिस अन्वेषण की इच्छा करने के विशेष कारण न हों) साधारणतया विभागीय रूप से जाँच की जावेगी और जब तक कि विभागीय जाँच पूरी जाँच न हुई हो, केवल तभी और साधारणतया नहीं, जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किये जावेंगे जब तक कि आपराधिक अभियोजन वांछनीय न हो। और या तो ऊपर निर्धारित रीति से पुलिस अधीक्षक द्वारा या प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (ख) और (ग) के अधीन निर्धारित रूप से सूचना प्राप्त होने पर, जिला मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय चौदह के सामान्य उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुये—

(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 56 के अधीन आगे बढ़ा सकेगा।

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच या पुलिस के द्वारा अन्वेषण के लिए या धारा 155 के अधीन पुलिस के द्वारा अन्वेषण के लिए आदेश देगा।

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के अधीन आगे कार्यवाही करने से निषेध करेगा।

यदि पुलिस के द्वारा अन्वेषण किये जाने का आदेश दिया जावे, वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 (3) के अधीन आरोपित अधिकारी से उच्चतर पंक्ति के पुलिस अधीक्षक के द्वारा चुने गये अधिकारी से कराये जाने का होगा और आगे की सभी कार्यवाहियाँ ठीक वैसी ही होंगी जैसी कि संज्ञेय मामलों के बारे में उपरोक्त पैरा 486 (1), (4), (5) और (6) में निर्धारित की गई है।

यदि पुलिस के द्वारा अन्वेषण के लिए जाने का कोई आदेश न दिया जावे, और जिला मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के पूर्व या पश्चात् मामले में आपराधिक रूप से आगे कार्यवाही करने से निषेध कर दे, पुलिस अधीक्षक उपरोक्त पैरा 486-एक (6) में वर्णित किये गए सिद्धान्त के अनुसार और पैरा 494 में समाविष्ट आदेशों के अध्याधीन रहते हुए, वह निर्णय करेगा कि क्या पैरा 490 के अधीन विभागीय कार्यवाहियाँ अपेक्षित हैं।

(तीन) उसको दी गई सूचना पर या अपने स्वयं ज्ञान या शंका पर कि उसके अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी ने पुलिस एक्ट की धारा 7 के अधीन या कोई ऐसा असंज्ञेय अपराध (पुलिस एक्ट की धारा 29 के अधीन अपराध को सम्मिलित करते हुए) किया है, जिसकी रिपोर्ट उपरोक्त नियम दो के अधीन लिखित रूप से जिला मजिस्ट्रेट को उस प्रक्रम पर अग्रेषित करना वह अनावश्यक समझे, पुलिस अधीक्षक कार्यवाही करने के कारण देखे, तो वह आरोप की सत्यता की परीक्षा करने के लिए पर्याप्त होने वाली विभागीय जाँच करेगा या आरोपित अधिकारी से पंक्ति में ज्येष्ठ होने वाले अधिकारी से करवायेगा। इस जाँच की समाप्ति पर वह यह निर्णय करेगा कि क्या कोई आगामी कार्यवाही आवश्यक है और यदि ऐसा हो, तो क्या आरोपित अधिकारी का विभागीय विचारण किया जाना चाहिए या क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन संज्ञान लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को संचारित कर देना चाहिए, परन्तु यह कि किसी निरीक्षक या उप-निरीक्षक के विरुद्ध पुलिस एक्ट की धारा 29 या किसी विधि को असंज्ञेय धारा के अधीन अपराध के लिए आपराधिक रूप से अग्रसर होने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट को संचारित किये जाने के पूर्व, उप-महानिरीक्षक की सहमति प्राप्त कर ली जानी चाहिए। धारा 29 के अधीन अभियोजन यदा-कदा हो और केवल तभी किया जावे जब कि उसके साथ धारा 7 के अधीन समुचित रूप से व्यवहार न किया जा सकता हो।

टिप्पणी

(1) जाँच का अर्थ—जाँच का अर्थ सदैव न्यायिक जाँच नहीं होता। इसका अर्थ इसके प्रयुक्त संदर्भ पर निर्भर है। इस पैरा के उप पैरा 3 की यह मन्शा नहीं है कि किसी अधीनस्थ के विरुद्ध कोई गुमनाम शिकायत मिले तो उसे समाप्त करने के पूर्व, यह जानने के लिये कि उसमें कोई सत्यता भी है, पुलिस अधीक्षक बाध्य नहीं है कि संबंधित अधिकारी की उपस्थिति में सुनवाई के साज-सज्जा के साथ जाँच करे। यह प्रक्रिया अनेक मामलों में संबंधित अधीनस्थ के सम्मान को अनिष्ट पहुँचा सकती है, वह उसे परेशान कर सकती है, जैसा कि *मोहम्मद उमर* बनाम *महानिरीक्षक पुलिस*[1] में पाया गया। इसलिये ऐसे में जाँच कराने का अर्थ मात्र इतना है कि पुलिस अधीक्षक को निजी संतोष हो जाय जो प्रश्न पर निर्णय लेने में सहायक हो सके कि मामला समाप्त कर दिया जाय या उस पर आगे कार्यवाही की जाय और की जाय तो क्या?

(2) मजिस्ट्रेट के जाँच के बाद विभागीय कार्यवाही—पैरा 486 ऐसे वाद में लागू नहीं होता जिनमें मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच होने के बाद पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हुई। यह स्थिति पैरा 489(2) के अंदर आती है।[2] *राज्य* बनाम *अयोध्या प्रसाद* में, उक्त स्थिति में पुलिस को और भी शिकायत मिली या सी०आई०डी० ने आगे जाँच की मगर मजिस्ट्रेट के जाँच व विभागीय सुनवाई में वस्तु-विषय एक ही था इसलिये अन्य जाँच का प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता, यह माना गया।

(3) पुलिस अधीक्षक का विवेक—पुलिस अधीक्षक को ऐसे विषय पर अपना विवेक है पर यह इतना असीम नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के विरोध में हो। यदि पुलिस अधीक्षक धारा 157(1)(बी) जा०फौ० में विवेचना नहीं कराते तो जिला मजिस्ट्रेट धारा 159 जा०फौ० में इसका आदेश दे सकते हैं, और मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच का भी आदेश दे सकते हैं। विवेचना समाप्ति के बाद धारा 173 जा०फौ० में रिपोर्ट लगाने के पूर्व पुलिस अधीक्षक को इस प्रश्न पर निर्णय लेना है कि सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में सुनवाई हो या नहीं, इस स्तर पर अन्तिम निर्णय के पूर्व उन्हें पुलिस उप-महानिरीक्षक से परामर्श लेना चाहिये क्योंकि पदच्युति के लिये उनकी सहमति आवश्यक है। यदि पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध वाद न्यायालय में नहीं भेजना है तो कारण सहित एक आख्या वे जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजेंगे। धारा 173 में लगी अन्तिम रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत होगी। (1975 में शासन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत अन्तिम रिपोर्ट को विधिक मान लिया है, अस्तु इनके द्वारा भी अन्तिम रिपोर्ट स्वीकृत होती है)। इस स्वीकृति के बाद ही विभागीय कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार करना है और *मोहम्मद उमर* बनाम *महानिरीक्षक पुलिस*[3] में स्पष्ट हुआ कि पुलिस अधीक्षक विवेक से यह देखेंगे कि आरोप की प्रकृति क्या है, इसके समर्थन में साक्ष्य क्या है, पुलिस अधिकारी किसके अधीनस्थ है तथा विभाग के मान और प्रतिष्ठा पर उनके निर्णय का क्या प्रभाव होगा।

---

1. ए०आई०आर० 1957 इला० 67 : 1957 ए०एल०जे० 603.
2. 1961 (1) क्रि०ला०ज०794 : ए०आई०आर० 1961 सु०को० 773.
3. ए०आई०आर० 1957 इला० 767.

(4) विवेचना भी रोकी जा सकती है—सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुये कि यदि किसी विवेचना को, जिसमें अपराध का होना पाया गया है, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करके रोक दिया जाय तो अपराध दण्डित न हो सकेगा जो समाज के घोर अहित में होगा और न्याय का कारण ही आहत होगा, यह विचार व्यक्त किया है कि इससे यह नहीं कहा जा सकता कि जाँच को आवश्यक रूप से चलने के लिये स्वीकृति दी ही जाय और न्यायालय जाँच के स्तर पर उसे रोक नहीं सकेगी। *पश्चिम बंगाल सरकार* बनाम *स्वपन कुमार गुहा*[1] में न्यायालय ने सभी सम्बन्धित तथ्यों पर विचार करके और यह संतुष्टि होने पर कि किसी अपराध का होना प्रकट नहीं होता, विवेचना में हस्तक्षेप करते हुये, अनुच्छेद 226 के अधिकार में उस वाद के प्र० सू० पत्र एवं चल रही विवेचना को रद्द घोषित करते हुये आगे होने वाली जाँच को रोक दिया।

(5) पैरा 486 के प्रावधान आदेशात्मक और इसकी सीमा—नियम की एक ही धारणा केवल यह नहीं है कि पुलिस अधीक्षक केवल सूचना संग्रह करें, बल्कि अधीनस्थ अधिकारी के हितों की भी रक्षा करें जिसके विरुद्ध कार्यवाही होती है। जब प्रावधान विवेचना करने के बाद ही विभागीय कार्यवाही की व्यवस्था देता है तो बिना विवेचना कराये कार्यवाही अवैध होगी क्योंकि वह इस आदेशात्मक प्रावधान के प्रतिकूल होगा व पारित आदेश भी अवैध होगा।

पुलिस विनियम के नियम प्रशासनिक निदेश नहीं है और अपने में पूर्ण संग्रह है जो पुलिस अधिकारियों के नियुक्ति की व्यवस्था देते हैं तथा सेवा से हटाये जाने की प्रक्रिया बताते हैं, इसलिये प्रक्रिया, कानून और नियमों के अनुकूल होना चाहिये। कानून के अन्दर बने नियमों को उसी प्रकार लेना चाहिए गोया वे कानून में ही हैं और उनका उतना ही प्रभाव है जितना कानून का, जब तक कि वे कानून के असंगति में न हों।

संसद या राज्य विधान सभा सेवा के प्रतिबन्धों को नियमित बनाने का कानून बनाते हैं जिसमें अनुशासनिक कार्यवाही विषयक तथ्य भी सम्मिलित है, मगर वे राष्ट्रपति व राज्यपाल के संविधान के अनुच्छेद 310 व 311 में निहित अधिकार को प्रभावित नहीं करेंगे। उचित अवसर दिये जाने के सिद्धान्त और उसकी सीमा को भी वे नियमित करेंगे मगर यह भाग न्यायालय के पुनर्विचार के अधीनस्थ होगा जैसा कि *राज्य* बनाम *बाबूराम उपाध्याय*[2] में आया है।

जहाँ प्रथम-दृष्टा में सेवक द्वारा किसी हस्तक्षेपीय अपराध के करने का साक्ष्य नहीं है वहाँ धारा 7 को विभागीय कार्यवाही सक्षम होगी व अध्याय 12 जा०फौ० की आवश्यकता न होगी और इस पैरा से आदेशात्मक प्रावधान लागू न होंगे जैसा कि 1963 ए०एल०जे० 1036 में स्पष्ट है।

यदि पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे अपराध का किया जाना कहा जाता है जो प्रसंज्ञेय अपराध है तो पुलिस रेगुलेशन का पैरा 486 (1) आकर्षित होता है और बिना उस प्रावधान का अनुपालन किये पुलिस अधीक्षक द्वारा उपधारा (3) में कार्यवाही नहीं कर सकेंगे तथा ऐसी कार्यवाही निरस्त होगी।[3]

उस पैरा (2) के नियम के बाद भी मजिस्ट्रेट धारा 190 जा०फौ० में प्रसंज्ञान ले सकते हैं क्योंकि कोई नियम जो कानून के विपरीत होगा वह अवैध होगा, भले ही उसकी मान्यता अधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु प्रशासनिक आदेश के रूप में रहे।[4]

---

1. ए०आई०आर० 1982 सु०को० 949 : 1982 क्रि०ला०ज० 819.
2. ए०आई०आर० 1961 सु०को० 751.
3. 1961 (2) सी०आर०एल०जे० 327(330) इला०.
4. ए०आई०आर० 1965 इला० 415 : 1965 (2) क्रि०ला०ज० 330.

(6) आदेश में कारण दिया जाना चाहिये—जिला मजिस्ट्रेट ने 161 दं०वि०/5(2) पी०सी० एक्ट के मामले में विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दिया मगर न्यायिक सुनवाई न होने के लिए कोई कारण नहीं दिया जिसे *नंदनंदन स्वरूप* बनाम *मजिस्ट्रेट*[1] में पुलिस नियमों के अनुकूल नहीं माना और निर्देश दिया कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्यवाही करें। अपने राज्य के विनियम में यह पुलिस अधीक्षक को निर्णय करना है और कारण देना है कि वाद न्यायालय में चले या कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो। जिला मजिस्ट्रेट को आदेश में विस्तृत कारण नहीं देना है पर आदेश से यह स्पष्ट होना चाहिये कि वह विवेकपूर्ण था।

(7) अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत करने का अधिकारी—इसके प्रावधान आदेशात्मक हैं इसलिये अन्तिम रिपोर्ट को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद ही पैरा 490 के अनुसार विभागीय कार्यवाही होनी चाहिये। विभागीय कार्यवाही से केवल दण्ड का अर्थ नहीं निकलता, और इसमें पुलिस विनियम की सभी कार्यवाहियाँ सम्मिलित हैं।[2] जिला मजिस्ट्रेट उन मजिस्ट्रेटों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्हें अपराध का प्रसंज्ञान लेने का अधिकार है। 1973 के जा०फौ० में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध में प्रसंज्ञान लेने के अधिकारी हुए इसलिये अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने में भी वे ही सक्षम हैं। 490 पैरा के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए शा०आ०सं० यू०ओ० 140/आठ-2, दिनांक 16-6-75 के आधार पर अब जिला मजिस्ट्रेट से पुनः अन्तिम रिपोर्ट पर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रही। विशेष जज भी धारा 161 द०वि० व 5(2) पी०सी० एक्ट के अपराध में प्रसंज्ञान हेतु मजिस्ट्रेट ही हैं तथा उक्त शासनादेश के भावनानुसार उन्हें भी अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिये।

(8) जब पुलिस अधीक्षक को शिकायत मिले—जब पुलिस अधीक्षक को ऐसी शिकायत प्राप्त हो कि उनके अधीनस्थ ने जनता के आधिकारिक सम्बन्धों के सिलसिले में कोई अपराध किया है तो वे जिला मजिस्ट्रेट को इस निर्णय हेतु सूचित करेंगे कि उसमें पुलिस द्वारा विवेचना हो अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा, यदि जिला मजिस्ट्रेट वैसा आदेश नहीं करते तो उसमें विभागीय निस्तारण, कारण दिये जाने के बाद किया जायेगा, मगर जहाँ वाद को न्यायालय भेजना हो, *राज्य* बनाम चरन सिंह[3] में आया है कि जिला मजिस्ट्रेट के स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

(9) प्रावधान स्वीकृति के स्वरूप का नहीं—अभियुक्त को न्यायालय से मुक्ति इस कारण से नहीं मिलेगी कि वाद में इस पैरा के प्रावधान का (जो पंजाब विनियम के पैरा 16.38 के समान है) पालन नहीं हुआ। ये नियम विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं और वाद के न्यायालय जाने के पहले इसमें दिये शर्तों के पालन की बाध्यता नहीं है। ये केवल विभागीय अनुदेश हैं जिनका अर्थ यह नहीं कि वे किसी स्वीकृति या अनुज्ञा के रूप में, वाद के न्यायालय जाने के लिये हैं, न वे जा०फौ० के प्रावधानों का अतिक्रमण कर सकते हैं जैसा कि *राज्य* बनाम *चरण सिंह*[4] में निर्णीत है। इस नियम की भाषा विभागीय कार्यवाही तक सीमित है और यह केवल विभागीय कार्यवाही व दण्ड को नियन्त्रित करने की प्रक्रिया है जैसा कि *बलिराम* बनाम *राज्य*[5] में आया है।

---

1. 1967 क्रि०ला०ज० 1047 पंजाब.
2. 1968 क्रि०ला०ज० 7 : ए०आई०आर० 1968 इला० 20.
3. 1981 (9) एस०एल०आर० 355 सु०को०.
4. 1981 क्रि०ला०ज० 712 सु०को०.
5. 1981 क्रि०ला०ज० 776

(10) संशोधन की आवश्यकता—न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग हो जाने के बाद जिला मजिस्ट्रेट का हस्तक्षेत्रीय अपराध में प्रसंज्ञान लेने व सुनवाई करने का अधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में निहित कर दिया गया और कार्यपालिका के अधिकार उनमें ही स्थित हैं। ये प्रावधान उस समय के हैं जब जिला मजिस्ट्रेट जिला के न्यायपालिका के फौजदारी कक्ष के वादों के प्रधान थे। इस पैरा के प्रावधान में जिला मजिस्ट्रेट के अधिशासी व न्यायिक दोनों अधिकारों के प्रयोग की व्यवस्था है, मगर न्यायपालिका के अलगाव के बाद इसमें तद्रुप संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

487. यदि कोई पुलिस अधिकारी असावधानी से या स्वेच्छापूर्वक किसी बन्दी को बच कर भाग जाने दे, पुलिस एक्ट की धारा 7 के अधीन विभागीय कार्यवाहियाँ सदैव की जानी चाहिये। जब तक कि कोई असाधारण गजट कम करने वाली परिस्थिति न हो, दिया जाने वाला दण्ड पदच्युति होगा। इसके पूर्व किसी विभागीय कार्यवाही में अन्तिम दण्डादेश पारित किया जावे, पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक मामले में रेन्ज के उप-महानिरीक्षक को निर्देशित करना चाहिये कि क्या मौनानुकूलता या आपराधिक असावधानी को प्रकट करने वाला पर्याप्त न हो।

(ख) न्यायिक विचारण

488. प्रधान कान्सटेबिल से वरिष्ठ पंक्ति से पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई आपराधिक आरोप का किसी विभाजित जिलों में न्यायिक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाना चाहिए। अन्यत्र ऐसे मामले का विचारण न्यायिक कार्य का कम से कम चार वर्ष का अनुभव रखने वाले न्यायिक अधिकारी द्वारा किया जावेगा। उस दशा में जबकि अपेक्षित अनुभव वाला न्यायिक अधिकारी उपलब्ध न हो, जिला मजिस्ट्रेट उस मामले को अपनी फाइल में रखेगा या कार्यपालिका अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अन्तरित कर देगा।

(ग) विभागीय विचारण

489. पुलिस एक्ट की धारा 7 के अधीन किसी पुलिस अधिकारी का विभागीय विचारण हो सकता है—

(1) उसका न्यायिक विवरण चाहे हुआ हो या न हुआ हो;

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा जाँच के पश्चात्;

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुलिस अन्वेषण या उपरोक्त पैरा 486 (तीन) के अधीन विभागीय जाँच के पश्चात्।

टिप्पणी

जब जिला मजिस्ट्रेट ने परगना मजिस्ट्रेट को जाँच सुपुर्द किया और परगना मजिस्ट्रेट ने बाद में अपनी जाँच आख्या जिला मजिस्ट्रेट को भेज दी तो उप पैरा (2) के अन्तर्गत चाही गई जाँच पूर्ण हो गई। उप-निरीक्षक के विरुद्ध रिश्वत व दुश्चरित्र के आवेदन में, जो जिला मजिस्ट्रेट को दी गई थी। चल रहे जाँच को रद्द माना गया क्योंकि धारा 202(1) जा०फौ० के प्रावधान व परंतुक का पालन नहीं किया गया था।[1] किसी विभागीय कार्यवाही के लिये यह आवश्यक नहीं है कि मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जाँच में यह निष्कर्ष दिया जाय कि पुलिस अधिकारी के विरुद्ध प्रथम दृष्टा आरोप बनता है।[2]

---

1. ए०आई०आर० 1962 इला० 456 : 1962 (2) क्रि०ला०ज० 454.
2. 1969 ए०डब्ल्यू०आर० 193.

यदि मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच पूर्ण किये जाने के बाद विभागीय कार्यवाही की गई है तो यह पैरा 489(2) पुलिस रेगुलेशन के परिधि में आयेगा, पैरा 486 के अन्तर्गत नहीं।[1]

489-अ. कोई राजपत्रित अधिकारी, जो किसी मामले में अभियोजन साक्षी हो या जिसने उस मामले में पूर्व में प्रारम्भिक जाँच की हो, उस मामले में पुलिस एक्ट की धारा 7 के अधीन कार्यवाही संचालित नहीं करेगा। उस दशा में जबकि वह राजपत्रित अधिकारी स्वयं पुलिस अधीक्षक हो और उस जिले में कोई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक न हो, सम्बन्धित उप-महानिरीक्षक को संचारित किया जावेगा कि वह उस मामले को किसी अन्य जिले में अन्तरित कर दे।

टिप्पणी

अनुशासनिक कार्यवाहीकर्ता को गवाहान के कथन को झुठलाने के लिये अपना स्वयं बयान नहीं देना चाहिये, क्योंकि यह स्वच्छ व्यवहार व न्याय के नियमों की गंभीर अवहेलना और उसका पूर्ण त्याग होगा क्योंकि उनकी शहादत से सेवक के प्रति उस बुद्धिस्थिति का भाव होगा जो न्याय के औचित्य व स्वच्छ व्यवहार पर आघात देगा।[2]

490. न्यायिक विचारण या मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच के परिणामस्वरूप पुलिस अधिक्रारियों के विभागीय रूप से व्यवहार किए जाने वाले मामलों के बारे में विशेष उपबन्ध पैरा 493 और 494, तुच्छ दण्ड वाले मामलों के बारे में पैरा 495 में दिए गए हैं। उन उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, पुलिस अधिकारियों के विभागीय विचारण निम्नलिखित नियमों के अनुसार संचारित किया जाना चाहिये—

(1) प्रारम्भिक जाँच के पश्चात् आरोप का सारांश आरोप-पत्र में लेखबद्ध किया जाना चाहिये जो उतना यथार्थ हो जितना हो सके। आरोप को आरोपित अधिकारी को पढ़कर सुनाया और समझाया जावे, और आरोप-पत्र की एक प्रति उसे दी जानी चाहिये।

(2) तब आरोपित अधिकारी से यह पूछा जावे कि क्या वह उसके विरुद्ध बनाए गए आरोप को स्वीकार करता है या उससे इंकार करता है। उसका उत्तर मौखिक या लिखित हो सकता है, ऐसी नियत के भीतर जिसे पुलिस अधीक्षक युक्तियुक्त समझे और जो लिखित उत्तर की दशा में 48 घन्टे से कम की न हो, पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये। इस प्रक्रम पर आरोपित अधिकारी से कोई विस्तृत स्पष्टीकरण अपेक्षित नहीं है। यदि अधिकारी आरोप स्वीकार कर ले, उसके विरुद्ध किसी अभियोजन साक्ष्य को अभिलिखित करना आवश्यक न होगा। तथापि यदि वह आरोप से मना करे, तो उसकी साक्ष्य अभिलेख पर लाई जानी चाहिये। जितनी की पुलिस एक्ट की धारा 7 के अधीन आरोप को संस्थापित करने के लिए पुलिस अधीक्षक आवश्यक समझे। साक्ष्य या तो मौखिक या लिखित हो सकता है और आरोप के लिए अत्यावश्यक होना चाहिए। यदि, मौखिक हो तो—

(क) यह प्रत्यक्ष हो अर्थात् यदि वह ऐसे तथ्य की हो, जो देखा या अन्य प्रकार से जाना जा सकता हो, तो उस व्यक्ति को जो यह कहे कि उसने उसे देखा या जाना है।

---

1. ए०आई०आर० 1961 सु०को० 773 (775) : 1961 (1) सी०आर०एल०जे० 794.
2. राज्य *बनाम* मोहम्मदनूह, ए०आई०आर० सु०को० 86.

(ख) वह पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपित पक्ष की उपस्थिति में अभिलिखित की जानी चाहिये, जिसे साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति दी जावेगी। आरोपित पक्ष के, आचरण की प्रारम्भिक जाँच में राजपत्रित पुलिस अधिकारियों द्वारा अभिलिखित कथन या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कथन ग्राह्य होंगे और उनके पुनः अभिलिखित किए जाने की आवश्यकता नहीं है यदि वे आरोपित पक्ष की उपस्थिति में साक्षियों को पढ़कर सुनायें और उनके द्वारा स्वीकार कर लिए जावें तथा आरोपित पक्ष को साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर प्रदान कर दिया जावे।

(3)(क) जब आरोप के समर्थन में किसी दस्तावेज पर विश्वास किया जावे, वे प्रादर्श के रूप में साक्ष्य में लाये जावेंगे, और आरोपित अधिकारी को इसके पूर्व कि उससे अपना बचाव करने को कहा जावे, ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति और बिना मूल्य उनकी प्रतियाँ दी जानी चाहिये। दस्तावेजों को तब प्रदर्श के रूप में नहीं रखा जाना चाहिये, जबकि उनकी विषय-वस्तु उपरोक्त नियम 2 (क) और (ख) के अधीन साक्ष्य में अग्राह्य हों, उदाहरणार्थ, अधीनस्थ अधिकारियों को दिये गये साक्षियों के कथन, निष्कर्ष के बारे में रिपोर्ट और ऐसे अधिकारियों के अभिमत साक्ष्य नहीं हैं, और ऐसे कथन और निष्कर्ष प्रदर्शित नहीं किये जावेंगे। तथापि अधीनस्थ अधिकारियों को दिये गये थानों का उपयोग पुलिस अधीक्षक द्वारा साक्षियों को सत्यता की परीक्षा करने के लिए किया जा सकता है, परन्तु ऐसा करते समय, कथनों की प्रतियाँ प्रादर्श के रूप में रखी जावेंगी।

यदि कोई सरकारी सेवक उपरोक्त वर्णित किये गए के अतिरिक्त किसी दस्तावेज या दस्तावेजों की प्रतियों की इच्छा करे, और जाँच करने वाले अधिकारी द्वारा यह दस्तावेजें संगत मानी जावें, उनकी प्रतियाँ उसे प्रतिलिपि का व्यय भुगतान किए जाने पर, दी जा सकेंगी। यदि जाँच करने वाला अधिकारी आरोपित पक्ष के द्वारा अपेक्षित की गई दस्तावेजों को असंगत या कार्यवाहियों के लिए संगत न होने वाली, समझे, वह अस्वीकृति के कारणों को लेखीय रूप में अभिलिखित करते हुए, उनकी प्रतियाँ देना अस्वीकार कर सकेगा।

(ख) लोक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) इस तथ्य के बारे में साक्ष्य कि कोई पुलिस अधिकारी अपने साधनों से बढ़ चढ़कर रहता है, इस दृष्टिकोण के लिए कि वह अवैध पारितोषण प्राप्त करता है, एक प्रबल उपधारणा मानी जावेगी। ऐसे मामलों में सामान्य ख्याति की साक्ष्य, चाहे वह कठोरता से प्रत्यक्ष प्रकार की न हो, ग्रहण की जानी चाहिए।

(घ) औपचारिक प्रकृति की विशेषज्ञ की दस्तावेजी साक्ष्य, दस्तावेज को सिद्ध करने के लिए इन साक्षियों को बुलाये बिना ग्रहण की जा सकेंगी। इसी प्रकार उन प्रादर्शों को, अभियुक्त द्वारा स्वीकार कर लिए जावें, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

टीप—यह पैरा अधिसूचना क्र० 7857/आठ-क-37-65, दिनांक 21 फरवरी, 1969 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(4) यदि, अभियोजन साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात् पुलिस अधीक्षक आरोप में कोई वृद्धि या परिवर्तन करना आवश्यक समझे, वह आरोपित अधिकार को संशोधित आरोप-

पत्र की प्रतिलिपि जारी करेगा और उसे संशोधित आरोप की विवक्षाएँ समझाएगा। तब आरोपित अधिकारी को अभियोजन साक्षियों से, उन बिन्दुओं पर जो आरोप से संशोधन हो जाने के कारण संगत हो गये हों, अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण का एक अवसर दिया जावेगा।

(5) आरोपित अधिकारी को ऐसी नियत समयावधि के भीतर, जो सात दिवस से कम की न हो, जैसी पुलिस अधीक्षक युक्तियुक्त समझे, अपने बचाव का लेखीय कथन फाइल करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिये। इस प्रक्रम पर उससे यह पूछा जाना चाहिए कि क्या वह कोई बचाव साक्षी पेश करेगा या कोई दस्तावेजी प्रादर्श फाइल करना चाहता है। यदि ऐसा हो, तो उसे अपने बचाव के लेखीय कथन के साथ-साथ साक्षियों के नाम और दस्तावेजों का विवरण देना और यह बताना चाहिये कि वह प्रत्येक साक्षी और दस्तावेज से क्या सिद्ध करने की आशा रखता है। यदि पुलिस अधीक्षक यह समझे कि किसी साक्षी की साक्ष्य या दस्तावेज का, जिसे आरोपित अधिकारी अपने बचाव में पेश करने का इच्छुक है, मामले के हेतुक के लिए अत्यावश्यक होना सम्भाव्य नहीं है, वह ऐसे साक्षी को बुलाने से या ऐसी दस्तावेज को उसकी साक्ष्य में पेश करने की अनुमति देना अस्वीकार कर सकता है, किन्तु ऐसी दशा में, उसे ऐसी अस्वीकृति के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करना चाहिए। उसे तब या तो अवशेष साक्षियों को स्वयं बुलाना चाहिए या आरोपित अधिकारी को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि उसे अपना लेखीय कथन या बचाव साक्षी प्रस्तुत करने में क्लेशकर विलम्ब करने के द्वारा कार्यवाही को लम्बा करने की अनुमति नहीं दी जावेगी और यह कि यदि वह नियत दिनांक पर बिना किसी अच्छे कारण के उन्हें पेश करने में विफल रहता है तो उसके बिना मामला अग्रसर होगा।

(6) बचाव के लिखित स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर आरोपित अधिकारी का मौखिक कथन भी पुलिस अधीक्षक द्वारा अभिलिखित किया जाना चाहिए ताकि लेखीय स्पष्टीकरण सम्पुष्ट हो सके या कोई ऐसा बिन्दु स्पष्ट किया जा सके, जैसा आवश्यक समझा जा सके।

(7) तब बचाव साक्षियों के कथन पुलिस अधीक्षक द्वारा अभिलिखित किए जाने चाहिए, जो उनसे किसी भी ऐसे बिन्दु पर, जैसा वह आवश्यक समझे, प्रतिपरीक्षण कर सकता है।

(8) पुलिस अधीक्षक को अपना निष्कर्ष लिखना चाहिये। निष्कर्ष में उसको कड़ाई से अपने आपको आरोप के विषय और अभिलेख पर साक्ष्य तक ही सीमित रखना चाहिए और आरोपित अधिकारी द्वारा प्रतिपादित प्रत्येक पक्ष पर, विवेचना करना चाहिये। विवादित तथ्य के निष्कर्ष पर पहुँचने पर, यदि उसने आरोप को प्रभावित पाया हो, उसे यह निर्णय करने के पूर्व कि कौन सा दण्ड, यदि कोई हो, प्रथम दृष्टि में उपयुक्त होगा, आरोपित व्यक्ति के चरित्र और पूर्व आचरण पर विचार करना चाहिए। यदि पुलिस अधीक्षक का यह विचार हो कि पदच्युत, निकाल दिया जाना या अवनत करना उचित दण्ड है, उसे उन सभी मामलों में, जिनमें उसे ऐसे दण्ड देने की शक्ति प्राप्त है, अपने निष्कर्ष की एक प्रति आरोपित अधिकारी को प्रदाय करना चाहिए और उससे उन दण्डों के आरोपित करने के विरुद्ध, एक युक्तियुक्त समय (एक सप्ताह से कम का न होगा) के भीतर कारण बताने को कहना चाहिए। आरोपित अधिकारी को यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि इसके पूर्व कोई दण्ड आदेश पारित किया जावे, इस सम्बन्ध में उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार किया जावेगा।

(9) उन सभी मामलों में जिनमें पुलिस अधीक्षक निरीक्षकों या उप-निरीक्षकों की पदच्युति या निकाला जाना प्रस्तावित करे, वह इन मामलों को जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से अन्तिम आदेशों के लिए पुलिस उप-महानिरीक्षक के लिए अग्रेषित करेगा।

(10) जब उप-महानिरीक्षक का यह विचार हो कि उपयुक्त दण्ड पदच्युति, निकाला जाना या अवनत किया जाना संभाव्य है, वह पुलिस अधीक्षक के निष्कर्ष की एक प्रति आरोपित अधिकारी को प्रदान करवायेगा और उसी के साथ ही साथ उससे इन दण्डों के आरोपित किये जाने के विरुद्ध कारण बताने को कहेगा।

आरोपित अधिकारी से उसका लेखीय अभ्यावेदन यदि कोई हो, एक सप्ताह से कम की न होने वाली ऐसी नियत समयावधि में जो उप-महानिरीक्षक युक्तियुक्त समझे, प्रस्तुत करने को कहा जावेगा। सभी मामलों में उप-महानिरीक्षक को, अपना निष्कर्ष और आदेश लिखने के पूर्व आरोपित अधिकारी का मौखिक कथन अभिलिखित करना चाहिए।

(11) किसी मामले में, जिसमें पुलिस अधीक्षक का यह विचार हो कि इन नियमों से परे हटना विशेष परिस्थितियों के कारण औचित्यपूर्ण है, उसे अपने निर्णय के कारणों को अभिलिखित करना चाहिये और किसी भी मामले में अपने निष्कर्ष में यह दिखाना पुलिस अधीक्षक का कार्य होगा कि साधारण प्रक्रिया से परे हटने से आरोपित अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(12) इन नियमों के अधीन संस्थापित की गई किसी कार्यवाही में आरोपित अधिकारों का किसी अभिभावक द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जावेगा।

(13) इन नियमों के अधीन पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी या कोई कर्तव्य किसी पुलिस अधीक्षक से वरिष्ठ किसी अधिकारी द्वारा प्रयोग किये जा सकते हैं।

(14) पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस उप-महानिरीक्षक कारणों को अभिलिखित करते हुए, या तो स्वप्रेरणा से या पुलिस एक्ट की धारा 7 के अधीन विभागीय विचारण कर रहे अधिकारी के निवेदन पर, किसी मामले को समानुरूप पंक्ति के किसी अन्य अधिकारी को अन्तरित कर सकता है।

टिप्पणी

(1) **सामान्य नियम**—पुलिस विनियम केवल प्रशासनिक निदेश नहीं हैं और इन्हें लिखित कानून के समान लिया जाना है। इसके आदेशात्मक प्रावधान की अवहेलना किये जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है।[1]

नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त है कि अपचारी कर्मचारी को स्पष्ट शब्दों में जानकारी हो जाय कि (1) आरोप क्या है, (2) आरोप स्थापित होने के लिये कथन क्या है, (3) वह साक्ष्य क्या है जिनसे आरोप सिद्ध होना है, और (4) उसे गवाहों से जिरह करने का अवसर देते हुए उसके उपस्थिति में गवाहान का बयान लिया जाये।[2]

---

1. ए०आई०आर० 1962 इला० 216 : 1962 सी०आर०एल०जे० 547.
2. के०एल० अग्रवाल *बनाम* हि० प्रदेश राज्य, 1979 एल०आई०सी० 112 हि०प्र० (एन०ओ०सी०).

आरोप के प्रति कारण बताओ नोटिस देने में डेढ़ वर्ष का विलम्ब करना समुचित अवसर दिये जाने के बिन्दु पर घातक माना गया है और इस कारण सन्तोषप्रद उत्तर दिये जाने की आशा करना असम्भव है।[1]

विचार करने का अर्थ पूर्वा पर विचार करने से है। यदि प्रत्यावेदन के तथ्यों पर विचार नहीं किया गया और पारित आदेश से यह प्रकट होता है कि मेघ का प्रयोग नहीं किया गया तो इसे विचार किया जाना नहीं माना जायेगा।[2]

यह भली प्रकार निश्चित हो चुका है कि जब तक कोई कार्य का करना या उसका न करना किसी सेवा नियमावली या प्रमाणित स्टैन्डिंग आदेश में वर्णित दुराचरण में नहीं आता तब तक अधिकारी को यह छूट नहीं है कि वह दुराचरण को खोज कर बतावे और कर्मचारी को दण्डित करे। दण्डनीय दुराचरण के आधार का कहीं सन्दर्भ होना चाहिये।[3]

शासकीय निदेशों को सेवा नियमों के साथ पढ़ना चाहिए। इनकी अवहेलना विभाग के अधिकारी नहीं कर सकते।[4]

प्रशासकीय निदेशों को सेवा नियम नहीं कहा जायेगा मगर यदि अधिकारी कुछ सेवकों पर उन्हें लागू करते हैं और कुछ सेवकों को उसके निदेश से वंचित रखते हैं तो सेवक उन्हें अपने प्रति लागू किये जाने के लिये बाध्य करने का अधिकार रखता है।[5]

सेवा मुक्ति के आदेश के विरुद्ध की गई अपील को खारिज करते तथा उक्त को ठीक तथा नियम के अनुसार मानते हुए न्यायालय ने यह अभिव्यक्ति दिया कि अपील निर्णयकर्त्ता अधिकारी नियम में दिये सभी तथ्यों पर मेधा पूर्वक विचार करें कि (1) क्या नियत प्रक्रिया का पालन हुआ है, (2) क्या निर्णय का पत्रावली पर प्राप्त शहादत से समर्थन होता है, और (3) क्या दिया गया दण्ड समुचित एवं उपयुक्त है, और पारित आदेश से यह विदित होना चाहिये कि उन पर विचार किया गया है।[6]

एक सबूत के गवाह को जाँच अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह नैसर्गिक न्याय के नियम का उल्लंघन करता है।[7]

(2) नियम का भंग होना—नियम भंग दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो मूल नियम का जैसे बिना अधिकार के किसी सेवा को पदच्युत करना और दूसरा किसी प्रक्रिया सम्बन्धी नियम का पहली स्थिति में तो आदेश ही रद्द और निष्क्रिय है, पदच्युति विषयक परन्तुक या अनुबन्ध स्वयं कानून का बल रखता है जो अन्य नियमों से सर्वथा भिन्न स्तर पर है जबकि अन्य नियमों के अनेक प्रकार होते हैं व समय-समय पर बदले जा सकते हैं। कानूनी रक्षा-कवच का अत्यन्त सावधानी से पालन होना चाहिये और जो अधिकारी पदच्युति के आदेश देने का कानून अधिकारी नहीं है उसका आदेश अवैध नींव पर है, जहाँ पर प्रक्रिया सम्बन्धित नियम को भंग किया गया है, जैसे विभागीय कार्यवाही के पहले नियमानुसार जाँच नहीं हुई, जिसमें कानून और पवित्रता का आश्वासन है कि दण्ड दुर्भावना या

---

1. मोहन भाई डांगर भाई *बनाम* बाई० बी० जाला, 1980 (1) एस०एल०आर० 324 गुज०.
2. तौहीद हुसैन *बनाम* राज्य, 1982 (2) एस०एल०आर० 602 कल०.
3. श्री रसिकलाल विधाजी भाई *बनाम* अहमदाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन, 1985 (2) एस०सी०सी० 35.
4. प्रेम प्रकाश *बनाम* भारत सरकार, 1985 (2) एस०एल०आर० 757 सु०को०.
5. आर०जी० प्रसाद *बनाम* उत्तर प्रदेश राज्य, 1985 (2) एस०एल०आर० 287 इला०.
6. आर०पी० भाट *बनाम* भारत सरकार, 1986 (1) एस०एल०आर० 470.
7. मोहन चन्द्र *बनाम* भारत सरकार, 1986 (1) एस०एल०आर० 84 म०प्र०.

ऐच्छिक क्रिया से नहीं, बल्कि नियमों के आधार पर होगा, वहाँ दण्ड का आदेश टिक नहीं सकता, मगर इनमें कोई विशेष आयातित संविदा के शर्त नहीं है कि प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का अनादर करके पदच्युति करने के फलस्वरूप राज्य के विरुद्ध सदोष पदच्युति के लिए कोई कार्यवाही की जा सके यह अनुचित होगा कि अधिकारी जिसे अनुशासनिक मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही करने का अधिकार है, उसे अदालत के आदेशों के भय से अपने उचित अधिकार के प्रयोग से रोका जाय।

(3) कार्यवाही अधिकार सीमा—किसी पुलिस अधिकारी पर धारा 7 में विभागीय कार्यवाही करने के लिए न्यायिक जांच के निष्कर्ष पर कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध का बनना पाया जाता है, निर्भर नहीं करता। धारा 7 के विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये मात्र आवश्यकता है कि न्यायिक जाँच को समाप्त हो लेने दिया जाय।[1]

जब फौजदारी विधि में कर्मचारी का अभियोजन हो रहा हो तो विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखने की बाध्यता नहीं है, मगर ऐसा करना औचित्य के हित में अच्छा है। मगर फौजदारी अदालत के निर्णय को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है।[2]

न्यायालय से दण्डित होने के फलस्वरूप जब कर्मचारी को सेवाच्युत कर दिया गया और वह अपील से दण्ड मुक्त हो गया तो विभाग सेवक को पुनः सेवा में स्थित करने के बाद, भिन्न आरोप पर आगे जाँच कार्यवाही कर सकता है, मगर इस स्थिति में सरकारी कर्मचारी निलम्बन की अवस्था में ही माना जायेगा।[3]

यदि दीवानी अदालत ने विभागीय कार्यवाही को नैसर्गिक न्याय के नियम का उल्लंघन करने के कारण तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया है और सरकारी कर्मचारी पुनः पदस्थ कर दिया है तो यह पूर्णरूपेण दोषमुक्त रूप से नहीं माना जायेगा तथा उन्हीं आधार पर कर्मचारी के विरुद्ध दूसरी जाँच करने पर कोई रोक न होगा।[4]

याची को जाँच रिपोर्ट दिए बिना याची का निलम्बन अवैध ठहराया गया।[5]

विभागीय जाँच एवं क्रिमनल प्रोसीडिंग्स विभागीय जाँच को इसलिए नहीं रोका जा सकता कि अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध किसी न्यायालय में क्रिमनल प्रोसिडिंग्स चल रही है। याची के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत न्यायालय में वाद चल रहा था। विभागीय जाँच अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध दुराचार के सम्बन्ध में की जा रही थी। अभिनिर्णीत हुआ कि उक्त जाँच एवं वाद साथ ही साथ चल सकते हैं।[6]

माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णीत किया कि विभाग द्वारा नियुति जाँच अधिकारी द्वारा याची के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही पाये गए। कमेटी द्वारा याची के प्रिमेच्योर रिटायरमेन्ट

---

1. 1969 ए०डब्ल्यू०आर० 193.
2. खुशीराम *बनाम* भारत सरकार, 1973 (2) एस०एल०आर० 564.
3. ए०के० चाल कृष्ण नायर *बनाम* वरिष्ठ अधीक्षक पोस्ट आफिसेज, 1982 (1) एस०एल०जे० 545 केरल.
4. बलविंदर सिंह कान्स *बनाम* राज्य, 1986 (1) एस०एल०आर० 489 पंजाब हरियाणा.
5. के० सुखन्दर रेड्डी *बनाम* स्टेट आफ आन्ध्र प्रदेश एवं अन्य, 1998 (2) एस०एल०आर० आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 573 ; स्टेट आफ उड़ीसा *बनाम* विमल कुमार मोहन्ते, 1994 (2) एस०एल०आर० 384 (एस०सी०) 1993 (4) एस०एल०आर० 543 (एस०सी०).
6. किरन कुमार आर० बक्सी, *बनाम* यूनाइटेड कामर्शियल बैंक एवं अन्य, 1998 (2) एस०एल०आर० 154 ; गुजरात उच्च न्यायालय, 1997 (5) एस०एल०आर० 713 (एस०सी०).

सम्बन्धी संस्तुति भी ठीक पायी गयी है। इस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने याची द्वारा दायर की गयी अपील को खारिज कर दिया।[1]

अनुशासनिक कार्यवाही—अनुशासनिक कार्यवाही एक प्रशासकीय विधि है। इसे अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही माना गया है। अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही के अन्तर्गत नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में दिए गए मूलभूत सिद्धान्तों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय *ए०के० क्रेपक* बनाम *यूनियन आफ इण्डिया*[2] में व्यवस्था दी है कि प्रशासनिक शक्ति तथा न्यायिक कल्पशक्तियों में विभाजन रेखा समाप्त हो चुकी है। अत: प्रशासनिक अधिकारी विधि प्रदत्त प्रावधानों का अक्षरश: पालन करें और कोई भी कार्य अविवेकपूर्ण अथवा द्वेष भाव ढंग से न करें। इसी शृंखला में भी उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय *स्टेट आफ उड़ीसा* बनाम *वीणापंणडे*[3] में व्यवस्टा दी है कि कोई प्रशासनिक कृत्य जिनसे व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है नैसर्गिक न्याय के नियमों के अनुसार होना चाहिए।।

पुलिस द्वारा बन्दी बनाये गए तथा पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेकों स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिनका उल्लंघन किए जाने पर विधि समस्त न्यायिक कार्यवाही के अतिरिक्त बृहद प्रकृति की विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।[4]

याची के विरुद्ध 22-12-1987 से अनुशासनिक कार्यवाही चल रही थी। इस बीच कई जाँच अधिकारी आये, परन्तु जांच पूर्ण नहीं हुयी। अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित रहने के आधार पर याची की पदोन्नति नहीं की गयी। यह अभिनिर्णीत हुआ कि विलम्ब हेतु याची दोषी नहीं है, अत: वह पदोन्नति का पात्र है।[5]

याची की तैनाती पुलिस विभाग में कान्सटेबिल के पद पर हुयी। याची की सेवायें इस आधार पर समाप्त कर दी गयी कि उसने अपने हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अपनी जन्म तिथि बदल दी तथा उसने जाली दस्तावेज प्रस्तुत किये। अभिनिर्णीत हुआ कि याची की सेवायें यद्यपि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना समाप्त की गयी फिर भी सेवा समाप्ति उचित ठहराई गई।[6]

किसी राज्य कर्मचारी द्वारा अवैध रूप से प्राप्त किया गया धन क्रिमिनल मिसकन्डक्ट में आता है। वह धन जिसका वह हिसाब न दे सके कि वह कहाँ से प्राप्त हुआ है इस श्रेणी में आता है।[7]

पुलिस कान्सटेबिल 93 दिनों तक अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहा। निर्णीत हुआ कि ड्यूटी से बिना कारण एवं अवकाश प्रार्थना पत्र दिए बिना अनुपस्थित रहना अनुशासनहीन है। जाँच उपरान्त सेवायें समाप्त की जाना उचित ठहरायी गयी।[8]

---

1. भूपेन्द्र सिंह *बनाम* स्टेट आफ हरियाणा, 1998 (2) एस०एल०आर० 19 पंजाब एण्ड हरियाणा; धर्मपाल *बनाम* स्टेट आफ हरियाणा, 1997 (1) एस०एल०आर० 300 पंजाब एण्ड हरियाणा भी कृपया देखिये.
2. ए०आई०आर० 1970 एस०सी० 150.
3. ए०आई०आर० 1967 एस०सी० 1267.
4. डी०के० बसु *बनाम* स्टेट आफ पश्चिम बंगाल, 1997 (1) एस०सी०सी० 427.
5. स्टेट आफ आन्ध्र प्रदेश *बनाम* एन राधा कृष्ण, 1998 (2) एस० एल० आर० 786 (सुप्रीम कोर्ट) : 1995 (1) एस० एल०आर० 700 (एस०सी०).
6. जोगिन्दर सिंह *बनाम* स्टेट आफ पंजाब 1998 (2) एस०एल०आर० (2) : 1995 (1) एस०एल०आर० 696 (एस०सी०पी०एण्ड०एच०).
7. बी०सी० चतुर्वेदी *बनाम* यूनियन आफ इण्डिया ए०आई०आर० 1996 सुप्रीम कोर्ट 484.
8. रामेश्वर लाल *बनाम* स्टेट आफ राजस्थान, 1999 (2) एस०एल०आर० (2) 96.

अवैध पुलिस अभिरक्षा के अन्तर्गत उत्पीड़न करना, बन्दी को चोटें पहुंचाना अथवा मृत्यु कारित करना गम्भीर अपराध है। यह पुलिस विभाग की छवि के विरुद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय[1] तथा अन्य निर्णयों में इस प्रकार की घटनाओं को निन्दनीय तथा सभ्य समाज के आदेशों के प्रतिकूल होने विषयक मत व्यक्त किए हैं तथा दोषी पुलिस कर्मी को मृतक के परिवार को अनुतोष प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

(4) आरोप सुव्यक्त हो—आरोप पूरे विशिष्टता और सूक्ष्मता के साथ होना चाहिये, स्वाभाविक न्याय के लिये (1) व्यक्ति को आरोप की प्रकृति मालूम होना चाहिये, (2) अपना कथन बताने का अवसर मिलना चाहिये, और (3) अधिकरण का अच्छे श्रद्धा के साथ कार्य करना चाहिये।[2] अनुशासनिक कार्यवाही का एक अर्थ न्यायिक रूप होता है जिसमें साक्ष्य के आधार पर और निश्चितता की मात्रा में निष्कर्ष होना चाहिये, पारित आदेश में इस कारण हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता कि साक्ष्य के जिस आधार पर दण्ड दिया है, वह अदालत में दण्ड देने के लिए अपर्याप्त था, मगर विभागीय कार्यवाही में पारित आदेश अपने में अन्तर्विष्ट एवं मुखर होना चाहिये। *राज्य* बनाम *रतन सिंह*[3] में यह निर्णय हुआ कि विभागीय जाँच में सुनी हुई शहादत भी मान्य हो सकती है। *एस०आर० गोविन्दन के मामले*[4] में यह निर्णय दिया गया कि साक्ष्य कानून के सिद्धान्त विभागीय कार्यवाही पर लागू नहीं है।

(5) साक्ष्य का नियम और प्रक्रिया—अनुशासनिक अधिकारी उन तथ्यों पर अपने विचार के अनुसार निष्कर्ष निकालने को अधिकृत नहीं है, विशेष कर सुनी हुई शहादत पर या उन अभिलेखों पर जिनकी प्रामाणिकता स्थापित न हुई हो और ऐसे निष्कर्ष जीवित नहीं रह सकते।[5]

विभागीय कार्यवाही में जाँचकर्त्ता अधिकारी को कार्यवाही अपने हाथों करनी चाहिये, ए०आई०आर० 1956 इला० 578 में निर्णीत है कि पुलिस अधीक्षक को भी अधिकार नहीं है कि वह अपने अधीनस्थ को गवाहान का बयान लिखने के अधिकार का प्रतिनिधायन करे, इसमें अपवाद यह है कि यदि पहले इसमें किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी ने बयान लिखा था तो वह कार्यवाही के दौरान गवाह को पढ़कर सुनाया जा सकता है और उसके स्वीकार करने पर आरोपित पक्ष जिरह कर सकता हैं, लेकिन यह अपवाद वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ गवाह ने अपना बयान स्वयं लिखकर दिया हो, जब दौरान कार्यवाही किसी विशेष परिस्थिति में नियमित प्रक्रिया से हटना पड़े तो उक्त परिस्थिति के होने के औचित्य पर संतुष्टि पाने के बाद जाँच अधिकारी उस पर अपना निष्कर्ष दे और यह भी दे कि आरोपित पक्ष इस विलगाव से प्रतिकूल प्रभावित नहीं हुआ।[6]

धारा 133 साक्ष्य एक्ट में एक सह अपराधी की शहादत मान्य है और उसके साक्ष्य पर दिया गया दण्ड इस कारण अवैधानिक न होगा कि दण्ड सह अपराधी के बयान पर आधारित है, साक्ष्य एक्ट के नियम विभागीय कार्यवाहियों पर कठोरतापूर्वक लागू नहीं होते न अधिकारी को न्यायिक रूप से कार्य

---

1. स्टेट आफ यू० पी० *बनाम* राम सागर यादव, 1985 एस०सी०आर० 78; नीला बटी बहेरा उप नाम ललिता *बनाम* स्टेट आफ उड़ीसा, 1993 (2) एस०सी०सी० 746.
2. ए०आई०आर० 1962 आ० प्र० 187.
3. 1978 (2) एस०एल०आर० 46 सु०को० : ए०आई०आर० 1977 सु०को०1512.
4. 1978 (2) एस०एल०आर० 637.
5. ए०आई०आर० 1959 इला० 223 खंडपीठ.
6. राज्य *बनाम* एच०एस० कौशिक, 1964 ए०एल०जे० 576.

करना होता है, *भारत सरकार* बनाम *त्रिलोकनाथ*[1] में माना गया है कि यह अर्द्ध-न्यायिक कार्यवाही है और न्यायिक सुनवाई प्रक्रिया के नियम इस पर लागू नहीं होते तथा प्रदत्त दण्ड को सही माना गया।

जाँच अधिकारी अपने निष्कर्ष को उन तथ्यों पर आधारित करने का अधिकारी नहीं है जिसे वह उचित समझता है और जिसमें सुनी गई शहादत या वे अभिलेख हैं जिनकी प्रामाणिकता स्थापित नहीं हुई है। इस प्रकार के अमान्य शहादत पर आधारित निर्णय स्वीकार नहीं किया जा सकता।[2]

यदि पुलिस उपाधीक्षक ने गवाहान का बयान स्वयं नहीं लिखा और गवाहों से उनका अपना लिखा बयान प्राप्त किया है तो ऐसे बयान पर विश्वास करना पुलिस रेगुलेशन के पैरा 490 के प्रावधान के प्रतिकूल होगा। इस नियम के प्रतिवाद में कार्य करने का कारण दिया जाना चाहिये था।[3]

(6) साक्षी को बुलाने का प्रावधान—यदि जाँचकर्त्ता अधिकारी को विभागीय कार्यवाही में गवाह या अभिलेख तलब करने की जरूरत है तो वह उ०प्र० विभागीय कार्यवाही (साक्षी उपस्थिति बाध्यता एवं अभिलेख प्रस्तुति) एक्ट, 1976 में कर सकते हैं, इसके अधीन वे गवाह की उपस्थिति बाध्य कर सकते हैं व साक्ष्य में किसी अभिलेख या प्रस्तुत योग्य पदार्थ तलब कर सकते है बशर्ते कि साक्ष्य एक्ट में उस पर स्वाधिकार का दावा न किया गया हो, उक्त एक्ट ने 1953 के एक्ट को व 1976 के अध्यादेश को दिनांक 17-9-75 से निरस्त कर दिया है।

पैरा 490 (5) पुलिस रेगुलेशन के अधीन यह पुलिस अधीक्षक को तय करना है कि वह सफ़ाई के उस गवाह को सम्मन करने से इन्कार कर दे जिसके शहादत को वह आरोप में सफाई विषयक तथ्य पर आवश्यक नहीं समझते। सफाई में पेश किये जाने के लिये स्वीकृत गवाहों को वे आरोपित पक्ष द्वारा पेश किये जाने के लिये सम्मन करेंगे। गवाह को पेश किये जाने की अनुमति देने के बाद उन गवाहों को खर्च दिये जाने का प्रश्न महत्व नहीं रखता चाहे वह अधिकारी द्वारा बुलाया गया हो चाहे आरोपित पक्ष ने स्वयं बुलाया हो। खर्चा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। जाँच अधिकारी आरोपित पक्ष पर यह प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता कि वह गवाहान का बयान होने से पहले उनका खर्च जमा करे। शासनादेश सं० 1371-1/आठ-ब-2000 (10/61) दिनांक 3-7-61 भी इसे स्पष्ट करता है।[4]

(7) सफाई के लिये अवसर—जब जाँचकर्त्ता ने आरोपित पक्ष के 32 गवाहान के पेश करने के लिये दी गई सूची में 8 को पर्याप्त माना तो 175 ए०एल०जे० 62 में इस निश्चय को उचित ठहराया गया, पर जब अनुशासनिक अधिकारी ने आरोपित अधिकारी को आरोपित अधिकारी को गवाहान के चयन का अवसर नहीं दिया तो ए०आई०आर० 1958 इला० 607 में इसे सफाई के प्रतिकूल प्रभावी मानकर प्रदत्त दण्ड को अमान्य कर दिया।

गोपनीय अभिलेख के लेखक का, विभागीय कार्यवाही में बयान न कराने पर, उक्त अभिलेख पर आधारित कार्यवाही होने के कारण *राज्य* बनाम *दीवान चंद*[5] में सु०को० ने यह माना कि सम्यक् अवसर देने से विमुख रखा गया, अपराधी अधिकारी की सफाई का बयान लेने के बाद जब जाँचकर्त्ता अधिकारी ने नई शहादत लिया तो यह माना गया कि उचित अवसर दिये जाने व प्रक्रिया की प्रतिकूलता का प्रभाव न होने पर इस अनियमितता के कारण कार्यवाही रद्द न होगी, मगर जहाँ यह

---

1. 1981 (2) एस०एल०आर० 695 इला०.
2. ए०आई०आर० 1959 इला० 223 : 1959 सी०आर०एल०जे० 411 (खंडपीठ).
3. 1964 ए०एल०जे० 576.
4. मुमताज हुसैन अंसारी *बनाम* उ०प्र० राज्य, 1984 एल०आई०सी० 786 सु०को०.
5. 1970 एस०एल०आर० 375.

आरोप था कि अवैध धन लेकर अभिलेखों को हटा दिया वहाँ अभिलेख को जानकर हटाये जान क बाबत शहादत आवश्यक था और वह कथित पत्र जो अभिलेख हटाने विषयक था को उस अभिलेखों की सूची पर नहीं लाया गया जिस पर भरोसा किया गया था न तो आरोपित पक्ष को उसकी नकल दी गई न तो आरोप में उसका सन्दर्भ था इसलिये *फतेह बहादुर* बनाम *भारत सरकार*[1] ने उसे सम्यक् अवसर दिये जाने से विमुख मान कर पदच्युति को अवैध करार दिया।

(8) उचित अवसर का दिया जाना—कम समय की नोटिस देकर जाँच का स्थान बदल देने के कारण सफाई के गवाहान बयान के लिये पेश नहीं हो सके। अपीलकर्त्ता कर्मचारी को उन अभिलेखों के निरीक्षण का भी अवसर नहीं मिला जो उसके विपरीत प्रयुक्त थे। इस कारण जाँच को एक दिखावा माना गया, क्योंकि नैसर्गिक न्याय के नियम का उल्लंघन पाया गया।[2]

जहाँ जाँच प्रारम्भ होने के स्तर से पूर्व गवाहान के लिये गये एक पक्षीय बयानात व अभिलेखों को प्रति जिन पर आरोप आधारित है, जाँच प्रारम्भ होने से पूर्व सरकारी कर्मचारी को देने से इन्कार कर दिया गया है उसे संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के उल्लंघन में पाकर यह माना गया है कि कर्मचारी को अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करने का अवसर नहीं दिया गया है और उसके सेवाच्युति आदेश को अविधिक करार दिया गया है।[3]

अपचारी कर्मचारी को निलंबन के अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया जिससे वह कार्यालय में उपस्थित होने के स्थिति में नहीं था तथा उपस्थित होने से इन्कार कर दिया। उसके अनुपस्थिति में की गई कार्यवाही उसे बिना समुचित अवसर दिये ही किया गया माना गया और उसके सेवाच्युति के आदेश को निरस्त किया गया।[4]

विवेचना के दौरान सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध लिये गये बयान की नकलें उसे देने से मना किया जाना सही रूप से अनुचित और गलत है। कर्मचारी के विरुद्ध किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यवाही के लिये उन बयानात के सारांश देने से उसे कारण बताने के समुचित अवसर दिये जाने की आवश्यकता की संतुष्टि (पूर्ति) नहीं हो जाती।[5]

आरोप-पत्र में आवश्यक तथ्यों को नहीं दिया गया और प्रारम्भिक जाँच के दौरान लिये गये गवाहान के बयानात उपलब्ध नहीं कराये गये तो इस स्थिति में यह माना गया कि हे० का० को अपने बचाव के लिये समुचित अवसर दिये जाने से वंचित रखा गया और उसके सेवाच्युति आदेश को अविधिक करार दिया गया।[6]

(9) पूर्वाभिलेख एवं अन्य परिस्थितियों पर विचार—शा०आ०सं० 17-6-78, दिनांक 14-10-69 (नियुक्त ख) की वांछा है कि जब अनुशासनिक कार्यवाही में सेवक को, उसके पूर्व प्रतिकूल अभिलेखों पर विचार करके, दण्ड देना है तो उसके आरोप-पत्र में इसका स्पष्ट आरोप होना चाहिए, मगर यह भाव वाद के शा०आ०सं० 16-6-68, दिनांक 26.7 (नियुक्ति 3) द्वारा संशोधित हुआ कि आरोपित पक्ष को दी जाने वाली कारण बताओ नोटिस में इसका उल्लेख कर दिया जाय कि उसकी

---

1. 1979 (2) एस०एल०आर० 356 इला०.
2. मुरारी मोहन *बनाम* सेक्रेटरी भारत सरकार, 1935 (2) एस०एल०आर० 170 सु०को०.
3. काशीनाथ दीक्षित *बनाम* भारत सरकार, 1986 (3) सु०को० केसेज 229.
4. घनश्यामदास *बनाम* मध्य प्रदेश राज्य, 1973 (1) एस०एल०आर० 636 सु०को०.
5. पंजाब राज्य *बनाम* भगत राम, ए०आई०आर० 1974 सु० को० 2335.
6. 1982 ए०एल०जे० 452 : ए०आई०आर० 1982 सु०को० 937.

सेवा के पूर्व अभिलेखों पर भी विचार किया जायेगा, 1963 सु०को० केसेज 713 में भी आया है कि जब तक आरोपित न हो, पूर्वाभिलेख पर विचार नहीं होना चाहिये।

जब पूर्वाभिलेख पर, कम दण्ड देने को विचार करना है तो इसे कारण बताओ नोटिस में देने की आवश्यकता नहीं।[1] अनुशासनिक अधिकारी दण्ड देने के समय अपराधी के निलंबित होने या उसके अन्य कार्य को भी दृष्टि में रख सकता है जो *अजित सिंह* बनाम *कृपाल सिंह डी०आई०जी०*[2] में गलत या अवैध नहीं माना गया है।

जब प्रस्तावित कारण बताओ नोटिस में सेवा से हटाये जाने का दण्ड देने को कहा गया तो उससे छोटे सभी देय दण्डों का उसमें समावेश है और कोई भी छोटा दण्ड बिना अपवाद के दिया जा सकता है।[3]

(10) निष्कर्ष की प्रति क्यों दी जानी चाहिये—जब जाँच का प्रथम स्तर डी०आई०जी० से अन्य किसी अधिकारी द्वारा की जाय तो उसे अपना निष्कर्ष देना है, भेजे गये तत्वों पर डी०आई०जी० का अपना स्वयं का निष्कर्ष देना है पर उन्हें आरोपित अधिकारी का बयान लेना होगा, और दण्ड दिये जाने के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस देना होगा उन्हें पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर समुचित दण्ड देने के लिए सुविचार करना होगा, इसी हेतु पैरा 490 (8)(बी) के अनुसार, जैसा कि 1957 ए०एल०जे० 62 में आया है, सम्बन्धित अधिकारी की जाँच अधिकारी के निष्कर्ष की प्रति देना चाहिये।

(11) कब पृथक निष्कर्ष का होना आवश्यक है—पहले *रामनाथ सिंह* बनाम *राज्य*,[4] में उच्च न्यायालय का यह मत था कि जब जाँच अधिकारी ने केवल वेतनमान में दो स्तर के घटाने के दण्ड की संस्तुति दी तो पुलिस अधीक्षक को अधिकारिता नहीं रही कि पदच्युति अथवा पद से हटाये जाने का दण्ड देते, पर बाद में विशेष अपील सं०175/64, *राज्य* बनाम *रामनाथ*, निर्णीत दिनांक 23-10-64 में यह निर्णय हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 311 के अनुसार जब पुलिस अधीक्षक ने कारण बताओ नोटिस देकर अवसर दिया तो सेवक को पदच्युत करने का अधिकार उन्हें है, इसके लिये उन्हें अपना पृथक निष्कर्ष देना होगा (इसके लिये पैरा 471 से सम्बन्धित टिप्पणी भी देखें)।

जहाँ पर अनुशासनिक अधिकारी, आरोप पर जाँच अधिकारी द्वारा पहुँचे निष्कर्ष से सहमत न हों, वहाँ पर अपराधी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस के साथ उन्हें (प्रस्तावित दण्ड में) अपना अंतिम निष्कर्ष देना चाहिये पर इसकी बाध्यता उस हालत में नहीं है जब वे जाँच अधिकारी के संस्तुति से सहमत हों।[5]

(12) प्रक्रिया से विचलन और अनुपस्थिति में कार्यवाही—पुलिस कर्मचारी की अनुपस्थिति में उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जा सकने पर यह पैरा बहुत स्पष्ट नहीं है, जाँच कर्ता अधिकारी के लिए अनुपस्थिति में एकतरफा कार्यवाही करना कठिनाई से परे नहीं है, शा०आ०सं० 1453/आठ 105-93, दिनांक 11-8-64 में शासन ने आरोपित पक्ष पर आरोप-पत्र अपील करने के लिये निम्न सुझाव दिये हैं—

---

1. ए०आई०आर० 1969 सु०को० 1720.
2. 1973 लेबर इ० केसेज 376.
3. राज्य *बनाम* राम रतन, 1980 (2) एस०एल०आर० 646 सु०को०.
4. 1964 ए०एल०जे० 31.
5. 1977 (1) एस०एल०आर० 752 सु०को०.

(1) आरोपित पक्ष के जाने हुए पते पर पावती सूचना (Acknowledgment) के साथ रजिस्ट्री पत्र भेजा जाये।

(2) उसके स्थायी पता या थाने से सम्पर्क करके पता करने का प्रयास करें।

(3) और आवश्यक कदम जो आरोपित पक्ष से सम्पर्क करने के लिये जरूरी हो सके।

आरोप-पत्र में पर्याप्त समय देकर यह निदेश दे कि आरोपित पक्ष समय के अन्दर जाकर उत्तर दाखिल करे वरना उसके विरुद्ध अनुपस्थिति में कार्यवाही की जायेगी, यदि आरोप-पत्र बिना तामील हुए वापस आ गया और आरोपित पक्ष भी उपस्थित नहीं हुआ तो सुनवाई अधिकारी उसकी अनुपस्थिति में किये जाने वाली कार्यवाही के पूर्व अपने द्वारा किये गये सभी प्रयत्नों का उल्लेख करेंगे, जब अभियुक्त कर्मचारी अदालती सुनवाई में अनुपस्थित हो जाता है और उसके विरुद्ध धारा 299 जा०फौ० की कार्यवाही, अफसर घोषित करने की, पूर्ण हो जाती है, तो विभाग भी उस पर लगे अन्य आरोपों में कार्यवाही कर सकता है।

अनुशासनिक अधिकारी को इस कारण का उल्लेख करना चाहिये कि क्यों नियत प्रक्रिया का प्रतिपालन व्यवहार्य नहीं है, उन्हें इस बात पर भी संतुष्ट होना है कि उनकी निजी तुष्टि नहीं, बल्कि अभिलेख के तथ्य से लक्ष्य की तुष्टि हो रही है कि नियमित प्रक्रिया अपनाना संभव नहीं है, जिससे कि अपराधी अपील सुनने के अधिकारी के समक्ष उक्त कारण पर आक्षेप न कर सके, *मकसूदन पाठक* बनाम *सुरक्षा अधिकारी*[1] में कुछ ऐसे कारण दिये हैं जैसे, कि आरोपित व्यक्ति भाग गया है, कि उत्तम प्रयास के बाद भी नोटिस का तामील होना संभव नहीं हुआ, कि आरोपित व्यक्ति का उपस्थित होना संभव न हो सके, आदि।

(13) वकील की व्यवस्था के लिये—नियमों के अभाव में कर्मचारी विभागीय कार्यवाही में वकील के सहायता की याचना नहीं कर सकता।[2] सी०सी०ए० नियम, जो पुलिस अराजपत्रित कर्मचारियों अधिकारियों पर लागू नहीं है, में व्यवस्था है कि यदि सबूत पक्ष वकील की सहायता लेगा तो विपक्षी भी अपने लिये वकील की सेवा हेतु कह सकता है।

(14) जब प्रदत्त दण्ड मान्य नहीं हुए—कर्मचारी के निलम्बन अवस्था में, बिना अनुशासनिक कार्यवाही किये, पारित सेवा समाप्ति का आदेश *निहिर कुमार* बनाम *राज्य*[3] में मान्य नहीं हुआ।

विभागीय कार्यवाही में गुजरने वाले गवाहान के उस बयान की नकल, जो विवेचना के दौरान लिखी गई थी, का न दिया जाना अनुचित ठहराया गया और उसके अभाव में *राज्य* बनाम *भगत राम*[4] में यह निष्कर्ष आया कि सरकारी सेवक उसके अभाव में प्रभावी जिरह नहीं कर सका, यही मत *सहदेव सिंह* बनाम *पुलिस अधीक्षक*[5] में माना गया व दण्ड अपास्त हुआ।

जब सरकारी धन के दुर्विनियोग का मामला साक्ष्य के अभाव में न्यायालय से छूट गया तो उसी आरोप पर विभागीय कार्यवाही नहीं हो सकती, इसे *गोविंद राम* बनाम *राज्य*[6] में निर्णीत किया, बिना कारण का उल्लेख किये जब जाँच अधिकारी ने गवाहों के द्वारा लिये गये बयान को स्वीकार किया तो इसे 1964 ए०एल०जे० 576 में पुलिस विनियम के अनिवार्य नियम का विचलन माना गया।

---

1. 1981 (2) एस०एल०आर० 451 इला०.
2. 1980 (1) एस०एल०आर० 130 दिल्ली.
3. 1980 (1) एस०एल०आर० 678.
4. ए०आई०आर० 1974 सु०को० 2335.
5. 1973 लेबर एवं इ० केसेज 717 और ए०एल०आर० 1966 (2), 467.

(15) कब प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा—असम्मानपूर्ण या रुक्ष व्यवहार भी जो अधीनस्थ अधिकारी का वरिष्ठ अधिकारी के प्रति है उसे कर्तव्य पालन में माना गया है।[1]

जाँच अधिकारी द्वारा उस बाहरी गवाह को सफाई पक्ष से न बुलाने पर जिसका नाम पहले नहीं बताया गया और उसके साक्ष्य के महत्व का निर्धारण नहीं हो सका, यह न दिखा सकने पर कि इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, *चंदन सिंह* बनाम *भारत सरकार*[2] में जाँच उचित ठहराया गया।

एक उपनिरीक्षक के प्रति किया गया अभद्र व्यवहार के आरोप में अभद्र व्यवहार का विवरण नहीं था जिसे अस्पष्ट नहीं माना गया, क्योंकि सिपाही को आरोप ज्ञात था व शहादत में इसका विवरण आया था, 1960 ए०एल०जे० 310 में यह माना गया कि सिपाही पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रहा।

विभागीय जाँच में पुलिस अधीक्षक ने तीन सिपाहियों के पहले दिये बयान पर भरोसा करके, जिससे वे बाद में मुकर गये थे, पदच्युति का आदेश पारित किया, *के०एल० शिंडे* बनाम *राज्य*[3] में उक्त आदेश को सही माना गया, क्योंकि साक्ष्य एक्ट के नियम ऐसी कार्यवाही पर सख्ती से लागू नहीं होते।

जब अपराधी ने गवाहान से स्वयं जिरह किया, विस्तार से सफाई दिया और मामले में बहस किया तो वह अपने विरुद्ध आये आरोप से और सभी सफाई के दृष्टिकोण से पूर्ण अवगत था तो जाँच अधिकारी द्वारा नियमानुसार कर्मचारी से सवालात का न पूछा जाना, किसी प्रतिकूल प्रभाव के अभाव में, दोषपूर्ण नहीं माना गया।[4]

(16) उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त व्याख्या—पुलिस विनियम केवल प्रशासनिक निर्देश नहीं हैं और इन्हें कानून के स्तर की तरह प्रशासनिक प्रावधान मानना चाहिये। जहाँ इनके अनिवार्य प्रावधान की अवहेलना हुई हो वहाँ उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है।[5]

पदोन्नति के पूर्व के दुश्चरित्र लेख मार्जित (Condoned) हो गये रहते हैं और पदोन्नति के बाद, उससे पूर्व दिये गये दुश्चरित्र लेख में दण्ड बढ़ाये जाने की कार्यवाही नहीं चल सकेगी।[6]

दक्षता रोक की अवधि के पहले की प्रतिकूल गोपनीय रिपोर्ट कर्मचारी के विरुद्ध जाँच में प्रयुक्त नहीं होगी, क्योंकि दक्षता अवरोध पार करना उस तिथि तक के लिये समाशोधन है (उपरोक्त)।

भारत सरकार बनाम *पौहारी सटन*[7] में यह निर्णय हुआ है कि अभद्र व्यवहार के आरोप में सेवा से हटाने के मामले में दीवानी अदालत अपने स्वयं के निर्णय पर आने के लिए मुक्त है कि क्या सिद्ध तथ्यों से अभद्र व्यवहार बनता है।

अदालत, अधिकारी द्वारा प्राप्त तथ्य पर सदशयता से विवेक का उपयोग किया गया है। इसे देखने तक ही सीमित शक्ति रखती है,[8] दिल्ली में यह निर्णय हुआ है कि उपरोक्त निर्णय के लिये प्राप्त तथ्य पर्याप्त थे अथवा नहीं, यह देखना न्यायिक परिधि में नहीं है।

---

6. 1981 (2) एस०एल०आर० 458 इला०.
1. मो० शरीफ *बनाम* ओंकार सिंह, 1960 ए०एल०जे० 301.
2. 1981 (2) एस०एल०आर० 396 इला०.
3. 1976 (2) एस०एल०आर० 260 सु०को०.
4. सुनील कुमार *बनाम* राज्य, 1980 (2) एस०एल०आर० 47 सु०को०.
5. ए०आई०आर० 1962 इला० 216.
6. 1978 (1) एस०एल०आर० 637.
7. 1974 (1) एस०एल०आर० 32 इला०.
8. 1976 (1) एस०एल०आर० 772.

एक सिपाही को भ्रष्टाचार के आरोप में सजा मिलने पर वह विभाग से सेवा से पदच्युत किया गया, दण्ड के विरुद्ध अपील स्वीकृत हो गई, मगर पुनः वाद की सुनवाई का आदेश हुआ जिसमें उसे पुनः दण्ड मिला व अपील में सजा बहाल रही, *बसुदेव राव* बनाम *राज्य*[1] में यह निर्णय हुआ कि पहले और दूसरे दण्ड के बीच की अवधि के लिये वह किसी जीवन वृत्ति के पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि पूर्व दण्ड प्रभावी माना गया, (इस विषय पर अपने उच्च न्यायालय का अभी कोई निर्णय प्राप्त नहीं है)।

पदच्युति का आदेश उसके तामील की तिथि से प्रभावित होगा व दीवानी का वाद वहाँ चलेगा जहाँ उक्त आदेश तामील हुआ इसलिए स्थान तामीला वादी को सिद्ध करना है, आदेश का तामील करना प्रतिवादी का कार्य है जो डाकखाने के माध्यम से हुआ और *सेक्रेटरी गृह विभाग* बनाम *बंशीधर*[2] में डाकघर को प्रतिवादी का प्रतिनिधि माना गया।

सोमनाथ साहू बनाम *राज्य*[3] में यह निदेश हुआ कि पदच्युति का आदेश अपील के आदेश में विलीन हो जाता है और केवल अपील में दिया निर्णय ही शेष रहता है जो लागू होगा।

देवराज शर्मा बनाम *राज्य*[4] ने यह माना कि नियमों के नीचे दिया गया नोट भी कानून का बल रखता है, क्योंकि नियम में आई रिक्ति को वह स्पष्ट करता है जो नियम में अवलक्षित होता है।

जन सेवा के सम्बन्ध में अनुच्छेद 309 में जहाँ प्रावधान नहीं है वहाँ *राजेन्द्र नारायन* बनाम *राज्य*[5] में यह आया है कि राज्य सरकार शासन सम्बन्धी अधिकार में उसे नियमित करने में सक्षम है।

पुलिस उपाधीक्षक द्वारा विभागीय कार्यवाही किए जाने के अधिकार सीमा का प्रश्न यदि किसी अधीनस्थ अधिकारी के समक्ष नहीं उठाया गया है तो वह रिट याचिका के स्तर पर नहीं उठाया जा सकेगा।[6]

ड्यूटी पर न रहने के समय शराब पीने के बाद कुछ और न करने पर, कर्मचारी वे आचरण को दुराचरण नहीं माना गया तथा कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में पारित सेवाच्युति आदेश को रद्द कर दिया गया।[7]

ऐसा नहीं है कि बिना विभाग से अपील आदि में निर्णय लिये दीवानी में दावा नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। पदच्युति का आदेश पारित होने के दिन से ही दावा का कारण हो जाता है। विभागीय निर्णय प्राप्त करने के बाद दावा दायर करते समय तक कालावधि (लिमिटेशन) बीत जाने के कारण धारा 4 उ० प्र० लोक सेवा अधिकरण (ट्राईब्यूनल) का लाभ नहीं दिया गया।[8]

491. पैरा 479 (2) में गिनाये गये पदों को धारण करने वाले अधिकारी विभागीय विचारण संचालित करते समय पैरा 490 के द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे और उनके आदेश, पुलिस अधीक्षक की सहमति से सभी मामलों में, उन मामलों के सिवाय जिनमें कार्यवाही संचालित करने वाला अधिकारी कान्सटेबिल या अवर अधिकारियों की पदच्युति या निकाले जाने की सिफारिश करें,

---

1. 1978 (1) एस०एल०आर० 178 आ०प्र०.
2. 1981 (2) एस०एल०आर० 475 इला०.
3. 1981 (2) एस०एल०आर० 550 सु०को०.
4. 1981 (2) एस०एल०आर० 798 पंजाब.
5. 1980 (2) एस०एल०आर० 43 सु०को०.
6. ए०आई०आर० 1961 इला० 169 (172).
7. रतन लाल *बनाम* हरियाणा राज्य, 1983 (2) एस०एल०आर० 243.
8. जयप्रकाश *बनाम* उ०प्र०राज्य, 1983 एल०आई०सी०, 341 इला०.

पुलिस अधीक्षक के आदेश के भांति कार्यपालिका बल रखेंगे। ऐसे मामलों में, पुलिस अधीक्षक (यदि ऐसा पूर्व में न किया गया हो) अधिकारी को जांचकर्त्ता अधिकारी के निष्कर्ष को एक प्रति देगा और उससे युक्तियुक्त समय के भीतर (जो एक सप्ताह से कम न होगा) यह कारण दर्शाने को पूछेगा कि ऐसे दण्ड क्यों न दिये जावें? अवर अधिकारी या कान्सटेबिल की पदच्युति या निकाले जाने के सभी आदेशों को स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित किये जाने चाहिये और ऐसा कोई मामला जिसमें पुलिस अधीक्षक पुलिस बल की किसी शाखा के निरीक्षक की पदच्युत या निकाले जाने के प्रस्ताव में सहमत हों, रेन्ज के उप-महानिरीक्षक का आदेशों के लिए अग्रेषित किया जाना चाहिये।

टिप्पणी

विभागीय जाँच कौन करेगा—यह प्रश्न उठने पर कि जहाँ प्रेषक की नियुक्ति (म०प्र०) के पुलिस महानिरीक्षक ने किया था, क्या पुलिस अधीक्षक जाँच करने या अभिमन्त्रित करने में सक्षम होंगे? *राज्य* बनाम *शार्दूल सिंह*[1] में यह उत्तर दिया गया कि अनुच्छेद 311 (1) का बन्ध यह नहीं कहता कि पदच्युति या सेवा से हटाये जाने के प्रावधान में सशक्त अधिकारी स्वयं ऐसे जाँच को प्रारम्भ या अभिमन्त्रित करें जिनमें अधिकारी को पदच्युत या सेवा मुक्त करना हो, न यही कहा है कि ऐसी जाँच उनके सुझाव पर हो, इस पर अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत नियम बनाये जा सकते थे, यह भी बताया गया कि "सेवा की शर्तों" अभिव्यक्ति में बड़ा आयाम है जिसमें वह सभी स्थिति आती है कि किसी व्यक्ति के पदग्रहण में उसके नियुक्ति से लेकर अवकाश पर जाने तक और उसके आगे पेन्शन के मामले तक विनियम करना सम्मिलित है।

492. जब कभी किसी पुलिस अधिकारी का न्यायिक विचारण हुआ हो, यह निर्णय करने के पूर्व कि क्या कोई आगामी विभागीय कार्यवाही आवश्यक है, पुलिस अधीक्षक को न्यायिक अपील के यदि कोई हो, निर्णय की प्रतीक्षा करना चाहिये।

टिप्पणी

इस पैरा में 'न्यायिक अपील' का प्रयोग बताती है कि प्रावधान की प्रवृत्ति निगरानी के परिणाम के प्राप्त होने तक प्रतीक्षा चाहती है। फौजदारी के बाद में निगरानी दाखिल करने की अवधि 90 दिन नियत है। इसलिये पुलिस अधीक्षक को निगरानी किये जाने की अवधि तक प्रतीक्षा करनी चाहिये और यदि यह दाखिल की गई है तो उसके परिणाम को, किसी कार्यवाही के करने के पूर्व, देखना चाहिये। शासनादेश सं०419/आठ-ए०-39-67 दिनांक 5-6-67 में भी न्याय विभाग का यही मत है।

दोष मुक्ति के साथ-साथ अभियोजन (ट्रायल) भी समाप्त हो जाता है और उस आदेश के विरुद्ध लम्बित अपील अभियोजन के क्रम में नहीं कहा जा सकता। जब कर्मचारी प्रथम न्यायालय से दण्डित होने के बाद अपील में दोषमुक्त हो गया तो मुक्ति आदेश के विरुद्ध राज्य की अपील दाखिल होने के बाद भी कर्मचारी दोषमुक्ति के दिनांक से पुनः सेवा में लिए जाने का अधिकारी है।[2]

दण्ड देने के अधिकार के साथ ही न्याय युक्त कार्य करने का कर्तव्य भी जुड़ा रहता है। विपरीत परिस्थिति में थोड़े से धनराशि के खयानत में फौजदारी वाद के अभियोजन में न्यायालय द्वारा दण्ड के स्थान पर प्रोबेशन पर रिहा कर दिये जाने के बाद विभागीय सक्षम अधिकारी ने कर्मचारी को

---

1. 1970 (1) सु०को० केसेज 108.
2. सुरिन्दर कुमार *बनाम* हिमाचल प्रदेश राज्य, 1984 (2) एस०एल०जे० 347 हि० प्र०.

सेवाच्युत कर दिया जो मात्र भावना की उड़ान कही जायेगी जिसमें बुद्धि से विचार किया जाना चाहिये था। इस स्थिति में सेवाच्युति आदेश रद्द किया गया।[1]

493. पुलिस अधीक्षक को यह अनुज्ञेय नहीं होगा कि वह किसी ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जाँच में, जिसका न्यायिक विचारण हो चुका हो, उन तथ्यों का परीक्षण करे, जो उसके न्यायिक विचारण में विवादग्रस्त रहे हों और उन तथ्यों पर न्यायालय के निष्कर्षों को अन्तिम माना जाना चाहिये।

इस प्रकार—(क) यदि अभियुक्त दोषसिद्ध पाया और कठोर कारावास से दण्डित किया गया हो, कोई विभागीय जाँच आवश्यक न होगी क्योंकि वह तथ्य कि वह कठोर कारावास के लिए पात्र ठहराया गया हो, पुलिस अधिनियम की धारा 7 के अभिप्राय के लिये अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में उसकी अनुपयुक्तता का निर्णायक प्रमाणपत्र माना जाना चाहिए। ऐसे मामलों में पुलिस अधीक्षक बिना किसी आगामी कार्यवाही के साधारणतया, पैरा 479 (क) के अधीन जब आवश्यक हो, उप-महानिरीक्षक के औपचारिक आदेश प्राप्त करते हुये, पदच्युति का आदेश पारित करेगा। यदि वह अन्यथा करने का इच्छुक हों, उसे मामले को रेन्ज के उप-महानिरीक्षक को आदेशों के लिये निर्देशित करना चाहिये।

(ख) यदि अभियुक्त दोषसिद्ध पाया गया हो, किन्तु कठोर कारावास से अल्पतर दण्ड से दण्डित किया गया हो, विभागीय जाँच आवश्यक होगी, यदि आगामी कार्यवाही के वांछनीय होने का विचार किया जावे, परन्तु इस विचारण में विवादग्रस्त प्रश्न होगा कि (1) क्या वह अपराध, जिसके लिए अभियुक्त दोषसिद्ध पाया गया है, पुलिस एक्ट की धारा 7 के अधीन अपराध होता है, (2) यदि हो तो क्या दण्ड आरोपित किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में पुलिस अधीक्षक (एक) अभियुक्त से यह कारण पूछेगा कि उस पर कोई विशिष्ट शास्ति क्यों न आरोपित की जावे। (दो) न्यायालय के निष्कर्षों, को विवादास्पद बनाने की अनुमति दिये बिना, ऐसी कोई बात अभिलिखित करेगा, जो अभियुक्त अधिकारी ऐसी शास्ति के विरुद्ध अर्ज करना चाहे और (तीन) और उपरोक्त (1) और (2) से संगत होने वाले अभियुक्त अधिकारी द्वारा उठाई गई प्रतिपादनों से व्यवहार करते हुए, साधारण रीति में अपने निष्कर्ष और आदेश अभिलिखित करेगा।

(ग) यदि अभियुक्त का न्यायिक दोष मुक्ति या उन्मोचन कर दिया गया हो और अपील फाइल करने की समयावधि बीत चुकी हो या कोई अपील फाइल की गई हो, पुलिस अधीक्षक उसे पुनर्स्थापित कर देगा, यदि वह निलम्बित हो, किन्तु यदि न्यायालय के निष्कर्ष इस दृष्टिकोण से असंगत न हों कि पुलिस एक्ट की धारा 7 के अभिप्राय में, अभियुक्त अपने कर्त्तव्य पालन में असावधान या उसके लिए अनुपयुक्त रहा है तो पुलिस अधीक्षक मामले को उप-महानिरीक्षक को निर्देशित कर और अभियुक्त को असावधानी या अनउपयुक्तता के लिए विभागीय विचारण करने की अनुज्ञा माँग सकता है।

टिप्पणी

(1) क्या हर सजा के बाद पदच्युति हो—क्या इस पैरा के अनुसार किसी भी वाद में दण्ड पाने के बाद सेवक को पदच्युति हो जानी चाहिये या ऐसा अपराध हो जिसमें नैतिक अधमता रही हो?

किसी अपराध में नैतिक अधमता संयुक्त है या नहीं इस निर्णय के लिये यह देखना आवश्यक है कि—(1) क्या दण्डित कार्य ऐसा था जिससे समाज के सामान्य नैतिक सद्विचार को धक्का पहुँचा,

---

1. शंकर दास *बनाम* भारत सरकार, 1985(2) एस०एल०आर० 109 सु०को०.

(2) क्या अपराध का कारण भूत आधार निम्न था, और (3) क्या जिस कारण से कार्य किया गया उससे दोषी एक दुराचारी चरित्र का समझा गया या इस कारण समाज ने उसे हेय भाव से देखा, किसी विशिष्ट कार्य से नैतिक अधमता बनती है या नहीं यह अनुशासनिक अधिकारी के स्वयं की तुष्ट या विवेक पर निर्भर नहीं होगा, अपराधी के कार्य के सन्दर्भ में हर मामले के अपने तथ्य व परिस्थिति पर विचार करके निर्णय लेना होगा। किसी अनुशासनिक संगठन के सदस्य के लिये नैतिकता का भिन्न मापदण्ड प्रयुक्त नहीं होगा और गैर अनुशासनिकता तथा अनैतिकता समान स्तर पर नहीं होगी, जैसा कि *राम नगीना दूबे* बनाम *पुलिस कमिश्नर*[1] में निर्णीत है, हालाँकि पुराना शासनादेश सं० 1618/आठ-295-52 सन् 1954 भी चाहता है कि कठोर कारावास दण्ड के परिणाम में पदच्युति हो, पर ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें पदच्युति का औचित्य न होता हो, कम से कम वहाँ, जिस अपराध में नैतिक अधमता संयुक्त न हो अथवा जहाँ अधिकारी अपने विधिक कर्तव्य के पालनातिरेक में दण्डित हो गया हो, इस विनियम में "नैतिक अधमता के संयुक्त" रहने की बात नहीं कही गई है।

(2) वाद से मुक्ति के बाद विभागीय कार्यवाही—जब किसी पुलिस अधिकारी पर फौजदारी अदालत में वाद चला और छूट गया तो वह उसी आरोप पर या वाद में उद्धृत गवाहान के साक्ष्य पर दूसरे आरोप पर विभाग द्वारा दण्डित नहीं होगा, जब तक कि—

(अ) आपराधिक आरोप प्राविधिक कारण से असफल हुआ हो, या

(ब) न्यायालय या पुलिस अधीक्षक के मत में गवाहान के विपक्ष से मिल जाने से ऐसा हुआ हो, या

(स) अदालत ने निर्णय में यह पाया हो कि अपराध किया गया था जिसका सन्देह सम्बन्धित पुलिस अधिकारी पर है; या

(द) की गई शहादत से ऐसे भी तथ्य प्रकट होते हैं जिनसे आरोप असंबद्ध है और दूसरे आरोप विभागीय कार्यवाही करने का औचित्य है; या

(य) विभागीय कार्यवाही के लिये अतिरिक्त स्वीकार योग्य शहादत उपलब्ध है।[2]

(3) विबन्ध (Estoppel)—का सिद्धान्त लागू नहीं—जहाँ अपराधी अधिकारी के घर पर गोला बारूद कारखाने के सामान मिले, पर धारा 411 द० वि० के वाद में वह छूट गया, उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही दुश्चरित्र के लिये की जा सकती थी, विभागीय कार्यवाही व न्यायिक सुनवाई के आरोप एक ही नहीं थे, इसलिये वाद से छूटना ऐसी कार्यवाही पर अवरोध न होगा। *भारत सरकार* बनाम *रामदेव*[3] में यह निर्णय हुआ कि प्राविधिक कारणों से छूटने पर विबन्ध का सिद्धान्त लागू न होगा न सन्देह का लाभ दिये जाने को सम्मान छोड़ा जाना समझा जायेगा।

(4) पथ प्रदर्शक निर्णय—*चम्पक लाल* बनाम *जे० बी० झाला*[4] में यह निर्णय हुआ कि फौजदारी अदालत से छूटने का अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अपराधी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्णय पर कोई रोक न होगा न यह, ऐसी कार्यवाही को रोकने के लिये कोई सैद्धान्तिक आवरण होगा।

---

1. 1977(2) एस०एल०आर० 524.
2. कुन्दन लाल *बनाम* राज्य, 1976 (1) एस०एल०आर० 133.
3. 979(2) एस०एल०आर० 213 इलाहाबाद.
4. 1980 (2) एस०एल०आर० 724 गुजरात.

भारत सरकार बनाम *एम० बी० पटनायक*[1] में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जहाँ पदावनति या सेवा समाप्ति का आदेश प्राविधिक कारण से रद्द कर दिया गया या उसके अनुपालन में सेवक की बहाली कर दी गई वहाँ दूसरी जाँच तथ्य के ऊपर की जा सकती है और प्राविधिक आदेश के बावजूद भी उक्त कार्यवाही विधिक व सही होगी।

कारपोरेशन नागपुर नगर बनाम *रामचन्द्र*[2] में सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त के ससम्मान और पूर्णतया आरोप से मुक्त होने पर कहा कि उसी आरोपों या कारणों पर या शहादत पर विभागीय कार्यवाही चलाना इष्टकर न होगा पर यह तथ्य अपनी जगह है कि केवल ऐसे विमुक्ति के कारण सम्बन्धित अधिकारी का विभागीय कार्यवाही करने का अधिकार या इसके प्रति उसका विवेक अवरुद्ध न होगा।

494. जब निरीक्षक का या उससे निम्न पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी का आपराधिक अभियोजन न किया गया हो, परन्तु उसके आचरण को जिला मजिस्ट्रेट या किसी ऐसे अधीनस्थ मजिस्ट्रेट जिसके निष्कर्ष जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार कर लिये गये हों, के द्वारा जाँच की गई हो, इसके पूर्व कि वह पुलिस अधीक्षक द्वारा विभागीय रूप से दण्डित किया जा सके, अभियुक्त का पुलिस अधीक्षक द्वारा विभागीय रूप से विचारण किया जाना चाहिये, यदि वह मजिस्ट्रेट द्वारा तथ्यों के निष्कर्षों को स्वीकार न करे तो वह जिला मजिस्ट्रेट के निवेदन पर उस प्रश्न को पुलिस उप-महानिरीक्षक को निर्देशित करने के लिए आबद्ध रहेगा।

अर्दली कक्ष

495. प्रधान कान्सटेबिल की पंक्ति से ऊपर न होने वाले पुलिस बल के सदस्यों द्वारा दुराचरण के नगण्य मामले और अनुशासन के तुच्छ भंग की रिपोर्टों को जहाँ तक सम्भव हो सके, यदि अभियुक्त मुख्यालय पर हो, अर्दली कक्ष में जाँच पर निपटा देना चाहिये, पुलिस अधीक्षक या मुख्यालय के भारसाधक राजपत्रित अधिकारी को सप्ताह में दो या तीन नियत दिनों को लाइन या कोतवाली में अर्दली कक्ष लगाना चाहिये। ऐसे मामलों में धारा 7 के प्रारूप क्रमांक 133 का स्थान अर्दली कक्ष रजिस्टर प्रारूप क्र० 103 लेगा। रिजर्व निरीक्षक इस रजिस्टर के चार स्तम्भों को भरेगा और उन व्यक्तियों को एकत्रित करेगा, जिनकी उपस्थिति आवश्यक हो। पैरा 478 (ग), (घ), (ङ) और (1) में गिनाये गये दण्ड क्रमांक 103 को कार्यवाही के पश्चात् दिये जा सकेंगे। बल के किसी सदस्य को कोई व्यक्तिगत आवेदन या अभ्यावेदन करने के लिये अर्दली कक्ष में उपस्थित होने की अनुज्ञा प्रदान की जावेगी, परन्तु यह कि वह कर्त्तव्य से फालतू किया जा सकता हो और अपने आशय को उस अधिकारी को लेखीय रूप में सूचित कर दे, जिसके वह निकटतम अधीनस्थ हो। यदि उस अधिकारी का यह समाधान हो जावे कि आवेदक व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का अधिकारी है, उसे सूचना पर सूक्ष्म हस्ताक्षर कर

---

1. 1981(1) एस०एल०आर० 377.
2. 1981 (2) एस०एल०आर० 275.

देना और उसे उसके साथ अर्दली कक्ष में उपस्थित होने को अनुदेशित कर देना चाहिये यदि वह ऐसी अनुज्ञा रोक ले, उसे अपने कारणों की रिपोर्ट लेखीय रूप में अधीक्षक को करना चाहिये।

निलम्बन

496. दुराचरण के आरोप में विभागीय या न्यायिक जाँच के दौरान सभी पुलिस अधिकारी निलम्बन के लिए दायित्वाधीन हैं। किसी अधिकारी का निलम्बन उस प्राधिकारी द्वारा आदेशित किया जा सकता है, जिसे उसे किसी भी रूप का विभागीय दण्ड देने की शक्ति प्राप्त हो, उदाहरणार्थ पुलिस अधीक्षक किसी को निलम्बित कर सकता है चाहे वह उसे पदच्युत न कर सकता हो।

अधीक्षक को जब तक विचारण समाप्त न हो ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को निलम्बित कर देना चाहिये जिसका अभियोजन उसके या उप-महानिरीक्षक के द्वारा आदेशित किया गया हो या जिसका अभियोजन मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच किये जाने के परिणामस्वरूप हुआ हो। यदि परिवाद पर किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा अभियोग संस्थापित किया गया हो, पुलिस अधीक्षक को निर्णय लेना चाहिये कि क्या मामले को परिस्थितियाँ अभियुक्त के निलम्बन को उचित ठहराती हैं।

निलम्बन करने वाला प्राधिकारी, निलम्बन के समय मूलभूत नियम 53 (ग) के अधीन निलम्बन भत्ते की दर और उस अधिकारी की दशा में जो घोड़ा रखता हो, तीन मास की सीमा तक घोड़ा भत्ता के भुगतान के लिए भी नियत करते हुये सशर्त आदेश पारित करेगा। यदि इस तीन मास की समयावधि में कार्यवाहियों के समाप्त होने की सम्भावना न हो, अधिकारी को अपने घोड़े का निपटारा करने का अधिकार होगा।

संक्षिप्त टिप्पणी

निलम्बन का उद्देश्य जाँच कार्यवाही को निष्पक्ष रूप से चलाया जाना है। अपचारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जाँच सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तावित है जाँच की समाप्ति की अवधि तक के लिए उसे निलम्बित किया जा सकता है ताकि वह अपने पद का दुरुपयोग न करें।

(1) **निलम्बन कब आवश्यक है**—स्वामी और सेवक के बीच इस सम्बन्ध का, निलम्बन के कारण, अस्थाई निलम्बन हो जाता है। निलम्बन काल में सेवा का निबन्ध बना रहता है और कर्मचारी की सेवा बनी रहती है तथा इससे सम्बन्धित सभी लाभ का वह हकदार भी रहता है, पर उससे कार्य की वांछा नहीं की जाती। ए०आई०आर० 1971 इला० 214 में आया है कि निलम्बित रहने पर भी, जब तक रोका न जाय, उसकी वेतन वृद्धि मिलती रहेगी। जब सेवक हिरासत में रोका जाता है तो निलम्बन स्वयमेव हो जाता है। विमुक्ति के बाद, चाहे निलम्बन आदेश पारित हुआ हो अथवा नहीं, निलम्बन का हटाना आवश्यक है जैसा कि 1980 (1) एस०एल०आर० 678 में है। शा०आ०सं० 22-4-1971 (नियुक्ति ख), दिनांक 2-7-71 की मन्शा है कि निलम्बन तभी हो जब आरोप गंभीर हो और पदच्युति

भी हो सकती हो, और ऐसी स्थिति में आरोप-पत्र अविलम्बन लगाना चाहिये। शा०आ०सं० 7-8-1977 कार्मिक-1, दिनांक 30-7-77 ने इससे पूर्व के शासनादेशों को बताते हुए निदेश दिया है कि विभागीय कार्यवाही दिये गये समय अनुसूची में समाप्त कर दी जाय। शा०आ०सं० 7-9-1980 कार्मिक-1, दिनांक 7-6-80 पूर्व के शासनादेशों को सन्दर्भित करता हुआ स्मरण दिलाता है कि संविधान के 42वें संशोधन से द्वितीय अवसर दिये जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

सिविल मि० रिट सं० 4961/74 में निर्णय है कि निलम्बन आदेश नहीं होना चाहिये जब तक आरोप-पत्र न हो। *राम गनेश राय* बनाम *राज्य* निर्णीत 10-2-76 इलाहाबाद *व०जे०सी० चौहान* बनाम *राज्य*,[1] में भी इसका समर्थन है।

(2) निलम्बन काल में रहने का स्थान—*राज्य* बनाम *छोटेलाल*[2] में यह भाव आया है कि जिस मामले में अधिकारी की न्यायालय से जमानत हुई हो, उसमें पुलिस अधीक्षक का आदेश कि अधिकारी निलम्बन अवधि में पुलिस लाइन में रहे, प्रभावी न होगा।

(3) जन हित—"जन हित" भिन्न-भिन्न कानून में प्रयुक्त होने पर भिन्न-भिन्न अर्थ दे सकता है। जब गवाहान अपराधी अधिकारी के अध्याधीन होने के कारण बयान देने में हिचकिचा रहे हों या जब गवाहान पर दबाव देने या अभिलेख में दखल देने से बचाना आवश्यक हो या जब किसी पुलिस अधिकारी के अविलम्ब तबादले के लिए जन आन्दोलन हो तो सभी कारण तबादले के लिए जनहित में होंगे। जहाँ आरोप गम्भीर हों, जैसे नैतिक अधमता, रिश्वत, भ्रष्टाचार, गबन वहाँ अधिकारी का पद पर बने रहना जनहित के प्रतिकूल हो सकता है व उसके निलम्बन पर विचार किया जा सकता है। विधिक सीमाओं के अन्दर निलम्बन करने के अधिकार का प्रयोग हो सकता है। *सुधीर कुमार* बनाम *पुलिस अधीक्षक*[3] में बिना अनुमति अनुपस्थित पाये जाने के कारण किये गये निलम्बन को वैध व जनहित में नहीं माना है।

(4) कब निलंबन का औचित्य नहीं है—*आर्यवीर सक्सेना* बनाम *राज्य*[4] में निलम्बन को बिना कानून के आधार का माना गया जहाँ निलंबन के दिन न कोई जाँच चल रही थी न ऐसा आयोजित था और बिना आरोप-पत्र के यह स्थिति तीन वर्षों तक बनी रही। यह भी माना गया कि यह सिद्ध करने को काफी था कि निलम्बन के दिन अनुशासित कार्यवाही आयोजित नहीं थी।

सगीर अहमद उप-निरीक्षक द्वारा अधिकारण में दाखिल दावा सं० 380 एफ/तीन/1977 दिनांक 21-1179 को मय खर्च के इसी तथ्य पर स्वीकृत किया गया कि निलम्बन के समय उसके विरुद्ध कोई न्यायिक या वैभागिक जाँच नहीं चल रही थी, जैसा कि इस प्रावधान में वांछित है। *राम गनेश* बनाम *राज्य* (रिट सं० 4961/74) में भी दिनांक 10-2-76 को निलंबन आदेश इसी कारण रदद कर दिया गया कि आदेश के दिन उसके विरुद्ध कोई न्यायिक या विभागीय कार्यवाही लम्बित नहीं थी।

---

1. 1977 ए०बी० केसेज 704.
2. 1956 ए०एल०जे० 860.
3. 1973 (3) एस०एल०आर० 797 कलकत्ता.
4. 1979 (2) एस०एल०आर० 52 इला०.

जहाँ सक्षम अधिकारी ने शासन के निदेशों या दिये गये इन्गितों के अनुसार निलम्बन आदेश पारित करने में मेधा का प्रयोग नहीं किया है, वहाँ निलम्बन आदेश गलत मान कर रद्द कर दिया गया।[1]

पुलिस रेगुलेशन में, होने वाली जाँच के स्तर पर निलम्बन किये जाने पर विचार नहीं किया है। निलम्बित करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक को केवल कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने पर दिया गया है, इससे पूर्व नहीं। विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व पारित निलम्बन आदेश अवैध है।[2]

याची पुलिस कान्सटेबिल को दिनांक 31-8-82 को निलम्बित किया गया, मगर ढाई वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो उसे आरोप-पत्र दिया गया न अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इन तथ्यों के प्रकाश में अत्याधिक और अनुचित विलम्ब के कारण निलम्बन रद्द कर दिया गया।[3]

(5) कब निलम्बन समाप्त होता है—जब निलम्बित सेवक बाद में सेवा से विभागीय कार्यवाही करके हटा दिया जाता है तो निलम्बन के आदेश का उसी में समावेश हो जाता है जब सेवा से हटाये जाने का आदेश न्यायालय से रद्द हो गया तो सेवक सेवा में माना जायेगा और निलम्बन आदेश की भी समाप्ति मानी जायेगी। *डब्ल्यू० बी० करैया* बनाम *डिप्टी मैनेजिंग डाइरेक्टर*[4] माना गया कि निलम्बन के स्थान को पदच्युति ने ले लिया था जो बाद को समाप्त हो गया।

(6) निलम्बन कब माना जाय—निलम्बन आदेश न तो सेवाच्युति होता है न सेवामुक्ति, इस कारण संविधान का अनुच्छेद 311 (2) आकर्षित नहीं होता।[5]

न्यायालय से दण्डित होने के फलस्वरूप जब कर्मचारी को सेवाच्युत कर दिया गया और वह अपील से दण्ड मुक्त हो गया तो विभाग सेवक को पुनः सेवा में स्थित करने के बाद, भिन्न आरोप पर आगे जाँच कार्यवाही कर सकता है, मगर इस स्थिति में सरकारी कर्मचारी निलम्बन की अवस्था में ही माना जायेगा।[6]

न्यायालय ने कर्मचारी को विभाग द्वारा सेवाच्युत किये जाने के आदेश को रद्द करते हुये निर्णय में यह विभाग के अधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया कि कर्मचारी के विरुद्ध आगे कार्यवाही करने पर विचार कर सकते हैं, परन्तु यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आगे कार्यवाही किये जाने का निर्णय अधिकारी ने लिया, इसलिये कर्मचारी को निलम्बित हुआ नहीं माना जायेगा।[7]

---

1. एन० जे० सजीवा *बनाम* असिस्टेंट कलेक्टर, 1984 (1) एस०एल०जे० 164 केरल.
2. बृजेश चंद्र *बनाम* उ०प्र० राज्य, 1986 (1) एस०एल०आर० 751 इला०.
3. मुन्नीलाल तिवारी *बनाम* उत्तर प्रदेश, 1986 यू०पी०एल०बी०ई०सी० 235.
4. 1980(2) एस०एल०आर० 466 मद्रास.
5. उड़ीसा राज्य *बनाम* शिव प्रसाद दास, 186 (1) एस०एल०आर० 354 सु०को०.
6. ए०के० बालकृष्ण नायर *बनाम* वरिष्ठ अधीक्षक पोस्ट आफिसेज, 1982 (1) एस०एल०जे० 545 केरल.
7. 1983 एल०आई०सी० (एन०ओ०सी०) 104 इला०.

(7) निलम्बन की अवधि का देय धन—सरकारी कर्मचारी ने, दिनांक 1-2-68 को निलम्बित होने व दिनांक 9-4-74 को उच्च न्यायालय से दोष मुक्त होने तथा पुनः पदस्थ होने के बाद अपने विगत अवधि का शेष देय वेतन आदि का भुगतान माँगा। यह माँग पदस्थ होने के तीन वर्ष के अन्दर ही किया था। लिमिटेशन एक्ट के अन्दर पिछले तीन वर्षों के पहले की अवधि काल बाधित होती है, मगर यह इसलिये लागू नहीं माना गया कि कर्मचारी को बकाया धनराशि तभी देय हुई जब वह पदस्थ किया गया और उसे पूरे पिछली अवधि की धनराशि पाने का हकदार माना गया।[1]

497. निलम्बन के अधीन प्रधान कान्सटेबिलों और कान्सटेबिलों से पुलिस अधीक्षक द्वारा लाइनों के भीतर पंक्ति में रहने की अपेक्षा की जा सकेगी, परन्तु उन पर उससे अधिक कठोर निरोध नहीं किया जावेगा जितना कि उन्हीं को पंक्ति के लाइन के कर्तव्य पर रहने वाले अधिकारी पर रहता है। उन्हें अपने विधिक सलाहकार से सम्पर्क करने या उनका बचाव तैयार करने के लिए लाइन छोड़ने की अनुमति दी जानी चाहिये। यही आदेश निलम्बन के अधीन उप-निरीक्षकों की दशा में लागू होगा, यदि उनके लिये लाइन में उपयुक्त स्थान हो।

यदि निलम्बन के अधीन पुलिस अधिकारी से पुलिस लाइन में रहने की अपेक्षा की जावे, निलम्बन के आदेश में इस आशय के अनुदेश का समावेश होना चाहिये।

यह आदेश उन पुलिस अधिकारियों के मामले में लागू नहीं होते जो किसी विधिक न्यायालय द्वारा जमानत पर उन्मोचित कर दिया जावे और निलम्बन के अधीन कर दिया जावे, परन्तु पुलिस अधीक्षक ऐसे अधिकारी को यह आदेश दे सकेगा कि वह उसे अपनी गतिविधियों से सूचित बनाये रखे।

498. उस प्राधिकारी को जो निलम्बन के पश्चात् किसी पुलिस अधिकारी की पुनर्स्थापना का आदेश सिविल सर्विस रेगुलेशन्स और मूलभूत नियमों के अध्याधीन रहते हुये, यह निर्देशित करना चाहिये कि उसे निलम्बन की समयावधि में किस दर से भुगतान किया जाना है और क्या वह समयावधि पेन्शन के लिए गिनी जाना है। यह आदेश उस अधिकारी को घोड़े के भत्ते को अनुदत्त किया जाना प्रभावित नहीं करेगा, जो उपरोक्त पैरा 496 के उप पैरा तीन के द्वारा शासित होता है।

उस प्राधिकारी को निलम्बन के पश्चात् किसी पुलिस अधिकारी को पुनर्स्थापित किए जाने का आदेश दे देना चाहिये कि वह अपने मूल आदेश को, जहाँ तक उसका सम्बन्ध मामले के परिणाम के अनुसार और मूलभूत नियम 54 के अध्याधीन रहते हुये निलम्बन काल के दौरान वेतन के भुगतान से है, सम्पुष्ट करे या उलट दे। घोड़े के भत्तों के भुगतान के आदेश को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वह, मामले के परिणाम से सापेक्ष न होते हुए, केवल तीन मास की समयावधि के लिए ही निकाला जावेगा।

यदि अपील या पुनरीक्षण पर, उस पुलिस अधिकारी के लिए जो पदच्युत कर या निकाल दिया गया हो, पुनर्स्थापित किये जाने का आदेश दिया जावे, जो निवृत्त हो गया है, परन्तु आदेश की प्राप्ति से एक पखवाड़े के भीतर वह अपने कर्त्तव्य पर पुनः उपस्थित होने में विफल रहता है, तो पदच्युत,

---

1. उ०प्र० राज्य *बनाम* अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, 1986 यू०पी०एल०बी०ई०सी० 342.

निकाल देने या व्यक्ति की पंक्ति में अवनति करने को सशक्त प्राधिकारी यह उपधारणा कर सकता है कि यह युक्तियुक्त रूप से व्यवहारिक नहीं है कि उक्त अधिकारी को कारण बताने का अवसर दिया जावे, और अपने कारणों को लेखीय में अभिलिखित करते हुए, उसकी अनुपस्थिति में कार्यवाही कर सकता है।

499. उन मामलों में जिनमें पुनरीक्षण के लिए आवेदन या अपील को ग्रहण करना उसकी सामर्थ्य के भीतर हो, उप-महानिरीक्षक की या अन्य मामलों में परिषद् सहित गवर्नर या पुलिस महानिरीक्षक की मन्जूरी के बिना निलम्बन काल की समयावधि के लिए घोड़े के भत्ते से हटकर कोई वाहन भत्ता नहीं दिया जावेगा। वेतन के भुगतान के बारे में आदेश पारित करने वाले अधिकारी को, घोड़े के भत्ते से हटकर वाहन भत्ते के भुगतान के प्रश्न को उच्चतर प्राधिकारियों को निर्देशित करने की आवश्यकता केवल तभी होगी, जबकि वे उसके भुगतान की सिफारिश करें, निलम्बन इस भत्ते को स्वत: रोक देता है, जब तक कि उसके प्रतिकूल आदेश न दिये जावें।

500. (क) जब कोई न्यायालय किसी पुलिस अधिकारी के आचारण की निन्दा करे, उन बिन्दुओं पर जिनको न्यायालय ने निन्दा के योग्य ठहराया हो, अपील के, यदि कोई हो, परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल जाँच की जानी चाहिए।

(ख) यदि वह अधिकारी जिसके आचरण की निन्दा की गई हो, पुलिस अधीक्षक हो, रेन्ज का उप-महानिरीक्षक जाँच संचारित करेगा। उसकी समाप्ति पर, वह आयुक्त को रिपोर्ट अग्रेषित करेगा।

(ग) यदि आयुक्त समझता है कि कोई आगामी कार्यवाही आवश्यक नहीं है, वह अपने अभिमत को अभिलिखित करेगा और उप-महानिरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति और अपना अभिमत महानिरीक्षक को उसकी एक प्रति भेजते हुये, सरकार को अग्रेषित करेगा, यदि वह ऐसा समझता है कि आगामी कार्यवाही वांछनीय है, वह अपना अभिमत अभिलिखित करेगा और महानिरीक्षक को कागज अग्रेषित करेगा और एक प्रति सरकार को भेजेगा।

(घ) यदि वह अधिकारी जिसके आचरण की निन्दा की गई है, पुलिस अधीक्षक से भिन्न पंक्ति का हो, तो जिले का पुलिस अधीक्षक या तो स्वयं या किसी राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से जाँच संचारित करेगा। उसकी समाप्ति पर, वह जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट अग्रेषित करेगा।

(ङ) यदि जिला मजिस्ट्रेट यह समझे कि कोई आगामी कार्यवाही वांछनीय नहीं है, वह अपना अभिमत अभिलिखित करेगा और आयुक्त के माध्यम से पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट और अपने अभिमत को सरकार को और ऐसी ही प्रति सेन्ट्रल रेन्ज के उप-महानिरीक्षक को अग्रेषित करेगा। यदि वह समझता है कि आगामी कार्यवाही आवश्यक है, वह अपना अभिमत अभिलिखित करेगा, और सरकार को एक प्रति भेजते हुये कागज पुलिस अधीक्षक को वापस कर देगा। पुलिस अधीक्षक यथासमय अपने द्वारा की गई कार्यवाही से, जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा।

टिप्पणी

न्यायालय अभिलेख पर प्राप्य शहादत पर अपना निष्कर्ष स्वयं निकालती है व कभी-कभी पुलिस अधिकारी के आचरण की परिनिन्दा करती है। ऐसी स्थिति में निन्दा से सम्बन्धित विषय पर जाँच अवश्य होनी चाहिये क्योंकि न्यायालय के समक्ष एक विशिष्ट आरोप से सम्बन्धित साक्ष्य था जो पुलिस अधिकारी के त्रुटियों पर पूर्ण प्रकाश नहीं डालता। यदि विभागीय जाँच में पुलिस अधिकारी निर्दोष और अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह नहीं पाया गया तो न्यायालय के टीका के बाद भी वह बिना लांछन के होगा। शासनादेश सं० 7772-आर/आठ-बी-द्वितीय-1007/63, दिनांक 17-2-66 ने शीर्षक दिया है जिसके अनुसार जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भेजनी होती है। सक्षम अधिकारी प्रस्तावित दण्ड पर बिना शासन के अनुमोदन की प्रतीक्षा किये, मामले में निर्णय ले सकता है, जैसा कि शा०आ०सं० 2791-आर/आठ-क-2-1192-69, दिनांक 11-7-69 सपठित शा०आ०सं० 120 पी/आठ-अनुभाग 6-1192/69, दिनांक 3-3-75 में है, किन्तु जहाँ शासन यह समझे कि प्रदत्त दण्ड पर्याप्त नहीं था वहाँ विषय पर फिर से विचार करने को निदेश दे सकती है, जहाँ जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तावित दण्ड से सहमत न हों और पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट के प्रस्ताव से सहमत न हो वहाँ पुलिस अधीक्षक अपने मतभेद का कारण देंगे और जिला मजिस्ट्रेट अपने विचार के साथ आदेश के लिये मामले को शासन को सन्दर्भित करेंगे।

501. (1) उस प्रत्येक पुलिस अधिकारी का, जिसके विरुद्ध, अपने पद की सामर्थ्य के भीतर किए जाने को तात्पर्यित कार्य के सम्बन्ध में, सरकार के द्वारा अतिरिक्त, सिविल या आपराधिक कार्यवाही संस्थापित की गई हो, राज्य के व्यय से बचाव किया जावेगा, जब वह इस प्रकार बचाव किये जाने की इच्छा करे और राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि उसने ईमानदारी, सम्यक् सतर्कता और ध्यान से कार्य किया है।

(2) समस्त पुलिस अधिकारियों का ध्यान पुलिस एक्ट की धारा 42 की ओर आकर्षित किया जाता है, तथापि उन्हें यह स्मरण कराया जाता है कि, जहाँ तक सिविल दावे और कार्यवाहियों का सम्बन्ध है, वह धारा अब प्रवर्तन में नहीं है और अब ऐसे दावे और कार्यवाहियाँ काल मर्यादा लिमिटेशन एक्ट, 1963 में अन्तर्विष्ट सामान्य विधि द्वारा शासित होती है।

(3) जब किसी अधिकारी के सरकार द्वारा बचाव किए जाने के आवेदन पर सरकार के आदेश प्राप्त न हुए हों, उसके विरुद्ध मामले में नियत सुनवाई के दिनांक के एक सप्ताह पूर्व, अधिकारी को न्यायालय में स्थगन के लिए आवेदन करना चाहिए। यदि न्यायालय स्थगन के आवेदन को मन्जूर न करे, तो अधिकारी अपने बचाव के लिए स्वयं ही व्यवस्था करेगा और पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक को अपने बचाव के व्यय के लिए 300 रुपये से अधिक न होने वाली धनराशि अग्रिम दिये जाने के लिए आवेदन करेगा।

यदि ऐसा अग्रिम मन्जूर किया जावे तो वह उस धनराशि के विरुद्ध जो मामले की समाप्ति पर सरकार के द्वारा अधिकारी को पैरा 501(7) (ध) और 501 (8) (ञ) के उपबन्धों के अधीन भुगताने के लिए मन्जूर किया जावे, वसूली या समायोजन किए जाने के योग्य होगा। प्रत्येक मास के अन्तिम दिनांक की अवशेष रहने वाली धनराशि पर 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जावेगा। ऐसे व्ययों के लिए आवेदन ऐसे करार के रूप में होगा, जो ऋण लेने वाले के द्वारा यदि आवश्यक हो तो पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अवधारित की गई अंशिकाओं के द्वारा प्राप्तकर्त्ता के वेतन या पेन्शन से लौटाने के लिए सम्पादित किया जाना हो। अग्रिम की मन्जूरी के समय, पुलिस महानिरीक्षक प्रत्येक मासिक अंशिकाओं की वह राशि अवधारित करेगा जिसमें, यदि अग्रिम वसूली

योग्य हो जावे, तो वापस किया जावे। इन अंशिकाओं की धनराशि अंतिम आंशिक के सिवाय पूरे रुपयों में होगा और ऐसी रीति से अवधारित की जानी चाहिए कि पूरी वसूली आवश्यक हो जाने की दशा में मन्जूर किये गये अग्रिम और प्राप्तकर्ता के मासिक वेतन को ध्यान में रखते हुए, अंशिकाओं की संख्या युक्तियुक्त होना चाहिए। मूलधन को पूर्णतया वसूली कर लिये जाने के पश्चात् ब्याज मूलधन की अंशिकाओं के समान या लगभग समान धनराशि की एक या अधिक अंशिकाओं में वसूल योग्य होगा।

(4) जब वह मामला जिसमें सरकार ने अधिकारों का बचाव किया हो, सफल हो जावे और अधिकारी को व्यय, हानि या क्षति धन प्रदान किया जावे, सरकार द्वारा ऐसे व्यय, हानि या क्षति धन की सीमा तक वहन किया गया व्यय जो उसके द्वारा वसूल किया जा सके, उसके द्वारा लौटा दिया जावेगा।

(5) अपराध अन्वेषण विभाग या रेलवे पुलिस से सम्बन्ध रखने वाले पुलिस अधिकारी की दशा में, उसी जिले का मजिस्ट्रेट जिसमें मामला संस्थापित किया गया हो, निम्नलिखित नियमों के प्रयोजन के लिये जिला मजिस्ट्रेट होगा।

(6) जब कभी इन नियमों के अधीन, पुलिस अधिकारी द्वारा कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को कोई संसूचना या रिपोर्ट दी जाना अपेक्षित की गई हो, सभी उन मामलों में, जिनमें पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक का अधीनस्थ हो, ऐसी संसूचना या रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत की जावे।

(ख) सिविल दावे और कार्यवाहियाँ

(7) (क) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अधीन, किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ऐसे कार्य के सम्बन्ध में जिसका ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा अपने पद की सामर्थ्य में किया जाना तात्पर्यित हो, कोई दावा, दो मास के पूर्व सूचना-पत्र के बिना, जो उसको दिया जावे, नहीं लाया जा सकेगा।

(ख) वह अधिकारी जिसको उसके विरुद्ध धमकी दावे का सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अधीन सूचना-पत्र, प्राप्त हो, जब तक कि वह उस दावे को स्वीकार करने को तैयार न हो, तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेगा और बिना किसी विलम्ब के और यथासंभव पूर्णरूप में उन तथ्यों का विवरण जिनके कारण सूचना-पत्र दिया गया है और दावा फाइल कर दिए जाने की दशा में अपना प्रस्तावित बचाव, तैयार करेगा। तब वह उस वर्णन को कलेक्टर को अग्रेषित कर देगा, जो सरकारी प्लीडर का अभिमत प्राप्त करेगा। सरकारी प्लीडर संबंधित अधिकारी से ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो अभिमत व्यक्त करने के लिए आवश्यक हो। यदि सूचना-पत्र किसी वाद-पत्र के रूप में हो, सरकारी प्लीडर एक प्रारूप लेखीय कथन तैयार करेगा। कलेक्टर वर्णन को सरकारी प्लीडर के अभिमत और (यदि कोई हो) प्रारूप लेखीय कथन के साथ सीधे लीगल रिमेम्बरेन्सर के पास, इस बात की सावधानी अपनाते हुए कि कागज उसके पास सूचना-पत्र में दी गई कृपात समयावधि की समाप्ति से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व पहुंच जावे, अग्रेषित कर देगा और उसी के साथ ही यह रिपोर्ट करेगा कि धमकी दिए गए दावे के लाये या न लाये जाने की क्या सम्भावनायें हैं। लीगल रिमेम्बरेन्सर, पुलिस महानिरीक्षक को संसूचना के पश्चात्, सरकार के इस बारे में आदेश प्राप्त करेगा कि क्या उसके व्यय पर दावे का बचाव हाथ में ले ले, यदि दावा फाइल किया जावे तो अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया सभी विषयों में वही होगी, जैसा कि सरकार के विरुद्ध दावे में होती है।

(ग) यदि किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध, उसके द्वारा पद की सामर्थ्य में किये जाने के लिए तात्पर्यित कार्य सम्बन्ध में कोई दावा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के द्वारा अपेक्षित सूचना-पत्र के बिना लाया जावे, वह, जब तक कि सरकार के आदेश प्राप्त कर लिये जाने के लिये पर्याप्त समय न दिया गया हो, जिले के कलेक्टर को तत्काल सूचना देगा, जो सरकारी प्लीडर को स्थगन के लिये आवेदन-पत्र देने को अनुदेशित करेगा।

(घ) जब कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध वाद लाये जाने की धमकी दिये जाने की सूचना पैरा 501 (7) (ख) के अधीन प्राप्त करे, वह इस तथ्य की रिपोर्ट और परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण पुलिस महानिरीक्षक को तत्काल उचित प्रणाली के माध्यम से देगा।

(ङ) किसी मामले में जिसमें सरकार दावे के बचाव को अपने हाथ में लेने को तैयार न हो या अधिकारी ने स्वयं पैरा 501(3) के अधीन अपना वकील नियोजित कर लिया हो, यदि सरकार का यह समाधान हो जावे कि स्वयं का बचाव करने के लिये निर्वहन किया गया या उसके विरुद्ध पारित की जाने वाली किसी आज्ञप्ति को संतुष्टि या न्यायालय के बाहर मामले का व्यवस्थापन करने के लिये युक्तियुक्त व्यय भुगताया जावे।

(च) किसी सिविल वाद में जिसमें, किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आज्ञप्ति पारित हो जावे, सरकार आज्ञप्त धनराशि भुगताने के लिये बाध्य नहीं है और उसके अतिरिक्त दावे के बचाव में वहन किये गये व्यय को वसूल करने के लिये अधिकारी रहेगी।

(ग) आपराधिक कार्यवाहियाँ

(8) (क) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध संस्थापित आपराधिक अभियोजन की दशा में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 लागू होगी और उसका अनुसरण किया जावेगा।

(ख) जब कोई पुलिस अधिकारी, पद की सामर्थ्य में किये गये अपने किसी कार्य के आधार पर अपराध करने का अभियुक्त हो वह तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेगा और जब तक कि वह निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार सरकार के व्यय से अपने बचाव कराने के लिये इच्छुक न हो, वकील के सहित या रहित अपने बचाव की स्वयं अपनी व्यवस्था करेगा। पुलिस अधीक्षक या अन्य कोई वरिष्ठ अधिकारी उचित प्रणाली के माध्यम से महानिरीक्षक को उस प्रत्येक मामले की तत्काल सूचना देगा, जिसमें कोई पुलिस अधिकारी किसी अपराध के करने का अभियुक्त हो।

(ग) अपने पद को सामर्थ्य में किये गये किसी कार्य के आधार पर, अपराध करने के लिये अभियुक्त कोई पुलिस अधिकारी सरकार के व्यय पर बचाव किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है। प्रथम अवस्था में ऐसा आवेदन पुलिस अधीक्षक को किया जाना चाहिए। यदि आरोप किसी तुच्छ प्रकृति का हो कि उसका उत्तर अभियुक्त अधिकारी को व्यक्तिगत उपस्थिति से ही हो सकता है, पुलिस अधीक्षक अधिकारी को व्यक्तित: बचाव करने का परामर्श देगा। दूसरे मामलों में अपने इस अभिमत के साथ कि अधिकारी का बचाव सरकारी व्यय पर किया जावे, या नहीं, तब आवेदन को जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से महानिरीक्षक को अग्रेषित कर देगा। यदि उसका यह अभिमत हो कि अधिकारी का बचाव किया जाना चाहिए, लोक अभियोजक नियोजित न किया जा सके या उसका नियोजन वांछनीय नहीं है, पुलिस अधीक्षक सरकार के व्यय पर किसी वकील की नियुक्ति की सिफारिश करेगा। महानिरीक्षक को आवेदन अग्रेषित करते समय, जिला मजिस्ट्रेट यह कथन करेगा कि उसके अभिमत में अभियुक्त अधिकारी का लोक अभियोजक द्वारा या उसके विफल रहने पर किसी वकील के द्वारा सरकारी व्यय पर बचाव किया जाना चाहिये या

उससे अपने बचाव के लिए स्वयं का वकील नियुक्त करने की अपेक्षा की जानी चाहिये। पुलिस महानिरीक्षक जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश प्राप्त करने पर, सरकार से यह आदेश प्राप्त करेगा कि क्या अभियुक्त अपराधी का लोक अभियोजक के द्वारा या सरकारी व्यय पर वकील के द्वारा बचाव किया जाना चाहिये।

(घ) जब इस पैरा के अधीन पुलिस अधिकारी का सरकारी व्यय पर बचाव किया जावे, उसके बचाव में, ऐसे मामले में, जिसमें वह सेशन न्यायालय में विचारण के लिए सुपुर्द किया जावे, बचाव में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाँच के दौरान और सेशन न्यायालय में विचारण के दौरान, दोनों ही बचाव माने जावेंगे।

जब कोई पुलिस अधिकारी, जिसका सरकारी व्यय पर बचाव किया जाना हाथ में लिया गया हो, मजिस्ट्रेट द्वारा उन्मोचित कर दिया जावे, किन्तु उसे मजिस्ट्रेट की आज्ञा के विरुद्ध लाई गई पुनरीक्षण आवेदन के कारण पुनः अपना बचाव करना पड़े, अधिकारी का बचाव सरकारी व्यय पर पुलिस महानिरीक्षक की मंजूरी से किया जाना जारी रहेगा, तथापि पुलिस महानिरीक्षक पुनरीक्षण आवेदन के सम्बन्ध में अधिकारी या सरकारी व्यय पर बचाव किया जाना अस्वीकार कर सकता है, यदि ऐसी स्वीकृति के लिये मजिस्ट्रेट का आदेश या उसके कब्जे में होने वाली कोई अन्य जानकारी पर्याप्त कारण प्रकट करे।

(ङ) जब पुलिस द्वारा अभियोजित कोई व्यक्ति उसके अभियोजन के लिये उत्तरदायी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रतीत मामला लाता है तो अभियुक्त अधिकारी का अधीनस्थ न्यायालय में लोक अभियोजक द्वारा और जिले के सरकारी वकील द्वारा सेशन न्यायालय में बचाव किया जा सकता है, परन्तु यह कि पुलिस द्वारा संस्थापित मामले के अभियोजन के सिद्धान्त से अधिकारी का बचाव पूर्णतया संगत हो।

(च) यदि कोई पुलिस अधिकारी उस अपराध के लिये दोषसिद्ध पाया जावे, जिसका वह अभियुक्त हो, और अपील करने की इच्छा करे, उसे स्वयं अपना वकील नियोजित करना चाहिए, किन्तु ऐसे मामले में सरकार बाद में, निम्नलिखित नियमों के अनुसार उसके बचाव के लिये युक्तियुक्त व्यय का भुगतान कर सकती है।

(छ) अपने पद को सामर्थ्य में किए गए किसी कार्य के आधार पर अपराध करने के लिये अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी की मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाँच या विचारण या सेशन न्यायालय में विचारण या, यदि कोई हो, तो अपील के निर्णय के पश्चात उस मामले में जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को दोषसिद्ध ठहराया जावे, उसका वरिष्ठ अधिकारी निर्णय की एक प्रति अन्य संगत कागजों के साथ और अपने इस अभिमत के साथ कि क्या अधिकारी ने ईमानदारी या सम्यक् सतर्कता और ध्यान से कार्य किया था या नहीं, जिला मजिस्ट्रेट को भेज देगा।

(ज) जिला मजिस्ट्रेट वरिष्ठ अधिकारी के अभिमत के साथ निर्णय को, अपने स्वयं के इस अभिमत के साथ कि क्या अधिकारी ने ईमानदारी और सम्यक् सतर्कता और ध्यान से कार्य किया था या नहीं, पुलिस महानिरीक्षक के पास अग्रेषित करेगा। जिला मजिस्ट्रेट चाहे यह समझे या न समझे कि अधिकारी ने ईमानदारी और सम्यक् सतर्कता और ध्यान से कार्य किया था, वह प्रत्येक मामले में यह कथन करेगा कि उसके अभिमत में कि बचाव के युक्तियुक्त व्यय क्या माने जावें।

(झ) यह सिफारिश करने में कि बचाव के युक्तियुक्त व्यय क्या माने जावें जिला मजिस्ट्रेट निम्नलिखित नियमों द्वारा शासित होगा।

(1) सरकारी वकील को देय वकील फीस की मंजूर दरें ध्यान में रखी जानी चाहिये और सिफारिश की गई फीस पूरे दिन के कार्य के लिए 50/- रुपये और आधे दिन के लिए 25/- रुपये के अधिकतम से अधिक नहीं होना चाहिए।

किसी न्यायालय या न्यायालयों में तीन घन्टे से अधिक कार्य पूरे दिन का कार्य गिना जावेगा, तीन या उससे कम घन्टों का कार्य आधे दिन का कार्य गिना जावेगा।

(2) प्रत्येक पेशी के लिए एक वकील से अधिक के लिए भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

(3) जिले के बाहर के वकील के नियोजन के लिए वहन किये गये कोई अतिरिक्त व्यय भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

यदि किसी मामले में जिला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि इन सिद्धान्तों का न्याय के प्रतिकूल प्रभाव होगा, उन्हें इन नियमों से हटने का औचित्य बताना चाहिये।

(ञ) जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश प्राप्त होने पर पुलिस महानिरीक्षक, उस राशि के बारे में, यदि कोई हो, जो बचाव के लिये उस अधिकारी को व्यय के रूप में भुगताई जानी चाहिये, सरकार के आदेश प्राप्त करेगा।

(ट) जब कभी किसी आपराधिक मामले में कोई पुलिस अधिकारी दोषसिद्ध ठहराया जावे, सरकार उससे उसके बचाव में वहन किये गये व्ययों को वसूल कर सकेगी। ऐसे मामलों में सरकार, यदि पुलिस अधिकारी पर न्यायालय द्वारा जुर्माना आरोपित किया गया हो, भुगतान के लिए भी आबद्ध न होगी, चाहे उस मामले का मूलत: सरकारी व्यय पर बचाव किया गया हो।

502. जब कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक पदक धारण करता है—

फील्ड सर्विस मेडल, किंग्स पुलिस मेडल, इण्डियन पुलिस मेडल-यदि वह दोषसिद्ध पाया जावे और कठोर कारावास से दण्डित किया जावे, पुलिस अधीक्षक को इस तथ्य की रिपोर्ट पुलिस महानिरीक्षक को इस विचार के लिये कि क्या एक या अधिक पदकों का समपहरण कर लिया जावे, करना चाहिये। रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय पुलिस अधीक्षक को मामले के पूरे तथ्य देना और न्यायालय के निर्णय की एक प्रति अग्रेषित करना चाहिये।

503. यदि कोई पुलिस अधिकारी, अवकाश पर न होते हुये, अपने पदस्थ किए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी जिले में किसी आपराधिक आरोप पर गिरफ्तार कर लिया जावे उस जिले का पुलिस अधीक्षक जिसमें उसे गिरफ्तार किया गया है, उस जिले के, जहाँ वह पदस्थ हो, पुलिस अधीक्षक को सूचना करेगा।

504. बल को छोड़ते समय प्रत्येक अधिकारी प्रारूप क्र० 26 में पदमुक्त प्रमाणं-पत्र के लिये अधिकारी होगा। बल के छोड़ने के कारण (उदाहरणार्थ पदच्युति, त्याग-पत्र इत्यादि) का वर्णन किया जाना चाहिये, किन्तु पदच्युति इत्यादि का कारण आवेदक की इच्छा के सिवाय उसमें अन्तर्स्थापित न किया जावे।

505. निरीक्षक या उससे निम्न पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी अपने पद से त्याग-पत्र देने के अपने आशय की दो मास पूर्व सूचना देकर पद त्याग कर सकता है, परन्तु वह अपने पद के कर्तव्यों से तब तक प्रत्याहरित नहीं होगा जब तक कि उसका त्याग-पत्र उपयुक्त अधिकारी द्वारा स्वीकार न कर लिया जावे और उसने सरकार का किसी पुलिस निधि को उसके द्वारा देय सभी ऋणों का शोधन न कर लिया हो।

परन्तु यह कि प्राधिकारी द्वारा ऐसा त्याग-पत्र सूचना-पत्र की समाप्ति के पूर्व के होने वाले किसी दिनांक के प्रभाव से स्वीकार किया जा सकता है।

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे पुलिस अधिकारी का त्याग-पत्र जिसका आचरण जाँच के अधीन हो या जिसके विरुद्ध पुलिस एक्ट, 1861 (1861 का पाँचवाँ) की धारा 7 के अधीन विभागीय कार्यवाही की जा रही हो या जिसका विधि के द्वारा किसी अपराध का विचारण हो रहा हो, से अधिकारी के विवेकानुसार उस समय तक स्वीकार नहीं किया जा सकेगा जब तक कि, जैसी स्थिति हो, ऐसी जाँच कार्यवाही या विचारण के परिणामस्वरूप अन्तिम आदेश पारित न कर दिये जावें।

टिप्पणी

पुलिस एक्ट की धारा 9 सेवक के त्याग-पत्र देने के अधिकार पर एक रोक लगाता है तथा इस पैरा का दूसरा परन्तुक इस रोक का कुछ विस्तार करता है। राज्यपाल इस विषय पर नियम बना सकते हैं पर वे धारा 1 के प्रावधान के असंगत न हो। दोनों प्रावधान चाहते हैं कि त्याग-पत्र देने के आशय की सूचना कम से कम दो माह पूर्व देनी चाहिये। त्याग-पत्र और त्याग-पत्र देने के आशय की नोटिस दो भिन्न स्तर है जो एक में नहीं मिलाये जा सकते। *सत्यपाल कालरा* बनाम *डी०आई०जी० पुलिस*[1] में उक्त नोटिस व त्याग-पत्र एक साथ ही दिया गया था। इसमें यह माना गया है कि उक्त प्रावधान इसे अधि संभाव्य (Contemplate) नहीं करते इसलिये इनके अनुसार त्याग-पत्र देने से पूर्व उक्त नोटिस देना चाहिये।

506. उस पुलिस अधिकारी को अवकाश अनुदत्त नहीं किया जा सकेगा जिसका आचरण जाँच के अधीन हो या निकट भविष्य में जाँच के अधीन होना सम्भावित हो। उस जिले के जहाँ वह पदस्थ हो सिविल सर्जन द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र के सिवाय अवकाश अनुदत्त नहीं किया जा सकेगा, किन्तु यदि ऐसा पुलिस अधिकारी निलम्बन के अधीन हो किसी प्रकार का अवकाश (चिकित्सकीय आधार पर अवकाश को सम्मिलित करते हुये) अनुदत्त न किया जा सकेगा।

507. कभी-कभी पुलिस अधिकारी अवकाश के साथ-साथ कष्ट निवारण के निवेदन को अपनी नियुक्ति से त्याग-पत्र के प्रस्ताव के साथ, यदि अवकाश अनुदत्त न किया जावे, संयुक्त कर देता है। इस प्रकार के सशर्त त्याग-पत्र साधारणतया स्वीकार न किये जावें। अवकाश या कष्ट निवारण के आवेदनों पर ही आदेश पारित किये जावें। यदि अधिकारी पारित किये गये आदेश से असन्तुष्ट हो, वह उच्चतर अधिकारी को अपील कर सकता या बिना शर्त त्याग-पत्र दे सकता है।

[2][**507-ए. सन्दर्भ की मान्यता**—इस अध्याय में जहाँ कहीं 'इन्स्पेक्टर जनरल' या 'इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस' का सन्दर्भ आया है, वहाँ—

(1) प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी के सदस्यों के सम्बन्ध में "इन्स्पेक्टर-जनरल पुलिस" प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी, उत्तर प्रदेश, का सन्दर्भ माना जायेगा,

(2) आसूचना (इन्टेलीजेन्स) विभाग के कार्मिक दल के सम्बन्ध में "इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस" आसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, का सन्दर्भ माना जायेगा,

---

1. ए०आई०आर० 1964 इला०121.
2. यह नियम राज्यपाल द्वारा स्थापित होकर विज्ञप्ति सं० 2487/आठ-7-175-81, गृह (पुलिस) अनुभाग-7 दिनांक जून 7, 1983 से जारी हुआ जो उ०प्र० गजट, असामान्य, दिनांक 7-6-83 में प्रकाशित हुआ.

(3) अपराध अनुसंधान विभाग के कार्मिक दल के सम्बन्ध में ''इन्स्पेक्टर-जनरल पुलिस'' अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, का संदर्भ माना जायेगा,

(4) पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्मिक दल के सम्बन्ध में ''इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस'' प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, का सन्दर्भ माना जायेगा,

(5) राजकीय रेलवे पुलिस के कार्मिक दल के सम्बन्ध में ''इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस'' रेलवेज, उत्तर प्रदेश, का सन्दर्भ माना जायेगा।

अध्याय 33

अपील, पुनरीक्षण याचिका और दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ

508. राजपत्रित अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अपील को विनियमित करने के नियमों के लिये गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट की धारा 96-क की उपधारा 9 के अधीन परिषद् सहित सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा बनाये गये नियम देखिये, जो सभी श्रेणियों के सिविल अधिकारियों को लागू होते हैं।

उपरोक्त पर आधारित निम्नलिखित नियम, अधीनस्थ पुलिस सेवा के अधिकारियों अर्थात् पुलिस एक्ट की धारा 2 के अधीन भर्ती किये गये पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जाने वाली अपीलों को विनियमित करते हैं।

(1) प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसके विरुद्ध तीसवें अध्याय के अधीन वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोक लिये जाने का आदेश पारित किया जावे या [1](पैरा 478-ए से 478 बी०सी० तक में अंकित दण्ड के दिये जाने का आदेश दिया जावे) निम्न विहित प्राधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध एक अपील प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

(क) यदि आदेश पुलिस महानिरीक्षक का मूल आदेश हो तो स्थानीय सरकार को;

टिप्पणी

ए०आई०आर० 1971 सु०को० 1106 में यह निर्णय आया कि महानिरीक्षक पुलिस द्वारा पदावनति के पारित आदेश के विरुद्ध अपील में राज्य सरकार या तो उनके निर्णय को बहाल रख सकती है या रद्द कर सकती है, पर पदच्युति का आदेश नहीं दे सकती।

(ख) यदि मूल आदेश उप-महानिरीक्षक का हो या उप-महानिरीक्षक का, या पैरा 479 (च) के अधीन सशक्त किये गये पुलिस अधीक्षक, सहायक या उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा पारित मूल आदेश के सम्बन्ध में, जिसमें नियम के अनुसार उप-महानिरीक्षक की सहमति अपेक्षित हो, आदेश उप-महानिरीक्षक का हो पुलिस महानिरीक्षक को;

परन्तु यह कि यदि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, जिसका आदेश अपील की विषयवस्तु हो, तदुपरान्त पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया जावे तो अपील स्थानीय सरकार को होगी और उसके द्वारा निर्णीत की जावेगी।

---

1. शा०आ०सं० 8511/आठ-ए-109/69 दिनांक 2-2-70 द्वारा पुलिस गजट में छपे दिनांक, 18-2-70 से.

(ग) यदि मूल आदेश पुलिस अधीक्षक का ऐसा आदेश हो, जिसके साथ उप-महानिरीक्षक की सहमति, नियम के द्वारा अपेक्षित न हो तो उप-महानिरीक्षक को;

टिप्पणी

विनियम में पैरा 1-ए के बढ़ जाने की दृष्टि में उपरोक्त प्रावधान में भी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस के पद का संदर्भ आना उचित होगा।

(घ) यदि आदेश पैरा 479 (च) में गिनाये गये किसी अधिकारी का वह मूल आदेश हो, जिसके साथ नियम के द्वारा उप-महानिरीक्षक की सहमति अपेक्षित न हो, उप-महानिरीक्षक को;

(2) पैरा 478(ग) (घ) (ङ) और (च) में गिनाये गये तुच्छ दण्ड आरोपित करने के आदेश के विरुद्ध या पुलिस एक्ट की धारा 2 के अधीन नियुक्त किये गये पुलिस अधिकारी की सेवा मुक्त करने यदि उसकी पदमुक्ति परिवीक्षा की समाप्ति के पूर्व आदेशित किया गया हो, या उस धारा के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये किसी अधिकारी की पदच्युति या निकाल देने के आदेश के विरुद्ध, तो अपील नहीं होगी और न कोई अपील अधीनस्थ पुलिस के सदस्य द्वारा, उसे राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति पर परिवीक्षा पर चयन किये जाने से निषेध करने का निरीक्षक की पंक्ति पर पदोन्नत किये जाने से चयन करने से निषेध कर दिये जाने पर उपनिरीक्षक की ओर से, हो सकती।

टीप—कोई उपनिरीक्षक जिसका नाम निरीक्षक पद के लिये अनुमोदित उपनिरीक्षकों की सूची में से निकाल दिया गया हो और कोई उपनिरीक्षक जो निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिये मनोनीत न किया गया हो पैरा 514 में आवेदनों के लिये दिये गये नियमों के अधीन महानिरीक्षक को आवेदन कर सकता है।

टिप्पणी

उप-निरीक्षक जिसका नाम निरीक्षक पद के लिये अनुमोदित उप-निरीक्षकों की सूची से हटा दिया गया और उप-निरीक्षक जिसका नाम निरीक्षक पद के पदोन्नति के लिये मनोनीत नहीं किया गया वे पैरा 514 के नियम के अन्तर्गत महानिरीक्षक पुलिस को आवेदन दे सकते हैं।

(3) प्रत्येक अधिकारी जो अपील करने की इच्छा करे, पृथक् रूप से ऐसा कर सकता है।

(4) इन नियमों के अधीन की गयी किसी अपील में अपील करने वाले अधिकारी द्वारा आधार बनाये गये सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और तर्कों का समावेश होगा, उसमें किसी असम्मानजनक या अनुचित भाषा का समावेश नहीं होगा और वह अपने आप में पूर्ण होगी। प्रत्येक अपील के साथ उस अन्तिम आदेश की एक प्रति रहेगी, जो अपील का विषय हो। सरकारी सेवकों द्वारा फाइल किये जाने वाले अपील के आवेदन और उन अन्तिम आदेशों की प्रतियाँ, जिनके विरुद्ध अपील पेश की गई हो, स्टाम्प शुल्क से प्रभारित होने योग्य न होगी। अपील के साथ पेश की गई अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ कोर्ट फीस एक्ट की धारा 6 (देखिये अनुसूची 1 का अनुच्छेद 9) के अधीन स्टाम्प युक्त की जावे जब तक कि वे स्टाम्प एक्ट की अनुसूची 1 अनुच्छेद 28 के अधीन स्टाम्प लगाये जाने योग्य न हों। (उत्तर प्रदेश स्टाम्प मैन्युअल के पेज 104, 105, 186 और 187 में देखिये।)

(5) प्रत्येक अपील, उस समय चाहे अपीलान्ट सरकारी सेवा में हो या न हो, जिले के पुलिस अधीक्षक के या उन अधिकारियों की दशा में, जो जिले के कार्यों में नियोजित न हों, उस कार्यालय के, जिससे अपीलान्ट सम्बन्धित हो या सम्बन्धित रहा हो, प्रमुख के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(6) प्रत्येक अपील, उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील करने वाले अधिकारी को उसकी सूचना प्राप्ति के पश्चात् तीन मास के भीतर की जावेगी, परन्तु यह कि अपीलीय अधिकारी अपने विवेक से, अच्छा कारण दर्शाये जाने पर समयावधि में छः मास तक का विस्तारण कर सकता है।

(7) पुलिस महानिरीक्षक सरकार को की गई अपील को रोक सकता है।

(1) जो कि ऐसे मामले की अपील हो, जिसमें इन नियमों के अधीन कोई अपील न होती हो,

(2) जो नियम छः के उपबन्धों का पालन न करती हो,

(3) जो इन नियमों द्वारा विहित अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा निर्णय की ओर आगे अपील हो और जिसमें कोई नवीन तथ्य या नवीन परिस्थिति न बताई गई हों, जो मामले के पुनर्विचार के लिये आधार उत्पन्न कर सके।

पुलिस अधीक्षक या उच्चतर पंक्ति का कोई अधिकारी किसी अपील को रोक सकेगा

(4) जो नियम चार या पाँच के किसी एक या अधिक उपबन्धों की पालना नहीं करती,

परन्तु यह कि प्रत्येक उस मामले में जिसमें अपील रोक ली गई हो, अपील करने वाले अधिकारी को इस तथ्य और उसके कारणों से सूचित किया जावेगा।

(8) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपील रोक दिये जाने के विरुद्ध कोई अपील न होगी।

परन्तु यह कि नियम चार या पाँच में वर्णित की गई शर्तों के पालन में विफल रहने के कारण रोकी गई अपील, रोकी नहीं रखी जावेगी, यदि वह अपील की मूल समयावधि के भीतर इन नियमों का पालन करते हुये रूप में पुनः प्रस्तुत कर दी जावे।

(9) पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस उप-महानिरीक्षक, अपने कारणों को लेखीय में अभिलिखित करते हुये स्वप्रेरणा से या अपील सुनने को सशक्त अधिकारी के निवेदन पर समान रूप से पंक्ति के किसी अन्य अधिकारी को अपील अन्तरित कर सकता है।

इस नियम की कोई बात, किसी अपीलान्ट की अपील को अन्तरित करने के लिये आवेदन करने का अधिकारी नहीं बनायेगी और इस उप पैरा के अधीन पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस उप-महानिरीक्षक के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

टिप्पणी

पुलिस विनियम में 1966 में (गजट दिनांक 6-4-66) पैरा 478-ए के जोड़ दिये जाने के कारण उपेक्षा और लापरवाही करने वाले अधिकारी को दुश्चरित्र लेख देने की प्रक्रिया सरल हो गई है तथा पैरा 490 की औपचारिकता के पालन की आवश्यकता नहीं रह गई है। पैरा 478 में भी दुश्चरित्र लेख देने की व्यवस्था रहने दी गई है कि पैरा 490 की कार्यवाही में भी उक्त दण्ड देय हो सके। शा०आ०सं० 12978/आठ-का-99/68, दिनांक 18-8-69 ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों व्यवस्था के अन्तर्गत कृत कार्यवाही धारा 7 के पुलिस एक्ट के अन्दर मानी जायेगी और 486 में निहित प्रारम्भिक जाँच दोनों स्थिति में होगा।

लेकिन जहाँ पैरा 478 (बी०सी०) में प्रदत्त दुश्चरित्र अभिलेख पैरा 508 में अपील योग्य माना गया है, पैरा 478-ए में प्रदत्त दण्ड के लिए पैरा 508 में स्पष्ट उल्लेख नहीं आया है। शा०आ०सं० 8511/आठ-ए-109-69, दिनांक 2-2-70 में जहाँ पैरा 508 (1) में परिवर्तन करके कतिपय दण्ड को अपील किये जाने की कोटि में रखा उसमें भी पैरा 478-ए में प्रदत्त दण्ड के बारे में कर्तव्य नहीं आया। यह नहीं माना जा सकता है कि जब एक ही अध्यांय के अन्दर, समान परिणाम रखने वाला वही दण्ड दो प्रकार की प्रक्रिया में देय है तो एक के विरुद्ध अपील हो सकती है और दूसरे के विरुद्ध

नहीं, और न यह मन्शा रही है कि इस तरह की भिन्नता व भेद बना रहे, क्योंकि अपीलें दोनों प्रक्रिया में प्रदत्त दण्ड भी अंगीकृत की जाती है। सम्भव है कि शासन/पुलिस महानिरीक्षक महोदय के समक्ष यह पक्ष उचित संशोधन हेतु विचारणीय हो।

509. जब अपीलीय अधिकारी अपील को ग्रहण करने और अभिलेख बुलाये, वे सभी कागज दण्डित अधिकारी के द्वारा जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, विचार किया गया हो।

अपील में पारित किये गए आदेशों की प्रतियाँ, जो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रदान की जाती है, विभागीय जाँच की फाइल के साथ सदैव ही अभिलेख में रखी जावें और जब अभिलेख बुलाये जावें तो उसके साथ प्रेषित की जावें।

510. पदच्युति के आदेश के विरुद्ध सफल अपील की दशा में यह घोषित करना चाहिये कि कर्तव्य से प्रवृत्त की गई अनुपस्थिति की समयावधि को क्या पेन्शन के लिये गिना जावेगा।

पुनरीक्षण

511. (क) उन सभी आदेशों की दशा में जिनके विरुद्ध पैरा 508 (क) के अधीन अपील की जा सके, पुनरीक्षण की शक्ति का स्वप्रेरणा से उस प्राधिकारी के द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा जिसको अपील की जा सकती हो।

(ख) पद (क) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पुलिस महानिरीक्षक, किसी अधीनस्थ प्राधिकारी के अपील के अयोग्य या दोषमुक्ति के मामले के किसी आदेश में उलट फेर कर सकेगा।

(ग) किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निर्णय किए गए किसी मामले का अभिलेख, साधारणतया, उलट फेर चाहे जाने वाले आदेश के दिनांक से छः मास के पश्चात् नहीं मंगाया जावेगा।

(घ) सरकारी सेवक पर विपरीत प्रभाव डालने वाला कोई आदेश साधारणतया अभिलेख प्राप्ति से छः मास के पश्चात् पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, लेखीय में अभिलिखित किये जाने वाले अत्यन्त विशेष कारणों के सिवाय पारित किया जावेगा।

टीप—(यह पैरा अधिसूचना क्रमांक 3114/आठ-क-113-65, दिनांक 29 मार्च, 1963 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।)

(ङ) कोई प्राधिकारी स्वप्रेरणा से किसी मामले में एक से अधिक बार पुनरीक्षण का प्रयोग नहीं करेगा।

टिप्पणी

ए०आई०आर० 1971 सु०को० 1106, 1971 एस०एल०आर० 317 में आया है कि अपील सुनने के अधिकारी अपने पुनरीक्षण के अधिकारी का तब प्रयोग कर सकते हैं जब किसी कारणवश अपील नहीं हो सकती या नहीं की गई, और आदेश इस तरह असंगत है कि पुनरीक्षण के अधिकार का उपयोग अधिकारी के विचार में जरूरी है। हालांकि यह पैरा कारण बताओ नोटिस देने की व्यवस्था नहीं देता पर नियम में यह निहित रूप से मान्य है कि जब विमुक्ति के आदेश को रद्द करने के फलस्वरूप सेवक के हित पर आदेश के प्रकृति के कारण प्रभाव पड़ता हो, ऐसा नोटिस देय है। *रामकुमार* बनाम *पुलिस महानिरीक्षक*[1] में यह निर्णय आया है सामान्य कानून में प्राप्य न्याय में इतनी प्रचुर संपदा है कि विधान द्वारा रह गये लोप (Omission) की आपूर्ति कर सके।

---

1. रिट सं० 1221/77 निर्णीत दिनांक 22-9-78 लखनऊ पीठ.

नोट—विनिमय में पैरा 1-ए के बढ़ने के बाद इस प्रावधान में भी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस के पद के समावेश पर विचार करने योग्य है। यह भी विचार योग्य होगा कि क्या उनके द्वारा पारित आदेश पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश माने जायेंगे और उनके विरुद्ध पुनरीक्षण/याचिका शासन द्वारा विचारणीय होंगे।

512. कोई अधिकारी, जिसकी अपील स्थानीय सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दी गई हो, उस अधिकारी, जिसके द्वारा उसकी अपील अस्वीकार कर दी गई हो, से आगामी उच्चतर पंक्ति के प्राधिकारी को पुनरीक्षण के लिये आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा। ऐसे आवेदन पर पुनरीक्षण की शक्ति का केवल तभी प्रयोग किया जा सकेगा, जब किसी जघन्य अनियमितता के परिणामस्वरूप गम्भीर अन्याय या न्यायालय में विफलता प्रतीत हो।

अपीलों के लिए विहित की गई प्रक्रिया पुनरीक्षण के आवेदन पर भी लागू होती है। अपील के अस्वीकार कर देने के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए आवेदन के साथ मूल और अपीलीय आदेश की प्रतिलिपियाँ रखना चाहिये।

513. दिया गया दण्ड इनके द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

(क) अपील किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा, या

(ख) पुनरीक्षण की शक्तियों के प्रयोग में उस प्राधिकारी के द्वारा जिसकी अपील होती हो, दण्ड में वृद्धि की जा सकेगी।

परन्तु यह कि दोनों ही दशाओं में दण्ड की आज्ञा में वृद्धि करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी, दण्डित अधिकारी को यह कारण दर्शाने के लिये बुलायेगा कि उसके दण्ड में इस प्रकार क्यों न वृद्धि की जावे और इस प्रकार दण्ड में इस प्रकार वृद्धि करने वाले अपीलीय प्राधिकारी का आदेश, अपील के प्रयोजन के लिये, दण्ड का मूल आदेश माना जावेगा।

टीप—यह पैरा अधिसूचना क्रमांक 3114/आठ-क-113-65, दिनांक 29 मार्च, 1968 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

टिप्पणी

रामनाथ बनाम *सरकार*[1] में आया है कि आरोपित पक्ष के चरित्र और पूर्वाचरण पर, दूसरी कारण बताओ नोटिस दिये जाने के स्तर पर विचार होना चाहिये और इसके उपरान्त दण्ड दिये जाने का निर्णय लें। अपील/पुनरीक्षण सुनवाईकर्त्ता अधिकारी को ही विनियम के पैरा 508 व 513 में, प्रदत्त दण्ड को बढ़ाने का अधिकार है।

याचिकाएँ

514. अपीलों और पुनरीक्षण के आवेदनों से सम्बन्धित उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत न आने वाली किसी शिकायत को रखने वाला कोई पुलिस अधिकारी, निम्नलिखित नियमों के अधीन याचिका प्रस्तुत कर सकता है—

(क) प्रथम अवस्था में याचिका निम्नतर पंक्ति के उस अधिकारी को सम्बोधित की जाना चाहिए, जो वांछित आदेश पारित करने की सशक्त हो। नियम के उल्लंघन में उच्चतर अधिकारी को सम्बोधित की गई याचिका संक्षिप्ततः अस्वीकार कर दी जावेगी। उसे उस दिनांक से तीन मास के भीतर प्रस्तुत कर देना चाहिए, जिस दिन याचिका देने वाले अधिकारी को उस आदेश से, जिसके विरुद्ध वह याचना कर रहा हो, सूचित किया गया

---

1. 1964 ए०एल०जे० 31.

हो, परन्तु यह कि वह प्राधिकारी, जिसकी याचिका प्रस्तुत की गई हो, उस समयावधि में छः मास तक का विस्तार कर सकता है, यदि उसको यह समाधान हो जावे कि उसके नियन्त्रण के परे होने वाली निवारण के अयोग्य परिस्थितियों के कारण याचिका करने वाले तीन मास की विहित समयावधि में याचना करने से वारित हो गया था।

(ख) अधीक्षक के अधीन पुलिस अधिकारी, चाहे वे अवकाश पर हों, अधीक्षक से वरिष्ठ अधिकारी को सीधे याचिका पेश नहीं कर सकते, उन्हें अपनी याचिकाएँ अधीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। अधीक्षक ऐसी याचिकाओं को अग्रेषित करने के लिये बाध्य है, परन्तु यह कि वे संयमित और सम्मानित पदावली में लिखी गई हो, और यदि वह उसे अनुसूचित रूप से लिखे जाने के कारण अस्वीकार कर दे, उसे उस पर इस आशय का आदेश पृष्ठांकित करते हुये याचिका देने वाले को लौटा देना चाहिये। यदि उसे विषयवस्तु का कोई ज्ञान हो, तो उसे चाहिए कि वह याचिका को अग्रेषित करते समय अपने कार्य का स्पष्टीकरण करते हुए रिपोर्ट करे या अपना अभिमत व्यक्त करे।

(ग) जब पुलिस अधीक्षक ने ऐसे मामले में किसी याचिका को अस्वीकार कर दिया हो, जो उसकी क्षमता के भीतर हो, याचिकाकार और आगे एक याचिका उप-महानिरीक्षक को प्रस्तुत कर सकता है, जिस दशा में उसे अधीक्षक के आदेश की एक प्रति अपनी याचिका के साथ संलग्न करना चाहिये। यदि द्वितीय याचिका उप-महानिरीक्षक द्वारा अस्वीकार कर दी जावे, उप-महानिरीक्षक के आदेश के विरुद्ध महानिरीक्षक को आवेदन केवल पुनरीक्षण के लिए होगा। ऐसे मामलों में महानिरीक्षक केवल तभी हस्तक्षेप करेगा, जब किसी जघन्य अनियमितता के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण अन्याय किया जाना प्रतीत हो।

(घ) मजिस्ट्रेट को की जाने वाली याचिकाएँ आठ आने के कोर्ट फीस स्टाम्प से स्टाम्प युक्त होना चाहिए। अन्य याचिकाओं पर स्टाम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है।

टीप—(वर्तमान में मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाने वाली याचिकाओं पर दो रुपये का कोर्ट फीस स्टाम्प अपेक्षित है।)

(ङ) सरकार को याचिकाएँ स्मृति लेख के रूप में होना चाहिए और गवर्नर या उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली याचिकाओं की प्रस्तुति को शासित करने वाले नियमों के अनुसार तैयार किए जाना चाहिये। पुलिस महानिरीक्षक को अपने विवेक से यह शक्ति प्राप्त है कि वह इन नियमों में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में याचिका रोक ले और विशेषतया उसे ऐसी याचिका को रोक लेने की शक्ति प्राप्त है, जब वह ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई अभ्यावेदन हो, जो पुलिस बल का सदस्य हो या रह चुका हो, जब—

(1) पदच्युति या अन्य दण्ड को सम्पुष्ट करते हुये अपीलीय आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण में पारित किये गये आदेश से उत्पन्न, या

(2) पदच्युति या अन्य दण्ड को सम्पुष्ट करते हुये, किसी अपीलीय आदेश से उत्पन्न, इस दशा के सिवाय जिसमें सरकार को पुनरीक्षण के लिए याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार किसी विधि या नियम के द्वारा प्रदत्त किया गया हो, या

(3) सरकार के द्वारा पारित दण्डादेश के अतिरिक्त अभिव्यक्त रूप से नियम, आदेश या उसकी सेवा की शर्तों और निबन्धों को विनियमित करने वाली संविदा के द्वारा पारित की गई अपील वाले आदेश, से उत्पन्न याचिका हो।

परन्तु यह कि किसी अपीलीय या पुनरीक्षण में पारित आदेश से जिसका परिणाम पदच्युति या

सेवा से निकाला जाना हुआ हो, से उत्पन्न कोई अभ्यावेदन जो विवादित तथ्य या आदेश के औचित्य को प्रश्नगत व करते हुए, केवल दया या क्षतिपूरक पेन्शन के लिए ही सीमित हो, नहीं रोकी जावेगी।

परिषद् सहित सेक्रेट्री और परिषद सहित गवर्नर प्रतिस्मरण लेखों के अनुदेशों के लिए गवर्नमेन्ट आर्डर्स पुस्तिका, जिल्द तीन के परिशिष्ट 8 और परिशिष्ट 8-ख में गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया गृह विभाग की अधिसूचना के एफ-6/7/33-दो, दिनांक 19 जून, 1933 देखें। उन परिस्थितियों के लिए जिनमें सरकार को सम्बोधित याचिकाओं को रोक लेने के लिए महानिरीक्षक सशक्त हैं, गवर्नमेंट आर्डर्स पुस्तिका देखिये।

(च) हिन्दुस्तानी में याचिकाओं के साथ सदैव ही अंग्रेजी अनुवाद रहना चाहिए।

(छ) कोई अधिकारी किसी ऐसे मामले के बारे में आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेगा जो उसके पद की स्थिति से जुड़ा हुआ हो, जब तक कि उसका उस मामले में व्यक्तिगत हित न हो।

(छछ) पुलिस विनियम के पैरा 478 के उप पैरा (ग) से (च) में वर्णित दण्डों के बारे में कोई याचिका नहीं लाई जावेगी।

(ज) किसी अधिकारी के पद की संभावनाओं या स्थिति से जुड़े किसी मामले से सम्बन्धित याचिका पर कोई ध्यान नहीं दिया जावेगा, जब तक कि वह स्वयं उस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न की गई हो।

(झ) मान्यता प्राप्त सेवा संगमों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी प्राधिकारी को याचिका देने की इच्छा करने वाला प्रत्येक अधिकारी पृथक-पृथक् रूप से ऐसा करेगा।

टिप्पणी

विनियम में इस पर कोई व्यवस्था नहीं है कि अपील सुनने के अधिकारी, किसी याचिका के समय-सीमा के बाद दिये जाने पर विलंब को क्षमा करने का अधिकार रखते हैं या नहीं क्योंकि विधायी मन्शा इस पर कोई सेंत नहीं देती। अपील सुनवाईकर्त्ता अधिकारी इस अवधि को बढ़ाने के लिये अक्षमता से पीड़ित नहीं है पर यह बहुत असामान्य बात होगी। प्राविधान ने अपील/पुनरीक्षण/याचिका दाखिल किये जाने की अवधि को स्पष्ट कर दिया है और यदि अधिकारी इस विलम्ब को क्षमा नहीं कर सकते और यदि उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं है तो याचक के निवेदन पर ऐसा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार समयावधि सीमा के बाद दी गई याचिका को ''रोकने'' का भी प्रश्न नहीं होता, क्योंकि अंगीकृत होने में ही कठिनाई है।

515. सभी पंक्तियों के पुलिस अधिकारियों को अन्य विभाग के अधिकारियों, विधान मण्डल के सदस्यों या प्राइवेट व्यक्तियों के पास, चाहे विधान मण्डल में प्रश्नों के द्वारा या उनके वरिष्ठ अधिकारियों को सम्बोधित सिफारिशों पत्रों के द्वारा या अन्यथा रूप से अपने दावों के लिए समर्थन पाने को पहुँच करने से वर्जित किया जाता है।

516. नियम के द्वारा उपबन्धित किये गए के सिवाय, सभी पंक्तियों के पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति के लिए याचना करने से वर्जित किया जाता है तथा वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के किसी विशेष पद के लिये सिफारिश करने से वर्जित किया जाता है, जब तक कि उसे ऐसा करने को पद की पूर्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित न किया जावे।

शासकीय दस्तावेजों का प्रतिलिपियाँ

517. कोई अधिकारी, बिना किसी मूल्य के, उस आदेश की एक प्रति पाने का अधिकारी है, जिसके विरुद्ध इस अध्याय के अधीन कोई पुनरीक्षण का आवेदन या याचिका लाई जा सकती है। इस

प्रकार उन मामलों में, जिनमें किसी अपीलीय आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन लाया जा सकता हो, उस आदेश की एक प्रति निर्मूल्य दी जावेगी, परन्तु मूल आदेश की नवीन प्रतिलिपि के लिए जो भी आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए, सामान्य दर पर भुगतान किया जावे।

टीप—(इस पैरा के प्रयोजन के लिए किन्तु पैरा 508 चार के प्रयोजन के लिए नहीं) शब्द ''आदेश'' में आरोप या वह आरोप जो जाँच के विषय हों और दण्ड देने वाले अधिकारी के अधीनस्थ किसी अधिकारी के निष्कर्ष (यदि कोई हो) दण्ड देने वाले अधिकारी के और उस अधिकारी के निष्कर्ष जिसकी सहमति दण्ड के आदेश के लिए अपेक्षित हो (ऐसे निष्कर्षों के सिवाय जिनकी प्रतियाँ अधिकारी को पूर्व में ही पैरा 490 या 491 के अधीन दी जा चुकी हो) सम्मिलित होंगे। अन्तिम आदेश की प्रतिलिपि के लिए आवेदन और स्वयं प्रतिलिपि को उ० प्र० स्टाम्प मैन्युअल के परिशिष्ट 'ग' तीन का संख्यापद 42 और परिशिष्ट 'ग' दो की संख्या पद 59 के अधीन कोर्ट फीस स्टाम्प ड्यूटी से छूट है। यदि कोई दण्डित अधिकारी अन्तिम आदेश की प्रतिलिपि के लिए आवेदन करे और अपील में जाने के लिए अपना आशय अभिव्यक्त करे, उसे स्वतः ही बिना किसी औपचारिक आवेदन के ऊपर वर्णन किए गए दस्तावेज की प्रतिलिपि बिना मूल्य दे दी जावेगी। केवल अन्तिम आदेश की प्रतिलिपि जो अकेली अपील के साथ फाइल की जावेगी, सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की जावेगी। यदि अधिकारी अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपियों के लिए आवेदन करे या जब वह पुनरीक्षण के लिए अपीलीय अधिकारी के अन्तिम आदेश के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि के लिए आवेदन करे, उसे आवेदन और प्रतिलिपियों पर कोर्ट फीस भुगताना चाहिए. [देखिये कोर्ट फीस एक्ट की अनुसूची एक का अनुच्छेद और अनुसूची दो का अनुच्छेद 1 (क)]।

518. पैरा 519 में दी गई दरों के भुगताने पर कोई अधिकारी अपील, पुनरीक्षण आवेदन या याचिका के लिए, जो इस अध्याय के अधीन लाई जा सकती हो, महत्वपूर्ण होने वाले सभी कागजों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने का अधिकारी है, किन्तु उन गोपनीय कागजों की नहीं जिनका प्रकाशन प्रशासन के प्रतिकूल होगा।

टीप—दण्डों के मामले में रिपोर्ट करने वाले अधिकारी को, जहाँ तक सम्भव हो सके, ऐसे सभी विषयों को अपवर्जित कर देना चाहिये, जिनका प्रकाशन प्रशासन के लिए प्रतिकूल हो सकता हो।

519. विधि या विनियमों के द्वारा अपेक्षित किए गए के सिवाय, शासकीय पत्र-व्यवहार और अभिलेखों की प्रतियाँ प्राइवेट व्यक्तियों या निकायों को यदाकदा ही हो जाना चाहिये। उदाहरण के लिये यह अनुचित होगा कि पुलिस के प्रयोजन के लिये एकत्रित सूचना व्यापारिक फर्मों को विज्ञापन के प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु संसूचित की जावे। (गवर्नमेन्ट आर्डर्स पुस्तिका भी देखिये)। जब पुलिस अधीक्षक, विधि या नियम के द्वारा अपेक्षित के सिवाय, शासकीय दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ दिये जाने के बारे में संदेह में हों, उसे आदेश के लिये महानिरीक्षक के पास निर्देशित करना चाहिये। जब प्रतिलिपियाँ प्राइवेट व्यक्तियों या निकायों को दी जावें, उनके लिये निम्नलिखित दरों से भुगतान किया जावे—

(1) 1500 से अधिक शब्दों का समावेश न करने वाली प्रतिलिपि के लिये (एक रुपया)।

(2) 1500 शब्दों से अधिक होने वाले प्रत्येक 300 शब्दों के लिये (12 पैसे)[1] का अतिरिक्त प्रभार।

---

[1] शा०आ०सं० 454/आठ-ई, दिनांक 1-8-66 से संशोधित.

(3) प्रभार की गणना करने में प्रत्येक कथन, रिपोर्ट इत्यादि एक पृथक् दस्तावेज माना जाना चाहिये और उसके लिये पृथक् से प्रभार लेना चाहिये।

(4) हिन्दी या उर्दू की दस्तावेजों की प्रतिलिपि के लिए दरें, वही होंगी जो कि अंग्रेजी की दस्तावेजों के लिये होती हैं।

(5) यदि किसी पुस्तक, रजिस्टर, नक्शा या प्लान की प्रतिलिपि तैयार की जानी हो, कार्यालय प्रमुख द्वारा उपयुक्त प्रभार निबत किया जाना चाहिये।

प्रत्येक दशा में प्रतिलिपि का प्रभार अग्रिम वसूल किया जावे और शीर्ष ''रिसीप्ट्स-उन्नीस पुलिस मिस्लेन्युअस'' में प्राप्ति के रूप में जमा किया जावे। प्रतिलिपियाँ सम्बन्धित कार्यालय के साधारण कर्मचारी मण्डल द्वारा बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के बनाई जावें, परन्तु यदि नितांत आवश्यक हो, कार्य के दबाव के समय अस्थाई आधार पर इस प्रयोजन के लिए किसी प्रतिलिपि करने वाले को नियोजित किया जा सकता है।

प्रतिलिपियों के लिये सभी आवेदन, आदेशों की उन प्रतिलिपियों के अतिरिक्त जिन्हें गवर्नमेन्ट आर्डर्स पुस्तिका के पैरा 77 के अधीन सरकारी सेवक बिना मूल्य प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रभावशीलता के लिये यथासंशोधित कोर्ट फीस एक्ट, 1870 (1870 का सातवाँ अधिनियम) की अनुसूची दो के अनुच्छेद 1 के अधीन विहित कोर्ट फीस के भुगतान के अध्याधीन होंगे। आदेशों की प्रतिलिपियों की दशा के सिवाय, जिन्हें सरकारी सेवक बिना किसी मूल्य के प्राप्त करने के अधिकारी हों, प्रतिलिपियाँ स्वयं आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले उत्तर प्रदेश में उसका प्रभावशीलता के लिए यथासंशोधित इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899, (1899 का द्वितीय अधिनियम) की अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद 24 के अधीन विहित किए गए मूल्य के स्टाम्प पर जारी की जावेगी।

प्रतिलिपियों को छपे हुए कागज (प्रतिलिपि स्टाम्प) पर लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

519-ए[1]. सन्दर्भ की मान्यता—इस अध्याय में जहाँ कहीं 'इन्स्पेक्टर-जनरल या इन्सपेक्टर-जनरल पुलिस' का संदर्भ आया है, वहाँ—

(1) प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी के सदस्यों के सम्बन्ध में ''इन्स्पेक्टर-जनरल पुलिस'' प्रादेशिक सशस्त्र, कान्सटेबुलरी, उत्तर प्रदेश, का सन्दर्भ माना जायेगा;

(2) आसूचना (इंटेलीजेंस) विभाग के कार्मिक दल के सम्बन्ध में ''इन्स्पेक्टर-जनरल पुलिस'' आसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, का संदर्भ माना जायेगा;

(3) अपराध अनुसंधान विभाग के कार्मिक दल के सम्बन्ध में ''इन्स्पेक्टर-जनरल पुलिस'' अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश का सन्दर्भ माना जायेगा;

(4) पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्मिक दल के सम्बन्ध में ''इन्स्पेक्टर-जनरल पुलिस'' प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, का सन्दर्भ माना जायेगा; और

(5) राजकीय रेलवे पुलिस के कार्मिक दल के सम्बन्ध में ''इन्स्पेक्टर-जनरल पुलिस'' रेलवेज, उत्तर प्रदेश, का सन्दर्भ माना जायेगा।

---

1. यह नियम राज्यपाल द्वारा स्थापित होकर विज्ञप्ति सं० 2487/आठ-7-175-81 गृह (पुलिस) अनुभाग-7, दिनांक जुन 7, 1983 से जारी हुआ जो उ०प्र० गजट, असामान्य दिनांक 7-6-83 में प्रकाशित हुआ.

अध्याय 34

स्थानान्तर

[1][520. (1) राजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा किये जाते हैं।

(2) शासनादेश द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को राज्य के भातर बिना भत्ते वाले पदों पर सभी उप पुलिस अधीक्षकों का स्थानांतरण करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

(3) पुलिस महानिरीक्षक, राज्य के भीतर किसी भी अराजपत्रित अधिकारी का स्थानांतरण कर सकता है।

(4) रेंज (परिक्षेत्र) का पुलिस उप महानिरीक्षक किसी भी अराजपत्रित अधिकारी का स्थानांतरण अपने परिक्षेत्र के अन्दर कर सकता है।

(5) ऐसे स्थानांतरण न किये जाने चाहिये जिनके फलस्वरूप अधिकारियों को अपने घरों से दूर रहना पड़े, सिवाय ऐसी स्थिति में, जबकि उनके अवांछनीय सम्पर्कों को समाप्त करना या उनके, ऐसे क्षेत्रों से जहाँ उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो, दूर हटा लेना आवश्यक हो। कान्सटेबिल से उच्चतर कोटि के अधिकारियों को सामान्यतया उन जिलों में न रहने देना चाहिए जहाँ उनका निवास स्थान हो या जहाँ उनकी भू-सम्पत्ति हो, मूल निवास स्थान के जिले से निकटवर्ती जिलों में तैनाती यथासम्भव न की जानी चाहिये। कान्सटेबिलों को भी उक्त प्रकार के जिलों में यथासम्भव कम.से कम संख्या में रखना चाहिये।

निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों तथा सहायक उपनिरीक्षकों को किसी एक जिले में 6 वर्ष तथा किसी एक थाने पर 3 वर्ष से अधिक नहीं रहने देना चाहिये। हेड कान्सटेबिलों को किसी खास जिले में 10 वर्ष और किसी खास थाने में 5 वर्ष से अधिक नहीं रहने देना चाहिये। तराई क्षेत्र में (जिसमें तराई और भावर स्थान भी सम्मिलित हैं) निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों, सहायक उप-निरीक्षकों, हेड कान्सटेबिलों तथा कान्सटेबिलों को 5 वर्ष से अधिक न रखा जाए। सामान्यतया किसी भी अधिकारी को उसी जिले से दुबारा और किसी भी दशा में उसकी पिछड़ी नियुक्ति के पाँच वर्ष की अवधि के समाप्ति के पूर्व, नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये।

521. महानिरीक्षक, बिना सरकार की मंजूरी के—

(क)(1) विदेशी सेवा के भारतीय राज्य में सेवा के अतिरिक्त प्रान्त के भीतर, और

(2) प्रादेशिक सरकार के अन्य विभाग, को किसी ऐसे सरकारी सेवक को जिसे वह बिना सरकार को निर्देशित किए, नियुक्त अथवा प्रशासन के साधारण क्रम में स्थानान्तरित कर सकता है और इस प्रकार रिक्त हुए किसी स्थान को जब आवश्यक हो, पदोन्नति या भर्ती के द्वारा भर सकता है, स्थानान्तरित कर सकता है।

(ख) और पद (क) के निर्बन्धनों के अध्याधीन रहते हुए किसी सरकारी सेवक को प्रान्त के बाहर स्थाई रूप से दो वर्ष से अधिक न होने वाली समयावधि के लिये स्थानान्तरित कर सकता है और ऐसे अस्थाई स्थानान्तरण की समयावधि में दो वर्ष से अधिक न होने वाली समयावधि का विस्तार कर सकता है।

522. जिले से स्थानान्तर प्रस्तावित करते समय पुलिस अधीक्षक को स्थानान्तरित किये जाने वाले अधिकारी की चरित्र और सेवा नामावली भेजना चाहिए।

सम्बन्धित अधीक्षक की सहमति से, प्रधान कान्सटेबिलों, कान्सटेबिलों की पारस्परिक अदला-

---

1. शा०आ०सं० 2071/द्वितीय-ए-615/1960, दिनांक 8-12-60 द्वारा प्रतिस्थापित.

बदली की व्यवस्था की जा सकती है। प्रस्तावित अदला-बदलियों की उप-महानिरीक्षकों को रिपोर्ट की जावेगी। ऐसे स्थानान्तरणों के अवसर पर यात्रा भत्ते भुगतान योग्य न होंगे।

523. अन्य जिले के लिये किसी अधीनस्थ अधिकारी के स्थानान्तर का आदेश प्राप्त करने पर अधीक्षक, दस दिन के भीतर उसे अपने कर्तव्य से भारमुक्त करने की व्यवस्था करेगा।

स्थानान्तरित अधिकारी कार्य ग्रहण काल प्राप्त करने के अधिकारी हैं, परन्तु अधीक्षक स्थानान्तर के आदेश के अधीन किसी अधिकारी के लिए अवकाश स्वीकार नहीं कर सकेगा।

अन्य जिले से स्थानान्तर पर आया हुआ कोई निरीक्षक नये जिले में आगमन के दिनांक से प्रभार ग्रहण करने के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकारी होगा। यदि भारमुक्त होने वाला अधिकारी मुख्यालय पर उपस्थित न हो सके तो प्रभार प्रमाण-पत्र पर उसकी ओर से पुलिस अधीक्षक या उसकी अनुपस्थिति में सहायक पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये जाना चाहिये इसका प्रमाण यह होगा कि भारसाधक अधिकारी को लौटा दिया गया मान लिया जावेगा और स्थायी नवागन्तुक को कार्यग्रहण का समय या अवकाश या मुक्ति उस दिन से गिनी जावेगी जिस दिन भारमुक्त करने वाला अधिकारी प्रभार ग्रहण करता है।

524. पुलिस अधीक्षक अपने जिले के भीतर निरीक्षकों को या उससे निम्न पंक्ति के सभी अधिकारियों का स्थानान्तर कर सकता है। निरीक्षकों और थाने के भारसाधक अधिकारियों की दशा में, उसे आदेश प्राप्त कर लेना चाहिये। यदि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक किसी अधिकारी को स्थानान्तरित करने के लिए एकमत होने में असमर्थ रहें, मामले को निर्णय के लिए रेन्ज के उप महानिरीक्षक के पास निर्देशित करदिया जाना चाहिए।

परन्तु यह कि उस जिले में जहाँ कलेक्टर/उपायुक्त, डिवीजन का भारसाधक कलेक्टर/उपायुक्त हो, इस उप पैरा के अधीन उसके कर्त्तव्य जिला मजिस्ट्रेट (कार्यपालिका) द्वारा प्रयोग किये जायेंगे।

थाने के भारसाधक अधिकारी साधारणतया, उसके प्रभार में कम से कम दो वर्ष तक रहेंगे। थानों में अधीनस्थ अधिकारियों का बिना अच्छे कारणों के स्थानान्तरित नहीं किया जाना चाहिये। थाने के कर्तव्यों के लिए दायित्वाधीन कोई अधिकारी को उस कर्तव्य से एक वर्ष से अधिक समय अवधि के लिए, सिवाय कुमायूँ के जहाँ थाने के कर्तव्यों से प्रधान कान्सटेबिल का एक बार में दो वर्ष तक के लिये वापस लेना अनुज्ञेय है, को वापस नहीं लेना चाहिये।

525. दो वर्ष से कम की सेवा वाले कान्सटेबिलों को पुलिस अधीक्षक के द्वारा सशस्त्र पुलिस से सिविल पुलिस में या इसके विपरीत स्थानान्तरित किया जा सकता है। फूट पुलिस के कान्सटेबिलों को सवार पुलिस में उनके स्वयं के निवेदन पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। दो वर्ष से अधिक और दस वर्ष से कम की सेवा वाले सिविल पुलिस के कान्सटेबिल को सशस्त्र पुलिस में या इसके विपरीत, अधीक्षक द्वारा एक वर्ष में छः मास से अधिक की न होने वाली समयावधि के लिए स्थानान्तरित किया जा सकता है। दो वर्ष से अधिक की सेवा वाले सभी सशस्त्र पुलिस के कान्सटेबिलों को और सिविल पुलिस को दो वर्ष से अधिक और दस वर्ष से कम की सेवा वाले कान्सटेबिलों को बल की किसी अन्य शाखा में, उप-महानिरीक्षक की अनुज्ञा से, किसी भी समयावधि के लिए स्थानान्तरित किया जा सकता है।

अन्य सभी दशाओं में बल की एक शाखा से दूसरी शाखा में या अन्य प्रान्तों की पुलिस सेवा से उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तर के लिए महानिरीक्षक की मन्जूरी अपेक्षित होगी।

526. उनकी स्वयं की सहमति के सिवाय, ग्राम चौकीदारों को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

चौथा भाग

प्रशिक्षण

अध्याय 35

राजपत्रित अधिकारियों, निरीक्षकों और रिजर्व उप-निरीक्षकों का प्रशिक्षण

527. समस्त पुलिस अधिकारियों से, प्रथम बार नियुक्त किये जाने पर व्यायाम (ड्रिल) सीखने की और सिवाय लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक के, उनसे उनकी पूरी सेवाकाल में जानकारी रखने की धारणा की जाती है।

रिजर्व निरीक्षक और वरिष्ठ पंक्ति के सभी अन्य अधिकारियों को बल की सभी शाखाओं के लिये विहित की गई ड्रिल में प्रवीण होना चाहिये।

528. परिवीक्षाधीन सहायक पुलिस अधीक्षक को सोलह मास की अवधि के लिये प्रान्तीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में अनुदेशों के एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होता है।

उनके प्रशिक्षण, अनुदेशों के विषयों, परीक्षाओं, जिले में व्यवहारिक प्रशिक्षण, सम्पुष्टि और सेवामुक्ति के लिये नियम प्रान्तीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मैन्युअल भाग दो में दिये गये हैं।

उनके द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात् जिले में सहायक पुलिस अधीक्षक का व्यवहारिक प्रशिक्षण निम्नलिखित रीति से क्रियान्वित किया जाना चाहिये—

(1) कार्यालय का कार्य—(क) अंग्रेजी—अंग्रेजी कार्यालय के सम्बन्ध में जिला पुलिस के मुख्य लिपिक, लेखपाल और पुलिस अधीक्षक के सभी कर्त्तव्यों में अधिकारियों को अनुदेश दिये जायेंगे। इसमें, पत्र-व्यवहार संचालित करने की रीति, विशेष रिपोर्टों का प्रारूप बनाना, लेखा रखना, पेन्शन के कागजों, वेतन बिलों, अन्य सदृश्य दस्तावेजों को तैयार करना, अंग्रेजी में अपराध रजिस्टर बनाये रखना तथा आपराधिक और अन्य विवरणियों को संकलित तथा प्रस्तुत करना, सम्मिलित होगा। इस शाखा में अपने प्रशिक्षण को पूरा करने के लिये, अधिकारियों को बारी-बारी से मुख्य लिपिक और लेखपाल के वास्तविक प्रभार में ऐसी समयावधि के लिये, जैसी अधीक्षक आवश्यक समझे रखा जावेगा।

(ख) भाषाएँ—अधिकारियों से, पुलिस डायरियों और रिपोर्टों से व्यवहार करने, अधीक्षक की सूचना और आदेशों के लिये हिन्दी के कागजों को तैयार करना और थानों को जारी करने के लिये पत्रों, आदेशों, वर्णनात्मक नामावलियों और सदस्य कागजों के अनुवाद करने की, अपेक्षा की जावेगी।

(2) रिजर्व निरीक्षकों के कर्त्तव्य—रिजर्व निरीक्षक के कर्तव्यों के बारे में अधिकारियों को पूरी तरह अनुदेशित किया जायेगा। उन्हें गोला बारूद के भण्डार की, शस्त्रों के बारे में, कर्तव्यों और अन्य रजिस्टरों को बनाये रखना, रिजर्व के दैनिक कर्तव्यों का बाँटना और व्यायाम तथा बन्दूक चालन में अनुदेशों का अधीक्षण करना, मार्गरक्षक दल को कार्यभार मुक्त करना और गारद का निरीक्षण करना, सीखना चाहिये। अपने अनुदेशों को पूर्ण करने के लिये उन्हें रिजर्व निरीक्षक के कर्तव्यों में वास्तविक प्रभार में ऐसी समयावधि के लिये, जो अधीक्षक आवश्यक समझे, रखा जायेगा।

(3) अन्वेषण—अधिकारियों को चुने हुये अन्वेषणकर्ता अधिकारियों के साथ रहने और अधीक्षक के देखने के लिये टीपों और डायरियाँ तैयार करने को प्रतिनियुक्त किया जायेगा। तत्पश्चात्

वे अपने आप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 और इन विनियमों के अध्याय दस के द्वारा अपेक्षित रीति से डायरी प्रस्तुत करते हुए, क्षुद्र मामलों का अन्वेषण करेंगे। अन्त में अधिकारियों को बीस दिन के लिये नगर के पुलिस थाने के वास्तविक प्रभार में रखा जावेगा। यदि थाने में उनके लिये कोई स्थान न हो, उनसे प्रतिदिन नौ घन्टे उपस्थिति रहने की, उपस्थिति के घन्टे अधीक्षक द्वारा नियत किये जाते हुये, अपेक्षा की जायेगी। शिविर लगाने के मौसम के दौरान वे किसी महत्वपूर्ण ग्रामीण पुलिस थाने के निकट 10 दिन के लिये शिविर लगायेंगे और उस समयावधि के लिये उसका प्रभार धारण करेंगे।

(4) **विभागीय मामले**—विभागीय दण्ड के मामलों में प्रारम्भिक जाँच करने के लिये अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जावे।

(5) **मामलों का अभियोजन**—पुलिस अधीक्षक की जानकारी और आदेश के लिये, विशेषकर उन मामलों में जिनमें अनियमिततायें या अवैधानिकतायें की गई हों, निर्णय किये जा चुके मामलों पर अपनी टीप अंकित करेगा, उनसे साक्ष्य का संक्षेप बनाने और, निष्कर्ष लिखने की अपेक्षा की जायेगी। तत्पश्चात् वे किसी सक्षम अधिकारी के मार्गदर्शन में अभियोजन के लिये मामले तैयार करेंगे। वे बहुधा प्रक्रिया और व्यवहार सीखने के लिये न्यायालयों में उपस्थित होंगे और उन्हें तीन महत्वपूर्ण मामलों में अभियोजन संचालित करना चाहिए।

(6) **निरीक्षण**—अधीक्षण प्रशिक्षण के अधीन अधिकारियों से थानों के आयुध तथा गोला बारूद की दुकानों के निरीक्षण के समय अपने साथ चलने की अपेक्षा करेगा। बाद में अधिकारियों से निरावलम्बी रूप से निरीक्षण करने की, अपनी रिपोर्ट को अधीक्षक के आदेशों के लिये प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जानी चाहिये।

(7) पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात् और नीचे विहित किए प्रमाण-पत्र (क) से (ङ) के अनुदत्त किए जाने के पूर्व सहायक पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक दशा में एक मास तक अपराध अन्वेषण विभाग और महानिरीक्षक के कार्यालय में संलग्न किया जाना चाहिए।

(8) व्यवहारिक कार्य के लिये कोई परीक्षा विहित नहीं की गई है, परन्तु इसके पूर्व कि कोई सहायक अधीक्षक जिले के किसी सब-डिवीजन का प्रभार धारण करने को या जिले के प्रभारी के रूप में पदधारण करने के लिये अर्ह हो, उससे पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मैन्युअल, भाग दो में वर्णित किये गये "इन्फेन्टरी" और "इक्वीटेशन" प्रमाण-पत्र तथा अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित इस रेन्ज के उप-महानिरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा की जावेगी कि वह—

(क) जनरल और केस डायरियों पर उचित आदेश पारित,

(ख) वह बुद्धिमत्तापूर्वक किसी अन्वेषण का अधीक्षण,

(ग) दक्षतापूर्वक किसी पुलिस थाने का निरीक्षण,

(घ) पुलिस लेखपाल के कार्य का दक्षतापूर्वक अधीक्षण,

(ङ) पुलिस एक्ट की धारा 7 के अधीन विभागीय कार्यवाहियों का दक्षतापूर्वक संचालन कर सकता है।

उप-महानिरीक्षक, प्रमाण-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने के पहले सहायक अधीक्षक से प्रश्न करेगा और उसके कार्य का परीक्षण करेगा।

टीप—उप-महानिरीक्षक को व्यावहारिक कार्य का (क) से (ङ) तक का प्रमाण-पत्र प्रतिहस्ताक्षरों को प्रस्तुत करते समय, पुलिस अधीक्षक प्रत्येक अधिकारी के सम्बन्ध में यह प्रमाणित

करेगा कि उसने नगरीय पुलिस थाना का प्रभार 20 दिन तक और ग्रामीण थाने का प्रभार 10 दिन तक धारण किया है, और तीन महत्वपूर्ण मामलों में अभियोजन संचालित किया है।

529. पदोन्नत द्वारा नियुक्त किये गये उप-अधीक्षक एक वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे और नियुक्ति पर जिले में पदस्थ किए जावेंगे। उनसे किसी प्रशिक्षण में भाग लेने या किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, परन्तु उनसे पुलिस अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित और उप-महानिरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा की जावेगी कि वे मुख्य लिपिक और लेखपाल के कार्यों का अधीक्षण कर सकते हैं, पुलिस की लेखा प्रणाली से भली प्रकार परिचित हैं और पुलिस एक्ट की धारा 7 के अधीन विभागीय कार्यवाहियों को दक्षतापूर्वक संचालित कर सकता है। रिजर्व निरीक्षक की पंक्ति से पदोन्नत हुये व्यक्तियों के अतिरित, किसी अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाने वाले प्रमाण-पत्र में इस आशय का एक पद भी सम्मिलित रहेगा कि वे रिजर्व निरीक्षक के कार्य का दक्षतापूर्वक निरीक्षण कर सकते हैं।

सीधे नियुक्त उप अधीक्षक के प्रशिक्षण और परीक्षा के नियम पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मैन्युअल भाग दो में दिये गए हैं।

सीधे नियुक्त किये गये पुलिस उप अधीक्षक का जिले में प्रशिक्षण वैसा ही होगा जैसा सहायक पुलिस अधीक्षक के लिए पैरा 528 में विहित किया गया है।

दोनों श्रेणियों के परिवीक्षाधीन उप अधीक्षकों को रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक को अग्रेषित की जावेगी जो महानिरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् अपनी सिफारिश के साथ रिपोर्ट को सरकार के मुख्य सचिव के पास भेज देगा।

530. प्रत्येक रिजर्व निरीक्षक को व्यायाम और उन कर्तव्यों की जिनके लिए अध्याय (2) के अधीन रिजर्व निरीक्षक उत्तरदायी होता है, पूरी जानकारी होना चाहिए। सभी राजपत्रित अधिकारियों की अनुपस्थिति में मुख्यालय के पुलिस कार्यालय का प्रभार धारण कर सकने में अर्ह होने के लिये, रिजर्व निरीक्षक को अंग्रेजी की पूरी जानकारी होना चाहिए तथा उसे पत्र-व्यवहार और लेखा की पुलिस-प्रणाली से भी भली-भाँति परिचित होना चाहिये।

531. *[विलुप्त]*

532. लोक अभियोजक के पद के लिए योग्यताएँ निम्न प्रकार हैं—

(1) अन्वेषणकर्ता अधिकारी के रूप में दो वर्ष की सेवा,

(2) अंग्रेजी का भली प्रकार ज्ञान,

(3) इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुये विधि स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र,

(4) उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय से विधि की कोई उपाधि।

(क) सहायक पुलिस अभियोजक के रूप में नियुक्त किये जाने में वरीयता उन अधिकारियों को दी जायेगी जो उपरोक्त पद (1), (2) और (4) में विनिर्दिष्ट योग्यतायें रखते हैं।

(ख) यदि जिले में कोई ऐसा अधिकारी उपस्थित न हो, ऊपर (1) (2) और (3) में वर्णित योग्यतायें धारण करने वाला कोई अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

(ग) यदि जिले में (क) या (ख) में निर्धारित योग्यतायें रखने वाला कोई अधिकारी उपलब्ध न हो तो अधीक्षक को चाहिये कि वह योग्य अधिकारी के लिये उप-महानिरीक्षक से निवेदन करे।

(घ) पुलिस अधीक्षक, परिवीक्षाधीन को सम्मिलित करते हुये, उपनिरीक्षकों को उपरोक्त नियम (3) में निर्देशित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा देने के लिये सशक्त है।

533. मण्डल निरीक्षकों को प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लेना होता और न उससे किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें प्लाटून ड्रिल का ज्ञान रखना चाहिये, देखिये पैरा 541।

अध्याय 36

उप-निरीक्षकों का प्रशिक्षण

534. सिविल पुलिस के उप-निरीक्षकों को प्रान्तीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय से होकर निकलना चाहिए। महाविद्यालयों में उनके प्रशिक्षण और जिले में उनके व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय पुस्तिका भाग, तीन देखिये।

उस दिनांक से जिसको वे जिले में उप-निरीक्षक के रूप में पदस्थ किये जाते हैं, सिविल पुलिस उप-निरीक्षक दो वर्ष की समयावधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसकी समाप्ति पर, यदि वह उन्हें स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझें, वे उप महानिरीक्षक द्वारा सम्पुष्ट किये जा सकेंगे।

535. अपनी परिवीक्षा की समयावधि के दौरान उनसे पुलिस के कार्य की सभी शाखाओं में निम्नलिखित रीति से व्यवहारिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने की अपेक्षा की जावेगी—

(1) उन्हें मुख्यालय पर या उसके निकट के किसी थाने में संलग्न किया जावेगा, जहाँ वे—

(क) कर्तव्यों के वितरण, रिपोर्ट, जनरल डायरी और थाने के अन्य रजिस्टरों को तैयार करना, निगरानी और गश्त की विधि प्रारूपों की पूर्ति करना सम्मिलित करते हुये पुलिस के कार्य की परिपाटी सीखेंगे।

(ख) अन्वेषण, केस डायरी की तैयारी और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, थानेदारों के सामान्य कर्तव्यों में, परिवीक्षाधीन कम से कम छः अन्वेषणों में किसी सक्षम अधिकारी के साथ रहते हुये, अनुदेश प्राप्त करेंगे,

(ग) उन्हें सरल मामले निरावलम्ब रूप से अन्वेषण के लिये दिये जावें। इस समय-अवधि के दौरान वे उस नगर या मण्डल के, जहाँ वे पदस्थ किये जावें, प्रभारी निरीक्षक के विशेष अधीक्षण के अधीन रहेंगे, और वह अपने अधीनस्थ प्रत्येक परिवीक्षाधीन के बारे में नियतकालिक रिपोर्ट देगा।

(2) वे कुछ सप्ताह पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में व्यय करेंगे जहाँ वे पुलिस अधीक्षक के आदेशों के अधीन आदेशों के लिये डायरियों और अन्य कागजों के संक्षेप तैयार करते हुये कार्य करेंगे।

(3) वे कुछ सप्ताहों के लिये कार्यालयों में संलग्न रहेंगे जहाँ उन्हें अभियोजन के लिये भेजे गये मामलों में पुलिस के कागजों की परीक्षा करने और उस समयावधि के दौरान लोक अभियोजक के अधीक्षण के अधीन अभियोजन के लिये अनुदेशित किया जावेगा, उन्हें आपराधिक जन-जाति उप-निरीक्षक के कार्यों में भी अनुदेशित किया जावे।

(4) वे व्यायाम, निरीक्षण, गारदों को पदस्थ और कार्यभार मुक्त किये जाने, सड़कों पर रेखायें डालने, वाहनों को पार्क (खड़ा) करने और रिजर्व लाइन के अन्य प्रकीर्ण कर्तव्यों में अनुदेश प्राप्त करेंगे। द्रुप मुख्यालय पर रहने वाले परिवीक्षाधीन रहने वाले उप-निरीक्षकों को इक्वीटेशन में अपने को प्रवीण रखना चाहिये और सवारी के लिये स्कूल में नियतकालिक रूप से उपस्थित रहना चाहिए।

536. पुलिस अधीक्षक को हर परिवीक्षाधीन के लिये, उस थाने की जिसमें उपरोक्त पैरा 535 के नियम एक से प्रयोजन के लिये संलग्न किया जाना है और वे समयावधि जिनके लिये उसे कार्यालयों और लाइनों में नियम दो, तीन और चार के प्रयोजनों के लिये संलग्न किया जाना है नियत करते हुए, एक कार्यक्रम तैयार करेगा। कार्यक्रम इस प्रकार व्यवस्थित किया जावे कि एक ही समय में एक ही स्थान पर बहुत सारे परिवीक्षाधीन अनुदेश प्राप्त न करें। पैरा 535 में निर्धारित पाठ्यक्रम को उन पदोन्नत प्रधान कांस्टेबिलों की दशा में विलुप्त या छोटा किया जा सकता है, जिन्होंने पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में भेजे जाने के पूर्व अधीक्षक या लोक अभियोजक के कार्यालयों में सेवा की हो या व्यायाम सज्जा निरीक्षण और रिजर्व लाइन में अन्य कर्तव्यों के बारे में उचित ज्ञान अर्जित कर लिया हो, और जो अधीक्षक के अभिमत में इनके सम्बन्ध में सक्षम हैं;

ज्यों ही पुलिस अधीक्षक को यह समाधान हो जावे कि परिवीक्षाधीन पैरा 535 में गिनाये गये सभी कर्तव्यों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो गया है, वह उसे किसी चुने हुये थानेदार के अधीन पैरा 50 के अधीन अधीनस्थ उप-निरीक्षक के साधारण कर्तव्यों को सम्पन्न करने के लिए पदस्थ कर देगा।

प्रत्येक परिवीक्षाधीन के लिये, एक प्रशिक्षण पत्र रखेगा जिस पर वह ऐसी सामग्री संग्रह करेगा जो किसी भी समय परिवीक्षाधीन की प्रगति और अंततः सम्पुष्टि के लिये उसकी उपयुक्तता के बारे में अभिमत बनाने को समर्थ बना सके। इस पत्र में उस निरीक्षक की, जिसके अधीक्षण में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षित हुआ हो, रिपोर्ट का संक्षेप और परिवीक्षाधीन के अन्वेषण पर तथा उसके अन्य सभी कार्यों और आचरण के बारे में अधीक्षक की टीपें प्रविष्ट की जानी चाहिए। अपने द्वारा जिले के निरीक्षण के समय, उप-महानिरीक्षक को प्रत्येक परिवीक्षाधीन को, जो छः मास से अधिक परिवीक्षा पर रह चुका हो, उसके कार्यक्रम और प्रशिक्षण पत्र के साथ देखना चाहिए और अपना अभिमत प्रशिक्षण पत्र पर अभिलिखित करना चाहिए।

537. (1) पुलिस उप-महानिरीक्षक, पैरा 534 के अधीन परिवीक्षा पर रखे गए किसी परिवीक्षाधीन की परिवीक्षा समयावधि में, व्यक्तिगत मामलों में एक वर्ष से अधिक न होने वाले कुल समय के लिए विस्तार कर सकेगा। ऐसा कोई विस्तार, ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट करेगा जहाँ तक विस्तार अनुदत्त किया गया है।

(2) परिवीक्षा की समयावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर या उसके सम्पुष्टि के आदेश पारित और प्रभावशील होने के पूर्व, किसी समय यह पाया जावे कि परिवीक्षाधीन ने उसको दिए गए अवसर का पर्याप्त लाभ नहीं उठाया है या अन्यथा रूप से समाधान करने में विफल रहा है, उप-महानिरीक्षक आदेश दे सकेगा—

(1) यदि वह सीधे नियुक्त किया गया हो, उसकी सेवामुक्ति के लिए, या

(2) यदि वह पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया हो, उसकी अवनति के लिये,

परन्तु यह कि सेवामुक्ति की दशा में, पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा सेवामुक्ति का आदेश दिये जाने के पूर्व, उसे सेवामुक्ति के आधारों से सूचित किया जावेगा, पद मुक्ति के आदेश के विरुद्ध कारण बताने का एक अवसर दिया जावेगा और इस बारे में उसके स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, तो सम्यक रूप से विचार किया जावेगा।

(3) उप पैरा (2) के अधीन परिवीक्षा के दौरान या परिवीक्षा की समयावधि की समाप्ति पर या परिवीक्षा की विस्तार की गई समयावधि की समाप्ति पर, पदमुक्त किया गया कोई परिवीक्षा व्यक्ति, किसी क्षति पूर्ति के पाने का अधिकारी न होगा।

(4) परिवीक्षाधीन को अपनी नियुक्ति में परिवीक्षा की समयावधि की समाप्ति पर या परिवीक्षा की विस्तार की गई समयावधि की समाप्ति पर सम्पुष्ट कर दिया जावेगा, यदि पुलिस उप-महानिरीक्षक उसे सम्पुष्टि के लिये उपयुक्त समझे और उसकी संनिष्ठा प्रमाणित कर दी जावे।

टिप्पणी

(1) **प्रावधान का लागू होना**—यह प्रावधान परिवीक्षाकालीन कर्मचारी को परिवीक्षाकाल में दंडस्वरूप सेवामुक्ति को दृष्टि में रखता है। इस प्रावधान का परंतुक चाहता है कि सेवामुक्त करने की स्थिति में कर्मचारी को उसका कारण बताया जाय व कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात् उसका उत्तर प्राप्त किया जाय। *चमन लाल* बनाम *राज्य*[1] में यह निर्णीत हुआ कि चरित्र या आचरण दोष के अलावा किसी परिवीक्षाकालीन को सेवा मुक्त करना ही, जैसे उसके स्वास्थ के या नेत्र ज्योति नष्ट हो जाने के कारण, तो उक्त प्रावधान लागू नहीं भी हो सकता है।

(2) **परिवीक्षा का अर्थ**—परिवीक्षा वह समय है जिसमें सेवक अपने कार्य और आचरण से अपने नियुक्ति पद पर स्थायी किये जाने के योग्य सिद्ध करता है। परिवीक्षाकाल पर नियुक्त कर्मचारी स्थायी रिक्ति के मुकाबले होता है जो परिवीक्षा शर्तों के अधीन होता है, मगर पारिणामिक स्थायी नियुक्ति के निर्णय के लिये वह परिवीक्षा पर रहता है। *राज्य* बनाम *गोपी किशोर प्रसाद*[2] में यह निर्णय हुआ कि परिवीक्षाकाल में सेवामुक्त किये जाने वाले को संविधान के अनुच्छेद 311 (2) की सुरक्षा प्राप्त है। *सुखबंस सिंह* बनाम *राज्य*[3] में यह निर्णय है कि जब परिवीक्षाकालीन कर्मचारी को परिवीक्षाकाल के समाप्ति से पूर्व पदावनत नहीं किया गया तो वह स्थायी नियुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है पर परिवीक्षाकाल पर ही चलता रहता है। *राज्य* बनाम *अकबर अली खाँ*[4] में यह मत प्राप्त हुआ है कि जहाँ परिवीक्षाकाल बीतने पर बढ़ाया नहीं गया और सेवक को इसके बाद भी उस पद पर कार्यरत रखा गया वहाँ वह उक्त पद पर इसी कारण स्थायी नहीं माना जायेगा। मगर *धर्म सिंह* बनाम *राज्य*[5] में यह निर्णय हुआ कि जहाँ नियम यह चाहते हों कि निश्चित अवधि के बीतने पर या तो अधिकारी स्थायी होगा या सेवामुक्त और उस अवधि के बीतने के बाद भी वह उक्त पद पर कार्य

---

1. ए०आई०आर० 1957 इला० 241 : 1957 ए०एल०जे० 674.
2. ए०आई०आर० 1960 सु०को० 689.
3. ए०आई०आर० 1962 सु०को० 1722.
4. ए०आई०आर० 1966 सु०को 1842.
5. ए०आई०आर० 1966 पंजाब 468.

करता रहा तो मान लिया जाय कि वह स्थायी कर दिया गया। *राज्य* बनाम *धर्म सिंह*[1] ने भी इसी मत का समर्थन किया है।

(3) संविधान के अनुच्छेद 311 की सुरक्षा—जब किसी मामले में जाँच अधिकारी नियुक्त हो गया व आरोप-पत्र दे दिया गया तो सेवा समाप्ति आदेश अनुच्छेद 311 को आकर्षित करेगा पर जहाँ मात्र प्रारंभिक जाँच इस उद्देश्य से हुई कि क्या कार्यवाही की जाय तो ऐसे में पारित सेवा समाप्ति का आदेश, अनुच्छेद 311 को आकर्षित नहीं करता जैसा कि *ए०जी० बेंजमिन* बनाम *भारत सरकार* (सिविल अपील सं० 1341/66, निर्णीत दिनांक 13-12-66) में सु० को० का मत है।

(4) परिवीक्षा काम का जारी रहना—*केदार नाथ बहल* बनाम *राज्य*[2] में यह मत निर्णीत हुआ कि जब परिवीक्षा काल बीतने पर स्थायीकरण आदेश पारित नहीं हुआ, जो वांछित था, तो परिणामस्वरूप सेवक परिवीक्षा काल पर ही माना जायेगा। *हरि सिंह* बनाम *राज्य*[3] तथा *शमशेर सिंह* बनाम *राज्य*[4] में भी यही मत स्वीकार हुआ है। परिवीक्षा वह परीक्षकाल है जिसमें स्थायीकरण के लिये योग्यता और उपयुक्तता पर निर्णय लेना होता है, यह *अजित सिंह* बनाम *भारत सरकार*[5] में स्पष्ट किया गया है। *राज्य* बनाम *सोमेंद्र नाथ*[6] में उप-निरीक्षक की अंतिम नियुक्ति इस प्रतिबंध पर हुई थी कि वह अपनी शिक्षा में सफलता प्राप्त करने पर लिया जायेगा और अंतिम परीक्षा में असफल और सेवा में रहने के अयोग्य पाये जाने के कारण सेवा मुक्त कर दिया गया तो यह निर्णय हुआ कि इस आदेश को कलंक होने के नाम पर अपेक्षित नहीं किया जा सकता न इस आदेश में कोई निर्बलता है।

(5) परिवीक्षा कब समाप्त होती है—जब उप-निरीक्षक को प्रशिक्षण के बाद, परिवीक्षा काल पर तैनाती हुई और परिवीक्षाकाल की बढ़ाई गई अवधि से भी आगे उसे कार्य पर रखा गया तो *रमेश चन्द्र* बनाम *राज्य*[7] में यह माना गया कि परिवीक्षाकाल की अंतिम सीमा निर्धारण की जाने के बाद जो पुनः नहीं बढ़ाई जा सकती थी, उप-निरीक्षक अभिप्रेत रूप से उप पद पर स्थायी माना जायेगा और उसकी सेवा मुक्ति वैध नहीं है। *सुखराम* बनाम *राज्य*[8], राम स्वामी के बाद (ए०आई०आर० 1966 सु०को० 175) और *राज्य* बनाम *धर्म सिंह*[9] में निर्णीत सिद्धांत को उक्त निर्णय में माना गया है। शासनादेश सं० 454/द्वितीय बी 207/1958, दिनांक 18-6-80 में निदेश दिया है कि परिवीक्षा काल को 2 वर्ष तक ही और बढ़ाया जा सकता है।

जहाँ सेवा नियम परिवीक्षण के अवधि को बढ़ाने की अनुमति देते हैं वहाँ उस अवधि के बीतने के बाद भी सेवक की सेवा स्वयंमेव स्थायी नहीं मानी जायेगी। ऐसे नियम के अभाव में उस अधिकार को नकारात्मक नहीं समझा जायेगा। यदि परिवीक्षाकाल पर चल रहे सेवक की सेवा मूल परिवीक्षाकाल के अवधि के बीतने के बाद आगे भी चलती रही तो उसे स्थायीकरण के लिये कोई अतिरिक्त अधिकारी इस कारण प्राप्त नहीं होगा।[10]

---

1. ए०आई०आर० 1968 सु०को 1210.
2. ए०आई०आर० 1972 सु०को 873.
3. ए०आई०आर० 1974 सु०को 2263.
4. ए०आई०आर० 1974 सु०को 2192.
5. 1978(2) एस०एल०आर० 453.
6. 1977(2) एल०एल०जे० 353.
7. रिट सं०1076/73, निर्णीत दिनांक 23-2-76.
8. ए०आई०आर० 1962 सु०को० 1711.
9. ए०आई०आर० 1968 सु०को 1210.
10. धानजी भाई रामजी भाई बनाम गुजरात राज्य, 1986(1) एस०एल०आर० 595 सु०को०.

(6) परिदर्शक निर्णय— *यशपाल* बनाम *भारत सरकार*[1] में यह निर्णय आया है कि अस्थायी कर्मचारी को सेवारत बनाये रखने के लिये की गई प्रारम्भिक जाँच की समानता अनुच्छेद 311 में की गई जाँच से नहीं की जा सकती। 1977 (2) एस०एल०आर० 70 में यह निदेश आया कि परिवीक्षाकालिक सेवक के स्थायीकरण का पारित आदेश उस पर तामील नहीं हुआ और उसे भविष्यनिधि में धन जमा करने की अनुमति दे दी गई, मगर बाद में परिवीक्षाकाल की अवधि बढ़ा दी गई तो वह सेवा में स्थायी नहीं माना गया।

बिशन लाल गुप्त बनाम *राज्य*[2] में परिवीक्षाकालीन सेवक को सेवा में बनाये रहने के बाबत उसके उपयुक्तता के निर्णय के लिए एक संक्षेप जाँच कराने और उचित अवसर देने के बाद कि वह आरोपों का उत्तर दे सके, एक सेवा समाप्ति का निर्दोष आदेश पारित हुआ था। इसमें उक्त कार्यवाही को पर्याप्त माना गया व अनुच्छेद 311 में पूर्ण विभागीय कार्यवाही का वह अधिकारी नहीं माना गया।

के० शरीफ रॉथर बनाम *राज्य*[3] में सेवक ने अपने तईं आगे अध्ययन के लिए परिवीक्षा काल में अवकाश लिया था, जिसमें यह बताया गया कि परिवीक्षाकाल की पूरी अवधि की गणना में उक्त अवकाश का समय नहीं गिना जायेगा।

1979 (2) एस०एल०आर० 527 सु० को० के वाद में कोई अवधि सीमा निर्धारित नहीं थी और परिवीक्षाकाल के बीतने पर स्थायीकरण हेतु आदेश पारित होना जरूरी था। ऐसी स्थिति में उक्त अवधि के बीतने के बाद भी पद पर बने रहने के कारण सेवक को अपने आप स्थायी माना गया। 1979 (2) एस०एल०आर० 629 में केवल अस्थायी पद पर तैनाती की परिवीक्षाकाल की तैनाती नहीं मानी गई।

1980 (1) एस०एल०आर० 1 कलकत्ता में यह माना गया कि परिवीक्षाकालिक सेवक को उस पर बने रहने का अधिकार नहीं है न स्थायी किये जाने का अधिकार ही उसमें निहित है। सक्षम नियुक्ति अधिकारी विनियम के अंतर्गत उसकी सेवा समाप्त करने का भी अधिकार रखता है।

ऑयल एंड गैस कमीशन बनाम *मो० एस० इस्कंदर*[4] में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया कि निर्धारण नामावली (Assessment Roll) में दी गई टिप्पणी अधिकारी द्वारा किये गये कार्य के प्रकृति को दर्शाता है जिसकी सीमित मन्शा यह है कि परिवीक्षाकाल और बढ़ाया जाय या नहीं यह निश्चित हो सके। ये टिप्पणी उस पर कलंक रूप में नहीं आते और इस सेवा समाप्ति आदेश को वैध माना गया।

भारत सरकार बनाम *एस०सी० भट्ट*[5] में परिवीक्षाकाल में स्थायी सेवक को समान्य सेवा समाप्ति आदेश से सेवा से हटा दिया गया। उस आदेश में कोई कलंक की भावना नहीं थी और यदि वह आदेश दंड के रूप में नहीं दिया गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि अनुच्छेद 311 के प्रावधान के आकर्षित होने का प्रश्न नहीं आता।

नोट—(कृपया इस संदर्भ में पैरा 541 की टिप्पणी भी देखें)

538. सिविल और सशस्त्र पुलिस के कैडेट जो परीक्षा मण्डल के अभिमत में अपनी अन्तिम परीक्षा में असाधारण विशिष्टता से उत्तीर्ण हों "जेट" कैडेट के रूप में वर्गीकृत किये जावेंगे। यह

---

1. 1869 एस०एल०आर० 160.
2. ए०आई०आर० 1978 सु०को 363.
3. 1978 (1) एस०एल०आर० 357.
4. 1980 (2) एस०एल०आर० 792.
5. 1980 (1) एस०एल०आर० 370.

उनकी चरित्र नामावली में अभिलिखित किया जावेगा। परीक्षा मण्डल का अध्यक्ष पुलिस महानिरीक्षक को अपनी रिपोर्ट में इस विशिष्टता के लिये सिफारिश किये गये कैडेटों के नाम लिखेगा, पुलिस महानिरीक्षक के आदेश अन्तिम होंगे।

सिविल पुलिस के ''जेड'' वर्ग के अधिकारी को उसकी इच्छाओं का ध्यान रखते हुये बल की उस शाखा में जिसके लिये वह सबसे अधिक उपयुक्त प्रतीत होता हो, विशेष प्रशिक्षण दिया जावेगा। उसके बारे में, उसके उप-निरीक्षक रूप में सम्पुष्ट हो जाने पर निरीक्षक के पद पर द्रुत पदोन्नति के लिए विचार किया जावेगा।

सशस्त्र पुलिस का ''जेड'' क्लास अधिकारी साधारणतया किसी प्रशिक्षण केन्द्र में मुख्य निरीक्षक के या सैनिक पुलिस में प्लाटून कमान्डर के रूप में नियोजित किया जावेगा। उसके बारे में उप-निरीक्षक के रूप में सम्पुष्ट हो जाने पर रिजर्व निरीक्षक की पंक्ति पर द्रुत पदोन्नति के लिये विचार किया जायेगा।

अध्याय 37

प्रधान कान्सटेबिलों और कान्सटेबिलों का प्रशिक्षण

539. सिविल और सशस्त्र दोनों पुलिस के रंगरूटों को ऐसे स्थान और ऐसी रीति से प्रशिक्षण दिया जावेगा जैसा पुलिस महानिरीक्षक अवधारित करें और प्रशिक्षण की समाप्ति पर ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा, जैसी कि महानिरीक्षक विहित करें।

540. कोई रंगरूट कान्सटेबिल, जो परीक्षा संचालित करने वाले अधिकारी के अभिमत में असाधारण प्रवीणता प्रकट करें, ''एक्स'' रंगरूट के रूप में विभूषित किया जायेगा। यह उसकी चरित्र नामावली में अभिलिखित किया जायेगा। उसे विशेष प्रशिक्षण दिया जावेगा और यदि वह सिविल पुलिस में प्रारूपित किया जावे तो उसे यथासम्भव शीघ्र प्रान्तीय पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित करने के लिये प्रोत्साहित किया जावेगा।

541. (1) रंगरूट उस दिन से परिवीक्षा पर रहेगा जब से वह किसी स्पष्ट स्थिति पर भार साधन करे। परिवीक्षा की अवधि, निम्नलिखित दशाओं के अतिरिक्त, दो वर्ष की होगी।

(क) वे, जो अपराध अन्वेषण विभाग में या जिला इन्टेलीजेन्स के कर्मचारी मण्डल में सीधे भरती किये गये हों, तीन वर्ष की समयावधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे, तथा

(ख) वे, जो सवार पुलिस में अन्तरित किये गये हों, पुलिस विनियमों के पैरा 34 के अधीन दिये गये निर्देशों के द्वारा शासित होंगे।

यदि परिवीक्षा की समयावधि की समाप्ति पर, आचरण और कार्य समाधान कारक रहा हो और यदि रंगरूट को उप-महानिरीक्षक के द्वारा बल में सेवा के लिये अनुमोदित कर दिया गया हो तो पुलिस अधीक्षक उसे उसकी नियुक्ति पर सम्पुष्ट कर देगा।

(2) किसी मामले में जिसमें परिवीक्षा की समयावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, पुलिस अधीक्षक का यह मत हो कि रंगरूट के अच्छे पुलिस अधिकारी बनने की सम्भावना नहीं है, वह उसकी सेवा से हटा सकेगा। तथापि, इसके पूर्व कि ऐसा किया जावे, रंगरूट को उन विनिर्दिष्ट शिकायतों और आधारों को प्रदाय किया जावे जिन पर उसे सेवामुक्त करना प्रस्ताविक हो और तब उससे यह कारण बताने को कहा जावे कि उसे क्यों न सेवामुक्त कर दिया जावे। रंगरूट को अपना

अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करना चाहिये और उस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा, पदमुक्ति के आदेश पारित करने के पूर्व सम्यक् रूप से विचार किया जावेगा।

(3) उपरोक्त पैरा (2) के अधीन अधीक्षक द्वारा पारित किया गया प्रत्येक आदेश उप-महानिरीक्षक के नियन्त्रण के अध्याधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।

टिप्पणी

इस विनियम के पैरा 534 व 537, जो उप निरीक्षक की तैनाती से सम्बन्धित हैं, करीब-करीब विनियम के पैरा 541 के ही समान शब्दों में हैं जो कान्सटेबिलों से सम्बन्धित है। *नानक चंद बनाम राज्य*[1] में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ ने यह व्यक्त किया कि पैरा 541 पुलिस विनियम उन कान्सटेबिलों पर लागू होगा जिनकी नियुक्ति परिवीक्षा काल पर हुई है और जो नियुक्ति अस्थाई रूप में है उन पर यह लागू नहीं होगा। पुलिस विनियम के पैरा 541 (1) का प्रारम्भ इस प्रकार है कि "एक रंगरूट उस तिथि से परिवीक्षाकाल पर आयेगा जब से स्पष्ट रिक्ति में वह स्थानापन कार्य कर रहा है।" विनियम में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। जो अधिकारियों को अस्थाई नियुक्ति करने से या कान्सटेबिलों के अस्थाई पद के सृजन से रोके। इसलिये सिद्धान्त तथा स्थाई और स्पष्ट रिक्त पदों के मुकाबले अस्थाई प्रारम्भिक नियुक्ति करने पर कोई रोक नहीं है जैसा कि *डाइरेक्टर पंचायत राज* बनाम *बाबूसिंह*[2] में निर्णय भी हुआ है। इस दृष्टिकोण से इस पैरा का उक्त वाक्य यह अर्थ रखता है कि "रंगरूट जिसकी नियुक्ति परिवीक्षाकाल पर हुई है वह उस दिन से परिवीक्षा प्रारम्भ करेगा जिस दिन से स्पष्ट रिक्ति में वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है।" यह पैरा इस प्रश्न को नहीं लेता कि हर नियुक्ति अवश्यमेव स्थायी रूप में हो या परिवीक्षा पर हो। इसलिये अस्थायी पदों का सृजन और उन पर नियुक्ति, विनियम में स्पष्ट प्रावधान के अभाव में पैरा 541 का उल्लंघन नहीं करता। कठोर शाब्दिक अर्थ लगाये जाने का नियम केवल नहीं लागू होगा जहाँ विधि की भाषा सादी व निश्चित हो, जैसा कि यहाँ नहीं है। सरकार के बिल जो संसद में पेश होते हैं उनके मसविदे विनियम के प्रावधानों से जब मिलाकर, अच्छे होते हैं। इस प्रकार इस पैरा के व्याख्या में इस भाव का समावेश है कि "हर रंगरूट जिसकी नियुक्ति स्थाई पद के मुकाबिले हुई है और जिसकी स्पष्ट रिक्ति प्राप्य है वह अपने नियुक्ति की तिथि से परिवीक्षाकाल पर होगा यदि नियुक्ति अस्थाई पद के मुकाबले है तो स्थायी पद की स्पष्ट होने पर वह स्थानापन्न रूप में परिवीक्षा पर उस तिथि से प्रारम्भ करेगा।

उ० प्र० अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति, नियम 1975) एक विशिष्ट प्रावधान है जो स्पष्ट कहता है कि अस्थायी सेवा समाप्ति विषयक हैं। इसलिए इससे उक्त पैरा के प्रावधान अतिक्रमित भी होते हैं। *राज्य* बनाम *चंद्रपाल सिंह*[3] में पुलिस विनियम को उक्त नियम (1975) पर वरिष्ठता नहीं दी गई है। (कृपया पैरा 537 के नीचे की भी टिप्पणी देखें)।

542. लाइनों के स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा विधि और नियमों में अनुदेश दिये जावेंगे। नियम के तौर पर एक उप पुलिस अधीक्षक को स्कूल के प्रभार में रखा जावेगा, जिसका जब वह मुख्यालय पर हो, सप्ताह में कम से कम तीन बार परिदर्शन करना चाहिये। अनुभवी पुलिस अधिकारियों द्वारा व्यवहारपूर्ण व्याख्यानों के लिये बहुधा व्यवस्था की जावे। अधीक्षक को स्कूल के परिदर्शन करने का प्रत्येक अवसर लेना चाहिये। परिदर्शक अधिकारियों के लिए एक निरीक्षण पुस्तक रखी जानी चाहिए।

---

1. 1971 ए०एल०जे० 724.
2. ए०आई०आर० 1972 सु०को० 420 और ए०आई०आर० 1977 सु०को० 1267.
3. 191 (1) एस०एल०आर० 579 इलाहाबाद.

543. कान्सटेबिल ''क'' और ''ख'' श्रेणियों के होते हैं। जून, 1941 तक ''क'' श्रेणी में रिक्तियाँ अंशत: पूर्ण शिक्षित व्यक्तियों और अंशत: पूर्ण अशिक्षित या अर्द्ध शिक्षित में से व्यक्तियों, जिनके पास गुप्तचर के रूप में विशेष योग्यता या कुशल सेवा के लम्बे अभिलेख होते थे, भरी जाती थीं, जून, 1941 के पश्चात् कान्सटेबिलों को ''क'' श्रेणी में पदोन्नति प्राप्त करने के लिए ऐसी शैक्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिये जैसी समय-समय पर महानिरीक्षक के द्वारा विहित की जावे। ''ख'' श्रेणी में वे सभी कान्सटेबिल आ जाते हैं जिनका ''क'' श्रेणी में प्रवेश न हुआ हो।

लिपिकीय कर्तव्यों पर कान्सटेबिलों का नियोजन निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन है—

(1) कोई कान्सटेबिल इस प्रकार नियोजित नहीं किया जायेगा जब तक उसे कार्यपालक कर्तव्य, का कम से कम एक वर्ष का अनुभव न रहा हो, और

(2) तब तक जब तक कि योग्य व्यक्ति संख्या में उपलब्ध हों, कोई कान्सटेबिल इस प्रकार का नियोजित नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह विहित परीक्षा में उत्तीर्ण न हो गया हो।

544. रिजर्व लाइन में ड्रिल रिजर्व निरीक्षक और सशस्त्र पुलिस के उप-निरीक्षक के अधीक्षण में सिखायी जायेगी।

सशस्त्र पुलिस और सिविल इमरजेन्सी रिजर्व के सभी अवर अधिकारियों और सिपाहियों तथा सभी रंगरूटों का स्क्वैड, प्लाटून और कम्पनी ड्रिल में, समीप और विस्तृत क्रम में, कम्पनी सेरीमोनियल में, गारदों कर्तव्यों में और पद सेना के आक्रमण के सामान्य सिद्धान्तों में और गोली चालन की दिशा में, अनुशासन और नियन्त्रण में और जहाँ तक ये सिद्धान्त पुलिस की कार्यवाही पर लागू होते हों, दंगों के दमन और अपराधियों के गिरोह का घेरा डालने में, अनुदेशित किया जावेगा।

सिविल और सशस्त्र पुलिस के सभी सिपाहियों से शारीरिक प्रशिक्षण में उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है। तथापि पुलिस अधीक्षक/कमान्डेन्ट 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को शारीरिक प्रशिक्षण, औजारी के कार्य, अन्य अन्य ऐसे उद्योगों अभ्यासों से छूट दे सकता है जिन्हें प्रशिक्षणार्थी दक्षतापूर्वक सम्पन्न नहीं कर सकता।

545. सवार पुलिस के सिपाही और अधिकारी, इक्विटेशन, घुड़सवारी ड्रुप और सेरी मोनियल ड्रिल, गारद के कर्तव्य, तलवार और भाले के प्रयोग और युद्ध में घुड़सवार द्वारा कार्यवाही के समान्य सिद्धान्तों के बारे में, जहाँ तक वह पुलिस के लिये उपयोगी हों, अनुदेशित किये जावेंगे।

546. मण्डल निरीक्षक सिविल पुलिस के उप-निरीक्षक और प्रधान कान्सटेबिल को प्लाटून ड्रिल जानना चाहिए और उन्हें परेड संचालित करने में पुलिस की टुकड़ियों की कमान लेने में, सन्तरियों को पद पर लगाने और कार्य-भार मुक्त करने में और अपने सिपाहियों को प्लाटून ड्रिल, गारद के कर्तव्यों सड़क पर रेखाएँ डालने, वाहनों के पार्क करने और डन्डों तथा सीटियों के उपयोग का निरीक्षण करने में समर्थ होना चाहिए। सिविल पुलिस के कान्सटेबिलों की स्कवैड ड्रिल और ऊपर विनिर्दिष्ट किये गये व्यवहारिक कर्तव्यों को जानना चाहिए।

547. पुलिस अधीक्षक जब वह भ्रमण पर न हो, सप्ताह में कम से कम एक बार रिजर्व लाइन में होने वाले पुलिस बल के सामान्य प्रदर्शन को कमान्ड करेगा और मुख्यालय के पुलिस थाने पर सजा निरीक्षण में भी उपस्थित रहेगा। उन्हें लाइनों और थानों में दिये जाने वाले अनुदेशों के गुण की बहुधा परीक्षा करना चाहिये। उन्हें लाइन और मुख्यालय के पुलिस थाने में सहायक तथा उप पुलिस अधीक्षकों को परेड में उपस्थित रहने के लिये दिन नियत करना चाहिए। गुरुवार ड्रिल के लिए अवकाश रहेगा।

548. बन्दूक चालन और रिवाल्वर का अभ्यास किसी राजपत्रित अधिकारी या रिजर्व निरीक्षक के समक्ष किया जाना चाहिए जो व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए भी उत्तरदायी होगा कि दुर्घटनाओं के प्रति और गणना के अभिलेखों की सत्यता के बारे में सभी सावधानियाँ अपना ली गई हैं।

549. प्रत्येक सोमवार को, रिजर्व लाइन की पूरी पुलिस अपनी सज्जा, आयुध, वर्दी, घोड़े, घोड़े का समान, नियुक्ति प्रमाण-पत्र और वर्दी और साजसज्जा पुस्तक के निरीक्षण के लिए परेड करेंगे। उनका निरीक्षण उपस्थित ज्येष्ठ राजपत्रित अधिकारी या रिजर्व निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

इन अवसरों पर, पुलिस राजपत्र में प्रकाशित उस जिले के लिए विहित नये विभागीय आदेश, पुलिस को प्रभावित करने वाली विधियों और नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और ऐसे ही अन्य विषयों की सिपाहियों को व्याख्या की जायेगी।

550. "आहत व्यक्तियों का प्रथम उपचार" में अनुदेश सहायक सर्जन या उप सहायक सर्जन द्वारा परिवीक्षाधीन अधिकारियों और रंगरूटों को दिये जावेंगे। पुलिस बल के उप सदस्यों को जिन्होंने "प्रथम उपचार" में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अभ्यास द्वारा अपना ज्ञान बनाये रखना चाहिए और सभी थानों तथा लाइनों के निरीक्षण के समय उनका परीक्षण किया जाना चाहिए। जब रंगरूट प्रथम उपचार में अनुदेश प्राप्त न कर रहे हों या जब उनकी तुलना में नए रंगरूट अनुदेश प्राप्त कर रहे हों सहायक, सर्जन या उप सहायक सर्जन को जिले के मुख्यालय में पदस्थ पुलिस को नवीनीकरण अनुदेश देने के लिये नियोजित किया जाना चाहिये।

551. सशस्त्र पुलिस के कान्सटेबिलों में से बिगुल बजाने वाले का चुनाव किया जाना चाहिए। प्रारम्भिक प्रशिक्षण लाइन में दिया जावेगा जिसके पश्चात् सिपाही को उप महानिरीक्षक द्वारा आगामी प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया जावेगा।

552. ड्रिल अनुदेशकों को जिन्होंने पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में निरीक्षण के पाठ्यक्रम में भाग लिया हो, प्रात: परेड के विसर्जन के पश्चात् निरीक्षण में अनुदेश देने के लिये दैनिक कक्षा लेना चाहिये। सशस्त्र पुलिस के सभी उपनिरीक्षक और प्रधान कान्सटेबिल, जो लाइन में उपलब्ध हों और निरीक्षण में प्रमाण-पत्र धारण न करते हों उन्हें इस कक्ष में तब तक उपस्थित रहना चाहिए जब तक वे पुलिस अधीक्षक के समाधान-कारक योग्यता प्राप्त न कर लें।

553. जिले के रिजर्व लाइन के स्कूलों में नियोजित प्रशिक्षण अध्यापक, नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस समयावधि के दौरान या समाप्ति पर, किसी अध्यापक को, जिसका कार्य या आचरण असन्तोषजनक पाया जावे, किसी नगरपालिका या जिला बोर्ड के अधीन, उसके मूल पर लौटा दिया जावेगा। उन अध्यापकों को, जिनका परिवीक्षा में रहते हुये आचरण और कार्य समाधानकारक पाया जावे, पुलिस में स्थाई रूप से अन्तरित कर दिया जावेगा और वे पुलिस के लिपिकीय कर्मचारी मण्डल के लिये पेन्शन के और अन्य सामान्य नियमों के अध्याधीन रहेंगे। नगरपालिका या जिला बोर्ड में सेवा की गणना अवकाश के लिए की जावेगी, किन्तु पुलिस पेन्शन के लिये नहीं।

554. जब ऐसे अनुदेशों की कोई माँग हो, लाइन के स्कूलों में पदस्थ प्रशिक्षण अध्यापक, पुलिस अधिकारियों के बालकों को प्राथमिक शिक्षा देंगे।

कक्षाएँ प्रात: काल के प्रारम्भ में लगाई जावें जब कि अध्यापक रंगरूटों को अनुदेश देने में व्यस्त न हो। प्रत्येक अध्यापक 16 बच्चों से अधिक की कक्षा नहीं लेगा। इसके लिये कोई व्यय नहीं लिया जायेगा और बच्चों के अनुदेशन को रंगरूटों के अनुदेशन में किसी भी रीति से हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

थाने में बनाये रखे जाने वाले रजिस्टरों और फाइल पुस्तकों की सूची

क्रमांक	रजिस्टर का नाम	प्रारूप का क्रमांक	रोके रखने की समयावधि
1.	भगोड़े अपराधी	214	पाँच वर्ष
2.	उप भगोड़े अपराधियों के बारे में जो प्रान्तीय सूची पर न हों, सूचनाओं की	—	प्रत्येक सूचना के लिये एक वर्ष।
3.	फाइल पुस्तक जन्म	स्वास्थ्य प्रारूप क्रमांक 5	प्रारूप क्र० 5 के रजिस्टर को द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर मजिस्ट्रेट लेखागार को भेज दिया जावे जहाँ वह स्थायी रूप से रखा जावेगा।
		स्वास्थ्य प्रारूप क्रमांक 6	प्रारूप 6 का रजिस्टर पुलिस थाने में एक वर्ष के बाद रद्द कर दिया जावे।
		स्वास्थ्य प्रारूप क्रमांक 9	प्रारूप क्र० 9 का रजिस्टर पुलिस थाने में तब तक रखा जावे जब तक वह पूर्ण न हो जावे और तब मजिस्ट्रेट के कार्यालय को 3 वर्ष की समयावधि के लिये अभिलेख हेतु भेज दिया जावे।
4.	रोकड़	224	दस वर्ष (एक वर्ष पुलिस थाने में और तब तक दो वर्ष पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में)।
5.	पशु बिक्री	54	पूर्ण होने से तीन मास के भीतर मुख्यालय को भेज दिया जावे।
6.	पशुओं का आवारा होना	183	तीन वर्ष
7.	आरोप-पत्र (चार्ज शीट)	339	एक वर्ष
8.	जहाँ लागू हों, पुलिस एक्ट की धारा 34 के अन्तर्गत आरोप-पत्र (चार्ज शीट)	21	"
9.	भोजन, धन इत्यादि के लिये अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिये चेक बुक	11	तीन वर्ष

क्रमांक	रजिस्टर का नाम	प्रारूप का क्रमांक	रोके रखने की समयावधि
10.	सूचना परिपत्रों की फाइल	—	जब तक कि नष्ट करने का आदेश राजपत्रित अधिकारी द्वारा न दे दिया जावे।
11.	अनुदेश परिपत्र (हिदायतों की फाइल)	—	"
12.	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अधीन सशर्त उन्मोचित अधिकारी	185	सम्पूर्ण रजिस्टर तब नष्ट किया जावे जब रात्रि के व्यक्तियों की अवधि समाप्त हो जावे।
13.	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 356 के आदेशों के अध्याधीन दोषसिद्ध	184	"
14.	साप्ताहिक गोपनीय डायरी की फाइल	कोरी शीट	एक वर्ष
15.	अपराध रजिस्टर	170	पाँच वर्ष
16.	अपराध अभिलेख पुस्तक (ग्राम चौकीदार)	308	चौकीदार के पास उसके स्थान पर नवीन प्रति देने तक रखी जावे, तब नष्ट कर दी जावे।
17.	(ग्राम) अपराध नोट बुक	14	स्थायी
18.	अपराधी जनजातियों की रजिस्टर शीट	365	मृत्यु तक
19.	अपराधी जनजातियाँ अधिनियम, नियम 4 (ए) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची	188	नवीनीकरण के पश्चात एक वर्ष
20.	अपराधी जनजातियों के सदस्यों के अल्पकालीन परित्याग पर पत्र/पास	212	एक वर्ष
21.	मृत्यु	स्वास्थ्य प्रारूप क्रमांक 1	मजिस्ट्रेट के अभिलेखागार को भेजे जाने के पूर्व, द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर थाने में "प्रारूप क्रमांक" में मृत्यु के रजिस्टर के स्तम्भ 5 से 7 तक निकाल लिए जावें और एक वर्ष बाद नष्ट कर दिये जावें। इस रजिस्टर के स्तम्भ 1 से 4 तक मजिस्ट्रेट के अभिलेखागार में स्थायी रूप से रखे जावेंगे।

क्रमांक	रजिस्टर का नाम	प्रारूप का क्रमांक	रोके रखने की समयावधि
22.	प्राप्तकर्ता	277	पूर्णता के पश्चात् एक वर्ष
23.	केस डायरी	342	पाँच वर्ष
24.	जनरल डायरी	217	पाँच वर्ष, एक वर्ष थाने में तब पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में
25.	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन अन्तिम रिपोर्ट	340	एक वर्ष
26.	अंगुली छाप	146	स्थायी
27.	संज्ञेय अपराधों के लिए (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट)	341	तीन वर्ष
28.	असंज्ञेय अपराधों के लिये (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट)	347	तीन वर्ष
29.	गिरोह रजिस्टर	45	पूर्णता के पश्चात् पाँच वर्ष
30.	मरम्मत के लिए पेशगी का हिसाब	197	दो वर्ष
31.	जाँच पर्चियों की अनुक्रमणिका "अ"	204	तीन वर्ष
32.	जाँच पर्चियों की अनुक्रमणिका "ब"	205	तीन वर्ष
33.	हिस्ट्रीशीटों की अनुक्रमणिका	—	स्थायी
34.	मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट	211	एक वर्ष
35.	निरीक्षण पुस्तक (अंग्रेजी)	35	पाँच वर्ष
36.	निरीक्षण पुस्तक (हिन्दी)	35(ए)	पाँच वर्ष
37.	मजिस्ट्रेट के लिए निरीक्षण पुस्तक	कोरी पुस्तक	पूर्णता के पश्चात् पाँच वर्ष
38.	कागजों का बीजक	266	एक वर्ष
39.	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 55 के अधीन गिरफ्तारी आदेश	6	एक वर्ष
40.	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अधीन कार्यवाही	5(ए)	दो वर्ष
41.	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन कार्यवाही	5	दो वर्ष
42.	चोरी और पुनर्पर्यास की गई	173	पाँच वर्ष
43.	अन्य पुलिस थानों की चोरी की गई संपत्ति के बारे में आदेश की फाइल	—	पाँच वर्ष

क्रमांक	रजिस्टर का नाम	प्रारूप का क्रमांक	रोके रखने की समयावधि
44.	रिमान्ड की शीट	202	एक वर्ष
45.	थाने की आदेश पुस्तक	180	तीन वर्ष
46.	(दण्ड प्रक्रिया संहिता की 160 (1) के अधीन जारी किये गये समनों के) रूप में आवाहन पत्र	7	एक वर्ष
47.	राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुमोदित संदिग्ध	—	पूर्णता के पश्चात् दस वर्ष
48.	कोषालय की पास बुक	उच्च न्यायालय क्रमांक 3	तीन वर्ष
49.	घुमक्कड़ जनजातियाँ और गिरोह	336	स्थायी
50.	कोरे रजिस्टर और प्रारूप	33-आर विविध पुस्तिका	पूर्णता के पश्चात् दो वर्ष

परिशिष्ट-2

पुलिस थानों से प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों और रिपोर्ट की सूची

क्रमांक	विवरणी या रिपोर्ट का नाम	प्रस्तुति का दिनांक	प्रारूप क्रमांक
		दैनिक	
1.	जनरल डायरी की अपराध संक्षिप्त	दैनिक	195
2.	महामारी का प्रारम्भ	यथा आवश्यक	210,210 (ए)
		साप्ताहिक	
1.	गोपनीय डायरी	पुलिस अधीक्षक के पास शनिवार को पहुँचे	कोरी शीट
		मासिक	
1.	प्रांतीय पुलिस की वेतन नामावली	पुलिस अधीक्षक के पास प्रत्येक माह की 25 तारीख पहुँचे	191
2.	चौकीदारों की वेतन नामावली	"	346
3.	भोजन इत्यादि व्यय के लिए जारी किये गये चेकों का ज्ञापन	माह की पहली तारीख को	198
4.	जन्म और मृत्यु का विवरण	माह की 1 तारीख को पुलिस अधीक्षक को पहुँचे	स्वास्थ्य 5 और 6 (ए) तथा 1 व 2

क्रमांक	विवरणी या रिपोर्ट का नाम	प्रस्तुति का दिनांक	प्रारूप क्रमांक
5.	अपराध विवरणी	रेंज के आदेशों के अनुसार	कोरी शीट
6.	सक्रिय अपराधियों की सूची	,,	,,
7.	यात्रा भत्ता आवेदनों का प्रविवरण	प्रत्येक माह की 10, 20 और 30 तारीख को पुलिस अधीक्षक को पहुँचे	199
		त्रैमासिक	
1.	अंगुलि छाप रजिस्टर के व्यक्तियों का प्रविवरण	जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख	कोरी शीट
		अर्द्ध वार्षिक	
1.	उन व्यक्तियों के परितवर्तन का प्रविवरण जिनकी हिस्ट्री शीट तैयार की गई है	1 जनवरी और 1 जुलाई	कोरी शीट
		वार्षिक	
1.	19 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान प्रत्येक अधिकारी द्वारा थाने के किए गये निरीक्षणों की संख्या की रिपोर्ट	20 मार्च	कोरी शीट
2.	गत वर्ष की सूची की वस्तुओं की अपेक्षा बढ़ने या घटने के स्पष्टीकरण सहित सरकारी सम्पत्ति की सूची	3 जनवरी	251
3.	वार्षिक रिपोर्ट के लिए आवश्यक सभी विवरणियों और प्रविवरण, (देखिये पुलिस गजट में वार्षिक रूप से प्रकाशित अनुदेश)	5 जनवरी को पुलिस अधीक्षक को पहुँचे	

परिशिष्ट-3

वर्दी के विनियम (पृथक् पुस्तक में छापे गये हैं)।

परिशिष्ट-4

स्थानीय सरकार को सम्बोधित आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए अनुदेश :—

प्रथम भाग

प्रारम्भिक

) **परिभाषाएँ**—इन आदेशों में—

(1) "सिविल सेवा ,योजन" से अभिप्राय सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये गये सेवा नियोजन से है;

(2) "विभाग प्रमुख" से अभिप्राय अनुसूची में वर्णित किसी प्राधिकारी से है;

(3) "आवेदन" में आवेदन की प्रकृति के स्मरण-पत्र और प्रार्थना-पत्र सम्मिलित होंगे।

) **अनुदेशों की व्यापकता**—

(1) इसके पश्चात् उपबन्धित के सिवाय, जहाँ तक संभव हो सके, ये अनुदेश स्थानीय शासन को सम्बोधित सभी आवेदनों पर लागू होंगे।

(2) वे उस व्यक्ति पर, जो किसी अधिनियम के उपबन्धों के आधीन सेवायोजित किया गया हो, केवल उसी सीमा तक लागू होंगे जहाँ तक कि वे उस अधिनियम या उस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम या विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध के असंगत न हों।

(3) वे सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त समूहों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अभ्यावेदनों के बारे में बनाये गये किन्हीं नियमों को प्रभावित नहीं करेंगे।

(4) वे प्रांतीय विधानसभा के प्रस्तुत किये गये विधेयकों के बारे में उसी सीमा तक लागू होंगे जहाँ तक कि ऐसे आवेदनों को शासित करने वाले किन्हीं स्थायी आदेशों, नियमों या निर्देशों से असंगत न हों।

द्वितीय भाग

आवेदनों को प्रस्तुत करने और संचरण का प्रारूप और रीति

) **आवेदन का प्रारूप**—

(1) आवेदन हस्तलिखित, टाइप से लिखा हुआ या छपा हुआ हो सकता है।

(2) प्रत्येक आवेदन आवेदक के या जहाँ आवेदक अनेक हों उनमें से एक या अधिक के हस्ताक्षरों द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये।

) **आवेदनों और आवेदनों के साथ पेश की गई दस्तावेजों पर स्टाम्प लगाना**—

(1) गवर्नर या सरकार को सम्बोधित आवेदन-पत्र पर कोई स्टाम्प लगाना अपेक्षित नहीं है।

(2) प्रान्तीय विधानसभा द्वारा यथासंशोधित रूप में, कोर्टफीस एक्ट (वर्ष 1870 का सातवाँ) की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 6, 7 और 9 या स्टाम्प एक्ट (वर्ष 1899 का दूसरा) की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 24 में निर्देशित उन दस्तावेजों की प्रतिलिपियों, जो किसी आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत की जावें, उपर्युक्त अनुच्छेद द्वारा बताये गये मूल्य के स्टाम्प लगाये जाने चाहिये।

(3) हर दस्तावेज, जिस पर सम्यक् रूप से स्टाम्प न लगाया गया हो, यथास्थिति या तो 1870 के अधिनियम सात की धारा 6 के अभिव्यक्त उपबन्धों के अधीन लौटा दिया जावेगा या उसके साथ 1899 के अधिनियम क्र० दो के चतुर्थ अध्याय के उपबंधों के अनुसार व्यवहार किया जायेगा। वह आवेदन जिसके साथ दस्तावेज की स्टाम्प न लगी हुई प्रतिलिपि प्राप्त हुई हो, साधारणतया यदि बिना स्टाम्प लगी दस्तावेज पर विचार आवश्यक हो, उस व्यक्ति को जिसने उसे पेश किया हो, इस निर्देश के साथ कि उस पर तब तक कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके साथ पेश की गई दस्तावेज पर उचित रूप से स्टाम्प न लगा दिया जावे, लौटा दिया जावेगा।

(5) आवेदनों की विषय-वस्तु—

प्रत्येक आवेदन—

(क) आवेदक द्वारा आधार बनाये गये समस्त सारवान कथनों और तर्कों का समावेश करेगा;

(ख) अपने आप में पूर्ण होगा;

(ग) उस आवेदन के सिवाय जो कि ऐसे मामले में जिसमें मृत्यु दण्ड की आज्ञा पारित की गई हो, दया या क्षमादान के लिए किया गया हो, यदि किसी न्यायालय या लोक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध परिवाद किया जावे या वह अन्यथा विवादाधीन हो, तो उस आदेश की प्रतिलिपि तथा अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा उसमें पारित आदेश की प्रतिलिपि, उसके संलग्न रहेगी; और

(घ) अन्त में विनिर्दिष्ट अभियाचना होगी।

(6) आवेदनों का प्रस्तुत किया जाना—

(1) निम्न पद (2) से (4) में उपबन्धित किये गये के सिवाय, कोई आवेदन किसी के द्वारा अन्य की ओर से ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह समर्थक रूप से निष्पादित मुख्तारनामे के साथ न हो।

(2) उप नियम (1) की कोई बात किसी विक्षिप्त या ऐसे अन्य व्यक्ति की, जिसकी ऐसी परिस्थितियाँ हों जिसके कारण उसकी ओर से मुख्तारनामे का निष्पादन असंभव हो जाता हो, और प्रस्तुत किसी आवेदन पर लागू नहीं होगी।

(3) ऐसे किसी विक्षिप्त या ऐसे अवयस्क की ओर से, जिसका कोई प्राधिकृत पालक हो, आवेदन ऐसे पालक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

(4) जेल या अन्य विबाध्यता में होने वाले किसी व्यक्ति की ओर से कोई आवेदन—

(क) जेल के विबाध्यता के अन्य स्थल के भारसाधक अधिकारी द्वारा, या

(ख) उक्त व्यक्ति के किसी निकट सम्बन्धी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

(5) सरकार को सीधे प्रस्तुत किया गया कोई आवेदन, नियम के तौर पर नियम 7 या 8 के दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए लौटा दिया जायेगा।

(7) आवेदनों की प्रस्तुति—

अनुदेश 8 में उपबन्धित के सिवाय, प्रत्येक आवेदन उस जिले के, जिसमें आवेदक निवास करता हो या आवेदन की विषय-वस्तु उत्पन्न हुई हो, कलेक्टर या उप-आयुक्त के माध्यम से प्रस्तुत की जावेगी।

परन्तु यह कि जेल या विवाध्यता के अन्य स्थल को अधीक्षक किसी दण्डित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये दया के आवेदन को सीधे सरकार को अग्रेषित करेगा।

(8) सिविल सेवायोजन में होने वाले व्यक्तियों द्वारा आवेदन की प्रस्तुति—

(1) प्रत्येक व्यक्ति जो सिविल सेवायोजन में हो और प्रत्येक व्यक्ति जो सिविल सेवायोजन में रह चुका हो, यदि सरकार को ऐसे सेवायोजन के कर दिये जाने के सम्बन्ध में कोई आवेदन करने का इच्छुक हो, अपनी ओर से एक पृथक् आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा आवेदन-पत्र व्यवहार की नियमित प्रणाली के द्वारा उस विभाग के प्रमुख के माध्यम से जिससे वह सम्बन्धित हो या सम्बन्धित रहा हो, प्रस्तुत किया जावेगा।

(3) सिविल सेवायोजन में होने वाले या सिविल सेवायोजन में रहे हुए व्यक्ति की ओर से कोई अन्य आवेदन प्रथम मामले में उस जिले के प्रमुख या स्थानीय कार्यालय को जिससे आवेदक सम्बन्धित हो, प्रस्तुत किया जावेगा।

(9) आवेदनों का संचरण—

(1) वह अधिकारी जिसको आवेदन किया जावे, जब तक कि वह उसे अनुदेश 10 के अधीन विधारित करने के लिये प्राधिकृत न हो अथवा जब तक कि वह किसी ऐसे दण्डित बन्दी की ओर से दया के लिये आवेदन न हो जिस पर इस अनुदेश का द्वितीय पद लागू होता हो, अपना अभिमत व्यक्त करने के साथ उसे साधारण कार्यालयीन प्रणाली के द्वारा अग्रेषित करेगा।

(2) दण्डित बन्दी द्वारा दया के लिये आवेदन साधारणतया अभिमत व्यक्त किये बिना अग्रेषित किया जावेगा, परन्तु वह अधिकारी जो उसे अग्रेषित करे, वह उस मामले में सरकार के ध्यान में कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य या विशेष वर्णन ला सकता हो, जो उसके अभिमत में, ऐसा हो कि उसकी सरकार के द्वारा जानकारी वांछनीय हो तथा जो न्यायालय के अभिलेखों से प्रकट न होता हो।

(3) विभाग प्रमुख द्वारा उसके माध्यम से प्रस्तुत किये गये किसी आवेदन की प्राप्ति पर जब तक कि वह अनुदेश 10 के अधीन उसका विधारण करने के लिये स्थानीय सरकार को नियमित कार्यालयीन प्रणाली के माध्यम से आवेदन को, पद (2) में उपबन्धित के सिवाय, उस पर अपने अभिमत के साथ अग्रेषित कर देगा।

तृतीय भाग

विभाग प्रमुखों द्वारा आवेदनों का रोका जाना

(10) वे परिस्थितियाँ जिनमें आवेदन रोका जा सकता है—

वह विभाग प्रमुख जिसको कोई आवेदन प्रस्तुत या अग्रेषित किया गया हो, अपने विवेक के अनुसार आवेदन को रोक रख सकता है जब—

(1) आवेदक ने इन अनुदेशों के द्वितीय भाग के उपबन्धों का पूर्णतया पालन न किया हो,

(2) आवेदन अपठनीय, समझ में न आने वाला हो या उसमें ऐसी भाषा का समावेश हो जो विभाग प्रमुख के अभिमत में निष्ठाहीन या आदरहीन या अनुचित हो,

(3) उसी विषय पर आवेदक की ओर से किसी आवेदन का स्थानीय सरकार द्वारा निपटारा किया जा चुका हो और विभाग प्रमुख के अभिमत में आवेदन कोई ऐसा नवीन तथ्य या परिस्थितियाँ प्रकट नहीं करता जो विषय के पुनर्विचार के लिये आधार बन सकें,

(4) वह आवेदन ऐसे निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन है, जो किसी विधि या परिनियमितियों के नियम के द्वारा अन्तिम घोषित किया गया है,

(5) विधि, आवेदन की विषयवस्तु के सम्बन्ध में किसी भिन्न विनिर्दिष्ट उपाय के लिये उपबन्ध करती है चाहे ऐसे उपाय के लिये विहित की गई कोई काल मर्यादा समाप्त हो गई हो या न हुई हो,

(6) आवेदन किसी न्यायिक निर्णय के विरुद्ध अपील है,

परन्तु यह कि यदि आवेदन—

(क) किसी ऐसे मामले में न्यायिक निर्णय के विरुद्ध अपील हो जिसमें सरकार ने हस्तक्षेप करने का विवेक सुरक्षित कर रखा हो; या

(ख) ऐसे दावे के न्यायिक निर्णय के विरुद्ध अपील हो जिसमें सरकार पक्षकार थी; या

(ग) क्षमादान या प्राणदण्ड स्थगित करने की या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 सं० 2 सन् 1973 के अधीन दण्डाज्ञा के निलम्बन या कम किये जाने की अभियाचना हो,

आवेदन रोका नहीं जायेगा, जब तक कि वह पद (2) के अन्तर्गत न आता हो।

(7) यदि आवेदन मात्र वित्तीय या अन्य अनुतोष के लिये हो जो—

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई हो जिसका प्रकट रूप से ही कोई दावा न हो या जो स्पष्ट रूप से किसी सारहीन स्वरूप के दावे को कर रहा हो।

(ख) इतने विलम्ब से लाई गई हो कि उसका विचार असम्भव हो।

(8) आवेदन—

(क) सरकारी सेवा में किसी ऐसे पद पर योजित किये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र हो जिस पर सरकार के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा नियुक्तियाँ की जाती हों या ऐसे सेवायोजन के प्रार्थना-पत्रों के बारे में किसी नियम या घोषणा के बारे में न किया गया सेवायोजन के लिये प्रार्थना-पत्र हो; या

(ख) सरकारी सेवा में या किसी व्यवसाय या सेवायोजन में संलग्न होने के लिये किसी विधि या नियम द्वारा धारण करने के लिये विहित की गई योग्यताओं के उपबन्धों से छूट दिये जाने के लिये निवेदन हो।

परन्तु यह कि जहाँ किसी पद पर नियुक्ति के नियम ऐसी योग्यताओं से अपवाद स्वरूप मामलों में छूट दिये जाने के लिए उपबन्ध करते हों, छूट के लिए आवेदन इस पद के लिए नहीं रोका जायेगा।

(9) आवेदन किसी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट व्यक्तियों के समूह के आवेदक और ऐसे प्राइवेट व्यक्ति या समूह के सम्बन्धी के बारे में किए गए किसी कार्य के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन हो।

(10) आवेदन ऐसा आवेदन न हो जैसा पद (6) के परन्तुक में निर्देशित किया गया है जिसमें आवेदक या कोई निजी प्रत्यक्ष हित न हो।

(11) आवेदन ऐसे विषय से सम्बन्धित है जिसमें विभाग प्रमुख आदेश पारित करने की सक्षम है और आवेदक द्वारा उसे, अनुतोष प्राप्ति के लिये कोई आवेदन न किया हो।

(12) आवेदन ऐसे आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन हो, जो आवेदक को आवेदन की प्रस्तुति से 6 मास से अधिक पूर्व संसूचित किया जा चुका हो और विलम्ब का कोई समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिया गया हो।

(13) आवेदन ऐसे विवेक के प्रयोग की, जो विभाग प्रमुख में निहित हो, विफलता के विरुद्ध अभ्यावेदन हो।

परन्तु यह कि इस पद के अधीन, भारत सरकार या प्रान्तीय सेवा के किसी सदस्य द्वारा, जिस पर सरकार द्वारा नियुक्तियाँ की जाती हैं, नियुक्त किये गये किसी आवेदक का आवेदन रोका नहीं जावेगा।

(14) आवेदन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को, जो—

(क) परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया हो, ऐसी परिवीक्षा के भीतर।

(ख) संविदा के अधीन के अतिरिक्त, अस्थाई नियुक्ति धारण करने के लिये नियुक्त व्यक्ति को ऐसी नियुक्ति के समयावधि के पश्चात् की पद मुक्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन हो।

(15) आवेदन ऐसे व्यक्ति द्वारा अभ्यावेदन हो जो सरकार की सेवा में हो और रहा हो—

(क) पदच्युति या अन्य दण्ड की आज्ञा को संपुष्ट करते हुए किसी अपीलीय आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण में पारित आदेश से उत्पन्न हो; या

(ख) पदच्युति या अन्य दण्डाज्ञा के आदेश की सम्पुष्ट करते हुए किसी अपीलीय आदेश से उत्पन्न हो, सिवाय उस मामले के जिसमें पुनरीक्षण के लिए सरकार को आवेदन करने का अधिकारी किसी विधि या नियम के द्वारा प्रदत्त किया गया हो, या

(ग) सरकार के द्वारा पारित दण्ड का आदेश न होते हुए, ऐसे आदेश से उत्पन्न हो जिसके विरुद्ध अपील उसकी सेवाओं की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम, आदेश या संविदा के द्वारा अभिव्यक्त रूप से पारित हो।

परन्तु यह कि ऐसे अपीलीय या पुनरीक्षण में पारित आदेश, जिसका परिणाम सेवा से पदच्युत किया या हटाया जाना हो, के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन जो विवादग्रस्त तथ्यों को या ऐसे आदेश के औचित्य को प्रश्नगत न करते हुए, केवल दया की याचना या प्रतिपूर्ति पेन्शन के लिए सीमित हो, रोका नहीं जावेगा।

(16) आवेदन सरकार की सेवा में होने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी सम्भावित भावी पेन्शन के सम्बन्ध में, उसकी सेवा शर्तों की विनियमित करने वाले किसी नियम, आदेश या संविदा के अनुसार होने के सिवाय प्रस्तुत किया गया हो।

(17) आवेदन किसी सरकारी सेवा में रहने वाले व्यक्ति की कार्यालयीन भावी सम्भावनाओं या स्थिति के बारे में कोई अभ्यावेदन हो जो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत न किया गया हो।

(11) जब आवेदन रोका जावे आवेदक को सूचित किया जावे—

जब अनुदेश 10 के अधीन कोई आवेदन रोका जावे, विभाग प्रमुख, ऐसे रोक लिये जाने और उसके कारणों की सूचना आवेदक को देगा।

(12) रोके गये आवेदनों की सूची—

विभाग प्रमुख जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर मासों की 13 तारीख को, उसके द्वारा पूर्ववर्ती त्रिमास में, अनुदेश 10 के अधीन रोके गए आवेदनों का, संक्षेप में रोके जाने के कारणों को वर्णित करते हुए, सरकार की त्रैमासिक रूप से विवरणी भेजेगा।

अनुसूची

[अनुदेश 1 (2) देखिये]

विभागों के प्रमुख

* * * * * *

* * * * * *

(9) पुलिस महानिरीक्षक

* * * * * *

* * * * * *

परिशिष्ट–5

देखिये पुलिस विनियमों का पैरा 137, निम्न अपवादों के अतिरिक्त शव परीक्षा रिपोर्ट जिला मुख्यालयों पर तैयार की जाती है।

जिला	से प्राप्त शव	शव परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जावेगी	अभ्युक्तियाँ
अल्मोड़ा	रानीखेत सब डिवीजन	रानीखेत	
''	लोहा घाट सब डिवीजन	लोहाघाट	
बहराइच	भिंगा थाना	भिंगा डिस्पेन्सरी	
बाँदा	करवी सब डिवीजन	करवी	
बस्ती	बाँसी, चिल्हिया, उस्का, लोटन, डेबरवा, भिंहदावल, डुमरियागंज थानों	बाँसी डिस्पेन्सरी	
बिजनौर	नगीना और बड़ापुरा के थानों	नगीना डिस्पेन्सरी	
''	धामपुर, सेवढ़ा, शेरकोट अफजलगढ़ और रेहार थानों	शेरकोट डिस्पेन्सरी	
''	शामपुर, नागल और नजीबाबाद थानों	नजीबाबाद डिस्पेन्सरी	
बदायूँ	गुन्नौर सब डिवीजन	गुन्नौर	
देहरादून	मन्सूरी सब डिवीजन	मन्सूरी	
''	चकराता सब डिवीजन	चकराता	
फैजाबाद	टाँडा, रामनगर और बसखारी थानों	टाँडा डिस्पेन्सरी	
	अकबरपुर और जलालपुर थानों	अकबरपुर डिस्पेन्सरी	

जिला	से प्राप्त शव	शव परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जावेगी	अभ्युक्तियाँ
गढ़वाल	बारहल्यूँ सब डिवीजन की पट्टी	श्रीनगर डिस्पेन्सरी	जब मुख्यालय से सिविल सर्जन अनुपस्थित हो।
''	चमोली सब डिवीजन की पट्टी	चमोली डिस्पेन्सरी	
''	चाँदकोट, गंगा सालन, माला सालन और तालां सालन के परगने	लांसडीन डिस्पेन्सरी	सेना का चिकित्सक सर्जन।
गोरखपुर	कसिया, पड़रौना, रामकोला, बिशनपुर, तारियासुजान काजीपुर, तारकुलवा, हाटा, खामपुर, सुलेमपुर, मुसैला और बरहज थाने	कसिया डिस्पेन्सरी	
गोरखपुर	महाराजगंज, पैसिया, ठुठीबारी, निचलाउल, कोठीभार, बिरैचा और सेमरा थाने,	महाराजगंज डिस्पेन्सरी	
हमीरपुर	महोबा सब डिवीजन	महोबा डिस्पेन्सरी	
हरदोई	सन्डीला, अतरौली, बेनीगेज और गौसगंज थाने	सन्डीला डिस्पेन्सरी	
जालौन	कोंच, कैल्या, रैन्धर और एटा थाने	कोंच डिस्पेन्सरी	
झाँसी	मऊ सब डिवीजन	मऊ	
''	ललितपुर सब डिवीजन	ललितपुर	
खीरी	मुहम्मदी, गोला, पासगाँव और भिंडा थाने	गोला डिस्पेन्सरी	
''	पलिया	गोला डिस्पेन्सरी	अप्रैल से सितम्बर
मिर्जापुर	चुनार सब डिवीजन	चुनार	
''	खैरवा और दुद्धी के थानों से	दुद्धी डिस्पेन्सरी	
''	शाहगंज, घोरावल, राबर्ट्सगंज, पानगंज, कोन एवं चोपन थाने	राबर्ट्सगंज डिस्पेन्सरी	

जिला	से प्राप्त शव	शव परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जावेगी	अभ्युक्तियाँ
नैनीताल	बोरानदी के पूर्व और पश्चिम और स्थित भावर के रास्ते और रुद्रपुर, किलपुरी, नानक माता, बिलहारी, काशीपुर बाजपुर और गदरपुर परगने	हल्द्वानी डिस्पेन्सरी	
मुरादाबाद	ठाकुर द्वारा पुलिस मण्डल	काशीपुर डिस्पेन्सरी	15 मार्च से 15 अक्टूबर
सहारनपुर	रुड़की सब डिवीजन	रुड़की	
शाहजहाँपुर	उत्तर सीरामऊ और खुटार	गोला डिस्पेन्सरी	
सीतापुर	लहरपुर थाना	खोरी मुख्यालय डिस्पेन्सरी	अप्रैल से सितम्बर
टिहरी गढ़वाल	मोहन चट्टी, कुन्द चट्टी बिजैनी चट्टी, महादेव चट्टी, बन्दर चट्टी, लक्ष्मण झूला चट्टी से मिलकर गठित होने वाला लक्ष्मण झूला पुलिस थाना	नरेन्द्र नगर	

जिलों के मुख्यालयों और मूसरी, रुढ़की और रानीखेत में सिविल चिकित्सा के प्रभार में रहने वाला अधिकारी, नियम के तौर पर व्यक्तिशः शव परीक्षा का अधीक्षण और उस पर रिपोर्ट करेगा।

नैनीताल के सिविल सर्जन के सहायक, मसूरी का चिकित्सा अधिकारी और सिविल चिकित्सालय, इलाहाबाद का रेजीडेन्ट चिकित्सा अधिकारी शव परीक्षा करने के लिये प्राधिकृत कर दिये गये हैं। लखनऊ में शव परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय के भेषजिक न्यायशास्त्र के प्रवाचक द्वारा की जाती है।

करवी, मऊ, ललितपुर, चुनार, हलद्वानी, काशीपुर, श्रीनगर, कशिया, सन्डीला, कोंच और नगीना में शव परीक्षा प्रान्तीय चिकित्सा सेवा के प्रभारी तथा राबर्ट्सगंज, द्वन्द्वी, महोबा, महाराजगंज, अकबरपुर, टांडा, गुन्नोर, शेरकोट; नजीबाबाद और गोला में शाखा डिस्पेन्सरियों के प्रान्तीय अधीनस्थ चिकित्सा सेवा प्रभारियों द्वारा की जायेगी। चकराता में शव परीक्षा सेना के सामान्य चिकित्सालय में की जायेगी।